

# “बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सन्दर्भ में उदारीकरण नीति की उपादेयता”



इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डी० फिल० उपाधि हेतु  
प्रस्तुत शोध प्रबन्ध

द्वारा

राजेश केसरी, एम०काम

निर्देशक

प्रो० के.एम. शर्मा

वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इलाहाबाद

1999



वर दे, वीणावादिनी, वर दे !

# अनुक्रमणिका

अध्याय क्रम	पृष्ठ संख्या
<b>प्राक्कथन</b>	1-V
1. शोध अध्ययन का उद्देश्य, विधि एव सीमाए	1-15
2. उदारीकरण की आवश्यकता, औचित्य एव समीक्षा	16-75
3. बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की भूमिका	76-87
4. बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से आशय, उद्देश्य, गुण-दोष एवं उसके प्रभाव	88-125
5. भारत मे विदेशी सहयोग एवं उसके दुष्परिणाम	126-198
6. बहुराष्ट्रीय निगमो के संदर्भ मे यूरोपीय समुदाय में भारत की सभावनाएँ	199-214
7. बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सफलताओ एव असफलताओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन	215-245
8. निष्कर्ष एव सुझाव	246-271
<b>परिशिष्ट</b>	
सन्दर्भ ग्रन्थ सूची	I-II
तालिकायें	III-IV

## तालिकाओं की सूची

तालिका संख्या	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
2 1	भारत में मुद्रा स्फीति	44
3.1	भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों की शाखाएं	83
3.2	विदेशी कम्पनियों द्वारा भारत से भेजी गयी राशियाँ	84
4.1	समष्टि आर्थिक परिदृश्य प्रतिशत	96
4 2	औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दरें	97
4 3	रोजगार में वृद्धि	112
5.1	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह-देशवार	143
5 2	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अंतर्वाह-उद्योगवार	144
5.3	श्रेणीवार विदेशी निवेश प्रवाह	145
5 4	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	146
5 5	भारत में स्वीकृत कुल विदेशी पूँजी निवेश	147
5 6	भारत को द्विपक्षीय सहायता	148
5.7	भारत में दस विदेशी विनियोजकों के नाम	149
5 8	विदेशी वाणिज्यिक उधार के अनुमोदनों की स्थिति	149
5.9	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की क्षेत्रवार स्वीकृतियाँ	150
5.10	कुल विदेशी प्रौद्योगिकी करार और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमोदन	151
5.11	विदेशी सहायता की प्राप्ति एवं ऋण अदायगी	151
5.12	इटली तथा ब्रिटेन द्वारा विदेशी निवेश	152
5.13	विदेशी संस्थागत पूँजी निवेश और विदेशी मुद्रा कोष	155
5.14	ऋण शोधन सम्बन्धी अदायगियाँ	197
7.1	संसाधित खाद्य पदार्थों का निर्यात	225

## प्राक्कथन

अति प्राचीन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में एक शक्तिशाली सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का घटक रहा है। सिन्धु सभ्यता के ऐतिहासिक साक्ष्य यह सिद्ध करते हैं कि तत्कालीन भारतीय अर्थव्यवस्था अधिशेष अर्थव्यवस्था थी परन्तु समय के काल चक्र से यह अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई और अपने विनाश को न बचा सकी।

इसी प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में तमाम उतार-चढ़ाव के कई दौर आये और चले गये। ब्रिटिश आगमन से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था एक स्वावलम्बी एवं सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित थी। ब्रिटिशों के आगमन के पश्चात, निरन्तर शोषण के परिणाम स्वरूप यह अर्थव्यवस्था जीर्ण-क्षीर्ण अवस्था को प्राप्त होती रही, परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात पं० जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में आधुनिक भारत के निर्माण की नींव विदेशी सहायता के आधार पर बहुमुखी विकास के उद्देश्य से रखी गयी। नेहरू जी के विचार महात्मा गाँधी से भिन्न रहते हुए भी भारी उद्योगों की स्थापना की रही है और इन भारी उद्योगों को स्थापित करने के लिये विदेशी पूँजी का आगमन शुरू हुआ। पचवर्षीय योजनाओं के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रतिपादित किये जाने लगा।

हम यह स्पष्टतः कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में उदारीकरण की प्रक्रिया की नींव पं० जवाहर लाल नेहरू ने रखी और 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ० मनमोहन सिंह ने इसे पूर्णतया प्रदान कर दी। सन् 1991 की उदारीकरण प्रक्रिया की सारे राजनैतिक दलों ने भर्त्सना करते हुए कहा कि डॉ० मनमोहन सिंह ने सारे निर्णय अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक के दबाव में भारत को गिरवी रखने की प्रक्रिया है, परन्तु सारे राजनैतिक दलों ने किसी न किसी रूप में सत्ता प्राप्ति के बाद इस प्रक्रिया को अपनाये रखा और इसका विरोध सत्ता में रहते हुए नहीं किया। निष्पक्ष रूप से हम कह सकते हैं कि उदारीकरण प्रक्रिया वर्तमान भारत की आवश्यकता थी जिसको भारतीय शासन व्यवस्था ने अपनाया और विश्व अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है। इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शोध कार्य निम्नलिखित अध्यायों में विभक्त कर अध्ययन किया गया है:-

प्रथम अध्याय में भारत में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के शोध अध्ययन का उद्देश्य, विधि एवं सीमाओं का वर्णन किया गया है। जिसमें यह लिखा गया है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का भारत में प्रवेश सन् 1498 ई० में वास्कोडिगामा के भारत आगमन से शुरू होता है। इसके बाद पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी कम्पनियों का आगमन भारत में हुआ, लेकिन इनमें सबसे सफल अंग्रेजी कम्पनियाँ ही

हुई और भारत में लगभग 150 वर्षों तक शासन करके भारत की आर्थिक, राजनैतिक एवं प्रशासनिक अर्थव्यवस्थाओं को तहस-नहस कर दिया अर्थात् हमारी अर्थव्यवस्था लगी अर्थव्यवस्था बन गई। कहने का तात्पर्य यह है कि हम खड़े होने का प्रयास करते रहे फिर भी हम खड़े नहीं हो पाये और लड़खड़ाते हुए गिर जाते रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् दुनिया के विभिन्न देशों के द्वारा हमारी लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था को सहयोग प्राप्त होता रहा है, परन्तु पूर्ण विकसित अवस्था की प्राप्ति से हम दूर ही रहे। शोध अध्ययन में जिसमें शोध के द्वारा यह जानकारी करने का प्रयास किया गया है कि विकासशील देश तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुराष्ट्रीय निगमों का क्या प्रभाव पड़ रहा है या पड़ सकता है, क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर भारत का औद्योगिक एवं आर्थिक विकास निर्भर करता है।

द्वितीय अध्याय में उदारीकरण की आवश्यकता, औचित्य एवं समीक्षा का वर्णन किया गया है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि 'उदारीकरण की जरूरत' 1985 में ही महसूस होने लगी थी। जिसके कारण नई औद्योगिक नीति में बदलाव, व्यापार नीति में परिवर्तन, प्रारक्षित विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि, राजकोषीयघाटा, रुपये की चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता आदि के बारे में विस्तृत जानकारियों का उल्लेख किया गया है, यही सुखद परिणाम है कि विश्व स्तर पर यूरोपीय साझा बाजार, यूरोपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र, नाफ्टा, आसियान, एशिया प्रशान्त क्षेत्र तथा दक्षिण के रूप में प्रमुख आर्थिक मंच स्थापित हुए हैं जिससे आर्थिक उदारवाद तथा विश्वीकरण की अवधारणा फलीभूत होती नजर आने लगी है।

तृतीय अध्याय में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की भूमिका का वर्णन किया गया है, जिसके अन्तर्गत बहुराष्ट्रीय निगमों के कार्यक्षेत्र की सीमाओं को उल्लेख किया गया है। इसके अलावा भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों की शाखाओं एवं विदेशी कम्पनियों द्वारा भारत से भेजी गयी राशियों का उल्लेख किया गया है।

चौथे अध्याय में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से आशय, उद्देश्य, गुण-दोष एवं उसके प्रभावों का वर्णन किया गया है, जिसके अन्तर्गत शोध एवं विकास, विदेशी पूँजी और तकनीक की आपूर्ति, औद्योगिक उत्पादन का व्यापक आधार, विपणन सम्बन्धी सुविधाएँ, सेवा क्षेत्र में सहायता, गुणवत्ता में सुधार, मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों एवं रोजगार के उपलब्धियों का वर्णन किया गया है।

पाँचवें अध्याय में भारत में विदेशी सहयोग एवं उसके दुष्परिणामों का उल्लेख किया गया है, जिसके अन्तर्गत विदेशी ऋण, विदेशी अनुदान और विदेशी निवेश का उल्लेख किया गया है और

इसके साथ-साथ सहायता देने वाले देशों के नामों के बारे में भी बतलाया गया है। विदेशी निवेश में वृद्धि करने के उद्देश्य से विदेशी निवेश नीति में कई बार व्यापक परिवर्तन किये गये और इनकी सहायता से भारत में बहुत सी परियोजनाएँ स्थापित की गयीं, जो आज भी सुचारू रूप से चल रही हैं।

छठवे अध्याय में यूरोपीय समुदाय में भारत की सभावनाओं को व्यक्त किया गया है, जिसके अन्तर्गत 'विश्व व्यापार सगठन' के द्वारा यूरोपीय समुदाय एक मजबूत व्यापार गुट के तौर पर उभरा है, जहाँ पर व्यापार की सभावनाओं के बढ़ने के अच्छे अवसर दिखाई पड़ रहे हैं, यही यूरोप के पन्द्रह देशों ने अपनी सीमाएँ गिराकर अपनी आर्थिक और विकास से जुड़ी चिंताओं को साझा कर लिया है।

सातवे अध्याय में, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सफलताओं एवं असफलताओं के आलोचनात्मक मूल्यांकन का वर्णन किया गया है, जिसके अन्तर्गत द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर अब तक की समस्त उपलब्धियों एवं उपलब्धियों में कमियों को दर्शाया गया है और इसके अलावा समर्थक और विरोधी वर्गों के विचारों को प्रस्तुत करते हुए अपनी राय को भी प्रस्तुत किया गया है।

आठवे अध्याय में, निष्कर्ष एवं सुझावों का उल्लेख किया गया है, जिसके अन्तर्गत सभी अध्यायों के विश्लेषणात्मक स्वरूप के अन्तिम सार को प्रस्तुत किया गया है और इसके अलावा लोगों के मन में जो एक आम धारणा बन गई है कि ये कम्पनियाँ सिर्फ शोषण करती हैं, ऐसा पूर्णतः सही नहीं है, आदि बातों का भी उल्लेख किया गया है।

## साभारोक्ति :

प्रथमतः मैं अपने शोध निर्देशक उत्कृष्ट विद्वान् वाणिज्य जगत के पुरोधा प्रो० के.एम. शर्मा के प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूँ जिनके विशेष सहयोग एवं पुत्रवत् स्नेहशीलता के कारण ही मैं अपना शोध कार्य सरलता पूर्वक सम्पादित कर सका।

मैं वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग के अधिष्ठाता प्रो० एस.पी. सिंह का विशेष आभारी हूँ जिन्होंने विभिन्न प्रकार के सहयोग प्रदान कर मेरे शोधकार्य को सरल बनाया।

मैं वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग के अध्यक्ष प्रो० जगदीश प्रकाश का विशेष आभारी हूँ जिन्होंने मुझे शोध कार्य का अवसर प्रदान कर सहयोग प्रदान किया।

मैं अपने गुरुजन वृन्द प्रो० पी सी शर्मा, प्रो० जे के जैन, डॉ० जगदीश नारायण मिश्र एव डॉ० प्रदीप जैन के प्रति विशेष आभारी हूँ जिन्होंने समय-समय पर शोधकर्ता के प्रति उत्साह वर्धन कर मेरे शोधकार्य को सरल बनाया।

मैं अपने माता-पिता का विशेष आभारी हूँ जिन्होंने सदैव मुझे वात्सल्य स्नेह प्रदान करते हुए विभिन्न प्रकार का सहयोग प्रदान किया, जिससे मुझे शोध कार्य सम्पन्न करने में सरलता का अनुभव हुआ। मैं उनके चरणों में कोटिश प्रणाम करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे सदैव जन्म-जन्मान्तर तक इनकी छत्र-छाया प्राप्त होती रहे।

मैं अपने चाचा जी (श्री लालजी केसरी) एव चाची जी के प्रति भी विशेष आभारी हूँ जिनके स्नेहाशीष आशीर्वाद की छाया में शोध कार्य को पूर्ण करने में सरलता का अनुभव हुआ।

मैं अपनी जीवन सगिनी कोमलता की साक्षात् प्रतिमूर्ति श्रीमती नीलम केसरी के प्रति विशेष आभारी हूँ जिन्होंने विषम परिस्थितियों में सहनशीलता का परिचय देते हुए अनन्य उत्साहवर्धन कर शोध कार्य के लिये प्रेरित किया। वास्तव में शोधकार्य सम्पन्न करने में इनकी पूर्ण भागीदारी निहित है।

मैं अपने प्रिय अनुज राकेश केसरी के प्रति विशेष कृतज्ञ हूँ जिसने मुझे शोध कार्य पूर्ण करने में विशेष सहयोग प्रदान किया।

मैं अपने परम मित्र डॉ० श्याम कृष्ण पाण्डेय का विशेष आभारी हूँ जिन्होंने अपने उत्कृष्ट गुणों से मुझे सदैव सहयोग किया साथ ही मैं उनकी पत्नी एव परिवार का भी विशेष आभारी हूँ जिनके सानिध्य में शोध कार्य पूर्ण करने में सरलता का अनुभव हुआ।

मैं अपने अभिन्न "अनिद्य, अगणित गुणों के आगार" मित्र डॉ० जितेन्द्र नाथ दुबे का विशेष रूप से आभारी हूँ, मैं डॉ० दुबे के उत्कृष्ट सहयोग के लिये सपत्नीक आजीवन ऋणी रहूँगा तथा मैं सरस्वती के इस वरद पुत्र की दीर्घायु की कामना करता हूँ।

मैं अपने मित्र श्री रुद्र प्रभाकर मिश्र, के प्रति विशेष आभारी हूँ जिनके सहयोग और सानिध्य में शोध कार्य सम्पन्न करने में सरलता का अनुभव हुआ।


विषय सामग्री को अधिक अद्यतन और उपयोगी बनाने के लिये जिन प्रतिवेदनों पत्रिकाओं और



सन्दर्भ ग्रन्थों का उपयोग किया गया, उनके प्रणेताओं और प्रकाशकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

अन्त में मोहम्मद इस्तियाक एव श्री मनोज कुमार शुक्ल 'शीलू' को विशेष धान्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा जिनके सहयोग से मुद्रण कार्य सरलता से सम्पन्न हो सका।

शोधकर्ता,

  
(राजेश केसरी)

वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग  
इलाहाबाद विश्वविद्यालय  
इलाहाबाद

# 1

शोध अध्ययन का  
उद्देश्य,  
विधि एवं सीमाएं

# शोध अध्ययन का उद्देश्य, विधि एवं सीमाएं

अर्थव्यवस्था के स्वावलम्बन की स्थिति से ऊपर उठने पर व्यापारिक गतिविधियाँ स्वतः तीव्र होने लगती हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में जब हम ऐतिहासिक विश्लेषण करते हैं तो ऐसा विदित होता है कि प्राचीन काल से विदेशी व्यापार होते रहे हैं। इन व्यापारिक गतिविधियों के द्वारा ही आर्थिक स्थिति के क्रियाकलापों का मूल्यांकन किया जाता रहा है। आधुनिक भारत में विदेशी कम्पनियों का प्रवेश 1498 ई० में वास्कोडिगामा के भारत आगमन से शुरू होता है। वह एक पुर्तगाली था, जिसने सर्वप्रथम व्यापारिक उद्देश्य से भारत आया, इसके पूर्व भी भारत में आने का प्रयास किया गया जो आधुनिक भारत में संभव नहीं हो पाया, परन्तु प्राचीन भारत में विदेशी व्यापार होते रहे। इसके साक्ष्य सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया, बेबीलोन आदि सभ्यताओं से मिलता है, जहाँ पर व्यापारिक गतिविधियाँ विदेशों से होती रही हैं, परन्तु पुर्तगालियों के आगमन के बाद आधुनिक भारत में विदेशी कम्पनियों का सिलसिला शुरू होता है।

पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी कम्पनियों का आगमन भारत में हुआ और इन कम्पनियों ने भारत को व्यापारिक केन्द्र में रखकर के व्यापार के साथ-साथ सत्ता स्थापित करने के लिए भी प्रयास किये, जिसके कारण एक दूसरे में आपसी युद्ध भी शुरू हुए, परन्तु कालान्तर में इन कम्पनियों का आपसी विवाद बढ़ता गया। आर्थिक युद्ध से शस्त्र युद्ध शुरू हुए। अन्ततः अंग्रेज इस युद्ध में सफल हुए और भारत की लगभग सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर कब्जा करते हुए प्रशासनिक क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया और भारत गुलामी की जर्जर में लगभग 150 वर्षों तक जकड़ा रहा।

“सन् 1757 से जब अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीता, कम्पनी का बंगाल के साथ व्यापार तथा लूट के एक विशेष युग का आरम्भ हुआ। यह वणिकवाद का युग था।” “वणिकवाद जो 16वीं से 18वीं शताब्दी तक बहुत लोकप्रिय था, प्राचीन साम्राज्यवादी प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग था। वास्तव में यह आक्रामक राष्ट्रवाद का आर्थिक प्रतिकार था। इसका मूलभूत आधार यह था कि समस्त आर्थिक कार्यविधि को राष्ट्र के हित में तथा शक्तिशाली बनाने के लिए नियमित किया जाना चाहिए। जहाँ तक विदेशी व्यापार का सम्बन्ध था, इसका अर्थ यह था कि राजपत्रित व्यापारिक कम्पनियों द्वारा इसका

---

1 शर्मा, एल पी. मध्यकालीन भारत (15वाँ संस्करण) सन् 1996 पृष्ठ संख्या 332

2 ग्रोवर, बी एल. यशपाल आधुनिक भारत का इतिहास (10वाँ संस्करण) 1994 पृष्ठ संख्या 633

(2)

नियमन किया जाय, ताकि आयात से अधिक निर्यात किया जाय अर्थात् सतुलन देश के हित में हो और दूसरे मातृभूमि के अन्दर सोना, चाँदी अधिकाधिक आये।

व्यापारिक कम्पनियों यह उद्देश्य तीन तरीकों से प्राप्त करती थीं -

1. व्यापार पर एकाधिकार हो और सभी सम्भव प्रतिद्वन्द्वी समाप्त कर दिये जायें।
2. वस्तुएं कम से कम मूल्य पर खरीदी जाय और अधिकाधिक मूल्य पर बेची जाय।
3. ऊपर लिखित उद्देश्य तभी प्राप्त हो सकते थे जब व्यापार किये जाने वाले देश पर राजनैतिक नियन्त्रण हो।

अंग्रेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी का अन्य व्यापारी कम्पनियों से (डच कम्पनी तथा फ्रांसीसी कम्पनी से) झगड़े का मूल उद्देश्य यह था कि प्रतिद्वन्द्वी भारतीय व्यापार से बाहर कर दिये जायें। भारत में जो युद्ध ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारतीय राजाओं से लड़े जैसे बंगाल की विजय, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध तथा अन्य भारतीय शक्तियों के विरुद्ध युद्ध सभी का उद्देश्य भारत में राजनीतिक शक्ति ग्रहण करना तथा भारतीय व्यापार का अधिग्रहण करना था।

कम्पनी ने जो राजनीतिक सत्ता प्राप्त की उस का उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को नियन्त्रित करने का था, ताकि आंतरिक और वाह्य व्यापार और भारतीय धन के स्रोतों पर नियन्त्रण किया जा सके। भारतीय व्यापारियों को उत्पादकों से सीधे वस्तुएं खरीदने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उन पर एकाधिकार अंग्रेजों का था। कम्पनी के गुमाश्ते भारतीय व्यापारियों को अपनी वस्तुएं मण्डी में प्रचलित मूल्यों से अधिक मूल्यों पर खरीदने के लिए बाध्य करते थे।

“सन् 1757 के पश्चात् ईस्ट इण्डिया कम्पनी के स्वरूप में परिवर्तन आया, अब यह व्यापारी कम्पनी नहीं रह गयी थी। अब यह बंगाल में व्यापारिक, सैनिक तथा राजनीतिक निकाय की भूमिका निभा रही थी”

भारत के धन का अविरल प्रवाह इंग्लैण्ड की ओर था जिसके बदले भारत को पर्याप्त आर्थिक व्यापारिक, भौतिक फल नहीं मिला। ऐसे धन को भारतीय राष्ट्रीय नेताओं तथा अर्थशास्त्रियों ने “धन के निकास” की संज्ञा दी है। उस धन के निकास को इंग्लैण्ड ने भारत से अप्रत्यक्ष रूप में भेट अथवा अंशदान माना है। वणिकवाद विचारधारा के अनुसार आर्थिक निकास उस समय होता है जब किसी देश के प्रतिकूल व्यापार संतुलन के फलस्वरूप सोने और चाँदी का निकास होते रहे। प्लासी के युद्ध से पूर्व 50 वर्षों में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारत में दो करोड़ पौण्ड मूल्य का सोना चाँदी, इसलिए भेजा

(3)

कि वह भारत से निर्यात किये जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दे सके। इंग्लैण्ड के वणिकवादी शास्त्रियों ने व्यापारिक नीति की आलोचना की। अंग्रेजी सरकार ने भी बहुत से ऐसे कानून बनाये और प्रतिबन्ध लगाये, जिससे भारत का माल पहुँचना कम हो सके, अन्य साधनों के अतिरिक्त 1720 में संसद में एक ऐसा कानून बनाया जिसके अधीन इंग्लैण्ड में भारतीय रेशमी तथा सूती कपड़ा पहनने वालों पर जुर्माना किया जाता था।

प्लासी के युद्ध के पश्चात् यह स्थिति उल्टी हो गयी। इंग्लैण्ड का भारतीय अर्थव्यवस्था पर एकाधिकार हो गया और भारतीय धन का प्रवाह इंग्लैण्ड की ओर होने लगा। ज्यो-ज्यो ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार जमा लिया, वह अधिशेष भारतीय राजस्व उनके हाथ लगाना आरम्भ हो गया। इस धन के निकास ने एक अन्य रूप धारण कर लिया। अब कम्पनी के पास धन लगातार बरसने लगा जो कई स्रोतों से आता था-

- 1 वह लाभ जो भारत में उत्पीड़ित कर प्रणाली से बचता था।
- 2 वह लाभ जो भारतीय मन्डियों पर एकाधिकार नियंत्रण के फलस्वरूप व्यापार से होता था।
- 3 वह बलपूर्वक धन की प्राप्ति जो कम्पनी के अफसर भारत में प्राप्त करते थे।
- 4 वह मोटे-मोटे वेतनों के रूप में प्राप्त किया हुआ धन जो सत्सार में किसी भी वेतन भोगी को वेतन के रूप में नहीं मिलता था। गवर्नर जनरल का वेतन 20 हजार रुपये प्रति मास था। सैनिक पदाधिकारियों के वेतन समकालीन इंग्लैण्ड के पदाधिकारियों के कई गुना थे।

यह सब अधिशेष धन कम्पनी पुनः भारत में पूँजी के रूप में लगा देती थी। इस पूँजी के प्रतिकार के रूप में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। यह व्यवस्था 1813 के चार्टर ऐक्ट से समाप्त की गयी। जब कम्पनी के व्यापारिक और क्षेत्रीय राजस्व को अलग-अलग कर दिया गया। 1813 के पश्चात् इस आर्थिक निकास ने 'अप्रतिफल' निर्यात का रूप धारण कर लिया। कुछ अपवाद स्वरूप शुरू के वर्षों को छोड़कर भारत का इंग्लैण्ड के साथ द्वितीय विश्व युद्ध तक प्रतिकूल व्यापार सतुलन ही बना रहा। इस निकास सिद्धान्त का मुख्य पक्ष यह है कि भारत के राष्ट्रीय उत्पादन का कुछ भी भाग भारत की जनता के उपयोग अथवा पूँजी निर्माण के लिए उपलब्ध नहीं था। यह केवल राजनीतिक कारणों के लिए इंग्लैण्ड में भेजा जा रहा था और भारत को उसके रूप में कुछ नहीं मिला।

“सर थियोडोर मोरिसन” ने अपने एक भाषण में भारत के आर्थिक सक्रमण की ओर ध्यान

आकारित करते हुए कहा था कि रेलवे में पूँजी लगाने से भारत में एक अन्य उद्योग का आरम्भ हुआ है, जिसमें नियुक्तियों के अवसर उत्पन्न हुए हैं और भारत के लिए औद्योगिक सवृद्धि का युग प्रस्तुत हुआ। इसी प्रकार यह भी कहा गया कि सिचाई परियोजनाओं को प्रारम्भ होने से भारत की अधिक भूमि अधिकार क्षेत्र में आ गयी है और उत्पादन बढ़ा है और भारत को लाभ हुआ है। मोरिसन के अनुसार भारत को यह ऋण बहुत सस्ती दर पर मिला, परन्तु यह याद रहे कि रेलवे और सिचाई परियोजनाएँ मुख्य रूप से केवल इंग्लैण्ड के हित में ही बनायी गयी थी। चूँकि इंग्लैण्ड का भारतीय अर्थव्यवस्था पर अधिकार था, इससे भारत का औद्योगीकरण नहीं हुआ, क्योंकि रेलों का सभी सामान इंग्लैण्ड से खरीदा गया (इंजन से लेकर माल ढोने के डिब्बे तक), जिससे देश में न सिर्फ नियुक्तियों के अवसर घटे अपितु देश में बेकारी की समस्या और बढ़ गयी, क्योंकि इंग्लैण्ड का बना सूती कपड़ा हर जगह मिलने लगा और स्थानीय बुनकरों का धन्धा ठप्प हो गया। इसमें तो कार्लमार्क्स की भविष्यवाणी भी अशुद्ध निकली।<sup>5</sup> दादाभाई नौरोजी ने धन के निकास को 'अनिष्टों का अनिष्ट' की सजा दी है और भारत की निर्धनता का मुख्य कारण बताया। उनके अनुसार इंग्लैण्ड भारत का लहू चूसण कर उसे समाप्त कर रहा है। 1905 में सुन्दरलैण्ड को लिखे गये एक पत्र में उन्होंने कहा, "भारत की अवस्था बहुत बुरी है।" उसकी अवस्था स्वामी और दास की नहीं है, परन्तु उससे भी गिरी हुई है। यह एक ऐसे लूटे हुए राष्ट्र की अवस्था है, जहाँ लुटेरा लगातार लूट रहा है और फिर साफ बचकर निकल जाता है। भारत में अंग्रेजों के पूर्व भी लुटेरे आते रहे, परन्तु वे लुटेरे लूट कर चले जाते थे, परन्तु यह लुटेरा सिर पर बैठा हुआ है। पुराने मध्ययुगीन लुटेरों की ओर अंग्रेजी लुटेरों की तुलना करते हुए एक अन्य आलोचक ने कहा "पुराना लुटेरा केवल धनी आदमी की दुकानों को लुटता था, जहाँ धन एकत्रित होता था और छोटे ग्रामों और झोपड़ियों को नहीं लूटता था। उसकी तुलना में साम्राज्यीय लुटेरा सबसे छोटे, सबसे गरीब और दूर क्षेत्रों में भी पहुँच गया और इस प्रकार अंग्रेजी शोषण की पद्धतियों कम कष्टदायी तो अवश्य हैं, परन्तु हैं अधिक पक्की और वे खून चूसने के नाई है।"<sup>6</sup>

इस धन के निकास से भारत के रोजगार तथा आय की सम्भावनाओं पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। बहुत सी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने अपनी नियन्त्रित कम्पनियों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में अपना काम करना आरम्भ कर दिया। इम्पीरियल कैमिकल इन्डस्ट्रीज, हिन्दुस्तान लीवर, डनलप, इम्पीरियल टुबैको कम्पनी जी.ई.सी., जी.के.डब्ल्यू, यूनियन कार्बाइड,

5. धर्म कुमार कैम्ब्रिज इकोनामिक हिस्ट्री आफ इण्डिया, (द्वितीय खण्ड) पृष्ठ संख्या 33

6. Pavlov -VI, *Economic Freedom Versum Imperialism* [New Delhu 1963] P- 7

(5)

लेलैण्ड तथा बहुत सी अन्य फार्मोसिटिकल कम्पनियों स्वतन्त्रता के उपरान्त भी हजारों करोड़ों रुपये का व्यापार करती है और प्रतिवर्ष कई सौ करोड़ रुपया इंग्लैण्ड को भेजती है। यद्यपि 1979 में सरकार ने एकाधिकार तथा सीमित व्यापार व्यवहार अधिनियम द्वारा और 1973 में विदेशी मुद्रा अधिनियम द्वारा विदेश को भेजे जाने वाले धन पर नियन्त्रण करने का प्रयत्न किया है फिर भी इनकी भारतीय मण्डियों पर जकड़ कम नहीं हुई इस धन के निकास के कारण देश में पूँजी एकत्रित नहीं हो सकी जिसे देश के औद्योगिक विकास के गति बहुत धीमी हो गयी। भारतीय धन इंग्लैण्ड को निकास होने से इंग्लैण्ड में औद्योगिक विकास के साधन तथा गति बहुत बढ़ गयी है। विशेषकर औद्योगिक क्रांति के दिनों में इसका अधिक धिनौना पक्ष यह भी था कि यही धन पुन भारत में पूँजी के रूप में लगा दिया जाता था और भारत का शोषण निरन्तर बढ़ता जा रहा था। नौरोजी ने एक बार कहा था, "भारत का धन बाहर जाता है और फिर वही धन भारत में ऋण के रूप में आ जाता है और इस ऋण के लिये और अधिक ब्याज एक प्रकार का यह ऋण कुचक्र -सा बन जाता है।"

150 वर्षों के अंग्रेजी राज्य ने भारत में अत्यन्त निर्भरता कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में पिछड़ापन एक रिक्थ (Heritage) के रूप में दिया है। जब 1947 में अंग्रेज यहाँ से गये तो वे संसार का सबसे विकृत भूमि का प्रश्न छोड़ गए, जिसमें अधिकाधिक भूमि अधिकार, पट्टेदारी की अनिश्चितता, कृषि के आदिम ढंग, प्रति एकड़ कम उपज, छोटी-छोटी जोतें, साहूकारों को ऋण और उपज के बेचने पर नियन्त्रण और कृषि में धन लगाने से भय, विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न थे। थोड़े में हम यह कह सकते हैं कि अकाल का दैत्य भारत के सामने खड़ा था और भारत जो एक समय में एशिया का अन्न भण्डार था, अब शाश्वत अकाल अथवा सूखे की स्थिति में पहुँच गया था। औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति इतनी ही बुरी थी, एकमुखी विकास, कम उत्पादन के ढंग, श्रमिक की बुरी अवस्था और सबसे बड़ी बात यह है कि अंग्रेजों का पूँजी पर नियन्त्रण बना हुआ था। अंग्रेज भारत को एक निर्धन देश छोड़ गए जिसमें प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी। दादा भाई नौराजी पहले भारतीय थे, जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने का प्रयत्न किया। उन्होंने 1867-78 की प्रति व्यक्ति की आय का अनुमान छोटे तौर पर 20 रुपये प्रतिवर्ष लगाया।

छोटी सी व्यापारिक संस्था से आरम्भ करके अंग्रेज इस समय तक भारत में सर्वश्रेष्ठ शक्ति बन चुके थे। इसके प्रसार में कम्पनी के प्रबंधकों का लालच, उसके कार्यकर्ताओं को धन लोलुपता और बेईमानी, सैनिक शक्ति और भारतीय राजाओं के स्वार्थ सभी ने सहायता की थी। घटनाओं का यहीं

क्रम सिन्ध के विषय में भी प्रत्यक्ष देखने को मिला।<sup>8</sup>

सक्षेप में यह कहा जा सकता है कि 1947 ई० से पूर्व भारत अंग्रेजों के अधीन था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के आगमन से पूर्व भारत की आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ थी। इस बात की पुष्टि ऐतिहासिक साक्ष्यों से भी होती है। ईस्ट इण्डिया कम्पनी का आरम्भिक स्वरूप व्यापारिक था, किन्तु बाद में इसने भारत में सत्ता स्थापित कर ली और 'सत्ता व्यापार का अनुसरण करती है' की कहावत को चरितार्थ कर दिया। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के समस्त साधनों, उद्योगों एवं कृषि का इस निर्ममता के साथ शोषण किया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था का दम निकल गया। अदक्ष कृषि प्रणाली और भूमि के असमान वितरण ने कृषि को मात्र जीविका का साधन बनाकर रख दिया। लघु एवं कुटीर उद्योग तो प्रायः नष्ट हो चके थे और जो कुछ औद्योगिक इकाइयाँ जीवित रह भी गई थीं, वे मात्र उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन तक ही सीमित रह गई थीं। इस प्रकार देश के आर्थिक विकास के लिये आधुनिक संरचना का अभाव प्रत्येक रूप से परिलक्षित था।

समय के परिवर्तन के साथ अत्यन्त विषम आर्थिक परिस्थितियों में भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 1947 ई० में जब भारत का नवोदय हुआ उस समय भारत को अधिकांश निर्मित वस्तुओं का आयात करना पड़ रहा था। स्वतंत्रता से वर्तमान समय तक भारतीय अर्थव्यवस्था चार दसकों से अधिक का समय व्यतीत कर चुकी है। इस चार दसकों में अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए तथा अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिये अनेकानेक प्रयास भी किये गये। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास हेतु योजनाबद्ध प्रयास सर्वाधिक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम है। अप्रैल 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का श्रीगणेश किया गया। 1947 से लेकर 1950 तक की अवधि अनियोजित विकास की अवधि रही है। जिस समय भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश शासकों से मुक्ति मिली उस समय उसकी स्थिति एक साफ स्लेट की भाँति नहीं थी, जिस पर स्पष्ट कुछ लिखा जा सके। दूसरे शब्दों में, भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी जर्जर स्थिति को प्राप्त कर चुकी थी कि कोई भी योजना बनाकर उसे पूर्णरूप से सफल बनाना लगभग असंभव सा दिखाई पड़ रहा था। ब्रिटिश शासकों ने अर्थव्यवस्था पर इतना अधिक दबाव बना दिया था कि उससे विकास की सभी संभावनायें समाप्त ही दिखाई देने लगी थीं। वह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत को अंग्रेजी माल की बिक्री का बाजार बना दिया गया था। अंग्रेज वहाँ से कच्चा माल खाद्यान्न तथा अन्य



(7)

कृषि उत्पाद इंग्लैण्ड को निर्यात करते थे और बदले में यहाँ के उद्योगों द्वारा निर्मित उपभोक्ता सामानों का आयात करते थे। इसी का परिणाम था कि अर्थव्यवस्था की अत्यन्त धीमी प्रगति कुछ लोगों के अनुसार 1860 से 1950 के बीच राष्ट्रीय आय में 1.5 प्रतिशत रही थी। अतः किसी भी स्तर से मापने पर भारतीय अर्थव्यवस्था की तत्कालीन स्थिति को सतोषजनक नहीं कहा जा सकता था। यदि यह गतिहीन अवस्था में नहीं थी तो गतिहीनता की स्थिति के निकट अवश्य थी। जब से भारत अंग्रेजी प्रशासन के अधीन आया है अंग्रेजी राज्य के तथाकथित वरदान के नाम पर अभागे भारतीय लोग अपनी सम्पत्ति पर अधिकार खो बैठे हैं। उनका न्याय का अधिकार छीन लिया गया है, उनका और मानवता का अधिकार पैरो तले रौंदा गया है। उनके उत्पादक, नगर कृषक नष्ट कर दिये गये हैं। उनकी उत्तम नगरीय सस्थाएँ भग कर दी गई हैं। न्यायिक सत्ता छीन ली गई है। उनकी नैतिकता भ्रष्ट कर दी गयी है तथा उनके धार्मिक रीति-रिवाजों का अतिक्रमण किया गया है। भारत में अंग्रेजी शासन वट वृक्ष के समान ही था। एक वटवृक्ष के नीचे थोड़ा अथवा कुछ भी नहीं उग सकता। वृष अपने नीचे सभी पदार्थों को आच्छादित कर देता है तथा मार डालता है। केवल वही उद्भव जी अथवा पनप सकते हैं। जो ऊपर से वृक्ष पतली-पतली डंडियों अथवा शाखाओं के रूप में भूमि की ओर भेजता है। वे जड़ पकड़ लेते हैं और विकसित हो जाते हैं। अन्य कुछ नहीं। इन बहुराष्ट्रीय निगमों या कम्पनियों की कार्यप्रणाली काफी पुरानी है। लगभग उन सभी देशों में इनका प्रवेश था जो साम्राज्यवाद के अधीन थे। जैसे भारत के मामले में ब्रिटेन तथा इंडोचीन एवं अफ्रीका देशों में फ्रांस प्रारम्भिक अवस्था में इन कम्पनियों द्वारा जो निवेश किया गया वह औपनिवेशिक देशों द्वारा साम्राज्यवादी देशों के उद्योगों के कच्चेमाल की आपूर्ति के लिये था। दूसरी ओर साम्राज्यवादी देशों द्वारा निर्मित माल को विभिन्न उपनिवेशों में बेचना था, क्योंकि वे उपनिवेश उनके सबसे बड़े बाजार थे। बहुराष्ट्रीय निगमों के कारण दुनिया में उपनिवेशवाद का जन्म एवं विकास हुआ। पूर्व काल में ईस्ट इण्डिया कम्पनी को इसी कोटि में रखा जा सकता है। द्वितीय महाविश्वयुद्ध के पश्चात् जब बहुत से उपनिवेशों ने अपने को स्वतंत्र कर लिया तो इन निगमों को हटा लेने के विषय में यह तर्क दिया गया कि इससे अर्थव्यवस्था में संकट की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी और यदि राष्ट्रीयकरण किया जाता है तो तुरन्त स्वतन्त्र हुए देशों के पास वित्तीय ससाधनों का अभाव है, जिससे क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त भार वहन नहीं कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् अमेरिका एक सशक्त पूँजीवादी एवं औद्योगिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया और उसने इन बहुराष्ट्रीय निगमों की अनुषंगियों की सहायता से अल्पविकसित

या विकासशील देशों की पूँजी के निर्यात की रूपरेखा प्रस्तुत की। कालान्तर में चलकर सयुक्त राज्य अमेरिका ने उसमें सफलता भी प्राप्त की।

भारत में इन निगमों का प्रवेश ब्रिटिश काल में हुआ। पहले ब्रिटिश कम्पनियों ने जूट, चाय और रबर जैसे उद्योगों में अपनी पूँजी का निवेश किया और धीरे-धीरे आगे चलकर सार्वजनिक कल्याण की सस्थाओं या उपक्रमों में हिस्सेदारी की। भारत में रेलों में जो कुछ भी प्रारम्भिक अवस्था में पूँजी निवेश किया गया, वह ब्रिटिश कम्पनियों द्वारा ही किया गया।<sup>9</sup> संक्षेप में इतना ही कहना काफी होगा कि ब्रिटिश कम्पनियों ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश किया और भारत में बहुत बड़ी मात्रा में लाभ कमाया तथा उस लाभ को ब्रिटेन को भेजा।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् दुनिया के विभिन्न देशों में बहुराष्ट्रीय निगमों (विशेषकर सयुक्त राज्य अमेरिका) ने विभिन्न रूपों में विदेशी सहयोग किया। भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् इस विषय पर विचार विनिमय हुआ और नेहरू ने 1949 में यह विचार व्यक्त किया कि "भारतीय पूँजी की विदेशी पूँजी से संवृद्धि करने की आवश्यकता है, जिसका कारण यह नहीं है कि हमारी राष्ट्रीय बचते देश में तीव्र गति से विकास के लिए उसी पैमाने पर पर्याप्त नहीं होगी जैसा कि हम चाहते हैं, बल्कि इसका कारण यह है हम कई मामलों में वैज्ञानिक, तकनीकी और रोचक ज्ञान तथा पूँजीगत साज-सामान पूँजी की सहायता से हासिल कर सकते हैं। 4 जुलाई 1957 को इस विचार अथवा निर्णय की पुष्टि की गई जब उन्होंने यह कहा "हमने बीते वर्षों में विदेशी पूँजी का सदैव स्वागत किया है और हम भविष्य में भी उसका स्वागत करेंगे।"<sup>10</sup> "बहुराष्ट्रीय निगमों के समर्थन में लोगों का यह तर्क है कि विकासशील देशों में बहुराष्ट्रीय निगमों का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 1979 में निर्गुट सम्मेलन के प्रतिवेदन में यह कहा गया था कि बहुराष्ट्रीय निगम विकासशील देशों में औद्योगिक उत्पादन के 40 प्रतिशत एवं विदेशी व्यापार के 50 प्रतिशत भाग पर नियन्त्रण रखते हैं। बहुराष्ट्रीय निगमों के विषय में यह भी कहा जाता है कि विकासशील देशों में औद्योगीकरण के लिए इनका प्रवेश आवश्यक है और इन निगमों ने औद्योगीकरण की गति को तेज भी किया है। इन बहुराष्ट्रीय निगमों ने न केवल पूँजी निवेश किया, बल्कि प्रौद्योगिकी भी प्रदान की है, जोकि औद्योगीकरण का आधार होती है। बहुराष्ट्रीय निगमों ने अप्रयुक्त उपलब्ध संसाधनों का विदोहन करने एवं उत्पादन में परिवर्तन करके शोध एवं

9. मिश्र जगदीश नारायण भारतीय अर्थव्यवस्था (बारहवाँ संस्करण) सन् 1996, पृष्ठ संख्या 944-945

10. चरणसिंह : भारत की भयावह आर्थिक स्थिति, पृष्ठ संख्या 387

विकास को भी आगे बढ़ाया है।

## शोध अध्ययन का उद्देश्य, विधि एवं सीमाएं :

### उद्देश्य :

विगत पाँच दशको में विश्व अर्थव्यवस्था में बहु आयामी परिवर्तन हुए, जिसमें अर्थव्यवस्थाओं का स्वरूप भी प्रभावित होता रहा है यथा पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप तथा समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में व्यक्तिगत स्वामित्व का प्रवेश आदि आज विश्व में कोई भी अर्थव्यवस्था न तो पूर्णतया पूँजीवादी और न पूर्णतया समाजवादी रह गयी है, अन्तर इतना है कि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था पर व्यक्तिगत स्वामित्व का अधिक प्रभुत्व है और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप काफी मात्रा में विद्यमान है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सभी अर्थव्यवस्थाएँ मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप की ओर अग्रसर हैं केवल मात्रा या प्रतिशत का अन्तर है।

दूसरी ओर 80 के दशक से विश्व के कई भागों में आर्थिक सुधारों और उदारीकरण की प्रक्रिया चल रही है। इन सुधारों में मुख्य रूप से वित्तीय क्षेत्र, राजकोषीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, विदेशी व्यापार एवं विदेशी विनिमय क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, अधोसंरचना क्षेत्र, बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र, पूँजी बाजार आदि से सम्बन्धित है। इसके अतिरिक्त यूरोपीय देशों में भी कुछ मंदी के आसार समय-समय पर परिलक्षित हुए हैं, जिनसे वहाँ रोजगार एवं औद्योगिक विकास की समस्या अनुभव की गयी। इसलिये विश्व अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय आर्थिक एवं व्यापार से सम्बन्धित संगठनों का गठन हुआ। विश्व स्तर पर आर्थिक, औद्योगिक एवं व्यापार नीतियों में फेरबदल की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी। व्यापार एवं तटकर सम्बन्धी सामान्य समझौते को समाप्त कर एक नये व्यापारिक विस्तृत समझौते को अस्तित्व में लाया गया। नये समझौते में न केवल पाश्चात्य यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, बल्कि सम्पूर्ण विश्व के लगभग सभी विकसित एवं विकासशील देशों को प्रभावित कर रहा है। अतः वर्तमान अर्थव्यवस्था के भूमण्डलीयकरण की प्रक्रिया में विकसित एवं विकासशील सभी देश प्रभावित हो रहे हैं। हो सकता है कुछ देशों पर सकारात्मक और कुछ देशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़े, परन्तु यह निश्चित है कि अर्थव्यवस्थाएँ किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित होगी।

विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ आर्थिक सुधारों व आर्थिक पुनर्संरचना से किसी न किसी रूप में गहरी सीमा तक प्रभावित हो रही हैं। विकासशील देशों की अपनी विशेषताएँ एवं अपनी सीमाएँ हैं। जहाँ संसाधनों का अल्पदोहन है वही पर पूँजी की कमी एवं परम्परागत ढाँचा विद्यमान है। इस प्रकार

की अर्थ व्यवस्थाओं का विचलन परम्परागत वादी अर्थव्यवस्था के ढाँचे से आधुनिक, वैज्ञानिक, प्रविधि की ओर हो रहा है। औद्योगिक उत्पादन ढाँचे एवं बाजार व्यवस्था में परिवर्तन विकासशील देशों की अपनी इच्छा से नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय समझौता यथा विश्व व्यापार सगठन से प्रभावित होगा। वर्तमान समय में मौद्रिक, औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियाँ किसी देश के ऊपर समग्र रूप से नहीं निर्भर करती हैं परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियाँ उनके क्रियाकलापों को अवश्य ही निर्धारित करती हैं। विदेशी पूँजी का आगमन, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का विस्तार एवं स्थापना तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की दिशा एवं मात्रा समझौता द्वारा निर्धारित की जाती हैं। आज कोई भी देश यदि यह चाहे कि किस देश को कितना आयात और किस देश को कितना निर्यात करना है, स्वयं निर्णय करे यह उसके ऊपर निर्भर नहीं करता है।

आर्थिक सुधार और उदारीकरण के दौर में औद्योगिक क्षेत्र की भूमिका विशेष रूप से निर्णायक मानी जाती है। औद्योगिक क्षेत्र में अनेक प्रकार की कम्पनियाँ एवं निगम कार्यरत हैं। इन्हीं में से एक नव-साम्राज्यवाद के संदेशों का वाहक बहुराष्ट्रीय निगम भी है। एकाधिकार और आर्थिक केन्द्रीकरण की समस्याएं अब किसी राष्ट्र विशेष तक सीमित न रहकर विश्व के अन्य राष्ट्रों को भी प्रभावित करने लगी हैं। ऐसी ही बृहद आकार की कम्पनियाँ अथवा निगम हैं। जिनके कार्य क्षेत्र का विस्तार एक से अधिक देशों में देखा जा सकता है। ऐसे बहुराष्ट्रीय निगमों के गुण भी हैं और अवगुण भी हैं। अतः इनका अध्ययन करना इनके प्रति नीति निर्धारण के लिए आवश्यक एवं प्रासंगिक जान पड़ता है ताकि इनके द्वारा अधिक से अधिक लाभ उठाकर देश के आर्थिक विकास की गति को तीव्र किया जा सके और इनके दोषों से बचा जा सके।

बहुराष्ट्रीय निगमों में विश्व के लगभग सभी देशों में विद्यमान हैं। संयुक्त राज्य अमरीका में इनकी संख्या सर्वाधिक है। इन निगमों का कार्यक्षेत्र अपने देशों के बाहर विकसित और विकासशील दोनों ही प्रकार के देशों में फैल चुका है। यहाँ तक कि सोवियत रूस जैसा समाजवादी देश भी इनकी पहुँच से बाहर नहीं रह सका। बहुराष्ट्रीय निगमों का अस्तित्व अल्पविकसित देशों में भी देखा जा सकता है। इन देशों के बहुराष्ट्रीय निगम अन्य विकासशील देशों में कार्य करते हैं किन्तु विकसित देशों के बहुराष्ट्रीय निगमों की प्रतिस्पर्धा के सम्मुख यह कहीं नहीं ठहर पाते हैं।

विकसित राष्ट्रों में जन्मे इन बहुराष्ट्रीय निगमों के क्रियाकलाप विकासशील देशों में अपेक्षाकृत अधिक व्यापक है। इनके क्रियाकलापों में वे सेवाएं शामिल हैं, जिनका सम्बन्ध पूँजीगत, तकनीक अन्तरण, उत्पादन के वितरण आदि की जानकारी के लिए शोध और उनके विकास से है दूसरे स्तर

पर वस्तु और उत्पादन आते हैं। अस्सी के दशक के अन्तिम एव नब्बे के दशक के प्रारम्भिक वर्षों में पूँजीवादी, यूरोपीय देशों में औद्योगिक सकट एव बेरोजगारी के आसार नजर आये थे। इस प्रकार सम्पूर्ण विश्व अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। ऐसी दशा में पूँजीवादी देश विशेषकर अमेरिका के डंकल प्रस्ताव के माध्यम से "गैट" में परिवर्तन करके एक नयी विश्व अर्थव्यवस्था कायम करने की बात सोची गयी और जिसे अन्ततः कार्य रूप दे दिया गया।

आज एशिया, लैटिन अमरीका, अफ्रीका महाद्वीप के तमाम ऐसे विकासशील देश हैं, जो आर्थिक सुधार और उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाये हुए हैं, परन्तु आर्थिक एवं औद्योगिक उतार-चढ़ाव की स्थिति से गुजर रहे हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं में निर्वाध रूप से विदेशी पूँजी का आगमन, बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थापना, विस्तार तथा आवश्यक वरीयतावाले उद्योग में भागीदारी आदि हो रही हैं, जोकि डंकल प्रस्ताव का ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव कहा जा सकता है।

इस शोध के द्वारा इस बात का पता लगा कि विकासशील देश तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुराष्ट्रीय निगमों का क्या प्रभाव पड़ रहा है या पड़ सकता है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर भारत का औद्योगिक एवं आर्थिक विकास निर्भर करता है। इस अध्ययन के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप एवं प्रकृति के साथ-साथ विचलनों को भी समझाया जायेगा जिससे भावी विकास रणनीति तय की जा सके इसलिए इस शोध प्रबन्ध में विकासशील एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप एवं लक्षणों को जानने के पश्चात् भारतीय अर्थव्यवस्था का अतीत वर्तमान एवं विचलन को जानने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही साथ शोध का केन्द्र बिन्दु बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगमन के सम्बन्ध आर्थिक सुधार और उदारीकरण नीति के तहत जो प्रक्रिया अपनाई गयी है, उन उपलब्धियों का विस्तृत रूप से अध्ययन करने एवं प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया गया है। यद्यपि शोध का विषय विकासशील देशों पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का प्रभाव भारत के विशेष सन्दर्भ में है, परन्तु एक व्यक्तिगत शोधकर्ता के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह विकासशील देशों में जाकर उनका अध्ययन करें एवं उसके वास्तविक परिणाम निकालें। इसलिये शोध के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को एक विकासशील देश के प्रतिदर्श के रूप में लिया गया है, परन्तु किसी वित्तीय एवं सरकारी सहयोग के अभाव में एक शोध छात्र के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का प्रारम्भिक आँकड़ों के आधार पर अध्ययन करना दुरूह कार्य है। अतः भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ चयनित क्षेत्रों से सम्बन्धित अध्ययन कर निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया गया है। इस विषय पर शोध करना एवं उसके परिणामों को जानना वर्तमान में ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि भविष्य में इसकी और अधिक

महत्व होगी, जो नये शोधकर्ता एक दिशा देगा।

### संकल्पना :

- 1 उदारीकरण के फलस्वरूप बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का विकास भारतीय अर्थव्यवस्था में संभव हुआ है अथवा नहीं?
- 2 उदारीकरण के परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के द्वारा पूँजी निवेश किस सीमा तक हुआ है?

### शोध विधि :

अध्ययन को अर्थपूर्ण एवं वास्तविक विश्लेषण करने के लिए एक उचित उपयुक्त शोध प्रारूप का निर्माण आवश्यक होता है। जिसमें सम्भावित समस्याओं के हल अथवा सुधार के उपाय निहित होते हैं, क्योंकि दोषपूर्ण अध्ययन के कारण एक उपयुक्त अच्छा शोध विषय भी गलत विचार धारा प्रस्तुत कर सकता है। इसलिये एक वास्तविक शोध एवं विधि आवश्यक होती है।

शोध की रूप रेखा शोध प्रारूप से सम्बन्धित होती है इस शोध में अध्याय 4, 5 एवं 6, में सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पहलुओं को विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है। इस अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक संमकों के द्वारा सूचनाओं को एकत्रित करने की कल्पना की गयी है, परन्तु द्वितीयक संमकों के द्वारा ही सूचनाओं को एकत्रित किया गया है। कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र से कुछ लोगों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रभाव को जानने एवं लिपिबद्ध करने का प्रयास किया गया है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सम्बन्ध में शोध के अन्तर्गत हमें सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। बहुत से बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आँकड़ों का संग्रहण, विश्लेषण और निर्वचन करती हैं। बिना सांख्यिकीय आँकड़ों के कोई भी शोधकर्ता अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता है, इसलिए हमें शोध करते समय सांख्यिकीय विधियों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, तभी शोध लक्ष्य की प्राप्ति होगी।<sup>11</sup>

### द्वितीयक संमकों के प्रमुख स्रोत :

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सम्बन्ध में सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं तथा अन्य अनुसंधानकर्ता

11. एलहँस, देवकीनन्दन, वीना, एवं वैश्य, एम.पी. : सांख्यिकी के सिद्धान्त (द्वितीय संशोधित संस्करण) 1997-98, पृष्ठ संख्या-9

महत्वपूर्ण समक एकत्र करके उन्हे समय-समय पर प्रकाशित करते रहते है। प्रकाशित समको के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है --

### 1. सरकारी प्रकाशन :

प्रत्येक देश की सरकारे सम्बन्धित समक एकत्रित और प्रकाशित करते रहते है। ये समक बहुत विश्वसनीय और महत्वपूर्ण होते है। आजकल भारत मे लगभग सभी मन्त्रालयो द्वारा अनेक प्रकार की सूचनाए व समक प्रकाशित कराये जाते है। प्रमुख सरकारी प्रकाशन इस प्रकार है<sup>12</sup> -

- 1 भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन
- 2 स्टैटिस्टिकल एब्सटैक्ट आफ इण्डिया
- 3 आर्थिक सर्वेक्षण
- 4 प्रगति रिपोर्ट
- 5 उद्योगो पर वार्षिक सर्वेक्षण
- 6 मुद्रा एव वित्त रिपोर्ट

### 2. अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशन :

अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाए जैसे - सयुक्त राष्ट्र सघ, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि समय-समय पर ऑकडो का सकलन तथा प्रकाशन करती है। विदेशी सरकारों के प्रकाशन भी इसी वर्ग मे आते है, ये प्रकाशन द्वितीय ऑकडो के स्रोत है।

### 3. आयोग व समितियों की रिपोर्ट:-

सरकार या अन्य किसी सस्था द्वारा आयोग या समितियाँ नियुक्त की जाती है। देश के आर्थिक नीतियो के अध्ययन के लिए ये आयोग या समितियाँ सम्बन्धित ऑकडे संकलित करके अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है -

- 1 वित्त आयोग के प्रतिवेदन
- 2 योजना आयोग के प्रतिवेदन
- 3 विदेशी नीति प्रतिवेदन
- 4 विदेशी निवेश प्रतिवेदन

---

12. शुक्ल एवं सहाय, डॉ० एस.एम , डॉ० शिवपूजन : सांख्यिकी के सिद्धान्त, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स आगरा-  
1998 पृष्ठ संख्या- 62-63

4 व्यापारिक एवं वित्तीय संस्थाओं के प्रकाशन :

जैसे - भारतीय उद्योग व व्यापार सघ, जूट मिल्स एशोसिएशन, पेप्सी कोला, हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड।

5 विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थाओं के प्रकाशन :

- 1 भारतीय सांख्यिकीय संस्थान
- 2 व्यवहारिक आर्थिक शोध की राष्ट्रीय परिषद
- 3 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण सगठन
- 4 विश्वविद्यालय शोध ब्यूरो
- 5 केन्द्रीय सांख्यिकीय सगठन

6. समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं :

बहुत सी पत्र तथा पत्रिकाएं अनेक प्रकार के आँकड़े एकत्र करके प्रकाशित करती हैं। जैसे .--

- 1 इकोनामिक टाइम्स (दैनिक)
- 2 दी फाइनेंशियल एक्सप्रेस (दैनिक)
- 3 कामर्स (साप्ताहिक)
- 4 योजना (पाक्षिक)

अध्ययन की सीमाएं :

इस महत्वपूर्ण शोध विषय की कुछ सीमाये भी हैं जैसे --

- 1 सूचनाओं को प्राप्त करना एक जटिल कार्य है।
- 2 चूँकि यह कृषि, उद्योग एवं सेवा या अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों से सम्बन्धित है, इसलिये किसी भी वर्ग विशेषकर कृषि वर्ग से प्रतिक्रिया जानना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि अभी कृषकों को इसका पूरा ज्ञान नहीं है और दूसरे वे सरकारी विभाग का व्यक्ति जानकर दूर रहना चाहते हैं।
3. इस विषय पर अब तक शोध कार्य का अभाव रहा है। इसलिये इस दिशा में कठिनाई अनुभव हुई है।



(15)

- 4 छितरे हुए व्यक्तिगत साहित्य जो उपलब्ध है उसमे पक्षपात पूर्ण विचार हो सकते है।
- 5 वित्तीय एव सरकारी सहयोग के अभाव मे व्यक्तिगत शोधकर्ता के सीमित साधनो को देखते हुए प्राथमिक आकडो का सकलन कठिन कार्य है।
- 6 राजनीतिक अस्थिरता के कारण नीतियो मे स्थायित्व की कमी।
- 7 समय पर आकडो का उपलब्ध न होना अर्थात वर्तमान आकडे एक या दो वर्ष के बाद प्राप्त होते है।
- 8 दर्शायी गयी सूचनाओ मे एकमत का अभाव होना।

यद्यपि इस विषय पर अभी तक विशेषकर उत्तर भारत मे शोध कार्य नहीं हुआ है, इसलिए पर्याप्त साहित्य का अभाव है।



2

उदासीकरण  
की आवश्यकता,  
औचित्य एवं समीक्षा

# उदारीकरण की आवश्यकता, औचित्य एवं समीक्षा

उदारीकरण की जरूरत 1985 में ही महसूस होने लगी थी। 1991 आते-आते आर्थिक हालात इस कदर खराब हो चले थे कि हमारे पास सिर्फ एक खरब डालर विदेशी मुद्रा रह गयी थी। ये मात्र 15 दिन के आयात का भुगतान था। मुद्रा स्फीति की दर 17 फीसदी हो गई थी, बजटीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 86 प्रतिशत हो गया था अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी साख दाव पर थी। पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर सरकार जब सत्ता में आयी। उसने खाते खोलकर देखे तो खाली थे। उस समय स्विस् बैंको में सोना गिरवी रख करके हमारी लाज बची। बाद में ये सोना भी हमने वापस ले लिया। मेरे विचार से सोना गिरवी रख के अपने को बकाएदार होने से बचाना बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था। मुझे इस बात का गर्व है कि भारत बकाएदार होने का दाग लगने से बच गया, नहीं तो फिलीपीन्स जैसा अग्रणी देश भी इससे नहीं बच सका। उदारीकरण के चार मूल सिद्धान्त हैं, इन्हें प्राप्त करके ही देश मजबूत हो सकता है ये हैं उत्पादकता बढ़ाना, कार्यक्षमता में वृद्धि, गुणवत्ता में श्रेष्ठता हासिल करना और टेक्नोलॉजी उन्नयन। उदारीकरण के सिद्धान्तों को हासिल करने के तरीके भी इस प्रकार हैं—ये हैं प्रतिस्पर्धा परिश्रम और पारिश्रमिक के बीच सम्बन्ध और बाजारोन्मुख प्रणाली। अस्सी के दशक में ब्रिटेन की निवर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमती माग्रेट थैचर ने निजीकरण को प्रोत्साहन करके सम्पूर्ण विश्व के लिए आर्थिक सुधार का श्री गणेश किया। इस सुधार की हवा से ब्रिटेन ही नहीं, अपितु संपूर्ण यूरोप, दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका और एशिया भी प्रभावित हुए। गोर्वाच्योव ने सोवियत संघ को एक नया स्वरूप प्रदान कर यह प्रमाणित कर दिया कि प्रत्येक व्यवस्था समय के साथ-साथ परिवर्तनशील है। यदि वर्तमान समाज परिस्थितियों की मांग को नहीं स्वीकारता है तो यह भयकर भूल है। भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी के समय में ही आरम्भ हो गयी थी। इसको वर्तमान सरकार पी. वी. नरसिंहाराव ने एक नई दिशा देकर प्रोत्साहित किया है। भारत में आर्थिक उदारीकरण की नीति अगस्त 1991 से प्रारम्भ हो गयी जो अब भी लागू है। उदारीकरण के लागू होने से अब तक देखे जा रहे थे कि बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा इसका प्रभाव लघु उद्योगों पर दोषपूर्ण रूप से पड़ेगा, किन्तु ऐसा नहीं है। मेरे अनुसार लघु उद्योगों से सम्बन्धित जो बिन्दु उभरकर सामने आये हैं कि उदारीकरण से लघु उद्योगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, जबकि नकारात्मक बिन्दुओं की संख्या बहुत कम है, यही नहीं नकारात्मक बिन्दु भी यही सिद्ध करते हैं कि उदारीकरण को और विस्तारित करने की जरूरत है,

ताकि उसमे लघु उद्योगो को पूरी तरह से समाहित किया जा सके। कुल मिलाकर उदारीकरण को समग्र अवधारणा के तौर पर देखा जाना चाहिए। जिसका उद्देश्य बगैर किसी खेमे बाजी के सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र का विकास है। उदारीकरण के लागू करने से प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, निर्यात आदेशों में वृद्धि, गुणवत्ता में वृद्धि, प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, उत्पादों की श्रृंखला में वृद्धि, नये संयुक्त उद्योगों की स्थापना, उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादन लागत में कमी। प्रतिस्पर्धा को देखते हुए लघु उद्योगों ने दो बातों पर ध्यान दिया। उत्पादन लागतों में कमी, गुणवत्ता में सुधार ये दोनों बातें अपने एजेण्डे में सबसे ऊपर रखे हैं। उदारीकरण से आशय एक ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें प्रतिबन्धों एवं नियंत्रणों को कम करके त्वरित आर्थिक विकास हेतु श्रेष्ठ लचीली व्यवस्था अपनायी जाती है। इस हेतु 20वीं शताब्दी के अन्तिम दशक में न केवल भारत वरन् विश्व के अधिकांश देश अपने लिए एक मजबूत आर्थिक मंच तलाशने, अपनी अर्थव्यवस्था को ठोस अधोसंरचनात्मक स्वरूप प्रदान करने, आन्तरिक एवं वाह्य विनियंत्रण नीति को सरल-सुग्राह्य बनाने तथा गुणवत्ता प्रतिस्पर्धा तथा प्रेरणाप्रद लाभ अर्जित करने एवं मदी की विश्वव्यापी समस्या से उबरने हेतु उदारीकरण एवं सम्बन्धित मूलभूत पूरक तत्व निजीकरण तथा विश्वीकरण प्रविधि को निजी अर्थतन्त्र के सानुरूप, संरचनात्मक सामंजस्य स्थापित करने में सलग्न एवं क्रियाशील है। इसी सुखद का परिणाम है कि विश्व स्तर पर यूरोपीय साझा बाजार, यूरोपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र, नाफ्टा, आसियान, एशिया प्रशान्त क्षेत्र तथा दक्षिण के रूप में प्रमुख आर्थिक मंच स्थापित हुए हैं जिससे आर्थिक उदारवाद तथा विश्वीकरण की अवधारणा फलीभूत होती नजर आने लगी है।

विश्व के प्रमुख बाजारों में जो विकासशील देश आते हैं, उनमें से भारत एक महत्वपूर्ण, विस्तृत मांग प्रेरित बाजार क्षेत्र रहा है। इसके विकास के लिए उदारीकरण के रूप में अनौपचारिक शुरुआत 1970 में दत्त कमेटी की सिफारिशों तथा 1973 में औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति में सरलीकरण से होती है। इस क्रम में 1984, 1985, 1990, 1994, की औद्योगिक नीतियों तथा निवेश स्तर की परिभाषाओं में परिवर्तन एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक तथा जी-7 के निर्देशों पर मौद्रिक सामंजस्य नीति उल्लेखनीय रही है।

भारत के आम नागरिक को उदारीकरण के विचार से परिचय 1991 के मध्य में हुआ। वैसे आर्थिक क्षेत्र में इसका प्रारम्भ सही अर्थों में 1985 में ही हो चुका था, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के लक्षण इससे भी पहले दिखाई दिये थे। छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में केन्द्र सरकार द्वारा कुछ उदारवादी परिवर्तन किये गये, जिसके अन्तर्गत औद्योगिक नीतियों और आयात

नीतियों में परिवर्तन किया गया अर्थात् भारतीय राजनीति में अर्थव्यवस्था के प्रति उदारिकरण के लक्षण पहली बार 1980 के दशक के पूर्वार्द्ध में दिखने शुरू हुए थे, लेकिन 1991 का उदारिकरण सही अर्थ में उदारवादी भले ही हो। यह सभी अर्थों में उदारिकरण के वैश्वीकरण की परिभाषा से मेल नहीं खाता। निश्चित ही इसका सम्बन्ध आर्थिक उदारिकरण से है, जिसे दूसरे शब्दों में आर्थिक सुधार कहा जाता है।

24 जुलाई 1991 को तात्कालीन केन्द्र सरकार ने आर्थिक नीतियों में व्यापक परिवर्तन की घोषणा की। औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और आधारिक संरचना क्षेत्र से लेकर विदेश व्यापार तक सभी क्षेत्रों में व्यापक नीतिगत परिवर्तन किया गया। चूँकि इस नीतिगत परिवर्तन की दिशा 'खुली अर्थव्यवस्था की ओर निर्देशित थी'। अतएव इस प्रक्रिया को आर्थिक उदारिकरण कहा जाने लगा। हालांकि उदारिकरण की आवश्यकता और उसके कारणों के बारे में राष्ट्र-स्तरीय विवाद होता रहा है, जिसकी गूँज भारतीय राजनीतिक दलों से लेकर अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों तथा साधारण जनता तक सुनाई पड़ती रही है। फिर भी उदारिकरण के पूर्व की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने पर इसकी आवश्यकता के बारे में काफी हद तक तार्किक आधार मिल जाते हैं। इस बात को हम दो भागों में बाँटकर समझ सकते हैं - पहली यह कि उस समय देश की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी थी कि देश के पास आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए मात्र आगामी तीन सप्ताह तक के विदेशी भंडार रह गये थे। उद्योग की वृद्धि दर लगभग 0.5 प्रतिशत तक पहुँच चुकी थी, सार्वजनिक क्षेत्र पूँजी के अभाव से एकता की ओर अग्रसर हो रहा था, भुगतान सतुलन प्रतिदिन और अधिक गत्यात्मक होता जा रहा था। दूसरी बात पहली की तरह अशकालिक नहीं थी। यह बात भी देश की अर्थव्यवस्था के पिछले 45 वर्षों के निष्पादन की समीक्षा और आत्ममथन थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था के द्वारा भारतीय सरकार बड़े पैमाने पर उद्योग और व्यापार में निवेश करती रही और साथ-साथ सामाजिक सेवाओं (शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण आदि) का भी बोझ वहन करती रही, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र अतिरेक (Surplus) अर्जन करने के बजाय सरकार के सब्सिडियों पर चलता रहा जिस कारण रिसाव के सिद्धान्त (Trickle down theory) की मान्यता बिखरती गई और देश द्वारा इस क्षेत्र में किए गये निवेश का लाभ भारतीय जनता तक नहीं पहुँच पाया। बाद में सार्वजनिक क्षेत्र की स्थिति इतनी बदहाल हो गयी कि इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा किये गये बजटीय आवंटन का लगभग पूरा का पूरा भाग इस क्षेत्र के अनुदानों, प्रशासनिक कर्मचारियों के वेतन और इनके ऋणों के ब्याज के भुगतान में जाने लगा। अतः अब वह समय आ गया था कि पूरी अर्थव्यवस्था को एक नया

रूप प्रदान किया जाय। दूसरा उपाय यह था कि विदेशी विकास में सभी अनुदानों और ऋणों को पुनः इस घाटे में चल रहे विशाल क्षेत्र में झोक दी जाए।

लेकिन पिछले लगभग 35 वर्षों से वार्षिक और पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार यही करती रही थी जिसका परिणाम सकारात्मक नहीं पाया था। इस प्रकार एक तरफ तो हानि अर्जित करने वाला विशाल सार्वजनिक क्षेत्र था दूसरी ओर सरकार अन्य विकास कार्यों के लिए धन नहीं जुटा पा रही थी। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ-साथ आधारीक संरचनाओं की मांग के अनुसार आपूर्ति अब सरकार के वश के बाहर होता जा रहा था। कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था का विकास अवरोधित हो रहा था।

अतः उपर्युक्त दोनों बातों को ध्यान में रखकर सरकार ने उदारीकरण को गले लगाया और भारत ने अपने आर्थिक दर्शन में संरचनात्मक परिवर्तन किया। लम्बी अवधि से पूँजी और धन के अभाव से ग्रसित भारतीय अर्थव्यवस्था को धन की आपूर्ति के लिए अब निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित किया जाने लगा।

आधारीक संरचना क्षेत्र के उचित विकास में व्यापक धन की आवश्यकता थी जिसकी पूर्ति घरेलू निजी निवेशक करने में असमर्थ था अतः विदेशी निवेश की छूट दी गयी। चुने हुए उद्योगों में 51 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक के विदेशी निवेश को मजूरी देकर सरकार ने अर्थव्यवस्था के तेज विकास का रास्ता खोला। इस प्रकार आर्थिक क्षेत्र में अनगिनत परिवर्तन किए गए जिनको गिनाना इस लेख का मुख्य विषय नहीं है। कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था जो अब तक एक बंद अर्थव्यवस्था मानी जाती थी, 'खुलेपन' की ओर तेजी से चल पड़ी और शुरू हो गयी आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया। यह प्रक्रिया अभी आगे चल रही है। वैसे अक्टूबर 1997 में शुरू हुए पूर्व एशियाई मुद्रा संकट के कुप्रभाव से त्रस्त होकर भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक क्षेत्र में किये गये उदारीकरण को थोड़ा सा उल्टी दिशा में निर्देशित किया है जो किसी भी अर्थ में उदारीकरण के दर्शन के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि खुली अर्थव्यवस्थाएं विशेष स्थितियों, में अपनी मौद्रिक नीतियों में यथोचित और समसामयिक परिवर्तन करती रहती हैं।

## **उदारीकरण राजनीति कसौटी पर :**

उदारीकरण की नीतियों के अनुसरण का श्रेय कांग्रेस ई को जाता है जो उस वक्त बहुमत से सरकार चला रही थी अर्थात् यह दल उदारीकरण के दर्शन को अपने गले के नीचे चाहे जैसे हो उतारने को मजबूर थी। लेकिन भारत जैसे विभिन्नताओं वाले देश में राजनीतिक मतभेदों और आर्थिक

मतैक्यता की बाते विशेष महत्व रखता है। वह देश जो लगभग दो दशको से अपने सविधान के प्रस्तावना मे 'समाजवाद' के विचार से प्रेरित था एकाएक खुली अर्थव्यवस्था के दर्शन की शरण मे चला गया जो अपने आप मे कम से कम वामपथी दलो के लिए कभी भी पचनेवाली बात नहीं थी, लेकिन उन्हे भी इसे गले के नीचे उतारना पडा। इस बात मे उनके लिए प्रेरणा का स्रोत रहा हाल ही का विखडित पूर्व सोवियत सघ और चीन के खुलेपन की आर्थिक नीति वास्तविकता यह है कि वह राज्य जो पिछले दशको मे वामपथी सरकारो द्वारा शासित रहे थे, वहाँ उदारीकरण को सहर्ष स्वीकार किया गया, अर्थात वामपथी पहले तो सरकार पर विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबावो मे आकर उदारीकरण की नीतियो पर अमल करने की बात पर आलोचना करते रहे, लेकिन बाद मे इसकी तार्किकता के सामने उन्होने उदारीकरण को स्वीकार तो किया पर इसकी प्रकृति और स्वरूप को लेकर कांग्रेस की आलोचना अवश्य करते रहे, लेकिन उनकी यह आलोचना भी लगभग दबती चली गई। जब केन्द्र की तात्कालीन सयुक्त मोर्चा सरकार में एक वामपथी दल ने शामिल होने का निर्णय लिया। हालाकि कई ऐसे मुद्दे आये जहाँ उदारीकरण के प्रति इनके कारण गतिरोध उत्पन्न हुआ। इस प्रकार यह सरकार कुछ क्षेत्रों मे आर्थिक उदारीकरण को चाहकर भी नहीं आगे बढा सकी। अब बात आती है भारत के अन्य राजनीतिक दलो की। विचारो की भिन्नता के आधार पर भारतीय राजनीति में दो राजनीतिक दल एक दूसरे के पूर्णतः विपरीत सिद्धान्तो पर आधारित है और दो ध्रुवो का प्रतिनिधित्व करते है। वामपथी और दक्षिणपथी। राष्ट्रीय स्तर की दो वामपथी दलो को छोडकर अन्य भारतीय दलो को दक्षिणपथी ही माना जाता है वैसे भारतीय जनता पार्टी को पूर्णतः दक्षिणपथी माना जाता है। हालाकि इन बातो को कोई भी दक्षिणपथी दल स्वीकारता है, परन्तु राजनीति की शब्दावली मे अभी ऐसी ही अवधारणा है। अतः भाजपा की उदारवादी आर्थिक नीतियो के प्रति क्या प्रतिक्रिया रही है, इसको जानना अति आवश्यक है। इस सम्बन्ध में भाजपा ने उदारीकरण का विरोध तो नहीं किया, लेकिन इसकी प्रक्रिया के प्रति इसने आलोचना अवश्य प्रस्तुत की। शुरु मे मूलतः यह दल उदारीकरण के बिन्दु पर कांग्रेस की आलोचना करता रहा, लेकिन बाद के वर्षों मे उसने स्वदेशी आन्दोलन के विचार का प्रतिपादन शुरु किया। वास्तव में भाजपा का स्वदेशी आन्दोलन एक प्रकार से उदारीकरण की एक विशेष प्रकार की विधि या विकल्प है जिससे वह देश के कुछ चुनिंदा उद्योगो या क्षेत्रों मे ही विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने की बात करता है। वैसे चुनिंदा उदारीकरण (Selective Liberalisation) की प्रक्रिया क्रियान्वयन की दृष्टि से सव्यवहारिक और नकारात्मक हो सकती है, फिर भी भाजपा ने स्वदेशी उद्योगो पर विदेशी निवेश के पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव की संवेदनशीलता को उगलना शुरु किया है और इसके लिए इसने आस्ट्रेलिया आदि देशों के उदारीकरण

नीतियों का उदाहरण पेश किया है। भाजपा इन स्वदेशी मुद्दे के मिश्रण से बने उदारीकरण के प्रारूप को सवेदनशील को उछालना शुरू किया और इसके लिए इसने आस्ट्रेलिया आदि देशों के उदारीकरण नीतियों का उदाहरण पेश किया है भाजपा उन स्वदेशी मुद्दे के मिश्रण से बने उदारीकरण के प्रारूप को किस प्रकार लागू करेगी। यह केन्द्र में सत्ता सभालने के बाद पता चलेगा, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में यह दल किसी भी अर्थों में अपने इस प्रारूप का क्रियान्वयन नहीं कर रहा है।

भारत के अन्य राजनीतिक दलों का जहाँ तक प्रश्न है। वह हाल के 13 दलों के संयुक्त मोर्चा सरकार के गठन के बाद पूर्णतः स्पष्ट है। इस प्रकार भारतीय राजनीतिक विचारधारा अब उदारीकरण को वास्तविक सच्चाई ही नहीं मान बैठा है बल्कि शायद इसकी आवश्यकता के प्रति भी अब सदेह भरे नजरों से देखना भी छोड़ दिया है, लेकिन शुरू में आर्थिक उदारीकरण को आर्थिक गुलामी "नवसाम्राज्यवाद" आदि रोज ही नये नामों से पुकारा गया अर्थात् उदारीकरण के प्रति भारतीय राजनीतिक दलों में इस मुद्दे पर आम सहमति दिखती है कि उदारीकरण आवश्यक है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अतत वहाँ की राजनीतिक सोच को ही परिलक्षित करती है, क्योंकि विधायिका सम्बन्धी शक्तियाँ देश की राजनीति में निहित होती हैं। इस मामले में भारत कोई अपवाद नहीं रहा है, लेकिन किसी भी देश की राजनीति दो सतहों पर कार्य करती है। एक सतह होती है उसकी वास्तविक नीति निर्माण की ओर और दूसरे का सम्बन्ध वहाँ की समसामयिक राजनीतिक माहौल से होता है। पहले सतह की राजनीति के कार्यान्वयन से पहले राजनीतिक दलों को सत्ता में आने के लिए व्यापक स्तर पर समीकरणों का निर्माण करना पड़ता है।

भारत की सामाजिक विभिन्नताओं के कारण देश की राजनीतिक सत्ता पर आसीन होना आज किसी भी एक दल के लिए एक बहुत ही दुरूह कार्य हो चला है। अतः आम चुनावों में मतदाताओं को इच्छित दिशा में ध्रुवीकृत करने के उद्देश्य से राजनीतिक दलों में एक प्रतिस्पर्धा सी चलती रहती है। इस प्रतिस्पर्धा में कई बार सामाजिक तौर से सवेदनशील और अवाञ्छनीय पहलुओं का राजनीतिकरण होता रहा है। किसी भी सवेदनशील पहलू का जरूरत से ज्यादा राजनीतिकरण होने के पश्चात् इनका देश के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है अर्थात् राजनीतिक दल सत्ता तक पहुँचने की असीम इच्छा में इन दो सतहों की राजनीतियों में कई बार धाल-मेल भी करती रहती है। अतः राजनीतिक लाभ के लिए घोषित एक राजनीतिक 'स्टेट' जहाँ एक ओर देश की अर्थव्यवस्था को तात्कालिक नुकसान पहुँचाता है वहीं इसका दीर्घकालिक कुप्रभाव भी पड़ता रहता है।

भारत के प्राकृतिक संसाधनों और मानव साधन की प्रचुरता एक सत्यापित वास्तविकता है,



लेकिन आजादी के पचास वर्षों में देश आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को उनके मागों के अनुरूप आपूर्ति करने में पूर्णतः सफल नहीं रहा है। इसके लिए कई बातें जिम्मेदार रही हैं, लेकिन धन की कमी इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा है। आधारीक संरचनाओं और सामाजिक सेवाओं के उचित आपूर्ति के लिए अपार पूँजीगत वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है और देश में आने वाले वर्षों में इस मामले में और भी असमर्थ होता जाएगा। दूसरी तरफ विश्व के विकासशील ही नहीं बल्कि कई विकसित देशों में भी आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण के प्रति सरकारें अग्रसर हो रही थीं। इस तरह उदारीकरण का मुद्दा भी देश की राजनीति में घुलती-मिलती कभी-कभी आर्थिक से ज्यादा राजनीतिक बात लगती रही है, लेकिन प्रश्न यह है कि वास्तव में उदारीकरण और राजनीतिक दलों इन दो बातों के बीच कोई मिलन बिन्दु है तभी तो सरकारें भी बदली, लेकिन उदारीकरण के मामले में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। 'स्टंट' की राजनीति और वास्तविकता की राजनीति की जहाँ मिलन बिन्दु था वहीं पर आज खड़ा है देश का आर्थिक उदारीकरण।

निश्चित ही उदारीकरण वास्तविकता की राजनीति की श्रेणी में आता है और इससे जुड़ी तमाम बातें या तो वह आर्थिक विकास के लिये जरूरी हों या मजबूरी कहीं भी किसी विशेष राजनीतिक लाभ लेने के ध्येय से लिया गया निर्णय नहीं है। उदारीकरण के पीछे 1991 से ही राजनीतिक इच्छा शक्ति भी परिलक्षित होती रही है। सत्तारूढ राजनीतिक दल और देश के अन्य राजनीतिक दलों में उदारीकरण के प्रति उभरे हुए टीढ़ी आम सहमति का मुख्य कारण देश की अर्थव्यवस्था को कैसे विकसित करने के प्रति एक समसामयिक ज्ञान के ऊँचे स्तर का होना है और वहीं पर उदारीकरण के दर्शन का आर्थिक मिलन बिन्दु आज के राजनीतिक दर्शन से है। बदले हुए समय में अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर को बनाने के प्रति अपनी कटिबद्धता दर्शाते हुए चीन जैसा साम्यवादी देश भी अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना शुरू कर दिया था। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में और चीन के इस उदारवादी नीतियों का परिणाम काफी उत्साह वर्धक रहा है। आज चीन विश्व की सबसे तेज आर्थिक सवृद्धि वाला देश हो गया है। एशिया महाद्वीप में हो रहे कुल विदेशी निवेश का 70 प्रतिशत से अधिक भाग आज चीन में ही प्रवाहित हो रहा है।

उपर्युक्त सभी बातों ने देश को यह निर्णय लेने को उत्सुक और मजबूर भी किया। अंततः आर्थिक नीतियों में व्यापक बदलाव किया गया। चूँकि उपर्युक्त सभी बातें आज देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने और सुचारू रूप से चलाने के लिए एकमात्र उपलब्ध विकल्प रह गया था। इस विषय पर राजनीतिक दलों में एक आम सहमति का उभरना स्वाभाविक भी था, क्योंकि यह देश की सबसे

ज्वलन्त समस्या है, जिस पर अन्य सभी बातें निर्भर करती हैं। देश की यह वास्तविकता आज भारतीय राजनीतिक दलों को उदारीकरण के मुद्दे पर एक मिलन बिन्दु पर लाकर खड़ी करती है।

वर्तमान आम चुनाव के अवसर पर देश की सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने उदारीकरण के प्रति अपने विचारों को खुले अर्थों में घोषित किया। किसी भी दल ने इसको स्थगित करने या विपरीत दिशा में चलाने की बात नहीं की। कुछ दलों ने इसमें कुछ नये विचारों के समावेश की बात अवश्य की है। कुल मिलाकर उदारीकरण की प्रक्रिया चलती रहेगी इसमें कोई दो मत नहीं हैं अर्थात् इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों में मतैक्यता है कि उदारीकरण देश के हित में हो रहा है और होता भी रहेगा।

उदारीकरण और राजनीतिक दलों के अर्तसम्बन्धों को विभिन्न पहलुओं की चर्चा करने के बाद एक अन्य महत्वपूर्ण बात की चर्चा आवश्यक हो जाती है। यह बात भूमण्डलीयकरण की जो विश्व की सभी अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था बनाने और एक दूसरे से जुड़ने पर मजबूर कर रहा है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो उदारीकरण के साथ स्वतः ही शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ विश्व की विकसित और शक्तिशाली अर्थव्यवस्था में अन्य देशों को मजबूर कर रही है कि वे अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विश्व निवेशकों के लिए खोले। वास्तविकता यह है कि आज कोई भी विकास की इच्छा रखने वाला देश अपनी अर्थव्यवस्था को अधिक दिनों तक बंद नहीं रख सकता। अतः आज आर्थिक उदारीकरण एक घरेलू प्रक्रिया नहीं है बल्कि उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कारक भी जिम्मेदार हैं और इन कारकों पर भारत की राजनीतिक दलों का कोई नियंत्रण नहीं है।

ऐसा प्रतीत होता है कि आर्थिक विकास के साथ-साथ विश्व में कुछ ऐसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का उदय हुआ है, जो विश्व के अधिकतम देशों में उत्पादन और विपणन कर रही हैं। अत्यधिक लाभ और पूँजी की बहुलता के बल पर इन्होंने विश्व की सबसे बेहतर तकनीकी और प्रबन्धन पद्धतियों का प्रयोग करके अपनी उत्पादन खर्च के अन्य घरेलू कम्पनियों पर प्रतिकूल प्रभाव डेता है और अतः ये कम्पनियाँ या तो इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में समाहित हो जाती हैं। सयुक्त उद्यम लगाती हैं या फिर बन्द हो जाती हैं। कुल मिलाकर इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की शक्ति बढ़ती ही जाती है। पोर्ट फोलियो के मामले में भी यही बात है। दूसरी तरफ इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का अपने उद्भव स्थान वाले देश की राजनीतिक सत्ता पर व्यापक अधिकार भी प्राप्त है, जो अपने देश की राजनीतिक को प्रभावित करके उस देश की विदेश नीति द्वारा भारत जैसे विकासशील देश को प्रभावित भी करती हैं। उपर्युक्त सभी बातें आज विश्व के विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के साथ लागू हैं और कोई भी देश इससे वंचित नहीं है अर्थात् भारतीय राजनीतिक दलों में उदारीकरण के मुद्दे पर एक समेकित विचारधारा का

उद्य होना घरेलू के अलावा एक विदेशी बात भी हो सकती है। इस प्रकार हमारे राजनीतिक दलो की आर्थिक उदारीकरण के प्रति रूख और विचारो का रूझान समझने मे आसानी होती है।

1970 से 1990 की अवधि मे ब्रिटेन, फ्रांस, अमरीका, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैण्ड, तथा इटली जैसे विकसित देशो मे आर्थिक उदारीकरण एव निजीकरण का दौर काफी सफल रहा है तो केन्या कोलम्बिया, कोस्टाराइका, घाना, चिली, जमैका, जाम्बिया टोगो, टर्की, तजानिया, नाइजीरिया, फिलिपाइन्स, ब्राजील, मालावी, मेडागास्कर, सेनेगल, तथा मोरक्को जैसे विकासशील देशों मे उदारीकरण एवं निजीकरण की प्रक्रिया उत्पादकता, रोजगार, पूँजी निवेश तथा औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने मे असफल रही है। सफलता तथा असफलता का यह भेद विकसित एव 'विकासशील' की बजाय राजनीतिक स्थिरता एव पूर्ण वचनबद्धता की ओर विशेष सकेत करता है। चीन इसका स्पष्ट उदाहरण है, जहाँ राष्ट्रीय हितो के मद्देनजर आर्थिक सुधारो की प्रक्रिया विगत 15 वर्षों से जारी है तथा सुधारो के फलस्वरूप वह 'आर्थिक' महाशक्ति का रूप ग्रहण कर चुका है। भारत मे 1991 मे विकास की नयी राह के रूप मे आर्थिक उदारीकरण एव निजीकरण का अनुसरण किया गया है। यदि यह व्यूह रचना पूर्ण राजनैतिक इच्छा शक्ति तथा दृढ प्रशासनिक व्यवस्था के मद्देनजर तीव्र गति से जारी रखी जाती है तो सन् 2000 तक भारत न केवल चीन से आगे निकल सकता है वरन् विश्व की प्रमुख आर्थिक शक्ति का स्थान ग्रहण कर सकता है। आर्थिक उदारीकरण एव सरचनात्मक सुधारो के बाद अर्थव्यवस्था मे आर्थिक एव सामाजिक क्षेत्र मे गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त हुआ है, बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र मे नवीन क्रान्ति का संचार हुआ है, सुदृढ मुद्रा एव पूँजी बाजार का विकास हुआ है। भुगतान सतुलन, विदेशी मुद्रा भंडार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा निर्यातों मे महत्वपूर्ण सकारात्मक सुधार हुआ है। वैधानिक जटिलताओ तथा राजकीय नियमनो से क्रमश मुक्ति के कारण उद्योग कृषि, ऊर्जा, परिवहन, बिजली, एव वित्त के क्षेत्र मे निजी क्षेत्र एव विदेशी कम्पनियो की व्यापक सहभागिता निरन्तर बढ़ती जा रही है तथा सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका आधारभूत एवं जन कल्याणकारी कार्यों तक सीमित होती जा रही है। इन सबके फलस्वरूप विश्व स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण आर्थिक खिलाड़ी के रूप में उभरी है। यद्यपि उदारीकरण के बाद गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, विदेशी कर्ज, राजकोषीय घाटे तथा कृषि की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है तथा आर्थिक परिवर्तनों को लेकर अर्थव्यवस्था में भय एवं अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है फिर भी यह भय काल्पनिक, अल्पकालीन एवं दुलमुल राजनीतिक व्यवस्था का परिणाम माना जा सकता है।

भारत, नेपाल, पाकिस्तान बांग्लादेश इसका स्पष्ट उदाहरण है जहाँ लंबे समय से दुर्लभ एवं राजनैतिक व्यवस्था के कारण आर्थिक उदारीकरण से वांछित सामाजिक-आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं हो पाये है। दूसरी ओर कोरिया, जापान, सिंगापुर तथा ताइवान जैसे देश का उदाहरण भी हमारे सम्मुख है जिन्होंने बेहतर राजनीतिक व्यवस्था से आर्थिक उदारीकरण एवं निजीकरण के द्वारा बेहतर सामाजिक-आर्थिक विकास का लक्ष्य हासिल करते हुए मूलभूत समस्याओं का उपयुक्त समाधान किया है तथा विकास की प्रक्रिया में इसमें मीलों आगे पहुँच गये हैं। चीन इसका सबसे सफल एवं सर्वोत्तम उदाहरण है जिसने राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर आर्थिक उदारीकरण एवं निजीकरण को अपनाकर विगत 15 वर्षों में न केवल व्यापक विदेशी निवेश आकर्षित किया है अपितु सुधार प्रक्रिया के कारण महत्वपूर्ण आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरकर सामने आया है। 1980 के दशक के व्यापक मंदी के बावजूद यूरोपीय राष्ट्रों में आर्थिक उदारीकरण एवं निजीकरण का सफल दौर भी इस तथ्य की पुष्टि करता है कि समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास का लक्ष्य निजी क्षेत्र की अहम् भूमिका के द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।

अब प्रश्न यह है कि आर्थिक विकास की जिस नयी राह में प्रवेश किया जा चुका है, क्या पुनः उससे पीछे हटा जा सकता है? क्या वर्तमान परिवेश में आर्थिक उदारीकरण ही एक मात्र उपयुक्त विकल्प है? क्या नयी व्यवस्था सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का समाधान करने में रचनात्मक साबित हो सकती है? क्या उदारीकरण की यह मात्रा एक निश्चित मात्रा बन सकती है।

जहाँ तक आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रमों से पीछे हटने का प्रश्न है, यह असंभव तो नहीं अत्यधिक जटिल अवश्य है। विगत तीन वर्षों में आर्थिक नीतियों में जिस तरीके से परिवर्तन किये गये हैं तथा सार्वजनिक क्षेत्र में अपनिवेश के साथ अहम् क्षेत्रों में निजी क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की भागीदारी को प्रवेश किया गया है, उससे अर्थव्यवस्था में गतिशीलता आयी है तथा विश्व-स्तर पर भारत की एक नयी छवि उभरी है। यदि आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रमों से पुनः पीछे हटा जाता है या सार्वजनिक उपक्रम तथा लाइसेंस कोटा एवं परमिट-राज पर पुनः बल दिया जाता है तो बीमार भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक दुष्चक्रों के ऐसे जाल में फँस सकती है जहाँ से निकलने के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं तथा जिस पर चलकर अर्थव्यवस्था कहीं की नहीं होगी। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि 1990 के बाद विश्व के रंगमंच पर जिस प्रकार के क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं, उसमें आर्थिक उदारवाद तथा मुक्त व्यवस्था ही सर्वोत्तम नजर आती है। साम्यवाद के पतन, अमरीकी एकाधिकार तथा विश्व व्यापार संगठन गैट समझौतों से पूरी दुनिया एक ऐसी व्यवस्था में तब्दील हो चुकी है

जिससे पृथक रहना एक देश के लिए असभव है। आर्थिक उदारवाद तथा विश्व व्यापार सगठन व्यवस्था दुनिया को स्वतंत्र व्यापार की दिशा में बढ़ाने जा रही है। भारत भी इस नयी व्यवस्था से जुड़कर अपने आर्थिक तन्त्र को बेहतर बना सकता है, यदि भारत विश्व व्यवस्था के साथ वर्तमान परिवेश में नहीं जुड़ पाता है या तेजी से आर्थिक उदारवाद की राह पर नहीं चल पाता है तो विश्व अर्थव्यवस्था के साथ वह सदैव के लिए आर्थिक दुष्क्र के गहरे जाल में फंस सकता है।

## औचित्य :

तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रमों के प्रति अनिश्चितता, भय तथा आशंका की स्थिति बनी हुई है। इसका मूल कारण निश्चित पारदर्शी उदारीकरण कार्यक्रम का न होना, दृढ़ राजनैतिक इच्छा शक्ति का अभाव तथा उदारीकरण से शीघ्र एवं व्यापक लाभों की उम्मीद है। यद्यपि तीन वर्षों के बाद भी अर्थ व्यवस्था में उदारीकरण कार्यक्रमों के प्रति अनिश्चितता बनी हुई है, फिर भी इस दिशा की प्रगति सर्वत्र ज्ञात है। बढ़ता विदेशी विनियोग, निर्यातों में वृद्धि, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्र में गतिशीलता आदि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। यदि पूर्ण राजनैतिक इच्छा शक्ति सामाजिक-आर्थिक मुद्दों (गरीबी, रोजगार, मुद्रास्फीति, संतुलन, पर्यावरण, मानव संसाधन विकास) के मद्देनजर आगामी पाँच वर्षों हेतु एक निश्चित पारदर्शी आर्थिक कार्यक्रम बनाया जाता है तो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में अनिश्चितता का दौर समाप्त हो सकता है तथा समग्र सामाजिक-आर्थिक कायाकल्प हो सकता है।

भारत में बढ़ता व्यापार, बजट तथा राजकोषीय घाटा, व्यापारिक, वित्तीय एवं वाणिज्यिक नीति की कठोरता, मंदी एवं तेजी की सह उपस्थिति, बिगड़ता भुगतान संतुलन एवं प्रारक्षित विदेशी मुद्रा कोष का दिवालियापन, आर्थिक स्थिरीकरण, हवाला बाजार में सुधार, रुपये की परिवर्तनीयता तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं, जिनकी पृष्ठभूमि में नेहरू-महालोनोबिस मॉडल का पटाक्षेप कर सुनियोजित नयी आर्थिक व्यवस्था की अवधारणा जुलाई, 1991 में स्वीकार की गयी। प्राथमिकताएं जो निम्नलिखित इस प्रकार हैं -

### 1. नयी औद्योगिक नीति में बदलाव :

आर्थिक उदारवाद भारत में 24 जुलाई 1991 में नयी औद्योगिक नीति की घोषणा के साथ शुरू होता है। इस नीति के प्रमुख अवयव इस प्रकार हैं -

#### 1. औद्योगिक लाईसेंसिंग नीति।

2. विदेशी पूँजी निवेश।
- 3 तकनीकी सहयोग।
4. सार्वजनिक क्षेत्र पर नया दृष्टिकोण तथा एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार तथा विदेशी विनिमय नियमन, तथा फेरा अधिनियम 1973 के प्रति सुधार का प्रस्ताव।

औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक पर्यावरण इत्यादि से सम्बन्धित 18 उद्योगों को तथा सार्वजनिक क्षेत्र हेतु सरक्षित 17 उद्योगों में से 8 को संरक्षण प्राथमिकता प्राप्त हुई। 1993 में लाइसेंसिंग क्षेत्र में और उदारीकृत व्यवस्था लागू करके तीन अन्य उद्योगों यथा आटोमोबाइल्स, श्वेत तथा चमड़ा उद्योग को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र में 20 प्रतिशत शेयर बिक्री प्रस्ताव पारित हुए। 1994-95 में 4000 करोड़ रुपये के सार्वजनिक क्षेत्र के शेयर निर्गत किये गये हैं। प्रदूषण वाले उद्योगों को नगर की सीमा से 20 कि.मी. दूर रखने की व्यवस्था की गयी। नयी औद्योगिक नीति के तहत यह व्यवस्था की गयी है कि देशी उद्योग अपनी तकनीकों का एवं विदेशी तकनीकों का आवश्यकतानुसार परीक्षण करवा सकते हैं तथा अपने निवेश व्यूह रचना में यथोचित परिवर्तन ला सकते हैं। एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम (M.R.T.P.) तथा फेरा में छूट के माध्यम से विदेशी निवेश प्रोत्साहित हुआ है तथा सरकारी तौर पर उच्च प्राथमिकता क्षेत्र हेतु 51 प्रतिशत इक्विटी आवंटित की गयी है।<sup>9</sup> गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हेतु विदेशी निवेश संबर्द्धन बोर्ड (F.I.P.B.) का गठन किया गया जिसके तहत निवेश पर रायल्टी सीमा (C.I.F.) सहित घरेलू बिक्री का 50 प्रतिशत तथा विदेशी बिक्री आय का 8 प्रतिशत होगा। इस प्रकार औद्योगिक नीति के पुनर्गठन से औद्योगिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लाभार्जन की संभावनाएं बढ़ी हैं।

## 2. व्यापार नीति में परिवर्तन :

व्यापार नीति में परिवर्तन बास्केट करेन्सीज (ड्यूशमार्क येन फ्रैंक स्टर्लिंग) के सापेक्ष मौद्रिक सामंजस्य, रेप लाइसेंसिंग प्रणाली की समाप्ति, एक्विजिशन स्क्रिप की व्यवस्था रूपरेखा की परिवर्तनीयता तथा औद्योगिक निर्यात परक इकाइयों को पूँजीगत उपकरणों पर आयात शुल्क में कमी तथा करों के ढाँचे को पुनर्गठित एवं समायोजित रूप में शुरू होता है। 1992-97 के लिए तक पंचवर्षीय सशक्त व्यापार नीति बनायी गयी जिसके तहत नयी त्रिस्तरीय, आयातों एवं निर्यातों की कैनेलाइज सूची तैयार की गयी, इसके अन्तर्गत आयात निषिद्ध क्षेत्र हेतु वस्तुएं, लाइसेंस के आधार पर 70 वस्तुएं तथा

3. मामोरिया, डॉ. चतुर्भुज एवं जैन, डॉ. एस.सी : भारतीय अर्थ शास्त्र (15 वाँ संस्करण) 1997, पृष्ठ संख्या 153

सरकारी सगठनों के माध्यम से वस्तुओं का आयात होगा। निर्यात क्षेत्र में क्रमशः मदों की संख्या 7,62,010 की है। व्यापारिक क्षेत्र को अधिक सशक्त बनाने हेतु 144 वस्तुओं को नकारात्मक सूची से बाहर किया गया। निर्यात सम्बर्द्धन हेतु निर्यात गृहों, व्यापार गृहों, स्टार गृहों की पहचान, पूँजीगत माल निर्यात प्रोत्साहन योजना साथ ही साथ निर्यातपरक इकाइयों एवं निर्यात प्रसस्करण क्षेत्र योजना का समेकित प्रभाव यह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में मंदी होने तथा आन्तरिक क्षेत्र में उदारता के बावजूद 1993-94 में निर्यातों में 21 प्रतिशत की वृद्धि तथा आयातों में 1.3 प्रतिशत की कमी (यूनाइटेड सोवियत अमेरिका डालर) के सापेक्ष उल्लेखनीय रूप में दर्ज की गयी।

### 3. प्रारक्षित विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि :

जनवरी 1991 में इराक-कुवैत संघर्ष से जनित समस्या से भारतीय देनदारियों की स्थिति इतनी खराब होती गयी कि देश पगुता की ओर बढ़ने लगा था। विदेशी-प्रारक्षित भण्डार मात्र 1.1 मिलियन अमरीकी डालर रह गया था। उस स्थिति से निबटने हेतु उदारीकृत व्यवस्था के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक के क्रेडिट पर 20 टन तथा बैंक आफ इंग्लैण्ड को 47 टन स्वर्ण प्रेषित किया गया फलतः 6 बिलियन डालर विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी। आज उदारीकृत व्यवस्था का ही परिणाम है कि हमारे स्वर्ण वापस हो गये, तथा भारतीय शेयर बाजारों में सस्थागत निवेशकों, भारतीय कम्पनियों के यूरो-डालर निर्गमों आदि के माध्यम से जनित विदेशी प्रारक्षित कोष लगभग 13 बिलियन डालर का हो गया है जो देश के क्रेडिट रैंकिंग स्तर में व्यापक सुधार करता है।

### 4. राजकोषीय घाटा:

आर्थिक उदारवाद के शुरुआती दिनों में प्राथमिकता परक संकल्पों में 1994-95 तक राजकोषीय घाटा को कम करके 10 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि उस समय सातवीं योजना का औसत कुल घरेलू उत्पाद का 8.2 प्रतिशत था। यह स्तर 1990-91 में कुल घरेलू उत्पाद का 8.43 प्रतिशत, 1991-92 में 7 प्रतिशत तथा 1992-93 में 3.7 प्रतिशत, 1993-94 में लक्ष्य (36959 करोड़ रुपये) 4.71 प्रतिशत की जगह (58551 करोड़ रुपये) 7.3 प्रतिशत रहा। इस क्षेत्र में असफलता के पीछे राजस्व खातों पर मदों के बढ़ते आकार तथा ब्याज अदायगी सब्सिडी गैर योजनागत खर्च, सरकारी खर्चों में वृद्धि रही। इसे पूरा करने हेतु पूँजी खाते का सहारा लिया जा रहा है जो निन्दनीय है। जाहिर है कि 1993-94 में गैर योजनागत खर्च 86084 करोड़ रुपये में से 46000

(53 प्रतिशत) करोड़ रुपये ब्याज अदायगियों पर, सब्सिडी पर 1000 करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार के खर्चपर लगभग 1200 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। अतः राजकोषीय संतुलन हेतु गैर योजनागत और गैर विकासात्मक व्ययों में व्यापक कमी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों से व्यापक आय शेयरो के माध्यम से 1994-95 में 4000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है आवश्यक है। उसके लिए औद्योगिक उदारवाद की जगह अनियोजित आर्थिक व्यूह रचना उत्तरदायी है। 1996-97 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.2 प्रतिशत रहा जबकि 1997-98 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.8 प्रतिशत होगा।<sup>5</sup>

### 5. रुपये की चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता:

1992-93 के बजट प्रावधानों से भारतीय आर्थिक उदारीकृत व्यवस्था का द्वितीय चरण प्रारम्भ होता है जिसमें व्यापार सम्बर्द्धन, सरलीकरण, एवं हवाला बाजार की व्यापक अनियमितताओं को कम करने हेतु रुपये को आंशिक तौर पर 60 प्रतिशत बाजारी कीमतों पर जिसका निर्धारण मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के आधार पर तय होता है तथा 40 प्रतिशत रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर अभ्यर्पित माना गया। इसी व्यवस्था को उदारीकृत विनिमय दर प्रबन्ध प्रणाली कहा जाता है। सुधारों के तीसरे चरण में रुपये को पूर्ण परिवर्तनीयता प्रदान कर एकल विनिमय दर व्यवस्था स्थापित की गयी। इस व्यवस्था के अन्तर्गत विनिमय दर निर्धारण विदेशी विनिमय बाजार में मुद्राओं की बाजारी शक्तियों द्वारा तय होता है। इसका लेन-देन रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत डीलरों के माध्यम से ही निर्यात एवं निवेश नीतियों के तहत हो सकता है। विश्व बैंक का मानना है कि भारत में उदारीकरण कार्यक्रम के तहत अगला मुख्य कदम रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता बनाना होगा।

मार्च 1993 तक दोहरी विनिमय दर लागू थी जो कि निर्यातकों के लिए भेदभावपूर्ण थी। मार्च 1993 में दोहरी विनिमय दर के स्थान पर एकीकृत विनिमय दर व्यवस्था शुरू की गयी। दूसरों शब्दों में कहे तो विनिमय दर बाजार के उतार-चढ़ाव से निर्धारित होने लगी। विनिमय दर एकीकृत करने के बाद ही इसी अवधि में विदेशी मुद्रा का प्रभाव बढ़ा जिससे रुपया डालर के मुकाबले मजबूत हुआ। 1 फरवरी 1993 में एक डालर की कीमत 32.14 रुपये थी जो कि जून 1993 में घटकर 31.37 रुपये रह गयी यही दर मार्च तक बनी रही।

इस वर्ष मार्च तक भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार बीस अरब डालर था जबकि मार्च 1993 के



अत तक यह भण्डार 6 43 अरब डालर और मार्च 1991 मे 2 23 अरब डालर था विदेशी भुगतान मे यह परिवर्तन आर्थिक सुधार कार्यक्रमो की एक महत्वपूर्ण सफलता है। पिछले चार वर्षों मे देश की अर्थव्यवस्था स्थयित्व और टिकाउ भुगतान सतुलन की तरफ बढ़ी है। आयात-निर्यात अनुपात मे उल्लेखनीय सुधार आने और अदृश्य खातो में प्रवाह बढने के बाद चालू खाते का घाटा कम हुआ है। 1990-91 मे यह घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत था जो कि 1993-94 मे घटकर 05 प्रतिशत रह गया। पिछले दशक के दौरान चालू खाते मे घाटे की भरपाई के लिए विदेशो से वाणिज्यिक कर्ज लेने की दर मे कुल पूँजी प्रवाह का 25 प्रतिशत थी जो कि 1993-94 में घटकर 9.1 प्रतिशत पर आ टिकी।<sup>6</sup> कर्ज के मामले में किये गये दो परिवर्तन महत्वपूर्ण है। पहला यह है कि लघु अवधि के कर्ज की अदायगी के लिए लम्बे समय से बकाया कार्यों में फेर बदल करना। मार्च 1991 तक भारत पर आठ अरब दस करोड़ डालर लघु अवधि का बकाया कर्ज था। जो कि मार्च 1994 में घटकर तीन अरब साठ करोड़ डालर रह गया। दूसरा परिवर्तन यह है कि रियायती वाणिज्यिक कर्ज लेने के स्थान पर सीधे और पोर्टफोलियो निवेश को तरजीह देना। 1993-94 मे करीब चार अरब दस करोड़ डालर का विदेशी निवेश हुआ जो कुल पूँजी प्रवाह का 40 प्रतिशत से भी अधिक है। इसका एक बड़ा हिस्सा पोर्टफोलियो निवेश से प्राप्त हुआ। सीधे पूँजी निवेश का ग्राफ भी ऊपर चढ़ता नजर आ रहा है। 1994-95 के वर्ष में भी कुल पूँजी के प्रवाह में विदेशी निवेश का हिस्सा पिछले साल के मुकाबले बढ़ने की संभावना है। सरकार ने जून 1991 में सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ इकाइयों को शेयर बाण्ड जारी करके अपने लिए संसाधन जुटाने की इजाजत दी थी। बढते विदेशी कर्ज के बावजूद भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान दायित्यों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी विदेशी कर्ज की वर्तमान दर को स्थिर रखने के उद्देश्य से 1995-96 के दौरान लिये गये वाणिज्यिक कर्जों पर तीन अरब पचास करोड डालर का शुल्क लगाया गया है। संक्रमण काल से गुजर रही भारतीय अर्थव्यवस्था को नियन्त्रित अर्थव्यवस्था के जाल से निकाल कर विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने की दशा में चलते हुए चालू खाते पर रूपये की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू कर दिया जाना निश्चित ही एक क्रान्तिकारी कदम है। इस व्यवस्था से अब आयातकों एवं निर्यातकों को बाजारी शक्तियों के तहत खुलकर कार्य करने का अवसर मिलेगा तथा विदेशों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर विदेशी मुद्रा के अर्जकों की यह शिकायत दूर हो जायेगी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नीची दर पर विदेशी विनियम अभ्यर्पित करना होता है। इस शताब्दी के अन्तिम दशक के प्रथम वर्ष से ही आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण की प्रक्रिया की सफलता के लिए भी पूर्ण परिवर्तनीयता लागू किया जाना आवश्यक था।

पूर्ण परिवर्तनीयता का सीधा अर्थ तो यह है कि किसी देश की मुद्रा को अन्य देशों की मुद्राओं से मनचाही मात्रा में परिवर्तित कर लिये जाने की छूट, लेकिन देश काल एवं परिस्थितियों के अनुसार पूर्ण परिवर्तनीयता की परिभाषा में परिवर्तन होता रहा है। स्वर्ण मुद्रामान के अन्तर्गत पूर्ण परिवर्तनीयता को एक निश्चित विनिमय दर पर मुद्रा को स्वर्ण में परिवर्तित कर लेने के अधिकार के रूप में परिभाषित किया जाता था, अब जबकि स्वर्ण मुद्रामान इतिहास के पन्नों तक सीमित है तो पत्र मुद्रामान के अन्तर्गत एक मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय उसी दशा में कहा जाता है जब इसका धारक अपने पास उपलब्ध मुद्रा को मनचाही मात्रा में प्रचलित बाजार दर पर विश्व की प्रमुख मुद्राओं में परिवर्तित कर लेने के लिये स्वतंत्र हो और यह स्वतन्त्रता सभी प्रकार के लेन-देनों पर लागू किया जाता है तो इसे पूर्ण परिवर्तनीय कहते हैं। जब यह भुगतान सतुलन के चालू खाते के लेन-देनों तक सीमित होती है तो इसे चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता की संज्ञा दी जाती है और जब पूँजी खाते के लेन-देन भी स्वतन्त्रता के साथ लागू किये जाने लगते हैं तो मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय माना जाने लगता है।

योजनाकाल के प्रारम्भ से ही भारतीय रुपये की विनिमय दर एवं विदेशी विनिमय सम्बन्धी लेन-देन अत्यधिक नियन्त्रित रहे हैं। योजनागत प्राथमिकताओं को पूरा करने, आवश्यक आयातों की पूर्ति को बनाए रखने, घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने तथा औद्योगिक विकास की गति को तेज करने के लिए विगत कुछ वर्षों में घरेलू एवं विश्वस्तर पर जो परिवर्तन हुए उनके तहत विदेशी विनिमय की नियन्त्रित व्यवस्था में परिवर्तन किया जाना आवश्यक समझा जाने लगा। सोवियत संघ का विघटन, जर्मनी का एकीकरण, विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में संयुक्त राज्य अमरीका का उदय, पश्चिमी विकसित देशों को जापान की जबरदस्त चुनौती, चीन, सिंगापुर, ताइवान तथा दक्षिण कोरिया आदि विकासशील देशों में तीव्र आर्थिक विकास विकसित देशों में मंदी का दौर आदि कुछ ऐसी प्रेरक परिस्थितियाँ थी जिन्होंने भारत में पूर्ण परिवर्तनीयता का मार्ग प्रशस्त किया। रुपये को परिवर्तनशील बनाने के इस निर्णय के पीछे सरकार की सोच यह रही कि इससे एक तरफ जहाँ बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा देश के अन्दर आएगी और विदेशी मुद्रा के प्रारक्षित भण्डार में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर विदेशी मुद्रा को काला बाजार या हवाला बाजार में जाने से रोक जा सकेगा। इस विचार और नीति के तहत ही सर्वप्रथम 1992-93 के बजट में 'रुपये की आंशिक परिवर्तनीयता' सम्बन्धी प्रावधान लागू किये जाने की घोषणा की गई। इस प्रावधान के अनुसार सकल अर्जित विदेशी मुद्रा का 40 प्रतिशत भाग सरकारी विनिमय दर पर तथा शेष 60 प्रतिशत भाग खुले बाजार की दर पर रुपये

मे परिवर्तित किया जा सकता था। इसके तात्कालिक प्रभाव के परिणामस्वरूप रुपये की बाजारी विनियम दर 10 6 प्रतिशत से गिरकर 7 मार्च 1992 को 29 रुपये प्रति डालर हो गया, किन्तु इस समय 10 मार्च 1998 को 39 6 रुपये प्रति डालर हो गया।

विदेशी मुद्रा की खुले बाजार की दर सरकारी दर से अधिक होती है। जिसके कारण अधिसंख्य व्यक्ति अपनी अर्जित विदेशी मुद्रा को खुले बाजार में ही रुपये से परिवर्तित कराना चाहते हैं। इस प्रवृत्ति से पूर्व में भारतीय अर्थव्यवस्था खासकर विदेशी मुद्रा भण्डार को काफी क्षति पहुँची है, अप्रैल 1992 से लागू उदारीकृत विनियम दर प्रबन्धन प्रणाली लागू किये जाने से स्थिति में बदलाव आया। इससे निर्यातको, पर्यटको, अप्रवासी भारतीयों को विदेशी मुद्रा विनियम में अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुआ।

रुपये की आशिक परिवर्तनीयता की सफलता से जहाँ रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता का मार्ग प्रशस्त हुआ वहीं यह स्थिति स्पष्ट हो गई कि रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय बनाए बगैर हम अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का मुकाबला नहीं कर सकते। फलतः वर्ष 1993-94 के बजट में रुपये को व्यापार खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय बनाने की घोषणा की गई अर्थात् निर्यातक व विदेशी मुद्रा के अन्य अर्जक अपनी समस्त अर्जित विदेशी मुद्रा को सरकार अथवा रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मूल्य की अपेक्षा अब खुले मुद्रा बाजार में माग एव पूर्ति शक्तियों द्वारा निर्धारित बाजारी दर रूपए से परिवर्तित कर सकते थे। दूसरे शब्दों में विदेशी मुद्रा के बैंको द्वारा बाजार में प्रचलित कीमत पर खरीदे जाने का प्रावधान कर दिया गया। इसके साथ-साथ सभी प्रकार की प्राप्तियों चाहे वे चालू खाते की हो या पूँजी खातों की भी हो, पूर्ण परिवर्तनीय कर दी गई हैं, लेकिन इस बजट घोषणा के बावजूद रुपया पूर्ण परिवर्तनीय नहीं बन सका और यह परिवर्तनीयता सिर्फ व्यापार खाता तक ही उपलब्ध हो सकी। इसका कारण यह बताया गया कि देश का भुगतान संतुलन निरन्तर प्रतिकूल चल रहा है, ऊँचे राजकोषीय घाटे और भुगतान सन्तुलन के चालू खाते के घाटे के कारण भी इस मार्ग में रुकावट आई सरकार ने वायदा किया कि भुगतान संतुलन और विदेशी मुद्रा भण्डार की स्थिति ठीक होते ही रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू कर दी जायेगी।

वर्ष 1993-94 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निर्विवाद रूप से सुखद और अच्छे परिणामों वाला रहा। इस एक वर्ष में देश के भुगतान संतुलन को जहाँ सुधारने का मौका मिला, वहीं विदेशी मुद्रा भण्डार में भी अपूर्व वृद्धि देखने को मिली। वर्ष 1993-94 में देश के निर्यात में डालर के हिसाब से 20.37 फीसदी की बढ़ोत्तरी तथा आयात में 6.84 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। इस वर्ष उक्त अवधि में व्यापार घाटा मात्र 1.04 मिलियन डालर रहा जो 1992 के व्यापार घाटे का लगभग एक तिहाई है।

देश का विदेशी मुद्रा भण्डार जो 30 जून 1991 को मात्र एक अरब दस करोड़ अमरीकी डालर का था। 31 मार्च 1994 को 19 अरब, 25 करोड़ 40 लाख अमरीकी डालर (स्वर्ण सहित) पर पहुँच गया इतनी ही नहीं, एकल विनिमय दर प्रणाली लागू कर दिये जाने के बाद भी रुपये की विनियम दर बहुत बड़ी सीमा तक स्थिर बनी रही जाहिर तौर पर निर्यात में यह वृद्धि आयात में कमी, विनिमय दर की स्थिरता और विदेशी मुद्रा भण्डार में अभूतपूर्व वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत था और इसको देखते हुए वर्ष 1994-95 के बजट में रुपये को चालू खाते में परिवर्तनीय घोषित कर दिया।

रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता सम्बन्धी नई घोषणा से जरूरत मद व्यक्ति को व्यापारिक लेन-देन, विदेश यात्रा, चिकित्सा एवं शिक्षा आदि कार्यों के लिए विदेशी मुद्रा आसानी से खुले बाजार से उपलब्ध हो सकेगी। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति के लिए अब हर वर्ष विदेश यात्रा (पर्यटन आदि) हेतु दो हजार डालर का एक मूल कोटा उपलब्ध होगा उससे पूर्व पर्यटन आदि कार्यों के लिए विदेश जाने वाले व्यक्ति को तीन वर्ष में एक बार केवल 500 डालर उपलब्ध होते थे। इससे अधिक रकम के लिए रुपया परिवर्तनीय नहीं था। नई व्यवस्था के अन्तर्गत मध्यस्थता शुल्क के लिए पुर्नभुगतान वैधानिक व्यय, परीक्षा शुल्क, पत्राचार पाठ्यक्रमों का शुल्क, पंजीकरण शुल्क, सदस्यता शुल्क, निर्यात सूचना, मानद प्राप्ति, पेटेंट, अभिकल्प तथा ट्रेडमार्क आदि का निविदा प्रदत्त पंजीयन या पुर्ननवीकरण शुल्क की सीमा को प्रत्येक लेन-देन के लिए बढ़ाकर 10000 अमरीकी डालर कर दिया गया। इसी तरह व्यवसाय के सिलसिले में विदेश गमन हेतु पहले केवल 5000 डालर अथवा प्रतिदिन 300 डालर के हिसाब से विदेशी मुद्रा मिलती थी। इससे अधिक विदेशी मुद्रा के लिए रिजर्व बैंक से स्वीकृति लेनी होती थी। वर्ष 1993-94 के बजट में की गई घोषणा से अब यह कठिनाई दूर हो गयी और अब व्यवसाय के सिलसिले में विदेश जाने वाला व्यक्ति बाजार से आवश्यकतानुसार रुपये के बदले विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकेगा। इसके अतिरिक्त अब अर्जित विदेशी मुद्रा का एक चौथाई भाग इफका के तहत सुरक्षित रखा जा सकता है जबकि सौ फीसदी निर्यात मूलक इकाइयों के लिए यह सीमा 50 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने वर्ष 1993-94 के केन्द्रीय बजट में रुपया को व्यापार खाते में परिवर्तनीय बनाया था और अब नई घोषणा से यह चालू खाते में लगभग सम्पूर्ण परिवर्तनीय बन गया है। उससे रुपये का पूँजी खाते में परिवर्तनीय बनाने की दिशा का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है फिलहाल अभी हमें चालू खाते पर ही रुपये की वास्तविक पूर्ण परिवर्तनीयता का लक्ष्य प्राप्त करना होगा और उसके बाद ही पूँजी खाते पर रुपये की परिवर्तनीय की बात सोँची जा सकती है।

यदि पूर्ण परिवर्तनीयता की परिभाषा के आधार पर रूपये की पूर्ण परिवर्तनीयता को परखा जाए तो पता चलता है कि भारतीय रूपया अभी तो पूरी तरह से चालू खाते पर भी परिवर्तनीय नहीं है। विदेशी यात्रा के लिए प्रतिवर्ष 2000 अमरीकी डालर का कोटा निर्धारण एव इफ्का के अन्तर्गत विद्यमान शर्तें इस बात का द्योतक है कि भारत में विदेशी विनिमय के क्षेत्र में अनेक प्रकार के नियंत्रणों को समाप्त करके उदार बना दिया गया है तथा चालू खाते के अधिकांश लेन-देनों पर अब कोई बहुत अधिक प्रतिबन्ध नहीं रह गए। इसीलिए चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय होते हुए भी रूपया पूर्ण परिवर्तनीयता की परिभाषा की सभी शर्तों को पूरा नहीं करता।

रूपये को पूर्ण परिवर्तनीय बनाए जाने के सम्बन्ध में यह आशंका हमेशा व्यक्त की जाती रही कि इससे पूँजी पलायन बढ़ेगा और रूपया कमजोर होगा, लेकिन यह आशंका वर्ष 1993-94 में व्यापार खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किये जाने से उत्पन्न परिस्थितियों से निर्मूल सिद्ध हुई है अब तक रूपया निरन्तर मजबूत ही बना रहा है। स्थिति यह है कि एक डालर का मूल्य 13 मार्च 1998 को 39.6 रूपये है। इस स्थिति का कारण अधिक निर्यात, कम आयात, विदेशी बैंकों द्वारा घोटाले के कारण हुई हानि और पूँजी पर्याप्तता के रूप में हुई आय, विदेशी संस्थाओं द्वारा दी गई सहायता व ऋण, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा अपने भारतीय उद्यम में इक्विटी बढ़ाने से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, विदेशी सस्थागत निवेशकों के एक अरब डालर तक निवेश की अनुमति तथा प्रोजेक्ट-इन्वेस्टमेंट के कारण विदेशी मुद्रा का अर्न्तप्रवाह बढ़ा है।

परिवर्तनीय घोषित किये जाने के बाद भी रूपये में मजबूती बने रहने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि रूपये की परिवर्तनीयता को पूर्णतया स्वतन्त्र नहीं रखा गया है। रूपया अधिक मजबूत न बने, इसके लिए रिजर्व बैंक खुले बाजार से डालर की जोरदार खरीदी करता रहा है रिजर्व बैंक खुले मुद्रा बाजार से प्रतिदिन 75 से 100 मिलियन डालर (225 से 300 करोड़ रूपया) की खरीदी करता रहा है। विदेशी विनिमय के क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप तथा पूर्ण परिवर्तनीयता के परिणाम स्वरूप विदेशी मुद्रा अर्जकों द्वारा अपने विदेशी मुद्रा को वैद्यनिक मार्ग से परिवर्तित किये जाने के कारण भारत का विदेशी मुद्रा के प्रारक्षित भण्डार 10 मई 1994 को 19.1 बिलियन डालर पर पहुँच गया। निवेश आय प्राप्तियाँ अधिकतर विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार के निवेश पर अर्जित ब्याज और बट्टे के तदनुरूप है। अदृश्य के अन्तर्गत निवल अधिशेष में आठवीं योजना के दौरान वर्ष 1992-93 में 1.9 बिलियन अमरीकी डालर से वर्ष 1996-97 में 10.6 बिलियन अमरीकी डालर तक वृद्धि अनुमानित है। इसके परिणामस्वरूप अदृश्य के अन्तर्गत निवल अन्तः प्रवाह ने वर्ष 1992-93 में लगभग 23 प्रतिशत

की तुलना में वर्ष 1996-97 में भुगतान सतुलन (अमरीकी डालर के रूप में) व व्यापार घाटे का 74 प्रतिशत वित्तपोषण किया।<sup>8</sup>

## 6. पूँजी खाते की परिवर्तनीयता :

भारत की आर्थिक सुदृढता और विश्व बाजार में भारतीय मुद्रा की विश्वसनीयता का एक मानदण्ड यह भी है कि हम अपनी मुद्रा को कितनी सरलता से और किस सीमा तक विदेशी मुद्रा में परिवर्तित कर पाते हैं। भारत में चालू खाते में परिवर्तनीयता का श्रीगणेश तो कुछ समय पूर्व कर दिया था किन्तु अब पूँजी खाते में परिवर्तनीयता के लिए भी काम प्रारम्भ किया जा रहा है। पूँजी खाता परिवर्तनीयता एक अत्यन्त संवेदनशील विषय है इसलिए इस दिशा में वित्त मंत्री ने बहुत सावधानी से आगे बढ़ने का निश्चय किया है। इस बारे में कोई फैसला लेने से पूर्व तैयारी के लिए उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक को एक ऐसी रूपरेखा तैयार करने को कहा है जिससे पूँजी खाता परिवर्तनीयता के लिए प्रत्येक चरण पर आवश्यक आर्थिक मानदण्ड निर्धारित किये जायेंगे और इस अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विस्तृत समय-सारिणी बनाई जाएगी।

इस बीच जो लोग निर्यात व्यापार द्वारा विदेशी मुद्रा कमाते हैं, उन्हें और सुविधाएं देने की भी घोषणा की गई है। ऐसी मुद्रा के अर्जक अब विदेशों में कार्यालय खोलकर उनके व्यय की पूर्ति अर्जित विदेशी मुद्रा से कर सकेंगे और भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किये बिना समुन्द्रपारीय संयुक्त उपक्रम खाते में बाकी शेष राशि में से डेढ़ करोड़ अमेरिकी डालर तक की सीमा तक निवेश कर सकेंगे।

वित्त मंत्री ने इस बजट में यह भी घोषणा की है कि विदेशी मुद्रा के लेन-देन के नियमों को अधिक आधुनिक बनाने के लिए और उनमें उदारता लाने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबन्ध का एक नया अधिनियम बनाया जायेगा। अभी तक विदेशी पूँजी निवेशक, अनिवासी भारतीय तथा अनिवासी भारतीय विदेशी कम्पनियों भारत की किसी कम्पनी में अधिकतम 24 प्रतिशत तक पूँजी निवेश कर सकते थे। उस सीमा को बढ़ाने की मांग की जा रही थी।<sup>9</sup> इस बजट में यह छूट दी गई है कि अगर भारतीय कम्पनी के निर्देशक चाहें और कम्पनी की आम सभा इसके लिए विशेष संकल्प पारित करें तो उन मामलों में निवेश की यह सीमा बढ़ाकर 30 प्रतिशत की जा सकती है।

भारतीय कम्पनियों पिछले साल लागू किये गये कम्पनी लाभ पर न्यूनतम वैकल्पिक कर को

8. इकोनॉमिक सर्वे . भारत सरकार वित्त मंत्रालय 1997-98, पृष्ठ संख्या-79

9. योजना . सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (भारत सरकार) अंक 14, मई 1997, पृष्ठ संख्या -5

समाप्त करने की माग करती आ रही थीं, लेकिन वित्त मंत्री ने इसे स्वीकार नहीं किया है, तथापि उन्होंने इस कर से उन लाभो को मुक्त कर दिया है जो निर्यात व्यापार से प्राप्त होंगे। साथ ही उन्होंने यह वैकल्पिक कर लगाने और उसकी वसूली के तरीके में कुछ परिवर्तन कर दिया है।

समझा जाता है कि पूँजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाने सम्बन्धी निर्णय से पूर्व विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए किसी भी निर्णय से रूपया अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय बाजार में अस्थिर हो सकता है, जिससे मुद्रा-स्फीति सम्बन्धी नई दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। इसके कारण अब रूपया कमजोर नहीं होगा और इसमें प्रति डालर 25-26 रूपये की मजबूती बनी रहेगी। इस अनुमान का आधार यह है कि एक लम्बे समय से विविध प्रकार से कमाई गई विदेशी मुद्रा को अनेक भारतीयों ने हवाला बाजार अथवा अन्य दूसरे तरीके से सीधे स्विस बैंक व टैक्स हेवश में जमा करा रखा है। रूपये की पूर्ण परिवर्तनीय, खासकर आगे चलकर पूँजी खाते में परिवर्तनीय हो जाने के बाद विदेशी मुद्रा को देश में लाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रह जाएगा। एक अनुमान के अनुसार रूपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के बाद देश में 60 से 80 अरब डालर आने की सम्भावना है जिससे रूपये में मजबूती आएगी। इसके अतिरिक्त देश में विद्यमान बहुराष्ट्रीय कम्पनियों इस समय डालर रिटर्न की गारण्टी मागती है रूपये के पूर्ण परिवर्तनीय हो जाने के बाद बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की यह माग स्वतः समाप्त हो जायेगी और इससे रूपये को बल मिलेगा। पिछले कुछ दिनों में मुद्रा स्फीति की दर यो भी दो अंको को पारकर चुकी है कहना न होगा कि सरकार इस स्थिति से वाकिफ है और यही कारण है कि रूपये को पूर्ण परिवर्तनीय बनाने सम्बन्धी हर कदम बहुत फूँक-फूँक कर आगे बढ़ाया जा रहा है।

सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद वर्ष 1993-94 में राजकोषीय घाटा 54915 करोड़ रूपये हो जाने की सम्भावना तथा वर्ष 1994-95 के बजट में 58551 करोड़ रूपये का राजकोषीय घाटा अनुमानित है। अब प्रश्न यह उठता है कि राजकोषीय घाटा कैसे नियन्त्रित किया जाए, यथोचित लागत पर वांछनीय वित्त पोषण तथा मूल्य निर्माण नीतियों के साथ पर्याप्त एवं विश्वसनीय आर्थिक आधार ढाँचे की सेवाएं कैसे प्रदानकी जाएं तथा बुनियादी सामाजिक सेवाओं के लिए सुदृढ कार्यक्रमों के साथ-साथ कृषि उद्योग तथा अन्य क्षेत्रों में व्यापक आधार वाली रोजगारोत्पादक संवृद्धि कैसे सुनिश्चित की जाएं ताकि निर्धनता का तेजी से उन्मूलन हो सके। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक है कि केन्द्र के राजकोषीय घाटे को घटाकर यथा सम्भव शीघ्रता से सकल घरेलू उत्पाद के चार प्रतिशत से नीचे रखा जाए। ताकि नौवीं योजना के

दृष्टिकोण पत्र में परिकल्पित सरकारी तथा निजी दोनों निवेशों के उच्च स्तरों को वित्त पोषित करने के लिए ब्याज की दरें कम की जा सकें तथा रिजर्व बैंक से केन्द्रीय सरकार के उधार को रोका जा सके। पूर्ण परिवर्तनीयता की नीति के तहत भारत की एक प्रमुख समस्या तेजी से बढ़ते विदेशी मुद्रा के प्रारक्षित भण्डारों में जमा विदेशी विनिमय के आर्थिक उपयोग की है यदि इन भण्डारों में जमा विदेशी विनिमय का उपयोग उत्पादक कार्यों के लिए नहीं किया जाता तो स्फीतिकारी शक्तियाँ पुनः सिर उठा सकती हैं।

मुद्रा बाजार के सूत्रों का मानना है कि पर्याप्त विदेशी मुद्रा भण्डार के बगैर रुपये को पूँजी खाते में परिवर्तनीय बनाना जोखिमपूर्ण होगा। माना जा रहा है कि रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के बाद यदि किसी कारण वश पूँजी का पलायन अथवा विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन शुरू हो जाये तो एहतियात के तौर पर रिजर्व बैंक 11-12 अरब डालर तक विदेशी मुद्रा खुले बाजार में बेच सके। अपनी मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाने से पूर्व लगभग सभी देश इस तरह की तैयारी रखते हैं। जर्मनी ने ड्यूश मार्क को पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचर बनाने से पूर्व 50 अरब ड्यूश मार्क का विदेशी मुद्रा भण्डार अपने पास सुरक्षित रखा था। जापान और ब्रिटेन में भी अपनी मुद्रा को पूँजी खाते में परिवर्तनीय बनाने से अपने पास विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भण्डार सुरक्षित कर लिया था। संयोग से इस समय स्थिति भारत के अनुकूल चल रही है जिससे भारत के विदेशी मुद्रा भण्डार में अच्छी वृद्धि हुई है। फिलहाल, इस समय हम यह कह सकते हैं कि चालू खाते के परिवर्तनीयता के बाद अब हम रुपये की सम्पूर्ण परिवर्तनीयता के निकट पहुँच रहे हैं।

## 7. स्वर्ण बाण्ड योजना :

सोने की तस्करी द्वारा भारतीय स्वर्ण मूल्यों में कृत्रिम उतार-चढ़ाव बना रहता था ऐसी स्थिति में स्वर्ण बाण्ड योजना एक महत्वपूर्ण नीतिगत अवयव के रूप में स्वीकृत हुई। इसके अन्तर्गत 6 माह तक विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को 5 कि.ग्रा. स्वर्ण ले आने की छूट दी गयी। जिस पर सीमा शुल्क केवल 450 रुपये प्रति दस ग्राम विदेशी मुद्रा में लगाया जायेगा। बाद में इसे घटाकर 220 रुपये प्रति दस ग्राम विदेशी मुद्रा में देय माना जायेगा।\*

1993 में स्वर्ण बाण्ड योजना की सफलता से प्रभावित होकर 100 कि.ग्रा. चाँदी आयात को मान्यता दी गयी इसमें प्रति कि.ग्रा. सीमा शुल्क 500 रुपये विदेशी मुद्रा में देय निर्धारित किया गया।



इस कडी मे 10 फरवरी 1993 को उत्साहित होकर बैगेज नियमो को प्रेषित किया गया इसके तहत 35 वस्तुओ को आयात मे छूट प्रदान की गयी। ये वस्तुए मुख्यतया इलेक्ट्रानिक से सम्बन्धित है इन पर सीमा शुल्क 255 प्रतिशत से घटाकर 150 प्रतिशत किया गया जिसे पुन 100 प्रतिशत समायोजित किया गया। 1994-95 हेतु इसे 65 प्रतिशत निर्धारित किया गया है इस प्रकार, स्वर्ण बाण्ड योजना तथा सम्बन्धित योजनाओं से जहाँ कृतिम भावो को समाप्त किया गया, वहीं बाजार तन्त्र को उनकी वास्तविक शक्तियो के अन्तर्गत सौंपा गया, यह एक उल्लेखनीय सुधार माना जा सकता है। अक्टूबर 1997 मे सोने और चाँदी की आयात नीति और उदारीकृत की गई थी। इसके लिए किसी को लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है और प्रति 10 ग्राम सोने पर 220 रूपये तथा प्रति किलोग्राम चादी पर 500 रूपये के आयात शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। इस योजना के अन्तर्गत सोने का आयात 1 नवम्बर 1997 मे 14.2 टन से बढ़कर मार्च 1998 मे 62 3 टन हो गया।<sup>11</sup>

#### 8. भारतीय पूँजी बाजार तथा निर्यातोन्मुख इकाइयाँ :

भारत का पूँजी बाजार एक लम्बे समय तक असंगठित रहा है तथा इसकी गतिविधियाँ मुख्य रूप से बम्बई, कलकत्ता एवं दिल्ली स्टाक एक्सचेंजो तक सीमित रही है। आठवे एव नवें दशक में भारत मे औद्योगिक विकास मे तेजी आने के साथ ही पूँजी बाजार की गतिविधियो में भी सुधार हुआ है। वर्तमान मे भारतीय पूँजी बाजार का विस्तार देश के प्रमुख औद्योगिक एवं व्यावसायिक नगरों तक हो गया है, परन्तु इतना होने पर भी भारतीय पूँजी बाजार की सम्पूर्ण गतिविधियाँ बम्बई स्टाक एक्सचेंज से ही नियन्त्रित है इतना ही नहीं पूँजी बाजार का समस्त कारोबार बम्बई के कुछ प्रमुख दलालों एव उनके सहयोगियों के प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष नियन्त्रण में है। हाल के वर्षों मे मुद्रा बाजार की तरह पूँजी बाजार की गतिविधियो में प्रभावोत्पादक विस्तार हुआ है, परन्तु यह विचार गुणवत्ता मे पर्याप्त सुधार के बगैर है। स्टाक एक्सचेंजो के कार्य संचालन में दीर्घ विलम्ब, कार्यविधियो मे स्पष्टता के अभाव और शेयरों के मूल्य घटाने-बढ़ाने और अन्तरग व्यापार के प्रति प्रहार्यता की कमी जैसी अनेक कमियों का शिकार भारतीय पूँजी बाजार न तो आपेक्षित प्रगति कर पाया है और न ही इसने पूँजी निर्माण की दिशा में कोई बहुत उल्लेखनीय प्रगति ही की।

वर्ष 1990-91 में केन्द्र मे नई सरकार के गठन के साथ आर्थिक सुधारों और उदारीकरण की जो नीति अपनाई गयी, उसके तहत निवेशकर्ताओ मे पूँजी बाजार उत्साह की एक नई लहर का सूत्रपात हुआ। जिसके अनुरूप पूँजी बाजार की गतिविधियों में अचानक तेजी आई। शेयरों के मूल्यों में बहुत अधिक तेजी

आई जिसका लाभ उठाकर निवेशको ने न केवल भारी मुनाफा कमाया वरन् अपने तमाम वित्तीय स्रोतों से धन एकत्रित करके बहुत बड़ी मात्रा में नए एव पुराने निर्गमों में पूँजी निवेश किया। पूँजी बाजार में तेजी के इस दौर में कुछ प्रमुख दलालों ने वाणिज्यिक बैंकों, उनकी सहयोगी संस्थाओं, म्यूचुअल फण्डों एव अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ मिलकर बहुत बड़ी मात्रा में लाभ कमाया। अधिकाधिक लाभ अर्जित करने की प्रतिस्पर्धा में वाणिज्यिक बैंकों एव अन्य वित्तीय संस्थाओं ने पूर्व स्थापित नियमों एव कानूनों का खुलकर उल्लंघन किया जिसकी परिणति शेयर घोटाला काण्ड के रूप में हुई जिनमें जानकी रमन समिति के अनुसार 4,024 45 करोड़ रुपये की हेरा फेरी किए जाने का अनुमान है। इतना ही नहीं निर्गम जारी करने वाली कम्पनियों, मार्केट बैकरों, निर्गम प्रबंधकों न पंजीयकों, दलालों एव उप दलालों न निवेशकों के हितों की पूरी तरह से उपेक्षा की। इस दौर में इस बात की पूरी तरह से उपेक्षा की गयी कि निवेशकों की सुरक्षा सुरक्षित करने की दृष्टि से बनाए गए उपयुक्त नियमों और अधिनियमों के अधीन व्यापार और निपटान तीव्रता और पारदर्शिता के साथ हो।

उदारीकरण की शुरुआत के पीछे भारतीय पूँजी बाजार को सुदृढ़ बनाने, निर्यातपरक इकाइयों को विशेष सहायता एव प्रोत्साहन देकर जहाँ एक ओर औद्योगिक गति को तीव्र बनाने के लक्ष्य के संकल्प दोहराये गये, वही आयात बिलों के भुगतान हेतु अग्रिम लाईसेन्स तथा रेप प्रणाली की जगह एक्विजम स्क्रिप व्यवस्था लागू की गयी है। इस आयात निर्यात हुण्डी को व्यापारिक लेन देन हेतु तरल रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। वर्ष 1992-93 में इसी उद्देश्य के लिए उद्यमियों को सकल विदेशी आय का 10 प्रतिशत, 1993-94 में 15 प्रतिशत तथा 1994-95 में 25 प्रतिशत एव शत प्रतिशत निर्यात इकाइयों के सरचनात्मक समायोजन हेतु 50 प्रतिशत, तक विदेशी मुद्रा रखने की छूट दी गयी है।<sup>12</sup>

पूँजी बाजार में संस्थागत निवेशकों, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, निवेश न्यास, एसेट्स मैनेजमेंट कम्पनियों, निगमित संस्थागत पोर्टफोलियो, प्रबंध इत्यादि को निवेश पर न्यूनतम 16 प्रतिशत लाभांश गारण्टी, लाभांश तथा ब्याज आय पर 20 प्रतिशत कर युक्त छूटें प्रदान की गयीं। इन सब राहत प्रद नीतियों का परिणाम रहा कि वर्ष 1993-94 में 3000 मिलियन अमरीकी डालर का प्रत्यक्ष निवेश हुआ जो वर्ष 1992-93 के 150 मिलियन डालर से 20 गुना अधिक है। भारत सरकार, भारतीय प्रतिभूति एव विनिमय बोर्ड सेबी तथा भारतीय रिजर्व बैंक के संयुक्त प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारतीय पूँजी बाजार प्राथमिक एवं द्वितीयक अब अधिक पारदर्शी सुस्पष्ट एव सुसंगठित है, जिसमें निवेशकर्ताओं के हितों की हर-स्तर पर रक्षा की जाती है। प्रतिभूति घोटाले के व्यापक घपले से स्वयं को संभालते हुए भारतीय पूँजी बाजार में देश एव विदेश के व्यक्तिगत एव संस्थागत निवेशकर्ताओं को यह विश्वास दिलाने में सफल रहा है कि अब इस प्रकार के घोटाले की पुनरावृत्ति नहीं होनी तथा प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजारों के मध्यस्थों पर कड़ी नजर रखकर उन्हें

ग्राहको की पूँजी के साथ खिलवाड नहीं करने दिया जयेगा। पूँजी बाजार मे लाए गये सुधारो के बाद निवेश निधियो के अन्त प्रवाह के आकार तथा भारत मे पजीकृत विदेशी सस्थागत निवेशकर्ताओ की सख्या मे वृद्धि भारतीय बजारो और उसके नियामक तत्र मे अन्तर्राष्ट्रीय निवेशकर्ता समुदाय के बढते हुए विश्वास का एक मानदण्ड है।

अब भारतीय कम्पनियों केवल बैको एव विकास वित्तीय सस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले ऋणो पर निर्भर रहने की बजाय पूँजी बाजार से शेयर पूँजी, प्रीमियम राशि एव ऋणपत्रो के माध्यम से पूँजी एकत्रित करना अधिक उचित समझती है वर्ष 1993-94 के प्रथम नौ माह मे निजी क्षेत्र की कम्पनियों ने 7068 करोड रूपये ऋण परिवर्तनीय एव अपरिवर्तनीय डिबेन्चरो के रूप मे एकत्रित किए । यह वर्ष 1992-93 की तदनुरूपी अवधि के दौरान एकत्र किए गये 7652 करोड रूपये के दौरान प्राप्त सस्थागत ऋणों से तुलनीय है। अब कम्पनियों अपरिवर्तनीय डिबेन्चरो से परिवर्तनीय डिबेचरो को अधिक उपयोगी समझ रही है। निगम पर नोटों, अधिक बट्टा, यूनान बाण्ड (डीप डिस्काउण्ट बाण्ड) और हाईब्रिड बाडो जैसे नए अभिनव दस्तावेजों के विकास के साथ डिबेंचर बाजार का और अधिक तेजी से विस्तार होगा। प्रतिभूति घोटाला और आर्थिक सुधारो के उदारीकरण की नीतियों के बाद भारतीय पूँजी बाजार की सफलता इस बात मे निहित है कि वर्ष 1991-92 के दौरान 512 निर्गमों के जरिये एकत्रित 5562.53 करोड रूपये की तुलना मे वर्ष 1992-93 मे 1010 निर्गमो के जरिए 18690.64 करोड रूपये एकत्रित किये गये वर्ष 1993-94 के अप्रैल-दिसम्बर अवधि मे इक्विटी और निर्गमों के माध्यम से कुल 16848 करोड रूपये की राशि एकत्रित की गयी जबकि वर्ष 1992-93 की तदनुरूपी अवधि में यह राशि 13400 करोड रूपये थी।

आर्थिक सुधारो एव उदारवादी नीतियों के परिणामस्वरूप भारतीय पूँजी बाजार का व्यापक रूप से सुधार एवं विस्तार हुआ है जिससे औद्योगिक विकास की नवीन सम्भावनाएं भी पैदा हुई है। पूँजी बाजार में लाभ की सम्भावनाएं बढ जाने के कारण बहुत से छोटे-छोटे निवेशकर्ता जो अब तक बैको एवं डाकघरों की दीर्घावधि योजनाओ मे निवेश करते थे। पूँजी बाजार में निवेश करने को उद्यत हुए है, लेकिन इसी बीच प्रतिभूति घोटाले और उसके बाद शेयरों के मूल्यों में आई भारी मंदी ने सर्वाधिक हानि छोटे निवेशकों को ही पहुँचाई है। इससे पूँजी बाजार के सत्यनिष्ठा के प्रति कुछ शकाएँ भी पैदा हो गई हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकार की ओर से कुछ उपाय भी किए गए है, लेकिन अभी तक कारगर सिद्ध नहीं हो पाए है यथार्थ में इस स्थिति से उबरने के लिए भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, प्रमुख वित्तीय संस्थाओं, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े अधिकारियों एवं मध्यस्थों को सामूहिक

रूप से ऐसे प्रयास करने होंगे जिससे पूँजी बाजार की खोई प्रतिष्ठा पुनः वापस हो सके।

पूँजी बाजार के विकास और सुधार की जो प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है उसे और अधिक प्रभावी एवं गहन बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि कारोबार सम्बन्धी लेन-देन शीघ्रता से सम्पन्न हो सके जिससे कि संचालन कार्यों में सुस्पष्टता व पारदर्शिता दृष्टिगोचर हो, निवेशको को अच्छी सेवाएँ तथा अधिक सरक्षण प्रदान किया जा सके इतना ही नहीं इसके साथ-साथ ऐसे प्रयास भी करने होंगे कि निगमित क्षेत्र को बड़े पैमाने पर पूँजी बाजार से प्रत्यक्ष रूप से संसाधन जुटाने के योग्य बनाया जा सकें। स्टाक एक्सचेंजों के आधुनिकीकरण की भी आवश्यकता है ताकि वे विश्व मानकों के अनुसार पूरी क्षमता एवं विश्वसनीयता के साथ कार्य कर सकें।

वर्ष 1997-98 के बजट में पूँजी बाजार को बढावा देने के लिए जो प्रावधान किये गये हैं उनके दूरगामी परिणाम दिखाई देंगे। इस बजट में कुछ शर्तों के साथ कम्पनियों को अपने शेयरों की पुनः खरीद का अधिकार दे दिया गया है। इससे भारतीय कम्पनियाँ, विदेशी कम्पनियों द्वारा अधिग्रहण के प्रयासों का अधिक कुशलता से मुकाबला कर सकेंगी। कम्पनी अधिनियम की धारा 370 और 372 को मिलाकर ऋण की और दूसरी कम्पनियों में 60 प्रतिशत तक निवेश की व्यवस्था की गई है। अक्सर यह शिकायत मिलती है कि कम्पनियाँ जिस उद्देश्य से जनता से धन जुटाती हैं उस उद्देश्य के बजाय धन किसी और काम में व्यय कर दिया जाता है इसे रोकने के लिए अब अनिवार्य कर दिया गया है कि पूँजी बाजार से धन जुटाने वाली कम्पनियाँ उस धन के उपयोग का वार्षिक विवरण दें।

कम्पनियाँ अपने शेयर धारकों को जो लाभांश वितरित करती थीं, उस पर अब तक दोहरा कर लगता था। कम्पनी अपने पूरे लाभ की राशि पर कर अदा करती थी और लाभांश पाने वाले शेयरधारी को भी उस पर टैक्स देना पड़ता था। इस बजट में शेयर धारक को प्राप्त होने वाले लाभांश पर कर समाप्त करके शेयर धारकों को राहत दी गई है और यह आशा की जा सकती है कि अब शेयर बाजार में फिर निवेश होने लगेगा, लेकिन कम्पनियों को वितरित लाभांश पर दस प्रतिशत की दर से कर देना होगा। इसका लाभ यह होगा कि कम्पनियाँ अपने लाभ का अधिकांश भाग नए निवेशों में लगाने को प्रेरित होंगी और उससे आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

वित्तमंत्री पी चिदम्बरम् ने कम्पनियों को दो और बड़ी राहतें दी हैं। उन्होंने देशी और विदेशी दोनों कम्पनियों पर कर की दर में कमी की है। देशी कम्पनियों के लिए दर अब 35 प्रतिशत और विदेशी कम्पनियों के लिए ४८ प्रतिशत होगी। दूसरी राहत यह दी गई है कि इस पर अधिभार को

अब बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। पिछले बजट में यह अधिभार 15 प्रतिशत से कम करके 7.5 प्रतिशत कर दिया गया है, भारतीय कम्पनियों को एक और राहत यह दी गई है कि प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण के लिए विदेशी कम्पनियों को दी जाने वाली रायल्टी और तकनीकी सेवा फीस पर टैक्स की दर वर्तमान 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दी गई है।<sup>13</sup>

विगत वर्षों में आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात संवर्धन हेतु भारतीय उद्योगों को अनेक प्रकार के संरक्षणों, अनुदानों एवं रियायतों का लाभ मिलता रहा है। दूसरे इन्हें किसी भी स्तर पर विदेशी निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा भी नहीं करनी पड़ी है। इन परिस्थितियों का ही यह परिणाम है कि भारतीय उद्योग संरक्षण तथा रियायतों की बैसाखियों पर चलने के आदी हो गए हैं। नवीन वातावरण में स्थिति यह है कि भारत के घरेलू उद्योग स्वयं तो सभी प्रकार की रियायतें प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर ये विदेशी उत्पादकों, विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से प्रतियोगिता के लिए सक्षम बनाने का मौका उन्हें दिया जाना चाहिए। इसके लिए कुछ वर्षों तक उन्हें नई नीतियों के तहत संरक्षण मिलना चाहिए इतना ही नहीं वे करो तथा शुल्कों में और अधिक रियायतें तथा सरकार से सब्सिडी मिलने की आशा करते हैं।

### 9. कर प्रणाली में व्यापक परिवर्तन :

भारतीय कर प्रणाली विविधता, जटिलता उंची कर दरों के पर्याय के रूप में जानी जाती है। 1992 में डॉ० राजा जे. चेलैया की सिपारिशों ने इस सुसंगत, सरलीकृत एवं ग्राह्य बनाने में मदद की। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कर दरों में कमी करके जहाँ मांग प्रेषण किया गया, वहीं पर सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क निगमित करों को भी कम एवं समायोजित कर उत्पादन क्षेत्र को राहत प्रदान की गयी। इससे देश में मशीनों, पूँजीगत सामानों, उपकरणों के आयात को राहत प्राप्त हुई है एवं औद्योगिक क्षेत्र ने गत्यात्मक स्थिति में प्रवेश किया है। वर्ष 1993-94 में कारपोरेट क्षेत्र के दोहरे कराधान को समाप्त किया गया और निगम कर को 65 प्रतिशत पर लाया गया, जो वर्ष 1994-95 में 55 प्रतिशत रखा गया है। इन्हीं समयावधियों में सीमाशुल्क क्रमशः 85 प्रतिशत तथा 65 प्रतिशत एवं उत्पाद शुल्क को सुसंगठित एवं सरलीकृत किया गया। मोडवैट तथा मूल्यानुसार करों की प्रभाविता से उद्योग क्षेत्र को बहुत राहत प्राप्त हो रही है। व्यक्तिगत कर दरों की चार-स्तरीय अधिभार प्रणाली को समाप्त करके त्रिस्तरीय अधिभारहीन प्रणाली विकसित की गयी है। इसके माध्यम से निवेश एवं उपभोग आय में मात्रात्मक सुधार होगा। वर्ष 1994-95 में सेवा क्षेत्र पर 5 प्रतिशत टैक्स लगाकर जहाँ एक ओर

राजस्व अतिरेक जुटाया गया।<sup>14</sup> वहीं पर नये कर क्षेत्रों के विस्तार-सभावनाओं को बल मिला है।

### 10. बैंकिंग एवं सम्बन्धित क्षेत्रों में उदारीकरण :

स्टॉक मार्केट में भारी अनियमितता के बाद सेबी के पुनर्गठन तथा वर्ष 1993-94 में 5800 करोड़ रुपया, वर्ष 1994-95 में 5700 करोड़ रुपया बैंकिंग क्षेत्र के विकास, वित्तीय प्रवाह तथा राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय तरलता एवं विश्वास के लिए आवंटित किया गया इससे शेयर बाजार एक बार फिर गतिमय बना। उद्योगों में निवेश बढ़ाने तथा अर्थतन्त्र में मुद्रा प्रवाह को बढ़ाने के निमित्त नकद आरक्षित अनुपात तथा सांविधिक तरलता अनुपात एवं ऋण ब्याज दरों में कमी की गई। जमादेयताओं में वृद्धि हेतु उसकी ब्याज दरों को भी समायोजित किया गया। वर्ष 1992-93 में अल्पकालीन तरलता अनुपात (एस एल आर ) को 38.5 प्रतिशत से 25 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य रखा गया, किन्तु वर्ष 1993-94 में आगामी तीन वर्षों में अल्पकालीन तरलता अनुपात (एस एल आर ) को 25 प्रतिशत करने का क्रमिक स्तर स्वीकार किया गया।<sup>15</sup> इसके पीछे मूलभूत कारण अधिक से अधिक मुद्रा का निवेश हेतु चलन में प्रवाह को बनाये रखना है। ये सभी तथ्य अर्थतन्त्र को गतिशील बनाने तथा निवेश एवं लाभार्जन के प्रति संकल्प की ठोस व्यूह रचना प्रदर्शित करते हैं।

आने वाले वर्षों में भारत के अर्थिक विकास में बैंको एवं वित्तीय संस्थाओं की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। एक ओर इन पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने का दबाव यथावत् बना रहेगा तो दूसरी ओर प्रतिस्पर्धा पर आधारित बाजार व्यवस्था की ओर अग्रसर उद्योगों एवं व्यावसायिक क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी। देश में आर्थिक सुधारों तथा अर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण की जो प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। उसमें बैंकिंग प्रणाली पर आन्तरिक नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण की सशक्त व्यवस्था करते हुए बैंको को व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में खुला छोड़ देना होगा, परन्तु इसमें यह भी ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है कि भविष्य में अर्थव्यवस्था की मेरूदण्ड ये संस्थाएं फिर किसी वित्तीय घोटाले का शिकार न हो जाएं। बैंकिंग क्षेत्र में इतने बड़े स्तर पर सुधार किये जाने के बाद भी बैंकों की कार्यप्रणाली में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं दे रहा है, बैंक अधिकारियों एवं शेयर दलालों की साँठ-गाँठ से बैंकिंग भविष्य के सम्बन्ध में एक प्रश्नचिन्ह उठता है? बैंकिंग क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आने से उद्योग को तो गति मिलेगी ही साथ में उपभोक्ताओं के सेवाओं में तीव्र गति से वृद्धि होगी।

14. इकोनामिक सर्वे : भारत सरकार (वित्त मंत्रालय), पृष्ठ संख्या 31

15. इकोनामिक सर्वे : भारत सरकार (वित्त मंत्रालय), पृष्ठ संख्या 31,

### 11. मुद्रा स्फीति एवं उच्चावचन :

अर्थतन्त्र में सीमित ससाधनों के प्राथमिकता परक प्रवाह के कारण अन्य क्षेत्रों में माग प्रेरित स्थिति उजागर होने लगती है जो स्फीतिक उच्चावचन को जन्म देती है। ऐसी सीमित व्यवस्था के बावजूद अगस्त 1991 के 16.7 प्रतिशत मुद्रास्फीति के स्तर को सरचनात्मक समायोजनाओं के द्वारा जनवरी 1993 में द्विअकीय बिन्दु से नीचे 6.8 प्रतिशत लाने में सफलता मिली। जो वर्ष 1994-95 के बजट पूर्व बड़े दामों एवं अनिश्चित वातावरण के कारण 8.6 प्रतिशत हो गयी है। 15 मार्च 1998 को मुद्रा स्फीति दर 5.07 प्रतिशत हो गयी है जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम है।<sup>16</sup>

तालिका : 2.1  
(थोक मूल्यों के निर्देशांक)

#### भारत में मुद्रा स्फीति :

वर्ष	थोक कीमत सूचकांक	मुद्रा-स्फीति दर (प्रतिशत)
1984-85	121.80	6.00
1985-86	121.70	4.80
1986-87	134.20	5.10
1987-88	148.50	10.70
1988-89	156.90	5.70
1989-90	171.10	9.10
1990-91	217.80	13.60
1992-93	233.10	7.10
1993-94	256.90	10.20
1995-96	317.30	8.60
1996-97	329.20	3.75
1997-98	340.50	5.07

वर्ष 1997 के प्रत्येक माह में मुद्रा स्फीति की दर में हुए परिवर्तन इस प्रकार हैं :-

जनवरी	7.5 प्रतिशत	जून	5.2 प्रतिशत
फरवरी	8.0 प्रतिशत	जुलाई	4.0 प्रतिशत
मार्च	7.0 प्रतिशत	अगस्त	4.0 प्रतिशत
अप्रैल	6.0 प्रतिशत	सितम्बर	3.75 प्रतिशत
मई	5.15 प्रतिशत		

स्रोत: आर्थिक समीक्षा, भारत सरकार 1997-98 पृष्ठ संख्या-84.

अभी हाल में सरकार द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढोत्तरी का असर मुद्रा-स्फीति पर झलकने लगा। 6 सितम्बर 1997 को समाप्त हुए सप्ताह में मुद्रा स्फीति दर 0.38 प्रतिशत से बढकर तीन सप्ताह बाद 3.82 प्रतिशत से ऊपर 4.20 प्रतिशत पर पहुँच गया। इसके पूर्व सप्ताह में मुद्रा-स्फीति दर 3.82 प्रतिशत रही थी, जबकि समीक्षागत सप्ताह में पिछले साल 6.35 प्रतिशत अन्तिम थी। 16 अगस्त 1998 प्रतिशत को मुद्रा स्फीति ग्यारह साल के अपने न्यूनतम स्तर 3.95 प्रतिशत रह गयी। उक्त सप्ताह में मुद्रा-स्फीति की दर में 0.38 प्रतिशत की बढोत्तरी फलों एवं सब्जियों, अडा, अरहर, मूँग और मसूर आदि के मँहगा होने के फलस्वरूप दर्ज की गयी।

### 11. उदारीकरण और गैट :

कई वर्षों के उहापोह और विचार-विमर्श के बाद भारत ने अन्ततः गैट के आठवे चक्र के समझौते पर अपनी स्वीकृति दे दी। आठवे चक्र के नाम से चर्चित इस बहुपक्षीय वार्ता में डंकल प्रस्ताव पर भारत सहित दुनिया के 177 देशों ने 15 दिसम्बर 1993 की रात जेनेवा में अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी तथा 15 अप्रैल 1994 को माराकोश में 117 देशों के मंत्रियों के सम्मेलन में इसे विधिवत स्वीकार कर लिया गया।<sup>17</sup> विकसित देशों और गैट के सात वर्ष के प्रयास से यह सम्भव हो सका है। अब तक के सबसे बड़े इस व्यापार समझौते के दस्तावेज पर सदस्य देशों द्वारा औपचारिक रूप से अप्रैल माह में मोरक्को में हस्ताक्षर किये गये इसके साथ ही बहुपक्षीय व्यापार संगठन (एम टी.ओ) नाम से एक नया अन्तर्राष्ट्रीय संगठन अस्तित्व में आ जाएगा।

'गैट' के महानिदेशक पीटर सदरलैण्ड सहित विश्व के तमाम महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताया। यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंहाराव ने भी इसे वर्तमान परिस्थितियों में श्रेष्ठतम सम्भव उपाय बताया है, उनके अनुसार भारत इस बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से बाहर नहीं रह सकता था, क्योंकि उसे उर्वरकों, मशीनरी और अन्य आवश्यक वस्तुओं के आयात पर निर्भर रहना है कुछ इसी तरह का विचार वाणिज्य मंत्री प्रणव मुखर्जी का है उन्होंने कहा कि इस समझौते के बदौलत भारत के निर्यात में दो अरब डालर की वार्षिक वृद्धि होने के आसार है। भारतीय उद्योग एवं व्यापार प्रमुखों ने दो कदम और बढ़कर 'गैट' समझौते का स्वागत किया है। उद्योगपतियों का मत है कि ऐसे समय जबकि भारत में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। औद्योगिक रूप से विकसित देशों में तटकरों एवं अन्य शुल्कों व प्रतिबन्धों को हटाना या कम करना व्यापारिक दृष्टि से फायदेमंद है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद राजनीतिक संधि एवं संगठन के

17. मिश्रा, एस.के.एवं पुरी, वी.के : भारतीय अर्थव्यवस्था (पन्द्रहवाँ संस्करण) 1997, पृष्ठ संख्या 676



साथ-साथ व्यापार की एक आम सधि की भी जरूरत है और इसी क्रम में 30 अक्टूबर 1947 को जेनेवा में 23 राष्ट्रों द्वारा सीमा शुल्को व व्यापार से सम्बन्धित एक सामान्य समझौते पर हस्ताक्षर किये गये।<sup>18</sup> इसी समझौते को 'गैट' के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में 117 सदस्यों के साथ यह 'विश्व बाजार का सजग प्रहरी' के रूप में जाना जाता है।

एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था होते हुए भी गैट अपने शुरुआती वर्षों में कोई उल्लेखनीय कार्य न कर सका। यो इसकी स्थापना का उद्देश्य विश्व के तमाम देशों के बीच व्यापार को विभिन्न प्रतिबन्धों और बंधनों से मुक्त कर उसका संबर्द्धन करना था, लेकिन आरम्भ से ही इस पर अमरीका और उसके मित्र देशों का प्रभाव कायम रहा। अमरीका विश्व भर की व्यापारिक गतिविधियों को अपनी इच्छानुसार संचालित करना चाहता था। विश्वयुद्ध में सफलता के बाद उसकी यह इच्छा अत्यन्त प्रबल हो उठी। ऐसी स्थिति में उसने 'गैट' को अपना माध्यम बनाया। दूसरी तरफ अमरीका और उसके मित्र देशों का सहयोग पाकर 'गैट' को भी शक्ति मिली और शीघ्र ही वह इस रूप में आ गया कि अन्य देशों के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता था।

गैट के अब तक आठ चक्र हो चुके हैं। इसका पहला चक्र वर्ष 1947 में जेनेवा में, दूसरा वर्ष 1949 में एनेसी (फ्रांस), तीसरा वर्ष 1950-51 में तोर्के (इंग्लैण्ड में) चौथा वर्ष 1956 में जेनेवा, पाँचवा वर्ष 1960-61 में जेनेवा में, छठा वर्ष 1964-67 में जेनेवा में, सातवाँ वर्ष 1973-79 में जेनेवा में सम्पन्न हुआ। गैट का आठवाँ और सर्वाधिक महत्वपूर्ण उरुग्वे चक्र 20 सितम्बर 1986 को उरुग्वे के पुन्टाडेल एस्टे नगर में शुरू हुआ। 15 दिसम्बर 1993 को जेनेवा में समाप्त इस चक्र में कुल 118 देशों ने 20 समझौते को स्वीकृति प्रदान कर दी। आर्थर डकल ने दिसम्बर 1991 में एक पाँच सौ पृष्ठीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इस प्रस्ताव में वस्तुओं व सेवाओं के व्यापार के सम्बन्ध में दुनिया के विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक सम्बन्ध बढ़ाने पर बल दिया गया था। इसमें आयात शुल्कों में लगभग एक तिहाई की कमी तथा कृषि उत्पादन सम्बन्धी व्यापार पर आयात प्रतिबन्धों को घटाने की व्यवस्था थी।

इसमें विकासशील देशों को अपने उत्पाद प्रक्रिया पेटेंट को समाप्त करने की बात भी कही गई थी, जिससे धनी देशों की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अपने विकास व विस्तार का अच्छा मौका मिल

सके। गैट के इस नये समझौते के पीछे अमरीका आदि विकसित देशों का एकमात्र उद्देश्य विकासशील देशों की व्यापार प्रणाली एवं मण्डलों पर अपना आधिपत्य जमाना है। प्राकृतिक सम्पदा से परिपूर्ण एक प्रमुख विकासशील देश होने के कारण भारत को इसमें शामिल करने का शुरु से ही प्रयास किया गया। सितम्बर, 1986 में उरुग्वे चक्र में भारत ने पूरी तैयारी के साथ हिस्सा लिया और इसकी प्रारम्भिक बातचीत में भारत के तत्कालीन वाणिज्य मंत्री श्री वी पी सिंह ने अच्छी भागीदारी की। भारत ने इस बातचीत में न केवल अपनी बल्कि सभी विकासशील देशों की कठिनाइयों को पूरे जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया, लेकिन भारत का यह रूख अधिक समय तक कायम न रह सका। अप्रैल, 1989 में राजीव गान्धी की सरकार ने यह स्वीकार कर लिया कि 'ट्रिप्स' यानी व्यापार सम्बन्धी बौद्धिक सम्पदा अधिकार पर गैट में बातचीत हो सकती है।

वास्तव में राजीव गान्धी के सन् 1984 में सत्ता में आने के साथ ही भारत में खुलेपन का नया युग आरम्भ हो गया था। विश्व समाजवाद पीछे छूट गया, ऐसी स्थिति में भारत गैट समझौते से बहुत अधिक दिन तक दूर कैसे रह सकता था? जून 1991 में नरसिंहा राव के प्रधानमंत्री बनने के बाद तो भारत में आर्थिक सुधारों की गति और तेज हो गई। वित्तमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह के देखरेख में भारतीय आर्थिक नीति सीधे विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अमरीका के दबाव में पहुँच गई। यह दबाव 1992 तक इस सीमा तक पहुँच गया कि भारत को किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के लिए मजबूर किया जा सकता था और हुआ भी यही। भारत ने मई 1993 में गैट समझौते के अधिकांश भागों पर अपनी सैद्धान्तिक सहमति दे दी।

वास्तविकता यह है कि अनेक मामलों में विदेशों पर निर्भरता के कारण ही भारत को गैट समझौते को स्वीकार करना पड़ा है। ऋण के भारी बोझ के चलते भारत इस स्थिति में नहीं रह गया था कि वह अमरीका आदि विकसित देशों के समक्ष अपनी कोई बात दृढ़ता के साथ रख सकता जैसे भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की हिस्सेदारी मात्र 0.5 प्रतिशत है।<sup>19</sup> इस क्षमता पर विकसित देशों को अपनी शर्तों पर मजबूर कर पाना ऐसा सोचना ही बेमानी है। इसके बाद उसके पास बस दो ही रास्ते बचते थे, या तो वह समझौते को स्वीकार करता या फिर गैट से बाहर निकल जाता।

निःसंदेह गैट समझौते से अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार में अभूतपूर्व परिवर्तन होगा इससे पूर्व किसी अन्य समझौते अथवा विधान ने व्यापार सम्बन्धी इतने बंधन नहीं तोड़े थे। इससे विश्व व्यापार में जहाँ सरगर्मी बढ़ेगी, वहीं भारत आदि विकासशील देशों की विश्व की आर्थिक महाशक्तियों के साथ

19. मिश्रा, एवं पुरी, वी.के. : भारतीय अर्थव्यवस्था (15वाँ संस्करण) 1997, पृष्ठ संख्या 677

व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का मौका भी मिलेगा। इससे प्रत्येक के लिए व्यापारिक खेल के नियम बदल जायेंगे 'गैट' के महानिदेशक पीटर सदरलैण्ड के अनुसार विश्व व्यापार का 95 प्रतिशत से अधिक भाग अब समान शुल्क के माध्यम से संचालित होगा। इसके परिणाम स्वरूप व्यापार बढ़ने से, भारत का लाभ होगा, यह आशा की जा रही है कि गैट समझौते से विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी करीब दो अरब डालर वार्षिक तक बढ़ जायेगी। इसके अतिरिक्त समझौते से विकसित देशों के बैंको, बीमा कम्पनियों, जहाजरानी, जनसंचार, वायु सेवाओं आदि को भारत आने की पूरी छूट मिल जायेगी और भारत के इंजीनियरों, डॉक्टरों, प्रबन्ध विशेषज्ञों, कारीगरों, वकीलों व चार्टर्ड एकाउण्टेंट आदि विविध विषयों के विशेषज्ञों को दूसरे देशों में कार्य करने का सहज अवसर प्राप्त होगा। इससे देश में विदेशी मुद्रा भण्डार बढ़ेगा, लेकिन जानकार लोगों का मानना है कि ये सभी लाभ अल्पावधि के लिए ही होंगे। इस समझौते से भारत को दीर्घावधि में हानि पहुँच सकती है। गैट समझौते के अन्तिम चरण में भारत द्वारा प्रस्तुत संशोधनों एवं परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्तावों पर अमरीका आदि विकसित देशों ने जिसे उपेक्षात्मक रवैये का परिचय दिया है। उससे यह साफ हो गया है कि भारत जैसे विकासशील देशों की समस्याओं की ओर आगे भी कम ध्यान दिया जायेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वैसे भी हमेशा समृद्ध देशों को लाभ होता है। गैट समझौते के बाद इस बात के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं कि विकसित देशों के बाजार में भारत की पहुँच कम ही हो पायेगी। जबकि इसके अपने बाजार में विकसित देशों की पूरी पैठ हो जायेगी। गैट समझौते से भारत में दवाएं काफी महंगी हो जायेगी। हालांकि वाणिज्य मंत्री प्रणव मुखर्जी ने 17 दिसम्बर को ससद में आश्वासन दिया है कि किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी में गैट समझौते की वजह से कोई कटौती नहीं की जायेगी, लेकिन प्रेक्षकों का मानना है कि यह स्थिति अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सकती। सरकार को शीघ्र ही अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा। इस तरह की सहायता रासायनिक उर्वरकों, उन्नत बीजों सिंचाई आदि के लिए प्रदान की जाती है। अतः सहायता कम करने से उर्वरकों, बीजों आदि के मूल्य बढ़ने स्वाभाविक है।

इस समझौते के परिणाम स्वरूप देश में अब उन्नत बीजों का 'पेटेन्ट' कर दिया जायेगा अर्थात् इन बीजों को पेटेन्ट धारक विदेशी फर्मों मनमाने मूल्यों पर बेचेंगी। इसी तरह कपड़ा निर्यात के क्षेत्र में धनी देश अपने कोटा सिस्टम को और दस वर्षों के लिए बनाए रखेंगे और उसके बाद ही भारत अपने कपड़ा और गार्मेन्ट्स के मुक्त निर्यात हेतु स्वतन्त्र होगा।

इस तरह गैट के नये समझौते से भारत को अब जहाँ कुछ फायदे होंगे वहीं अनेक क्षेत्रों में इसे नुकसान भी उठाना पड़ेगा। भारत में आर्थिक उदारवाद का बहुआयामी अध्ययन यह

प्रदर्शित करता है कि भारतीय औद्योगिक एवं व्यापार तन्त्र में पुनर्संरचना एवं घरेलू प्रतिस्पर्धा में सुधार के माध्यम से व्यापक स्तर पर निवेश वृद्धि, करों में लचीलापन, भुगतान संतुलन, विदेशी मुद्रा भण्डार में वृद्धि, मुद्रा-स्फीति में कमी आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। वर्ष 1993-94 में व्यापार शेष पर गत वर्षों के 4 बिलियन डालर घाटे का 1 बिलियन डालर पर लाया गया। निर्यात के क्षेत्र में मदी के बाद भी 21 प्रतिशत (अमरीकी डालर के सापेक्ष) वृद्धि दर्ज की गयी, जबकि उदारीकृत - गैर नियन्त्रित व्यवस्था के बाद आयातों में 1.3 प्रतिशत की कमी आयी।

आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष जो कि अगस्त 1991 में 1.1 बिलियन डालर था मार्च 1994 तक लगभग 1.3 बिलियन डालर पहुँच गया। सामान्यतया इसे दो कारणों से जोड़ा जा रहा है- 1. तेल कीमतों में गिरावट वर्तमान में 13 डालर प्रति बैरल, 2- रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता। आर्थिक उदारीकरण के कारण निवेश क्षेत्र में भी गत वर्ष के मुकाबले 20 गुना अधिक (3000 मिलियन डालर) निवेश हुआ है। यह निवेश प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में विशेषकर प्रौद्योगिकी, विद्युत, तेल, खाद्य प्रसस्करण, रसायन, इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्रों में मुख्य रूप से है। वर्ष 1991-92 में मुद्रा सामंजस्य तथा रुपये की परिवर्तनीयता के कारण जहाँ एक ओर बास्केट करेन्सी के सापेक्ष रुपये के विनिमय दर में स्थिरता रही, वहीं रुपये को परिवर्तनीय बनाकर हवाला मार्केट की अनियमितताओं को दूर किया गया। इसका परिणाम यह रहा कि भारतीय निर्यातों में गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुधार हुए। स्वर्ण बाण्ड तथा अन्य सम्बन्धित योजनाओं से 1993 के प्रारम्भ तक 92 टन सोना देश में आया। इसके दो स्पष्ट लाभ रहे - 1. 210 करोड़ रुपये का विदेशी मुद्रा में राजस्व की प्राप्ति, 2. अवैध व्यापार उन्मूलन तथा कृत्रिम भावों में कमी।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और उदारीकृत भारतीय अर्थव्यवस्था के मध्य गैट या डंकल प्रस्ताव एक अहम् प्रश्न है। यद्यपि इस पर अभी भारतीय पक्ष से कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है किन्तु इसके प्रभावों का देश के परिप्रेक्ष्य में सापेक्ष विश्लेषण करना तर्कसंगत होगा। सामान्य रूप से अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत को इस प्रस्ताव के मानने से कमोवेश 2 बिलियन डालर की निर्यात आय प्राप्त होगी। कृषि आयातों के लिए भारत पर दबाव नहीं होगा क्योंकि वे गैट के भुगतान संतुलन सुधार सीमा के अन्तर्गत हैं। सेवाओं के क्षेत्र में आपसी समझ को वरीयता दी जा रही है। इस प्रस्ताव में दो मुश्किलें हैं जो भारतीय जनमानस को संशोधित किये हुए हैं -1.

बीजो के पेटेटीकरण, 2 दवाओ के पेटेटीकरण। पेटेटीकरण के क्षेत्र मे एक भ्रान्ति मूलक धारणा का समाधान यह है कि बीजो को पुनः बोया तथा अनौपचारिक लेन-देन हेतु प्रयोग किया जा सकता है। दवाओ के क्षेत्र मे 10 प्रतिशत पेटेट विदेशी हाथो मे जाने की सभावना है। इसके लिए हमे स्वयं भी तैयार रहने की जरूरत है। वैसे सरकार इनके मूल्यो को आंकलित कर नियन्त्रित कर सकेगी तथा कठिन प्रतिस्पर्धा के कारण मूल्य बढने की सम्भावनाएं कम होगी।

आर्थिक उदारवाद बाहरी मोर्चे पर सफल, किन्तु आन्तरिक मोर्चे पर विफल नजर आ रहा है। इस वर्ष 1993-94 में कुल घरेलू उत्पाद 5.6 प्रतिशत के मुकाबले 3.8 प्रतिशत प्राप्त किया गया। औद्योगिक क्षेत्र मे निष्पादन गत वर्ष के 1.8 प्रतिशत से कम 1.6 प्रतिशत रहा। उपभोक्ता वस्तुओं में सुधार तथा पूँजीगत सामान के क्षेत्र में 8.8 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी। कृषि क्षेत्र में 1992-93 में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि दर के मुकाबले वर्ष 1993-94 में 0.9 प्रतिशत की कमी, खाद्यान्न क्षेत्र में 0.5 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी। इसके बावजूद एक विरोधाभास नजर आता है जो कि कृषि पदार्थों के 40 प्रतिशत निर्यात वृद्धि को रेखांकित करता है। निर्माण क्षेत्र मे सुधार के साथ-साथ आधारभूत क्षेत्रों मे 5 प्रतिशत निष्पादन सुधरा जो एक उल्लेखनीय प्रगति का सूचक है।

इस प्रकार आर्थिक उदारवाद के समेकित अध्ययन एवं विश्लेषण से देश के लिए इसकी अपरिहार्यता सिद्ध होती है, पर इससे जुडी आशकाओ, यथा विदेशी पूँजी का अधिकाधिक वरीयता प्राप्त क्षेत्रों मे निवेश, आयात शुल्क कटौती से भारी आयात एवं इससे आन्तरिक उद्योगो को क्षति, दवाओं के क्षेत्र मे बढ़ता वर्चस्व, संरक्षण की कमी से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा क्षमता विकास में कमी, भारी मात्रा मे लाभाशों का बहिर्गमन आदि ऐसे मूलभूत कारक है जिन्हे झुठलाया नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति मे देश का विकास एवं संकल्पना मात्र ही रह जायेगा जबकि वह एक साथ मंदी और स्फीति की स्थितियो से जकड़ा जा रहा है, राजकोषीय घाटा लक्ष्य पार करके दो गुना होता जा रहा है जिसके लिए चालू खाते पर गैर योजनागत खर्च का 53 प्रतिशत (46000 करोड़ रुपये) व्याज अदायगियों पर सब्सिडी पर लगभग 1000 करोड़ रुपये पानी एवं बिजली दरों में कमी, श्रम कानूनों की अकुशलता, कोयला एवं पेट्रोलियम उत्पादों में अनुदान आदि ऐसे कारक है जिनको आंशिक और कालान्तर में सुनियोजित तरीके से समाप्त नहीं किया जाता। सरकार को अपने खर्चे (16000 करोड़ रुपये) पर नियंत्रण लगाना होगा तथा

उद्योग में अपनी भागीदारी को शेयर निर्गमन के माध्यम से कम करके एव नियामक के रूप में स्थापित करना पड़ेगा तब कहीं जाकर हम दक्षिण कोरिया, जापान और जर्मनी की खुली हवा से प्राप्त लाभों के सपनों को सजो पायेंगे और चीन की तरह अनुशासित, चरणबद्ध, समेकित एवं मूल्यांकित योजनाएं तैयार करके (चीन की तुलना में हमारे यहाँ अधिक उदारीकरण तथा विकास हेतु अधिक ससाधन भी हैं) तभी देश के अर्थतन्त्र को ठोस सरचनात्मक सूत्र में बाँधकर बदलते आर्थिक विश्वीकरण व्यवस्था से जोड़ पायेंगे।

## समीक्षा :

क्या ग्रामीण एव नगरीय क्षेत्रों में उदारीकरण के माध्यम से लोगों की संख्या गरीबी रेखा के नीचे कम हुई है? उत्तर स्पष्ट है, नहीं, बल्कि गरीबी रेखा के नीचे ज्यादा लोग आ गये हैं यानी उदारीकरण से गरीबी बढ़ी है। नगर एव ग्रामीण क्षेत्रों में क्या बेरोजगारी बढ़ी है? फिर उत्तर होगा नहीं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के 'विश्व आर्थिक दृष्टि' अक्टूबर 1993 के अनुसार 22 औद्योगिक देशों में बेरोजगारी असहनीय स्थिति में पहुँच गई है एव उनकी संख्या 32 करोड़ (विश्व श्रम सघटन के अनुसार 3.50 करोड़) जो आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओ.ई.सी.डी.) के अनुसार वर्ष 1994 में 360 करोड़ में हो जायेगी। जिसमें फ्रांस में 12 प्रतिशत, जर्मनी में 15.3 प्रतिशत कनाडा में 11.4 प्रतिशत और संयुक्त राज्य अमेरिका में आज बेकारी लगभग बढ़कर 6 प्रतिशत हो गयी है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, वर्ष 1990-2000 के बीच भारत में सकल श्रम शक्ति में वृद्धि लगभग 8 करोड़ लोगों की होगी, जिससे यदि भारतीय अर्थव्यवस्था में 9 से 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि होगी तो 'बैकलाग' रहेगा। असल में रोजगार पैदा करने में आधुनिक उद्योग का रिकार्ड अत्यन्त कमजोर रहा है। फिर उदारीकरण के नाम पर बाहर से आये हुए उद्योग तो अति उच्च तकनीक स्तर पर आधारित होंगे, जिसमें बेरोजगारी की बढ़ती मात्रा और गरीबी की उच्च वृद्धि दर वर्ष 1973-74 में ग्रामीण आबादी में 56.4 प्रतिशत एवं शहरी आबादी में 49 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे थे।<sup>20</sup> अस्सी के दशक में हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर लगभग 5.5 प्रतिशत, किन्तु रोजगार में वृद्धि 1.8 प्रतिशत के आस-पास है। निष्कर्ष बेरोजगारी श्रम बाजारों के सुधारों से हालत और खराब हो रही है। असल में उनके विकास का ढाँचा स्वयं बेरोजगारी पैदा करने वाला है, क्योंकि वे कम्प्यूटरीकरण और रोबटीकरण जैसे अग्रिम तकनीक पर निर्भर होने के कारण श्रम विस्थापक है। यहाँ तो विकास विस्थापन का पर्यायवाची बन पाता है, क्योंकि यहाँ रोजगार विहीन उत्पादन का लक्ष्य है, ताकि अधिक मुनाफा मिल

सके। क्या उदारीकरण से वास्तविक आय में विषमता घटी है? पुन एक ही उत्तर है, नहीं।

आज के प्रौद्योगिकी युग में पूँजीवाद के स्वरूप में गुणात्मक अन्तर है। आज तो संग्रह की सीमा नहीं है। वैश्वीकरण के कारण उससे संघर्ष भी मुश्किल है। उदारीकरण में न केवल मालिक बल्कि व्यवस्थापकों की आय एवं वेतन में मजदूरों की अपेक्षा भारी अन्तर है, अतः समाज में आर्थिक विषमता बढ़ी है, जो खतरनाक है। सामाजिक कार्यों के स्वैच्छिक क्षेत्र उदारीकरण ने क्या प्रगति लायी है। यह मानना होगा कि सिद्धान्ततः भले ही उदारीकरण से जन अभिक्रम को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, किन्तु बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के जजीरों में जकड़ा हमारा दैनिक जीवन स्वावलम्बन के लिए तडफड़ा रहा है। स्वावलम्बी उत्पादकों को जहाँ जो भी समाज शेष बचा है, वह विदेशी कम्पनियों के विनाशकारी विकास के चलते नष्टप्राय हो चला है। पुरतैनी धन्धों, कूटीर उद्योग और हस्तशिल्प को रौंद दिया। ये कहने के लिए तो रोजगार के अवसर मुहैया करायेगी, निर्यात बढ़ायेगी एवं अपने साथ पूँजी लायेगी, लेकिन ये मुश्किल से 5 प्रतिशत पूँजी लाती है, 95 प्रतिशत तो यहीं से उगाहती है। आधुनिक तकनीक से काम करने से रोजगार पाने वालों की संख्या कम होती है।

क्या उदारीकरण के कारण भारत का धन विदेश तो नहीं जा रहा है? इसमें क्या शक की बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ यहाँ धन कमाने के लिए आती हैं यहाँ दान करने नहीं, पेप्सी को ही लें। इन्होंने पंजाब में टमाटर के बीज 1000 रुपये किलो पर बेचे, लेकिन बाद में टमाटर खरीदा नहीं। आज तो किसी कम्पनी के 25 प्रतिशत शेयर विदेशी कम्पनियाँ खरीद सकती हैं और धीरे-धीरे उनका वर्चस्व होता है। शेयर बाजार के कामकाज की समीक्षा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष श्री जी.एस. पटेल की राय में हमारे शेयर बाजार में विदेशी निवेशकर्ताओं को अल्प अवधि के लिए भी कारोबार करने की छूट में सरकार के खिलाड़ी या जुआरी, जिसकी उनकी प्रवृत्ति है। मुम्बई शेयर बाजार के अध्यक्ष एस.जी. दामानी ने भी चेतावनी दी कि विदेशी वित्तीय संस्थाएँ पैसे के बल पर भारतीय शेयर बाजार को तबाह करने पर आमादा हैं।

क्या उदारीकरण से आन्तरिक एवं विदेशी कर्जों में सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अनुपात में राहत हुई है। यह स्पष्ट है कि हम कर्जखोरी के भयानक मकड़जाल में फँस गये हैं। भारत सरकार को जितना विदेशी कर्ज मिल रहा है उससे ज्यादा भुगतान उसे पिछले कर्ज के मूलधन की वापसी और ब्याज के रूप में करना पड़ रहा है। वर्ष 1993-94 के पहले छः माह में भारत को विदेशों से 2883 करोड़ रुपये की सहायता मिली, लेकिन उसने मूलधन ब्याज के रूप में 4559 करोड़ रुपये का भुगतान किया अर्थात् 1676 करोड़ रुपये देश से बाहर गया। विदेशों से मिलने वाली मद्द वास्तव में

ऋणात्मक हो जाती है। उदारीकरण का चमत्कार बताने के लिए कहा गया कि विदेशी मुद्रा का भंडार 2 अरब डालर से बढ़कर 8 अरब डालर हो गया, लेकिन यह वृद्धि व्यापार से और कमाकर नहीं हुई। यह तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और दुनिया के देशों से कर्ज लेकर हुई है। भारत का विदेश व्यापार तो अभी तक घाटे में चल रहा है। विश्व बैंक के अनुसार भारत पर विदेशी कर्ज वर्ष 1980 में 20.58 अरब डालर था जो वर्ष 1992 में बढ़कर 77 अरब डालर (जिसमें प्रतिरक्षा आदि के कुछ खर्च शामिल नहीं है) हो गया। सब मिलाये, तो वर्ष 1992-93 में भारत के पास 87 अरब डालर का कर्ज है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी कर्ज 100 अरब डालर के लगभग होगा। विदेशी कर्ज 137 प्रतिशत के अनुपात में भारत का निर्यात वर्ष 1991-92 में 371 प्रतिशत हो गया आम तौर पर 220 प्रतिशत से ज्यादा होना चिन्ताजनक है। तीसरी दुनिया में भारत आज चौथे नम्बर का कर्जदार है।

उदारीकरण में भ्रष्टाचार शिष्टाचार हो जाता है, क्योंकि भारत में उदारीकरण के जनक डॉ॰ मनमोहन सिंह हजारों करोड़ रुपये के घोटाले की तुलना गाँव में छोटी-मोटी चोरी से हरगिज नहीं करते। उन्हीं के कारकून जानकी रमण ने प्रतिभूति घोटाले में 3500 रुपये का सी.बी.आई के अनुसार यह 8000 करोड़ रुपये एवं संयुक्त ससदीय समिति (जे.पी.सी.) के अनुसार 6000 रुपये एवं अन्य अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक लाख करोड़ रुपये का घोटाला हुआ<sup>21</sup> घोटाले तो अन्तहीन रूप से हमारे समक्ष आ रहे हैं। इससे राजनीतिक भ्रष्टाचार तो भयावह होता है।

हथियारों के बाद सबसे ज्यादा दवा के व्यापार पर ही लाभ होता है। दवा रोजगार ने भारत की देशी चिकित्सा पद्धति को चौपट तो कर ही दिया, हमें इन दवाओं का गुलाम बना दिया गया। वर्ष 1981 में हैस्कट कम्पनी के पूँजीगत वस्तुओं के आयात पर 5.24 करोड़ रुपये ले गयी, जबकि उनकी मूल पूँजी केवल 20 लाख रुपये थी। सीबा, जायजी 4.70 करोड़ रुपये ले गयी जबकि उसकी पूँजी केवल दो लाख रुपये लगी थी, सैंडोज 7.78 करोड़ रुपये ले गयी जबकि उसकी मूल पूँजी 10 लाख रुपये लगी थी, लैक्सो 3.48 करोड़ रुपये ले गयी जबकि उसकी मूल पूँजी 1 लाख रुपये थी। इसका मतलब यह हुआ कि ये अपनी बहुत पूँजी लाती हैं, यह असत्य एवं भ्रमपूर्ण स्थिति को उत्पन्न करती हैं। ये कम्पनियाँ आवश्यक शोध कार्य पर कुल व्यय का 8 प्रतिशत धन खर्च करती हैं और मार्केटिंग पर 40 प्रतिशत धन खर्च करती हैं। दवा के नाम पर मुनाफा के लिए ऐसी दवायें बनाती हैं जो घातक एवं जहरीली होती हैं एवं जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चलाने से मना कर दिया। इन प्रतिबन्धित दवाओं पर 1800 रुपये का केवल भारत में इन्हें मुनाफा मिला। नशा माफिया आज राजनीति पर हावी



हो रहा है, चाहे वह मैक्सिको हो या पाकिस्तान कहा जाता है कि उदारीकरण से विदेशी पूँजी का निवेश सुलभ होता है, लेकिन यह गलत है कोरिया, ताइवान, जापान जैसे विकसित देश ने अपने यहाँ उदारीकरण के लिए स्वदेशी से समझौता नहीं किया। छोटे से वियतनाम को भारत से 30 से 40 गुना अधिक विदेशी पूँजी का निवेश मिला। चीन को साम्यवादी होते हुए भी भारत से 30-50 गुना ज्यादा पूँजी मिली। इस प्रकार सच्चा विकास विदेशी सहायता या विदेशी मुद्रा से सम्भव नहीं है। विकास तो जनता के कौशल एवं अभिक्रम पर एवं प्राकृतिक ससाधनों के कुशलता पूर्वक दोहन करने पर निर्भर रहता है। वर्ष 1997-98 के बजट में बेरोजगारी घटाने का कोई रास्ता नहीं था। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों युद्ध का उसी प्रकार इन्तजार करती हैं, जिस प्रकार मृत जानवर को गीध देखता है। अभी हाल के खाडी युद्ध में 3000 अरब रुपये के हथियार इस्तेमाल हुए ।

असल में विकास की जो अवधारणा भारत ने स्वीकार की उदारवाद उसकी तार्किक परिणति है। हमने तो गाँधी के विकास की अवधारणा के बदले पाश्चात्य प्रभावित महालनोबिस मॉडल को माना। प० नेहरू जी एवं बाबा साहब अम्बेदकर दोनों गाँधी जी के ग्राम विकास की अवधारणा को प्रगति विरोधी एवं दकियानूस मानते थे। यही कारण है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद कृषि को योजना में प्राथमिकता मिली ही नहीं। नेहरू जी को गाँधी ने याद दिलाया था, अगर गाँवों का नाश होता है तो भारत का भी नाश हो जायेगा। उस हालत में भारत, भारत नहीं रहेगा। उनका दिमाग साफ था। हमें गाँवों वाला भारत एवं शहरों वाला भारत इन दोनों में से एक को चुन लेना है। 'भारत माता ग्रामवासिनी' वेद ने भी इसीलिए ग्राम की उपासना की है। 'विश्व पुष्टे अस्मिन् ग्रामे अनातुरम्' हमारी ग्राम भावना एक तरफ स्वदेशी पर आधारित है तो दूसरी ओर हमारा लक्ष्य 'वसुधैव कुटुम्बकम्' है। यही हमारा स्वराज्य है, यही हमारा रामराज्य है। आने वाले वर्षों में भारत के आर्थिक विकास में बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। एक ओर इन पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने का दबाव यथावत बना रहेगा तो दूसरी ओर प्रतिस्पर्धा पर आधारित बाजार व्यवस्था की ओर अग्रसर उद्योगों एवं व्यावसायिक क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी। देश में आर्थिक सुधारों तथा आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण की जो प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है, उसमें बैंकिंग प्रणाली पर आन्तरिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण की सशक्त व्यवस्था करते हुए बैंकों को व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में खुला छोड़ देना होगा, परन्तु इसमें यह भी ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है कि भविष्य में अर्थव्यवस्था की मेरूदण्ड ये संस्थाएं फिर किसी वित्तीय घोटाले का शिकार न हो जाएं।

आर्थिक सुधारो एवं उदारवादी नीतियो के परिणामस्वरूप भारतीय पूँजी बाजार का व्यापक रूप से सुधार एव विस्तार हुआ है जिससे औद्योगिक विकास की नवीन सभावनाए भी पैदा हुई है पूँजी बाजार मे लाभ की सभावनाए बढ जाने के कारण बहुत से छोटे-छोटे निवेशकर्ता, जो अब तक बैंको एवं डाकघरो की दीर्घावधि योजनाओ में निवेश करते थे, पूँजी बाजार मे निवेश करने को उद्यत हुए है, लेकिन इसी बीच प्रतिभूति घोटाले और उसके बाद शेयरो के मूल्यों मे आई भारी मंदी ने सर्वाधिक हानि छोटे निवेशको को ही पहुँचाई है। ऐसी परिस्थिति मे सरकार की ओर से कुछ उपाय भी किए गए हैं, लेकिन ये अभी तक कारगर सिद्ध नहीं हो पाए हैं। यथार्थ मे इस स्थिति से उबरने के लिए भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, प्रमुख वित्तीय सस्थाओ, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े अधिकारियों एवं मध्यस्थो को सामूहिक रूप से ऐसे प्रयास करने होंगे, जिससे पूँजी बाजार की खोई प्रतिष्ठा पुनः वापस हो सके।

### **भारतीय अर्थव्यवस्था भूमण्डलीकरण से उदारीकरण की ओर :**

भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण एवं भूमण्डलीकरण प्रक्रिया को गति देने के उद्देश्य से ऑठवी पंचवर्षीय योजना के लिए नई आयात-निर्यात नीति की घोषणा की गई, जिसका बृहद उद्देश्य व्यापार में न्यूनतम प्रतिबन्ध, अधिक स्वतन्त्रता एवं न्यूनतम प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करना था। 1 अप्रैल 1993 को पुनः संशोधन के साथ आयात-निर्यात नीति में परिवर्तन करके इसे अधिक उदार बनाया गया और साथ ही आयात-निर्यात की निषिद्ध सूचियों में भारी कटौती करके विदेशी व्यापार का सरलीकरण किया गया।

भारतीय नियोजन का पाँचवा दशक आर्थिक सुधारो की श्रृंखला के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमण्डलीकरण की ओर मोड़ता है। अर्थव्यवस्था मे लाइसेंस, कोटा नियन्त्रण आदि मे उदारीकृत दृष्टिकोण अपनाकर अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का दौर आरम्भ किया गया। उदारीकरण का एक जुड़वा पहलू है - निजीकरण, उदारीकरण दृष्टिकोण को स्थिरता देने के उद्देश्य से लोक उपक्रमों की बढ़ती अक्षमता एवं बढ़ते घाटे को ध्यान में रखकर सार्वजनीकरण की नीति के स्थान पर निजीकरण एवं औपनिवेश नीति को बढावा दिया गया। अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन का यह दौर उदारीकरण एवं निजीकरण की सीमाओं तक ही केन्द्रित नहीं रहा, बल्कि आज यह अर्थव्यवस्था के भूमण्डलीकरण के रूप में परिलक्षित हो रहा है। भूमण्डलीकरण व्यापारिक क्रियाओं विशेषकर विपणन सम्बन्धी क्रियाओं का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करना है, जिसमें विश्व बाजारों के मध्य पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न करके देश की व्यापार सीमाओं को तोड़कर

सम्पूर्ण विश्व बाजार को एक ही क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। भारत में भूमण्डलीकरण का सूत्रपात देशों के मध्य प्रशुल्क एवं अन्य नियन्त्रणात्मक अवरोधों को समाप्त करके घरेलू उद्योगों को विदेशी वस्तुओं की कड़ी प्रतिस्पर्धा योग्य बनाने का प्रयास है। भारतीय बाजार को शेष विश्व के लिए आंशिक रूप से खोल देने की भूमण्डलीकरण की यह नीति निःसन्देह देश के संरक्षणवादी दृष्टिकोण से पलायन है।

भूमण्डलीकरण आज का युगधर्म है। इस पर शक्य करना या इसके विरोध में कुछ कहना उपहास या पिछड़ेपन की निशानी माना जाने लगा है। इसके समर्थक पूरी दुनिया में बैठे हैं। उनमें ग्लोबलाइजेशन के ऐसे भी भक्त हैं जो ग्लोबलाइजेशन की निंदा को ईश्वर निंदा जैसा अपराध मानते हैं। इनकी मान्यता है कि किसी एक देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के कल्याण के लिए यह अवतार हुआ है। सदियों से दुनिया के सभी हिस्सों में इंसान त्रस्त रहा है, भूख से बीमारी, गरीबी और बेरोजगारी से राष्ट्र की संकरी दीवारों से बंधे सभी इंसानों का जीवन का सुख नहीं पा सके हैं। ग्लोबलाइजेशन संकीर्णता का बंधन तोड़ देगा, दुनिया एक गाँव की तरह बन जाएगी और जो संसार में वैभव है, उनमें सबकी हिस्सेदारी हो जाएगी। एक नयी दुनिया बनेगी जिसमें न दुःख दारिद्र्य होगा और न गैर बराबरी। ग्लोबलाइजेशन के प्रणेता यह सभी मानते हैं कि यह तो एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिसको विज्ञान, तकनीकी, खास तौर से सूचना तकनीकी के विकास ने तेज गति दी है। सूचना तन्त्र सारी दुनिया को जोड़ देता है, क्षणभर में दुनिया के किसी भी भाग से संबंध कायम किया जा सकता है। इसलिए वे लोग मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन अवश्य संभावी है, इसकी प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है।

ग्लोबलाइजेशन के लिए हिन्दी में कई शब्द प्रचलित हुए हैं जैसे - भूमण्डलीकरण, वैश्वीकरण, जगतीकरण जिस अर्थ में इसे व्याख्यापित किया जा रहा है, वह एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, जिसमें देशों की अर्थव्यवस्था और व्यापार खुले, जिसमें आपस में जुड़े राष्ट्रों के नियम-कानून ढीले हों या समाप्त हों, जिससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों कहीं भी बेरोकटोक कारोबार कर सकें, मुक्त बाजार व्यवस्था बनें, पूँजी एक देश से दूसरे देश में बेरोकटोक जा सकें। इसका आधार मुक्त विनिमय और वैश्विक प्रतिस्पर्धा है। ग्लोबलाइजेशन के जो तत्व हैं, वे कोई नये नहीं हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तो आदिकाल से चला आ रहा है, तेज अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन अनेक दशकों से चल रहा है। पिछले 50 साल से तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों भी अपना कारोबार दुनिया में फैला रही हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण फली-फूली सभ्यता का लोप हो सकता है और वे सदियों तक उपनिवेश बन सकते हैं, यह कोलम्बस और वास्कोडिगामा की 500 साल पहले की यात्राओं के बाद

दुनिया ने देखा है। इस समय के ग्लोबलाइजेशन में दो बातें नहीं हैं। एक तो यह कि सोवियत संघ का विघटन हो जाने से इस व्यवस्था को कहीं से ताकतवर तरीके से प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें अमरीका और इंग्लैण्ड बड़ी चतुराई से अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं-विश्व बैंक और मुद्राकोष की मदद से इस व्यवस्था को सम्मानजनक ढंग से दुनिया पर लागू कर रहे हैं। अस्सी के दशक के शुरू में पश्चिमी विकसित देशों में भारी मंदी का दौर चल रहा था। उससे निकलने के लिए दुनिया, खास तौर से तीसरी दुनिया के देशों में बाजारों को खोलने की व्यापक योजना तत्कालीन अमरीकन राष्ट्रपति रीगन और ब्रितानी प्रधानमंत्री थैचर ने मिलकर बनाई।

यह थैचर-रीगन का 'नई विश्वव्यवस्था' का मॉडल ही ग्लोबलाइजेशन के रूप में दुनिया में फैलाया जा रहा है। सत्तर के दशक के तेल संकट और असंतुलित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण विकासशील देश कर्ज से लदते गये। उन्हें कर्ज से निजात दिलाने के लालच में विश्व बैंक और मुद्राकोष ने ढाँचागत समायोजन कार्यक्रम अस्सी के दशक के शुरू में लगभग 76 देशों पर लागू किया, जिसमें थैचर-रीगन मॉडल के सभी तत्व विद्यमान थे। देश केवल समझौते से ही इस मॉडल को अंगीकार न करे, बल्कि कानूनी ढंग से इससे वे बंध जाए, इसके लिए गैट समझौते के आँठवे चक्र-उरुग्वे चक्र को विकसित देशों ने अपने ढंग से चलाया और उनमें से विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) 1994 में बनाया जो अब कानूनी रूप से ग्लोबलाइजेशन को दुनिया पर लाद रहा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के तथाकथित विकृत रूप को जीवन्तता प्रदान करने और भारतीय उद्योगों को संरक्षणवाद की छतरी से मुक्त करने के उद्देश्य से भूमण्डलीकरण है। यह एक निर्विवाद सत्य है कि अति संरक्षण घरेलू उद्योगों को 'सुस्त, मोटा एवं आलसी बनाता है'। इस दृष्टि से विकासवादी अर्थशास्त्रियों का यह दृष्टिकोण 'शिशु का पालन करो, किशोर को संरक्षण दो और वयस्क को आजाद कर दो' न्यायसंगत प्रतीत होता है, क्योंकि अत्यधिक संरक्षण के चलते घरेलू उद्योग गुणवत्ता की कसौटी से दूर हटते चले जाते हैं। इस दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का भूमण्डलीकरण घरेलू उद्योगों को अधिक सक्षम, कुशल एवं जीवित क्षमता बनाने का प्रयास है। भूमण्डलीकरण के उद्देश्य वाली भारत की नई आर्थिक नीति विदेशी पूँजी एवं विनियोग के लिए उदारपूर्ण दृष्टिकोण सुनिश्चित करती है। इस नए दौर में विदेशी पूँजी एवं विदेशी निवेश नीति द्वारा अत्याधुनिक उत्पादन तकनीक, तकनीकी ज्ञान, मशीनों आदि का घरेलू उद्योगों में प्रयोग सरल एवं सुलभ बनाया गया है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था का नया दृष्टिकोण विदेशी पूँजी के प्रयोग को प्रतिबन्धित न रखकर सहयोगी पूँजी का

दर्जा प्रदान करता है। इसी का उत्साहवर्धक परिणाम यह है कि बड़ी मात्रा में विदेशी पूँजी का भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश सुनिश्चित हो पाया है।

उदारवादी दृष्टिकोण वाले आर्थिक सुधारों से देश में विदेशी मुद्रा के प्रारक्षित भण्डारों में आशातीत वृद्धि हुई है और 1991 में उपस्थित विदेशी मुद्रा के संकट को समाप्त करने में सफलता मिली है। जून 1991 में विदेशी मुद्रा के प्रारक्षित भण्डार जो मात्र 11 बिलियन डॉलर थे,<sup>22</sup> 27 फरवरी 1998, को एक सम्मानजनक स्थिति पर पहुँचकर 27364 बिलियन डॉलर हो गए। यही नहीं नए आर्थिक दृष्टिकोण के कारण ही विदेशों में गिरवी रखा गया, स्वदेशी सोना देश में वापस मंगा पाना सम्भव हुआ।

पिछले डेढ़ दशक में लैटिन अमरीका, अफ्रीका, एशिया और पूर्वी यूरोप के देशों में ग्लोबलाइजेशन के नाम पर अर्थव्यवस्था का एक मॉडल उभरा है। अधिकांश देशों में तो इस मॉडल ने मर्ज को दूर करने के बजाए बढ़ाया ही है। पश्चिम में मैक्सिको और पूर्व में तथाकथित 'एशियाई चमत्कार' दक्षिण कोरिया, थाईलैण्ड, हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर, इण्डोनेशिया को इस मॉडल की सफलता के नमूने के रूप में विकासशील देशों के सामने पेश किया जाता रहा। दिसम्बर 1994 में मैक्सिको के पतन और पिछले 6 महीनों में 'एशियाई चमत्कारों' की दुर्गति से इस ग्लोबल मॉडल का सही रूप सामने आया है।

संक्षेप में इसका ढाँचा कुछ इस प्रकार है - पहले गरीब, विकासशील देशों को पश्चिम के विकसित देशों की सम्पन्नता में साझीदार बनने के लिए अपने बाजार खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विश्व बैंक और मुद्राकोष इन देशों को कर्ज देते समय ये शर्त लगाते हैं कि ये देश अपने बाजार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, बैंकों और विदेशी पूँजी निवेश के लिए खोले। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनाते समय इन देशों से कहा गया था कि बहुराष्ट्रीय समझौते के नतीजतन 200 बिलियन डॉलर (20000 करोड़ डॉलर) का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा, ये देश इसमें भागीदार बनकर अपनी खुशहाली बढ़ा सकेंगे। जैसे ही देश अपने बाजार खोलते हैं, निजीकरण को बढ़ावा देते हैं, तुरन्त बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ, बैंक, पूँजी निवेशक, सट्टेबाज और मुद्रा की हेराफेरी करने वाले आधमकते हैं।

भारत में उदारीकरण एवं भूमण्डलीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था के जर्जर स्वास्थ्य को यद्यपि

जीवन प्रदान किया है, लेकिन भूमण्डलीकरण के गर्भ में अनेक आशकाएँ छिपी हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत में भूमण्डलीकरण का दौर विश्व के बदलते राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तनों का ही परिणाम है। अमरीका सहित विश्व के अनेक यूरोपीय देशों में बढ़ती मन्दी के दौर ने विश्व व्यापार की दिशा एवं स्वरूप को परिवर्तित किया है। विकसित देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं में व्याप्त अति उत्पादन, बढ़ती बेरोजगारी, एवं स्थैतिक बनी विकास दर जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए तीसरी दुनिया के अल्पविकसित एवं विकासशील देशों में अपना बाजार ढूँढने की रणनीति पर विचार करने लगे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलते वातावरण में भारतीय अर्थव्यवस्था को बन्द एवं प्रतिबन्धित बनाए रखना असम्भव सा हो गया है और अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सस्थाओं के दबाव से बाध्य होकर भारत को उदारीकरण की नीति स्वीकार करनी पड़ी है, यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि उदारीकरण का दौर अभी भी अपनी आरम्भिक अवस्था में ही है, कि बदलते अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक एवं आर्थिक वातावरण के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को भूमण्डलीकरण की ओर मोड़ना पड़ा है।

विगत वर्षों की विदेशी मुद्रा की कमी के कारण एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से लिए गए ऋण के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था का विदेशी दबाव में भूमण्डलीकरण की ओर प्रत्यावर्तन किया गया है। उदारीकरण प्रक्रिया की शैशवावस्था में किया गया यह भूमण्डलीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था को भविष्य में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों एवं विकसित देशों के आर्थिक उपनिवेश के रूप में बदल सकता है। इस आशंका से इकार नहीं किया जा सकता है कि मैक्सिको, इंडोनेशिया, थाईलैण्ड जैसे देश अति उदारीकरण एवं भूमण्डलीकरण अपनाने के ही शिकार हुए हैं और ये अर्थव्यवस्थाएँ आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत हैं। दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया एवं थाईलैण्ड आदि देशों में उभरकर सामने आया आर्थिक संकट मूलतः अति उदारीकरण नीतियों को अति शीघ्रता के साथ लागू करने का ही परिणाम है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सस्थाओं के दबाव में आकर इन अर्थव्यवस्थाओं ने अति उदारीकरण एवं भूमण्डलीकरण को अपनाया। वे देश के उत्पादन तन्त्र, सेवातन्त्र, वित्त तन्त्र, बैंक, बीमा, स्टॉक एक्सचेंज तथा निर्णय तन्त्र पर अपना जाल फैला देते हैं। इस प्रक्रिया में देश का एक वर्ग जुड़ जाता है। कुछ खास तरह का उत्पादन बढ़ता है। निर्यात भी बढ़ता है, पर इससे अधिक आयात बढ़ता है पर ये सट्टेबाज और हेरा-फेरी करने वाली विदेशी ताकतें मौके की तलाश में रहते हैं और सही वक्त पर ये चोट मारते हैं। देश के अन्दर संकट पैदा होता है, पूँजी देश के बाहर भाग जाती है। ऐसी मुद्रा की कीमत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में गिर जाती है, उद्योग, कृषि चरमरा जाते हैं और तब विश्व बैंक, मुद्राकोष मदद के लिए आते हैं, साथ में अमेरिका भी। संकट से उबरने के लिए इनसे मदद मिलती है, पर साथ ही कड़ी शर्तें लगाई जाती हैं।

विदेशी पूँजी आ जाती है, दुनिया के बाजार में सकटग्रस्त देश को जमानत मिल जाती है, पर उसकी मुद्रा इतनी गिर जाती है कि उसका कर्ज बढ़ जाता है तथा उसके मुद्रा भंडार की कीमत बेहद घट जाती है। विदेशी पूँजी निवेशक और सट्टेबाजी अपनी गतिविधियाँ तेज कर देते हैं और जो धन बाहर से आता है उसे फिर बाहर ले जाते हैं। देश फिर भीख के लिए विश्व बैंक का दरवाजा खटखटाता है। नतीजतन देश स्थाई रूप से कर्ज के फदे में पड़ जाता है, उत्पादन दर गिर जाती है, निर्यात घट जाता है, आयात बढ़ जाता है और विदेशी ताकतों के कब्जे में फँसकर देश का भारी शोषण होता है। 1991 में भारत, 1994 में मैक्सिको और अब दक्षिण कोरिया थाईलैण्ड, मलेशिया, इण्डोनेशिया आदि इस ड्रामा के जीवन्त उदाहरण हैं।

उत्तर के विकसित देशों में इस मॉडल का रूप थोड़ा सा भिन्न है यही नतीजा है कि विकसित देशों के अन्दर भी वही हो रहा है जैसा कि दक्षिण के देशों में, दुनिया के खुले बाजारों पर कब्जा करने की प्रतिस्पर्धा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में इस मॉडल ने उत्तर में विकसित देशों को बेतहाशा फसा दिया है। उनका निर्यात बढ़े, इसके लिए जरूरी है कि उनका सामना तुलनात्मक रूप से बेहतर और सस्ता हो। इसके लिए नयी-नयी तकनीकी की जरूरत तो है ही, उसमें तो बचत ही नहीं की जा सकती।

भारतीय चिंतन में और बाहर भी विश्वनीडम, वसुधैव कुटुंबकम् और बिनोवा जी के जयजगत की सकल्पनाएँ विद्यमान हैं। इनमें भारतीय चेतना के स्तर पर, मानव मूल्यों के स्तर पर, जीवन के अखण्डता के स्तर पर एक विश्व की कल्पना की है, जिसमें समानता के आधार पर मानव कल्याण की भावना है। आज जो वैश्वीकरण की हवा चल रही है, इसका इस भावना से कुछ भी लेना-देना नहीं है। आज के ग्लोबलाइजेशन के पीछे थैचर-रीगन की वह एग्लो सैक्सन मानसिकता है जो मानती है कि श्वेत लोगों के कंधों पर विश्व की कल्याण का भार है, इसलिए वे सारी दुनिया का शोषण कर सकते हैं। दुनिया की 25 प्रतिशत आबादी वाले पश्चिम के देश, दुनिया के 85 फीसदी धन दौलत और ससाधनों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे महायुद्ध के पहले यह काम उनके उपनिवेशों के द्वारा बखूबी चल रहा था। वे अपना उपभोग और जीवनस्तर किसी कीमत पर कम नहीं करना चाहते। जाहिर है, उन्हें दुनिया से धन-दौलत बटोरने का कोई नया सूत्र खोजना था, वह उन्हें ग्लोबलाइजेशन के नाम से मिल गया।

क्या नीयत है, कि उसके पीछे, यह बात भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश ने एक प्रेस कान्फ्रेंस में उजागर कर दी थी। जो उन्होंने अपने दूसरे चुनाव से पहले पूर्व एशिया की यात्रा शुरू

करने की बेला पर की थी। उन्होंने कहा था - मेरा अथक प्रयास होगा एशिया और प्रशान्त के बाजारों को खोलना जिससे अधिक से अधिक अमेरिकी रोजगार पैदा हो सके और अमेरिकी वैभव की पुनः स्थापना हो सके। वही बात आज राष्ट्रपति क्लिंटन एशियाई देशों को मुद्रा संकट से उबारने के लिए अमेरिकी सहायता देते समय कहते हैं कि ऐसा करने से अमेरिकी मजदूरों को अधिक काम मिलेगा। नई-नई आजादी पाए विकासशील देशों में राष्ट्रीय भावना है स्वदेशी और स्वावलंबी के रास्ते पर चलना चाहते थे, उन्होंने अपने-अपने देश के कानून ऐसे बनाये थे, जिससे बाहर की शक्तियाँ, विदेशी कम्पनियाँ फिर से उनका दोहन और शोषण न कर सकें। यह बात बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को नागवार लगती थी। ग्लोबलाइजेशन के जरिये बड़ी ही चतुराई से उन्होंने अपने गांव बेरोकटोक फैलाने का रास्ता बना लिया है। पिछले 15 साल की पूरी दुनिया का अध्ययन करने पर यह पता लगता है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण पूरी दुनिया (उत्तर और दक्षिण दोनों) ही कसमसा रही है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और अधिक ग्लोबलाइजेशन और खुली बाजार व्यवस्था की हिमायत कर रहे हैं। हालत इस शराबी ड्राइवर जैसी है जिसको और शराब पीने के लिए कहा जा रहा है और साथ ही साथ सड़क की रोशनी और बढिया तथा खतरे के निशान और अच्छे ढंग से बनाकर उसे मजिल तक सही सलामत पहुँचाने की व्यवस्था की जा रही है।

कहीं भारत भी विदेशी वित्तीय सस्थाओं के दबावों के चलते ऐसे ही आर्थिक संकटों के भवर में फँसेगा? यह शका आज प्रत्येक आर्थिक विचारक के मन में घूम रही है। यह शका पूर्णरूपेण काल्पनिक नहीं कही जा सकती, क्योंकि भारत में अपनाया गया भूमण्डलीकरण कुछ सम्भावित दुष्परिणामों की ओर संकेत कर रहा है जिनमें प्रमुख है -

- 1 भूमण्डलीकरण प्रक्रिया में भारत में बढ़ता पूँजी निवेश अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों तक विस्तृत न होकर केवल लाभप्रद क्षेत्रों तक सीमित होता दिखाई पड़ रहा है। विदेशी निवेशक भारतीय नियोजन की प्राथमिकताओं के अनुसार निवेश के इच्छुक नहीं दिखाई पड़ते, बल्कि केवल सम्भावित लाभ वाले क्षेत्रों तक ही सीमित रहना चाहते हैं। आशका यह है कि यह प्रवृत्ति कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को असन्तुलित एवं द्वैत अर्थव्यवस्था के रूप में न बदल दें।
- 2 भारतीय अर्थव्यवस्था विकासोन्मुख होते हुए भी गरीबी एवं बेरोजगारी का समाधान ढूँढने में असमर्थ रही है, भूमण्डलीकरण में बढ़ता पूँजी निवेश गहन अर्थव्यवस्था का पोषक है, जिससे गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्याओं का कोई समाधान होता नहीं दिखाई देता, बल्कि अर्थव्यवस्था में आय की असमानताओं की वृद्धि की आशका अधिक बलवती होती दिखाई



भूमण्डलीकरण के दौर में अर्थव्यवस्था का सरचनात्मक परिवर्तन स्वदेशी के व्यावहारिक धरातल पर किया जाना चाहिए। भूमण्डलीकरण की दौड़ में अग्रणी बनकर हम अर्थव्यवस्था का सरचनात्मक सन्तुलन बनाए नहीं रख सकते। यदि भारत को मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, इण्डोनेशिया एवं थाईलैण्ड जैसी दुर्दशा से बचाना है तो आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था को नियन्त्रण एवं विनियमन से मुक्त तो किया जाए, किन्तु अर्थव्यवस्था के अनुरूप व्यवहार्य गति से ही उन उपायों को अपनाया जाय तभी भारत जैसे गरीब देश में आर्थिक सामाजिक समस्याओं के साथ विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।

## स्वदेशी बनाम विश्वीकरण

सदियों पुरानी बात है जब यू एस ग्रांट अमरीका के राष्ट्रपति थे। उस वक्त ब्रिटेन सम्पूर्ण विश्व में अपना वर्चस्व कायम करने की पुरजोर कोशिशें कर रहा था और उस खातिर उसने एक आकर्षक व आसान रास्ता भी अख्तियार कर रखा था। मुक्त व्यापार का ब्रिटेन ने अपने बाजार को मित्र देशों के लिए खुला छोड़ा था और उन्हें भी अक्सर यह सलाह देता रहता था, मगर उसके पीछे ब्रिटेन की असली मशा क्या थी उसका अदाजा ईस्ट इण्डिया कंपनी के भारत में किये गये कारनामों से ही लगाया जा सकता है। जब ब्रिटेन ने यही सलाह अमरीका को दी, तो यू एस ग्रांट ने कहा कि सौ वर्ष तक अपने उद्योगों को सरक्षण प्रदान करने के बाद ही ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार की नीति अपनायी थी। अतः जब तक अमरीका भी एक सदी तक वैसा नहीं कर लेता, तब तक वह किसी भी हालात में उसकी सलाह पर गौर नहीं फरमा सकता और ब्रिटेन अपना सा मुँह लेकर रह गया।

एक दफा अमरीकियों पर फिर से स्वदेशी का भूत सवार हुआ था। उस वक्त जापान की सरक्षणवादी नीतियों से अमरीका विशेष रूप से क्षुब्ध था और इस लिए ही जब लारन एजिल्स कारपोरेशन ने एक जमीन खोदक उपकरण खरीदनी चाही, तो उसे सबने यही सलाह दी कि उस उपकरण को वह जापानी कम्पनी 'कोमात्सु' से न खरीदकर अमरीकी कम्पनी 'जान डीटे' से ही खरीदे ताकि 'बी अमेरिकन, बाई अमेरिकन' के नारे की सार्थकता सिद्ध हो सके। मगर कारपोरेशन ने जब उपकरण खरीद की प्रक्रिया प्रारम्भ की तो पता यह चला कि कोमात्सु की फैक्ट्री अमरीका में ही स्थित थी, जबकि जान डीरे का प्लान्ट किसी एशियाई देश में अवस्थित था और उसके उपकरण के अधिकांश पुर्जे अन्य मुल्कों से आयातित थे, जबकि कोमात्सु द्वारा निर्मित उपकरण पूर्णतः अमरीका में ही तैयार किया गया था। अब कारपोरेशन इस सौच में पड़ गया कि उन दोनों उपकरणों में से 'स्वदेशी' कौन है और 'विदेशी' कौन। यह घटना कोई अपने तरह का अकेला उदाहरण नहीं है।

दरअसल उपरोक्त घटनाएँ यह सिद्ध करती हैं कि दो अलग-अलग समय बिन्दुओं पर एक ही मुल्क में किस हद तक बदलाव आ सकता है और अफसोस की बात तो यही है कि कोई लाख चाहकर- भी समय की धारा का रुख मोड़ नहीं सकता। जो इसे नहीं समझते अथवा समझना नहीं चाहते उनके लिए सिर धुनने से फायदा भी क्या है। सवाल है कि बिल क्लिंटन की जगह यदि यू.एस. ग्रांट ही अमरीका के राष्ट्रपति होते तो क्या उनके स्वदेशी कार्यक्रम को आज भी उतनी ही सफलता मिलती जितनी सौ वर्ष पहले मिली थी- कदापि नहीं?

जो लोग यह समझते हैं कि अब भी राजनीतिज्ञ ही देश को चलाते हैं, तो यह उनकी भूल ही है। आज से इस 'यान युग' में राजनीतिज्ञों की औकात रगमच पर सजाई गयी कठपुतलियों से अधिक नहीं है। उनका तमाशा तो हमें नजर आता है, लेकिन वह डोर नहीं जो किसी और के हाथों से बँधी होती है। भाजपा तो शुरू से ही 'स्वदेशी' का जाप कर रही थी, लेकिन सत्ता में आते ही उसके कदम वैश्वीकरण की ओर क्यों मुड़ गये।

हम इसे माने अथवा न माने, लेकिन हकीकत यही है कि संपूर्ण विश्व एक ऐसे युग की ओर तेज गति से बढ़ रहा है, जिसमें भिन्न-भिन्न देशों के बीच स्थित 'बर्लिन' की दीवारों का गिरना अवश्यभावी है। आने वाले वक्त में सरकारों का इतना महत्व नहीं रह जाएगा, जितना लोगों की विचारधाराओं का और उसके सपनों की एकरूपता का, भविष्य में राजनीति भले ही अपनी जगह कायम रहे, लेकिन व्यापार की महत्ता उससे कई गुना अधिक बढ़ जाएगी और सम्पूर्ण ससार एक बड़े मंच में परिवर्तित हो जाएगा। जहाँ तक लोगों का सवाल है, तो उन्हें एक सूत्र में बांधने का काम संस्कृति तथा संचार की व्यवस्था करेगी।

उस वक्त ही विश्व उत्पाद के मुकाबले विश्व व्यापार दुगुनी दर से विकसित हो रहा है, जिसकी एक मुख्य वजह यातायात तथा सूचना की कीमत में निरन्तर कमी भी आ रही है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक सिर्फ विश्व सूचना की कीमत में प्रतिवर्ष करीब 20 प्रतिशत की कमी आ रही है, जिसका फायदा सभी को मिल रहा है और उन्हीं सब बातों के चलते आज न सिर्फ बहुराष्ट्रीय कंपनियों पूरे विश्व में अपना साम्राज्य फैलाने में कामयाब हो रही हैं, बल्कि छोटी मोटी कंपनियों को भी अपनी गतिविधियाँ बढ़ाने का भरपूर मौका मिल रहा है।

उदाहरण स्वरूप पहले एक फैक्ट्री में उत्पाद बनकर तैयार हो जाता था, मगर अब कच्चा माल कहीं और से आता है, कम्पोनेन्ट्स कहीं और से आयात किए जाते हैं, तकनीक

किसी और की होती है, उत्पाद बनाने वाला कोई और होता है, तैयार माल कहीं अन्यत्र भेजा जाता है, उसे बेचता कोई और है और अतत कुल मुनाफे का अधिकांश हिस्सा किसी अन्य देश को जाता है, बाटा के जूते कानपुर, आगरा तथा कलकत्ता के कारीगर तैयार करते हैं। मुनाफे का अधिकांश हिस्सा बाटा ही हडप कर जाती है, लेकिन क्या देशी कारीगरों, देशी दुकानदारों तथा देश की सरकार को उसमे से कुछ भी नहीं मिलता। वैसे हमारे नेताओ को इस बात की बड़ी फिक्र होती है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों देश को बरबाद कर देगीं और उनके उत्पादो के आगमन से हमारी सस्कृति नष्ट हो जायेगी। यह नहीं कहा जा सकता कि 'स्वदेशी' एक तर्कहीन विचारधारा है अथवा 'वैश्वीकरण' का कोई विकल्प संभव नहीं है, लेकिन चिन्ता का विषय यह है कि हमारे यहा भूमण्डलीकरण का विरोध अधिकतर वैसी शक्तियो द्वारा किया जा रहा है जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है और देश की भोली-भाली जनता को गुमराह कर अपना उल्लू सीधा करना ही जिनका एक मात्र उद्देश्य है। ये वही लोग हैं जो हर्षद मेहता जैसे लोगो तथा जे वी जी जैसी कम्पनियो का साथ देते है और अहर्निश राग यह अलापते है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों देश को बर्बाद कर रही है। रही बात 'स्वदेशी' की तो इस परिप्रेक्ष्य मे इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि जब तक औरो मे खोट निकालने के बदले अपनी ऊर्जा का रचनात्मक प्रयोग करना हम नहीं सीखेगे, तब तक दुनिया का हर वरदान हमारे लिए अभिशाप ही सिद्ध होगा, इसमे कोई सदेह नही है।

### **आर्थिक सुधार और उदारीकरण के ढहते साम्राज्य :**

विकसित देशो के पूँजी बाजारो मे प्रतिफल की नीची दरो तथा भविष्य मे इसमे किसी प्रकार का सुधार न हो पाने की आशकाओ से ग्रसित पूँजी प्रबन्धकों, निगमित निवेशको तथा सस्थागत निवेशको ने सयुक्त राज्य अमरीका की राजनीतिक और जापान की आर्थिक शक्ति का 'सिवार' (पानी के ऊपर तैरती घास) पकडकर मन्दी की नदी को पार करने का प्रयास किया। इसके लिए प्रत्यक्ष तौर पर विकासशील देशो- मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, भारत, इण्डोनेशिया, मलेशिया आदि पर यह दबाव डाला गया कि वे आर्थिक सुधारों का विस्तृत कार्यक्रम लागू करके अपनी-अपनी अर्थव्यस्थाओं को उदार बनाए तथा विदेशी व्यापार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, परोक्ष विदेशी निवेश के लिए सभी प्रकार की बाधाओ को समाप्त करते हुए वैश्वीकरण की प्रक्रिया से स्वयं को आत्मसात् करें। यही कार्य विकसित देशों के (जे वी सगठन)

बन चुके विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष तथा 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आए, विश्व व्यापार सगठन के माध्यम से करवाया गया। घरेलू एवं वैश्विक स्तर पर रातों रात ऐसे विशेषज्ञ पैदा हो गए, जिनकी दृष्टि से किसी भी देश की किसी समस्या की मूल जड़ आर्थिक गतिविधियों पर लगाए गए नियन्त्रण एवं विनियमन थे। राष्ट्रवाद के नाम पर लागू की गई सरक्षण की व्यवस्था, जिसने अतीत में वर्तमान के कई विकसित देशों को विकसित होने में उल्लेखनीय रूप से योगदान दिया था। यकायक ही निष्प्रयोज्य, पुरानी तथा बेकार हो गई अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ तथा उनके पश्चात्वर्ती क्लासिकल अर्थशास्त्रियों 'लेजेज फेयर' का दौर फिर लौट आया।

वर्ष 1990-91 में पूर्वी यूरोप से साम्यवाद का पलायन तथा विश्व की महाशक्ति कहे जाने वाले सोवियत संघ के विघटन ने पूँजीवाद के समर्थकों को यह सिद्ध करने का अवसर प्रदान कर दिया कि राज्य के स्वामित्व एवं सरक्षण में देश का आर्थिक विकास सही ढंग से नहीं किया जा सकता।

### **उदारीकरण का पहला शिकार मैक्सिको :**

कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर मैक्सिको ने सयुक्त राज्य अमरीका, विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कथित परामर्श (दबाव) पर अपनी अर्थव्यवस्था के द्वारा विदेशी निवेशकों के लिए मुक्तभाव से खोल दिये। वर्ष 1993 एवं 1994 में वहाँ अरबों डालर के विदेशी निवेश का अन्तर्प्रवाह हुआ। आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण के नाम पर दी गई विभिन्न छूटों का परिणाम यह हुआ कि मैक्सिको के पूँजी बाजार में बेतहाशा विदेशी पूँजी आई, जिससे मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हुई। दूसरी ओर निर्यातों में अपेक्षित वृद्धि न हो पाने तथा आयातों के बढ़ जाने से व्यापार खाते का घाटा बहुत अधिक बढ़ गया और भुगतान सतुलन काफी बड़ी सीमा तक प्रतिकूल हो गया। मुद्रास्फीति की स्थिति से उबरने के लिए सरकार ने पीसों को अधिमूल्यित कर दिया।

पीसों का अधिमूल्यन, चालू खाते का बृहद स्तरीय घाटा एवं राजनीतिक अस्थिरता के माहौल में विदेशी पूँजी निवेशकों को अपनी पूँजी डूबती नजर आने लगी। इस जोखिम को कम करने के लिए विदेशी निवेशकों ने शेयरों-डिबेंचरों एवं बाण्डों को बँचकर अपनी पूँजी मैक्सिको से बाहर निकालना

प्रारम्भ कर दिया। इससे चालू खाते का घाटा और भी अधिक बढ़ने लगा स्थिति से निपटने के लिए नव निर्वाचित राष्ट्रपति अरनेस्टो जेडिलो ने 1 दिसम्बर 1994 को सत्ता सम्भालने के ठीक 20 दिन बाद मैक्सिको की मुद्रा पीसो का अमरीकी डालर के मुकाबले 30 प्रतिशत अवमूल्यन कर दिया। उद्देश्य यही था कि इससे निर्यात बढ़ेंगे तथा आयात कम होंगे, प्रारम्भिक दौर में ऐसा हुआ भी, लेकिन निर्यात वस्तुओं के साथ-साथ पीसो में व्यक्त होने वाली पूँजी प्रतिभूतियों के मूल्यों में भी तेजी से गिरावट होने लगी। पीसो के अवमूल्यन के बाद के आँकड़े बताते हैं कि अवमूल्यन के एक सप्ताह के भीतर संयुक्त राज्य अमरीका के म्यूचुअल फण्डों द्वारा धारित पीसो मूल्य में व्यक्त की जाने वाली प्रतिभूतियों के मूल्यों में 16 प्रतिशत की गिरावट आ जाने से म्यूचुअल फण्डों को 60 करोड़ डालर की हानि हुई।

इससे विदेशी पूँजी निवेशकों में हडकम्प मच गई, उनके लिए पूर्व राष्ट्रपति द्वारा दिए गए इस आश्वासन का कोई अर्थ नहीं रह गया कि सरकार प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन को ठीक करने के लिए पीसो के अवमूल्यन जैसे उपायों का सहारा नहीं लेगी, परन्तु अरनेस्टो सरकार ने वहीं किया जो चालू खाते के घाटे को कम करने के लिए किया जाता है। सरकारी तौर पर तो मैक्सिकन पीसो का 30 प्रतिशत ही अवमूल्यन किया गया, परन्तु उसका मूल्य लगातार गिरता रहा और 6 जनवरी 1995 को पीसो का मूल्य 19 दिसम्बर 1994 के मुकाबले 59 प्रतिशत कम हो गया।

मैक्सिको के मामले में महत्वपूर्ण यह नहीं है कि उसने आर्थिक सुधारों को अपनाया तथा उदारीकरण करके विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए हर सम्भव प्रयास किये और उसमें उसे सफलता भी मिली, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि वर्ष 1993 में लगभग 3610 अमरीकी डालर के बराबर प्रति व्यक्ति आय के साथ स्वयं को विकसित देश होने का दम्भ भरने वाला देश मैक्सिको जिसने स्वयं को विकासशील देशों के समूह 'जी-77' से अलग करके विकसित देशों के समूह में शामिल हो जाने की घोषणा 1994 में की थी को यकायक ही ऐसा क्या हो गया कि उसकी अर्थव्यवस्था 1995 में गहरे आर्थिक संकट में फँस गई। निवेशकों को करोड़ों डालर का घाटा हुआ तथा अन्ततः मैक्सिको की सहायता करने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका ने 47.8 अरब डालर की सहायता राशि उपलब्ध कराई।

आर्थिक सुधारों तथा उदारीकरण के लिए दबाव डालने वाले अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी मैक्सिको को 7.8 अरब डालर का स्टैण्ड बाई ऋण स्वीकृत किया। विगत कुछ वर्षों में पूर्वी एशियाई देश दक्षिण कोरिया ने वैश्विक बाजार में धमाकेदार उपस्थिति दर्ज की है तथा 1997

के अन्तिम महीनो मे स्वय को 'जी-77' देशो के समूह से पृथक करके विकसित देश घोषित कर दिया है। दक्षिण कोरिया की गणना विश्व की ग्यारहवीं बडी अर्थव्यवस्था के रूप मे की जाने लगी है, वहीं दक्षिण कोरिया आज इस सीमा तक गहरे सकट मे है कि राष्ट्रपति ने 23 दिसम्बर 1997 को सरकार को असहाय बताते हुए यहा तक कह डाला कि वे यह नहीं बता सकते कि दक्षिण कोरिया आज दिवालिया हो जायेगा या स्थिति से उबरने के लिए दक्षिण कोरिया ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 60 अरब डालर की तत्काल सहायता दिये जाने की माग की।

दक्षिण एशिया के अन्य दो प्रमुख विकासशील देशो-इण्डोनेशिया तथा थाईलैण्ड में भी गम्भीर वित्तीय सकट है। दक्षिण कोरिया, इण्डोनेशिया तथा थाईलैण्ड की मुद्राओ मे क्रमश वॉन, रूपिया और बहत विगत दो-तीन महीनो मे ही अपनी चमक खो दी है। इण्डोनेशिया रूपिया का विनिमय मूल्य अप्रैल 1997 के अन्त मे 2460 रूपिया प्रति अमरीकी डालर से लगभग 84 प्रतिशत से गिरकर 22 जनवरी 1998 को 15000 रूपये प्रति डालर के स्तर पर पहुँच गया। कोरियाई वॉन का विनिमय मूल्य अप्रैल 97 के अन्त मे 895 वॉन प्रति डालर था जो 45 96 प्रतिशत से गिरकर 14 जनवरी 1998 को 1660 वॉन प्रति डालर के स्तर पर पहुँच गया। थाईलैण्ड बहत अप्रैल 97 के अन्त मे 26 07 बहत प्रति डालर से 47 92 प्रतिशत नीचे गिरकर 14 जनवरी 1998 को बढत प्रति डालर रह गया तथा मलेशियाई रिंगगिट प्रति डालर 41 86 प्रतिशत से गिरकर 2 5 रिंगगिट प्रति डालर से 4 30 रिंगगिट प्रति डालर रह गया। विदेशी विनियम बाजार की इस हालत का प्रभाव इन देशो को ही नहीं एशिया के अन्य प्रमुख देशो के शेयर बाजारो पर भी पडा है जहाँ शेयरो के मूल्यो मे भारी गिरावट आई है।

पहले मैक्सिको और अब दक्षिण कोरिया तथा इण्डोनेशिया और थाईलैण्ड विकास क्रम मे उँची तथा सम्मानजनक स्थिति दर्ज करके आखिरकार क्यो धरातल पर आ गिरे? इन सभी देशो को स्वय तथा इन्हे बाजारी अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने वाले और इनमे आर्थिक सुधार तथा उदारीकरण की नीतियाँ लागू करने के लिए बाध्य करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कर्ता-धर्ताओं को यह विश्वास हो चला था कि विदेशी व्यापार, पूँजी निवेश, विदेशी विनिमय बाजार तथा पूँजी बाजार मे पूरी तरह से मुक्त प्रदेश और बहिर्गमन की नीति अपनाकर अर्थव्यवस्था को उँची विकास दर की ओर ले जाया जा सकता है, लेकिन विगत दिनों के राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञो तथा अर्थशास्त्रियों का तो इन तथाकथित आर्थिक सुधारों और उदारवादी

नीतियों के प्रति मोह भग हो ही गया होगा। इन देशों में आये आर्थिक सकट के सन्दर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राज्य अमरीका की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा पश्चिमी विकसित देशों की पूँजीवाद समर्थक सरकारों की भूमिका का विश्लेषण करना आवश्यक हो गया है। जब किसी देश के विदेशी विनिमय बाजार में उथल-पुथल आने से वहाँ की मुद्रा का मूल्य गिरता है तो उस देश के समक्ष विदेशी भुगतान का सकट पैदा हो जाता है। घरेलू मुद्रा के रूप में विदेशी ऋण का बोझ बढ़ जाता है। निर्यात सस्ते तथा आयात महँगे हो जाते हैं। इसके दुष्प्रभाव पूँजी बाजार पर भी पड़ते हैं, जहाँ कम्पनी के शेयरों तथा डिबेंचरों के मूल्य गिर जाते हैं। डालर के रूप में तो इनका मूल्य और भी कम हो जाता है। इस सकटकाल में सकटग्रस्त देश के बैंक तथा कम्पनियाँ दिवालिया होने लगती हैं कारखाने बन्द होने लगते हैं। ऐसे में विकसित देश तथा उनके जे बी सगठन, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा विश्व व्यापार सगठन, सकटग्रस्त देशों के बचाव के लिए आगे आते हैं। सकटग्रस्त देशों से कहा जाता है कि वे -

- 1 आर्थिक सुधारों तथा उदारीकरण की प्रक्रिया को और अधिक तेज करें।
- 2 आर्थिक शिकायत के रूप में सार्वजनिक व्यय में कटौती करें तथा प्रत्यक्ष करों के माध्यम से अधिक राजस्व अर्जित करें ताकि सार्वजनिक बचतों में वृद्धि हो और उसका उपयोग विदेशी ऋणों को चुकाने के लिए किया जा सके।
- 3 आयातों पर से प्रतिबन्ध हटाये तथा आयात शुल्कों को न्यूनतम स्तर पर लाए।
- 4 विदेशी कम्पनियों का बिना रॉक-टोक के निवेश करने दें तथा घरेलू कम्पनियों का निर्वाध रूप से अधिग्रहण करने दें।

उपर्युक्त समस्त उपायों तथा तात्कालिक परिस्थितियों का लाभ अन्ततः बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को ही मिलता है वे भारी अवमूल्यन से डालर के रूप में सस्ती हो गई उत्पादक परिसम्पत्तियों को खरीदकर अपने साम्राज्य की ओर अधिक विस्तृत कर लेने में सफल हो जाती हैं। यह समस्त स्थिति ही वास्तव में 'कल्चर कैपीटालिज्म' है। इसके अन्तर्गत पहले तो विकसित देशों की सरकारें बैंक तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ विस्तृत बाजार वाले विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को कमजोर होने देती हैं फिर मरणासन्न हो चुकी अर्थव्यवस्थाओं का उसी प्रकार अधिग्रहण कर लेती हैं जिस प्रकार गिद्ध मरी हुई लाश को नोंच-नोंच कर जा खा जाते हैं।

1994 में मैक्सिको में यही और अब दक्षिण कोरिया में इसी प्रकार के पूँजीवाद के लिए रगमच तैयार कर लिया गया है। शेयरों के मूल्यों में भी भारी गिरावट तथा बॉन के ऐतिहासिक रूप से

कमजोर हो जाने से दक्षिण कोरिया में सैकड़ों छोटी-बड़ी कम्पनियों बन्द या दिवालिया हो रही हैं।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए दक्षिण कोरिया जैसे आकर्षक देश में पैर पसारने का इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता है। संयुक्त राज्य अमरीका तथा यूरोप की अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने दक्षिण कोरिया की बन्द हो चुकी या दिवालिया हो चुकी कम्पनियों को अत्यधिक नीचे मूल्य पर क्रय करने की तैयारियाँ कर ली हैं। शेयरों के मूल्यों में भारी गिरावट हो जाने से इन कम्पनियों की चुकता पूँजी का मूल्य (डालर और वॉन दोनों ही मुद्राओं) में काफी कम रह गया है, दूसरे वॉन के अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को प्रति एक लाख वॉन के बदले कम डालर देने होंगे। इतनी ही नहीं इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को दक्षिण कोरिया की कम्पनियों में कार्यरत श्रमिकों को डालर के रूप में अमरीका की तुलना में आधी ही मजदूरी देनी होगी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि अमरीका की सर्वाधिक धनवान कम्पनियाँ अमरीका में अपना कारोबार बन्द करके एशियाई कम्पनियों को खरीदकर बिना किसी अतिरिक्त जोखिम के करोड़ों डालर कमा लें। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत जनरल मोटर्स, प्रोक्टर एण्ड गैम्बल कोका कोला तथा कई अन्य अमरीकी कम्पनियों ने अपने दक्षिण कोरियाई प्रतिस्पर्धियों को खरीद लिया है इतना ही नहीं दक्षिण कोरिया के दो प्रतिष्ठित बैंको-कोरिया प्रथम बैंक तथा सियोल बैंक को क्रमशः चेजमैन हट्टन तथा सिटी बैंक द्वारा खरीदे जाने की तैयारी की जा रही है।

दक्षिण कोरिया, इण्डोनेशिया तथा थाईलैण्ड में पैदा हुए आर्थिक सकट के सन्दर्भ में एक प्रमुख तथ्य यह भी उभरकर सामने आया है कि इन देशों में आर्थिक सुधारों तथा उदारीकरण की नीतियों को लागू करने में आवश्यकता से अधिक शीघ्रता की गई प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एलिस एक्सडेन जो मसेशसेट्स इस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी में दक्षिण कोरियाई मामलों के विशेषज्ञ हैं का मानना है कि अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सस्थाओं के दबाव में आकर जैसे दक्षिण कोरिया की सरकार ने बैंकों पर अपना नियंत्रण ढीला किया। इसकी मुद्रा वॉन के विरुद्ध सट्टेबाजी का दबाव एक गम्भीर समस्या बन गया।

मेरे आकलन के अनुसार भारत जैसे अन्य विकासशील देशों के लिए चाहिए कि वे अपनी अर्थव्यवस्थाओं को नियन्त्रणों एवं विनियमनों से मुक्त तो करें, परन्तु ऐसा एक व्यवहार्य गति से किया जाना चाहिए न कि गम्भीर मुद्रा मदी की जोखिम उठाकर। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि दक्षिण कोरिया, इण्डोनेशिया तथा थाईलैण्ड को ऐसे अपराध के लिए दण्डित किया जा रहा है, जो उन्होंने किया ही नहीं है। ये सभी देश दोषपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय विनियमन दर प्रणाली के शिकार हुए हैं, जो संयुक्त



राज्य अमरीका के नेतृत्व में पूँजी की गत्यात्मकता को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इस प्रणाली को जब भी कोई देश उदारतापूर्वक अपनाता है तो बैंक, सरकार, व्यवसायी तथा सटोरिए भारी मात्रा में विदेशी मुद्राओं का क्रय-विक्रय करने लगते हैं। क्रय विक्रय की प्रक्रिया उस समय तो और भी तेज हो जाती है जब किन्हीं आन्तरिक अथवा वाह्य कारणों से अर्थव्यवस्था को झटका लगता है और अर्थव्यवस्था अन्ततः सकट में फँस जाती है।

मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, इण्डोनेशिया एवं थाईलैण्ड में आर्थिक सुधारों तथा उदारीकरण के परिणामस्वरूप आए आर्थिक सकट से भारत जैसे विकासशील देशों की सीख लेनी चाहिए। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जेम्स होबिन की टिप्पणी है कि 'दक्षिण पूर्व एशिया में घटी घटनाएँ यह प्रश्न पैदा करती हैं कि क्या यह दावा वास्तव में सही है कि वित्तीय बाजारों का वैश्वीकरण एवं उदारीकरण सम्पन्नता एवं प्रगति का मार्ग है?' स्थिति का सही आकलन है निष्पक्ष तौर पर आज अनेक देशी एवं विदेशी अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ एवं बैंकर्स यह स्वीकार कर रहे हैं कि यदि पश्चिमी विकसित देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में आकर भारत ने रुपये को पूँजी खाते पर भी पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया होता तो आज उसकी भी वह हालत होती जो दक्षिण कोरिया, इण्डोनेशिया तथा थाईलैण्ड की हुई है। सामान्य तौर पर अपनी मुद्रा के प्रति अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास बढ़ाने के लिए केन्द्रीय बैंक विश्व की ठोस समझी जाने वाली मुद्राओं अमरीकी डालर, स्टर्लिंग पौण्ड, ड्यूश मार्क, येन अथवा इनकी वास्केट की तुलना में अपनी मुद्रा का मूल्य सामान्य से ऊँचा रखते हैं इस स्थिति को बनाये रखने के लिए केन्द्रीय बैंक द्वारा पहले से ऊँचे रखे गए मूल्य पर ही विदेशी मुद्राओं का क्रय-विक्रय किया जाता है। किसी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय बैंक के पास विदेशी मुद्राओं का आरक्षित भण्डार भी होता है किसी भी सरकार की स्फीतिकारी मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियाँ उसकी मुद्रा को अधिमूल्यित कर सकती हैं तो कभी वाह्य प्रभाव भी ऐसा कर सकते हैं। अधिमूल्यित घरेलू मुद्रा के परिणाम स्वरूप विदेशों में उस देश के निर्यात मँहगे हो जाते हैं तथा देशवासियों के आयात सस्ते इससे निर्यातों की अपेक्षा आयातों में वृद्धि हो जाती है जो व्यापार घाटे में वृद्धि करती है। ऐसे में यदि सटोरिए सक्रिय हो जाएँ और विदेशी विनिमय बाजार में मुद्रा पूरी तरह से परिवर्तनीय हो, तो वही होगा जो दक्षिण पूर्व एशिया देशों में हुआ। जापान में व्याप्त मंदी के कारण येन की तुलना में अमरीकी डालर के मूल्य में विगत 2-2 1/2 वर्षों में 50-60 प्रतिशत की वृद्धि हो गई। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की मुद्राएँ जिनका मूल्य कृत्रिम तौर पर डालर के सापेक्ष पहले से ही अधिक था, येन के सापेक्ष भी मजबूत हो गई इसका सीधा सा परिणाम यह हुआ कि जापान जो कि उनके उद्योग का सबसे बड़ा बाजार था, में उनके उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता काफी कमजोर हो गई। जापान में व्याप्त मंदी ने उसके

आयातो को काफी बड़ी सीमा तक कम किया। परिणाम सामने है तीन माह पूर्व ही स्वयं को विकासशील से विकसित देश कहलाने की स्थिति में लाने वाला दक्षिण कोरिया आज सयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से 60-70 अरब डालर की तत्काल आर्थिक सहायता की भीख मॉग रहा है ताकि दिवालिया होने के कलक से बचा जा सके। विगत 5-6 वर्षों में भारत में भी आर्थिक सुधारों तथा उदारीकरण की नीतियों की लहर चल पड़ी है और इनमें से बहुत सी नीतियाँ सयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार सगठन जो मुख्य रूप से विकसित देशों के ही माउथ पीस हैं के दबाव में आकर अपनाई गई हैं।

मैक्सिको एवं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में घटित घटनाओं के सन्दर्भ में अब भारत को अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है विशेष तौर पर पूँजी खाते पर रूपए की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू करने तथा विदेशी निवेशकों को अधिकाधिक रियायतें देने के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार को इस बात पर भी कड़ी नजर रखनी होगी कि भारत के व्यावसायिक बैंक बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी बैंकों एवं कम्पनियों से अल्पकालीन ऋण न लें।

पहले मैक्सिको एवं अब दक्षिण कोरिया, इण्डोनेशिया, थाईलैण्ड की अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष पैदा हुए आर्थिक सकट ने आर्थिक सुधारों तथा उदारीकरण की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अब यह बात स्पष्ट हो गई है कि विकसित देशों की सरकारें और उनके संरक्षण में पल रही बहुराष्ट्रीय कम्पनियों विकासशील देशों की कम्पनियों, बैंकों तथा उद्योगों पर गिद्ध दृष्टि लगाए बैठी हैं कि कब इनका दिवाला निकले और कब वे औने-पौने में इन्हें खरीदकर इन देशों के बाजारों पर कब्जा कर लें। इन देशों में जो कुछ घटित हुआ उसके लिए इन देशों के कर्ता-धर्ता तो दोषी ही हैं, पश्चिम के ऋणदाताओं की नीयत भी कम सदिग्ध नहीं है।

अभी हाल में केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के कम्प्यूटरों के प्रति बढ़ते मोह के कारण देश में विभिन्न उत्पादों के समक्ष उत्पन्न खतरे को देखते हुए उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गयी है। जाने-माने अर्थ पत्रकार चेतन चड्ढा ने राजधानी के कई वित्तीय अखबारों में हाल में ही इन विभागों द्वारा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के कम्प्यूटरों की खरीद के बारे में आमंत्रित निविदाओं के सम्बन्ध में प्रकाशित लेखों के आधार पर इस तरह की राष्ट्र विरोधी कारवाहियों को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ता ने याचिका में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, दक्षिण पश्चिम रेलवे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केन्द्र, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, रिजर्व बैंक आफ

इण्डिया बैंक आफ इण्डिया भारतीय गैस प्राधिकरण और खनिज उत्खनन निगम कम्प्यूटरो की खरीद के लिए आमन्त्रित निविदाओ मे केवल बहुराष्ट्रीय कम्पनियो के कम्प्यूटर ब्राडो का जिक्र किया था। याचिकाकर्ता ने अदालत से इन कम्पनियो या इनसे सम्बद्ध सघटनो की इन निविदाओ को सविधान के अनुच्छेद 14 38 और 39 के तहत अवैध मानने तथा इन्हें रद्द करने का भी आग्रह किया था। श्री चड्ढा ने अदालत से अन्य सरकारी विभागो और सार्वजनिक उपक्रमो को भविष्य में इस तरह की निविदाए आमन्त्रित न करने के निर्देश देने का आग्रह किया है।

उन्होंने कहा कि यदि सरकार और इसके सम्बद्ध विभाग ही देश मे निर्मित उत्पादों को तरजीह नहीं देगे तो इससे न केवल भारतीय इलेक्ट्रानिक प्रौद्योगिकी के विकास और अनुसधान को धक्का लगेगा, बल्कि इससे विदेशी बाजार मे भी गलत सकेत जायेगा और वे भारतीय उत्पादों के खिलाफ दुष्प्रचार कर शोषण करना शुरू कर देगे।

जिस तरह अमेरिका केवल भारत को निगाह मे चढा लिया है। उससे मालूम होता है कि यहाँ के नेता केवल चुप्पी साध लेते हैं। सयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय बासमती चावल पर अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कम्पनी 'राइसटेक' पेटेन्ट लगा दिया है उससे जान पडता है कि भारत जैसे देश मे इस पेटेन्ट का पूर्ण रूपेण से विरोध करने वाला कोई है ही नहीं। विश्व मे बासमती चावल का निर्यात सबसे अधिक भारत ही (80 प्रतिशत) करता है और दूसरे स्थान पर पाकिस्तान है जो 20 प्रतिशत निर्यात कर पाता है, लेकिन यह अमेरिका वालों को बता देना होगा कि चाहे कोई भी देश हो अगर वह बासमती चावल को जानता है तो भारत के ही बदौलत, लेकिन भारत सरकार तथा नेताओं को 4 महीने बाद मालूम हुआ कि बासमती चावल पर अमेरिकी पेटेन्ट लगा दिया गया है। तब खलबली मच गई, लेकिन केवल खलबली ही से कुछ नहीं होगा। यह बडे शर्म की बात है कि पिछले डेढ साल से बासमती का पेटेन्ट कराने के मामले चुप्पी साधे रहे, जबकि राइसटेक ब्रिटेन, ब्राजील और यूनानी बाजारो मे बासमती और टेक्समती के नाम से बिक्री होती रही। जिस तरह से अमेरिका पहले हल्दी, नीम पर पेटेन्ट लगाया उसके बाद बासमती पर पेटेन्ट लगाया। अब उसका पग औषधियों एव जडी बूटियो पर दिखाई दे रहा है। भारत सरकार को इस पेटेन्ट से काफी नुकसान का सामना करना पड सकता है। जहाँ एक तरफ इस बासमती चावल से 12 अरब विदेशी मुद्रा अर्जित करता था वहीं अब इस 12 अरब मे भी घात लगाने के ताड में अमेरिका पूर्ण रूप से सफल हो गया है।

भारत के वाणिज्य मन्त्रालय, अमेरिका की 'राइसटेक' कम्पनी के खिलाफ ब्रिटेन में मुकदमा चल रहा है। इसके पहले हल्दी को भी पेटेन्ट करा लिया गया था तो इसके लिए भी मुकदमा किया

गया था। उस मुकदमे में भारत सरकार की विजय हुई थी। आखिर हम लोग कब तक अमेरिकी के इस दादागिरी के सामने घुटने टेकते रहेंगे। अब इस पेटेन्ट के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी नहीं तो अमेरिकी कदम आगे निकल जायेगा। हर प्रकार से अमेरिका भारत को परेशान करने की कोशिश करता रहता है। इसका एक ही इलाज है कि भारत सरकार इस पेटेन्ट को जमकर विरोध करे नहीं तो अमेरिका की दादागिरी बढ ही जायेगी।

आर्थिक उदारीकरण प्रक्रिया शुरू होने से अब तक डालर के मुकाबले रूपया दुगुने से भी अधिक नीचे आ चुका है और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इसका क्या स्तर होगा इस पर अनिश्चितता बनी हुई है। वर्ष 1991 के मध्य में नरसिंहा राव सरकार ने देश में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी और उस समय वित्त मंत्री डा मनमोहन सिंह ने जुलाई 91 में दो बार डालर के मुकाबले रूपये का अवमूल्यन किया और उसके बावजूद अमरीकी डालर के मुकाबले रूपये की कीमत 22-24 रूपये के बीच थी। पिछले सात वर्षों में रूपया लगातार गिरता हुआ गत सप्ताहात 43 67 रूपये प्रति डालर तक घटने के बाद 42 56 - 42 58 रूपये पर बढ हुआ। इस प्रकार रूपये में करीब सौ प्रतिशत की गिरावट आ चुकी है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें कि सात वर्ष पहले एक अमरीकी डालर के हमें यदि 22 रूपये खर्च करने पडते थे तो आज इस पर 43 रूपये देने पडते हैं।

डालर-रूपये की विनिमय दर का असर आयात-निर्यात दोनों पर पडता है। रूपये के कमजोर पडने से निर्यात बाजार में जहाँ हमारी प्रतिस्पर्धा बढती है वहीं दूसरी तरफ आयात महँगा होता है, लेकिन यदि रूपया मजबूत होता है तो निर्यात प्रभावित होता है और आयात लागत कम बैठती है। आर्थिक उदारीकरण प्रक्रिया के दौरान सरकार द्वारा रूपये को व्यापार खाते में बाजार शक्तियों पर छोड दिये जाने के बाद रूपया बराबर कमजोर होता ही रहा है। पिछले दो वर्षों में यह गिरावट कुछ तेजी से आई है। 16 जनवरी, 1998 तक प्रति अमरीकी डालर की तुलना में रूपये का मूल्य हास होकर उसका मूल्य 40 36 रूपये पर पहुँच गया, परन्तु मार्च 1998 के अन्त तक उसमें सुधार होकर यह 39 50 रूपये पहुँच गया जो मार्च 1997 के अंत की दर की तुलना में अमरीकी डालर को देखते हुए 9 1 प्रतिशत का मूल्य हास है परन्तु रूपये-डालर की दर में हाल की बाजार की वह स्थिति वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में मूल्यवृद्धि के एक हिस्से में सुधार करती है, जो पिछले दो वर्षों में घटित हुई है।<sup>23</sup> उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार 31 जनवरी 96 और 21 अगस्त 98 की अवधि में अमरीकी डालर के मुकाबले रूपये में 18 31 प्रतिशत, ब्रिटिश पौंड के मुकाबले 28 प्रतिशत गिरावट आ

गई है लेकिन विश्व की कुछ प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले इस अवधि में रूपया मजबूत भी हुआ है। जर्मन मार्क रूपये के सामने 2 10 प्रतिशत जापानी येन 11 09 प्रतिशत और सिंगापुर डालर 4 17 प्रतिशत नीचे गिर गया।

21 अगस्त 98 को समाप्त कारोबारी दिन में डालर के सामने रूपया 42 65 पर, ब्रितानी पाउण्ड के सामने 65 41 रूपये पर जर्मन मार्क के सामने 23 71 रूपये और 100 जापानी येन के मुकाबले 29 89 रूपये तथा सिंगापुर डालर के मुकाबले 24 34 रूपये पर रहा। पिछले एक वर्ष के दौरान डालर के मुकाबले रूपया करीब 16 प्रतिशत से घटकर 36 20 से 42 56 रूपये प्रति डालर तक आ चुका है।

दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में पिछले एक-दो वर्षों से जारी आर्थिक संकट के कारण भारतीय रूपये पर ज्यादा दबाव बना है। जापान, हांगकांग, इंडोनेशिया और मलेशिया के बाद हाल ही में रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट के उपरान्त रूपया काफी कमजोर पड़ने लगा। जून 98 तक के पिछले आठ महीनों में डालर के मुकाबले रूपये में आई गिरावट के चलते देश पर विदेशी कर्ज का बोझ करीब 440 अरब रूपये बढ़ गया, लेकिन इस दौरान दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं का जो रुझान रहा वह हमारे पक्ष में रहा, क्योंकि डालर के मुकाबले अन्य मुद्राओं में आई गिरावट के कारण उन मुद्राओं में लिये गये कर्ज का बोझ कम भी हुआ। वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार सितम्बर 97 तक देश पर कुल 92 अरब 88 करोड़ डालर का विदेशी कर्ज था। इसमें से करीब 41 प्रतिशत कर्जा डालर में 12 8 प्रतिशत जापानी येन में और 6 5 प्रतिशत एस डी आर, 12 6 प्रतिशत रूपये में और शेष 8 प्रतिशत विश्व की अन्य मुद्राओं में था।

हाल के परमाणु परीक्षण और उसके बाद अमरीका और जापान समेत कुछ अन्य देशों द्वारा आर्थिक प्रतिबन्ध थोपे जाने तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की उठापटक को देखते हुए रूपये का क्या स्तर होगा यह फिर चर्चा का विषय बन गया है। केवल भारत ही नहीं इस समय जापान, रूस और यहाँ तक कि अमरीकी अर्थव्यवस्था में भी मंदी का दौर चल रहा है।

3

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों  
की भूमिका

# बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की भूमिका

## भारत के आर्थिक विकास में बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका का मूल्यांकन

करने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक प्रतीत होता है कि बहुराष्ट्रीय निगमों के कार्यक्षेत्र की सीमा क्या है तथा बहुराष्ट्रीय निगम किसे कहते हैं? एक ऐसी कम्पनी जिसके कार्य क्षेत्र का विस्तार एक से अधिक देशों में होता है और जिसकी उत्पादन एवं सेवा सुविधाएँ उस देश से बाहर भी होती हैं, जिसमें यह जन्म लेती हैं ऐसी कम्पनियों को अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनी अथवा बहुराष्ट्रीय निगम कहा जाता है। वर्तमान समय में इनके लिए बहुराष्ट्रीय निगम अधिक प्रचलित एवं लोकप्रिय शब्द है। ऐसी कम्पनियों की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इनके प्रमुख निर्णय बहुधा उस देश की नीतियों से बेमेल हो जाते हैं, जिनमें यह कार्य कर रही होती हैं।

बहुराष्ट्रीय निगम वे बड़ी कम्पनियाँ हैं जिनके मुख्य कार्यालय किसी एक देश में होते हैं और उनकी उत्पादन और व्यापारिक क्रियाएँ अन्य देशों में फैली रहती हैं। इनके प्रधान कार्यालय इनके मूल देशों में होते हैं। बहुराष्ट्रीय निगम कई देशों में अपनी अनुषंगी इकाइयों अथवा शाखा इकाइयों द्वारा उत्पादन करती हैं। इन कम्पनियों की उत्पादन, विपणन और कीमत नीति सम्बन्धी निर्णय पूरे विश्व के लिए होते हैं न कि सिर्फ किसी एक देश के लिए होते हैं। बहुराष्ट्रीय निगमों को 'अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनी' या 'राष्ट्रपारीय निगम' भी कहते हैं। बहुराष्ट्रीय निगम अन्य देशों की कम्पनियों के साथ मिलकर भी अपना कार्य करती हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के मूल स्थान विकसित देश हैं। इस प्रकार के निगम लगभग सभी विकसित देशों में पाये जाते हैं। परन्तु संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुराष्ट्रीय निगमों की संख्या सर्वाधिक है। हाल के वर्षों में बहुराष्ट्रीय निगमों की संख्या अधिक तेजी से बढ़ी है। अमेरिका पत्रिका 'फार्च्यून' ने 1965 में विश्व भर में समस्त बहुराष्ट्रीय निगमों की संख्या लगभग 500 माना था। संयुक्त राष्ट्र सच के एक अध्ययन के अनुसार इनकी संख्या विश्व में बढ़कर 11000 हो गयी। उक्त अध्ययन के अनुसार 1977 में इन निगमों के 82000 शाखा कार्यालय और सम्बद्ध कम्पनियाँ थीं। इन कम्पनियों में 36 प्रतिशत अमेरिका की, 27 प्रतिशत इंग्लैंड की, 7 प्रतिशत फ्रांस की, 6 प्रतिशत जर्मनी और जापान की तथा 4 प्रतिशत नीदरलैंड की थीं। अन्य समस्त विकसित देशों के बहुराष्ट्रीय निगमों की संख्या कुल की 20 प्रतिशत थी। बहुराष्ट्रीय निगमों की क्रियाशीलता विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अधिक है। ये निगम इस समय लगभग सभी विकासशील देशों में फैले हैं। 1977 में समस्त बहुराष्ट्रीय

निगमों के कुल 82000 विदेशी कार्यालय और सम्बद्ध कम्पनियों में से 21000 कार्यालय विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में थे।<sup>1</sup> इनके अधिकतम लाभ के उद्देश्य में इस बात का समावेश नहीं होता कि इनकी क्रियाओं की प्रतिक्रिया उन देशों पर क्या होगी, जिनमें यह कार्यरत होती हैं। इनकी एक विशेषता यह भी है कि यह निगम विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की सस्थाओं के माध्यम से कार्य करते हैं। अल्प-विकसित देशों में यह अपनी नियन्त्रित कम्पनी या कम्पनियों जिनपर इनका पूर्ण स्वामित्व होता है, के माध्यम से कार्य करती हैं। यह नियन्त्रित कम्पनियाँ दूसरे देशों की कम्पनियों के साथ मिलकर सयुक्त उद्यम कर सकती हैं या विभिन्न देशों की कम्पनियों के साथ उत्पादन, बाजार आदि तथा लाइसेंस के लिए समझौता भी कर सकती हैं। बहुराष्ट्रीय निगमों के उदय और प्रसार से उत्पादन और निवेश का भी अन्तर्राष्ट्रीयकरण हुआ है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण कार्य इन कम्पनियों अथवा निगमों का आन्तरिक लेन-देन बन गया है। दूसरे शब्दों में बहुराष्ट्रीय निगमों की उत्पादन, निवेश और व्यापार सम्बन्धी आर्थिक क्रियाओं का एक महत्वपूर्ण भाग अन्तर-फर्म लेन-देन होता है। इसके फलस्वरूप बाजारों में अल्पाधिकार और केन्द्रीकरण का विकास होता है। संक्षेप में, आन्तरिक एकाधिकार और आर्थिक केन्द्रीकरण से भिन्न हैं, बहुराष्ट्रीय निगम अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकार और विश्व स्तर पर आर्थिक शक्ति केन्द्रीकरण का प्रतीक है। यद्यपि बहुराष्ट्रीय निगमों का उद्भव विगत वर्षों में ही हुआ है, तथापि इनका विस्तार विश्व के अनेक देशों में हो चुका है। इस प्रकार के निगम विश्व के लगभग सभी देशों में विद्यमान हैं। सयुक्त राज्य अमरीका में इनकी संख्या सर्वाधिक है। इन निगमों का कार्यक्षेत्र अपने देशों के बाहर विकसित और विकासशील दोनों ही प्रकार के देशों में फैल चुका है। यहाँ तक कि सोवियत रूस जैसा समाजवादी देश भी इनकी पहुँच से बाहर नहीं रह सका है। बहुराष्ट्रीय निगमों का अस्तित्व अल्पविकसित देशों में भी देखा जा सकता है। अनुमान है कि इन देशों में इनकी संख्या एक हजार से ऊपर है। अल्पविकसित देशों के बहुराष्ट्रीय निगम अन्य विकासशील देशों में कार्य करते हैं, किन्तु विकसित देशों के बहुराष्ट्रीय निगमों की प्रतिस्पर्धा के सम्मुख यह कहीं नहीं ठहर पाते हैं। अधिकांश देशों में प्रचलित संरक्षणवादी भावनाओं के बावजूद बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका में विशेष रूप से अस्सी के दशक से वृद्धि हुई है। अस्थिर विनिमय एवं ब्याज दरों जैसी विश्वव्यापी अनिश्चितताओं का बहुराष्ट्रीय निगमों पर कोई प्रतिरोधक प्रभाव नहीं पड़ा है। परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप अपनी कार्य नीति अपनाने में ये निगम सिद्धहस्त रहे हैं। इस समय 37,000 बहुराष्ट्रीय निगम हैं, जिनकी 2,00,000 से भी अधिक विदेशी अनुषंगिया (सहायक कम्पनियाँ) हैं। इनके पास संसार की कुल निजी सम्पत्ति का एक तिहाई भाग (3-4 मिलियन डॉलर से भी

1 त्रिपाठी, डॉ० बन्नी विशाल भारतीय अर्थव्यवस्था (पंचम संस्करण), 1997, पृष्ठ संख्या- 437



अधिक) है। और इनकी बिक्री 55 000 करोड डालर प्रतिवर्ष है।<sup>2</sup>

विकासशील देशों में बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका को प्रभावशाली बनाने में कतिपय घटकों का महत्वपूर्ण योगदान है। वास्तव में बहुराष्ट्रीय निगम यह अनुभव करते हैं कि उनकी विश्वव्यापी गतिविधियों का प्रसार करने में वर्तमान परिवेश प्रोत्साहक है। अपनी अर्थव्यवस्थाओं पर वर्चस्व रखने वाले चीन और रूस जैसे देश भी सस्कृति और विकास सम्बन्धी अभिवृत्तियों में परिवर्तन के कारण बहुराष्ट्रीय निगमों में रूचि दर्शा रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों एक समूह के देशों द्वारा उत्पादित कच्चे माल को, दूसरे समूह के देशों की श्रम शक्ति एवं सयन्त्र सुविधाओं की सहायता से रूपान्तरित करके, वस्तुओं का विनिर्माण करके और इन वस्तुओं को बाजार में बेचकर उत्पादन के अन्तर्राष्ट्रीयकरण में योगदान करती हैं। निरन्तर सम्प्रेषण, त्वरित परिवहन, कम्प्यूटर, आधुनिक प्रबन्धकीय तकनीकें आदि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को ससाधनों के विदोहन में सहायता करती रही हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विपणन, वित्तीय एवं तकनीकी सेवाओं से सम्बन्धित कौशल लाता है। सयुक्त उद्यमों के माध्यम से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश स्थानीय प्रबन्धकों को प्रशिक्षित करने में सहायता करता है और व्युत्पादगत प्रभावों के माध्यम से रोजगार के अवसरों में वृद्धि करता है। जिस देश में पूँजी की अल्प मात्रा हो वहाँ पर हमें पूँजी प्राप्त करने के लिए ऐसे उद्योगों को आमन्त्रित करना चाहिए। जो देश में रोजगार, तकनीकी, गुणवत्ता, यातायात सुविधा आदि का विस्तार कर सकें। इन सब मदों की जरूरतें बहुराष्ट्रीय निगम या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों करती हैं क्योंकि ये कम्पनियाँ विकसित देश की होती हैं।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सम्बन्ध में कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे हमारे भारतीय उद्योगों को सरक्षण मिल सके। ये नियम इस प्रकार होने चाहिए जैसे बहुराष्ट्रीय निगमों को बड़े उद्योगों के सम्बन्ध में कार्य करना चाहिए जिससे उनकी पूँजी एवं तकनीकी का सही ढंग से उपयोग हो सके। छोटे उद्योगों से हमारा तात्पर्य - कुटीर उद्योग जो भी वस्तुएँ बनाती हैं, उसे बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा न बनाने पर रोक लगानी चाहिए। इसके साथ-साथ दैनिक जीवन यापन करने के लिए जो छोटे एवं लघु उद्योगों से अपना पेट पालते हैं बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा उन सभी व्यवसायों से उद्योगों पर रोक लगानी चाहिए।

क्योंकि ये बहुराष्ट्रीय निगम विकसित देश की कम्पनियाँ होती हैं जिनके पास पूँजी की प्रचुर मात्रा होती है। अतः ये कम्पनियाँ विकासशील देश में आकर अपने उद्योगों एवं तकनीकी विकसित करके लाभ का अधिकतम हिस्सा अपने यहाँ ले जाती हैं। इसलिए इनके लाभ के सम्बन्ध में यह नियम

2 योजना सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (भारत सरकार), अंक 8 नवम्बर 1996, पृष्ठ सख्या-14

बनाना चाहिए कि लाभ का थोड़ा सा भाग केवल वे अपने देश में ले जा सकती हैं। लाभ का अधिकतम भाग उसे उसी उद्योग में विनियोग कर देना चाहिए।

जिस प्रकार उद्योग में पूँजी रक्त का संचार करती है। उसी प्रकार उन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सम्बन्ध में यदि नीतियाँ देश के अनुकूल हो तो देश की अर्थव्यवस्था में रक्त की संचार को तीव्र गति प्रदान करती है आज के व्यवसाय के लिए अत्यधिक आवश्यकता है न करने से ज्यादा अच्छा हम दूसरे देशों से पूँजी एवं तकनीकी लेकर अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें, जिससे देश के विकास में अत्यधिक योगदान कर सकें। यही उदारिकरण का उद्देश्य है। जहाँ तक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की भूमिका का सवाल है यह वे कम्पनियाँ होती हैं जिनकी क्रियाएँ अपने देश से बाहर अन्य देशों में फैली रहती हैं। इनका प्रबन्ध तथा स्वामित्व भी बहुराष्ट्रीय होता है। कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ भारत में पहले से ही जैसे कोका कोला, महुराई कोट्स, कायनेटिक होडा, यल एम एल इनका प्रबन्ध और नियन्त्रण बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथ में नहीं है। नवीनतम तकनीकी प्रदान करने के सन्दर्भ में प्रबन्ध नियन्त्रण एवं पूँजी में हिस्सा ले सकते हैं। टेलीविजन के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की भरमार है जैसे सोनी, अकाई, नेशनल, पैनासोनिक आदि। दवाइयों का निर्माण करने वाली कम्पनी शीबा, ग्लैक्सो रग तथा बर्निश का उत्पादन करने वाली कम्पनी हिन्दुस्तान लीवर तथा अन्य में पाण्ड्स, कोलगेट, पामोलिव आदि। भारत में अनेक उद्योगों में बहुराष्ट्रीय निगमों ने भारी मात्रा में पूँजी निवेश किया है। वर्मा शैल और कालटैक्स पेट्रोलियम कम्पनियाँ भी इन्हीं के सहयोग का अनुपम उदाहरण हैं।

इन्होंने भारत में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों के विदोहन कार्य को भी किया है जो अब तक यहाँ पूँजी के अभाव में सम्भव नहीं था। इन्हीं की सहायता से देश के अनेक उद्योगों में सुसज्जित अनुसंधान शाखाएँ भी स्थापित हैं। जिससे भारतीय उद्योग नित्य नयी तकनीकों का उपयोग और अपनी उत्पादन की श्रेष्ठता को बरकरार रखा है। इनके द्वारा औद्योगिक विकास में भरपूर सहयोग करने से रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हुई है। इन निगमों की व्यवस्थित कार्य प्रणाली और अपने उत्पादनों के प्रति सजगता के कारण देश के उद्योगपतियों में भी एक नयी चेतना जागृत हो पायी है। लेकिन इन निगमों से प्राप्त होने वाले लाभों से हमें खुश नहीं रहना चाहिए। बल्कि इनका हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर दीर्घकाल में बुरा प्रभाव पड़ता है। ये उपभोक्ता के हितों की रक्षा नहीं कर पाते हैं। ये अपने देश के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन नहीं कर पाते हैं। वास्तव में इनके उत्पादन इतने महंगे होते हैं कि आम नागरिक इनके उपभोग से वंचित रहता है। इनके जो तकनीकी विशेषज्ञ भारतीय उद्योगों को परामर्श देते हैं इसके बदले में शुल्क एवं रायल्टी के रूप में बहुत अधिक धनराशि

वसूल करते हैं। चूँकि इनकी भुगतान की राशि हमें विदेशी मुद्रा में करनी होती है।

अतः भारत के विदेशी मुद्रा पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन निगमों द्वारा विदेशी मुद्रा की बड़ी पैमाने पर हेरा-फेरी भी की जाती है। ये नये-नये उद्योग की स्थापना के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर देते हैं, जिसके लिए ये अनैतिक आचरण अपनाते हैं, लेकिन इन सब दोषों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इनके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को औद्योगिक सुदृढता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

बहुराष्ट्रीय निगमों की कतिपय विशेषताएँ और गुण हैं जिनके कारण इनका प्रसार अधिक तेजी से हुआ। बहुराष्ट्रीय निगमों के माध्यम से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में पूँजी प्रधान उद्योगों की स्थापना हुई। इन्होंने देशों में औद्योगीकरण को प्रश्रम दिया। इनके द्वारा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण को सहायता मिली है। पेट्रोलियम, खनिज, रसायन, आदि उद्योगों के लिए अधिक पूँजी और उन्नत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। बहुराष्ट्रीय निगमों ने इसकी पूर्ति विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में की है। औद्योगिक प्रगति और उत्पादन तकनीक में सुधार सतत शोध कार्य की आवश्यकता पर बल देता है। बहुराष्ट्रीय निगम इसके प्रति लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। शोध एवं अन्वेषण पर होने वाला व्यय का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा उसके अपने देश से बाहर किया जाता है। उससे अन्य अर्थव्यवस्थाओं को भी लाभ मिलता है। बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली विपणन सेवाएँ भी विकासशील देशों के औद्योगीकरण में सहायक हैं। इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि बहुराष्ट्रीय निगमों ने विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण और अवस्थापना सृजन में महत्वपूर्ण योगदान किया है।

विदेशी पूँजी की क्रियाविधि मुख्य रूप से लाभ कमाने की रही है। विदेशी पूँजी का प्रयोग विभिन्न विदेशी कम्पनियों या बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा ऐसे उपभोक्ता वस्तु उद्योगों में भी किया गया है जिनके उत्पादन एवं विपणन की सम्यक दशाएँ भारतीय उत्पादकों के पास उपलब्ध हैं। विदेशी पूँजी व उससे पोषित कम्पनियों के सम्यक नियंत्रण के लिए समय-समय पर प्रयास किये गये, क्योंकि लगातार यह आवश्यकता समझी जा रही थी कि विदेशी कम्पनियों द्वारा लाभ कमाने, विदेशी मुद्रा के क्रय-विक्रय, अर्जन और खर्च पर नियंत्रण लगाया जाये। विदेशी मुद्रा के क्रय-विक्रय, अर्जन और खर्च पर सर्वप्रथम डिफेंस रूल्स 1939 के अन्तर्गत नियंत्रण लगाया गया था। इसके पश्चात् फारेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1949 के अनुसार विदेशी मुद्रा के नियंत्रण का प्रयास किया गया। यह अधिनियम 31 दिसम्बर 1956 तक की अवधि के लिए था, परन्तु 1956 में इस अधिनियम को स्थायी स्वरूप प्रदान

कर दिया गया। इस अधिनियम में 1964 में किये गये एक सशोधन के अनुसार रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को यह अधिकार दिया गया कि वह विदेशी कम्पनियों के अशो और अनिवासियों को हुए भुगतान का निरीक्षण करे। इस अधिनियम में 1969 में पुनः सशोधन किया गया, जिसमें यह व्यवस्था की गयी कि विदेशी पूँजी जो विदेशी कम्पनियों और उनकी शाखाओं के माध्यम से आती है, उस पर नियंत्रण किया जाना चाहिए।

विदेशी पूँजी और उसके विविध पक्षों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण नियामक प्रयास 1973 में किया गया। 1971 में पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की 56वीं रिपोर्ट और 1972 में विधि आयोग की 47वीं रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुईं।

इन दोनों रिपोर्टों की सस्तुति और परिस्थिति को देखते हुए 1973 में सशोधित विदेशी विनिमय नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया। सशोधित विदेशी विनिमय नियंत्रण अधिनियम 1974 में लागू किया गया। इस अधिनियम 'फेरा' का मुख्य उद्देश्य देश के विदेशी विनिमय ससाधनों का संरक्षण करना और उसका राष्ट्रीय हित में प्रयोग करना है। यह अधिनियम विदेशी विनिमय नियमन, कतिपय भुगतानों, प्रतिभूतियों और करेन्सी आयात-निर्यात को परोक्ष रूप से प्रभावित करने वाले लेन-देन को नियंत्रित करता है। 1947 के अधिनियम में 27 धाराएँ थीं जबकि 1973 के अधिनियम में 81 धाराएँ हैं।<sup>3</sup> इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति स्वर्ण, चाँदी, भारतीय मुद्रा अथवा विदेशी मुद्रा न तो बाहर भेज सकता है और न भारत के अन्दर ला सकता है। विदेशी मुद्रा का लेन-देन 'मनी चेंजर के' माध्यम से ही हो सकता है।

'फेरा' के अन्तर्गत विदेशी कम्पनियों का विदेशी विनियोग के प्रति नियंत्रण हेतु वैधानिक प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में 1976 में सशोधन किया गया। इस सशोधन के अनुसार विदेशी कम्पनियों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया। प्रथम श्रेणी में वे कम्पनियाँ हैं जो अपने उत्पादन का सम्पूर्ण भाग निर्यात करती हैं अथवा अत्यन्त जटिल प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित क्रियाएँ करती हैं। इनके उत्पादन की बिक्री का कम से कम 75 प्रतिशत भाग प्रमुख क्षेत्र यथा उर्वरक, पेट्रोरसायन व पूँजी का 74 प्रतिशत तक भाग अपने पास रख सकता है। द्वितीय श्रेणी में वे कम्पनियाँ आती हैं जिनका कम से कम 60 प्रतिशत व्यवसाय प्रमुख क्षेत्र में किया जाता है। वे अपने उत्पादन का 60 प्रतिशत भाग निर्यात करती हैं। इस प्रकार की कम्पनियाँ कुल अश पूँजी का 51 प्रतिशत तक भाग अपने पास रख सकती हैं। इस कम्पनियों को अपनी विदेशी अश पूँजी का 40 प्रतिशत तक घटाने के

3 त्रिपाठी, डॉ० बद्र विशाल भारतीय अर्थव्यवस्था (पंचम संस्करण), 1977, पृष्ठ संख्या 440

लिए कहा गया।

## भारत में बहुराष्ट्रीय निगम

भारत में इस प्रकार के कई बहुराष्ट्रीय निगम क्रियाशील हैं जिनके प्रधान कार्यालय भारत से बाहर के कई देशों में हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियाँ अधिक हुई हैं। कई वस्तुओं और सेवाओं का वितरण बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया जाता है। भारत की दीर्घकालीन राजनीतिक दासता लगभग इसी प्रकृति की कम्पनी, ईस्ट इंडिया कम्पनी, के कार्यविधि का परिणाम रही है। ईस्ट इंडिया कम्पनी जो भारत में यूरोप की बनी वस्तुएँ बेचने आयी या इंग्लैण्ड के हित साधन भारत से सामान खरीदने और बेचने आयी, अतः देश को ब्रिटेन का उपनिवेश बना दिया। भारत में आरम्भिक दशा में बहुराष्ट्रीय निगमों की सक्रियता कच्चे पदार्थ और खनिजों के सन्दर्भ में थी। परन्तु अब उनकी गतिविधि में अत्यधिक सघनता और व्यापकता आई है। इस समय भारत में कार्यरत प्रमुख बहुराष्ट्रीय निगमों में चेहरे की क्रीम बनाने वाली कम्पनी पौन्ड्स, चाय बेचने वाली वोरेन टी कम्पनी, दवाई बनाने वाली सीबा कम्पनी, दौत मजन और क्रीम बनाने वाली कोलगेट पामोलिव, साबुन, डालडा घी आदि बनाने वाली कम्पनी हिन्दुस्तान लीवर, दवाइयाँ बनाने वाली कम्पनी ग्लैस्को, रग और वार्निश बनाने वाली कम्पनी गुडलक नेरौलैक पेण्ट्स, रेडियो, ट्रान्जिस्टर बनाने वाली कम्पनी फिलिप्स आदि बहुराष्ट्रीय निगमों के उदाहरण हैं। भारत में बहुराष्ट्रीय निगम औषधि, रसायन, विद्युत मशीनरी, भारी इंजीनियरिंग सामान, धातु उत्पादन, अल्यूमिनियम आदि के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उपरोक्त में इनकी सक्रियता अपेक्षाकृत नवीन घटना है बहुराष्ट्रीय निगमों का भारतीय औद्योगिक परिदृश्य पर अत्यन्त शक्तिशाली नियामक प्रभुत्व है। यह अनुमान है कि 1970 के आस-पास भारत में बड़े उद्योगों की परिसम्पत्तियों में लगभग 54 प्रतिशत अंश का स्वामित्व बहुराष्ट्रीय निगमों का था। औद्योगिक लाइसेंस नीति जॉच समिति के अनुसार 1966 में भारत में 10 करोड़ या इससे अधिक परिसम्पत्ति वाली 112 कम्पनियाँ थीं। इन 112 कम्पनियों में 48 कम्पनियाँ या तो बहुराष्ट्रीय निगमों की शाखाएँ थीं या उनकी अनुषंगी कम्पनियाँ थीं। इसके अतिरिक्त इसमें 14 कम्पनियाँ इस प्रकार की थीं, जिनकी क्रियाविधि के परिचालन हेतु प्रभूत विदेशी पूँजी लगी थी। इसलिए इन 14 कम्पनियों पर अत्यधिक विदेशी नियन्त्रण था। इस प्रकार 1319 में 112 बड़ी कम्पनियों में से 62 कम्पनियों पर विदेशी नियन्त्रण स्पष्ट है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत के औद्योगिक शिखर पर विदेशियों का नियन्त्रण था। इनके अतिरिक्त अन्य कई रूपों में विदेशी उद्गम वाली कई कम्पनियाँ कार्यरत हैं। निम्नलिखित तालिका में भारत में कार्यरत विदेशी कम्पनियों का विवरण इस प्रकार है

तालिका - 31  
 भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों की शाखाये  
 (मार्च 1987 के अन्त में)

देश	कार्यरत कम्पनियों की संख्या	सूचना देने वाली शाखाओं की संख्या	सूचना देने वाली शाखाओं की पूँजी	कुल पूँजी प्रतिशत में
फ्रांस	13	6	309	4.9
जर्मनी	8	4	86	1.4
हांगकांग	9	5	937	14.8
जापान	29	23	308	4.9
नीदरलैण्ड	4	3	121	1.9
यू के	66	51	2373	37.5
यू एस ए	62	48	1531	24.2
अन्य	78	43	667	10.5

\* SOURCE *Statistical out line of India 1992- 1993*

बहुराष्ट्रीय निगमों के सन्दर्भ में एक भ्रान्त धारणा अब भी बनी है कि वे अपेक्षित पूँजी विदेशों से लाते हैं। तथ्य इसके प्रतिकूल है। आर्थिक और राजनीति सप्ताहिक पत्रिका के अनुसार 1956-57 की अवधि के लिए वित्तीय स्रोतों का अनुमान किया। उन्होंने मार्च 1975 की 50 सबसे बड़ी अनुषंगी इकाइयों में प्रयुक्त पूँजी का लगभग 82 प्रतिशत है। उनके अनुमान के अनुसार इन कम्पनियों ने केवल 1956-57 की अवधि में विदेशी स्रोतों से कुल पूँजी का केवल 5.4 प्रतिशत भाग प्राप्त किया। शेष 94.6 भाग उन्होंने भारत में आंतरिक स्रोतों से ही एकत्र किया। यह तथ्य बहुराष्ट्रीय निगमों के सन्दर्भ में बने भ्रम को उजागर करता है।

विभिन्न बहुराष्ट्रीय निगम भारत से प्रतिवर्ष अत्यधिक धनराशि बाहर भेजते हैं। यह राशि केवल लाभ के रूप में नहीं, बल्कि अन्य विभिन्न रूपों में जाती है

## तालिका 3 2

## विदेशी कम्पनियों द्वारा भारत में भेजी गयी राशियाँ

मदे	1971-72	1972-73	1977-78
लाभ	99 4	155 4	101 3
लाभाश	388 7	390 8	680 1
रायल्टी	58 6	73 3	195 0
तकनीकी जानकारी	139 6	113 3	281 4
ब्याज का	121 3	156 0	227 0
<b>योग</b>	<b>807 6</b>	<b>888 8</b>	<b>1484 8</b>

\* SOURCE Statistical Outline of india -1992-93

उपरोक्त तालिका में यह दिखाया गया है कि 1971-72 में भारत में कुल 807 6 करोड़ रुपये की धनराशि बाहर भेजी गयी जो 1977-78 में बढ़कर 1484 करोड़ रुपये हो गयी। विभिन्न बहुराष्ट्रीय कम्पनियों प्रत्येक वर्ष इतना लाभ कमाती हैं, जो अन्य भारतीय कम्पनियों के लिए सम्भव नहीं हो पाता है। इस सम्बन्ध में आर के हजारी और एच जी लाखन ने महाराष्ट्र की 88 औषधि बनाने वाली कम्पनियों का अध्ययन किया। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि 1964 में पूर्णतया विदेशी स्वामित्व की प्रत्येक कम्पनी इतना नकद लाभ उत्पन्न कर रही थी, जिससे उन कम्पनियों के निवेश दो वर्षों में ही उन्हे मिल सकते थे। अधिकांश विदेशी कम्पनियों अपने निवेशों को फिर से वापस लेने पर चार वर्षों से कुछ अधिक समय लेती थी। एक अध्ययन माइकेल किडरौन फारेन इनवेस्टमेंट इन इण्डिया से भी प्रवृत्ति की पुष्टि होती है। इसमें 1948-61 के आँकड़ों का विश्लेषण किया गया है। इसके अनुसार उक्त अवधि में विदेशी निवेश दुगने से भी अधिक बढ़ गये हैं और विदेशी निवेशक कुल मिलाकर जितनी मुद्रा का अपने उद्योगों में प्रारम्भिक रूप में विनियोग किये थे, उससे लगभग तीन गुना अधिक मुद्रा प्राप्त कर चुके हैं। इससे यह स्पष्ट है कि भारत से अत्यधिक धनराशि विदेशी कम्पनियों बाहर भेज रही है।

बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा अनिवार्यताओं से सम्बद्ध नहीं, अपितु विलासिता से सम्बद्ध वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। अनिवार्यताओं के उत्पादन में प्रतिफल की दर अपेक्षाकृत कम होती है। कई विदेशी कम्पनियों तो आवश्यक वस्तुएं बनाकर साधनों का शोषण करती हैं। दत्त समिति औद्योगिक लाइसेंस समिति, 1968 में उल्लेख किया गया है कि कई विदेशी कम्पनियों अनावश्यक वस्तुएं या ऐसी वस्तुएं बना रही थी जिनका उत्पादन भारत की छोटी-छोटी औद्योगिक इकाइयाँ कर

सकती हैं यथा खिलौने, आइसक्रीम, सिफ्टीपिन, दातों का पेस्ट, लिपिस्टिक पेसिल स्याही, स्त्रियो के परिधान, ग्रामोफोन रिकार्ड इत्यादि। समिति ने यह भी उल्लेख किया है कि जब इन वस्तुओं का उत्पादन कार्य भारत में सक्षमता पूर्वक हो रहा था तब इसे बनाने की अनुमति क्यों दी गई।

बहुराष्ट्रीय निगम आरम्भ में कच्चे पदार्थ, खाद्य सामग्री, और खनिज तेल का व्यापार करते थे। अब इनकी गतिविधि में विविधता आई है। बहुराष्ट्रीय निगम अब चाय, काफी, डेयरी और तम्बाकू के अतिरिक्त डिब्बा बन्द खाद्य और पेय, कपड़ा, साबुन, माचिस, सिगरेट, विद्युत उपकरण, वनों पर आधारित उद्योग आदि की ओर अग्रसर हुए। परम्परागत वस्तुओं के साथ-साथ वे नवीन और अधिक लाभदायक वस्तुओं के निर्माण में अधिक रुचि प्रदर्शित करने लगे हैं। इनका उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। ये निगम कभी भी अपने उत्पादन का नुस्खा या सूत्र विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को नहीं बताते हैं। उत्पादन प्रक्रिया के सूत्र की जानकारी न हो सके, इसलिए अधिकांश वस्तु की पूरी तरह से उत्पादन वे विकासशील देश में नहीं करते हैं। कोई पुर्जा अथवा अश सम्बद्ध देश में बनाते हैं तो उसका कुछ अंश अपने देश से आयात करते हैं। यह होते हुए भी सूत्र के शुल्क के रूप में एक बड़ी धनराशि लगातार स्वदेश भेजते रहते हैं। विकासशील देशों में इन कम्पनियों को आवश्यक और उत्तम किस्म का कच्चा पदार्थ सुविधा पूर्वक प्राप्त हो जाता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी और वित्तीय साधनों की प्रचुरता, विकसित प्रचार तन्त्र आदि के कारण वे अपने उत्पादन को श्रेयस्कर बनाकर स्थानीय उत्पादन पर अधिमान्यता प्राप्त कर लेते हैं।

बहुराष्ट्रीय निगम, राष्ट्रीय सीमाओं पर ध्यान नहीं देते हैं, वे एक नवीन अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृति, वर्ग और समाज के सृजन के प्रति अधिक सक्रिय रहते हैं। वे एक विशिष्ट रुचि, मानसिकता, स्वभाव और वर्ग चरित्र वाला विशेष अन्तर्राष्ट्रीय समाज बनाने का प्रयास करते हैं। उच्च और मध्य आय वर्ग के साथ-साथ निम्न आय वर्ग में भी वे अपने उत्पादन के प्रति रुचि उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। बहुराष्ट्रीय निगम अपने हितों को बढ़ाने के लिए बिक्री व्ययों का प्रभावी उपयोग करते हैं। अपने बजट का बहुत बड़ा भाग प्रसार कार्यक्रमों और विज्ञापन पर लगाते हैं। इन निगमों के अत्यन्त दक्ष और प्रशिक्षित कर्मचारी समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो और अन्य प्रचार-संचार माध्यमों पर अपना वर्चस्व बनाये रखते हैं। प्रचार माध्यमों से अति आकर्षक और मोहक विज्ञापनों से वे लोगों को अपने उत्पादन के प्रति अत्यधिक अभ्यस्त बना लेते हैं। लोगों को इस मानसिक गुलामी से मुक्ति न मिले इसके लिए भी वे लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा इस स्तर तक लाभ कमाया जाता है कि उसे लाभ कमाना न कहकर शोषण कहा जा सकता है। इनका लाभ कमाने का रास्ता इतना चालाकी



भरा होता है कि वे राष्ट्रीय कानून और नियमों की परिधि से भी बच जाते हैं, वे कई रूपों में मुनाफा लगाकर स्वदेश भेजते हैं। वे लाभ और लाभांश, तकनीकी और पेटेंट जानकारी का शुल्क, पूँजी पर ब्याज ऋण अदायगी अंतर्कम्पनी लेन-देन आदि रूपों में मुनाफा स्वदेश भेजते हैं। इन माध्यमों से मुनाफा स्वदेश भेजकर वे राष्ट्रीय निगमों ने 1950 से 1965 की अवधि में विकासशील देशों से 27.4 प्रतिशत मुनाफा कमाया। यह अनुमान है कि 1985 में विकासशील देशों से बहुराष्ट्रीय निगमों ने लगभग 5 अरब डॉलर की राशि तकनीकी जानकारी और शुल्क के रूप में बाहर भेजी है। इससे यह जानकारी होती है कि विभिन्न बहुराष्ट्रीय निगम विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अपने लाभ वृद्धि की नीति अपनाते हैं।

बहुराष्ट्रीय निगमों लाभ कमाने के उद्देश्य से अति पूँजी प्रधान प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। वे ऐसी प्रौद्योगिकी के प्रसार पर जोर देते रहे हैं जो भारतीय दशाओं के अनुकूल नहीं रही। बहुराष्ट्रीय निगमों की शोध और अन्वेषण की क्रियाएँ विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में नहीं की जाती हैं। इन कम्पनियों द्वारा शोध और अन्वेषण की लागत और उस पर रायल्टी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से अपने शाखा कार्यालयों और अनुषंगी इकाइयों के माध्यम से वसूल करते हैं। इन निगमों द्वारा हस्तान्तरित प्रौद्योगिकी ऊर्जा के गैर नवकरणीय स्रोतों पर निर्भर हैं, जो अत्यन्त खर्चीली प्रकृति की हैं। इस प्रकार बहुराष्ट्रीय निगम विद्यमान उत्पादन ढाँचे को और आर्थिक संरचना को अत्यधिक हानि पहुँचाते हैं। वे एक वर्ग की विशेष आय बढ़ाकर उनके लिए ही उत्पादन करके अर्थव्यवस्था में सामाजिक अन्तराल बढ़ा देते हैं। समाज का सम्पन्न वर्ग इन बहुराष्ट्रीय निगमों के उत्पादन के उपभोग से अपने को गौरवान्वित अनुभव करने लगते हैं। इसका लाभ उठाकर बहुराष्ट्रीय निगमों ने हमारे समाज के सम्पन्न वर्ग के लोगों पर अपना भावनात्मक अधिकार स्थापित कर लिया है। इसके कारण परिस्थिति कुछ इस प्रकार बन गई है कि बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा आरोपित शर्तों पर ही उनके उत्पादन प्रभाव व आधिपत्य के नीचे आने के लिए हम लालायित रहते हैं। समाज की बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रति यह निर्भरता वस्तुतः समाज के उच्च और मध्य वर्ग की इच्छाओं और आकांक्षाओं का पश्चिमी देशों के प्रति उन्मुख होने का परिणाम है। पश्चिमी उपभोगवादी विचारधारा और पूँजी बहुल विज्ञापनों ने इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने में सहायता की है। आज समाज के अधिकांश उच्च वर्ग और मध्य उच्च वर्ग के परिवारों की स्थिति इस प्रकार हो गई है कि प्रातः काल से सायंकाल तक के जीवन व्यवहार में वे बहुराष्ट्रीय निगमों के उत्पादन का ही प्रयोग करते हैं। उनकी दिनचर्या में सम्मिलित बहुराष्ट्रीय निगमों के उत्पादनों के प्रयोग की अधिकता और सततता को निम्नवत प्रदर्शित किया है। उच्च और उच्च मध्यम वर्ग का व्यक्ति जब उठता है तो कोलगेट टूथ ब्रश पर कोलगेट क्रीम फैलाता है। कोलगेट

पामोलिव लिप्टन कम्पनी यूनीलीवर नियंत्रित द्वारा वितरित और पैकिंग की गयी चाय पीता है पामोलिव शेविंग क्रीम और इरस्मिक ब्लेड का प्रयोग करता है। लक्स या रेक्सोना से स्नान करता है, डालडा हिन्दुस्तान लीवर से भोजन पकाता है और सोते समय बहुराष्ट्रीय निगम की औषधि का प्रयोग करता है।

बहुराष्ट्रीय निगम अपनी सबल आर्थिक स्थिति और प्रभाव के कारण विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं। वे श्रमिक नेताओं, कर्मचारियों और राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं। बहुराष्ट्रीय निगम विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का विभिन्न प्रकार से शोषण और नव साम्राज्यवाद के पोषण का अभिकरण माना जाता है। साम्राज्यवाद की दशा में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक शोषक होता था। अब तो इनके शोषकों की संख्या बढ़ गयी है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से बहुराष्ट्रीय निगमों के हटने पर ही उनके साधनों और आवश्यकताओं के अनुरूप विकास की सम्भावना उत्पन्न होगी। बहुराष्ट्रीय निगमों के उद्विकास को एक प्रकार के नव-साम्राज्यवाद की सजा दी जाती है।<sup>4</sup>



4 दत्त, रुद्र सुन्दरम्, के पी एम : भारतीय अर्थव्यवस्था (23वां संस्करण) फरवरी 1992, पृष्ठ संख्या 374

# 4

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से

आशय, उद्देश्य,

गुण-दोष

एवं उसके प्रभाव

# बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से आशय, उद्देश्य, गुण-दोष एवं उसके प्रभाव

## आशय

बहुराष्ट्रीय निगमों से तात्पर्य एक ऐसी कम्पनी से है, जिसके कार्यक्षेत्र का विस्तार एक से अधिक देशों में होता है और जिसकी उत्पादन एवं सेवा सुविधाएँ उस देश से बाहर हैं। ये कम्पनियाँ ऐसी होती हैं जिसका प्रधान कार्यालय एक देश में स्थित होता है परन्तु वे अपनी व्यापारिक क्रियाओं को बहुत से अन्य देशों में फैला लेते हैं, जिसका आशय यह है कि इनकी क्रियाएँ मौलिक देश में आरम्भ होने के पश्चात् उसके सीमाओं के बाहर भी फैली होती हैं अतः निम्न बातें बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए आवश्यक हैं —

- 1 एक से अधिक देशों में अपनी सेवाएँ प्रदान करती हो।
- 2 उन देशों में अनुसंधान, विकास एवं निर्माण का कार्य करती हैं।
- 3 जिसका बहुराष्ट्रीय प्रबन्ध होता है, एवं
- 4 जिसका स्वामित्व बहुराष्ट्रीय हो।

ऐसी कम्पनियों को अन्तर्राष्ट्रीय निगम या राष्ट्रपारीय निगम भी कहा जाता है। वर्तमान समय में इसके लिए बहुराष्ट्रीय निगम अधिक प्रचलित एवं लोकप्रिय शब्द है। ऐसी कम्पनियों की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इनके प्रमुख निर्णय पूरे विश्व के सन्दर्भ में एक साथ लिये जाते हैं जिसके कारण इनके निर्णय बहुधा उस देशों की नीतियों से बेमेल हो जाते हैं। ये कम्पनियाँ जिन देशों में अपना कारोबार करती हैं उन देशों में इनकी क्रियाओं की प्रतिक्रिया क्या होगी इसका ध्यान नहीं देती हैं।

बहुराष्ट्रीय निगमों के उदय और प्रसार से उत्पादन और निवेश का भी अन्तर्राष्ट्रीय कारण हुआ है जिसके फलस्वरूप बाजारों में अल्पाधिकार और केन्द्रीयकरण का विकास होता है। यद्यपि बहुराष्ट्रीय निगमों का उद्भव विगत वर्षों में ही हुआ है तथापि इनका विस्तार विश्व के अनेक देशों में हो चुका है। इस प्रकार के निगम विश्व के लगभग सभी देशों में विद्यमान हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में इनकी संख्या सर्वाधिक है। इस समय 37000 बहुराष्ट्रीय निगम हैं जिनकी 2,00,000 से भी अधिक विदेशी अनुषागिया (सहायक कम्पनियाँ) हैं, इनके पास संसार की कुल निजी सम्पत्ति का एक-तिहाई भाग (34 मिलियन डालर से भी अधिक) है और इनकी बिक्री 55,000 करोड़ डालर प्रतिवर्ष है।

इन निगमों का कार्यक्षेत्र अपने देशों के बाहर विकसित और विकासशील दोनों ही प्रकार के देशों में फैल चुका है। यहाँ तक कि सोवियत रूस जैसा समाजवादी देश भी इनकी पहुँच से बाहर नहीं रह सका, बहुराष्ट्रीय निगमों का अस्तित्व अल्पविकसित देशों में भी देखा जा सकता है, अनुमान है कि इन देशों में इनकी संख्या एक हजार से ऊपर ही है, अल्पविकसित देशों के बहुराष्ट्रीय निगम अन्य विकासशील देशों में कार्य करते हैं, किन्तु विकसित देशों के बहुराष्ट्रीय निगमों की प्रतिस्पर्धा के सम्मुख यह कहीं नहीं ठहर पाते हैं।

भारत में इस प्रकार की अनेक कम्पनियाँ हैं जैसे पाण्ड्स, वारेन टी, सीबा, कोलगेट, पामोलिव, हिन्दुस्तान लीवर, ग्लैस्को, गुडलक, नैरोलक पेण्ट्स, पेप्सी, कोला, राथमन्स, फाइजर इत्यादि। जो औषधि उद्योग, विद्युत मशीनरी, रसायन, एल्यूमिनियम धातु और उत्पाद इंजीनियरिंग, सामान, खाद्य पदार्थ आदि उद्योगों में कार्यरत हैं।

## बहुराष्ट्रीय निगमों की विशेषताएं :

बहुराष्ट्रीय निगमों में अनेक विशेषताएँ पायी जाती हैं जिनमें से प्रमुख अग्र प्रकार है -

### 1. अन्तर्राष्ट्रीय क्रियाकलाप :

बहुराष्ट्रीय निगमों की पहली विशेषता यह है कि इनकी क्रियाएँ किसी एक राष्ट्र में सीमित न होकर अनेक राष्ट्रों तक चलती हैं। इसके लिए ये अपने देश में मुख्य निगम रखती हैं व अन्य देशों में शाखाएँ या सहायक कम्पनियाँ, लेकिन इन सहायक कम्पनियों में मुख्य निगम का हिस्सा 51 प्रतिशत या इससे अधिक होता है। इस प्रकार मुख्य निगम इन शाखाओं व सहायक कम्पनियों पर नियन्त्रण करता रहता है।

### 2. साधनों का हस्तान्तरण :

इन निगमों की दूसरी विशेषता यह है कि ये अपने साधनों को सहायक कम्पनियों व शाखाओं में हस्तान्तरित कर देते हैं। ये अपनी तकनीक, प्रबन्धकीय सेविगर्ग, कच्चा माल एवं पक्का व तैयार माल आदि को अपनी सहायक कम्पनियों व शाखाओं पर आसानी से हस्तान्तरित कर देते हैं।

### 3. बृहत् आकार :

इन निगमों की तीसरी विशेषता यह है कि ये बहुत आकार के होते हैं। इनकी पूँजी व बिक्री अरबों रूपये में होती है। उदाहरण के लिए आई बी.एम. या जनरल मोटर्स की बिक्री अरबों रूपयों में

है।

#### 4. बहुराष्ट्रीय स्कन्ध स्वामित्व :

इन निगमों की पूँजी में हिस्सा अनेक राष्ट्रों का होता है।

#### 5. बहुराष्ट्रीय प्रबन्ध .

इन निगमों का प्रबन्ध बहुराष्ट्रीय होता है अर्थात् प्रबन्ध मण्डल में अनेक राष्ट्रों के व्यक्ति होते हैं।

### उद्देश्य .

बहुराष्ट्रीय निगमों के निम्नलिखित उद्देश्य इस प्रकार हैं -

#### 1. विदेशी पूँजी निवेश में अत्यधिक वृद्धि :

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1991 में उदारीकरण की नीति प्रारम्भ करने के साथ ही इन सभी में बदलाव आया है। उदाहरणार्थ विदेशी निवेश शामिल करने वाले विदेशी सहयोग के अनुमोदन वर्ष 1991 के 289 की तुलना में वर्ष 1994 में बढ़कर 1062 हो गए। अनुमोदित विदेशी निवेश की कुल राशि जो 1991 में 530 करोड़ रुपये थी, 1994 में बढ़कर 14,190 करोड़ तक पहुँच गयी। वर्ष 1994 के दौरान कुल 21,972 करोड़ रुपये की वास्तविक पूँजी का उत्प्रवाह हुआ जो एक बिलियन डालर के निकट है। जबकि वर्ष 1971-80 की अवधि में लगभग 59 92 करोड़ रुपये तथा वर्ष 1981-90 की अवधि में 1,274 02 करोड़ रुपये का विदेशी पूँजी निवेश ही किया गया था। स्वीकृत की गयी परियोजनाओं में 518 परियोजनाओं में विदेशी इक्विटी भागीदारी 0-26 प्रतिशत तक, 668 परियोजनाओं में 26-50 प्रतिशत, 348 परियोजनाओं में 50-74 प्रतिशत तथा 147 परियोजनाओं में 74-100 प्रतिशत तक है। इनमें से 80 प्रतिशत से अधिक प्रस्ताव प्राथमिकता क्षेत्र के लिए है। विभिन्न क्षेत्रों के लिए स्वीकृत प्रस्तावों का विवरण निम्न प्रकार है। ईंधन एवं तेल शोधन-शालाओं में 2394 06 करोड़ रुपये, विद्युत 2,013 81 करोड़ रुपये, खाद्य प्रसस्करण उद्योग 1,390.28, धातुई उद्योग 321 40 करोड़ रुपये, विद्युत उपकरण तथा इलेक्ट्रॉनिकी 1,107 76 करोड़ रुपये, रसायन उद्योग 914 13 करोड़ रुपये, होटल एवं पर्यटन सम्बन्धी उद्योग 721.56 करोड़ रुपये, परिवहन उद्योग 512 82 करोड़ रुपये, औद्योगिक मशीनरी एवं उपकरण तथा कृषि उपकरण 313 80 करोड़ रुपये,

दूरसंचार 179 42 करोड रूपये, कागज एव लुगदी 145 87 करोड रूपये, कॉच एव चीनी मिट्टी 118 45 करोड रूपये। सयुक्त राज्य अमरीका के वर्ष 1991 मे 185 85 करोड रूपये, 1992 मे 1,231 50 करोड रूपये, 1993 में 30 जून तक 2097 62 करोड रूपये के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये। जापान के वर्ष 1991 मे 52 71 करोड रूपये, वर्ष 1992 में 610.28 करोड रूपये तथा वर्ष 1993 में 30 जून तक 103 67 करोड रूपये के प्रस्ताव स्वीकृत किए गये।

अनिवासी भारतीयों के लिए वर्ष 1993 मे 30 जून तक 255 86 करोड रूपये के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये जबकि वर्ष 1991 तथा वर्ष 1992 में स्वीकृत किये गये प्रस्तावों की राशि क्रमशः 197 करोड रूपये तथा 439 13 करोड रूपये थी। इसी क्रम में जर्मनी, स्विटजरलैण्ड, आस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, मलेशिया, नीदर लैण्ड्स, सिंगापुर, इटली, स्वीडन तथा दक्षिण कोरिया से भी भारी मात्रा में पूँजी निवेश किए जाने के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं। फरवरी 1994 तक भारतीय प्रतिभूति एव विनिमय बोर्ड के पास 145 विदेशी सस्थागत निवेशक पंजीकरण करा चुके हैं एव इनके माध्यम से 4139 करोड रूपये के बराबर विदेशी पूँजी भारत आ चुकी है।

वर्तमान विदेशी निवेश नीति में कम्पनियों को उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विदेशी इक्विटी की सहभागिता अनुमत की गयी है। भारत के सन्दर्भ में बहुराष्ट्रीय निगम कुल मिलाकर यह अनुभव करते हैं कि सरकार उनके प्रति कोई भेदभाव नहीं बरतती हैं। भारत की मौद्रिक नीति बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लाभों का आकर्षण भी सुलभ कराती है और कारपोरेट बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए करों में भी छूट देती हैं। भारत स्थित अधिकांश बहुराष्ट्रीय निगम भारी विदेशी मुद्रा संचय करते हैं, जिससे वे उदार बोनस शेयर जारी करने में समर्थ होते हैं।

भारतीय पूँजी बाजार को विदेशी निवेश के लिए खोलने और बेहतर दर्जे की कम्पनियों को विदेशी शेयर बाजारों में अपने स्टॉक के सूचीकरण द्वारा विदेशी निवेशकों से सम्पर्क करने की अनुमति देने के लिए कदम उठाये गये। इस प्रस्ताव का मुख्य कारण था कम से कम अंशतः भारतीय पूँजी बाजार को सार्वभौमिक पूँजी बाजार से समन्वित किया जाए और इस प्रक्रिया में भारतीय उद्योग और विदेशी निवेशकों, दोनों के लाभ के लिये रास्ता खोला जाए। इससे जहाँ एक ओर उद्योग में निवेश के लिए विदेशी पूँजी की अधिक प्राप्ति से लाभ होगा वहीं विदेशी निवेशकों को भी बेहतर प्रतिफल के द्वारा लाभ होगा, क्योंकि इस समय प्रगतिशील बाजारों में से भारतीय पूँजी बाजार बहुत आकर्षक है।

नई नीति में विदेशी पूँजी निवेश को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है और निर्यात

सम्बर्द्धन व आयात नीति काफी उदार बना दी गयी है। इसमें -

- 1 उच्च प्राथमिकता एव भारी विनियोग वाले उद्योगों की कम्पनियों में विदेशी पूँजी अनुपात अब 40 प्रतिशत के स्थान पर 51 प्रतिशत हो सकेगा तथा विदेशी पूँजी की स्वीकृति प्राप्त करने में अब कोई अडचन नहीं आएगी।<sup>3</sup>
- 2 विदेशी पूँजी निवेश के प्रस्ताव के साथ विदेशी टेक्नोलॉजी के लिए अलग से अनुमति प्राप्त करना अब जरूरी नहीं।
- 3 जिन मामलों में मशीनों के लिए विदेशी पूँजी शेयर पूँजी के रूप में उपलब्ध होगी उन्हें स्वतः ही उद्योग लगाने की अनुमति मिल जाएगी।
- 4 अप्रैल 1992 से दो करोड़ रुपये अथवा कुल पूँजी के 25 प्रतिशत से कम की उत्पादन मशीनें बिना किसी पूर्वानुमति के आयात करने का प्रावधान।
- 5 विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति अथवा देश में ही विकसित तकनीकों का विदेशों में परीक्षण कराने के लिए विदेशी मुद्रा में भुगतान की अनुमति लेना अब आवश्यक नहीं। सरकार इस बात को विशेष महत्व देती है कि प्रवासी भारतीय भारत में पूँजी निवेश करें और इसके लिए सरकार ने निवेश को आकर्षक बनाने के लिए अनेक उपाय किये हैं।

**इनमें प्रमुख योजनाएँ निम्न हैं :**

- 1 स्वदेश वापसी के आधार पर- प्रवासी भारतीयों के प्रत्यक्ष निवेश की अधिकतम सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दी गयी है। यह निवेश उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, होटलों और पर्यटन से जुड़े उद्योगों, अस्पतालों, आधुनिक रोग निदान केन्द्रों, जहाजरानी, निर्यात के लिए गहरे समुद्र से मछली निकालने का उद्योग और तेल खोज की सेवाओं में किया जाता है।
- 2 प्रवासी भारतीय देश- प्रत्यावर्तन के आधार पर आवास सुविधाओं के विकास, सम्पत्ति के कारोबार और आधारित सरचना के क्षेत्र में भी निवेश कर सकते हैं।
- 3 किसी भारतीय कम्पनी में प्रवासी भारतीयों के पोर्टफोलियो निवेश की अधिकतम सीमा 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 24 प्रतिशत कर दी गयी।<sup>4</sup>

<sup>3</sup> योजना सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (भारत सरकार), अंक 3 मार्च 1995, पृष्ठ संख्या - 23

<sup>4</sup> योजना सूचना एवं प्रसारण (भारत सरकार), अंक 3, मार्च 1995 पृष्ठ संख्या- 23



- 4 प्रवासी भारतीयों के लिए मुख्य आयुक्त का कार्यालय खोलने का प्रस्ताव मान लिया गया है, जिससे प्रवासी भारतीयों और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के मध्य अच्छा सम्पर्क रहे।
- 5 अक्टूबर 1991 में "भारत विकास बाड" योजना शुरू की गई जिसमें 129 7 करोड अमरीकी डालर और 1798 2 करोड पाउड स्टर्लिंग एकत्र हुआ।
- 6 कुवैत से आने वाले प्रवासी भारतीयों को 30 जून 1992 तक विशेष दर्जा दिया गया।
- 7 सितम्बर 1991 में शुरू की गयी एक योजना के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा में कितनी भी राशि बिना उसकी आय का स्रोत बताये भारत भेजी जा सकती थी। यह योजना 31 जनवरी 1992 को बंद हुई और इसके अन्तर्गत 1237 करोड रूपये की राशि एकत्र की गयी।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि यूरो निर्गमों और पूँजी बाजार 13 7 अरब डालर से स्थिति सुधरी, 1 दिसम्बर 1990 में विदेशी मुद्रा भण्डार 1.2 अरब डालर का था जो वर्तमान में 15 अरब डालर तक पहुँच गया है। विश्व में निवेश के लिए अब भारत को एक नया आकर्षण माना जा रहा है। आर्थिक विकास के अच्छे संकेतों के अलावा विदेशी निवेशक विश्व के अन्य बाजारों में अवसर घटते जाने से भी भारत की ओर आकर्षित हुए हैं। व्यापक स्थानीय बाजार तलाश रही बहुराष्ट्रीय कम्पनियों उत्पादन का सस्ता आधार और राजनीतिक स्थायित्व चाहती हैं। वे भी भारत का चयन कर रही हैं।

विदेशी निवेश धुआधार आ रहा है, ऐसा वातावरण निरन्तर बन रहा है। विदेशी निवेश मूलतः तीन मार्गों से आया है एक तो शेयर बाजार में शेयरों के निवेश रास्तों, विदेशी सस्थागत निवेशकर्ताओं की संख्या जो सेबी के पास पंजीकृत है और भारत में उनके द्वारा प्रभावित निवेशों की मात्रा में निरन्तर वृद्धि हुई है। दूसरा रास्ता भारतीय कम्पनियों द्वारा यूको इश्यू के जरिये पैसा उगाहने का है। इस समय चार समुद्रपारीय देशी फंड हैं- इण्डिया फंड, इण्डिया ग्रोथ फंड, हिमालय फंड और इण्डियन मैगनय फंड। इन्होंने विदेश में धन एकत्र करके भारतीय पूँजी बाजार में निवेश किया है। इन फंडों की कुल संपत्ति मूल्य (एन ए वी) लगभग 85 करोड डालर है।<sup>9</sup> पिछले चार वर्षों में देशी फंड प्रचलन से बाहर थे और भारतीय फंड ही नहीं बल्कि दूसरे अधिकांश फंड भी अपने शुद्ध संपत्ति मूल्य से डिस्काउन्ट पर चल रहे थे। यह स्थिति बदल गई है और उभरते पूँजी बाजार में दिलचस्पी रखने वाले निवेशक देशी फंड की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसके अलावा भारत को विश्व में एक उभरते पूँजी बाजार के रूप में महत्व दिया जाने लगा है जो अपने आप में एक उपलब्धि है।

अतः यह कहा जा सकता है कि अब जबकि भारतीय पूँजी बाजार में विदेशी पूँजी निवेश का रास्ता खोल दिया गया है। इस नये रास्ते के खुलने से जहाँ एक ओर भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के नये अवसर प्राप्त हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विदेशी पूँजी को आकर्षित करने में भी सफलता मिल रही है।

इस प्रकार आर्थिक नीति के तहत इस नयी घोषणा से भारतीय पूँजी बाजार में विदेशी निवेश की सभावनाएँ दिखाई देने लगी हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि नए सुधारों के पैकेज के रूप में भारतीय बाजार के सार्वभौमीकरण की दिशा में यह एक निर्णायक कदम है, लेकिन पूँजी के प्रवाह का स्थायित्व अर्थव्यवस्था के बुनियाद की सशक्तता पर निर्भर करेगा, जैसा कि पूँजी बाजार की गतिविधियों से परिलक्षित होता है। वर्तमान विदेशी निवेश नीति में कम्पनियों को उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विदेशी इक्विटी सहभागिता अनुमत की गई है। भारत के सन्दर्भ में बहुराष्ट्रीय निगम कुल मिलाकर यह अनुभव करते हैं कि सरकार उनके प्रति कोई भेदभाव नहीं बरतती है। भारत की मौद्रिक नीति बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लाभों का आकर्षण भी सुलभ कराती है और कारपोरेट बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए करो में भी छूट देती है। भारत स्थित अधिकांश बहुराष्ट्रीय निगम भारी विदेशी मुद्रा संचय करते हैं, जिससे वे उदार बोनस शेयर जारी करने में समर्थ होते हैं। मोर्चा सरकार द्वारा लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत विदेशी निवेश सम्बर्द्धन बोर्ड का पुनर्गठन करके इसे अधिक शक्ति सम्पन्न बनाया गया है। साथ ही इसे अब पुनः उद्योग मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। नरसिंहराव सरकार ने इसे उद्योग भवन से स्थानान्तरित करके प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कर दिया था। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की बजाय उद्योग सचिव ही अब इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। केन्द्रीय वित्त सचिव, वाणिज्य सचिव तथा विदेश मंत्रालय में आर्थिक सम्बन्धों के सचिव पुनर्गठित एफ आइ पी बी के सदस्य होंगे। 600 करोड़ रुपये तक के निवेश के मामले, बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात्, उद्योग मंत्री द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे। जबकि इससे अधिक राशि के निवेश के मामले विदेशी निवेश पर मन्त्रिमण्डलीय समिति (सी सी एफ आई) को प्रेषित किये जायेंगे।

नई व्यवस्था के तहत विदेशी निवेश सम्बर्द्धन बोर्ड के दायित्वों का विस्तार भी किया गया है। विदेशी निवेश प्रस्तावों को मंजूरीयों के साथ-साथ अब यह निवेश प्रोत्साहन के लिए भी कार्य करेगा। विदेशी निवेश के प्रोत्साहन के लिए एक विदेशी निवेश सम्बर्द्धन परिषद की स्थापना का भी निर्णय संयुक्त मोर्चा सरकार ने लिया है। बोर्ड जहाँ विदेशी निवेश प्रस्तावों को मंजूरीयाँ प्रदान करेगा, परिषद विदेशी निवेश के प्रोत्साहन के लिए कार्य करेगी। बोर्ड को जहाँ प्रशासनिक अधिकारियों से गठित

किया जाता है। परिषद गैर-प्रशासनिक व्यक्तियों से सुसज्जित होगी।

## 2. औद्योगिक नीति को सरलीकृत करने के लिए :

चार दशकों की नियन्त्रित अर्थव्यवस्था के अनुभवों के बाद भारत में मुक्त एव बाजार अर्थव्यवस्था की नयी शुरुआत की गयी है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार करते हुए आर्थिक ढोंचे को मजबूत बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों को वरीयता प्रदान की थी और निजी क्षेत्रों की तुलना में उसे अधिक सरक्षण प्राप्त किया गया था। अर्थव्यवस्था की जड़े मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1956 की औद्योगिक नीति की घोषणा की गयी और उसके बाद 1970, 1977, 1980 और 1995 में महत्वपूर्ण परिवर्तन करके औद्योगिक नीति को उदार बनाया गया। और देश के आर्थिक विकास को गति देने का प्रयास किया गया।<sup>6</sup> आर्थिक विकास के इसी क्रम में नयी औद्योगिक नीति की घोषणा की गयी और अब सरकारी नियन्त्रण को समाप्त कर विश्वव्यापी बाजार और प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था के महत्व को स्वीकार किया गया है और सार्वजनिक क्षेत्र को भी आत्मनिर्भर बनाने के उपाय किये गये हैं। नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य इस प्रकार है -

- 1 अब तक की उपलब्धियों को मजबूती प्रदान करना।
- 2 औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं और कुरीतियों को दूर करना।
- 3 इसके साथ ही उत्पादकता और रोजगार के अवसर बढ़ाना।
- 4 भारतीय उद्योगों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना।
- 5 इसके लिए बड़े, मध्यम और छोटे उद्योगों को समान रूप से प्रोत्साहित करने की नीति स्वीकार की गयी है।
- 6 ग्रामीण इलाकों में लघु एव कुटीर उद्योगों के विकास के लिए भी सशोधित नीति की घोषणा की गयी।

इन मूल उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार ने औद्योगिक नीति में पाँच महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं -

- 1 नये उद्योगों की स्थापना और पुराने उद्योगों के विस्तार के लिए जरूरी लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है।
- 2 विदेशी पूँजी की सीमा 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 59 प्रतिशत कर दी गयी है। निर्यात मूलक

उद्योगों में यह सीमा 100 प्रतिशत तक भी हो सकती है।

- 3 विदेशी तकनीकी प्राप्ति पर लगे प्रतिबन्ध खोल दिये गये हैं।
- 4 एकाधिकारी एव प्रतिबन्धात्मक व्यापार पद्यति(एम आर टी पी )के अन्तर्गत औद्योगिक सम्पत्ति की सीमा समाप्त कर दी गयी है।
- 5 अब तक सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित अनेक उद्योगों के दरवाजे निजी क्षेत्र के लिए भी खोल दिये गये हैं। सार्वजनिक क्षेत्र अब मुख्य रूप से रक्षा उपकरणों, परमाणु उर्जा, कोयला, खनिज तेल, खनन तथा रेलवे, परिवहन जैसे आधारभूत सरचनात्मक क्षेत्रों तक सीमित रहेगा।

नि सदेह भारत सरकार द्वारा नई उद्योग नीति की घोषणा आर्थिक विकास के क्षेत्र में एक नया आयाम लेकर आयी है और यह आशा की गयी है कि इन नीतियों पर चलकर हम भारत के आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान कर सकेंगे। योजनाबद्ध विकास और सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुखता के दौर में भी देश के औद्योगिक विकास को तो गति अवश्य मिली है और विशेषकर सातवीं योजनाकाल में औद्योगिक विकास की दर 8.5 प्रतिशत तक थी, किन्तु आठवीं योजनाकाल में अर्थव्यवस्था के विकास की दर काफी लडखडा गयी और नयी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नयी औद्योगिक नीति की घोषणा की गयी है। यदि उदारीकरण की नीति की घोषणा के बाद आर्थिक विकास की गतिविधियों पर दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं कि अर्थव्यवस्था की विकास की दर में तेजी आयी है, किन्तु वह सापेक्षिक रूप में कम है।

आर्थिक विकास की गतिविधियों में हो रहे परिवर्तन को सारणी-4.1 से अच्छी तरह स्पष्ट किया जा सकता है -

**तालिका 4.1**  
**समष्टि आर्थिक परिदृश्य प्रतिशत**

	मद	1993-94	1992-93	1991-92
1	वास्तविक सकल देशी उत्पाद वृद्धि दर	3.8	4.00	1.1
2	सकल देशी बचत दर	24.2	22.10	24.1
3	कुल सकल निवेश दर	24.1	24.3	25.1
4	निवेश देशी बचत दर	15.3	13.0	15.2
5	निवल कुल निवेश दर	15.6	15.4	16.3

स्रोत: योजना, सूचना एव प्रसारण मंत्रालय (भारत सरकार) जून 1995, पृष्ठ सख्या-7

वर्ष 1993-94 के दौरान वास्तविक आर्थिक गतिविधियाँ साधारण रही हैं। वास्तविक सकल देशी उत्पादन वृद्धि दर 3.8 प्रतिशत है जोकि 1992-93 की तुलना में कम है। यद्यपि बात 80 के दशक में हासिल की गयी वृद्धि की तुलना में नयी औद्योगिक नीति की घोषणा के बावजूद यह प्रतिशत न्यूनतम रहा है। 1991-92 में जहाँ सकल देशी बचतदर, सकल देशी उत्पादन का 24.1 प्रतिशत थी। जो वर्ष 1992-93 में घटकर 22.9 प्रतिशत हो गयी। किन्तु इस दर को पुन वर्ष 1993-94 में बढ़ाकर 24.2 प्रतिशत तक लाने का प्रयास किया गया है। वित्तीय परिसम्पत्तियों में घरेलू क्षेत्र की बचत दर जो वर्ष 1991-92 में 10 प्रतिशत थी, वर्ष 1992-93 में घटकर 7.4 प्रतिशत हो गयी थी। पुन वर्ष 1993-94 में उछल कर यह दर 10.1 प्रतिशत हो गयी है। इसका मूल कारण घरेलू क्षेत्र द्वारा मुद्रा और बैंक जमा राशियों की वर्धित धारित राशिया, शेयरो और डिबैंचरो में निवेश की सभावनाये हैं।

#### तालिका 4.2 औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दरें

वर्ष	खनन और उत्खनन	विनिर्माण	विजली	सामान्य
1989-90	6.3	8.6	10.9	8.6
1990-91	4.5	8.9	7.8	8.2
1991-92	0.6	0.8	8.5	0.6
1992-93	0.5	2.1	5.0	2.3
1993-94	2.3	2.3	7.3	3.0

स्रोत योजना सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय(भारत सरकार), अंक 6 जून 1995, पृष्ठ संख्या 7

नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद देश में औद्योगिक उत्पादन में बढोत्तरी की सभावनाएं व्यक्त की गयी थीं। तालिका-4.2 में प्राप्त आँकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 1993-94 के दौरान औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर पूर्व की दर की तुलना में 2.3 प्रतिशत से बढ़कर 3.0 प्रतिशत हो गयी थी। विनिर्माण के क्षेत्र में भी वर्ष 1993-94 में 3 प्रतिशत की वृद्धि आकी गयी है जो पिछले दो वर्षों की तुलना में थोड़ी सी अधिक है। खदान और पत्थर निकालना और बिजली के क्षेत्रों में कार्य निष्पादन क्रमश 3 प्रतिशत और 7.3 प्रतिशत की वृद्धि दर से बेहतर रहा है जो पिछले दो वर्षों से अधिक है।

विनिर्माण के क्षेत्र में जिन औद्योगिक समूहों में वृद्धि की दरें देखी गयी है वे हैं- मादक, पेय, तम्बाकू और उत्पाद, जूट, हेम्प और मेस्ता वस्त्र उद्योग, रसायन और रसायन उत्पाद, कागज और

कागज उत्पाद, परिवहन उपकरण, मूल धातु और सम्बद्ध उत्पाद, चमड़ा और चमड़े के उत्पाद तथा फूड के उत्पाद। वर्ष 1991-92 के दौरान सरकार ने बहुत सी वस्तुओं पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में कटौती कर दी है, जिसके कारण वस्तुएं सस्ती हुईं और उत्पादन और निर्यात में बढ़ोत्तरी हुई। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का भी उत्पादन अच्छा रहा है और गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में गिरावट आयी है।

आधारभूत उद्योगों में भी विकास की दरें परिलक्षित हुईं हैं। छः आधारभूत उद्योगों जिनमें बिजली, कोयला, इस्पात, फूड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद और सीमेंट शामिल हैं ने वर्ष 1992-93 के 2.2 प्रतिशत वृद्धि दर की तुलना में, वर्ष 1993-94 में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की। पेट्रोलियम रिफाइनरी और कोयला उद्योगों को छोड़कर अन्य आधारभूत उद्योगों में भी सुधार हुआ है।

कृषि जो भारत का आधारभूत उद्योग है और जिस पर भारत की 70 प्रतिशत जनसंख्या निर्भर करती है, पर नवीन औद्योगिक नीति का प्रभाव हुआ है। वर्ष 1992-93 में कृषि उत्पादन उच्चतम स्तर पर था उसमें भी, वर्ष 1993-94 में काफी सुधार हुआ है। वर्ष 1992-93 में जहाँ 180 मिलियन टन खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन हुआ था, इस रिकार्ड को तोड़ते हुए वर्ष 1993-94 में 182 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ और आज हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं, बल्कि निर्यात की स्थिति में भी हैं।

जैसा कि स्पष्ट है कि नियोजित औद्योगिक विकास के लम्बे अनुभवों के बाद सरकार ने औद्योगिक नीति में सभी बुनियादी और क्रान्तिकारी परिवर्तन किये हैं, जिसमें सरकार के बजाय बाजार शक्तियों को नियामक भूमिका प्रदान करने का अवसर प्रदान किया गया है और यह कदम विश्व के बड़े औद्योगिक देशों द्वारा परीक्षित आर्थिक विकास के अनुभवों के आधार पर उठाया गया है, किन्तु क्या सरकार की इस औद्योगिक नीति से आशातीत सफलता मिली है? उत्तर है नहीं। सरकार विभिन्न आर्थिक मोर्चों पर अपने आपको असफल महसूस कर रही है और औद्योगिक उत्पादन सापेक्षिक रूप में बढ़ने के बजाय घटा है।

1. सार्वजनिक निवेश में राजकोषीय समायोजन घट रहा है और इसके परिणामस्वरूप कई पूँजीगत माल उद्योगों में उत्पादन की मांग में अनिवार्य रूप से कमी आयी है।
2. उद्योग में कतिपय खण्डों में टेरिफ को कम करने से पहली बार इन उद्योगों को बाहरी देशों के उद्योगों से प्रतियोगिता करनी पड़ी, जिसके कारण देशी उद्योगों के माल की मांग घटती जा रही है।

- 3 आयातित निर्विष्टियो का मुक्त रूप से उपलब्ध होना और सापेक्ष रूप से ऋण शर्तों का आसान होना, जिसके परिणामस्वरूप सापेक्ष रूप से माल के लिए माग कम हो गयी और उत्पादन कम हो गया।
- 4 निर्यात प्रोत्साहन प्रणाली और विनिमय दर में परिवर्तन से सतुलन का प्रभाव निम्न आयातित घटक वाले निर्यात उद्योगों की ओर हो गया है, जबकि इसमें निर्यात प्रोत्साहन उन उद्योगों को दिया जाता था जिनके आयात घटक अधिक होते थे।

उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि भारतीय उद्योगों में रचनात्मक परिवर्तन किया जाये। यह सत्य है कि जैसे-जैसे भारतीय उद्योग समय के साथ चलने की स्थिति में आते रहेंगे, कारोबारी चक्रों का इस पर प्रभाव पड़ेगा जिसके साथ-साथ वृद्धि की दरों में तेज उतार-चढ़ाव की स्थिति भी जुड़ी रहेगी, किन्तु नवीन औद्योगिक नीति को फलीभूत करने के लिए औद्योगिक प्रगति की दिशा पर समय-समय पर गति नियंत्रण करते रहना भी आवश्यक है और साथ ही साथ औद्योगिक क्षेत्र की उप क्षेत्रीय असमानताओं को भी दूर करना होगा।

### 3. रोजगार के अवसर प्रदान करना :

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने अपने देशों और विदेशों में लगभग 73 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया है, जिनमें सम्पूर्ण विश्व के गैर-कृषि कार्यकलापों के लगभग 10 प्रतिशत रोजगार निहित है। यदि केवल विकसित देशों की गणना की जाए तो इसका परिणाम लगभग 20 प्रतिशत होता है। विश्व का लगभग एक तिहाई उत्पाद बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारतीय उद्योग महासंघ के सर्वेक्षण के अनुसार बहुराष्ट्रीय निगमों को रोजगार के अवसर सृजित करने में सफलता प्राप्त हुई है। इनमें 1990 से 1995 की अवधि के दौरान 3 84 प्रतिशत रोजगार वृद्धि हुई। इसके साथ अप्रत्यक्ष रोजगार में लगभग 9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई। अतर्वर्ती वस्तु उद्योग (3 01 प्रतिशत), उपभोक्ता अस्थाई उद्योग 8 20 प्रतिशत और सेवा उद्योग 3 21 प्रतिशत ने कुल रोजगार में उच्च सम्वृद्धि दर दर्शाई।<sup>7</sup> उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के उद्योग में 0 8 प्रतिशत की दर से कम रोजगार वृद्धि हुई, किन्तु बढ़ते हुए मध्यमवर्ग की क्रयशक्ति में वृद्धि होने के साथ ही इसमें सुधार होने की आशा है।

सर्वेक्षण से यह भी पता चला है कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के रोजगार में 1990 से

1995 की अवधि में 0.89 प्रतिशत की कमी आई। निजी क्षेत्र के रोजगार में सभी उद्योगों की तुलना में 2.89 प्रतिशत की दर से औसत से अत्यधिक उच्च सवृद्धि हुई।

उदारीकरण और नई आर्थिक नीति को शुरू करते समय सरकार की ओर से कहा गया कि इससे देश में रोजगार के अवसर अधिक बढ़ेंगे तथा बेरोजगारी पर अकुश लगेगा, लेकिन विगत पाँच वर्षों में सरकारी दस्तावेजों में दिये गये आँकड़ों के तस्वीर विरोधी बातें ही कहती हैं। केन्द्र सरकार के 'मिड टर्म इकोनामिक्स' सर्वे वर्ष 1993-94 की रपट तथा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के 'ओकेजनल पेपर्स' के अनुसार वर्ष 1992-93 में बेरोजगार की संख्या में 174 करोड़ की वृद्धि हुई।

साल दो साल में बेरोजगारी में भारी बढ़ोत्तरी हो रही है और रोजगार के अवसर लगातार समाप्त हो रहे हैं। बेरोजगारी में बढ़ोत्तरी या रोजगार में कमी वर्ष 1972 से ही आना शुरू हो गयी थी, लेकिन वर्ष 1978 के आते-आते बेरोजगारी काफी तेजी से बढ़ने लगी। उदाहरण के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया सालाना रपट के अनुसार वर्ष 1972 में कृषि क्षेत्र में रोजगार वृद्धि की दर 2.32 प्रतिशत थी जो वर्ष 1993 में घटकर 1.2 प्रतिशत हो गयी और वर्ष 1987 में 0.65 प्रतिशत रह गयी। 1991-92 में यह अत्यन्त ही चिन्ताजनक तरीके से घटकर मात्र 0.32 प्रतिशत रह गई। 1995 के अन्त तक रोजगार वृद्धि करके 0.20 प्रतिशत आ जाने की संभावना है इसी तरह उद्योगों के क्षेत्र में 1972 में रोजगार वृद्धि दर 5.1 प्रतिशत थी जो वर्ष 1978 में घटकर 3.75 प्रतिशत रह गई। वर्ष 1987 में यह 2.10 प्रतिशत पर आ गयी और 1991-92 में घटकर मात्र 1.40 प्रतिशत रह गई।

इन्हीं सरकारी आँकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि रोजगार में वृद्धि की दर कृषि तथा उद्योगों दोनों मिलाकर प्रतिवर्ष 1.90 प्रतिशत है जबकि बेरोजगारी में वृद्धि की दर प्रतिवर्ष औसतन 98.10 प्रतिशत है। अतः पिछले पाँच साल की उदारीकरण की नीतियों में रोजगार के अवसर दिलाने में पर्याप्त सफलता नहीं मिल पाई किन्तु आशा यह है कि आगामी वर्षों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी।

फिर भी भारत एक विकासशील देश है और यह विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है यहाँ श्रम की प्रचुरता है, फिर भी कुशल श्रमिकों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी यहाँ देखी जा सकती है। सस्ते श्रम की उपलब्धि आज भी भारत में बनी हुई है। अतः यदि बहुराष्ट्रीय निगम इस सस्ते श्रम का उपयोग कर अधिकतम लाभ कमाने की दृष्टि से भी भारतीय



श्रमिकों को रोजगार प्रदान कर सकते हैं तो इससे उनकी आय में वृद्धि होगी ही, साथ ही प्रति व्यक्ति आय और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। यदि बहुराष्ट्रीय निगम श्रम-प्रधान तकनीक का प्रयोग कर उत्पादन करता है तो रोजगार की दृष्टि से इसे वांछित माना जा सकता है।

#### 4. प्रौद्योगिकी व तकनीक हस्तान्तरण में सुविधा :

बहुराष्ट्रीय निगमों के माध्यम से तकनीक का अन्तरण भारत सहित विभिन्न देशों में हुआ है। इस प्रकार से अन्तरित तकनीक विभिन्न देशों के साधन-भण्डारों के अनुकूल हो भी सकती है और नहीं भी। अन्तरित तकनीक के देश में उपलब्ध साधन भण्डारों के अनुकूल न होने की बात पूँजी-प्रधान देशों से श्रम-प्रधान देशों को अन्तरित अनुपयुक्त तकनीक के अन्तरण के लिए भी उत्तरदाई है जो अकुशल श्रम प्रधान है। ऐसा करने का मतव्य यह भी हो सकता है कि इस प्रकार उत्पादन लागत कम बैठने से अधिक लाभ कमाया जा सकता था। अल्पविकसित देशों में उपलब्ध सस्ते श्रम का लाभ उठाने के लिए राष्ट्र-पार उद्यमों ने अपने विनिर्माण वस्तु-क्षेत्र के उत्पादन की तकनीक में अनेक बार महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं इतना ही नहीं, यह बहुराष्ट्रीय निगम नई तकनीक के विकास में समर्थ हो सकते हैं और रहे भी हैं। इसका कारण यह है कि इनके पास विशाल मात्रा में कौशल और साधन उपलब्ध हैं। इनके प्रयोग से श्रम-प्रधान तकनीक का विकास किया जा सकता है।

श्रम प्रधान तकनीक के अलौंवा, उत्पादन के कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जिनका विकास पूँजी-प्रधान तकनीक के बिना नहीं हो सकता, जैसे-पेट्रोलियम, रसायन, खनिज आदि। इन क्षेत्रों में तकनीक का अन्तरण लाभप्रद हो सकता है। ऐसी तकनीक का उत्पादन चाहे स्थानीय हो या आयात-निर्भर, इसके लिए बहुत अधिक साधन और समय की आवश्यकता होती है। समय की बचत करने के लिए बहुराष्ट्रीय निगमों का सहारा लिया जा सकता है, विशेषतया कच्चे तेल जैसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन की सम्भावनाओं की वृद्धि के लिए। भारत में यदि बहुराष्ट्रीय निगम पूँजी-प्रधान तकनीक के साथ सस्ती दर पर ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति करने में सक्षम है, जिनके उत्पादन में अधिक पूँजी की आवश्यकता पड़ती है तो यह कुछ समय के लिए वांछनीय हो सकता है और इस पर व्यय की जाने वाली पूँजी का उपयोग अन्य क्षेत्रों में करके विकास की गति को तीव्र किया जा सकता है, किन्तु बहुराष्ट्रीय निगमों पर लम्बे समय तक पूर्ण निर्भरता को वांछनीय नहीं कहा जा सकता।

बहुराष्ट्रीय निगम भारत में काफी लम्बे समय से कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनका परिचालन कई शतों के अधीन था। पहले उन्हें इक्विटी में प्रमुख भाग प्राप्त नहीं था। प्रौद्योगिकी अन्तरण पर रायल्टी अधिकार शुल्क अथवा एकमुश्त भुगतानों द्वारा रोक लगाई जाती थी। इसके परिणामस्वरूप

जब तक देशी फर्मों के पास बहुमत और प्रबन्धकीय नियंत्रण न हो तब तक बहुराष्ट्रीय निगम देशीय फर्मों को प्रौद्योगिकी हस्तान्तरित करने में अनिच्छुक होते थे। बहुराष्ट्रीय निगमों की भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रवेश की गति एवं प्रकृति गभीर चर्चा का विषय बन गई है। इसके समर्थकों का मत है कि इस नई प्रक्रिया से हमारी विकासमान अर्थव्यवस्था को प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण किया गया है, जबकि आलोचकों का मत है कि यह उन्नत देशों की विकासमान अर्थव्यवस्थाओं में विभिन्न प्रकार से घुसने की एक चाल है, जिसके द्वारा वे इनके सगठित उत्पादन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहते हैं। बहुराष्ट्रीय निगम लाभ अधिकतम करने के एक मात्र उद्देश्य से कार्य करते रहे हैं और वे लाभ, रायल्टी, भुगतान, कमीशन और तकनीकी परामर्श शुल्क को साधन घूसने के एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं। बहुराष्ट्रीय निगमों के विकास को एक प्रकार के नव साम्राज्यवाद की सजा दी जाती है। अतः भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रभाव का परीक्षण करना समीचीन होगा।

### 5. आयात-निर्यात नीति को सरलीकृत करने के लिए :

उदारीकरण एवं विश्वव्यापीकरण की इसी श्रृंखला में भारत सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 के लिए नई आयात-निर्यात नीति की घोषणा की है। इस नीति का वृहद् उद्देश्य व्यापार में न्यूनतम प्रतिबन्ध, अधिक स्वतन्त्रता एवं न्यूनतम प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करना है। 1 अप्रैल 1993 को पुनः सशोधित आयात-निर्यात नीति को और अधिक उदार बनाते हुए इसमें कृषि क्षेत्र की निर्यातोन्मुखी इकाइयों को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई गई साथ ही साथ आयात-निर्यात की निषिद्ध सूचियों में भारी कटौती की गई है।

कुल मिलाकर आयातनीति में तीन वस्तुओं के आयात पर पूरा प्रतिबन्ध लगाया गया है। 71 वस्तुओं के आयात को सीमित किया गया है और 7 वस्तुओं के आयात को सरकारी सस्थाओं द्वारा ही आयात की अनुमति दी गई है।<sup>9</sup> रूपये की परिवर्तनीयता के कारण किसी भी वस्तु का आयात करने के लिए अब बाजार भाव पर विदेशी मुद्रा खरीदनी होगी। इसी प्रकार 62 वस्तुओं के निर्यात पर विभिन्न सीमाएं और नियंत्रण लगाए गए हैं तथा 10 वस्तुओं का निर्यात सरकारी एजेंसियों के द्वारा ही किया जा सकेगा। नई नीति में पूँजीगत माल के आयात पर अब कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अब पुराने पूँजीगत माल के आयात की भी अनुमति होगी, जिनमें से कुछ मामलों में लाइसेंस लेना अब भी आवश्यक होगा।

1992-97 की आयात-निर्यात नीति में सशोधन सरकार ने 31 मार्च 1993 को आयात-निर्यात नीति (1992-97) में महत्वपूर्ण सशोधनों की घोषणा की। 31 मार्च 1992 को अगले पाँच वर्षों 1992-97 के लिए घोषित आयात-निर्यात नीति (EXIM POLICY) को और अधिक उदार बनाते हुए इसमें कृषि क्षेत्र में निर्यातोन्मुखी इकाइयों लगाने पर और छूट देने तथा सेवा क्षेत्र के लिए एक नई योजना प्रारम्भ करने की घोषणा की गई। इस नीति में किये गये सशोधन 1 अप्रैल 1993 से लागू हो गए। सरकार ने पुन 30 मार्च 1994 को आयात-निर्यात नीति (1992-97) में कुछ महत्वपूर्ण सशोधनों की घोषणा की। इन सशोधनों को 31 मार्च 1994 से लागू कर दिया गया है। आयात-निर्यात नीति में किये गये महत्वपूर्ण सशोधनों का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है –

1. निर्यात क्षेत्र का विस्तार निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने निषेधात्मक सूची में शामिल 334 वस्तुओं में से 144 वस्तुओं को निर्यात योग्य वस्तुओं की सूची में सम्मिलित कर लिया है। अब इनके निर्यात के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।
2. कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्रों की निर्यातोन्मुख इकाइयों को शुल्क रहित आयात का लाभ सशोधित आयात-निर्यात नीति के अनुसार अब कृषि, मत्सय, पशुपालन, मुर्गी पालन, बागवानी, रेशम उद्योग तथा फूलों का व्यापार करने वाली इकाइयों को भी निर्यातोन्मुखी इकाइयों कही जाती है। निर्यात ससाधन क्षेत्र योजना के अन्तर्गत शुल्क रहित आयात की सुविधा प्राप्त होगी। इस क्षेत्रों की निर्यातोन्मुखी इकाइयों को अपने उत्पादों का 50 प्रतिशत तक निर्यात करने पर वही सुविधाएँ तथा रियायतें मिलेंगी जो अन्य औद्योगिक इकाइयों को शत प्रतिशत अथवा 75 प्रतिशत तक निर्यात करने पर मिलती है। ऐसी इकाइयों अब अपने शेष 50 प्रतिशत उत्पादों को घरेलू बाजार में बेच सकेंगी, जबकि गैर कृषि क्षेत्र के लिए यह 25 प्रतिशत तक ही है।<sup>10</sup>
3. पूँजीगत माल की परिभाषा का विस्तार कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्रों को लाभान्वित करने के लिए नई सशोधित नीति के अन्तर्गत पूँजीगत सामान की परिभाषा को भी बदल दिया गया है। इसके फलस्वरूप अब कृषि क्षेत्र में कार्यरत इकाइयों भी निर्यात सम्बर्द्धन पूँजीगत लाभ योजना (Export Promotion Goods Scheme) का लाभ उठाकर उपकरणों को रियायती दर पर आयात करने की सुविधा का लाभ उठा सकती हैं।
4. सेवा क्षेत्र के लिए पूँजीगत सामान निर्यात प्रोत्साहन योजना सशोधित आयात-निर्यात नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता सेवा क्षेत्र का लाभ उठाने के लिए एक नई योजना लागू करना है। इस योजना को सेवा क्षेत्र के लिए पूँजीगत माल निर्यात सम्बर्द्धन योजना का नाम दिया गया है।

- 4 **ई पी सी जी योजना** निर्यात के विभिन्न क्षेत्रों के लिए लागू निर्यात सम्बद्धन पूँजीगत माल योजना (Export Promotion Capital Goods Scheme) के अन्तर्गत 15 प्रतिशत की रियायती आयात शुल्क दर को सशोधित आयात-निर्यात नीति में खुला रखा गया है तथा 25 प्रतिशत आयात शुल्क वाला दूसरा झरोखा अब समाप्त कर दिया गया है।
- 5 **बैंक गारण्टी में उदारता** ई पी सी जी योजना के अन्तर्गत एक आयातकर्ता को उपलब्ध की जाने वाली बैंक गारण्टी की आवश्यकताओं को सशोधित नीति के तहत उदार बना दिया गया है तथा बैंक गारण्टी प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी सुगम बनाया गया है। 30 मार्च 1994 को घोषित आयात-निर्यात नीति के सशोधन में विशेष आयात लाइसेंस के अन्तर्गत आयातों की सूची में विस्तार, सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस की नई श्रेणी का प्रारम्भ, रियायती सीमा शुल्क चुकाकर स्वर्ण व चाँदी के आयात की अनुमति।

## बहुराष्ट्रीय निगमों के गुण :

बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा विकासशील देशों के औद्योगीकरण में सहायता पहुँचायी गयी है। जहाँ विकासशील देश पूँजी व तकनीक देने में असमर्थ थे, वहाँ इन बहुराष्ट्रीय निगमों ने भारी मात्रा में पूँजी ही नहीं लगायी है, बल्कि तकनीक भी प्रदान की है, जिससे कि उन देशों में औद्योगिक उत्पादन की नींव ही नहीं रखी है, बल्कि उसके विकास में भी भारी योगदान दिया है। इन बहुराष्ट्रीय निगमों ने ऐसे उद्योगों की भी स्थापना इन विकासशील देशों में की है, जिनमें भारी मात्रा में पूँजी व आधुनिक तकनीक की आवश्यकता होती है जैसे, पेट्रोलियम, रसायन, खनिज आदि। भारत में बरमाह शैल व कालरैक्स पेट्रोलियम के क्षेत्र में इन्हीं निगमों की देन थी।

भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों ने साधनों के बारे में पता लगाकर उनके विदोहन का कार्य प्रारम्भ किया, जिसे भारत उन परिस्थितियों में नहीं कर सकता था। बहुराष्ट्रीय निगमों ने जब यह पाया कि भारत में श्रम सस्ता है तो उन्होंने उनका लाभ प्राप्त करने के लिए उत्पादन तकनीक में अनेक बार महत्वपूर्ण परिवर्तन किये, जिससे कि उत्पादन आधुनिक व अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से प्रतियोगी बन गया जो देश के हित नहीं रहा।

इन निगमों ने शोध एव विकास पर पर्याप्त मात्रा में व्यय किया तथा मुख्य कार्यालय के शोध एव विकास का लाभ शाखा कार्यालय व सहायक कम्पनियों को भी दिया है, जिससे अल्पविकसित देशों के औद्योगीकरण में सहायता मिली है।

बहुराष्ट्रीय निगमों ने विपणन कार्य भी कुशलता से कर निर्यात को बढ़ावा दिया है। इसके लिए बाजार शोध विज्ञापन, विपणन सुविधाओं का प्रसारण, भण्डार प्रबन्ध, पैकेजिंग आदि का भी विकास किया है, जिससे कि वस्तु उपभोक्ता तक उचित प्रकार में पहुँच सके। इनके द्वारा बृहत् स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं जिससे देश में रोजगार की सुविधाएँ बढ़ी हैं।

विकसित देशों में जन्में इन बहुराष्ट्रीय निगमों के कार्यक्षेत्र विकासशील देशों में अपेक्षाकृत अधिक व्यापक है। इनके क्रियाकलाप में वे सेवाएँ शामिल हैं, जिनका सम्बन्ध पूँजीगत तकनीक अन्तरण, उत्पादन के वितरण आदि की जानकारी के लिए शोध और उनके विकास से है। दूसरे स्तर पर वस्तु और उत्पादन आते हैं। इनसे सम्बन्धित कार्यकलाप मुख्य रूप से खनिज और पेट्रोलियम जैसे क्षेत्रों से सम्बन्धित है। इसके अलावा ये निगम 'बेबी फूड' और कृषि उत्पादन सहित खाद्य-सामग्री के क्षेत्र में भी कार्य करते हैं इतना ही नहीं इनका दखल अल्पविकसित देशों को विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात के क्षेत्र में भी है। इन सेवाओं और उत्पादों को उपलब्ध कराने में यह उत्पाद और क्रेता दोनों रूपों में कार्य करते हैं। भारत में बहुराष्ट्रीय निगम औषधि उद्योग, विद्युत मशीनरी, रसायन, एल्यूमिनियम धातु और उत्पाद, भारी इंजीनियरिंग सामान, खाद्य पदार्थ आदि उद्योगों में कार्यरत हैं।

### **बहुराष्ट्रीय निगमों की उपादेयता एवं लाभ निम्नवत हैं -**

#### **1. शोध एवं विकास :**

तकनीकी प्रगति के लिए तकनीकी विषयक शोध एवं विकास पर होने वाले व्यय का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। इस व्यय का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा उनके अपने देश के बाहर किया जाता है, यद्यपि यह व्यय भारत सहित अन्य विकासशील देशों में बहुत कम है, फिर भी इस सीमित व्यय से कुछ लाभ उठाये जा सकते हैं। सामान्यतः इस व्यय में वृद्धि की जा सकती है और की भी जानी चाहिए, क्योंकि अल्पविकसित देशों में लोगों का जीवन-स्तर विकसित देशों की तुलना में बहुत निम्न स्तर का है। बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रति नीति-निर्धारण के समय ऐसी व्यवस्था की जाय कि यह निगम शोध एवं तकनीकी विकास पर पर्याप्त धनराशि व्यय करें, जिससे देश में तकनीकी प्रगति हो और देश में आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने में सहायता प्राप्त हो सके।

#### **2. विदेशी पूँजी और तकनीक की आपूर्ति .**

किसी भी व्यवसाय को प्रारम्भ करने के लिए पूँजी की आवश्यकता होती है। औद्योगीकरण को जन्म देने के लिए भारत जैसे देश में पूँजी की पर्याप्त मात्रा में कमी थी, जिससे हमारे लिए यह

आवश्यक हो गया है कि विदेशी सहयोग के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में विदेशी पूँजी प्राप्त करे, क्योंकि जिस प्रकार शरीर को जीवित करने के लिए रक्त की संचार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार किसी व्यवसाय को पुर्नजीवित करने के लिए पूँजी की आवश्यकता होती है।

खाडी युद्ध से उपजे प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन तथा घरेलू स्तर पर राजनीतिक अस्थिरता के वातावरण में विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार 1990-91 के अन्त में 11 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुँच गया। इस गम्भीर स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने विदेशों में भारतीय साख को बचाने के उद्देश्य से तात्कालिक उपाय के रूप में भारतीय स्टेट बैंक को 20 टन सोना इस शर्त पर उधार दिया कि वह इसे विदेशों में बेचकर विदेशी मुद्रा अर्जित करे तथा 6 माह के बाद जब देश में विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डारों की स्थिति ठीक हो जाए तो इस सोने को पुन खरीद कर ले।

विश्व के पिछड़े तथा विकासशील राष्ट्रों की आर्थिक विषमता को दूर करने में विदेशी पूँजी की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। भारत को विदेशी पूँजी निम्नलिखित रूप से प्राप्त होती है। (अ) प्रत्यक्ष निवेश बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा निवेश (ब) अप्रत्यक्ष निवेश- विदेशियों द्वारा भारतीय कम्पनियों के हिस्से अथवा डिबेचर (ऋण-पत्र) खरीदना, (स) विदेशी पूँजी जिसे विदेशी सहायता अथवा वाह्य सहायता भी कहते हैं। यह पूँजी विश्व बैंक (आई बी आर डी) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई एम एफ) तथा अन्य सयुक्त राष्ट्र एजेन्सियों के अनुदानों तथा ऋणों के रूप में प्राप्त होती हैं। अर्थव्यवस्था में खुलापन आने के फलस्वरूप विदेशी निवेश अब 250 से 400 करोड़ डालर प्रतिवर्ष आने लगा है। भारत में 1994 के दौरान मात्र 95 करोड़ डालर का निवेश हुआ जबकि 1995 में यह राशि बढ़कर 212 अरब डालर पहुँच गयी। इस प्रकार 1991-95 तक कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मात्र 4 अरब डालर का हुआ है।

भारत में पूँजी निवेश के दौरान अमेरिका की सक्रिय भूमिका रही है। अमेरिका ने उदारीकरण के पहले तीन वर्षों में कुल विदेशी निवेश का लगभग एक तिहाई 545.62 करोड़ रुपये लगाये थे। 1994 की पहली छमाही में केवल 573.39 करोड़ रुपये का निवेश किया जबकि 1991 में 185.85 करोड़ रुपये 1992 में 1231.50 करोड़ रुपये तथा 1993 में 3461.88 करोड़ रुपये का निवेश किया गया। इसी प्रकार जापान में 1991 में 52.71 करोड़ रुपये का प्रस्ताव मिले जो 1992 में बढ़कर 610.23 करोड़ रुपये हो गये, परन्तु 1993 में कम होकर 257.43 करोड़ रुपये तथा 1994 में इसमें और कमी हुई। वर्ष की पहली छमाही में सिर्फ 18.90 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। जिन देशों की ओर से निवेश प्रस्ताव में निरन्तर वृद्धि हुई है वे हैं- ब्रिटेन, जर्मनी, सयुक्त अरब अमीरात, फ्रान्स,

सिगापुर और कनाडा।

भारत में विदेशी पूँजी निवेश अप्रैल 1997 में 14 01 करोड़ डालर मई 1997 में 19 97 करोड़ डालर, जुलाई 1997 में 27 42 करोड़ डालर, अगस्त 1997 में 14 94 करोड़ डालर था। विदेशी पूँजी निवेश के तेजी से भारत में बढ़ने के फलस्वरूप कई समस्याएँ भी पैदा होती हैं। जैसे विदेशी निवेशक उन्हीं क्षेत्रों में पूँजी निवेश लगाने को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिसमें अधिक लाभ की गुंजाइश है। उदाहरण स्वरूप कोका कोला, पेप्सी आदि। औद्योगिक नीति 1991 के अन्तर्गत जहाँ एक ओर घरेलू विनियमन व्यवस्था में सुधार किए गये, वहीं दूसरी ओर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के भारत में प्रवाह को बढ़ाने के लिए विदेशी निवेश से सम्बन्धित अनेक विनियमों में भी सुधार किए गए हैं। ये सुधार निम्नलिखित हैं -

- 1 उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में विदेशी इक्विटी की अधिकतम सीमा को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 51 प्रतिशत कर दिया गया है।
- 2 गैर प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में विदेशी निवेश सम्बन्धी नीति को उदार बनाया गया है। इस कार्य के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त विदेशी निवेश सम्बन्धित बोर्ड (एफ आई पी बी ) का गठन किया गया है। यह बोर्ड बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विदेशी निवेश सम्बन्धी मामलों को शीघ्रता पूर्वक निपटाने का कार्य करता है।
- 3 उच्च प्रौद्योगिकी तथा भारी निवेश प्राथमिकता वाले उद्योगों की विनिर्दिष्ट सूची के लिए फर्मों को कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत विदेशी प्रौद्योगिकी करार करने की स्वतः अनुमति प्राप्त हो गई है। इसके लिए दी जाने वाली रायल्टी की सीमा घरेलू बिक्री का 5 प्रतिशत तथा निर्यात बिक्री का 8 प्रतिशत रखी गई है।

अधिकाधिक विदेशी पूँजी निवेश को भारत में आकर्षित करने के लिए सरकार ने विदेशी सस्थागत निवेशकों पेंशन फण्ड्स, म्यूचुअल फण्ड्स, निवेश न्यास, एसेट मैनेजमेंट कम्पनियों, नोमनी कम्पनियों, निगमित व सस्थागत पोर्ट फोलियों प्रबन्धकों आदि को भारतीय पूँजी बाजार में प्रत्यक्ष निवेश करने की छूट प्रदान कर दी है। इन निवेशकों को दी गई कर राहतों में लाभांश तथा ब्याज आय पर 20 प्रतिशत तथा दीर्घावधि पूँजी आय पर 10 प्रतिशत कर दर निर्धारित करना शामिल है। ये सस्थागत निवेशकर्ता अब सभी प्रकार की प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं, परन्तु ऐसा करने से इन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (एस ई बी आई ) के तहत पंजीकरण कराना होता है एवं फेरा अधिनियम के

तहत भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त करनी होती है। विदेशी सस्थागत निवेशको द्वारा द्वितीयक बाजारों में किए गए निवेशों के बीच कोई लॉक-इन-पीरियड भी नहीं है किन्तु कोई एक सस्थागत निवेशक किसी एक कम्पनी के 5 प्रतिशत से अधिक शेयर क्रय नहीं कर सकता तथा कम्पनी की कुल विदेशी इक्विटी 51 प्रतिशत से अधिक भी नहीं हो सकती।

बहुराष्ट्रीय निगमों के माध्यम से तकनीक का अन्तरण भारत सहित विभिन्न देशों में हुआ। इतना ही नहीं, यह बहुराष्ट्रीय निगम नई तकनीक के विकास में समर्थ हो सकते हैं और रहे भी है। इसका कारण यह है कि इनके पास विशाल मात्रा में कौशल और ससाधन उपलब्ध है। इनके प्रयोग से श्रम प्रधान तकनीक का विकास किया जा सकता है। सरकार ने करारोपण में सुधार हेतु डॉ० राजा चेलैया की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए वर्ष 1993-94 के बजट में सीमा शुल्को तथा उत्पाद शुल्कों में व्यापक राहत प्रदान करने की घोषणा की। अप्रत्याशित कमी से न केवल विदेशों से मशीनरी और नवीन प्रौद्योगिकी देश में आएगी, बल्कि भारत लौटने वाले प्रवासी भारतीय अब अपने साथ अधिक सामान ला सकेंगे। इससे घरेलू उद्योगों को घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। घरेलू उद्योगों को आयातित वस्तुओं की टक्कर में समान स्तर प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय उद्योगों को उत्पाद शुल्क में भी भारी रियायतें प्रदान की गई हैं। ये रियायतें उदारीकरण के अन्य कार्यक्रमों के पूरक रूप हैं।

### 3. औद्योगिक उत्पादन का व्यापक आधार :

भारत में औद्योगिक उत्पादन के लिए आवश्यक व्यापक आधार निर्मित हो चुका है तकनीकी एव प्रबन्ध कुशलता में भी यह सक्षम है। सारे देश में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है जिसके लिए यह आवश्यक हो गया है कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन बृहत पैमाने पर किया जाय। बहुराष्ट्रीय निगमों के माध्यम से उत्पादन बृहत पैमाने पर करके उपभोक्ताओं की मांग को पूरा किया जा सकता है। देश में प्राकृतिक ससाधनों की प्रचुरता है और इन सबसे ऊपर तैयार माल की खपत के लिए बहुत बड़ा घरेलू बाजार है। ऐसी परिस्थितियों में निजी क्षेत्र के उत्पादक यदि कम कीमत पर उच्च कोटि की वस्तुओं का उत्पादन करने लगते हैं और वे वस्तुएँ विदेशी वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा में बाजार में टिक भी जाती हैं तो घरेलू खपत के साथ-साथ निर्यात में भी वृद्धि होगी।

श्रम प्रधान तकनीक के अलावा, उत्पादन के कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं, जिनका विकास पूँजी प्रधान तकनीक के बिना नहीं हो सकता जैसे पेट्रोलियम, रसायन, उर्वरक, खनिज आदि इन क्षेत्रों में तकनीक का अन्तरण लाभप्रद हो सकता है। ऐसी तकनीक का उत्पादन चाहे, स्थानीय हो या आयात



पर निर्भर, इसके लिए बहुत अधिक साधन और समय की आवश्यकता होती है। समय की बचत करने के लिए बहुराष्ट्रीय निगमों का सहारा लिया जा सकता है, विशेषतया कच्चे तेल जैसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन की संभावनाओं की वृद्धि के लिए।

भारत में यदि बहुराष्ट्रीय निगम पूँजी-प्रधान तकनीक के साथ सस्ती दर पर ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति करने में सक्षम हैं, जिनके उत्पादन में अधिक पूँजी की आवश्यकता पड़ती है तो यह कुछ समय के लिए वाछनीय हो सकता है और इस पर व्यय की जाने वाली पूँजी का उपयोग अन्य क्षेत्रों में करके विकास की गति को तीव्र किया जा सकता है।

#### 4 विपणन सम्बन्धी सुविधा :

बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा वस्तुएँ एक देश से दूसरे देश, विशेषतः अल्पविकसित देशों से विकसित देशों को वस्तुओं का आदान-प्रदान होता है, जिससे दोनों देशों की संस्कृति एवं सभ्यता का विकास होता है। विपणन एक ऐसी क्रिया है जिसमें विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप सम्मिलित हैं, जिन्हें बहुराष्ट्रीय निगम अल्पविकसित देशों में अपेक्षाकृत अधिक कुशलता से कर सकते हैं। इन क्रियाकलापों में बाजार सम्बन्धी शोध, विज्ञापन, विपणन, सूचनाओं का प्रसार, गोदाम, यातायात, पैकिंग की डिजाइन तैयार करना, वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुँचाना आदि सम्मिलित हैं। यह सभी कार्य अल्पविकसित देशों के लिए बहुराष्ट्रीय निगम बहुत अधिक कुशलता से करते हैं किन्तु अल्पविकसित देशों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है।

#### 5. सेवा क्षेत्र में उपलब्धियाँ :

‘सेवाओं में व्यापार का सामान्य समझौता’ (General Agreement on Trade in Service) नाम से गैट समझौते व डकल प्रस्ताव में एक प्रावधान यह है कि सदस्य देशों को सेवाओं के व्यापार पर लगे प्रतिबन्धों को समाप्त करना होगा। इसके अनुसार बीमा, बैंक, शिक्षा, पर्यटन, संचार, स्वास्थ्य, यातायात, टेलीकम्यूनिकेशन, इंजीनियरिंग, जहाजरानी, वायुसेवा, परामर्श, विज्ञापन, मीडिया, डाटा प्रोसेसिंग, आदि सेवा क्षेत्रों को प्रतिबन्ध मुक्त करना होगा और इन क्षेत्रों में विदेशी कम्पनियों को घरेलू कम्पनी का दर्जा देना होगा। इन कम्पनियों के साथ ‘सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र’ (MFNA) की तरह व्यवहार करना होगा। बैंकिंग, बीमा, जनसंचार, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य, टेलीकम्यूनिकेशन, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्र की अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का भारत में प्रवेश होगा। इससे इन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जिसका लाभ आम उपभोक्ताओं को मिलेगा।

सेवा क्षेत्र सम्बन्धी गैट समझौते के इन प्रावधानों से यह आशका व्यक्त की जा रही है कि इससे देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का न केवल बहुतायत में प्रवेश होगा बल्कि अपने विशाल ससाधनों के चलते वे भारतीय कम्पनियों के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह भी लगा देने में सक्षम होंगी। विकसित देशों की बैंकिंग एवं बीमा कम्पनियों भारतीय कम्पनियों अथवा सस्थाओं से हर मामले में आगे हैं। विदेशी बैंक अपने ग्राहकों को मौजूदा समय में भी अधिक सेवा व ब्याज प्रदान करते हैं। इस ताकत के बूते वे भारत के राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशि को बड़ी सरलता से अपनी ओर खींच लेंगे। इस तरह हमारी ही घरेलू बचत हमारे अपने विकास कार्यों के लिए उपलब्ध न हो सकेगी। ऐसी स्थिति में हमारी सरकार को देश के विभिन्न विकास कार्यों हेतु विदेशी कम्पनियों व सस्थाओं से ऋण लेना पड़ेगा, जिसके बदले वे स्पष्ट रूप से हमारी नीतियों को प्रभावित करने का काम करेगी। इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक से अनाप-शनाप ऋण लेकर हम अपनी हालत पतली कर चुके हैं। भारतीय कम्पनियों की अपेक्षा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों अपने ग्राहकों को सतुष्टि पूर्ण वार्तालाप करने, बैठने, ठहरने और उनकी समस्याओं को सुनने तथा उन्हें सुगमता पूर्वक हल करके ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न होती है।

## 6. भारतीय उद्योगों को प्रतियोगी बनाने की भावना :

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगमन, उदारीकरण एवं आर्थिक सुधारों की नीतियों में सरकार ने इस बात के स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि भारतीय उद्योगों को भविष्य में सरकारी संरक्षण के बिना ही कार्य करना होगा। विगत 40 वर्षों से भारतीय उद्योगों को संरक्षण पर जीने की आदतें हो गई हैं। संरक्षणवादी नीतियों का लाभ उठाकर भारतीय उद्योगों ने न तो गुणवत्ता में सुधार किया और न ही लागत को कम करने का प्रयास किया, परन्तु अब सारे विश्व में जिस प्रकार से तैयार माल की कीमतें घटी हैं, उससे भारत भी अछूता नहीं रह सकता। भारतीय उद्योगों को तैयार माल की गुणवत्ता व कीमत दोनों ही मामलों में प्रतियोगी बनना होगा। सरकार ने प्रत्येक स्तर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पैर जमाएँ बगैर भारत के विकास में और अधिक तेजी नहीं लाई जा सकती है और इसके लिए यह जरूरी हो गया है कि भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था का स्वरूप प्रतिस्पर्धात्मक हो। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आने से घरेलू कम्पनियों भी अपने उत्पादों में प्रतियोगिता के वजह से उच्च किस्म की वस्तुएँ निर्मित करने की कोशिश करते हैं। प्रतियोगिता का होना ही व्यवसाय में बने रहने का कारण ही गुणवत्ता में सुधार है। इस प्रकार से यह भारतीय उद्योगों को प्रतियोगी बनाने की भावना उत्पन्न कर गुणवत्ता में सुधार के प्रति मार्ग-प्रशस्त करती है। इस कारण से ग्राहकों को अच्छे किस्म की वस्तुएँ कम मूल्य पर मिल पाती हैं। जिन वस्तुओं को हम उत्पादित नहीं कर

सकते हैं या उसका निर्माण नहीं कर सकते हैं, उसे बहुराष्ट्रीय निगमों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा औद्योगिक परिवर्तन तेजी से होता है, जिससे बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो पाता है। इस प्रकार हम आयात प्रतिस्थापन और निर्यात प्रोत्साहन नीति अपनाने में सफल हो सकते हैं। उच्च तकनीक का उपयोग करके लागत में कमी लाने के साथ-साथ वस्तुओं की उच्च गुणवत्ता बनाये रखा जा सकता है।

## 7. मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध :

जब व्यापार दो देशों के मध्य होता है तो उसमें अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव एवं सहयोग स्थापित होता है, जिससे आधुनिकतम टेक्नोलॉजी, वैज्ञानिकीकरण, भुगतान सतुलन, विनिमय दर, रूपये की पूर्ण परिवर्तनीय, श्रमशक्ति का उपयोग, मुद्रास्फीति नियंत्रण, पूँजी सहयोग, विदेशी प्रौद्योगिकी तथा इसके साथ-साथ आन्तरिक एवं वाह्य सम्बन्ध मधुर बनते हैं। विकासशील देशों में बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका को प्रभावशाली बनाने में कतिपय घटकों का महत्वपूर्ण योगदान है। वास्तव में बहुराष्ट्रीय निगम यह अनुभव करते हैं कि उनकी विश्वव्यापी गतिविधियों का प्रसार करने में वर्तमान परिवेश प्रोत्साहक है। अपनी अर्थव्यवस्थाओं पर वर्चस्व रखने वाले चीन और रूस जैसे देश भी सवृद्धि और विकास सम्बन्धी अभिवृत्तियों में परिवर्तन के कारण बहुराष्ट्रीय निगमों में रुचि दर्शा रहे हैं।

## 8. रोजगार परक :

भारत एक विकासशील देश है और यह विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है। यहाँ श्रम की प्रचुरता है, फिर भी कुशल श्रमिकों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी यहाँ देखी जा सकती है, सस्ते श्रम की उपलब्धि आज भी भारत में बनी हुई है। अतः यदि बहुराष्ट्रीय निगम इस सस्ते श्रम का उपयोग कर अधिकतम लाभ कमाने की दृष्टि से भी भारतीय श्रमिकों को रोजगार प्रदान कर सकते हैं तो उससे उनके आय में वृद्धि तो होगी ही साथ ही प्रति व्यक्ति आय और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। यदि बहुराष्ट्रीय निगम श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग कर उत्पादन करता है तो रोजगार की दृष्टि से इसे वांछित माना जा सकता है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने देशों और विदेशों में लगभग 73 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया है, जिनमें सम्पूर्ण विश्व के गैर-कृषि कार्यकलापों के लगभग 10 प्रतिशत रोजगार निहित है। यदि केवल विकसित देशों की गणना की जाय तो इसका परिणाम लगभग 20 प्रतिशत होता है। विश्व का लगभग एक-तिहाई उत्पाद बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा नियन्त्रित किया जाता है। भारत में भी

इस प्रकार की अनेक कम्पनियों हैं जैसे पाण्ड्स, वारेन टी, सीबा, कोलगेट-पामोलिव, हिन्दुस्तान लीवर, ग्लैक्सो, गुडलक नैरोलेक पेण्ट्स, पेप्सी कोला इत्यादि।

सर्वे के अनुसार बहुराष्ट्रीय निगमों को रोजगार के अवसर सृजित करने में सफलता प्राप्त हुई है। इनमें 1990 से 1995 की अवधि के दौरान 3.84 प्रतिशत रोजगार वृद्धि हुई। इसके साथ ही अप्रत्यक्ष रोजगार में लगभग 9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई। अतर्वर्ती वस्तु उद्योग (3.01 प्रतिशत) उपभोक्ता अस्थाई उद्योग (8.20 प्रतिशत) और सेवा उद्योग (3.21 प्रतिशत) में कुल रोजगार में उच्च सवृद्धि दर दर्शाई गई। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के उद्योग में 0.8 प्रतिशत की दर से कम रोजगार वृद्धि हुई, किन्तु बढ़ते हुए मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति में वृद्धि होने के साथ ही इसमें सुधार होने की आशा है।

सर्वेक्षण से यह भी पता चला है कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के रोजगार में 1990-1995 की अवधि में 0.89 प्रतिशत की कमी आई। निजी क्षेत्र के रोजगार में सभी उद्योगों की तुलना में 2.89 प्रतिशत की दर से औसत से अत्यधिक उच्च सवृद्धि हुई।<sup>11</sup>

वर्तमान में विकासशील देश असहाय स्थिति में नहीं हैं। पिछले कुछ समय में इन देशों ने बहुराष्ट्रीय निगमों से समझौता करने में पर्याप्त विशेषज्ञता हासिल कर ली है। वास्तव में बहुराष्ट्रीय निगमों और पोषक देशों के बीच मौजूद भ्रान्तियों और मतभेद अब धीरे-धीरे प्रारम्भिक सहयोग स्थापित कर रहे हैं।

तालिका 4.3  
रोजगार में वृद्धि

वर्ष	कुल रोजगार मिलियन में	कुल रोजगार में प्रतिशत वार्षिक वृद्धि	अतिरिक्त रोजगार सृजन मिलियन में
1977-78	239.80	-	-
1987-88	290.90	2.00	51.10
1989-90	292.89	-	2.00
1990-91	298.73	1.99	5.84
1991-92	301.73	1.00	3.00
1992-93	308.31	2.18	6.58

1993-94	313 33	1 63	5 02
1994-95	320 51	2 29	7 18

**SOURCE** Eighth five year Plan Vol 2 And Economic Survey 1995-96 P S 50

### अन्य लाभ :

- 1 बहुराष्ट्रीय निगमे आर्थिक रूप से बहुत शक्तिशाली होते हैं।
- 2 इनके पास व्यापार करने का अनुभव प्राप्त होता।
- 3 अपने पूँजी निवेश के समय ये कम्पनियाँ बहुत जोखिम उठाती हैं, क्योंकि जहाँ ये निवेश करती हैं वहाँ बिजली, परिवहन, श्रमिकों तथा विपणन की समस्याओं से गुजरना पड़ता है।
- 4 बहुराष्ट्रीय निगमों देश-विदेश में नये-नये सस्थानों की स्थापना करते हैं तथा अपने उत्कृष्ट प्रबन्धन तथा शिक्षण का पूरा-पूरा लाभ उठाने में सफल होते हैं।
- 5 बहुराष्ट्रीय निगमों अपने उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण अपनी अन्य कम्पनियों में करते हैं तथा खोज और अनुसंधान पर जो खर्च किया जाता है उससे नये-नये उत्पादों का आविष्कार होता है, इससे लोगों का जीवन स्तर सुधारने में सहायता मिलती है।
- 6 बहुराष्ट्रीय निगमों का सर्वत्र स्वागत किया जाता है, क्योंकि ये निगम पूँजी निर्माण तथा रोजगार में वृद्धि करते हैं।
- 7 बहुराष्ट्रीय निगमों के आगमन से हर क्षेत्र में विकास सम्भव हो पाता है चाहे वह पूँजी, तकनीकी, अनुसंधान, क्षेत्रीय विकास व रोजगार का क्षेत्र हो सकता है।
- 8 बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा दो या अधिक देशों के मध्य मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित होता है। उसमें अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव एवं सहयोग स्थापित होता है, जिससे आधुनिकतम टेक्नोलॉजी, वैज्ञानिकीकरण, भुगतान सतुलन, विनिमय दर, रूपये की पूर्ण परिवर्तनीयता, श्रम शक्ति का उपयोग, मुद्रास्फीति नियंत्रण, पूँजी सहयोग तथा इसके साथ-साथ आन्तरिक एवं वाह्य सम्बन्ध मधुर बनता है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ एक समूह के देशों द्वारा उत्पन्न कच्चे माल को, दूसरे समूह के देशों की श्रमशक्ति एवं सयंत्र सुविधाओं की सहायता से रूपान्तरित करके, वस्तुओं का विनिर्याण करके और इन वस्तुओं को बाजार में बेचकर उत्पादन के अन्तर्राष्ट्रीयकरण में योगदान करती हैं। निरन्तर सम्प्रेषण, त्वरित परिवहन, कम्प्यूटर, आधुनिक प्रबन्धकीय तकनीकें आदि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को ससाधनों के विदोहन में सहायता करती रही हैं। बहुराष्ट्रीय निगमों ने नये उद्योगों को प्रौद्योगिकी प्रबन्धकीय कौशल तथा पूँजी प्रदान करके अन्य कई मामलों में उनके व्यवसाय संचालन हेतु परिवहन सहित समूची सामाजिक-आधारिक सुविधा

सृजित करके नवोन्मेषी और उत्प्रेरक भूमिका निभाई है। इन निगमों के विश्वव्यापी विपणन सगठन होते हैं जो विकासशील देशों के निर्यातों में सुविधा प्रदान करते हैं और इस प्रकार एक परम्परागत क्रम उत्पादक क्षेत्र को उच्च उत्पादक निर्यात क्षेत्र में रूपान्तरित करने की प्रक्रिया में सहायता पहुँचाते हैं।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विपणन वित्तीय एवं तकनीकी सेवाओं से सम्बन्धित कौशल लाता है। सयुक्त राष्ट्रमंडल के माध्यम से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश स्थानीय प्रबंधकों को प्रशिक्षित करने में सहायता करता है और व्युत्पादक प्रभावों के माध्यम से रोजगार के अवसरों में वृद्धि करता है।

वर्तमान में विकासशील देश असहाय स्थिति में नहीं हैं। पिछले कुछ समय में इन देशों ने बहुराष्ट्रीय निगमों से समझौता करने में पर्याप्त विशेषज्ञता हासिल कर ली है। वास्तव में बहुराष्ट्रीय निगमों और पोषक देशों के बीच मौजूद भ्रान्तियाँ और मतभेद अब धीरे-धीरे प्रारम्भिक सहयोग स्थापित कर रहे हैं। यही कारण है कि नवोन्मेषी सविदात्मक किस्म की श्रृंखलाओं ने लागतों और लाभों के अधिक वितरण का मार्ग प्रशस्त किया है।

पहले हमारा व्यापार अपने देश के ही अन्तर्गत सम्पन्न होता था, किन्तु धीरे-धीरे हमारा सम्बन्ध जिन दूसरे देशों से मित्रतापूर्ण बनता गया यह द्विपक्षीय व्यापार का रूप धारण करने लगा। इस प्रकार हमें गैट, विश्व व्यापार सगठन (डब्ल्यू टी ओ ) में सदस्यता बनाये रखने के लिए और विदेशों में अपने निर्यातों को बढ़ाने तथा आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए बहुपक्षीय व्यापार की आवश्यकता महसूस हुई।<sup>12</sup> इसलिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अपना हमारी मजबूरी या सहयोग कहिए, किन्तु आज इसकी आवश्यकता महत्वपूर्ण है। बिना इसके विदेशों में अपना बाजार स्थापित नहीं कर सकते हैं।

## बहुराष्ट्रीय निगमों के दोष -

- 1 अमेरिका आधारित बहुत से निगम कई देशों में अपना पूर्ण स्वामित्व स्थापित कर चुके हैं। उदाहरण स्वरूप सिंगापुर, मैक्सिको, ब्राजील तथा ताइवान। इन देशों में आयकर दरें कम होने के कारण अमेरिकी निगमों को अत्यधिक लाभ मिल रहा है।
- 2 भारत जैसे देश में साठ के दशक में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों 25 से 40 प्रतिशत का भागीदार बन सकती थीं। उनको बहुत से विशेषाधिकार प्राप्त थे, जिससे वे अत्यधिक लाभान्वित हो सकती थीं।
- 3 बहुराष्ट्रीय कम्पनियों अपने सभी कर्मचारियों को वेतन के रूप में अच्छी राशि प्रदान करती हैं,

<sup>12</sup> सिघर्ड, डॉ जी सी अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र 1992, पृष्ठ संख्या- 398

जिससे समाज में न केवल असमानता व्याप्त होती है, बल्कि असतोष भी फैलता है।

- 4 बहुराष्ट्रीय निगमों अपनी कम्पनियों बड़े-बड़े शहरों में स्थापित करते हैं, जहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध रहती हैं, जिससे क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि होती है।
- 5 बहुराष्ट्रीय निगमों आम राजनीति तथा अपना मतलब साधने हेतु विधायकों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घूस भी देती हैं जिससे भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है। ये निगमों विशेष वर्ग के लोगों को लुभावने देते हैं तथा नौकरी प्राप्त करने वाले लोग आमतौर पर स्थानीय विधायकों के सम्बन्धी होते हैं।
- 6 बहुराष्ट्रीय निगमों एकाधिकार और केन्द्रीकरण की स्थापना करने में सफल हो जाते हैं, जिससे लाभ का अत्यधिक हिस्सा उन्हीं के हाँथों में चला जाता है।
- 7 बहुराष्ट्रीय निगमों अपनी वस्तुओं की माग बढ़ाने या एकाधिकार स्थापित करने के लिए व्यवसाय प्रारम्भ करने के समय अपनी वस्तुओं को लागत से कम मूल्य पर भी बेच देती हैं, जिससे घरेलू वस्तुओं की बाजार में माग कम हो जाती है तथा वे विदेशी वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा से व्यवसाय से बाहर हो जाती है, जिसके कारण घरेलू उद्योग नष्ट होने की स्थिति में आ जाते हैं। फिर यही बहुराष्ट्रीय निगमों कुछ वर्षों के पश्चात् अत्यधिक लाभ कमाने में सफल हो जाते हैं।

बहुराष्ट्रीय निगम आकर्षणात्मक विज्ञापनों के माध्यम से प्रदर्शन उपभोग और फालतू खर्च को बढ़ावा देते हैं। गरीब देशों की उत्पादन शैली गरीब वर्गों की प्रतिकूल स्थिति के लिए अत्यधिक असहज बन जाती है। इन निगमों द्वारा उच्च मध्यम एवं समृद्ध वर्गों की आवश्यकताओं की सृष्टि की जा रही है। इस प्रकार के प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग का केन्द्र भारतीय अर्थव्यवस्था के 18 करोड़ उपभोक्ता हैं।<sup>13</sup> इस दृष्टि से एक नयी उपभोक्ता संस्कृति पनप रही है, जिसमें कोला, जैम आइसक्रीम, तैयार खाद्य और चिर स्थायी उपभोग वस्तुओं के उत्पादन पर बल दिया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप मजदूरी-वस्तु क्षेत्र की सर्वथा उपेक्षा की जा रही है। ऐसे उत्पादनो द्वारा जन कल्याण के लाभ की अपेक्षा उच्च वर्गों की तुच्छ आवश्यकताओं की ही सृष्टि की जा रही है। बहुराष्ट्रीय निगमों का आलू चिप्स, बेकरी उत्पादन, तैयार खाद्य पदार्थों आदि में प्रवेश लघुस्तरीय उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के विस्थापन का कारण बन गया है क्योंकि ये छोटी इकाइयाँ बहुराष्ट्रीय निगमों के विरुद्ध प्रतियोगिता में नहीं टिक सकतीं और सिवाय बन्द करने के इनके पास कोई उपाय नहीं रह जाता। अतः उत्पादन एवं

<sup>13</sup> योजना सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (भारत सरकार), अंक 8, नवम्बर 1996, पृष्ठ संख्या-16

रोजगार दोनों की दृष्टि से बहुराष्ट्रीय निगमों के नरम क्षेत्रों में अप्रतिबन्धित प्रवेश के परिणाम भयानक ही है।

बहुराष्ट्रीय निगम यह चाहते हैं कि विश्व उन पर और उनके उत्पादों पर निर्भर रहे। उनके कार्यकलापों से यदि पोषक देश दुर्बल बनते हैं तो इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं है। प्रायः यह देखा गया है कि लोगों और देशों को बीमार और निष्क्रिय बनाये रखने की स्थिति उनके लिए अत्यधिक लाभजनक है। लाभों में अभिवृद्धि करना ही बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का प्रमुख उद्देश्य है। भारत एवं तीसरे विश्व के अन्य देशों में बिक्रय किए जाने वाले रसायनों एवं ड्रगों में से 80 प्रतिशत स्वयं उनके अपने देश में ही प्रतिबन्धित है, फिर भी प्रतिबन्धित 145 पेस्टिसाइड्स में से 103 (अथवा 71 प्रतिशत) के उत्पादन में वृद्धि हुई है।<sup>14</sup>

भारत में बहुराष्ट्रीय निगम कुछ सीमित क्षेत्रों (सुगन्धि, सौन्दर्य प्रसाधन की वस्तुएँ एवं साबुन, औषधियों एवं मोटर गाड़ियों एवं अन्य उपभोक्ता वस्तुओं, जिसमें लाभ की सम्भावना अधिक रहती है) में ही प्रवेश करना चाहते हैं और यदि इनमें प्रवेश की इजाजत न दी जाए तो ये आना नहीं चाहते। यही कारण है कि पश्चिम के उद्योगपति भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ सहयोग करने के लिए विशेष रूप से अनिच्छुक रहते हैं। भारत में 1997 से उदारताकारण की नीति लागू होने से ये निगम सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश (महाराष्ट्र का एनरान विद्युत परियोजना) तो कर रहे हैं, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं का हित न होकर लाभ को अधिकतम करना ही है। यही कारण है कि देश के इन निगमों के क्रियाकलाप हमेशा सदिग्ध बने रहते हैं। इसी प्रकार विदेशी तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता का स्थानीय पहल पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह बात उन क्षेत्रों में विशेष रूप से लागू होती है जिनमें देशी सामर्थ्य पूर्णतया विकसित है। इसकी स्वाभाविक परिणाम तकनीक का अनावश्यक दोहराव है।

कभी-कभी प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण श्रृंखला से जुड़ा होता है। किसी देश को उसी देश से मध्यवर्ती एवं पूँजीगत वस्तुएँ खरीदनी पड़ती हैं, जिससे उनसे जानकारी खरीदी थी। ऐसी स्थिति में सामान्य कीमत से अधिक मूल्य लेकर मूल निगम पहले से ही दोहनशील स्थिति का पूरा फायदा उठाते हैं, जिससे पोषक देश की सहायक कम्पनी को विशेषीकृत विनिर्माण प्रक्रिया प्रयुक्त करने के लिए बहुधा अतिशय मूल्य चुकाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिकी की जटिल प्रकृति के कारण इसके आगे के कार्यान्वयन एवं भविष्य में इसे अपनाएँ एवं इसकी विकास सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने के लिए पोषक देश इनके पैतृक देशों पर निर्भर हो जाते हैं। इसका अनुसंधान एवं विकास



विकसित देशों से ही प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार स्थानीय वैज्ञानिक एवं तकनीशियन विकसित देशों में पहुँच जाते हैं। जिसके परिणामस्वरूप भारत जैसे विकासशील देशों से प्रतिभाओं का पलायन होता है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की विभिन्न अनुषंगिया (सहायक कम्पनियों) आपस में गहराई से जुड़ी होती है। इस प्रकार वे विश्वव्यापी लाभ में अभिवृद्धि करने हेतु व्यापार में आसानी से जोड़-तोड़ कर सकती है। वे यह कार्य अतरण मूल्याकन (कम बीजाकन और अधि बीजाकन) के द्वारा करती हैं। अतरण मूल्याकन के परिणामस्वरूप भुगतान सतुलन की समस्या उत्पन्न होती है। निर्यातों का जितनी कम मात्रा में मूल्याकन किया जाता है उतनी ही विदेशी मुद्रा भंडार में उनकी कमी होती है। दूसरी तरफ आयातों को कृत्रिम रूप से मँहगा बनाने पर वे बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा भंडार को रिक्त कर देते हैं। इसके अतिरिक्त जिन देशों में कर का बोझ कम होता है, वहाँ बहुराष्ट्रीय निगम अपनी अनुषंगियों के लाभों में वृद्धि दर्शा देते हैं और जहाँ पर कर का बोझ अधिक होता है वहाँ अपने लाभों को सीमित करके दर्शाते हैं।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अपने विनियोग की प्रारम्भिक अवस्था में लाभ बाहर कम भेजती हैं। वे लाभ का बहुत बड़ा भाग अपने पास रखकर अपना तीव्र विस्तार करती हैं। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीयकरण का प्रभाव सकारात्मक होता है। एक समय ऐसा आता है कि विदेशी कम्पनियाँ पर्याप्त निवेश कर चुकी होती हैं अब वे अपने धन का निवेश भारत में निवेश न करके बाहर भेजना प्रारम्भ कर देती हैं। तब नकारात्मक प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगता है और देश में अवनति का दौर चालू हो जाता है। इस प्रक्रिया का प्रत्यक्ष प्रमाण 60 से 80 के दशक में दक्षिणी अमेरिका (मैक्सिको) रहा है।<sup>15</sup>

भारत में भी एसो और कालटेक्स ऐसी ही कम्पनियाँ हैं। ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ यदि किसी नवीन वस्तु का उत्पाद या निर्माण करती हैं और वह वस्तु अभी किसी भी देश में उपलब्ध नहीं है तो उस वस्तु की कीमत इतनी अधिक वसूली जाती है जो कि लागत का कई गुना अधिक होता है। उदाहरणस्वरूप अभी हाल में 'फाइजर' जैसी बहुराष्ट्रीय विशाल कम्पनी ने 'विएगरा' नामक औषधि की खोज की। ऐसी दवा जिसे अमरीकी सरकार स्वीकृत प्राप्त है और केवल अमरीका में ही 400 रूपये प्रति गोली बताया गया। वैसे भारत की कई दवा कम्पनियों ने इस बात का दावा किया है कि उन्होंने 'विएगरा' जैसी या उससे अच्छी दवाई तैयार कर ली है, परन्तु मानव युगलों के ऊपर सामाजिक कुठारों के कारण इस पर अधिकारिक व्यापक प्रयोग न हो सकने की दशा में इसको

व्यापारिक विक्रय की सतुष्टि देना सम्भव नहीं है। ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियों अपने इच्छानुसार वस्तु की मूल्य वसूल करती हैं, जिसका एक मात्र उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है और अपने देश को अत्यधिक लाभ का हिस्सा भेजने के उद्देश्य से कार्य करते हैं।

## बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा विज्ञापन के रूप में राष्ट्र प्रेम के संदेश का दुरुपयोग :

उदारीकरण के बाद जब से भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व से एकीकृत करने के लिए आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू की गयी, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए यहाँ के विशाल उपभोक्ता बाजार में आकर्षक काफी बढ़ गया। बाजार के अधिकाधिक हिस्से पर अपना कब्जा जमाने के लिए कम्पनियों में एक आक्रामक होड़ छिड़ गयी और विज्ञापन जो पहले मात्र उत्पादों की विशेषताओं को बताने का एक माध्यम था, अब कम्पनियों की विपणन नीति का प्रमुख उपक्रम बन गया। भारतीय बाजार पर अपनी पकड़ बनाने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए कम्पनियाँ भारतीय उपभोक्ताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। विज्ञापनों की इस नयी दुनिया का मूलमंत्र यह है कि उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए मानव सभ्यता के श्रेष्ठतम तत्वों का बाजार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

इनमें सबसे पहले राष्ट्र प्रेम को ही लिया जा सकता है। भारत की आजादी की पचासवीं साल गिरह के बाद बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का अचानक उमड़ा भारत-प्रेम इस बात का सबसे बड़ा प्रभाव है। स्वतन्त्रता की जयन्ती के अवसर पर देश भक्ति के रंग में रंगे विज्ञापनों की बाढ़ सी आ गयी और देशी कम्पनियों ने भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का अनुसरण किया। इस तरह उपभोक्ता सामग्री को राष्ट्रभक्ति के साथ जोड़ कर देखने की नयी परम्परा की शुरुआत हुई। अभी हाल ही में परमाणु परीक्षण के बाद बधाई संदेश के विज्ञापन देने वालों में केवल भारतीय ही नहीं, बल्कि कुछ विदेशी कम्पनियाँ भी शामिल थीं। इतना ही नहीं पिछले साल अगस्त माह जो स्वतंत्रता दिवस के रूप में जाना जाता है और तिरंगे जो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अंकित हैं, सारे होर्डिंग और पोस्टरो पर विज्ञापन के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया।

कुछ महीने पहले समाचार पत्रों में एक बीडी का विज्ञापन आया था, जिसे लेकर काफी हंगामा हुआ। इस विज्ञापन में राष्ट्रीय झंडे और गॉंधी जी के चित्र का इस्तेमाल किया गया था। मच्छर भगाने वाला उपकरण बनाने वाली एक प्रसिद्ध कम्पनी ने राष्ट्रगान को भी नहीं बख्शा। कुछ दिनों पहले दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर समाचार के पहले राष्ट्रगान की धुन बजायी जाती है और उसके बाद उस उपकरण का विज्ञापन आता था। आजादी की पचासवीं सालगिरह के अवसर पर पेप्सी को

विज्ञापन के माध्यम से पूरी तरह 'आफिशियल ड्रिंक' के रूप में स्थापित कर दिया गया। इस तरह के लोगो में राष्ट्र गौरव की कृत्रिम भावना उकसा कर अपना माल बेचने वाले ऐसे विज्ञापनों की लम्बी फेहरिश्त है।

सैमसग टेलीविजन सेट बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने बिल्कुल अलग ढंग से भारतीय उपभोक्ताओं की दुखती रग को छेडा है। इस विज्ञापन में यह कहा जाता है कि उनकी कम्पनी का कुल टर्न ओवर बंगलादेश के जी डी पी के बराबर और पाकिस्तान के आधा है। यहा यह बात गौरतलब है कि कोई कम्पनी अपने उत्पाद की खूबिया गिनाने की बजाए अपनी आर्थिक हैसियत की तुलना भारत के दो पड़ोसी देशों से करके आखिर क्या जताना चाहती है? इस तरह के विज्ञापनों का मूल सदेश यही होता है कि 'यदि तुम अमुक ब्रांड का सामान इस्तेमाल करते हो, तभी तुम देशभक्त हो अन्यथा नहीं।' जहाँ देशप्रेम की बात हो वहाँ आम आदमी बहुत आसानी से भावुक हो उठता है और जहाँ भावनात्मक मुद्दा हो वहाँ व्यक्ति तर्क करना पसन्द नहीं करता और उपभोक्ताओं की इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए तमाम देशी विदेशी कम्पनियों उपभोक्ताओं का भावनात्मक शोषण कर रही है। एक भारतीय कम्पनी द्वारा निर्मित शराब के एक विज्ञापन में कुछ विदेशी भारतीय शराब के उस खास ब्राण्ड के बारे में पूछते हैं और जबाब में एक हिन्दुस्तानी हॉथो में ग्लास उठाकर ये देश है वीर जवानों का' गाता हुआ झूम उठता है। देश शब्द राष्ट्रीय भावना का ज्वार तो उठाता ही है, साथ ही इससे एक प्रकार की सामूहिकता का बोध होता है और विज्ञापन के माध्यम से सदेश यह जाता है कि देश के जवानों का सामूहिक रूप से इस शराब का सेवन करना चाहिए। विज्ञापनों में व्यावसायिक हितों की पूर्ति के लिए केवल राष्ट्रीय प्रतीकों का नहीं, बल्कि लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़े प्रतीकों का भी इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। उदाहरण के लिए मिनरल वाटर शुद्ध गगाजल से बना है, इसलिए यह सेहत के लिए सबसे अच्छा है। इसी तरह एक और कम्पनी यह दावा करती है कि उसका साबुन इसलिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वह गगाजल से बना है। इस तरह गगाजल के प्रति आम आदमी के मन में जो आस्था है, उसे साबुन बनाने वाली कम्पनी मजे से भुना रही है। जबकि यह सब जानते हैं कि यदि यह मान भी लिया जाए कि उनका साबुन गगाजल से बना है, तो इससे साबुन की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पडता है। कई बार टी वी पर कुछ ऐसे भी विज्ञापन आते हैं, जिनमें भारतीय सस्कृति और परम्परा की श्रेष्ठता का एहसास दिलाते हुए उपभोक्ता को वस्तु खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जीस बनाने वाली एक अमरीकी कम्पनी के विज्ञापन में विदेशी कम्पनी का जीस पहने भारतीय नवजवान एक गोरी चमडी वाले को फटकारती है कि 'बुजुर्गों का आदर करना सीखो।' इस तरह एक विदेशी को फटकारने से आम भारतीय को जो आत्मसतुष्टि मिलती है, उससे उपजी श्रेष्ठता की भावना को भुलाकर अमरीकी कम्पनी भारतीय उपभोक्ता को अपना उत्पाद खरीदने

के लिए प्रेरित करती है।

उपभोक्ता को उसके स्वतन्त्र अस्तित्व का एहसास कराना भी इन कम्पनियों के बाजार निर्माण की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। यही वजह है कि आज के विज्ञापनों में भी काफी खुलापन आया है। कल तक कडोम और सैनिटरी नैपकिन जैसी वस्तुओं के विज्ञापन बेहद नपे तुले शब्दों के साथ शालीन अदाज में देखने को मिलते थे, लेकिन आज ऐसी वस्तुओं का विज्ञापन भी साबुन व शैम्पू जैसी सौन्दर्य प्रसाधन व रोजमर्रा काम आने वाली उपभोक्ता-सामग्रियों की तरह किया जाता है।

इस तरह बहुराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कम्पनियों उपभोक्ताओं की कमजोर नसों को ढूँढना और पकड़ना बाखूबी जानती है। बाजार में छा जाने की लालसा रखने वाली ये विदेशी कम्पनियाँ कोई भी तरीका अपनाने से बाज नहीं आतीं। आजकल ये कम्पनियाँ च्यूगम और चिप्स के साथ टैटू (शरीर पर चिपकाया जाने वाले स्टीकर) मुफ्त देने का पैकेज चला रही है। पानी गीला करके चिपकाये जाने वाले ये टैटू त्वचा के लिए भले ही नुकसानदेह हों, लेकिन बच्चों के बीच ये टैटू इतने लोकप्रिय हैं कि बच्चे अब सिर्फ वही च्यूगम और चिप्स खरीदते हैं, जिसके साथ ये स्टीकर मुफ्त मिलते हैं।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि न तो देशभक्ति की बात करने में कोई बुराई है और न ही सक्षम व स्वस्थ ढंग से विज्ञापन प्रस्तुत करने में। महत्वपूर्ण है तो यह कि बच्चों, किशोरों व युवाओं की मानसिकता पर ये विज्ञापन प्रतिकूल रूप से प्रभाव डाल रहे हैं और उनकी उम्रगत कोमल भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। विज्ञापन एक पूरी की पूरी पीढी के चिन्तन का प्रमुख स्रोत बन रहे हैं और इस प्रवृत्ति के दुष्परिणाम अभी भले ही न दिखायी दे रहे हों, लेकिन भविष्य के भारतीय नागरिक का निर्माण इन्हीं प्रवृत्तियों से हो रहा है। बहुराष्ट्रीय निगमों की सबसे प्रमुख दोष यह है कि ये उपभोक्ता हितों के लिए हानिकारक हैं, क्योंकि एक ओर तो मूल्य अधिक लेते हैं व दूसरी ओर वस्तु के गुणों में वे गुण नहीं होते हैं, जो ये विज्ञापन में देते हैं। इनके द्वारा वस्तु विभेद भी किया जाता है। यह निगम अपनी तकनीक के देने के बदले में जो फीस, रॉयल्टी, मुआवजा व व्यय लेते हैं, वे काफी अधिक होते हैं। साथ ही इन रकमों को भारत से बाहर भेजने से विदेशी मुद्रा कोष पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह निगम विभिन्न देशों में फैले रहते हैं। अतः इनका लेन-देन भी विभिन्न देशों में फैला रहता है। ये विभिन्न तरीकों से दुर्लभ मुद्रा को लाभप्रद स्थानों पर एकत्रित करते जाते हैं, जिससे कभी-कभी इन देशों में मुद्रा सकट उत्पन्न हो जाता है।

यह निगम अपनी तकनीक अपनाते हैं, यह उस देश की आवश्यकता को ध्यान में नहीं रखते हैं, जिस देश में यह उद्योग स्थापित करते हैं। इससे वे देश स्वयं अपनी तकनीक का विकास नहीं कर पाते हैं। बहुराष्ट्रीय निगम क्षेत्रीय आर्थिक असमानताओं को बढ़ावा देते हैं। ये किसी खास क्षेत्र में ही

उद्योग के बाद, उद्योग स्थापित करते चले जाते हैं जिससे उस क्षेत्र में तो विकास हो जाता है, जबकि शेष क्षेत्र वैसे ही बने रहते हैं। इस प्रकार उन देशों में क्षेत्रीय असमानता बढ़ती है। ये निगम देश के दीर्घकालीन औद्योगिक विकास के हित के विरुद्ध हैं। इन निगमों के आगे देशी उद्योगपति ऐसा ही उद्योग स्थापित करने का साहस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वे इनसे प्रतियोगिता करने में डरते हैं। ये निगम व्यवसाय में नैतिकता का कम ध्यान रखते हैं। यह अन्तरण मूल्य नीति अपनाते हैं, कपटपूर्ण व्यवहार करते हैं, मेजवान देशों में कार्य करने के लिए घूस देते हैं तथा उनकी राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं।

## प्रभाव :

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों सरकार की रोजगार वहन क्षमता, मुद्रा आपूर्ति को हर जगह विनियमित करने, कर आधार का अपक्षरण रोकने और इस प्रकार अपने अधिकांश नागरिकों की आवश्यक सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की सरकारी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। जहाँ एक ओर बहुराष्ट्रीय निगमों के बहुत से गुण हैं, वहीं दूसरी ओर इनके अवगुण भी हैं। इन निगमों से लाभ उठाने के लिए इनके गुणों एवं अवगुणों के बीच सन्तुलन स्थापित करना होगा। बहुराष्ट्रीय निगम विश्व की न्यूनतम 60 प्रतिशत जनसंख्या के तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं

### 1. उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के प्रति कम निष्ठावान :

चूँकि बहुराष्ट्रीय निगम बहुत से देशों में फैले हुए हैं, इसलिए इनकी निष्ठा उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के प्रति सदिग्ध होती है। इसके अलावा इनका स्वरूप अल्पाधिकारी का होता है। अतः यह अपनी शक्ति का प्रयोग करके सभावित या वास्तविक प्रतियोगिता को समाप्त करते हैं। अपनी इच्छाओं को उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं पर लादने की अनेक तरकीबों का यह प्रयोग करते हैं। यह शेयर बाजार में हेरा-फेरी करते हैं और धोखे भरे विज्ञापन से वस्तु-विभेद करते हैं। अमरीका के बहुराष्ट्रीय निगमों के एक अध्ययन से इस प्रकार के निष्कर्ष निकाले गए हैं कि इनके कारण उपभोक्ताओं को उँची कीमत देनी पड़ती है, किसानों की आय घटती है और वस्तुओं के गुणों में गिरावट आती है, जबकि इनके परिणामस्वरूप निगमों के लाभ में भारी वृद्धि आती है।

### 2. कीमत निर्धारण प्रक्रिया की बुराइयाँ :

बहुराष्ट्रीय निगमों ने बहुधा, कीमत निर्धारण में अनेक ऐसी पद्धतियों को अपनाया है, जिससे वे अपना लाभ अधिकतम कर सकें। जैसे-विभिन्न फर्मों के बीच बाजार का बँटवारा, बाजार में हेरा-फेरी,

वस्तु विभेद आदि। इन निगमों द्वारा अपनी वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि निगम द्वारा नियन्त्रित सभी फर्मों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। बहुराष्ट्रीय निगमों पर दोषारोपण के लिए ऐसा कहा जाता है कि यह निगम ऐसे देशों में जहाँ करो की दर नीची है। वहाँ अपने से सम्बन्धित कम्पनियों को उँची कीमतों पर माल बेचते हैं और उँचे कर वाले देशों में स्थित सम्बन्धित कम्पनियों से नीची कीमतों पर माल खरीदते हैं। इस नीति द्वारा वे टैक्स से बचते हैं और दोनों प्रकार की कम्पनियों के सामूहिक लाभों को बढ़ाते हैं। कभी-कभी तो यह निगम नीची कर दर वाले देशों में नकली या दिखावटी व्यापारी कम्पनियों की स्थापना करते हैं और अपने सम्पूर्ण लाभ को अधिकतम करने के लिए नकली फर्मों के माध्यम से लेन-देन में हेरा-फेरी करते हैं। इसके अलावा, मूल निगम सम्बन्धित कम्पनियों के लाभ का एक बड़ा भाग रॉयल्टी, तकनीकी फीस, प्रबन्ध सेवा शुल्क आदि के रूप में चूस लेते हैं। इनसे सम्बद्ध कम्पनियों का लाभ घट जाता है। इस तरह जिन देशों में ऐसी कम्पनियाँ कार्य करती हैं, उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती है।

### 3. मुद्रा के सम्बन्ध में हेरा-फेरी :

बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा वित्त प्राप्त करने और अपने हित में उसका प्रयोग करने में, अन्य वर्गों पर इसके कुपरिणाम की परवाह किए बिना हेरा-फेरी की जाती है। वह कम हानिकारक नहीं है, चूँकि बहुराष्ट्रीय निगम विभिन्न देशों में फैले हाते हैं, इसलिए इसका लेन-देन विभिन्न देशों की मुद्राओं में होता है। यह निगम दुर्लभ मुद्राओं को लाभप्रद स्थान पर सम्बद्ध कम्पनियों को निर्देश देते हैं कि ऋण एकत्रित करें और पुराने ऋणों का भुगतान समय से पहले करें। संक्षेप में, उनकी नीति दुर्लभ मुद्रा के रूप में सम्पत्ति अर्जित करने और सुलभ मुद्रा के रूप में ऋण एकत्रित करने की होती है। इस प्रकार यह मुद्रा सकट की स्थिति को और अधिक गम्भीर बनाते हैं, यद्यपि यह गतिविधियाँ इन निगमों की विशेष क्रिया के बाहर होती हैं फिर भी यह ऐसा अपने लाभ को बढ़ाने के लिए करते हैं। बहुराष्ट्रीय निगमों के इस व्यवहार से अल्पविकसित देशों को हानि होती है, क्योंकि इन देशों की मुद्राएँ और भी निर्बल होती जाती हैं। बहुराष्ट्रीय निगम विकास के ऐसे मॉडल और विश्व में ऐसी वितरण प्रणाली को बढ़ावा दे रहे हैं, जो अमीरों और गरीबों के बीच की गहरी खाई की असमानताओं में और अधिक वृद्धि कर रही है। कुशलता की सक्कुचित, यह परिभाषा और विकास 'करो अथवा मरो' के दर्शन का आश्रय लेकर बहुराष्ट्रीय निगम ससाधनों का दुरुपयोग और गलत आवटन कर रहे हैं।

आर्थिक सुधार और उदारीकरण के सहारे कांग्रेस की पूर्व नरसिंहाराव सरकार ने जिस तरह अपना पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा किया वह भले ही शुरू में ठीक लगा हो और उस दौरान स्वदेशी

विचार मच सरीखे इक्के-दुक्के सगठनो के प्रबल विरोध का जनमानस पर कोई दबाव भी नहीं बन सका हो किन्तु अब जैसे-जैसे इसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं उससे यह बात इस कदर साफ हो गयी है कि कांग्रेस को भी अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाने को विवश होना पड रहा है। कांग्रेस ससदीय दल की कार्यकारिणी की बैठक में मोर्चा सरकार को आर्थिक मोर्चे पर विफल होने के लिए कोसा जाना इतना महत्व नहीं रखता जितना कि आर्थिक सुधार व उदारीकरण की नीति पर नजरिया बदल लेना और बीमाउडुयन जैसे अहम् क्षेत्रों में विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश पर ऐतराज कर देना महत्व रखता है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के उन्मुक्त प्रवेश पर हालाकि कई विपक्षी दलो ने वर्ष 1991 में भी विरोध किया था किन्तु उनकायह विरोध सीधा-सपाट, न होकर दोहरे दृष्टिकोण वाला प्रतीत हुआ और यही वजह थी कि तत्कालीन नरसिहाराव सरकार और उनके वित्त मंत्री डा मनमोहन सिंह ने ठीक वैसे ही 'उदारता की नीति'को आगे बढ़ाने में कोई हिचक भी नहीं दिखायी।

जैसा कि देश के पहले प्रधानमंत्री स्व जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गाँधी के कुटीर एव ग्रामोद्योग की अवधारणा को तहस-नहस कर दिया था। महात्मा गाँधी को विचारधारा को अपनाया गया होता तो नि सदेह आज भारत के गाँव इस तरह के पिछडे न होते और न ही लोगों का ऐसा पलायन ही होता कि शहर समस्याग्रस्त हो जाते यही नहीं बेरोजगारी की समस्या जिस तरह सुरक्षा जैसा मुँह फैलाये खडी है व स्थिति भी कदाचित न आती और ग्रामोत्थान से भारतीय अर्थव्यवस्था को ऐसे बडे-बडे बीमार कारखाने देखने को न मिलते।

जे वी रामकृष्ण के नेतृत्व में गठित 'विनिवेश आयोग' की हाल की रिपोर्ट यह बात स्पष्ट तौर पर कहती है कि 'आर्थिक सुधार' शुरू होने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का घाटा बढ़कर दुगुना हो गया है। इस घाटे की रकम अब 4910 करोड रूपये पहुँच चुकी है। इस रिपोर्ट के मुताविक वर्ष 1991 के दौरान घाटा उगलने वाली इकाइयों की संख्या 96 थी जो वर्ष 1995-96 में बढ़कर 103 हो गयी। यही नहीं इनमें 47 इकाइयों की दशा तो इस कदर खराब हो गयी कि उन्हें 'अधिग्रहण' वाली श्रेणी में रखने के लिए बाध्य होना पड रहा है और अकेले उनका घाटा 980 करोड रूपये पहुँच गया है।<sup>16</sup>

रिपोर्ट में एक उल्लेखनीय बात यह भी कही गयी है कि सार्वजनिक उपक्रमों की इस दुर्दशा के कारण कुछ समय पहले चलाये गये 'विनिवेश कार्यक्रम'को भी जबर्दस्त आघात लगा है और बम्बई शेयर बाजार में इनके मूल्य जनवरी 95 से दिसम्बर 96 के दौरान 53.05 प्रतिशत की गिरावट आई।

यहाँ यह बात भी स्मरणीय है कि पूर्व वित्त मंत्री डा मनमोहन सिंह की लाख कोशिशों के बाद भी विनिवेश अभियान को अपेक्षित गति सिर्फ इस कारण नहीं मिल सकी, क्योंकि सरकार में बैठे अधिकारी ही इस कार्यक्रम को सफल होता नहीं देखना चाहते थे।

आर्थिक सुधार व उदारता की नीति अपनाये जाने की सोंच निश्चित रूप से सही होती यदि इसकी सही सीमाएँ तय कर ली गयी होती और पश्चिमी चकाचौंध से प्रभावित हुए बगैर स्वदेशी उद्योगों के हितों को सर्वोपरि रखा जाता। प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बनाना अलग बात है, लेकिन आकाश का धरती से मुकाबला करवाने की सोचना निःसंदेह मूर्खता की बात है। यह अजीब बात है कि देश की कम्पनियों में लागत, गुणवत्ता व प्रौद्योगिकी की कसौटी के लिए उन कम्पनियों को चुना जिनके सामने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की कम्पनियों जो ठहरने के लिए दस बार सोंचना पड़ता है। प्रतिस्पर्धा करानी ही थी तो निजी क्षेत्र में क्या कमी थी, क्या बुराई थी और फिर आजादी से पहले और इसके बाद जो उद्योग समूह आगे बढ़े हैं क्या वे एकाधिकारी प्रवृत्ति के सहारे आगे बढ़े हैं? यदि नहीं तो यह निश्चितरूप से जोखिम भरा नीति फैसला था।

आज औद्योगिक क्षेत्र की विकास दर घटकर 9.3 प्रतिशत से भी नीचे आ गई है और यदि हालात ऐसे रहे तो आने वाले समय में यह और नीचे जायेगी, क्योंकि बेवजह की प्रतिस्पर्धा से जिन भारतीय कम्पनियों ने अनाप-शनाप उत्पादन कर डाला था और बाजार में बिक्री केवल जहाँ की तहाँ है, बल्कि धन की तंगी से उसमें भी कमी आयी है तो ऐसी स्थिति में उत्पादन पर अकुश लगाया जाना लाजिमी है। यही नहीं उदारता के नाम पर जिन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बेखटके देश में जड़े जमाने की इजाजत दी गयी, उससे स्थिति और बिगड़ेगी ही।

सुधार व उदारीकरण की नीति को चीन ने भारत से पहले अपनाया था, लेकिन उसने इसमें पर्याप्त सतर्कता बरती और बिना किसी दबाव के अपने देश के हितों को सर्वोपरि रखा, जिसका यह स्पष्ट प्रमाण है कि चीन अपनी शर्तों पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सयुक्त उद्यम लगाने की अनुमति देता है, और ये विदेशी कम्पनियाँ उसे स्वीकार भी करती हैं, लेकिन भारत में इनका पूरा प्रयास रहता है कि भारत सरकार पर इस कदर दबाव डाला जाये कि वह मजूर ही हो जायें। आर्थिक सुधार की नीति विश्व के तमाम विकासशील देशों ने अपनायी, किन्तु वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से लाभ ही उठा रहे हैं, उनके राष्ट्रीय हितों को क्षति पहुँचाने में ये विदेशी कम्पनियाँ कामयाब नहीं हो पा रही हैं।

कांग्रेस जो वर्तमान मोर्चा सरकार की सबसे बड़ी समर्थक पार्टी है, उसके द्वारा यकायक आर्थिक उदारीकरण की नीति में यह कहकर बदलाव के सकेत देना कि 'सब कुछ परिवर्तनशील है'



उचित नहीं है। नीतिया व कार्यक्रमो का उचित-अनुचित होना उसके क्रियान्वयन पर ज्यादा निर्भर करता है। बीमा, उड्डयन क्षेत्र में निःसंदेह बेहतर सेवाओं की जरूरत है और इसके लिए प्रथम आवश्यकता इस बात की है कि देश की निजी कम्पनियो को आगे आने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। उड्डयन क्षेत्र में जब सरकार विदेशी एअरलाइन्स कम्पनियो को अशर्तों की भागीदारी से रोक सकती है तो बीमा और सुधार के अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह के कदम उठाये जा सकते हैं। देश इस विचारधारा पर अब इतना आगे बढ़ चुका है कि उस पर एकदम रोक लगाना तो संभव नहीं किन्तु, इन पर अकुश लगाना अभी सरकार के अख्तियार में है। आवश्यकता तो इस बात की है कि सरकार इस मुद्दे की नये सिरे से समीक्षा करे और इन बिन्दुओं पर सोच-समझकर फैसले लिए जाएँ जहाँ स्वदेशी उद्योगों पर आघात होती है सामाजिक-आर्थिक उत्थान की अवधारणा की विफलता के बाद अब जरूरत इस बात की है कि निजी क्षेत्र पर विश्वास किया जाये और उसे इस हद का अनुबन्ध, सहयोग व अदान प्रदान की छूट दी जाये जिससे राष्ट्रीय हितों पर असर न पड़े।



5

भारत में विदेशी सहायता  
एवं उसके दुष्परिणाम

# भारत में विदेशी सहयोग एवं उसके दुष्परिणाम

विदेशी सहयोग से आशय किसी उद्योग में विदेशी सरकार, संस्था समुदाय द्वारा पूँजी के लगाये जाने से है। यह पूँजी विदेशी मुद्रा, विदेशी मशीनो व विदेशी तकनीकी ज्ञान के आधार पर लगायी जा सकती है जिसका स्वरूप पूँजी में हिस्सा बँटाना, विदेशी सहयोग व विदेशी मुद्रा में ऋण आदि हो सकता है, लेकिन कुछ विदेशी संस्थाएँ या सरकारें ऋणों के साथ-साथ कुछ अनुदान भी देती हैं जिसको वे वापस नहीं लेती हैं। यह अनुदान विदेशी सहायता कहलाता है। यह सहायता वर्गीकृत व अवर्गीकृत दोनों प्रकार की होती है। वर्गीकृत सहायता किसी विशेष परियोजना के लिए होती है उसको उसी परियोजना पर व्यय करना पड़ता है, जबकि अवर्गीकृत सहायता किसी भी परियोजना के लिए काम में लायी जा सकती है।

आजकल 'विदेशी पूँजी' के स्थान पर 'विदेशी सहायता' शब्द अधिक प्रचलित है। अतः इसका अर्थ भी अधिक व्यापक हो गया है। वर्तमान में विदेशी सहायता शब्द में विदेशी ऋण (Foreign Loans) विदेशी अनुदान (Foreign Grants) विदेश निवेश (Foreign Investment) आदि शामिल किये जाते हैं। प्रत्येक विकासशील देश को आर्थिक नियोजन करने के लिए, अपने आन्तरिक साधन सीमित होने के कारण विदेशी सहायता लेना आवश्यक हो जाता है। भारत ने भी इसी मार्ग को अपनाया है जिसके अन्तर्गत विदेशी ऋण, सहायता, निवेश आदि प्राप्त किये हैं। वर्ष 1996-97 के अन्त में भारत पर 3,34,914 करोड़ रुपये का ऋण था।<sup>1</sup>

भारत के आर्थिक विकास में विदेशी सहायता की उल्लेखनीय भूमिका रही है। औद्योगिक विकास में अग्रणी इंग्लैण्ड को छोड़कर विश्व के प्रत्येक देश को अपने आर्थिक विकास के लिए किसी न किसी रूप में विदेशी सहायता पर निर्भर रहना पड़ा है। भारत जैसे विकासशील देशों के आर्थिक विकास के लिए विशेषतया विकास की आरम्भिक अवस्था में विदेशी सहायता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विदेशी सहायता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इससे सहायता पाने वाले देशों के आन्तरिक साधनों में वृद्धि हो जाती है। विकासशील देशों में आन्तरिक साधनों की उपलब्धता की मात्रा अत्यल्प होती है। कारण, कि ऐसे देशों में प्रति व्यक्ति आय बहुत नीची तथा उपभोग प्रवृत्ति बहुत ऊँची होती है। विदेशी सहायता प्राप्त देशों में बहुत सी परियोजनाओं का निर्माण सम्भव हो जाता है। जो विदेशी सहायता के अभाव में सम्भव न होता। कुछ विकास कार्यक्रम अत्युत्तम परिणाम देते हैं,

---

1 आर्थिक समीक्षा भारत सरकार - 1996-97, पृष्ठ संख्या- 106

बशर्ते कि कार्यक्रम का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाय। विदेशी सहायता से आंतरिक ससाधनो मे वृद्धि के साथ ही उन बडी परियोजनाओ की स्थापना सम्भव हो जाती है, जिनके लिए भारी मात्रा मे आयात-सामग्री की आवश्यकता पडती है। इससे बहुत से लाभप्रद निवेशों के लिए अवसर बढ जाते हैं।

आर्थिक विकास के आरम्भिक चरणों में कुछ पूँजीगत वस्तुओं और तकनीकी जानकारी की आवश्यकता पडती है, जिसकी प्रतिपूर्ति विदेशी सहायता से ही सम्भव है। विकासशील देशों की आवश्यकताएँ इतनी बडी एव तात्कालिक होती है कि वे अपनी पूँजीगत और तकनीकी जानकारी स्वय उत्पन्न करने के लिए अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति मे विदेशी सहायता पर निर्भरता अनिवार्य हो जाती है, किन्तु पूँजीगत वस्तुओं और तकनीकी का आयात सदैव नहीं किया जा सकता और सदैव इसके आयात पर निर्भरता भी वाछनीय नहीं है। ऐसी स्थिति में इन वस्तुओ का आयात करने वाले देश के लिए यह आवश्यक है कि शीघ्रति शीघ्र इन वस्तुओ को उत्पन्न करने के लिए अपने को सक्षम बनाए। इस सम्बन्ध मे यह भी उल्लेखनीय है कि ऐसी पूँजीगत वस्तुएँ और तकनीक उत्पन्न की जानी चाहिए। जो अर्थव्यवस्था की ससाधन-निधि के अनुरूप हो। भारत में वर्तमान समय मे बीच की तकनीक के विकास पर बल दिया जा रहा है, क्योंकि यह देश की साधन-निधि के अनुरूप है। अल्पविकसित देशो के समक्ष एक कठिनाई यह भी होती है कि विदेशी सहायता का विकल्प वे किस प्रकार खोजें। इसका एकमात्र विकल्प निर्यात उपाार्जन में वृद्धि है। निर्यात उपाार्जन मे वृद्धि से सम्बन्धित कठिनाई यह है कि विकासशील देशों मे प्राय प्राथमिक उद्योगों की सख्या अधिक रहती है और इनके द्वारा उत्पादित माल की माग अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में कम ही रहती है। इस कारण इन देशो को विवश होकर विदेशी सहायता पर निर्भर रहना पडता है। इस प्रकार आर्थिक विकास की प्रक्रिया शुरू करने और उसे बनाये रखने के लिए विदेशी सहायता बहुत आवश्यक हो जाती है। इसलिए इसमे कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आज विकसित कहे जाने वाले अमरीका, कनाडा, फ्रांस आदि देश भी आर्थिक विकास के आरम्भिक चरणो मे विदेशी सहायता पर निर्भर रहे थे। विदेशी सहायता जहाँ एक ओर विकास का मार्ग प्रशस्त करती है, वहीं दूसरी ओर कुछ उलझनें भी उत्पन्न कर सकती हैं। अत देश में विदेशी पूँजी के प्रवेश की अनुमति बहुत सावधानी बरतने के बाद ही दी जानी चाहिए। विदेशी पूँजी का प्रभुत्व हो जाने पर राजनीतिक उलझनें उत्पन्न हो जाती हैं, विशेषतया जब विदेशी सहायता प्राप्त करने वाला देश सकट कालीन स्थिति मे हो। ऋणदाता देश ऐसी शर्तें भी लगा सकता हे, जिससे देश पर ऋण-भुगतान का भार बढ जाए। इसलिए प्रापक देश ऋण की मात्रा, उसकी शर्तों और उसके स्वरूप तथा स्रोतों पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जहाँ तक सम्भव हो विदेशी सहायता पर निर्भरता कम की जानी चाहिए और अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता की

ओर बढ़ाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

भारत को मिली विदेशी सहायता ऋणों और अनुदानों के रूप में ही है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में भारत द्वारा प्रयुक्त विदेशी सहायता का एक बड़ा भाग लगभग 90 प्रतिशत ऋणों के रूप में है, जबकि अनुदानों का हिस्सा सम्पूर्ण विदेशी सहायता में अत्यल्प लगभग 10 प्रतिशत रहा है। समय के साथ-साथ विदेशी सहायता की मात्रा में भी वृद्धि होती रही है। विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को सम्पन्न करने हेतु विदेशी सहायता प्राप्त की गई है। विदेशी सहायता के आकार के विभिन्न पक्ष जैसे इसकी कुल मात्रा अधिकृत और प्रयुक्त मात्रा में ऋण और अनुदान का हिस्सा निबद्ध और अनिबद्ध सहायता, विदेशी मुद्रा या रूपये में प्रतिदेय आदि इसकी समस्या के कई पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। उदाहरणार्थ, विदेशी सहायता की मात्रा से यह पता चलता है कि देश विकास के लिए विदेशों पर कितना निर्भर है।

अधिकृत और प्रयुक्त सहायता की मात्रा से यह बोध होता है कि वायदे की कितनी धनराशि प्राप्त हो चुकी है और इससे विदेशी सहायता खपाने की देश की क्षमता का भी बोध होता है। ऋण के भाग से पता चलता है कि ब्याज मिलाकर पुनर्भुगतान की जाने वाली राशि कितनी है। अनुदान इस समस्या से मुक्त होता है। निबद्ध और अनिबद्ध सहायता से पता चलता है कि इनके उपयोग में कितना लचीलापन है। अनिबद्ध ऋणों का प्रयोग किसी भी परियोजना में किया जा सकता है अथवा उसका उपयोग किसी भी देश से माल खरीदने में किया जा सकता है। निबद्ध सहायता की स्थिति ठीक इसके विपरीत है। निबद्ध सहायता का उपयोग ऋण समझौते के कार्यान्वयन से जुड़ा हुआ है। जिन ऋणों का भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाना होता है, उनके लिए निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करने की आवश्यकता होती है। रूपये के रूप में भुगतान होने वाले ऋणों के सम्बन्ध में समस्या केवल इतनी ही होती है कि ऋणदाता को आवश्यक मात्रा में रूपये दिये जाएँ और वह राशि ऋणदाता देश में ही व्यय करता है। इससे मुद्रा स्फीति की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। सारांशतः यह कहा जा सकता है कि जिस देश में प्रयुक्त ऋण लगभग अधिकृत ऋण के बराबर होता है, उस देश की विदेशी सहायता को खपाने की क्षमता भी अधिक होती है और वही देश सहायता का उचित उपयोग भी कर सकता है। इसी प्रकार कुल विदेशी सहायता में जब ऋण का अंश अधिक होता है तो ऋण के भुगतान की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि इससे ऋण का बोझ बढ़ता है। विदेशी सहायता में अनिबद्ध ऋण का अंश जितना अधिक होता है, प्रायः देश सहायता का उपयोग देश की जरूरतों के अनुसार उतना ही अधिक कर सकता है। भारत को प्राप्त कुल विदेशी सहायता का लगभग 40 प्रतिशत भाग ही अनिबद्ध

है, शेष 60 प्रतिशत सहायता निबद्ध है अर्थात् इसका प्रयोग किसी विशेष परियोजना या देश के साथ बँधा हुआ है। यही कारण है कि सहायता का प्रयोग भारत अपनी इच्छानुसार किसी भी परियोजना या कार्यक्रम या किसी भी देश से सामान खरीदने के लिए नहीं कर सका और भारत को ऋणदाता देश से ही अपेक्षाकृत महँगा सामान खरीदने के लिए विवश होना पडा। परिणाम स्वरूप विदेशी सहायता के शुद्ध लाभ में कमी आई।

भारत ने विदेशी सहायता विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के सम्पादनार्थ प्राप्त की है। भारत अपनी आवश्यकतानुसार परियोजनाएँ तैयार कर ऋणदाता देशों से तदनुसार सहायता की माग करता रहा है। विदेशी सहायता का प्रयोग जिस उद्देश्य के लिए होता है, वह उस क्षेत्र की ओर संकेत करता है जिसे दुर्लभ विदेशी मुद्रा के बदले प्रयोग में प्राथमिकता प्रदान की गई है। विदेशी सहायता के आर्थिक विकास में योगदान को अधिकतम करने के लिए आवश्यक है कि इसका प्रयोग आधुनिक संरचना एवं पूँजीगत क्षेत्र की सवृद्धि के उद्देश्य से किया जाए या फिर इसका उपयोग अर्थव्यवस्था में स्थायित्व लाने के उद्देश्य से किया जाए।

विकासशील देश प्राकृतिक साधन और श्रमशक्ति से सम्पन्न होते हुए भी पूँजी और आधुनिक प्रौद्योगिकी के अभाव में तेजी से आर्थिक विकास नहीं कर पाते हैं। आय का स्तर निम्न होने के कारण बचत की मात्रा कम होती है और पूँजी का निर्माण नहीं हो पाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में भी इनकी प्रगति उल्लेखनीय नहीं होती है। इस तरह पूँजी और बौद्धिक सम्पदा के अभाव में इन देशों का अपेक्षित विकास सम्भव नहीं हो पाता है। बचत और निवेश के अन्तर को पाटने के लिए तथा आधुनिक तकनीक प्राप्त करने के लिए इन देशों को विकसित देशों से सहायता लेनी पड़ती है। आज से कुछ दशक पूर्व विदेशी निवेशकों को आर्थिक साम्राज्यवाद का सम्वाहक माना जाता था तथा विकासशील देशों को यह आशंका सता रही थी कि उनकी अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की बढ़ती भागीदारी से उनकी आर्थिक सम्प्रभुता खतरे में पड़ सकती है किन्तु अब सम्पूर्ण विश्व का राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य बदल चुका है। सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद का पतन हो चुका है। संयुक्त राज्य अमरीका अब एकमात्र महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका है और दूसरी महाशक्ति के रूप में सोवियत संघ की मान्यता समाप्त हो जाने के कारण विश्व एक ध्रुवीय हो गया है। आज चीन और भूतपूर्व साम्यवादी देश अमरीका, जापान तथा पश्चिमी यूरोप के समृद्ध देशों के आगे आर्थिक सहायता के लिए हाथ पसार रहे हैं और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का स्वागत कर रहे हैं इतना ही नहीं ये देश विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता प्राप्त

करके विश्व अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए भी उतावले हो रहे हैं। इन देशों ने यह अनुभव किया कि विदेशी पूँजी एवं प्रौद्योगिकी के बिना आर्थिक विकास में तेजी लाना सम्भव नहीं है। इन देशों ने यह भी अनुभव किया कि विदेशी ऋण के माध्यम से विकास को आगे बढ़ाना अत्यन्त कठिन है, क्योंकि ऋणों की शर्तें कठोर होती हैं और समय पर ऋणों की अदायगी करना आसान नहीं है, ऐसी स्थिति में ऋणों के फदे में फँसने की अपेक्षा विदेशी निवेशकों को आमन्त्रित करना अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि विदेशी निवेश अदायगी के दायित्व से मुक्त होता है फिर भी ऋणों पर ब्याज तथा निवेशों पर लाभांश के रूप में देश से बाहर जाने वाले सम्भावित धन के बीच तुलना का प्रश्न शेष रह जाता है।

## विदेशी निवेश की संकल्पना

जब एक देश के निवेशक दूसरे देश के कारोबार में पूँजी लगाते हैं। तो इसे विदेशी पूँजी निवेश कहा जाता है। विदेशी निवेश निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं -

### 1. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश:

भौतिक सम्पदा जैसे-कारखाने, भूमि, पूँजीगत वस्तुएँ तथा आधारिक संरचना वाले क्षेत्रों में जब विदेशी निवेशक अपना धन लगाते हैं तो इसे प्रत्यक्ष विदेशी पूँजी निवेश कहा जाता है। प्रत्यक्ष निवेश बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा किये जाते हैं। ये कम्पनियाँ निर्माणी उद्योग, उत्खनन तथा सेवा क्षेत्र के उद्योगों में विशेष रुचि लेते हैं, जिन देशों की बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ विदेशों में पूँजी लगाने के लिए विख्यात हैं उनमें संयुक्त राज्य अमरीका, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड तथा जापान प्रमुख हैं। सिंगापुर, हांगकांग, इण्डोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, फिलीपीन्स और थाईलैंड जैसे विकासशील देश भी प्रत्यक्ष विदेशी पूँजी निवेश के मामले में कुछ हद तक अपनी भूमिका निभा रहे हैं। प्रत्यक्ष निवेश के अन्तर्गत बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा विदेशों में नए कारखाने या प्रतिष्ठान स्थापित किये जा सकते अथवा उनके द्वारा वर्तमान कम्पनियों का सविलयन किया जा सकता है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ विदेशों में उत्पादन करके उत्पादित वस्तु उन्हीं देशों में बेच सकती हैं या विदेशों में उत्पादित वस्तुएँ वे अपने देश या किसी तीसरे देश के बाजार में बेच सकती हैं या अपने देश अथवा किसी तीसरे देश में उत्पादित वस्तुओं को बेचने के लिए विदेशों में सहायक कम्पनी स्थापित कर सकती हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ दूसरी देशों के कम्पनियों के साथ मिलकर संयुक्त उपक्रम स्थापित कर सकती हैं या पूर्णतः अपने स्वामित्व में दूसरे देशों में सहायक कम्पनियों की स्थापना कर

सकती है। इस तरह के सभी निवेश विदेशी प्रत्यक्ष पूँजी निवेश कहलाते हैं।

## 2 संविभाग निवेश :

वित्तीय विपत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय निवेश को संविभाग निवेश कहते हैं। जब एक देश के निवेशक दूसरे देश की कम्पनियों के अशॉ, ऋण-पत्रों, बाण्डों तथा अन्य प्रतिभूतियों में धन लगाते हैं तो ऐसे निवेश को संविभाग निवेश कहा जाता है। भारत को 1996-97 (अप्रैल -दिसम्बर) में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) के माध्यम से 1710 मिलियन डालर नकदी अतर्वाह के रूप में प्राप्त हुआ। इसमें सरकारी स्रोत से 1181 मिलियन डालर, भारतीय रिजर्व बैंक स्रोत से 83 मिलियन डालर और अनिवासी स्रोत से 448 मिलियन डालर प्राप्त हुए।<sup>2</sup> इसी अवधि में संविभाग निवेश से 2343 मिलियन डालर प्राप्त हुआ इसमें जी डी आर से 812 मिलियन डालर, विदेशी सस्थागत निवेशकों से 1511 मिलियन डालर तथा अन्य निधियों से 20 मिलियन डालर प्राप्त हुए। इस तरह विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की तुलना में संविभाग निवेश की रकम अधिक थी।

## विदेशी सहयोग की आवश्यकता :

आज विश्व के जो भी राष्ट्र विकसित हैं, उन सबको किसी न किसी रूप में विदेशी सहयोग प्रदान किया गया है। कोई भी देश बिना विदेशी सहयोग के अपने प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं कर सकता है अर्थात् विदेशी सहायता का प्रत्येक देश के औद्योगिक आर्थिक एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। 17 वीं और 18 वीं शताब्दी में इंग्लैण्ड ने हालैण्ड से और 19वीं शताब्दी में अमेरिका ने यूरोप से पूँजी प्राप्त की। रूस के आर्थिक विकास में अमेरिका ने सहायता दी तथा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् अमेरिका और इंग्लैण्ड की पूँजी के आधार पर पूर्वी यूरोप के देशों ने अपना आर्थिक पुनरुत्थान किया। विदेशी सहयोग के महत्व को स्पष्ट करते हुए आर वी रमन लिखते हैं 'वर्तमान औद्योगिक अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में कोई भी राष्ट्र पूर्णतः आत्मनिर्भरता की दशा में नहीं रह सकता, अन्यथा उसे वे लाभ परित्याग करने होंगे जो अन्तर्राष्ट्रीय औद्योगिक व्यवस्था दे सकती है और वह प्रगति की दौड़ में पीछे रह जायेगा।'

मेरी डी. ब्राइट्स लिखते हैं - "विनियोजन के किसी कार्यक्रम में अश-पूँजी या ऋण के रूप में विदेशी भागिता इतनी महत्वपूर्ण है कि औद्योगीकरण का विकास करने के इच्छुक राष्ट्रों के लिए उसे



लगभग अनिवार्य समझना चाहिए।<sup>3</sup>

भारत जैसे अल्पविकसित देश में जहाँ पूँजी निर्माण की गति मन्द है तकनीकी ज्ञान का अभाव है और अन्य अनेक समस्याएँ व्याप्त हैं, नियोजन के मार्ग पर अग्रसर होने के कारण विदेशी पूँजी एवं तकनीकी सहायता का सहयोग अपरिहार्य बन गया। मुख्य बात यह है कि आज के प्रगतिशील युग में कोई भी देश बिना अन्य देशों की जानकारी प्राप्त किये विकास की दौड़ में पीछे रह जायेगा। भारत अभी एक विकासशील देश है। यहाँ प्राकृतिक साधनों का विदोहन नहीं हो पाया है। पूँजी का अभाव है, आन्तरिक बचतें कम हैं। तकनीकी ज्ञान भी अधिक उच्च प्रकार का नहीं है व्यावसायिक जोखिम सहने की क्षमता कम है। पूँजीगत मशीनों का अभाव है, ऐसी स्थिति में यह उचित है कि विदेशी पूँजी एवं सहायता प्राप्त की जाय।

## उद्देश्य :

विदेशी पूँजी अल्पविकसित देशों के विकास में निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति में अधोलिखित योगदान करते हैं -

### 1. घरेलू बचतों को अनुपूरित करना:

अल्पविकसित देशों में बचत एवं विनियोग दर धीमी होती है जिससे न केवल पूँजी स्टॉक अत्यन्त कम होता है, बल्कि पूँजी निर्माण की चालू दर भी कम होती है। औसतन रूप से इन अर्थव्यवस्थाओं में कुल विनियोग राष्ट्रीय आय का केवल 2 से 6 प्रतिशत तक होता है जबकि उन्नत देशों में वह 15 से 20 प्रतिशत तक होता है। नई परियोजनाओं में पूँजी निवेश की तो कोई बात ही नहीं, बचत की इतनी दर तो 2 से 2.4 प्रतिशत की दर से बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भी व्यवस्था नहीं कर सकती। वास्तविक बचत की वर्तमान दर से वे पूँजी के मूल्य ह्रास को भी पूरा नहीं कर सकते और न विद्यमान पूँजी-उपकरण को प्रतिस्थापित कर सकते हैं, लेकिन विदेशी पूँजी का आयात, पूँजी उपकरण तथा कच्चा माल को प्रवाहित करके घरेलू बचतों की कमी को पूरा करने में सहायक होता है। जिससे बचतों की सीमान्त दर और घरेलू पूँजी निर्माण की दर बढ़ जाती है।

### 2. प्राकृतिक साधनों का विदोहन :

भारत में आर्थिक विकास के लिए बहुतायात में प्राकृतिक ससाधन उपलब्ध हैं। प्राकृतिक

ससाधनो की दृष्टि से भारत एक सम्पन्न देश है लेकिन अल्प पूँजी के कारण इन ससाधनों का पूर्ण रूप से उचित विदोहन नहीं हो पाता है। विदेशी पूँजी के माध्यम से इन ससाधनो का पूर्ण उपयोग किया जा सकता है और इसी के माध्यम से क्षेत्रीय असतुलन को भी दूर किया जा सकता है।

### 3. तकनीकी ज्ञान की कमी को दूर करना .

हमारे देश में तकनीकी ज्ञान व कौशल की कमी है और इसकी कमी उत्पादन की ऊँची औसत लागत तथा श्रम की निम्न उत्पादकता से झलकती है। विदेशी पूँजी के साथ तकनीकी एव कौशल का भी आयात होता है। अतः यह पिछड़ापन या कमी विदेशी सहयोग से दूर की जा सकती है।

### 4. आधारभूत तथा मूल उद्योग स्थापित करने के लिए .

अल्प-विकसित देश इस स्थिति में नहीं होते कि आधारभूत तथा मूल उद्योग अपने आप शुरू करें। विदेशी सहयोग के माध्यम से ही वे इस्पात, मशीनी औजारों, भारी विद्युत सम्बन्धी तथा रासायनिक आदि सयन्त्रो को स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा एक उद्योग में विदेशी पूँजी का प्रयोग अन्य उद्योग में लगाते घटाकर देशी उद्यम को प्रोत्साहन दे सकता है। जिससे अन्य सम्बद्ध उद्योगों का श्रृंखला विस्तार हो सकता है। इस प्रकार विदेशी पूँजी अर्थव्यवस्था के औद्योगीकरण में सहायक होती है।

### 5. व्यावसायिक जोखिम में कमी :

आधारभूत एव पूँजीगत उद्योगों की स्थापना में प्रारम्भिक अवस्था में जोखिम अधिक होता है और स्थापना व्यय भी अधिक होते हैं जिसके कारण देश के साहसी नये व्यवसायों में पूँजी लगाने में पिछडते हैं, किन्तु विदेशी पूँजी की दशा में व्यापारिक जोखिम प्रायः विदेशियों द्वारा उठाया जाता है और बाद में धीरे-धीरे स्वाभित्व देशवासियों को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार विदेशी सहायता द्वारा औद्योगिक विकास में होने वाले प्रारम्भिक जोखिमो को कम किया जा सकता है।

### 6. भुगतान-संतुलन के निवारण में सहायता .

नियोजन एव औद्योगिक विकास की प्रारम्भिक अवस्था में विदेशों से पूँजीगत आयात अधिक होने के कारण भुगतान-असतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके जनसख्या भार के कारण खाद्यान्न का भी आयात करना पडता है जिससे स्थिति और गम्भीर हो जाती है। विदेशी पूँजी के माध्यम से एक अल्पविकसित देश अपनी आयात आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है और साथ ही

भुगतान शेष की कठिनाइयों से छुटकारा पा सकता है।

### 7. बेरोजगारी में कमी :

विदेशी सहायता से नये-नये उद्योगों का जन्म होता है और पूर्व स्थापित उद्योगों का विस्तार होता है जिससे रोजगार के अवसरों का सृजन होता है और जिनमें हजारों व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। इससे बेरोजगारी में कमी होती है। इसलिए प्रोफेसर सी एन वकील ने एक बार कहा था कि- "विदेशी पूँजी केवल पूँजीगत साधनों की प्राप्ति में ही सहायता नहीं करती है, बल्कि यह देश के विकास के लिए मानवीय साधनों के स्वविकास में भी सहायता करती है"।

### 8. मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण :

बृहत् सार्वजनिक विनियोग कार्यक्रम प्रारम्भ होने के फलस्वरूप घरेलू वस्तुओं की माग तथा पूर्ति के असंतुलन के अस्तित्व के कारण विकासशील देश में स्फीतिकारी दबावों का प्रकट होना अनिवार्य है। इन सार्वजनिक विनियोग कार्यक्रमों के प्रभाव से वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए माग उनकी पूर्ति की अपेक्षा अधिक बढ़ती है। इससे स्फीतिकारी दबाव उत्पन्न होते हैं जो उन सरचनात्मक कठोरताओं के कारण अधिक प्रबल हो जाते हैं। यदि खाद्यान्नों तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं का विदेशी पूँजी की सहायता से उत्पादन होता है तो स्फीतिकारी दबाव कम हो जाते हैं। अतः यह कहा जाता है कि विदेशी सहायता मुद्रा-प्रसार नियंत्रण का कार्य करती है।

### 9. आर्थिक नियोजन :

भारत में आर्थिक नियोजन पिछले 46 वर्षों से चल रहा है यद्यपि देश में नियोजन हेतु पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए विदेशी पूँजी एवं सहायता लेना उचित एवं आवश्यक होती है।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए विदेशी सहायता अनिवार्य है। यह औद्योगीकरण में, आर्थिक पूँजी की कमी के निर्माण में और अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने में सहायक होती है। विदेशी सहायता केवल मुद्रा एवं मशीन तक ही नहीं सीमित है, बल्कि विदेशी प्राविधिक ज्ञान भी लाती है। यह विभिन्न अविकसित क्षेत्रों में पहुँचकर क्षेत्रीय विकास करती है और साधनों का विदोहन करती है। विदेशी सहायता भुगतान संतुलन को ठीक कर मुद्रा प्रसार की भयावह स्थिति से बचाती है। इसके अतिरिक्त यह सामाजिक संरचना में भी अपनी भूमिका निभाती है। अतः अर्थव्यवस्था को तीव्र गति देने के लिए विदेशी सहयोग

बहुत आवश्यक है।

## विदेशी निवेश नीति :

भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व विदेशी पूँजी के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति नहीं थी, लेकिन रेलों की स्थापना, विद्युत ग्रहों का निर्माण, चाय व कहवा के बगीचों की स्थापना, जूट एवं कोयला उद्योग की स्थापना एवं विकास, आदि में विदेशी पूँजी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। 6 अप्रैल 1949 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने संविधान सभा में भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की जिसमें कहा गया कि देश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत विदेशी एवं देशी उपक्रमों के बीच भेदभाव नहीं किया जायेगा।<sup>4</sup> विदेशी निवेशकों द्वारा लगायी गयी पूँजी पर प्राप्त होने वाले लाभों को अपने देश में भेजने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं दी जाएगी। जो विदेशी उपक्रम इस समय देश में चल रहे हैं उन पर सरकार कोई भी ऐसा प्रतिबन्ध नहीं लगायेगी जो भारतीय उपक्रम पर नहीं लगाया गया है। सरकार की इच्छा विदेशी उपक्रमों को किसी भी प्रकार की हानि पहुँचाने की नहीं है, लेकिन यदि किसी कारण से किसी भी विदेशी उपक्रम का राष्ट्रीयकरण किया गया तो विदेशी उद्योगपतियों को उचित एवं न्यायपूर्ण क्षतिपूर्ति की जायेगी। विदेशी पूँजी पर नियन्त्रण रखा जायेगा। इस नियन्त्रण का उद्देश्य उसका इस प्रकार उपयोग करना होगा कि देश के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। विदेशी उपक्रमों का नियन्त्रण भारतीय हाथों में होना चाहिए। धीरे-धीरे विदेशी विशेषज्ञों के द्वारा भारतीय कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण देने के लिए व्यवस्था की जायेगी।

सन् 1949 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू के द्वारा दिया गया वक्तव्य 1956 की औद्योगिक नीति में पूर्ण रूप से परिलक्षित होता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार देशी व विदेशी प्रतिष्ठानों में कोई मतभेद नहीं बरतेगी। उन्हें लाभ व पूँजी ले जानेकी छूट होगी, लेकिन यदि राष्ट्रीयकरण किया जायेगा तो उन्हें न्यायपूर्ण मुआवजा दिया जायेगा, लेकिन 1991 में घोषित औद्योगिक नीति में विदेशी विनियोग या पूँजी को बढ़ावा देने की बात कही गयी है। उद्योगों में विदेशी पूँजी 51 प्रतिशत तक हो सकती है। यदि विदेशी तकनीक आयात की जाती है तो उसकी भी अनुमति सरकार दे देगी। विदेशी कम्पनियों को लाभ विदेशों में भेजने की अनुमति भी सीमित दायरे में दी गयी है। वर्ष 1992-93 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा पोर्टफोलियो निवेश एवं अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रयास किये गये हैं।

4. मामोरिया डॉ. चतुर्भुज एवं जैन डॉ० एस.सी. : भारतीय अर्थशास्त्र, (पन्द्रहवाँ संस्करण) 1997, पृष्ठ संख्या-148

भारत सरकार द्वारा 1991 के मध्य में उदारीकरण निजीकरण एवं अन्य आर्थिक सुधारों की जो प्रक्रिया प्रारम्भ की गई, वह निरन्तर जारी है और समय के साथ-साथ उसमें कई आयाम जोड़े गए हैं। विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम (एफ ई आर ए) के स्थान पर विदेशी विनिमय प्रबन्धन अधिनियम (एफ ई एम ए) इसका एक उदाहरण है। चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता अगस्त 1994 में लागू कर दी गई जिसके कारण विदेशी व्यापार में सलग्न उद्यमियों के लिए विदेशी मुद्रा का सकट दूर हो गया। पूँजी खाते में रुपये की परिवर्तनीयता के सम्बन्ध में तारापोर समिति द्वारा सुझाव प्रस्तुत किए जा चुके हैं और इन्हें लागू करने पर विचार किया जा रहा है। यह उल्लेखनीय है कि चालू खाते में रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में रुपये को विदेशी मुद्रा में बदलने की स्वतन्त्रता से है जबकि पूँजी खाते में रुपये की परिवर्तनीयता का अभिप्राय अन्य देशों के साथ वित्तीय लेन-देनों के सिलसिले में रुपये को विदेशी मुद्रा में बदलने की स्वतन्त्रता से है। विदेशी निवेशकों के लिए कई ऐसे द्वार जो पहले बन्द थे, अब खोल दिये गये हैं। कई उद्योगों में वे 50 प्रतिशत से अधिक अंश खरीद सकते हैं तथा पूर्णतः अपने स्वामित्व में औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की स्थापना कर सकते हैं विदेशी विनिमय नियमन कानून को सरल बनाया गया है तथा कई प्रकार के प्रतिबन्ध समाप्त कर दिये गये हैं। यही कारण है कि अब भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी पूँजी का निवेश तेजी से बढ़ने लगा है और भारत के विस्तारित होते बाजार की ओर विदेशी निवेशक आकर्षित होने लगे हैं। फिर भी अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत काफी पीछे चल रहा है। हाल ही के वर्षों में भारत सरकार द्वारा विनिमय नियंत्रण के जकड़न और कठोरता को कम करने के लिए जो कदम उठाए गये हैं वे सचमुच महत्वपूर्ण हैं उनमें निम्नांकित उल्लेखनीय हैं -

- 1 जुलाई 1996 में विदेशी निवेश सम्बर्द्धन बोर्ड का पुनर्गठन किया गया और भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए विदेशी निवेश सम्बर्द्धन काउन्सिल की स्थापना की गई।
- 2 फरवरी 1997 में विदेशी मुद्रा विनिमय नियमन अधिनियम 1973 के स्थान पर पूर्ण चालू खाता परिवर्तनीयता तथा पूँजी खाता के लेन-देनों को क्रमिक रूप से उदार बनाने के उद्देश्य से नया कानून बनाने का निश्चय किया गया। वर्ष 1997-98 के केन्द्रीय बजट में विदेशी विनिमय प्रबन्धन अधिनियम (एफ ई एम ए) शीर्षक का एक विधेयक लाने का प्रस्ताव किया गया जिसका प्रारूप तैयार करने का उत्तरदायित्व रिजर्व बैंक को सौंप दिया गया।
- 3 नवम्बर 1996 में अनिवासी भारतीय निवेशों के सम्बन्ध में गठित कार्यदल की सिफारिशों के अनुसार रिजर्व बैंक ने ऐसे उपाय किये जिसमें प्राधिकृत व्यापारियों को लाभांश अथवा ब्याज

की राशि अनिवासी भारतीय निवेशको के अनिवासी विनियोग (Non- Residence Investment, N R I) खातो मे शीघ्रतापूर्वक जमा करने मे सुविधा हो।

- 4 जनवरी 1997 मे विदेशी निवेशको को स्वत अनुमोदन के मार्ग के अन्तर्गत निवेश के प्रस्तावों के लिए अपेक्षाकृत अधिक सुविधा प्रदान करने हेतु सरकार ने औद्योगिक नीति 1991 के अनुबन्ध 3 मे निम्नलिखित को सम्मिलित किए जाने की घोषणा की है -

क- खनन कार्यों से सम्बन्धित उद्योगो अथवा मदो की तीन श्रेणियो को 50 प्रतिशत तक विदेशी ईक्विटी के लिए खोल दिया गया।

ख- उद्योगो अथवा मदो की तेरह अतिरिक्त श्रेणियो को 51 प्रतिशत तक की विदेशी ईक्विटी के लिए खोल दिया गया।

ग- उद्योगो अथवा मदो की नौ श्रेणियो को 74 प्रतिशत तक की विदेशी ईक्विटी के लिए स्वतन्त्र कर दिया गया।

- 5 मार्च 1977 मे विदेशी सस्थागत निवेशको को भारत सरकार की दिनाकित प्रतिभूतियो में निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई।

- 6 फरवरी 1998 मे रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा के अधिकृत डीलरो को इस बात की अनुमति प्रदान कर दी कि वे विदेशी नागरिको द्वारा नियोजन परामर्श सेवा, विदेशो के पत्र-पत्रिकाओ मे विज्ञापन तथा विदेश या भारत मे विशिष्टीकृत प्रशिक्षण के लिए अग्रिम भुगतान कर सकते हैं।

- 7 भारतीय कम्पनी द्वारा पूर्णत अपने स्वामित्व मे अपना सयुक्त उपक्रम के रूप मे विदेशो मे चलाई जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं की व्यवहार्यता के अध्ययन और सुझाव के लिए विदेशी स्थित परामर्श सेवा सगठन को अब भारतीय कम्पनी द्वारा एक लाख डालर तक भुगतान किया जा सकता है, विदेशी मुद्रा के अधिकृत डीलरो द्वारा ही इसकी अनुमति प्रदान की जा सकती है।

रिजर्व बैंक के अनुमोदन के बिना ही विदेशी मुद्रा के अधिकृत डीलर निम्नाकित प्रेषण की अनुमति प्रदान कर सकते हैं -

क- अपने निर्देशो के परिपालन अथवा क्रियान्वयन के लिए भारतीय न्यायालयों द्वारा अन्य देशों को भुगतान।

एलियोनी का प्रेषण।

किराया अथवा अधिकार शुल्क का प्रेषण।

- घ- विदेशी राजनायिको अथवा मिशनो द्वारा भारतीय राज्य व्यापार निगम को बेची गई आयातित्तकार की कीमत का प्रेषण।
- ङ- भारतीय फर्म अथवा कम्पनी द्वारा विदेश में कार्यरत अपने भारतीय कर्मचारियों को कर की कटौती करने के बाद बोनस का प्रेषण
- च- भारतीय फर्म अथवा कम्पनी द्वारा विदेश में कार्यरत अपने ऐसे कर्मचारियों को भविष्य निधि एव पेशन की राशि का प्रेषण जो स्थायी रूप से भारत के निवासी है।
- छ- भारतीय फर्म अथवा कम्पनी द्वारा अपने अनिवासी संचालकों को कमीशन एव पारिश्रमिक का प्रेषण।
- ज- सामान्य बीमा निगम या उसकी सहायक संस्था द्वारा भारतीय निर्यातकर्ता के पक्ष में स्वीकृत समुद्री बीमा से सम्बन्धित क्षतिपूर्ति की राशि का विदेशी क्रेताओं जिसने भारतीय निर्यातकर्ता से माल खरीदा है को प्रेषण।
- 9 रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा के अधिकृत डीलरों को यह अनुमति भी प्रदान कर दी है कि व्यापार अथवा भ्रमण के सिलसिले में विदेश जाने वाला कोई भी भारतीय यदि बीमार हो जाये तो उसे अतिरिक्त विदेशी मुद्रा की सुविधा प्रदान की जा सकती है।
- 10 स्वास्थ्य की जाँच के लिए विदेश जाने वाले भारतीयों को अब अधिकृत डीलर 150 डालर प्रतिदिन की दर से 7 दिनों तक के लिए विदेशी मुद्रा विमुक्त कर सकते हैं।
- 11 विदेशी पर्यटकों के लिए काम कर रहे यात्रा-अभिकर्ता द्वारा विदेशी प्रेषण पर प्रतिबन्ध समाप्त कर दिया गया है। पर्यटन लागत के 10 प्रतिशत के बराबर ऐसा प्रेषण अब अधिकृत डीलर ही अनुमोदित कर सकते हैं।
- 12- भारतीय पत्र-पत्रिकाओं, न्यूज एजेंसियों आदि द्वारा विदेशी समाचार सामग्री, फोटोग्राफ, कार्टून आदि की लागत के निमित्त विदेशों को किये जाने वाले प्रेषण के लिए अब रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति आवश्यक नहीं है। अधिकृत डीलर के स्तर से ही ऐसा प्रेषण किया जा सकता है। इस तरह विदेशी विनिमय नियंत्रण कानून को काफी हद तक प्रतिबन्धों से मुक्त करके लचीला, आसान और पारदर्शी बना दिया गया है। इसके फलस्वरूप विदेशी वित्त के स्वतन्त्र प्रवाह के मार्ग की रुकावटें काफी हद तक छूट हो गई है। विदेशी निवेशकों का विश्वास दृढ़ हुआ है और विदेशी व्यापार एव वित्त सम्बन्धी व्यवहार निरन्तर गतिमान हो रहे हैं।

## भारत में विदेशी पूँजी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी प्रयत्नः

भारत सरकार ने विदेशी पूँजी को भारत में प्रोत्साहित करने के लिए अग्र प्रयत्न किये हैं

जिनका विवरण इस प्रकार है -

**1. भारतीय विनियोग केन्द्र की स्थापना .**

भारत में विदेशी पूँजी को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली में एक विनियोग केन्द्र-भारतीय विनियोग केन्द्र के नाम से फरवरी 1961 में स्थापित किया गया है जिसका कार्य विनियोग से सम्बन्धित पहलुओं का प्रचार एवं प्रसार करना है।

**2. कर सम्बन्धी छूट .**

विदेशी एवं देशी विनियोग को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत अनेक छूटें देने की व्यवस्था की है जिसमें उपक्रमों के लिए अवकाश विकास, छूट, वैज्ञानिक अनुसंधान, विदेशी तकनीक विशेषज्ञों को कर छूट आदि शामिल हैं।

**3. दुहरे करारोपण की छूट :**

करदाता को एक ही आय पर दो देशों में कर न देना पड़े इस उद्देश्य से भारत सरकार ने कई देशों से दुहरे करारोपण की छूट देने के लिए समझौते कर रखे हैं। इन देशों में जर्मनी, अमरीका, स्वीडन, फिनलैण्ड, डेनमार्क आदि प्रमुख हैं।

**4. विदेशी सहायता के सम्बन्ध में गारण्टी :**

भारत सरकार व अन्य विशिष्ट वित्तीय सस्थाओं ने विदेशी निजी वित्तीय सस्थाओं को गारण्टी देकर विदेशी पूँजी को भारत में आने के लिए प्रोत्साहित किया है। यही नहीं, भारत सरकार के आश्वासन पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, विश्व बैंक, आदि ने भी विदेशी पूँजी के सम्बन्ध में गारण्टी देकर विदेशी पूँजी को भारत में लाने के लिए प्रोत्साहित किया है।

**5 अवमूल्यन :**

भारत ने 1966 में अवमूल्यन किया था। उसके कई उद्देश्यों में एक उद्देश्य भारत में विदेशी पूँजी को अधिक मात्रा में आमन्त्रित करना था, साथ ही विदेशियों को इसका प्रलोभन भी देना था कि अपने लाभों को भारत के बाहर न ले जाकर भारत में ही पुनर्विनियोजित कर दें।

**भारत के आर्थिक विकास में विदेशी सहायता का योगदान :**

भारत के आर्थिक विकास में विदेशी सहायता ने भारी उद्योगों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका



निभायी है तथा खाद्य सकट हल करने, सिंचाई एव बिजली क्षमता का विस्तार करने रेलवे का विकास करने, तकनीकी विकास एव प्रशिक्षण सुविधा प्राप्त करने में काफी सहयोग दिया है। यदि विदेशी सहयोग को उसके लक्ष्यों के अनुसार पुनर्वलोकित करें तो यह निष्कर्ष निकलता है कि विदेशी ऋण अधिकतर उत्पादक वस्तुओं के उत्पादन में सहायता पहुँचाने अथवा आर्थिक संरचना को सुदृढ़ बनाने हेतु लिये गये हैं। विश्व बैंक से मिला ऋण मुख्य रूप से रेलवे, कृषि, दामोदर घाटी निगम, इस्पात उत्पादन और कोयला खानों के विकास के लिए था। अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ से मिले ऋण मुख्य रूप से रेलवे, सड़को व सिंचाई विकास के लिए थे। अमेरिका ने गेहूँ के ऋण के रूप में सहायता के अतिरिक्त रेलवे, बिजली, कागज, एल्युमिनियम, उर्वरक, रेयन आदि की सहायता दी है। रूस से जो सहायता प्राप्त है, वह इस्पात सयन्त्रों एव तेल परिशोधनशालाओं के लिए है। जहाँ तक इस्पात सयन्त्रों का प्रश्न है, दुर्गापुर इस्पात-सयन्त्र के लिए इंग्लैण्ड से और राउरकेला इस्पात सयन्त्र के लिए जर्मनी से और भिलाई तथा बोकारो के लिए रूस से सहायता मिली है। विदेशी सहयोग से भारत के आर्थिक विकास का सही-सही अनुमान लगाना कठिन है लेकिन यह कहा जा सकता है कि भारत के आर्थिक विकास में विदेशी सहयोग ने अपनी भूमिका निभायी है जो संक्षेप में इस प्रकार है

- 1 विदेशी सहयोग के माध्यम से विनियोग-स्तर में वृद्धि हुई है। प्रथम योजना के आरम्भ में वार्षिक विनियोग दर राष्ट्रीय आय का 5 प्रतिशत थी, किन्तु 1983-84 में 25 प्रतिशत हो गई। विदेशी सहयोग का उपयोग खाद्य - सामग्रियों की कीमत में स्थायित्व लाने और कच्चे माल का आयात करने में किया गया। कुल प्राप्त सहायता का लगभग आधा वस्तुओं के आयात के लिए प्रयोग में लाया गया, विशेषकर अनाज के रूप में। सहयोग का एक भाग कच्चे माल एव अतिरिक्त पुर्जों के आयात के लिए जिनकी देश में कमी थी, प्रयोग किया गया जिससे देश के उत्पादन में वृद्धि हुई।
- 2 विदेशी सहयोग का प्रयोग सिंचाई, शक्ति एव सड़को के निर्माण में किया गया। सिंचाई एव शक्ति के ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी सहायता का लगभग 4 प्रतिशत इस क्षेत्र पर व्यय किया गया है। जिसके फलस्वरूप विद्युत उत्पादन की क्षमता में कई गुनी वृद्धि हुई है।
- 3 भारत में कुल प्राप्त सहयोग 14 प्रतिशत यातायात पर व्यय किया गया है जिसमें से 12 प्रतिशत रेलवे परिवहन के विकास एव पुनर्वास पर है। इसके कारण आरम्भिक वर्षों में रेलवे परिवहन को पुनः स्थापित करने तथा रेल के डिब्बों में वृद्धि करने और इंजनों की मरम्मत

आदि में योगदान मिला है।<sup>5</sup>

- 4 आधारभूत एव मूल उद्योग जो कि आर्थिक विकास के लिए अति आवश्यक था, उसमें महत्वपूर्ण राष्ट्रों का सहयोग प्राप्त किया गया। 80 प्रतिशत से कुछ अधिक ही भाग इस्पात उद्योग की क्षमता एव निर्माण पर व्यय किया गया। जिससे इस्पात के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। इस्पात सयन्त्रों में मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर क्रमशः पश्चिमी जर्मनी, सोवियत रूस एव इंग्लैण्ड के सहयोग से स्थापित किये गये। इसके अतिरिक्त एशिया की बड़ी इस्पात-परियोजना बोकारो इस्पात सयन्त्र के लिए रूस से सहयोग प्राप्त है।
- 5 भारत की तकनीकी जानकारी व प्रबन्धकीय क्षमता को दूर करने में विदेशी सहयोग ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। विभिन्न विकसित देशों से तकनीकी व्यक्तियों को बुलाया गया और दूसरे देशों में प्रशिक्षण के लिए भारतीयों को भेजा गया। इसके अतिरिक्त इसने हमारे देश में बहुत सी प्रशिक्षण सस्थाओं की स्थापना में योगदान दिया है। विदेशी विनिमय की आवश्यकता को पूरा करने में विदेशी सहयोग का प्रयोग किया गया है। विकासशील देशों में विदेशी विनिमय की समस्या जटिल होती है, क्योंकि आयात अधिक होते हैं। इस समस्या का समाधान विदेशी सहयोग के माध्यम से किया जा सकता है।

उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त विदेशी सहयोग का भारत के सामाजिक जन-जीवन पर भी प्रभाव पड़ा है और सामाजिक विकास को सहायता मिली है। पी एल 480 आदि पश्चिमी देशों से मिलने वाली सहायता का झुकाव निजी क्षेत्र की ओर है। विदेशी सहयोग से मिश्रित अर्थव्यवस्था की घोषित आर्थिक नीति और सामाजिक वातावरण को स्थापित करने में सहायता मिली है।

## लाभ-हानि का आकलन

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से प्राप्त होने वाले लाभों के कारण ही आज इन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए विकासशील देशों के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से विकासशील देशों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होने की आशा रहती है —

- 1 भौतिक पूँजी निर्माण में सहायता मिलती है।
- 2 आधारिक संरचना वाले क्षेत्रों (सड़क, रेल, बिजली इत्यादि) का विकास होता है, जिस पर

5 मिश्र, जगदीश नारायण भारतीय अर्थव्यवस्था (10वाँ संस्करण) 1996, पृष्ठ संख्या-637

अन्य सभी क्षेत्रों का विकास निर्भर करता है।

- 3 आधुनिक प्रौद्योगिकी का आगमन होता है।
- 4 मानव ससाधन और विशेषकर प्रबन्धकीय कुशलता का विकास होता है।
- 5 विदेशी व्यापार का विकास होता है।
- 6 उत्पादन, रोजगार तथा आय में वृद्धि होती है।
- 7 बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण देशी उद्यमियों की कार्यशैली और निपुणता में सुधार होता है।
- 8 विदेशी ससाधन प्राप्त करने के लिए वाणिज्यिक ऋणों पर निर्भरता में कमी होती है।

**विदेशी पूँजी निवेश में कुछ दोष भी पाए जाते हैं, जिनमें निम्नांकित विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं -**

- 1 विदेशी कम्पनियों द्वारा उत्पादित वस्तुएँ उच्च आय वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप होती हैं और उपभोक्तावाद को भी बढ़ावा मिलता है।
- 2 विदेशी कम्पनियों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली प्रौद्योगिकी पूँजी प्रधान होती है, न कि श्रम प्रधान फलतः अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन कम होता है।
- 3 विदेशी कम्पनियों द्वारा बहुत अधिक लाभ पर माल बेचे जाते हैं, अकुशल उत्पादन की दशा में भी अधिक लाभ कमाना सम्भव हो जाता है क्योंकि इनके द्वारा जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उन वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिये जाते हैं।
- 4 विदेशी कम्पनियों प्रतिबन्धात्मक व्यावसायिक व्यवहारों में भी सलिलप्त रहती हैं, अपने देश के आयात कर्ताओं और निर्यात कर्ताओं के साथ मिलीभगत करके ये कम्पनियाँ उत्पादन में प्रयुक्त की जाने वाली आयातित वस्तुओं की लागत को कृत्रिम रूप से अधिक दिखाकर और निर्यात की कीमत को कम दिखाकर अपने वास्तविक लाभ को छिपा लेती हैं और कर वचना करने में सफल हो जाती हैं।
- 5 देशी उद्यमों का विकास अवरूद्ध हो जाता है, क्योंकि हर दृष्टि से शक्तिशाली विदेशी कम्पनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना देशी उद्यमियों के सामर्थ्य से बाहर होता है।
- 6 विदेशी कम्पनियों देशी उद्यमों के साथ सयुक्त उपक्रम चलाने में कम रुचि लेते हैं और पूर्णतः अपने स्वामित्व में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की स्थापना करना चाहती हैं।
- 7 विदेशी कम्पनियों द्वारा स्थानीय पूँजी एवं अन्य ससाधनों का दोहन किया जाता है, जिसका लाभ विदेशी कम्पनियों को ही प्राप्त होता है।
- 8 स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण और रोजगार देने के प्रति विदेशी कम्पनियाँ उदासीन रहती हैं।

- 9 ये कम्पनियों अपने देश या तीसरे देशों में निर्यात करने में रूचि नहीं लेती है और स्थानीय बाजार के लिए ही अधिकांश उत्पादन करती है
- 10 इन कम्पनियों की दिलचस्पी उपभोग सामग्रियों में अधिक होती है पूँजीगत वस्तुओं और आधारीक सरचना वाले क्षेत्रों में इनके द्वारा कम निवेश किया जाता है।
- 11 जिन देशों में विदेशी कम्पनियों काम करती हैं, उन देशों की आर्थिक स्वतन्त्रता पर कुठाराघात होता है, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली होती हैं और इनके पास कई देशों के सकल राष्ट्रीय उत्पाद से भी अधिक सम्पदा होती है।

लेकिन विदेशी कम्पनियों पर अकुश लगाने के लिए तथा उनके व्यवहार में पारदर्शिता लाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कई नियम बनाए गये हैं और आचार संहिता का निर्माण किया गया है प्रत्येक देश की स्थिति अलग-अलग होती है। विदेशी कम्पनियों के गुण-दोषों के आधार पर अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए विदेशी कम्पनियों के प्रवेश और निवेश के मामले में प्रत्येक विकासशील देश को उपयुक्त निर्णय लेना चाहिए।

### विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह :

1994-95 में रिजर्व बैंक के स्रोत से तथा सरकारी स्रोत से कुल 872 मिलियन डालर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में आगम हुआ था।

#### तालिका - 5.1

#### विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह- देशवार

(मिलियन अमरीकी डालर)

देश	1994-95	1995-96	1996-97
मारीशस	196 70	507 30	846 40
अमरीका	202 80	194 60	241 60
जर्मनी	34 60	99 70	166 20
नीदरलैंड	44 70	49 80	123 70
जापान	94 90	60 90	96 70
सिंगापुर	24.50	60 10	75 60
स्वीडन	18 00	2 10	61 10
कोरिया	12 00	23 90	57 90
यू के	143.50	70 90	54.20
अन्य	100 30	348 70	333 60
<b>कुल</b>	<b>872 00</b>	<b>1418.00</b>	<b>2057 00</b>

नोट उपर्युक्त ऑकडे केवल नकदी अतर्वाह के द्योतक हैं। अनिवासी भारतीय प्रत्यक्ष निवेश जो रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के माध्यम से किया जाता है, उसे शामिल नहीं किया गया है क्योंकि देशवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं है।

तालिका - 5.2  
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अतर्वाह -उद्योगवार

(मिलियन अमरीकी डालर)

उद्योग	1994-95	1995-96	1996-97
इजीनियरी	131 6	251 9	730 2
रसायन एव सम्बद्ध उत्पाद	141 2	126 7	303 8
खाद्य एव दुग्ध उत्पाद	60 9	85 0	237 5
वित्त	97 7	270 0	217 0
इलेक्ट्रानिक्स एव विद्युत उपकरण	56 4	129 6	153 6
कम्प्यूटर	10 2	52 1	58 7
फार्मास्युटीकल्स	10 1	54 8	47 6
सेवाए	93 4	100 4	15 2
घरेलू उपकरण	108 3	0 5	15 1
अन्य	162 2	347 0	278 3
<b>कुल</b>	<b>872 0</b>	<b>1418 0</b>	<b>2057 0</b>

नोट उपर्युक्त ऑकडे केवल नकदी अतर्वाह के द्योतक हैं, अनिवासी भारतीय प्रत्यक्ष निवेश जो रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के माध्यम से किया जाता है, उसे शामिल नहीं किया गया है क्योंकि उद्योगवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं है।

जो वर्ष 1995-96 में बढ़कर 1418 मिलियन डालर हो गया। 1996-97 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में तेजी से वृद्धि हुई इस वर्ष 2057 मिलियन डालर का आगम हुआ। सबसे अधिक मारीशस से 846 4 मिलियन डालर प्राप्त हुआ। इसके बाद क्रमशः अमरीका से 241 6 मिलियन डालर नीदरलैंड से 123 7 मिलियन डालर तथा जापान से 96 7 मिलियन डालर प्राप्त हुआ।

6 मासिक पत्रिका प्रतियोगिता दर्पण, सितम्बर 1998, पृष्ठ सख्या-264

7 मासिक पत्रिका प्रतियोगिता दर्पण सितम्बर 1998, पृष्ठ सख्या-264

भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अन्य प्रमुख स्रोतों में सिंगापुर, स्वीडन, दक्षिण कोरिया तथा ब्रिटेन भी शामिल हैं।

तालिका - 53  
श्रेणीवार विदेशी निवेश प्रवाह

(मिलियन अमरीकी डालर)

	1991 92	1992 93	1993 94	1994 95	1995 96	1996-97	1997-98
क- प्रत्यक्ष निवेश	129	315	586	1314	2133	2696	3197
अ- क भा रि बैं का का स्वाचालित	-	42	89	171	169	135	202
ब- एस आई ए /एफ आई पी बी माध्यम	66	222	280	701	1249	1922	2754
स- अनिवासी भारतीय 40 प्रतिशत और 100 प्रतिशत	63	51	217	44	2715	639	241
ख- पोर्टफोलियो निवेश	4	244	3567	3824	2748	3312	1601
अ- एफ आई आई	-	1	1665	1503	2009	1926	752
ब- यूरो इक्विटी	-	240	1520	2082	683	1366	645
स- अपटीय निधिया और अन्य	4	3	382	239	56	20	204
योग क एव ख	133	559	4153	5138	4881	6008	4798

स्रोत्र आर्थिक समीक्षा भारत सरकार, 1997-1998, पृष्ठ सख्या-85

तालिका से स्पष्ट है कि भारत में विदेशी निवेश की उर्ध्वगामी प्रवृत्ति जारी है जो वर्ष 1995-96 में 4881 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर वर्ष 1996-97 में 6008 मिलियन अमरीकी डालर हो गया। वर्ष 1997-98 के दौरान अन्तर्प्रवाह 4798 मिलियन अमरीकी डालर था। यद्यपि हाल ही की अवधि में पोर्टफोलियो प्रवाहों में गिरावट होती रही है फिर भी प्रत्यक्ष और पोर्टफोलियो दोनों तरह के निवेश में निरन्तर वृद्धि होते रहने से विदेशी निवेश ऊँचा बना रहा।

पोर्टफोलियो प्रवाह (विदेशी सस्थागत निवेश, जी डी आर अपतटीय निधियाँ) वर्ष 1995-96 में 2748 मिलियन अमरीकी डालर से वर्ष 1996-97 में 3312 मिलियन अमरीकी डालर हो गया। तथापि वर्ष 1997-98 में 1601 मिलियन अमरीकी डालर पर अपेक्षाकृत न्यून रहे।

तालिका 5 4  
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

वास्तविक अन्तर्प्रवाह बनाम अनुमोदन

जोड अनुमोदन	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1991-97
करोड रूपये	739	5257	11183	13590	37489	39453	53643	161359
मिलियन अमरीकी डालर	325	1781	3559	4332	11245	11142	14858	47242
वास्तविक अन्तर्प्रवाह करोड रूपए	351	675	1786	3009	6720	8431	11155	32127
मिलियन अमरीकी डालर	155	233	574	958	2100	2383	3105	9508
डालर 47 रूपए अनुमोदन के प्रतिशत के रूप में वास्तविक अन्तर्प्रवाह								
मि अमि डालर	7	13 1	16 1	22 1	18 7	21 4	20 9	20 1

\* नवम्बर, 1997 तक

टिप्पणी अनुमोदन और वास्तविक ऑकडो में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित अनिवासी भारतीय प्रत्यक्ष निवेश शामिल है।

स्रोत आर्थिक समीक्षा, भारत सरकार 1997-98, पृष्ठ सख्या-85

तालिका से स्पष्ट है कि जिस दर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अनुमोदनों को वास्तविक अन्त प्रवाहों में रूपान्तरित किया गया है, उसमें सुधार हुआ है। अनुमोदन के अनुपात में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का वास्तविक अन्त प्रवाह 1995 और 1996 में 18.7 प्रतिशत से बढ़कर 21.4 प्रतिशत हो गया और नवम्बर 1997 तक 20.9 प्रतिशत हो गया। इससे यह पता चलता है कि अनुमोदित योजनाओं के कार्यान्वयन के मार्ग में आने वाली अडचनो को हटाया जा रहा है। नीतिगत परिवेश में निरन्तर और सहज रूप से सुधार किए जाने के साथ-साथ अच्छी वृहत् आर्थिक नीतियों के रख-रखाव से निवेश के गतव्य स्थल के रूप में भारत के आकर्षण में वृद्धि हुई है।

तालिका 55  
भारत में कुल स्वीकृत पूँजी निवेश

(मिलियन अमरीकी डालर)

वर्ष	स्वीकृत	वास्तविक प्रवाह
1991	05 30	03 51
1992	38 90	06 75
1993	88 60	17 87
1994	141 90	29 82
1995	320 70	84 41
1996	361 50	84 41
1997	510 30	317 60

SOURCE . NNS, 1996-97

दिये गये आँकड़ों से स्पष्ट है कि 1991 में 5.3 अरब रुपये मजूर हुए थे किन्तु वास्तविक प्रवाह उस समय 3.51 अरब रुपया ही हुआ, 1992 में 38.9 अरब रुपये मजूर हुए जबकि भारत में 6.75 अरब रुपये का उपयोग किया गया। 1993 में 88.6 अरब रुपये मजूर हुए हमारे देश में उनका विनियोग 17.87 अरब रुपये ही हुआ। 1994 में 141.9 अरब रुपये ही मजूर हुए, जबकि उनका विनियोग भारत में 29.82 अरब रुपये ही किया। 1995 में 320.7 अरब रुपये मजूर हुए, भारत में उनका विनियोग 63.70 अरब रुपया ही किया गया। इस प्रकार इन आँकड़ों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि जितने अरब रुपये के विदेशी पूँजी निवेश मजूर हुए हैं उनको बहुत ही विनियोग हो रहा है।



तालिका 5 6  
भारत को द्विपक्षीय सहायता

(1 अप्रैल से 31 मई, 1998 तक प्राप्त देश। सस्थावार अनुदान)

देश	करोड रूपये में
इ इ सी अनुदान	10 03
यू यन एफ पी ए	9 47
नीदर लैण्ड्स	7 19
ब्रिटेन	6 70
अमेरिका	5 96
जर्मनी	4 81
स्वीडन	3 60
डेनमार्क	3 50
जापान	1 50
कनाडा	1 38
स्विटजरलैण्ड	1 37
यूनीसेफ	0 77

स्रोत सहायता लेखा और लेखा परीक्षा प्रभाग, वित्त मंत्रालय, 1997-98, पृष्ठ सध्या- 20

तालिका से स्पष्ट है कि 31 मई 1998 तक यूरोपियन आर्थिक समुदाय का अनुदान अन्य देशों की अपेक्षा सर्वाधिक है और दूसरे स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय सघ द्वारा प्रदान किया गया अनुदान है इसके अलावा भारत को द्विपक्षीय सहायता कई अन्य देशों द्वारा भी प्रदान किया गया है जो कि तालिका में दर्शाया गया है।

**तालिका 57**  
**भारत में विदेशी विनियोजको के नाम**  
(31 अगस्त, 1997)

देश	बिलियन रूपये मे
यूनाइटेड सोवियत अमेरिका	341 55
यूनाइटेड किंगडम	82 10
मास्ट्रिष्ट	70 36
दक्षिण कोरिया	55 68
जापान	50 57
जर्मनी	49 78
कैमेन द्वीप	36 21
मलेशिया	33 40
आस्ट्रेलिया	31 92

स्रोत उद्योग मंत्रालय, 1997 (यू एन आई), पृष्ठ सख्या- 25

तालिका से स्पष्ट है कि विकासशील देशो मे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सबसे अधिक योगदान सयुक्त राज्य अमेरिका का रहा। उसके बाद दूसरा स्थान यूनाइटेड किंगडम का है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम का पाँच गुना सयुक्त राज्य अमेरिका विदेशी विनियोग के रूप मे योगदान है।

**तालिका 58**  
**विदेशी वाणिज्यिक उधार के अनुमोदनों की स्थिति**

(मिलियन अमरीकी डालर)

क्षेत्र	1996-97	1997-98
विद्युत	1875	3014
दूरसंचार	289	1493
नौवहन	146	210
नागर विमानन	46	373
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	783	230
रेलवे	144	179
वित्तीय संस्थाएँ	1502	795
पत्तन सड़कें आदि	1	62
अन्य निर्यातकों सहित	3797	2358
<b>जोड़</b>	<b>8583</b>	<b>8714</b>

स्रोत- आर्थिक समीक्षा, भारत सरकार 1997-98, पृष्ठ सख्या- 87

तालिका से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिए विदेशी वाणिज्यिक उधारों के आवटन हेतु ये प्रमुख क्षेत्र बने रहेंगे। विदेशी वाणिज्यिक उधार देने वाली विकास वित्तीय सस्थाओं से भी अपने उप-उधारों के द्वारा माध्यम एवं लघु इकाइयों की आवश्यकता को प्राथमिकता देने की अपेक्षा की जाती है। निवेश और आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देने के लिए भारतीय उद्योग को आसानी से विदेशी निधियाँ उपलब्ध कराने तथा नीतियों एवं कार्य विधियों में पारदर्शिता में वृद्धि करने के प्रयोजन से विदेशी वाणिज्यिक उधार नीति में भी परिवर्तन किये गये। नई नीति में आधारभूत ढाँचा तथा बुनियादी क्षेत्रों एवं निर्यात क्षेत्र की परियोजनाओं को ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। तालिका में अनुमोदनों का क्षेत्रवार विवरण दिया गया है।

**तालिका 59**  
**प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की क्षेत्रवार स्वीकृतियाँ**  
(अगस्त 1991 से दिसम्बर 1997 तक)

क्षेत्र	विदेशी प्रौद्योगिकी स्वीकृतियों की संख्या	विदेशी निवेश स्वीकृतियों की संख्या	स्वीकृत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (करोड रूपए)	कुल स्वीकृतियों में क्षेत्रीय हिस्सा (प्रतिशत)
1- प्रमुख आधारभूत क्षेत्र*	614	977	86301	57.35
2- पूँजीगत माल और मशीनरी	2363	2362	14197	9.43
3- उपभोक्ता सामान	613	1438	21187	14.08
4- विविध उद्योग	1354	1315	14299	9.50
5- सेवाएँ	176	1228	14499	9.63
6- नीतिगत माल	4	0	0	0
<b>जोड़</b>	<b>5124</b>	<b>7320</b>	<b>150483</b>	<b>100</b>

\* प्रमुख और आधारभूत क्षेत्र में फेरस और गैस फेरस धातुएँ विशेष धातुएँ ऊर्जा, सडके, पत्तन, तेल परिशोधन, दूर संचार, हवाई समुद्र परिवहन सीमेट और उर्वरक शामिल हैं।

स्रोत आर्थिक समीक्षा, भारत सरकार, 1997-98, पृष्ठ संख्या 101

तालिका से स्पष्ट है कि अब तक स्वीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों में एक पृथक प्रमुख क्षेत्र की प्रवृत्ति दर्शाई गयी है। प्रमुख और आधारभूत क्षेत्र ने दिसम्बर, 1997 के अन्त तक 86301 करोड रूपये की राशि निर्मित कर पहली अगस्त, 1991 से अनुमोदित कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों का 57.4 प्रतिशत का योगदान किया है। कुल अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों में उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र का भाग 14.1 प्रतिशत रहा है। जिसके पश्चात् सेवा क्षेत्र (9.6 प्रतिशत) और पूँजीगत माल क्षेत्र (9.4 प्रतिशत) का स्थान है।

## तालिका 5 10

## कुल विदेशी प्रौद्योगिकी करार और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमोदन

वर्ष	स्वीकृत एफ टी सी की संख्या	स्वीकृत एफ डी आई संख्या	करारों की स्वीकृत राशि (करोड़ रूपए)	वास्तविक अन्तर्वाह (करोड़ रूपए)
1991	661	289	534	351
1992	828	692	3888	675
1993	691 *	785	8859	1787
1994	792	1062	14190	2982
1995	982	1355	32070	6370
1996	744	1559	36150	8440
1997	660	1665	54891	12036
जोड़	5358	7407	150579*	32642

\* जी डी आर एफ सी सी बी के लिए 16186 करोड़ रूपये में 51 प्रस्ताव शामिल हैं।

SOURCE *Economic Survey Govt of India 1997-98 Page No 100*

विदेशी निवेश से सम्बद्ध प्रवृत्तियाँ निरन्तर पर्याप्त रूप से आशाजनक बनी रही, स्वीकृत विदेशी प्रौद्योगिकी सहयोग तथा तालिका में दिये गये प्रत्यक्ष विदेशी निवेशी प्रस्तावों में दिसम्बर 1997 तक क्रमशः 5358 और 7407 तक की वृद्धि हुई और जिसमें 16,186 करोड़ रूपये की राशि निहित है। स्वीकृत विदेशी निवेश की कुल राशि जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है 1,50,579 करोड़ रूपये है। वास्तविक अन्तर्प्रवाह 32642 करोड़ रूपये है।

## तालिका 5.11

## विदेशी सहायता की प्राप्ति एवं ऋण अदायगी

प्राप्ति करोड़ रु में			मूलधन का भुगतान करोड़ रु में			ब्याज का भुगतान करोड़ रु में		
स्रोत	93-94	94-95	स्रोत	93-94	94-95	स्रोत	93-94	94-95
ऋण	2106	3250	ऋण	2388	2575	ऋण	1822	1972
अनुदान	254	194	गैर सरकारी ऋण	127	166	गैर सरकारी ऋण	234	261
गैर सरकारी ऋण	559	35						
कुल योग	2919	3803	कुल योग	2515	2741	कुल योग	2056	2233

स्रोत्र नेशनल न्यूज सर्विस 1996-97

तालिका से स्पष्ट है कि 1993-94 में कुल प्राप्ति 2919 करोड़ रूपये रहा जबकि मूलधन का भुगतान 2515 करोड़ रूपये करने के साथ 2056 करोड़ रूपये ब्याज के रूप में भुगतान करना पड़ा। इसी प्रकार 1994-95 में कुल प्राप्ति 3803 करोड़ रूपये रहा जबकि मूलधन का भुगतान 2741 करोड़ रूपये करने के साथ-साथ 2233 करोड़ रूपये ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

**तालिका 5.12**  
**इटली तथा ब्रिटेन द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश**

वर्ष	इटली द्वारा प्रत्यक्ष पूँजी निवेश (मिलियन रु में)	ब्रिटेन द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (मिलियन रु में)
1991	178	321 00
1992	894	1176 70
1993	1174	6227 30
1994	3909	12991 50
1995	4603	17258 60
1996	7389	15245 99
1997	893	28689 25
<b>कुल</b>	<b>27080</b>	<b>81910 34</b>

**SOURCE** NNS, 1996-1997

दिये गये आँकड़ों से स्पष्ट है कि 1991 में इटली द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 178 मिलियन रुपये हुआ, 1992 में 894 मिलियन रुपये हुआ, 1993 में 1174 मिलियन रुपये हुआ, 1994 में 3909 मिलियन रुपया हुआ, 1995 में 4603 मिलियन रुपये हुआ, 1996 में 7389 मिलियन रुपये हुआ, 1995 में 4603 मिलियन रुपये हुआ, 1996 में 7389 मिलियन रुपये हुआ और 1997 में 8933 मिलियन रुपये हुआ इस प्रकार आँकड़ों को देखने से स्पष्ट है कि विदेशी निवेश में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

दिये गये आँकड़ों से यह प्रतीत होता है कि ब्रिटेन द्वारा भारत में प्रत्यक्ष पूँजी निवेश शुरुआत में धीरे- धीरे और उसके बाद तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। इस प्रकार भारत में ब्रिटेन का स्वीकृत कुल प्रत्यक्ष पूँजी निवेश 81910 34 मिलियन रुपये है।

### **दुष्परिणाम:**

आर्थिक विकास हेतु पूँजी की आवश्यकता होती है। अप्रयुक्त ससाधनों का पूर्ण सदुपयोग करने तथा देशी बचत को उन्मुख करने के लिए भी पूँजी की आवश्यकता होती है। भारत जैसे विकासशील देश को गरीबी की दलदल से देश को निकालने के लिए जिस विशाल मात्रा में पूँजी के प्राथमिक विनियोग की आवश्यकता है उसकी पूर्ति सिर्फ घरेलू ससाधनों से करना संभव नहीं है। उसे विदेशी सहायता से ही पूरा किया जा सकता है। विदेशी पूँजी, रियायती सहायता तथा गैर रियायती सहायता के रूप में या विदेशी निवेश के रूप में प्राप्त होती है। जहाँ अनुदान तथा कम ब्याज दर व लम्बी

भुगतान अवधि वाले ऋण रियायती सहायता के रूप में प्राप्त होते हैं, वहीं विदेशी वाणिज्यिक ऋण, विदेशों से बाजार दरो पर ऋण तथा अप्रवासी भारतीयों से प्राप्त जमा राशियों और रियायती सहायता के रूप में प्राप्त होते हैं। इसके अलावा विभिन्न भारतीय कम्पनियों विदेशी कम्पनियों के साथ तकनीकी समझौते करती है या विदेशी पूँजीपति भारतीय उद्यमों में अपना धन निवेश करते हैं।

विदेशी पूँजी का मुद्दा लम्बे औपनिवेशक शासन को झेलने तथा विभिन्न पचवर्षीय योजनाओं में निवेश प्रवाह की जगह वाघ्य सहायता पर बल दिये जाने के कारण काफी सवेदनशील रहा है। यद्यपि समय-समय पर विदेशी पूँजी की महत्ता और जरूरत को रेखांकित किया जाता रहा है। तथापि अभी तक इस दिशा में कोई विशेष पहल नहीं की गई। शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद विश्व स्तर पर वैश्वीकरण की तरफ बढ़ती प्रवृत्ति और भारत में लगातार उत्पन्न होते आर्थिक सकटों से निपटने के लिए नई आर्थिक नीति के तहत आर्थिक उदारीकरण पर जोर दिया जाने लगा। 1991 की नई औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी पूँजी के लिए खोलना था। भारत की वर्तमान 5 से 6 प्रतिशत की विकास की दर को 7 से 8 प्रतिशत से अधिक करने के लिए विदेशी पूँजी जरूरी है। विदेशी पूँजी की आवश्यकता न केवल बचत विनियोग अतराल को पूरा करने के लिए है, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में टिके रहने और कार्य सस्कृति को उन्मुख बनाये रखने के लिए भी आवश्यक है, विशेषकर आधारभूत उद्योगों के लिए विदेशी पूँजी की काफी आवश्यकता है जिसमें अगले दस वर्षों में 200 बिलियन डालर विदेशी विनियोग की जरूरत होगी।

## विदेशी पूँजी का प्रवाह :

विदेशी पूँजी के प्रवाह में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह विनियोग या तो पूर्ण स्वामित्व में या तो सयुक्त उद्यम के रूप में होता है। उसके मुख्य स्रोत हैं 1 रिजर्व बैंक द्वारा स्वचलित स्वीकृति, 2 सरकारी स्वीकृति, जब कोई बहुराष्ट्रीय कम्पनी 51 प्रतिशत से अधिक स्वामित्व रखना चाहती है तो उसे औद्योगिक नीति में शामिल 35 वरीयता वाले उद्योगों के बाहर के उद्योग में निवेश करना चाहती है तो उसे औद्योगिक स्वीकृति का सचिवालय (Secretariat of Industrial Approval SIA) या विदेशी विनियोग सम्बर्द्धन बोर्ड (Foreign Investment Promotion Board FIPB) से स्वीकृत लेनी पड़ती है।

पोर्टफोलियो विनियोग द्वितीय बाजार में किया जाता है। यह उत्पादक गतिविधियों में सीधा शामिल नहीं होता है। यह विनियोग निम्न रूपों में होता है -

1 ग्लोबल डिपोजिटरी प्राप्तियों (GDRs), 2 विदेशी सस्थागत विनियोग (FII) 3 ऑफशोर और अन्य कोष भारत में अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश वाह्य वित्त का प्रमुख स्रोत है। अनिवासियों के लिए विनियोग के कई स्रोत हैं जैसे

### विभिन्न योजना में जमा करना\*

- 1 Foreign Currency Non- Resident Banks Scheme
- 2 Non- Resident [External] Rupee Account Scheme
- 3 Non Resident [Non Repatriable] Rupee Deposits Scheme

इन योजनाओं का उद्देश्य अनिवासी भारतीयों को भारत में पूँजी निवेश हेतु उत्साहित करना है।

### प्रत्यक्ष विनियोग योजना .

अनिवासी भारतीय प्रत्यक्ष इक्विटी के साथ निवेश कर सकते हैं। 1991 में उदारीकरण की नीति को अपनाये जाने के साथ ही विदेशी पूँजी को आकर्षित करने हेतु दो महत्वपूर्ण नीतियों पर बल दिया गया है। नई औद्योगिक नीति, 1991 में उच्च वरीयता प्राप्त 35 उद्योगों में विदेशी कम्पनियों को बहुमत के साथ इक्विटी सहभागिता की छूट दी गई। इसके साथ ही फेरा कानून में सशोधन किया गया। इन नीतियों को अनेक दूसरे सुधारों जैसे प्रशुल्क संरचना को तार्किक बनाना, आयात में छूट, चालू खाते में रूपये की परिवर्तनीयता, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार (एम आर टी पी ) अधिनियम को सरल बनाना, औद्योगिक लाइसेंसिंग पद्धति में सुधार, अनेक उद्योगों में 51 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग की स्वीकृति के लिए एक खिडकी की व्यवस्था, यूरो इश्यू निर्देशिका और विदेशी सस्थागत निवेश हेतु दिशा निर्देश आदि से मद्द प्रदान की गई।

विदेशी पूँजी को आकर्षित करने के लिए भारत ने विदेशी कम्पनियों के साथ द्विपक्षीय विनियोग समझौते (बी आई टी ) पर अमल करना शुरू किया है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली के साथ ऐसे समझौते किये जा रहे हैं ताकि निवेशकों का विश्वास बढ सके। एनरान समझौते में इस आधार को समावेश किया गया था। इस समझौते को शुरू करने के पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी पूँजी निवेश को संरक्षण देने का कोई स्वीकृत पैमाना नहीं है। बहुधा ऐसी शिकायतें की जाती हैं कि विदेशी उद्योग और सस्थागत निवेशकों की तुलना में भारतीय उद्योग और सस्थागत निवेशकों के साथ भेदभाव किया जाता है। विकसित देशों द्वारा गैट प्रशुल्क बाधाएँ जैसे-

बाल मजदूर, मानवाधिकार, पर्यावरण की क्षति आदि विषयों को आधार बनाकर समय-समय पर बाधाएँ खड़ी की जाती हैं, जिससे भारतीय निर्यात प्रभावित होते हैं। एशिया टाईगर कहे जाने वाले एशियाई देशों को 70 के दशक में अपने निर्यात को बढ़ाने में इस तरह के विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन भारत के लिए इस प्रकार की गैट प्रशुल्कीय बाँधाएँ भविष्य में इसे आगे बढ़ने के लिए कठिन प्रतियोगिता के लिए विवश करेगी। इसी भारतीय उद्योगों के लिए देश में पूर्व से चली आ रही नीतियों और कार्यशैली भी क्षति पहुँचा रही है। इनमें उच्च ब्याज दर, जटिल कर संरचना, तकनीकी कार्य कुशलता के बेहतर क्रियान्वयन में अक्षमता, लाल फीताशाही और लम्बी प्रशासनिक प्रक्रिया आदि बिन्दु शामिल हैं।

#### आर्थिक सुधारों के बाद से विदेशी पूँजी और भुगतान सतुलन का परिदृश्य

- 1 निर्यात दर में 18 से 20 प्रतिशत की वृद्धि उत्साहवर्धक है।
- 2 आयात में वृद्धि दर निर्यात से ज्यादा है, लेकिन इसकी दिशा सकारात्मक है।
- 3 भुगतान सतुलन परिदृश्य में अधिक लचीलापन आया है।
- 4 चालू खाते का घाटा नियंत्रित है।
- 5 1993-94 और 1994-95 के दौरान इक्विटी से सम्बन्धित पूँजी प्रवाह काफी बढ़ा है।
- 6 वास्तविक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ रहा है जो एक स्वस्थ वृद्धि की ओर संकेत करता है।
- 7 1993-94 में विदेशी मुद्रा कोष 10 मिलियन डालर था, जबकि 1994-95 में यह 8 मिलियन डालर रहा। वर्तमान में इसकी स्थिति सतोष जनक कही जा सकती है।

#### तालिका 5 13

#### विदेशी सस्थागत पूँजी निवेश और विदेशी मुद्रा कोष

1997	मिलियन डालर	बिलियन डालर
जनवरी	89.3	19.85
फरवरी	88.8	19.70
मार्च	189.8	22.37
अप्रैल	148.5	22.68
मई	199.6	24.14
जून	362.9	25.40
जुलाई	274.2	26.02
अगस्त	149.8	26.43
सितम्बर	174.6	25.70
अक्टूबर	178.9	26.24
नवम्बर	148.7	24.38
दिसम्बर	172.1	24.50

स्रोत नेशनल न्यूज सर्विस, 1997



आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रम शुरू करने के बाद भारत सरकार ने विदेशी पूँजी निवेश को व्यापक महत्व देते हुए आवश्यक कदम उठाये, लेकिन राजनीतिक अनिश्चिता के कारण विदेशी निवेश की मनोवृत्ति बुरी तरह प्रभावित हुई। विश्व स्तर पर तेजी से फैलती नयी व्यवस्था के प्रति आशान्वित नहीं है। भारत में विदेशी निवेश सकल घरेलू उत्पाद के 15 प्रतिशत के बराबर है। साथ ही साथ स्वदेशी निवेश लगभग 26 प्रतिशत के बराबर होगा। इस वर्ष के आरम्भ में 8 93 करोड़ डालर का विदेशी सस्थागत पूँजी निवेश हुआ, जबकि 15 दिसम्बर 1997 तक सस्थागत पूँजी निवेश का स्तर गिरकर नकारात्मक 17 21 करोड़ डालर हो गया। इस वर्ष जून में सस्थागत विदेशी पूँजी निवेश 36 29 करोड़ डालर का था। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी पूँजी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था, लेकिन जहाँ तक वर्ष 1997 का प्रश्न है तो इस दौरान विदेशी निवेशको ने निवेश गतिविधियों की तरफ मजबूती से कदम नहीं उठाया।

अन्तर्राष्ट्रीय कारोबार विशेषकर आयात-निर्यात के क्षेत्र में मुद्रा विनिमय दर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में सुधार का एक महत्वपूर्ण घटक भी है। वर्ष 1995 के अन्त में इस वर्ष से अगस्त तक यानी पूरे 20 महीने की अवधि के दौरान डालर के सापेक्ष रुपये की विनिमय दर लगभग एक जगह ही स्थिर रही। जनवरी माह से ही रुपये में लगभग 6 माह तक मामूली उतार-चढ़ाव आता रहा, लेकिन इसके बाद स्थितियों ने प्रतिकूल रुख अपनाना शुरू किया जिसके चलते दिसम्बर 1997 तक रूपया 39.27 के स्तर पर पहुँच गया, जबकि जनवरी के अन्त में रुपये की विनिमय दर - 36 05 रुपये थी। रुपये में गिरावट को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बार-बार हस्तक्षेप किया और उसमें स्थिरता बनाये रखने के लिए कई उपाय भी तैयार किये। रुपये के मूल्य में गिरावट से अर्थव्यवस्था के लिए बाधक कुछ और समस्याओं को साधने में भी सहायता मिलती है। इनमें सबसे प्रमुख है सरकार का राजकोषीय घाटा जो जगातार बढ़ता जा रहा है। इस वर्ष अप्रैल और अक्टूबर के बीच की अवधि में हुआ प्रत्यक्ष कर संग्रह पिछले वर्ष के बराबर भी नहीं हो पाया और जिन लक्ष्यों के आधार पर चिदम्बरम् ने वर्ष 1997-98 के घाटे के लिए अपने आकलन तैयार किये थे। वह उनके मुकाबले काफी कम रहा।

औद्योगिक मदी रुपये के विनिमय दर मे व्यापक उतार-चढ़ाव, विश्व स्तर पर आयी माग में कमी से सबसे अधिक प्रभाव विदेश व्यापार पर ही पडा। वर्ष के आरम्भ में 390.2 करोड़ डालर का आयात हुआ, जबकि निर्यात के मामले में यह राशि 286 करोड़ डालर थी। अक्टूबर माह में आयात और निर्यात क्रमश 324 4 करोड़ डालर और 306 4 करोड़ डालर के स्तर तक पहुँच गये। इस वर्ष

आयात के क्षेत्र में गिरावट का सिलसिला बना रहा, जबकि निर्यात के मामले में उतार-चढ़ाव की स्थिति देखी गयी।

हमारा अनुमान है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक गतिविधियों में छाया मदी का पूरा प्रभाव भारत के कारोबार पर पडा। वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था मे आयात-निर्यात महत्वपूर्ण योगदान करता है, लेकिन चालू वर्ष के आयात-निर्यात के मोर्चे पर असफलता ही हाथ लगी है। निर्यात अधिक होने से विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि की संभावनाएँ बनती हैं, परन्तु वर्ष 1997 में तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद आयात के क्षेत्र में अपेक्षाकृत दर्ज नहीं की जा सकी है।

## क्या विदेशी पूँजी घरेलू बचत का विकल्प है .

वास्तव मे घरेलू बचत के अभाव मे वृद्धियुक्त घरेलू पूँजी का निर्माण नगण्य होता है। विदेशी पूँजी घरेलू बचत का प्रतिपूरक हो सकती है। सतही रूप से इस वास्तविकता से इकार नहीं किया जा सकता कि लाभाश का अपने मातृ देश में भेज देना निवेशित देश कि बचत के लिए अपकारी होता है, लेकिन यह उतना ही सच है कोई भी विदेशी पूँजी को बिना किसी लागत के आकर्षित नहीं किया जा सकता है। विदेशी पूँजी से आशय सिर्फ मौद्रिक प्रवाह से नहीं है बल्कि इसमें तकनीक, गणना विधि नई खोज आदि भी शामिल होती है अर्थात विदेशी पूँजी में वित्तीय निवेश के साथ-साथ औद्योगिक निवेश भी आता है। भारत वर्तमान में कुल बचत के 2 प्रतिशत तक ही विदेशी बचत पर निर्भर है। इसे भविष्य मे 6 से 7 प्रतिशत कोषो के स्वतंत्र प्रवाह तक होना जरूरी है। इस तरह घरेलू बचत में वृद्धि आमदनी में वृद्धि होने पर हो सकती है और इसके लिए विदेशी पूँजी का प्रवाह रोजगार वृद्धि, आय सृजन और आधारभूत उद्योगों को बढ़ाने वाला होना चाहिए।

यद्यपि देश को आर्थिक स्थायित्व देने के लिए विदेशी पूँजी का आगमन जरूरी है, लेकिन अपनी जरूरतों विशेषकर आधारभूत उद्योगों के विकास की समस्या को पूरी तरह विदेशी निवेश के सहारे छोडना घातक हो सकता है। विदेशी पूँजी से तात्कालिक वृद्धि हो सकती है जबकि दीर्घकालीन वृद्धि के लिए अपनी स्थापित क्षमता, कार्य कुशलता को स्तरीय बनाना जरूरी होगा। भारत को बढ़ते वित्तीय घाटा को रोकने के साथ-साथ बहुविकल्पीय व्यापार कार्य योजना को अपनाना होगा ताकि गैर प्रशुल्क बाधाओं को कम करने में सहायता मिल सके। विश्व के बदलते आर्थिक परिवेश में देशों के बीच निवेश को आकर्षित करने के लिए काफी प्रबल प्रतिस्पर्धा चल रही है। अतः विदेशी पूँजी को आकर्षित करने के लिए आर्थिक सुधारों की गति को तेज करना होगा। चीन की तुलना में भारत में

विदेशी पूँजी का प्रवाह कम है। अतः एनरान जैसे विवादों से बचते हुए उपयुक्त नीतियों को कार्यरूप देने की जरूरत है।

भारतीय सदर्थ में यह उल्लेखनीय है कि एक सौ मिलियन मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं के बावजूद देश कि 65 से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। उनका देश कृषि है और बहुत हद तक वे ग्रामीण उद्योगों पर निर्भर हैं। वे उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति करने में सक्षम हैं, लेकिन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बढ़ते प्रभाव से यह व्यवस्था चरमरा रही है। यह प्रवृत्ति भविष्य के लिए घातक हो सकती है। अतः सरकार के लिए जरूरी है कि वह एकसी नीतियों और कार्यक्रमों पर जोर दे जिससे देश के अर्थतन्त्र को मजबूत किया जा सके और आर्थिक परिवर्तन के लिए मजबूत आधार का निर्माण हो सके। तभी देश विश्व स्तर पर एक आर्थिक शक्ति बन सकता है। इसके अभाव में आर्थिक शक्ति नहीं बन सकता है। इसके अभाव में आर्थिक परतन्त्रता और कर्जों के जाल में फसने का खतरा हमेशा बना रहेगा।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की वजह से देश को होने वाला नफा नुकसान बहस के लिए वाकई एक गम्भीर मुद्दा है, लेकिन चौबीस कैरट की इस खरी बात को इतना खींचा जा चुका है कि यह मुद्दा सामने आते ही हम में से कईयों को उबासी आने लगती है। हालांकि विश्लेषकों ने समय-समय पर अपनी बात रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अब तक उनके पास आँख खोलने वाले भारतीय उदाहरणों का टोटा था। अपने तर्कों की पुष्टि करने के लिए उनके पास सिवाय मैक्सिको की डूबती अर्थव्यवस्था जैसे कुछ एक बहुराष्ट्रीय और ईस्ट इण्डिया कम्पनी जैसे घिसे पिटे देसी उदाहरणों के अलावा और कुछ नहीं था, लेकिन भला हो सरकार के उदाहरणों के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन भला हो सरकार के उदारवादी रवैये का जिसके कारण देश में हो रहे अधाधुनिक विदेशी निवेश के दुष्परिणामों की अब झड़ी लग गई है। थम्स अप का मामला पुराना पड चुका है जिसके मालिक चौहान बंधुओं को सिर्फ दुनिया जानती है, बहुराष्ट्रीय कम्पनी से प्रतिस्पर्धा के डर के कारण इसे कोका कोला के हाथों बेच दिया था, तब भी जानकारों ने 'मत बेचो चौहान' की गुहार लगाई थी, लेकिन बात पल्ले नहीं पडी थी। आज कोका कोला पिट चुका है और रमेश चौहान इस कम्पनी के सिर्फ चीफ बॉटलर हैं। टाटा ऑयल मिल्स की बात भी जाने दीजिए, 1993 में जिसका बहुराष्ट्रीय कम्पनी हिंदुस्तान ने अधिग्रहण कर लिया था।

भारतीयों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है, हमारे राजनीतिकों के बीच लोकप्रिय - इस उक्ति को ध्यान में रखते हुए मैं और ताजा मिसालें आपके सामने पेश कर रहा हूँ, डी सी एम देयबू

सयुक्त उपक्रम मे दक्षिण कोरियाई कम्पनी देयबू ने अगस्त 1996 में अपनी हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से बढ़ाकर 77.5 प्रतिशत तक कर ली।<sup>9</sup> डी सी एम की हिस्सेदारी 34 प्रतिशत से मात्र 10 प्रतिशत तक सिमट गई। अब इस उपक्रम से भारतीय कम्पनी डी सी एम का नाम भी औपचारिक रूप से हटाया जा चुका है। यह आरोप कि डी सी एम ने मुनाफे के लिए अपने 24 प्रतिशत शेयर देयबू को बेच दिये, गलत है। अगर डी सी एम समूह ऐसा न करता तो उसे उसी साल नवम्बर में आने वाले 700 करोड़ रुपये के राइट डब्लू में अपना हिस्सा पाने के लिए 200 करोड़ रुपये जुटाने पड़ते जो कि समूह के बूते से बाहर था। यदि डी सी एम अपने शेयर नहीं बेचता तो उसे दोहरी मार पड़ती। बिना किसी लाभ के उसकी हिस्सेदारी स्वतः घट जाती, फिर मरता क्या न करता। अब देयबू इस उपक्रम पर अपने एकक्षत्र राज की बदौलत न केवल भारतीय बाजार का दोहन करके 75 प्रतिशत से भी ज्यादा मुनाफा अपने साथ ले जायेगी इस प्लेटफार्म का इस्तेमाल कर एशियाई देशों में निर्यात की सभावनाओं को हथिया लेगी। एशियन पेंट्स एक और ताजा उदाहरण है। देश की बेहतरीन प्रबन्धन वाली यह कम्पनी जिस तरह सभावित अधिग्रहण के चक्रव्यूह में फँसी है उसे देखकर कारपोरेट जगत में बेचैनी छा गयी है। इसके चार प्रमोटर्स में से एक अतुल चोकसे ने अपने हिस्से के 9.1 प्रतिशत शेयर गुपचुप तरीके से बहुराष्ट्रीय कम्पनी आई सी आई को बेच इसे अधिक्रमण के कगार पर पहुँचा दिया। गौरतलब है कि कम्पनी अधिनियम कगार पर पहुँचा दिया। गौरतलब है कि कम्पनी अधिनियम 1956 में भारतीय कम्पनियों को सभावित अधिग्रहण से बचाने के लिए कोई पुख्ता इतजाम नहीं है। इसके लिए भारी मात्रा में नगद की आवश्यकता पड़ती है जिसकी पूर्ति विदेशी बैंकों के बिना संभव नहीं है, लेकिन भारतीय कम्पनियों उनसे ऋण नहीं ले सकती हैं। जबकि ऐसे ही मामलों में अनेक उन्नत देशों ने अपने उद्योगपतियों का मनोबल बढ़ाने और देश की लाज रखने के लिए सकट के समय अपनी कम्पनियों का साथ दिया है। पिछले साल सब कोरियाई कम्पनी देयबू ने फ्रांस की थामसन कम्पनी के अधिग्रहण का प्रयास किया तो ऐसा समझा जाता है कि वहाँ की सरकार ने इसे असफल करने के लिए परदे के पीछे से अहम् भूमिका निभाई क्योंकि थामसन ब्राण्ड एक तरह फ्रांस की पहचान के साथ जुड़ा हुआ है। मारुति सुजुकी का चालू विवाद भी काबिले गौर है। भारत सरकार ने मारुति कार बनाने के लिए 1982 में इस जापानी कम्पनी की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सयुक्त उपक्रम शुरू किया था। कभी उगली पकड़ कर देश में आई यह कम्पनी आज 50 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ भारत सरकार के सिर पर चढ़ गई है और अपनी पसन्द के अध्यक्ष की नियुक्त पर अड़ी हुई है।

पिछले एक दशक में जापान से अनावश्यक आयात के जरिये इसने देश कि अर्थव्यवस्था को कितनी चोट पहुँचाई है, यह तथ्य अब उजागर हो चुका है। बेशक विदेशी निवेश किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी टॉनिक है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था को यह टॉनिक इतने बेढगे तरीके से पिलाया गया है कि उसके साइड इफेक्ट से भारतीय उद्योग हलकान हुआ जा रहा है। ठीक है, हमने पेप्सी का स्वागत किया। शीतल पेय के क्षेत्र में, लेकिन उसे क्या हक है बीका नेरी भुजिया का। क्या हक है हिन्दुस्तान लीवर को आटा बनाने का ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ ऐसे पारंपरिक उत्पादों के बसे-बसाए बाजार में प्रवेश कर देश के लघु उद्योगों को चौपट कर रही है। ऐसे आलोचक जिनका मानना है कि विदेशी कम्पनियों को उनके माफिक छूट न देने से उनके मिजाज बिगड़ सकते हैं। उन्हें शायद इस खबर से भारी सदमा पहुँचेगा कि भारत में तथा कथित सर्वाधिक उत्पीड़न का शिकार मानी जाने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनी एनरान ने तमाम दुख झेलने के बावजूद भी एक अरब डालर की लागत वाली सात अन्य विद्युत परियोजनाएँ शुरू करने के लिए भारत सरकार से अनुमति मागी है।

एनरान का यह उत्साह उन राजनीतिकों के लिए भी एक सबक है जो बात बेबात विदेशी कम्पनियों के आगे झुक जाते हैं। इस सम्बन्ध में उद्योग मंत्री मुरासोली मारन ने तमाम दबावों के बावजूद सुजुकी की मनमानी पर अकुश लगाकर काबिले तारीफ काम किया है। इससे सरकार को 320 करोड़ रूपया का अतिरिक्त लाभ हुआ। वरना यही पैसा सुजुकी की जेब में जा रहा था। आज सुजुकी की 53 प्रतिशत विदेशी आय सिर्फ मारुति के जरिए होती है इसलिए यह शक पालना मूर्खता होगी कि सुजुकी वापस जा सकती है। अभी भी उपरोक्त सारे परिणाम एक बड़े गोरख धन्धे की बानगी भर है।<sup>10</sup> यदि समझ में आए तो अच्छा और न आए तो और भी अच्छा, क्योंकि गहरी चोट की पक्की याददाश्त देश के भविष्य के लिए और भी फायदेमंद साबित होगी।

आम चुनाव में प्रचार के दौरान कुछ राजनीतिक दलों के विदेशी कम्पनियों पर अकुश लगाये जाने की वकालत के बावजूद विदेशी निवेशकों के निवेश में बढ़ोत्तरी हुई है। गत माह लगभग सम्पन्न हुए 12वीं लोकसभा के आम चुनाव में 35 छोटे-बड़े राजनैतिक दलों ने हिस्सा लिया। चुनावी भाषणों के दौरान देश में जारी आर्थिक सुधारों के प्रति इनमें से कुछ दलों का विचार वामपंथी और कई के प्रति दक्षिणपंथी थे। हालांकि आम चुनाव में किसी भी राजनैतिक दल अथवा गठबन्धन को केन्द्र में सरकार गठित करने के लिए स्पष्ट आदेश नहीं मिला है। जिसे देखते हुए अब नयी सरकार को चलाने के लिए वर्तमान में कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम का ही सहारा लेना पड़ेगा। सन् 2002 तक भारत में पूँजी

बाजार की तस्वीर क्या होगी। पूँजी बाजार का विकास कुछ इस तरह की बुलदियो को छुएगा कि लोगो के दिमाग मे भूचाल आ जायेगा। ऐसा उछाल जिसकी कल्पना आज तक किसी ने नहीं की होगी। पूँजी बाजार में प्रतिदिन का कारोबार 40,000 करोड रूपये तक पहुँच जायेगा। ऐसा कैसे हो जायेगा इसे समझने के लिए हमें याददाश्त के भूले-बिसरे गलियारों में भटकना होगा। पिछले 6, साल में पूँजी बाजार का टर्न ओवर 10 गुना बढा है। 1991 मे 300 करोड से बढकर 1997 मे 3000 करोड रूपये हो गया।<sup>11</sup> आर्थिक सुधारों के चलते यह 10000 करोड रूपये हो जायेगा। यह अगले पाँच साल मे होना ही है। पूँजी बाजार के इर्द-गिर्द हर घटना एक खास डिजाइन के तहत मोड ले रही है। यद्यपि यह डिजाइन किसी ने तैयार नहीं की है। मेरे विचार से पूँजी बाजार हाल में क्रान्तिकारी दौर से गुजरा है जिसे अपने ढग से चार चरणो मे विभाजित किया जा सकता है।

पहला चरण 1978-84 पूँजी बाजार के अम्युदय का काल है। यह चरण 1978 में शुरू हुआ। यही वक्त था जब रिलायन्स ग्रुप ने अपने प्रथम पब्लिक इश्यू के साथ पूँजी बाजार में प्रवेश किया। हकीकत यह है कि इस प्रथम चरण मे हम विश्व के विकसित पूँजी बाजार से 50 से 60 साल पीछे थे। उस समय सब कुछ अटकलों पर आधारित था और मुठ्ठीभर दलाल जैसे हरकिशन दास बाजार को नियंत्रित करते थे एल आई सी और यू टी आई ने पूँजी बाजार को गतिशीलता अवश्य प्रदान की और यह क्रम 1984 तक चलता रहा।

दूसरा चरण 1985-91 उस समय शुरू हुआ जब श्री राजीव गॉंधी ने इस देश की बागडोर सभाली डी लाइसेंसिंग के जरिये उन्हें उदारीकरण की पहली किरण बिखेरी। यह वास्तव में शेयर मार्केट में एक नयी सस्कृति का अम्युदय था। जब उद्योगों ने अपनी गतिविधियो को विस्तारित करने और पूँजी बाजार की परिधि में पाँव पसारने की बात सोची। अपनी परियोजनाओ के वित्त पोषण के लिए उन्हें शेयर बाजार की जरूरत महसूस हुई। इस तरह कम से कम 23 पब्लिक इश्यू बाजार मे उतरे। इससे पूर्व किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैसे - बैंक आदि पूँजी बाजार के मैदान उतरेगें। इस अवधि के लोगो को आश्चर्य करते हुए तमाम छोटे बडे उपक्रमों ने जैसे पूँजी बाजार के इतिहास में इस अवधि में सर्वाधिक कार्य हुआ।

तीसरे चरण में पूँजी बाजार ने 1992 में प्रवेश किया। इस चरण के शुरूआती दौर में देश की आर्थिक स्थिति डावाडोल और बडी दयनीय स्थिति थी। सरकार का खजाना खाली था। यहाँ तक कि सोना गिरवी रखना पडा। अर्थतन्त्र लगभग चरमरा चुका था। यह वही नाजुक दौर था जब डा0

मनमोहन सिंह ने अपने आर्थिक उदारीकरण और भूमण्डलीकरण के सिद्धान्तों के साथ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आये। जब देश दिवालियापन के कगार पर खड़ा था तब उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। भारत भारी पूँजी निवेश का भूखा था, लेकिन दूर-दूर तक कहीं आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही थी। उसी समय लगभग आधा दर्जन विदेशी कम्पनियों ने भारत की धरती पर कदम रखा। उस समय तक किसी ने मार्टिन क्यूरी या स्मिथ न्यू कोर्ट का नाम सुना भी नहीं था। उस समय इन कम्पनियों को पूँजी निवेश का भरपूर अवसर मिला और 3 करोड़ रुपये की राशि निवेशित की गई। इस अबोध में पूँजी बाजार में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए। पुरानी लिक्विडिटेड प्रणाली के स्थान पर कंप्यूटर प्रणाली अस्तित्व में आ गयी। चिल्ला-चिल्लाकर व्यापार की जगह 'बोल्ड' ने ले ली। जितने इश्यू बाजार में आये उल्लेखनीय थे। बाजार का विस्तार दिन दूनी रात चौगुनी गति से होने लगा।

बाद में पूँजी निवेश की माग और पेपर की आपूर्ति में खायी पैदा हो गयी। यह वह वक्त था जब पान वाले और सब्जी बिक्रेता भी अपनी कमाई में बचत कर पैसा पूँजी बाजार में लगा रहे थे। निवेशक समुदाय तेजी से विस्तृत हो रहा था। चारों तरफ से परिवर्तन की आधी उठ रही थी, लेकिन एक व्यवधान जल्दी ही सामने आया। इसकी वजह यह थी कि निवेश के मौके भविष्य से जुड़े थे और निवेशक अतीत से आये थे। यही फर्क था नतीजा यह हुआ कि इक्विटी मार्केट अपना आकर्षण खोने लगा। इससे निवेश में भारी कमी आयी और लिक्विडिटी का अभाव पैदा हो गया। कम्पनियों फण्ड के लिए अन्य स्रोतों की ओर से मुड़ने लगीं। एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गयी। बड़ी परियोजनाओं का वित्त पोषण करने में विदेशी कम्पनियों भी कोताही बरतने लगीं। जी डी आर विकल्प के रूप में सर्वोत्तम रास्ता था। ऋण वित्त पोषण की एक नयी अवधारणा ने जन्म लिया।

1997 में पूँजी बाजार में परिवर्तन एक खास डिजाइन के तहत हो रहे हैं। दो साल पहले हर आदमी डिपाजिट्री की अवधारणा के बारे में नाक-भौं सिकोडता नजर आता था। आज यह एक वास्तविकता बन चुकी है। एफ आई एव आई आई एम एफ के लिए डी मैटोरियलाइजेशन का मतलब हो गया। इसका बाजार पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि बाजार पर इनका 60-65 प्रतिशत वर्चस्व है। जो 35 प्रतिशत फुटकर निवेशक है उन्हें भी उसी रास्ते पर चलना होगा, क्योंकि यह उनकी मजबूरी होगी। बहुत जल्दी ही पूरा देश छोटे निवेशकों से भर जायेगा और पेपरलेस मार्केट की शकल आखिरी कर लेगा।

भारत ने पिछले सालों में जो कुछ खोया उसे अल्प समय में प्राप्त भी कर लिया। 1978 से 2002 यानी 25 साल में हम इतना कुछ कर पायेंगे जितना विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में 75 साल

में भी नहीं हुआ होगा। विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत की आगे बढ़ने की रफ्तार सात आठ गुना ज्यादा है।

भारतीय आर्थिक बाजार का नियोजन काल बीस साल तक चला है यानी 1978 से 1997 तक। अगले पाँच वर्ष काफी महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि तब हमारी डिजाइनिंग हमारी प्लानिंग रग लायेगी। हमें अपनी मेहनत का पुरस्कार मिलेगा। यदि ऐसे समय में भारतीय विदेशी धन की अहमियत को नहीं समझेगें उनकी जटिलताओं और विसंगतियों को नहीं भायेगे तो एक तरह की आर्थिक दासता का माहौल पैदा होगा। यह भारत के हित में वह फूँक-फूँक कर आगे पाँव बढ़ाये।

दावोस में विश्व आर्थिक मंच (विश्व व्यापार संगठन) के हुए एक और सम्मेलन में प्रधानमंत्री एच डी देवगौडा ने जिस तरह से एक बार फिर विदेशी कम्पनियों को भारत में निवेश के लिए प्रेरित किया और उन्हें नये सब्ज बाग दिखाये उसका आने वाले वक्त पर कितना असर होगा इस पर अभी से कुछ कह पाना तो बेमानी होगी, किन्तु यह बात पूरे विश्वास व प्रमाण के साथ कही जा सकती है कि भारत में मोर्चा सरकार के प्रदरूढ होने के बाद व्यवस्था या माहौल में ऐसा कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को नया सदेश दिया जाये कि वे भारत आयें और उन्हें निवेश करने में प्रक्रिया सम्बन्धी जो समस्याएँ झेलनी पड़ी थीं या अन्य दिक्कतों का सामना अतीत में करना पड़ा था वे सब समाप्त कर दी गयी है। कामचोरी, भ्रष्टाचार, व विलम्ब का कमोबेश माहौल आज भी वैसा ही है जैसा पूर्व नरसिंहराव सरकार के जमाने में थे। हालांकि सयुक्त मोर्चा सरकार ने निर्णय लेने के स्तर पर कार्य, सस्कृति बनाने के मोर्चे पर और विदेशी निवेशकों की तमाम व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए तमाम ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जिससे उनकी आलोचना इस हद तक हुई कि सरकार की आर्थिक सप्रभुता को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हवाले करने या उसे गिरवी रखने के प्रयास करने जैसे गभीर आरोप लगाये गये और सरकार को विवादों के कटघरे में खड़ा भी होना पड़ा। यही नहीं कई आलोचकों ने तो यहाँ कह डाला कि राव सरकार के वित्तमंत्री रहे डॉ० मनमोहन सिंह ने दस दिशा में जो उपलब्धि हासिल की थी उन्हें वर्तमान वित्तमंत्री पी चिदम्बरम् ने मटिया मेट कर दिया। निःसंदेह आलोचना में न तो इतनी सच्चाई है और न ही इतनी दम है कि उसे सहज मान लिया जाए किन्तु इस वास्तविकता से भी मुकर जाना संभव नहीं कि भारत में किसी भी योजना को असली जामा पहनाने में जिस तरह की दिक्कतें पहले थीं और जैसी माहौल में सड़ाघ थी उसमें वृद्धि ही हुई है जिसका सबसे प्रमाण यह है कि सालाना 10 अरब डालर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लक्ष्य के विपरीत पिछले छ वर्षों के दौरान मात्र 1.9 अरब डालर का वास्तविक निवेश हो पाया।



सरकारी आँकड़े यह बताते हैं कि उदारीकरण की शुरुआत वाले वर्ष 1991 में जहाँ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 0.3 अरब डालर था वह 1995-96 में बढ़कर 10.6 अरब डालर हो गया किन्तु वास्तविकता यह है कि यह राशि मात्र 1.9 डालर तक ही बढ़ पायी। सरकारी दावे व वास्तविक निवेश में इतना बड़ा अन्तर इस कारण है कि विदेशी निवेशी सम्बर्द्धन बोर्ड के पास जो निवेश सम्बन्धी आवेदन पत्र आते हैं और निवेशक जिस तरह से अपनी योजना को प्रेषित करते हैं उसकी मोटे तौर पर गिनती कर ली जाती है लेकिन क्रियान्वयन के स्तर पर अनेक निवेशक कम्पनियों पॉव खींच लेती हैं और चीन, ताइवान, कोरिया जैसे मुल्को में चली जाती हैं। सही मायने में यही सबसे बड़ी समस्या है और दुर्भाग्य से इसी समस्या के निदान के सम्बन्ध में न तो नरसिंहा राव सरकार ने सोचा और न ही वर्तमान सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। वर्तमान सरकार न इसे गंभीरता से ले रही है। वर्तमान सरकार ने हालांकि इस तरफ तमाम कदम उठाये, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा कोई कदम उस लक्ष्य तक नहीं पहुँच सका जहाँ निवेश सम्बन्धी प्रस्ताव की मजूरी व देश में धन आने के बीच के लम्बे व अनिश्चित अंतराल को कम किया जा सके। आज भी जो विदेशी कम्पनियाँ भारत में निवेश करने की इच्छुक हैं उन्हें अपनी परियोजना को असली जामा पहनाने के लिए महीने साल का इन्तजार करना पड़ता है।

वर्ष 1994-95 के आँकड़े तो रोचक कहानी कहते हैं। निश्चित रूप से यह वर्ष अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा साल कहा जा सकता है। जिसमें सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 6.3 प्रतिशत हो गया। मानसून अनुकूल रहने से कृषि उपज 4.6 प्रतिशत व औद्योगिक उत्पादन 8.6 प्रतिशत की दर से बढ़ा, लेकिन वास्तविक विदेशी निवेश 1.2 अरब डालर हुआ जो पूर्व वर्ष की तुलना में तीन गुना जरूर ज्यादा था, लेकिन स्वीकृत राशि का यह मात्र 4.3 प्रतिशत ही रहा। यही नहीं इस माहौल को वर्ष 1995 के आते-आते एक झटका एनरान् परियोजना की बावत उपजे विवाद से लगा। उस विवाद में दोषी कौन था कौन नहीं यह इतना महत्वपूर्ण नहीं कि तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं को परियोजना की स्वीकृति के समय नजर अंदाज किया गया। पुनर्समीक्षा के बाद एनरान् विवाद तो ठंडा कर लिया गया किन्तु उस कमजोरी पर लगाम लगाये जाने की हिमाकत नहीं की गयी जिससे को जेंट्रिक्स, कॅटकी, फाईड चिकेन, मैक डोनाल्ड, पेप्सी परियोजनाओं के विवाद आकाश चढ़कर बोले और इन सबका दुष्प्रभाव यह पड़ा कि जो निवेशक भारत आने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें दूसरे देशों में सभावनाएँ तलाशने को विवश होना पड़ा।

आँकड़े बताते हैं कि वर्ष 1994 में जापान का भारत में निवेश जहाँ 6.9 प्रतिशत का हिस्सा था

वह सितम्बर 1996 में घटकर मात्र 10 प्रतिशत रह गया और इसी तरह जर्मनी की निवेश सम्बन्धी हिस्सेदारी 24 प्रतिशत की तुलना में घटकर 17 प्रतिशत रह गयी।<sup>12</sup> अमेरिका, ब्रिटेन, रूस की तरफ निवेश में कमी तो कोई विशेष नहीं आयी, किन्तु इनकी तरफ से वृद्धि की जो उम्मीद की जा रही थी उस पर विपरीत असर पड़ता दिखायी पड़ा। विदेशी निवेश के तौर तरीकों पर राजनीतिक दलों की विचारधारा में मत भिन्नता होना स्वाभाविक है और समूचे विश्व में इस तरह के मतभेद समय-समय पर उभरते दिखायी पड़ते हैं किन्तु ऐसा तो कदाचित ही कहीं देखने को मिले कि जनमत से चुनी गई सरकार के फैसले के विरुद्ध इस तरह का बावला मचा दिया जाये कि प्रोमोटरो को भाग खड़े होने को विवश हो जाना पड़े। ऐसा कहने का मतलब कदापि यह भी नहीं कि निर्वाचित सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में या अन्य किसी मामले में लिये गये निर्णय को आख मूँदकर मान ही लिया जाये। विरोध या आन्दोलन की भी मर्यादा होती है और वह उसी सीमा में रहकर ही किया जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से इस पर किसी भी राजनीतिक दल का रूख सामाजिक नहीं दिखता।

विरोधी दलों को क्या कहा जाये, सयुक्त मोर्चा सरकार में शामिल वामपथी घटकों की विचारधारा इस मामले पर प्रधानमंत्री देवगौडा, वित्तमंत्री चितम्बरम् से मेल नहीं खाती, लेकिन इसका तात्पर्य यह कर्तई नहीं निकलता कि वामपथी अपनी मागों को मनवाने के लिए सड़क पर उतर पड़े। माहौल की यह भी एक बड़ी कमजोरी है जिस पर अत्यधिक ध्यान देने की जरूरत है।

केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने देश में हवाई अड्डों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से शुक्रवार (07-11-97) को जो निर्णय बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विदेशी निवेश से सम्बन्धित लिए हैं वे वास्तव में अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 74 प्रतिशत तक विदेशी पूँजी निवेश की खुली छूट दी है और 100 प्रतिशत तक निवेश के प्रस्ताव को मजूरी देने का जो निर्णय लिया गया है। उससे यही स्पष्ट होता है कि सरकार हवाई अड्डों की संख्या बढ़ाने के महत्व को समझ रही हैं परन्तु इसके लिए भारी पूँजी की आवश्यकता है और सरकार उतनी पूँजी लगाने की स्थिति में नहीं है, दूसरी ओर जो लोग पूँजी लगा सकते हैं उनके लिए पूँजी निवेश का एक अच्छा अवसर हो सकता है, असल में हवाई अड्डों के निर्माण में काम मिलने की गारण्टी होगी। तो वे भी उत्साह दिखायेंगे, यदि विदेशी पूँजी निवेशकर्ता इस क्षेत्र में पूँजी निवेश करते हैं तो उन्हें भी यह सुविधा रहेगी कि वे अपने ढंग से रख-रखाव व प्रबन्धन करें। उस सिलसिले में यह ध्यान देने योग्य बात है कि यदि हवाई अड्डों की सुविधाएँ बढ़ने के साथ-साथ बेरोजगारी की समस्या हल करने में मदद मिलेगी। इस तरह सरकार की

इस नीति से अर्थव्यवस्था को कुल मिलाकर लाभ जरूर होगा। जरूरत यह है कि पूँजी निवेश हो और हवाई अड्डों की निर्माण के लिए केन्द्र एव राज्य सरकार भूमि उपलब्ध कराये। यह ठीक है कि देश में उदारीकरण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय निगमों को न तो सही परिप्रेक्ष्य में लिया गया है और न ही उसे अपेक्षित दिशा दी गयी और यह सौ फीसदी सही है कि उदारीकरण की नीति की तरफ देश इतना आगे बढ़ चुका है जहाँ से पाँव खींचना कत्तईं संभव नहीं। ऐसी दशा में सभी राजनीतिक दलों को एक ऐसी सार्वभौमिक विचारधारा को अपनाना चाहिए जिससे कम से कम जगहसाईं की स्थिति तो न आने पाये। सत्ता पक्ष व विपक्ष लोकतन्त्र के दो घर कहे गये हैं तो उसका यह मतलब नहीं कि वे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही काम करें।

दावोस में प्रधानमंत्री देवगौडा ने जिस अदाज से विदेशी कम्पनियों के अन्दर भारत के प्रति विश्वास बढ़ाने के प्रयास किये उसका हो सकता है कुछ लाभ मिल जाये, किन्तु यदि माहौल, भ्रष्टाचार, कामचोरी व बेवजह की देर करने जैसी कमजोरियों पर अकुश न लगा तो यह आज का मामूली फायदा कल के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अधिकांश बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ चीन की तुलना में भारत को ज्यादा पसंद करती हैं, किन्तु जब उनके सामने राजनीतिक भ्रष्टाचार की समस्याओं के अलावा आधारभूत सुविधाओं का बड़ा अभाव देखना पड़ता है तब वे व्यावसायिक दृष्टिकोण से अन्यत्र जाने को ठीक मानती हैं यह स्थिति निश्चित रूप से शुरू जरूर हो चुकी है और इसमें गति भी आ चुकी है, लेकिन यह नहीं मान लिया जाये कि कुछ करना मुमकिन नहीं है। लक्ष्य कठिन है, लेकिन स्वावलम्बी अर्थव्यवस्था के लिए इसे पाना अब जरूरी हो गया है।

वर्ष 1990-91 की अपेक्षा अब भारतीय अर्थव्यवस्था काफी आगे निकल चुकी है। आज विदेशी मुद्रा भण्डार इतना बढ़ चुका है कि 8 महीनों का आयात बिल उससे चुकाया जा सकता है। चालू खाते में घाटा अब महज केवल सकल घरेलू उत्पाद का 0.5 फीसदी है जो पहले 2 से 2.5 फीसदी पर था। यह एक शुभ संकेत है विदेशी सस्थागत निवेशक देश में 1.7 बिलियन डालर का निवेश कर चुके हैं। इसके अलावा भारतीय कम्पनियाँ भी विदेशी पूँजी बाजार से 2.5 बिलियन डालर की पूँजी उगाह चुकी है। विदेशी मुद्रा का यह प्रवाह बना रहेगा।

आज के आँकड़ों के अनुसार औद्योगिक विकास दर 8 फीसदी रहेगा। इस साल के बजट में निर्माण क्षेत्र में विकास दर बढ़ाने के लिए विशेष उपाय किये गये थे उनका प्रतिफल मिलना शुरू हो गया। इस साल कृषि उत्पादन में 3.5 फीसदी वृद्धि हो गयी। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में चौतरफा सुधार

विकास दर, निवेश दर, बचत दर आदि में सबसे बढ़ोत्तरी हुई। मार्च 1997 में विदेशी मुद्रा भंडार 22.4 अरब डालर तथा अक्टूबर 1997 में 26.1 अरब डालर है इस प्रकार सात महीने में 16.5 प्रतिशत विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि हुई।

भारत में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का वर्चस्व एक वस्तुगत यथार्थ है। इसके वर्चस्व का एक रूप तो यह है कि देश के आबादी का एक बड़ा हिस्सा इनके उत्पादों का अभ्यस्त हो गया है। चाय की चुस्की से सुबह की शुरुआत करने वाला यह तब का ब्रुकब्रान्ड या लिप्टन को गले लगाकर ही छोड़ता है। दाँत साफ करने के लिए कोलगेट या क्लोजअप, स्नान करने के लिए लक्स, रेक्सोना, लिरिल, बाल धोने के लिए सनसिल्क या क्लीनिक, कपड़ा धोने के लिए सर्फ आदि इन सबकी जरूरतें हैं। लाइफव्याय, सनलाइट, एवरेडी, बैटरी, डालडा वनस्पति, विमको माचिस, बनावटी हार्लिक्स, विक्स बेपोरब तो जाने कब से आचालिक क्षेत्रों तक अपना सिक्का जमाये हुए है। इनके वर्चस्व का स्वरूप है गैट समझौता, जिसका सार है सरकारों पर प्रतिबन्ध और अन्य कम्पनियों से लगे प्रतिबन्धों से इन्हें मुक्त कर देना अर्थात् इन्हें लूटने की खुली छूट दे देना। गैट समझौता और इनके उत्पादों के फैलाव के मद्देनजर यह कहा जा सकता है कि ये कम्पनियाँ हमारी अर्थव्यवस्था पर इस प्रकार प्रभावी हो गयी है कि ये इसे निर्देशित करने लगी हैं। सच तो यह है कि इतनी भीमकाय और शक्तिशाली है कि विश्व बाजार के समस्त कारोबार की प्रत्यक्ष परोक्ष संचालिका बन गई है। विश्व बाजार में इन कम्पनियों का निवेश दो हजार अरब डालर हो गया है। इनकी बिक्री का वार्षिक लेखा-जोखा कई राष्ट्रों के सालाना बजट से कहीं ज्यादा है।

दुनिया के प्राय सभी देशों में इनकी व्यापारिक इकाइयों स्थापित हैं। ये अपनी भूमिका में आयात-निर्यात का सीमाकन, पूँजी प्रक्षेपण और उन्नतदेशों की जूठन तकनीकी का क्रय विक्रय करती है। ये तीसरी दुनिया के देशों में प्रदूषण लाने वाले या अत्यधिक मलबा छोड़ने वाले उद्योगों को स्थापित करती है और इनका उत्पादन उन्नत देशों की जरूरत के अनुसार देती है। ये इस दुनिया के देशों के सार्वजनिक क्षेत्रों का दोहन करने के लिए उनके प्रबन्धकों को इच्छित सुविधाओं से सतुष्टकर अपने अनुकूल निर्वाह करवाती है। इनकी इस प्रकार की मनोवृत्ति से प्रशासनिक भ्रष्टाचार फैलता है और एक समानान्तर व्यवस्था को जन्म देती है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ विदेशी पूँजी निवेश के लिए आमंत्रित की जा रही है क्योंकि देश में पूँजी का सकट है और विदेशी पूँजी के बिना यह सकट हल नहीं किया जा सकता। सकट टालने के लिए विदेशी पूँजी को आमंत्रित करने वालों ने पूर्व अनुभव का कितना उपयोग किया यह काबिले गौर है।

स्पष्ट शब्दों में कहा जाय तो पूर्वानुमानों का दर किनार कर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को व्यापार सम्बर्द्धन और बाजार सस्थापक की छूट दी गयी है जो अत्यन्त गम्भीर स्थिति है। बहुराष्ट्रीय निगमों के वर्ष 1956-75 के वित्त स्रोतों का अध्ययन करते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि इस पूरी अवधि में इन निगमों ने मात्र 5.4 प्रतिशत का निवेश किया और शेष भाग घरेलू स्रोतों से ही एकत्र कर लिया। वर्ष 1981 से 89 के बीच हुए पूँजी निवेश और उसी बीच के उन कम्पनियों के लाभ, रायल्टी, एव टेक्नोलाजी शुल्क के रूप में देश से बाहर जाने वाली पूँजी का लेखा-जोखा तैयार करें तो स्पष्ट हो जायेगा कि विदेशी पूँजी निवेश का सौदा एकदम घाटे का रहा है इसीलिए पी आर ब्रम्हमानन्द, के एन राज जैसे अर्थशास्त्रियों ने विदेशी पूँजी की सहभागिता के प्रति आभार किया है।

कहना न होगा कि विदेशी पूँजी के व्यापारिक अनुभवों का एकदम नजर अन्दाज कर और उसके चरित्र की व्यवस्था किये बिना निवेश को बढ़ावा देने के लिए खुलेपन और उदारिकरण की चरित्र बनी। इस नीति के लागू होने के बावजूद निवेश में कुछ खास बढ़ोत्तरी हुई हो ऐसा नहीं है। अलबत्ता देश 20 हजार से अधिक विदेशी कम्पनियों का चारागाह अवश्य बन गया है। बड़ा आश्चर्य तो यह है कि इस नीति के लागू होने के तीन वर्ष पहले का विश्लेषण करने से तीन वर्ष के बाद से अधिक है। जो इस बात का सकेत है कि इन कम्पनियों ने अपनी आदत के अनुसार निवेश कम किया है।

विदेशी पूँजी निवेश का उद्देश्य पूँजी निर्माण दर में वृद्धि करना है। इस तथ्य पर विचार करें तो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की भूमिका और स्पष्ट हो जाती है। आँकड़ों के अनुसार वर्ष 1950-51 से 1988-89 तक पूँजी निर्माण दर 10.4 प्रतिशत से 21.0 प्रतिशत तक रहा है। यही स्थिति 1990-91 तक बनी रही ऐसा कहा जा सकता है, किन्तु विदेशी कम्पनियों को खुली छूट देने के बाद 1991-92, 1992-93 एव 1993-94 में यह राष्ट्रीय उत्पाद का औसतन 15 प्रतिशत हो गयी और इधर इसमें गिरावट जारी है। पूँजी निर्माण सम्बन्धी ये आँकड़े एक ऐसी अर्थव्यवस्था के आँकड़े हैं जो पारस्परिक अवधारणा है। यह अर्थव्यवस्था विकास दर में वृद्धि करके सामाजिक विकास का लक्ष्य आर्थिक विकास में स्वतः निहित है और यदि पूँजी निर्माण दर बढ़ती है तो सामाजिक विकास स्वतः पूर्ण मान लिया जाता है।

पाया था जबकि 34950 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश की मजूरी दी गई थी।

इससे वास्तविक विदेशी निवेश की स्थिति और गति का चित्र साफ हो जाता है। जबकि इस निवेश को प्राप्त करने के लिए बहुराष्ट्रीय निगमों की वे सभी मांगे मान ली गयी हैं जो उन्होंने चाही थी। इस निगमों की चाहत को पूरा करने के लिए हाल के वर्षों के सरकारी बजट में उत्पादन कर, निगम कर, आयात-निर्यात कर आदि में काफी रियायत दी गई है। जिसके कारण आम जनता के कार्यक्रमों में कटौती करनी पड़ी है। यहाँ तक कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर भी रहम नहीं किया गया है। इतना ही नहीं विदेशी मुद्रा नियमन कानून फेरा एवं एकाधिकार एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापार कानून इन्हीं कम्पनियों के दबाव में पूरी तरह बदले जा चुके हैं। कम्पनियों में विदेशी हिस्सेदारी की शर्त में भी ढील दी जा चुकी है। जिसका लाभ यहाँ पहले से मौजूद विदेशी कम्पनियों को खूब प्राप्त हुआ है और उन्होंने अपना हिस्सा 40 से 51% कर लिया है।

विकासशील देशों में आर्थिक विकास का ढाँचा परम्परागत बना हुआ है। इन देशों में सदैव पूँजी का अभाव बना हुआ है जिसके कारण इन देशों में कृषि के लिए अत्यधिक भूमि होते हुए भी विकसित देशों की तुलना में घिसे-पिटे तथा पुराने निम्न साधनों के प्रयोग से उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं किया जा सका और पूँजीगत तथा सस्थागत ससाधनों के अभाव में कच्चे माल का पर्याप्त स्रोत होते हुए भी उसका शोषण एवं उपयुक्त उपयोग नहीं उपलब्ध किया जा सका, परिणामस्वरूप ये देश सम्पन्न होते हुए भी विश्व पटल पर निर्धन बने हुए हैं। विश्व के पिछड़े तथा विकासशील राष्ट्रों की आर्थिक विषमता को दूर करने में विदेशी पूँजी की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। भारत को विदेशी पूँजी निम्नलिखित रूप से प्राप्त होती है।

अ प्रत्यक्ष निवेश, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा निवेश, ब- अप्रत्यक्ष निवेश, विदेशियों द्वारा भारतीय कम्पनियों के हिस्से अथवा डिबेंचर (ऋण पत्र) खरीदना, स- विदेशी पूँजी जिसे विदेशी सहायता अथवा बाध्य सहायता भी कहते हैं। यह पूँजी विश्व बैंक (आई बी आर डी), अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई एम एफ) तथा अन्य सयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के अनुदानों तथा ऋण के रूप में प्राप्त होती हैं।

भारत में विदेशी पूँजी का आगमन ईस्ट इण्डिया कम्पनी के समय से ही हो गया था औद्योगीकरण प्रारम्भ होने पर भारत में लोहा एवं इस्पात, बीमा एवं बैंकिंग, रेल यातायात, जहाजरानी, चाय, दियासलाई, कागज, कृषि सम्बन्धी उपकरण आदि उद्योगों के विकास में विदेशी पूँजी की मुख्य

भूमिका रही है। विदेशी शासकों द्वारा भारत का आर्थिक एवं सामाजिक शोषण ही नहीं किया गया बल्कि राष्ट्रहित के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। विदेशियों द्वारा जो पूँजी निवेश की नीति अपनायी गयी वह भारत के प्रतिकूल रही। अंग्रेज शासकों द्वारा भारतीयों को उद्योगों में स्वामित्व एवं प्रबन्धन का हिस्सा लेने का अवसर नहीं दिया गया। बैंकिंग, बीमा, यातायात एवं आयात-निर्यात उद्योगों में तो भारतीय पूँजी और ब्रिटिश पूँजी में सीधी प्रतियोगिता होने लगी थी, इसका भारतीय उपक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव पडा।

स्वतन्त्रता के कुछ ही वर्ष पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था से विदेशी पूँजी का बहिर्गमन प्रारम्भ हो गया क्योंकि विदेशी पूँजीपतियों को यह आशंका थी कि स्वतन्त्रता के बाद यदि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उसके हित असुरक्षित हो जायेंगे। विदेशी उद्यमियों ने अपने अशों को भारतीयों के हाथों बँचना शुरू कर दिया। कम्पनियों का स्वामित्व एवं प्रबन्ध भारतीय व्यापारियों के हाथ में आ गया परन्तु पूँजी बहिर्गमन से भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पडा।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने सोवियत रूस की यात्रा की और देश के आर्थिक विकास हेतु एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव डाली। अप्रैल 1951 को देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ की गयी जो मूलतः कृषि विकास पर केन्द्रित थी। विदेशी पूँजी के सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 के औद्योगिक नीति के प्रस्ताव में और फिर अप्रैल 1956 की सविधान सभा में प्रधानमंत्री के बयान में कर दी गयी थी। इसके अतिरिक्त विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में तथा वार्षिक योजनाओं (द्वितीय से सप्तम) 1956-1990 में विदेशी पूँजी निवेश की गति काफी धीमी रही। पूँजी निवेश की दिशा में तीव्र गति प्रदान करने का मुख्य श्रेय पूर्व सरकार के वित्त मंत्री मानवीय डॉ० मनमोहन सिंह को जाता है जिन्होंने नयी आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण शब्द का इस्तेमाल अर्थव्यवस्था में खुलापन होने के उद्देश्य से किया है। इसमें लाइसेंस और परमिट जैसे विभिन्न प्रकार के नियंत्रण तथा पूँजी निवेश में आने वाली अन्य बाधाएँ दूर करना शामिल है। एकाधिकारवादी तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार कानून और विदेशी मुद्रा नियमन कानून के अन्तर्गत लगायी जाती थी। इस सुधार कार्यक्रम का एक उद्देश्य स्वदेशी और विदेशी दोनों प्रकार के निवेश आमंत्रित करना और उसमें वृद्धि करना था। वर्तमान संयुक्त मोर्चा सरकार का न्यूनतम साझा कार्यक्रम इस बात पर जोर देता है कि यदि भारत से गरीबी को मिटाना है तो प्रत्यक्ष पूँजी निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रयत्न करने होंगे। मोर्चा सरकार के वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम् का मत है कि भारत दस अरब डालर का प्रत्यक्ष विदेशी पूँजी निवेश प्रतिवर्ष इस्तेमाल करने की क्षमता रखता है। अर्थव्यवस्था में

खुलापन आने के फलस्वरूप विदेशी निवेश अब 250 से 400 करोड़ डालर प्रतिवर्ष आने लगा है। भारत में 1994 के दौरान मात्र 95 करोड़ डालर का निवेश हुआ जबकि 1995 में यह राशि बढ़कर 2-12 अरब डालर पहुँच गयी इस प्रकार 1991 से 1995 तक कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मात्र 4 अरब डालर का हुआ है।

भारत में पूँजी निवेश के दौरान अमेरिका की सक्रिय भूमिका रही। अमेरिका ने उदारीकरण के पहले तीन वर्षों में कुल विदेशी निवेश का लगभग एक तिहाई 5452 62 करोड़ रुपये लगाये गये थे, 1994 की पहली छमाही में केवल 573 39 करोड़ रुपये का निवेश किया, जबकि 1991 में 185 85 करोड़ रुपये, 1992 में 1231 50 करोड़ रुपये और 1993 में 3461 88 करोड़ रुपये का निवेश किया गया। इसी प्रकार जापान में 1991 में 52 71 करोड़ रुपये के प्रस्ताव मिले जो 1992 में बढ़कर 610 23 करोड़ रुपये के हो गये, परन्तु 1993 में कम होकर 257 43 करोड़ रुपये तथा 1994 में उसमें और कमी हुई और वर्ष की पहली छमाही में सिर्फ 18 90 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।<sup>13</sup> जिन देशों की ओर से निवेश प्रस्ताव में निरन्तर वृद्धि हुई वे हैं ब्रिटेन, जर्मनी, सयुक्त अरब अमीरात, फ्रान्स, सिंगापुर और कनाडा।

विदेशी पूँजी निवेश बढ़ने के फलस्वरूप कई समस्याएँ भी पैदा होती हैं। जैसे विदेशी निवेशक उन्हीं क्षेत्रों में पूँजी निवेश लगाने को प्रोत्साहित रहे हैं जिसमें अधिक लाभ की गुंजाइश है। उदाहरणस्वरूप कोका कोला, पेप्सी आदि। इस दशा में देश की प्राथमिकताओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक और समस्या यह है कि प्रोत्साहन तथा रियायतों के जरिये आमंत्रित किया जाता है जो विदेशी निवेशकों को उपलब्ध नहीं होता। जैसे बिजली क्षेत्रों में सरकार ने विदेशी निवेशकों को 16 प्रतिशत लाभ की गारण्टी दी है। इसके साथ-साथ एक महत्वपूर्ण समस्या यह है कि जल जीव पालन जैसे नये क्षेत्रों और ताप बिजली के सामान परम्परागत क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के सम्बन्ध में भारत में पर्यावरण की गम्भीर समस्या पैदा हो रही है।

किसी भी राष्ट्र की अन्य समस्याओं के साथ-साथ उसके मुद्रा स्फीति की समस्या प्रमुख है। भारत में विदेशी पूँजी निवेश को तेज गति से बढ़ाने के कारण उसका स्वदेशी उद्योगों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा हो रही है। फलस्वरूप भारतीय जनता का अत्यधिक झुकाव विदेशी वस्तुओं तथा सेवाओं की ओर है। जैसे हमराज पेन की प्रतिस्थापना लोगों द्वारा रेनाल्ड तथा रोटोमैक को उद्धारित किया जा रहा है। इस प्रकार एक ओर कीमत युद्ध हो रहा है। स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनियों में फिर भी



अत्यधिक माग के कारण उत्पादन में आर्थिक वृद्धि हो रही है। जिससे वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत मुद्रा के मूल्य की अपेक्षा तेजी से बढ़ रही है अर्थात् मुद्रा स्फीति हो रही है।

खुले पूँजी निवेश की उदार नीति और भारतीय बाजार में बड़े आकार एवं भावी सम्भावनाओं को देखते हुए भारत में पूँजी निवेश के प्रति विदेशी उद्योगपतियों एवं विनियोजकों की उत्सुकता निरन्तर बढ़ रही है। वर्तमान सरकार के उदारीकरण की नीति द्वारा आज हमारे पास विदेशी मुद्रा के भण्डारण में काफी वृद्धि हुई है जिससे हमारा भुगतान सतुलन अनुकूलता की ओर अग्रसर हो रहा है, किन्तु जिस गति से विदेशी कम्पनियाँ भारत में अपना प्रभुत्व एवं स्वामित्व बढ़ा रही है देश की स्वतन्त्रता पर खतरा हो सकता है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए भारतीय बाजार और आसान कर दिया गया है और स्वदेशी उद्योगों को ढेर सारे इसका खामियाजा भुगताना होगा बड़े आश्चर्य की बात है कि उद्योग जगत कारपोरेट दरों में कमी, इस पर अधिकार समाप्त करने, न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) में आवश्यक सशोधन, विदेशी मुद्रा विनिमय नियमन अधिनियम (फेरा) को बदलकर उसके स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबन्धन कानून बनाने, पूँजीगत खाते को पूर्ण परिवर्तनीय बनाने तथा निवेशकों पर लगाने वाले लाभांश कर खत्म करने जैसे निर्णयों की तारीफ करते नहीं थक रहा, किन्तु उसे इस बुनियादी बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का मुकाबला किस प्रकार कर पायेंगे।

केवल इतना ही नहीं बल्कि भारतीय बाजार में सभावनाओं को ध्यान में रखकर कई कम्पनियों ने अपने निवेश कार्यक्रम को सुचारु रूप से जारी रखा। भारत के सस्ते श्रम और ससाधनों का लाभ उठाने और एशिया के भारत जैसे विशाल बाजार में विकास की पूरी सभावनाओं को देखते हुए यहाँ पॉव पसारना शुरू किया, परन्तु पिछले कुछ वर्षों से स्थितियों ने उनकी मनोवृत्ति को प्रभावित करना शुरू किया, लेकिन इसके बावजूद कम्पनियों ने अपना इरादा छोड़ा नहीं बल्कि विषम परिस्थितियों का सामना करने लगी। भारत में आने वाली कम्पनियों को यहाँ बुनियादी सुविधाओं का अभाव खटक रहा है।

भारत के आर्थिक विकास में सबसे बड़ा अवरोधक पर्याप्त मात्रा में पूँजी का अभाव होता है। विदेशी पूँजी में प्रवासी भारतीयों की जमा राशियों तथा अंतर्राष्ट्रीय सस्थाओं द्वारा ऋणों के रूप में विदेशी पूँजी उपलब्ध करायी जाती है। देश में पूँजी की आवश्यकता इस कारण भी होती है कि उत्तम तकनीकी ज्ञान के अभाव तथा पूँजी की कमी के कारण हम प्राकृतिक साधनों का उचित विदोहन नहीं

कर पाये। देश को विदेशी पूँजी के साथ उच्च स्तर का तकनीकी ज्ञान भी उपलब्ध होता रहता है जिसका उपयोग हम कृषि या उद्योग के विकास में कर सकते हैं। सन् 1991 के बाद देश द्वारा अपनायी गयी आर्थिक नीति और संरचनात्मक कार्यक्रमों को लेकर विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग को आकर्षित करने के लिए भारत विवश है। इसी कारण भारत अपने विदेशी विनियम नियमन अधिनियम (एफ.ई.आर.ए.) और औद्योगिक नीति में फेरबदल किया है। यह बात जरूरी है देश के आर्थिक विकास पर विदेशी सहायता का काफी अच्छा प्रभाव पड़ा है।

हमारे राष्ट्रीय निवेश का स्तर काफी ऊँचा उठ गया है। शुरू में वार्षिक निवेश की दर कुल राष्ट्रीय आय का मात्र 5 प्रतिशत थी, लेकिन अब यह बढ़कर 23 प्रतिशत हो गयी है। इस प्रकार की सहायता के द्वारा हम अपने यहाँ खाद्यान्नों की कीमतों में स्थिरता बनाने के प्रयास में कामयाब हो पाये है तथा आयातित औद्योगिक कच्चे माल के सम्बन्ध में देश के उत्पादन में काफी वृद्धि हो पायी है। कुल विदेशी सहायता का लगभग 22 प्रतिशत विद्युत जनन पर तथा 10 प्रतिशत के विकास पर व्यय किया जाता है जिससे अद्यः संरचना का आधार मजबूत हो पाया है।

तकनीकी साधनों के विकास में भी हम सक्षम हो पाये है। यदि हम कहें कि हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुके हों तो हैरानी वाली बात नहीं होगी, लेकिन हमें विदेशी सहायता के सम्बन्ध में विशेष सतर्कता बरतनी होगी, जबकि इस बारे में शुरू में ही भूतपूर्व प्रधानमंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू ने स्पष्ट कर दिया था कि हम विश्व के प्रत्येक कोने से आर्थिक सहायता एवं तकनीकी साझेदारी का हृदय से स्वागत करते हैं, लेकिन भारत सरकार की अनुमति आवश्यक जाँच पड़ताल के बगैर विदेशी पूँजी किसी भी कीमत पर देश में नहीं आ सकती। जहाँ तक सम्भव हो सके स्वामित्व और नियंत्रण भारत के हाँथों में रहे तो ज्यादा अच्छा होगा।

हमारे देश में विदेशी पूँजी अधिक से अधिक प्रोत्साहित हो इसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास शुरू किये गये हैं। कर सम्बन्धी रियायतें, दुहरे करारोपण से रियायत विदेशी सहायता हेतु गारण्टी, फेरा में अनुकूल परिवर्तन रूपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता तथा दीर्घकालीन निर्यात आयात नीति को अपनाया गया है। यह बात भी जरूर है कि विदेशी पूँजी से हमारे औद्योगिक विकास, परिवहन एवं संचार, सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन में वृद्धि, औद्योगिक विकास, पूँजी निर्माण की गति को बढ़ावा देने, तकनीकी सेवा तथा विदेशी मुद्रा संकट से हमें काफी उबारा है। यदि हम विदेशी पूँजी का सही दिशा में प्रयोग करना समझ जाएं जैसे हम इसे व्यापार से सम्बद्ध करें और हम इसे निर्यातान्मुख उद्योग में प्रयोग करें और इसका उपयोग केवल उत्पादक कार्यों के लिए ही करें तो यह विदेशी

सहायता काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। आर्थिक उदारीकरण के फलस्वरूप ही हमारे देश की आर्थिक विकास की दर काफी अच्छी हालत में पहुँच गई है। आठवीं योजना में विकास दर 6.5 प्रतिशत थी तथा नौवीं योजना में 7 से 8 प्रतिशत की दर तक बढ़ाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

उदारीकरण का अर्थ देश में नियमों एवं प्रतिबन्धों में आवश्यक ढील देने एवं उनमें उदारता अपनाने से लगाया जाता है। इस उदारीकरण का औद्योगिक क्षेत्र पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा है। लाइसेंस लेना अब अनिवार्य नहीं रहा, बगैर सरकारी अनुमति के औद्योगिक क्षमता का विस्तार करना, विदेशी कम्पनियों को भारत में उद्योग स्थापित करने की अनुमति प्रदान करना। ऐसा करने से भारतीय उद्योगों में भी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति सृजित होगी जिससे वस्तुओं तथा सेवाओं की गुणवत्ता में काफी सुधार आयेगा और देश के निर्यात बढ़ाने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर सकने में सफल हो सकेंगे, लेकिन इन सभी सफलताओं के बावजूद हमारे देश के कुछ लोगों की यह भी सोंच है कि विदेशी कम्पनियाँ भारत का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भी अपने हाथ में लेगी।

आम चुनाव में जहाँ विदेशी कम्पनियों को लेकर विभिन्न प्रकार की चर्चाएँ होती रही। 1998 के दौरान विदेशी सस्थागत निवेशको का निवेश उम्मीद से अच्छा रहा। पर्यवेक्षकों का मानना है कि विदेशी सस्थागत निवेशको ने यह खरीदारी दीर्घकालिक नजरिये से किया है। 1998 के दौरान विदेशी सस्थागत निवेशको की खरीदारी 1494 करोड़ 50 लाख रुपये की रही जबकि बिक्री 755 करोड़ 10 लाख रुपये ही थी।

अमरीका के एटी वर्नी द्वारा किये गये एक अध्ययन के मुताबिक विदेशी निवेशक भारत को पसन्द करते हैं। भारतीय विदेश व्यापार सस्थान की पत्रिका के अनुसार भारत के पक्ष में विशेष बात यह है कि भारतीय कम्पनियाँ विपणन रिपोर्ट विदेशी व्यापार की अवधारणा को अच्छी तरह समझती हैं।

भारत द्वारा विदेशी सहायता का प्रयोग मुख्यतः जिन मदों में किया गया, वे हैं - परिवहन और संचार परियोजनाएँ, शक्ति परियोजनाएँ, इस्पात परियोजनाएँ, औद्योगिक विकास, कृषि विकास, खनिज एवं लौह परियोजनाएँ तथा अन्य मदों जैसे-परिवार नियोजन कार्यक्रम, उच्च शिक्षा, जलापूर्ति, शहरी विकास आदि। इसके अलावा भारत ने विदेशी ऋणों के पुर्नभुगतान के लिए सहायता प्राप्त की है।

इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि ब्याज के अलावा मूल धन वापसी का समय आ गया था और ऋण चुकाने की समस्या आ गई। इस प्रकार की स्थिति वर्तमान आयात-बिल, उद्योगों के लिए

आवश्यक वस्तुओं के आयात और निर्यात बिल में अपर्याप्त वृद्धि के कारण उत्पन्न हुई। विदेशी सहायता के उद्देश्यवार उपयोग पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत द्वारा विदेशी सहायता का उपयोग औद्योगिक विकास के लिए अधिक किया गया है जिसे समय के सन्दर्भ में सर्वथा न्यायोचित ठहराया जा सकता है क्योंकि भारत जैसे विकासशील देश के लिए आर्थिक विकास का अर्थ है औद्योगिक विकास। अन्य महत्वपूर्ण मदे जो प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करती हैं और विदेशी सहायता में उनका महत्वपूर्ण अंश है उनमें परिवहन एवं संचार, शक्ति व परिवार कल्याण कार्यक्रम आदि शामिल हैं भारत जैसे कृषि प्रधान देश में विकास हेतु भी विदेशी सहायता का भारी उपयोग किया गया है।

### विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में विदेशी निवेश की सार्थकता :

किसी देश के विकास और औद्योगीकरण में विद्युत की अहम भूमिका निर्विवाद है। विकास के साथ-साथ देश में विद्युत की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। भारत आज ऐसी स्थिति से गुजर रहा है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय देश में जहाँ विद्युत उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता मात्र 1362 मेगावाट थी, वहीं फरवरी 1994 के अन्त में यह बढ़कर लगभग 73 मेगावाट (1 मेगावाट = 10 लाख वाट) हो चुकी है। इसके बावजूद देश में विद्युत की कमी लगातार बनी हुई है। सन् 1950 में देश में विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत मात्र 15.6 किलोवाट घण्टा थी, जो कि इस समय 270 किलोवाट घण्टा हो चुकी है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में यह खपत 358 किलोवाट घण्टा है। इस स्थिति को तथा देश में बढ़ती विद्युत की मांग को ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं कि देश में विद्युत का उत्पादन यदि तेजी से नहीं बढ़ाया गया तो देश में गम्भीर विद्युत संकट पैदा हो जायेगा। दूसरी तरफ देश में विद्युत बोर्डों की स्थिति निरन्तर बिगड़ती जा रही है। अधिकांश राज्य विद्युत बोर्ड इन दिनों घाटे के दौर से गुजर रहे हैं। इनके पास इतना धन नहीं है कि वे अपने सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला और एन टी पी सी का शुल्क अदा कर सकें। नवीनतम आँकड़ों के अनुसार देश में राज्य विद्युत बोर्डों का घाटा बढ़कर 5346.77 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है।<sup>14</sup> देश में मात्र पाँच ही राज्यों के विद्युत बोर्ड लाभ में चल रहे हैं। ये राज्य हैं - आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड 471.29 करोड़ रुपये के लाभ के साथ सूची में सबसे ऊपर हैं जबकि तमिलनाडु 407 करोड़ रुपये के लाभ के साथ दूसरे स्थान पर है, शेष विद्युत बोर्डों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वास्तव में निरन्तर बढ़ रहे घाटे के कारण राज्य विद्युत बोर्ड उद्योगों, ग्रामीण अंचलों

तथा इसी तरह कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति में सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि देश में विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकारी आँकड़ों के अनुसार सन् 2006 तक देश में 1.42 लाख मेगावाट विद्युत का अतिरिक्त उत्पादन करना होगा जिसके लिए दो लाख अरब डालर के निवेश की आवश्यकता होगी।

निश्चय ही इतने बड़े निवेश की स्थिति में इस समय न तो राज्य विद्युत बोर्ड है और न ही भारत सरकार इसके लिए स्वयं को तैयार कर पा रही है। अन्तः सरकार को इस हेतु गैर सरकारी और विशेषकर विदेशी पूँजी निवेशकों की ओर मुडना पडा, लेकिन इतने जटिल और विशाल निवेश के लिए गैर सरकारी तथा विदेशी पूँजी निवेशकों को आकर्षित कर पाना आसान नहीं था। इनके लिए अनेक आकर्षण उपलब्ध किये गये। विदेशी निवेशक एक निश्चित लाभ की गारन्टी चाहते थे। लिहाजा सरकार को उनके लिए सोलह प्रतिशत लाभ की गारन्टी घोषित करनी पडी इसके अतिरिक्त सरकार ने इन निवेशकों के अनेक रियायतों की भी घोषणा की है यथा-विद्युत की दरों में वृद्धि, रियायती प्रशुल्क के आधार पर आवश्यक उपकरणों का आयात, पूँजी और लाभ को बाहर ले जाने की अनुमति आदि।

सरकार द्वारा दी जा रही इन रियायतों की जहाँ देश में व्यापक स्तर पर आलोचना हो रही है। वही, यह अनेक विदेशी पूँजी निवेशकों को आकर्षित करने में सफल रही है। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री श्री एन के पी साल्वे ने इस सम्बन्ध में गत फरवरी माह में अमरीका, जर्मनी, ब्रिटेन का दौरा किया वहीं विदेशी निवेशकों से बातचीत की। प्रधानमंत्री पी वी नरसिंहराव ने भी गत फरवरी में अपनी जर्मनी यात्रा के दौरान तथा बाद में दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में अपने भाषण में भारत में विदेशी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण को स्पष्ट किया। समझा जाता है कि इन परिस्थितियों में पश्चिमी देशों के अनेक प्रमुख औद्योगिक समूहों ने भारत में विद्युत गृहों के आधुनिकीकरण में रूचि दिखाई है। इन औद्योगिक समूहों में रोल्स रायस, जी ई सी और सीमेंस के नाम प्रमुख हैं। विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए अस्सी नए प्रस्ताव सरकार के पास आए हैं जिनसे देश की विद्युत उत्पादन क्षमता 26 हजार मेगावाट तक बढ़ सकती है इनमें से कुछेक समझौते सम्पन्न भी किये जा चुके हैं।

वास्तविकता तो यह है कि देश में विद्युत उत्पादन की स्थिति को यदि शीघ्र ही सुधारा नहीं गया तो हमारी अनेक विकास योजनाएँ खटाई में पड जाएंगी। देश में उत्पादन की तुलना में विद्युत की माग में लगातार वृद्धि हो रही है। दूसरी ओर, विद्युत की स्थापित क्षमता में लक्ष्य के अनुरूप वृद्धि नहीं हो पाती। इन्हीं परिस्थितियों में भारत सरकार को विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में विदेशी निवेश को

प्रोत्साहन देना पडा है, किन्तु जिन उदार शर्तों पर सरकार विदेशी पूँजी निवेशकों को देश में आमंत्रित कर रही है, वह बहस का मुद्दा बना हुआ है। हालांकि सरकार के आलोचक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि आज देश में विद्युत उत्पादन के लिए काफी बड़े निवेश की आवश्यकता है और इसे विदेशी निवेशकों के माध्यम से आसानी से पूरा किया जा सकता है, लेकिन इस सम्बन्ध में प्रेक्षकों का मानना है कि विदेशी निवेशकों की शर्तों पर बहुत गम्भीरता पूर्वक विचार करने की जरूरत थी। हमें इस तथ्य को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए कि सरकार इन विदेशी निवेशकों को जिस तरह 16 प्रतिशत लाभ की गारंटी और वह भी विदेशी मुद्रा में दे रही है,

उससे भारतीय विद्युत उपभोक्ता को अधिक मूल्य तो देने ही पड़ेंगे, साथ ही रियायती प्रशुल्क के आधार आवश्यक उपकरणों के आयात जैसी रियायतों से भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ेगा। विदेशी निवेशक स्वाभाविक रूप से भारतीय विद्युत उपकरणों को क्रय करने की अपेक्षा विदेशी उपकरणों का आयात करना ही अधिक पसन्द करेंगे। इस प्रकार निश्चित रूप से विदेशी मुद्रा में हमारी देनदारी काफी हद तक बढ़ जायेगी।

विदेशी निवेशकों को लाभ की गारंटी यदि विदेशी मुद्रा की बजाय भारतीय मुद्रा में दी तो उस दोष को काफी हद तक कम किया जा सकता था और यदि यह विदेशी मुद्रा में ही आवश्यक थी तो इसे 8-15 प्रतिशत तक सीमित रखा जा सकता था, क्योंकि इस ब्याज दर पर इस समय विदेशों से पर्याप्त पूँजी प्राप्त की जा सकती है।

दूसरी ओर पहले से विद्युत उत्पादन में लगे भारतीय उत्पादकों और सरकारी इकाइयों को अपने पुराने और सीमित ससाधनों के बल पर देश में विदेशी कम्पनियों का मुकाबला करना होगा। इसके अतिरिक्त प्रायः विदेशी निवेशक विद्युत उत्पादन के लिए देश में बिल्ड, 'ऑपरेट एण्ड ओन' सिद्धान्त के स्थान पर 'बिल्ड, ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर' प्रस्ताव को अधिक पसन्द कर रहे हैं अर्थात् विद्युत वितरण के उत्तरदायित्व से वे स्वयं को मुक्त रखना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में राज्य विद्युत बोर्डों को विदेशी निवेशकों द्वारा स्थापित विद्युत उत्पादन केन्द्रों से विद्युत खरीदनी पड़ेगी। जो किसी भी तरह तीन रुपये प्रति यूनिट से कम नहीं बैठेगी, हालांकि शुरूआती दिनों में इस दर को कम रखने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले दिनों हुए समझौते के परिणामस्वरूप विदेशी कम्पनी एनरान महाराष्ट्र में जो विद्युत उत्पादन केन्द्र स्थापित कर रही है। इससे उसमें महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड को दो रुपये चालीस पैसे प्रति यूनिट की दर से विद्युत देना स्वीकार किया है। स्पष्टतः इस दर में सम्प्रेषण वितरण के दौरान होने वाली हानि को नहीं जोड़ा गया है। यदि सम्प्रेषण व वितरण हानि को इसमें जोड़ दिया

जाए तो उपभोक्ताओं के लिए विद्युत लगभग चार रूपये प्रति यूनिट पड़ेगी। नि सन्देह, विद्युत की इस ऊँची कीमत का भारतीय अर्थव्यवस्था पर चतुर्दिक प्रभाव पड़ेगा। एक ओर सरकार देश में गाँव-गाँव तक विद्युत पहुँचाने की बात करती है तो दूसरी ओर इस ऊँची दर पर विद्युत का उपभोग निम्न वर्ग तो क्या मध्यम वर्ग भी नहीं कर पाएगा, इसमें सन्देह उत्पन्न हो गया है।

अब देखना यह है कि विदेशी निवेश को निरन्तर प्रोत्साहन देने के साथ-साथ सरकार इस सम्बन्ध में अब ऐसा कौन सा मार्ग चुनती है। जिससे देश का आम उपभोक्ता सतुष्ट रह सके और देश में विद्युत की आवश्यकता भी पूरी हो जाए। वैसे एक सुखद संकेत यह है कि भारत सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में विदेशी निवेशकों के प्रति उदारवादी नीति की घोषणा के बाद जहाँ अनेक विदेशी निवेशकों ने भारत में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में निवेश करने की इच्छा व्यक्त की है, वहीं विश्व बैंक हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा राज्यों की इच्छा पर उनके विद्युत क्षेत्रों में बृहत सरचनात्मक सुधार सम्बन्धी अध्ययन कार्यों का वित्त पोषण करने के लिए तैयार हो गया है। बिहार और राजस्थान सरकारों के अनुरोध इसके अन्तर्गत विचाराधीन है।

### **बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की नजर प्राकृतिक सम्पदा पर :**

भारतीय उद्योग पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का विजय अभियान इसलिए सफल हो रहा है कि इनके पास अकूत पूँजी है। इनके सामने बड़ी से बड़ी भारतीय कम्पनियाँ भी बौनी हैं। रूपये के अवमूल्यन से अब विदेशी कम्पनियों के सामने भारतीय उद्योगपतियों में दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का जोर है। एक ओर तो वे पीछे रह जाने के खौफ में विदेशी कम्पनियों से गठबन्धन के लिए टूटे पड़ रहे हैं, दूसरी ओर एक के बाद दूसरी भारतीय कम्पनी का नियन्त्रण विदेशियों के हाथ में जाते देखकर बेहद घबराये हुए हैं। यह सोचना सही नहीं होगा कि सिर्फ सत्ता-प्रतिष्ठान के बाहर के राजनीतिज्ञ और असहमति के बाद कुछ अर्थशास्त्री ही आर्थिक नीतियों और विदेशी पूँजी समझौते की शक्ति में आ रहे नव-उपनिवेशवाद के खतरे की घटी बजा रहे हैं स्वयं भारतीय उद्योगपति भी इससे चिन्तित हैं। असल में किसी न किसी तरह का आर्थिक राष्ट्रवाद आज भारत की आर्थिक प्रभुसत्ता को बनाये रखने के लिए आवश्यक हो गया है। दादाभाई नौरोजी से लेकर महात्मा गाँधी तक ने जिन परिस्थितियों में यह कार्य किया था, वह आज से भिन्न थीं। तब विदेशी सत्ता एक ऐसी सच्चाई थी, जिसे नकारा नहीं जा सकता था। वह दिनों दिन भारतीय जनता के श्रम और सम्पत्ति को लूट रही थीं, लेकिन वह स्पष्ट दिख रहा था आज का आर्थिक-उपनिवेशवाद विकास का बाना पहनकर आ रहा है। वह युद्ध नहीं लड़ता। जरूरत पड़ने पर वह इसमें चूकेगा भी नहीं। वह देश के उच्च तथा मध्यम वर्ग को

आधुनिकतम उपभोक्ता वस्तुए उपलब्ध कराने के सतरगी सपने दिखाकर अपना कार्य साध रहा है। शहरी नयी पीढी में ही नहीं, गाँवों, कस्बों में भी इसका इन्द्रजाल फैल रहा है।

देश- विदेश के व्यापार तो सदियों से चलते रहे, पर पुराने जमाने में व्यापारियों का मकडजाल नहीं था, यूरोप की औद्योगिक क्रान्ति के साथ-साथ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का गठन हुआ। ईस्ट इंडिया कम्पनी इन्हीं 'आरम्भिक कम्पनियों' में से एक बड़ी कम्पनी थी। इनका चरित्र लुटेरों का था। ये आपस में सैन्य शक्ति का उपयोग भी करती थी। भारत में इस कम्पनी ने डच और पुर्तगाली कम्पनियों को खदेड दिया। इसकी मनमानी का इतिहास साक्षी है। पचास हजार पौण्ड से आरम्भ करने वाली इस कम्पनी ने 1770 तक बीस लाख पौण्ड का मुनाफा कमाया था। मुनाफे की लालची ऐसी ही बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथ में हमारा देश अपनी आर्थिक कमान सौंपता जा रहा है, ऐसा नहीं कि इसके कुपरिणाम को हम जानते नहीं। देश की आम जनता से अधिक जानकार है, देश के कर्णधार जिन्होंने देश की गर्दन फँसायी है। दुनिया की दौलत के साथ-साथ सैन्य शक्ति अमरीकी की मुट्ठी में सिमट रही है। इनकी दादागिरी से बड़ी शक्तियाँ भी भयभीत है, सब जानते समझते हुए सत्ता के सकुचित स्वार्थ में देश को गुमराह कर सोने के पिजरे में डाल दिया गया।

इस सन्दर्भ में एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सुझाई गई आर्थिक नीतियों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का खुले दरवाजे से आना समाज के किस तबके पर सबसे अधिक प्रतिकूल असर होगा? यह समय ही बतलायेगा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष जो भी कुछ कहता है उसके साथ यह जरूरी है कि विदेशी कम्पनियों को अपने यहाँ कारोबार करने की अधिक छूट दो। इन कम्पनियों के उत्पादों को खरीदने की क्षमता मुख्य रूप से गरीब देशों के ऊपरी तबके में ही होती है। इसलिए कोष यह नहीं चाहता कि इस अमीर तबके की क्रय शक्ति या आय में कुछ कमी आए। चूँकि कोष की नीतियों के तहत राष्ट्रीय स्तर पर कम या अधिक सिकुडन आती ही है और खर्च कम होता ही है। इसलिए इस कटौती का भार अर्थव्यवस्था के निचले तबके पर पडने की पूरी सभावना रहती है। दूसरे शब्दों में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नीतियों का अधिक भार उस वर्ग पर पडता है जो इसे सहने के लिए पहले से ही कम समर्थ है।

अर्थव्यवस्था में कुल खर्च में सिकुडन होने पर विदेशी या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का व्यवसाय बढता रहे इस अर्तविरोध को सुलझाने का एक अन्य उपाय यही है कि स्थानीय उद्योग व्यवसाय बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के स्वामित्व में चला जाय। ऐसा होने पर प्रायः अधिक मशीनीकृत उत्पादन विधियों से काम होता है व इसका भी मेहनतकश वर्ग पर प्रतिकूल असर पडता है। साथ ही मुनाफे का एक



मोटा हिस्सा देश के बाहर भी जाता है। विश्व पूँजी निवेश रिपोर्ट 1993 इस भयावह सच को उजागर भी करती है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का निजी उत्पादक परिसम्पत्ति में से एक तिहाई हिस्से पर नियंत्रण है। सयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन 'अकटाड' ने यह अपनी रिपोर्ट में स्वीकारा है। पिछले बीस साल में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की संख्या 7 हजार से बढ़कर 37 हजार हो गयी। ये कम्पनियाँ बीस अरब डालर का प्रत्यक्ष पूँजी निवेश करती हैं। इनमें से एक तिहाई हिस्से पर सौ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का नियंत्रण है। अकटाड के आकलन के अनुसार सभी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ विदेशों में करीब 55 खरब डालर का विक्रय करती हैं।<sup>15</sup>

रिपोर्ट के अनुसार 1990 में विदेशी प्रत्यक्ष पूँजी निवेश दो खरब 34 डालर तक पहुँच गया जो एक रिकार्ड था। विदेशी प्रत्यक्ष पूँजी निवेश 1992 में डेढ़ खरब बताया गया जो 1987 के बाद सबसे कम था। इस कमी की वजह आर्थिक मंदी और निवेशकों, यूरोपीय समुदाय, अमरीका तथा जापान की धीमी, आर्थिक विकास दर बतायी गयी है। गत वर्ष विकासशील देशों में चालीस अरब डालर का विदेशी प्रत्यक्ष पूँजी निवेश हुआ। यह पाँच साल पहले की तुलना में 25 अरब डालर अधिक है।

एशिया और दक्षिण अमरीका में विदेशी प्रत्यक्ष पूँजी निवेश तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत विदेशी पूँजी निवेश को आकर्षित करने में सफल रहा है। अब वह इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का आभास दिला रहा है। 1992 के पहले सात महीनों में सयुक्त उपक्रमों में एक अरब डालर से कुछ अधिक की विदेशी इक्विटी मजूर की गयी। यह राशि 1991 में मजूर की गई राशि से लगभग तिगुनी थी।

रिपोर्ट के अनुसार एशिया में जो अन्य देश विदेशी पूँजी निवेश के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। उनमें चीन शामिल है। उधर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में विजय करने के बाद बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के अश्वमेधीय घोड़े की नजर ईस्ट इण्डिया कम्पनी की ही भोंति अब बिहार के प्राकृतिक ससाधनों के भरपूर पठारी इलाके पर है। अब यहाँ व्यावसायिक खेती भी की जाएगी। बहुराष्ट्रीय बीज कम्पनियों के लिए यहाँ बाजार की बेहतर-सभावनाएँ हैं। कारगिल, पायनियर काटिनेंटल सीड्स, होक्स्ट और मर्क जैसी कम्पनियाँ जल्द ही इस दिशा में पहल करने वाली हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और गैर सरकारी संगठनों ने यहाँ नए किस्म के बीजों का प्रयोग शुरू कर दिया है। इन बीजों के साथ अत्याधुनिक कृषि उपकरणों और सिंचाई सुविधाओं की भी जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही बीज, उर्वरक और कीटनाशक बनाने वाली कम्पनियों के लिए यहाँ नया बाजार विकसित हो जायेगा।

बिहार पठार विकास योजना का 49 फीसदी खर्च 1200 किलोमीटर लम्बी सड़क तैयार करने के लिए है। यह सड़क कृषि उत्पादों को पठार के नए विकसित बाजारों तक पहुँचाने में मददगार साबित होगी। पब्लिक इंट्रेस्ट रिसर्च ग्रुप के मुताबिक 400 करोड़ रुपये की इस योजना में विश्व बैंक की मदद 350 करोड़ रुपये की है। इस योजना का मकसद बिहार के जनजाति इलाके झारखण्ड में सड़क बनाकर सिंचाई, कृषि विकास और पीने का पानी मुहैया कराकर जनजातीय लोगों की माली हालत सुधारना है। बिहार का पठारी क्षेत्र झारखण्ड दो हिस्सों में बँटा है। छोटा नागपुर पठार और सथाल परगना, यह पूरा इलाका प्राकृतिक ससाधनों से भरपूर है। देश की 40 फीसदी खनिज, धातु और कोयले की खाने इसी इलाके में हैं। विकास के नाम पर यहाँ शुरू की गई परियोजनाओं में टाटा परियोजना, देवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, सुवर्ण रेखा बंध परियोजना और चाडोल ऊर्जा परियोजना प्रमुख हैं जिनका फायदा भी बड़े औद्योगिक घरानों बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सस्थानों ने उठाया है।

अब फिर बिहार पठार योजना के नाम पर फिर एक बार जनजातीय लोगों को उनकी जमीन से बेदखल किया जायेगा। आर्थिक फायदे के नाम पर उन्हें अपनी जमीन देशी-विदेशी कम्पनियों को देनी पड़ेगी, फिलहाल विदेशी कम्पनियों उच्चतम भूमि सीमा कानून में बदलाव के लिए दबाव डाल रही हैं। 1908 में बने छोटा नागपुर काश्तकारी कानून के तहत जनजातीय लोगों की जमीन गैर-जनजातीय लोगों को देने में देर लगाई गई, लेकिन इस रोक का जमकर उल्लंघन हुआ और अब विदेशी कम्पनियों इस मुहिम में शामिल हो गई हैं। बिहार पठार विकास योजना के नाम पर जनजातीय लोगों को कम से कम कीमत पर उनकी जमीन से बेदखल किया जायेगा। इसके लिए सरकार सबन्धित कानून भी बदल सकती है।

यहाँ अभी तक की योजनाओं से जनजातीय लोगों का विकास तो दूर रोजी-रोटी का सकट ही गहरा गया है। सुवर्ण रेखा परियोजना से करीब 60 हजार लोग विस्थापित हुए। इन्हें बहुत कम मुआवजा दिया गया। इनमें से ज्यादातर विस्थापित राची और जमशेदपुर जैसे शहरों में रिकशा चलाने या कुली का काम करने लगे। जिन लोगों को रोजगार नहीं मिल सका, उनके परिवार की औरतों को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरी तरफ टिस्को और बिहार स्पज आयस परियोजनाओं को विश्व बैंक की मदद से हुआ।

मेरे विचार से पठार विकास योजना को विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई शर्तों की रोशनी में देखा जाना चाहिए। खासकर ढाँचागत समायोजन के सन्दर्भ में सरकार ने जो नीतिगत

फैसलों की घोषणाएँ की हैं उनमें निजीकरण, राष्ट्रीय सस्थानों की घुसपैठ निर्यातोन्मुख कृषि विकास सब्सिडी में कटौती और सिचाई, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं पर उपभोक्ता फीस आदि शामिल हैं। पठार विकास योजना माडल में बड़े-बड़े फार्म तैयार करने की योजना है। अत्याधुनिक टेक्नोलाजी से जैसे इन फार्मों में अकुशल किसानों के लिए कोई जगह नहीं होगी।

## कृषि क्षेत्र पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का कसता शिकंजा :

भारत सरकार ने नयी कृषि नीति के तहत हाल ही में विदेशी कम्पनियों के मलिकाना हक पर कृषि भूमि प्राप्त करने की सुविधा देने का जो निर्णय लिया है, उससे न केवल देश में भुखमरी बढ़ने की आशंका है बल्कि वह निश्चय ही अनाज के मामले में हमारी आत्मनिर्भरता को भी क्षति पहुँचायेगी। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत जहाँ दुनिया की एक तिहाई आबादी मुश्किल से आधा पेट भोजन प्राप्त करती है, ने खेती के दरवाजे बड़ी-बड़ी कम्पनियों के लिए इस उम्मीद से खोलने का निश्चय कर लिया है कि उससे इस कृषि प्रधान देश में दूसरी हरित क्रान्ति आ जायेगी। उल्लेखनीय है कि कार्पोरेट (निगमित) व्यापारिक घराने काफी पहले से ग्रामीण जोत नियमों को ढीला करने की माग करते रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से यह एक बहुत ही सवेदनशील मामला है, क्योंकि इस देश में अधिकांश सख्या उन किसानों की है जो सीमान्त किसान हैं तथा मुश्किल से अपने आवश्यकता भर खाद्यान्न उत्पादन कर पाते हैं।

खाद्य अनुसंधानों तथा समाज कर्मियों के एक प्रभावशाली वर्ग का कहना है कि कार्पोरेट कृषि से देश में भुखमरी की स्थिति बढेगी, क्योंकि इससे अन्त इस गरीब देश की खाद्य सुरक्षा कुछ थोड़े से बड़े कृषि व्यापार कम्पनियों के हाँथों में सिमट कर अधिकाधिक रूप से हमें मँहगे अनाज आयातित करने को आश्रित बना देगी। कृषि व्यापार के दरवाजे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए खोलते ही देश के खाद्यान्न पैदा करने वाले खेत ऐसी नकदी फसल देने वाले उद्यमों में बदल जायेंगे जो विश्व बाजार की माग की पूर्ति को ही महत्व देंगे। सबसे चिन्ता की बात यह है कि इससे देश की समूची कृषि तस्वीर ही बदल जाने वाली है। आशंका तो यह है कि जिन लोगों को इस नीति के चलते अपनी जमीन त्यागनी होगी, उनमें अधिक सख्या छोटे तथा सीमान्त किसानों की होगी। वर्तमान व्यवस्था में ही एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रतिवर्ष बीस लाख की दर से छोटे तथा सीमान्त किसान या अपनी जमीन खो रहे हैं या उससे अन्य ढंग से विलग हो रहे हैं। खेती में बड़े व्यापारियों के प्रवेश का मतलब होगा देश की वह खाद्य व्यवस्था जिसका आधार वर्तमान में वे करोड़ों किसान हैं, जो स्वायत्त उत्पादकों के रूप में खाद्य उत्पादन कर रहे हैं कि हाँथों से निकलकर उन मुट्ठीभर बहुराष्ट्रीय

कम्पनियों के हॉथों में चली जायेगी जो निवेशों और उत्पादन दोनों को नियंत्रित करती है। देश में कृषि व्यापार का कारोबार फैलाने के लिए इस समय दुनिया की बड़ी से बड़ी कम्पनियाँ लालायित हैं।

कृषि क्षेत्र को बड़ी कम्पनियों के लिए खोले देने के प्रस्ताव से चिन्तित लोगों के अनुसार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की देश में खाद्य सुरक्षा भण्डार स्थापित करने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। उनकी दृष्टि केवल नकदी फसलो एव निर्मित वस्तुओं पर ही होगी। कृषि व्यापार से सम्बन्धित बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की विकासशील देशों में अनाज पैदा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे इन देशों को घरेलू उपयोग हेतु अनाज आयात करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अनाज के लिए आयात पर निर्भरता बढ़ाने से देश में खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ेगा तथा किसानों के मुनाफादेय नकदी फसलों की ओर मुड़ जाने तथा उनकी पैदावार घटने से सरकार की सस्ते अनाज की दुकानें तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रभावित होगी। खाद्य, कीटनाशी, दवाइयों और कृषिजन्य मशीनों का निर्माण तथा उसकी आपूर्ति बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ कर रही है। उनकी कीमतों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है।<sup>6</sup> अब बिजली उत्पादन तथा सेवा क्षेत्र में भी इनकी पैठ बढ़ रही है। शकर बीजों के उत्पादन में बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अपना कब्जा मजबूत करना चाहती है। विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में आकर सरकार ने खेती को दी जाने वाली रियायतें समाप्त करनी शुरू कर दी है परिमाणत खेती पूर्णरूपेण बाजारी ताकतों के शिकजे में कसती जा रही है। ऐसे में किसान आन्दोलनों एव सघटनों की सस्ती बिजली, खाद, बीज एव पानी उपलब्ध कराने या उन्हें पूरी तरह माफ करने की माँगों अपना अर्थ खोती जा रही है। कृषि उत्पादों के उचित मूल्य की माग को लेकर हमारे किसान सघटन काफी समय से सक्रिय हैं।

आज की उनकी प्रमुख माग है कि कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारण, उत्पादन लागत के अनुपात में होने चाहिए जबकि वस्तुस्थिति इसके विपरीत होती जा रही है। हरित क्रांति के फलस्वरूप व्यापारिक उत्पादों के उत्पादन में इजाफा हुआ है। अब हमारे किसान निर्यात के लिए नकदी फसलों के उत्पाद की ओर झुक रहे हैं, सोयाबीन, तिलहन, फल सब्जियाँ, चाय, काफी आदि बड़े पैमाने पर निर्यात के लिए उत्पादित हो रहे हैं, लेकिन जब कृषि उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी में पहुँचते हैं वहाँ उनकी कीमते हमारा किसान या हमारी सरकार नहीं बल्कि कृषि उत्पादों के व्यापार में लगी बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ निर्धारित करती हैं, जहाँ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की तानाशाही चलती है। कृषि का ऐसा औपनिवेशक ढाँचा हमारे देश में बनता जा रहा है, जहाँ सारा कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के व्यापार

तथा विकसित देशों की आवश्यकता के लिए होगी।

खेती के अंतर्राष्ट्रीयकरण और उस पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के कब्जे की वजह से ही हमारी सरकार को मँहगा अमेरिकी गेहूँ खरीदना पड़ रहा है। हमारे किसानों के पास गेहूँ प्रचुर मात्रा में है और वे कम मूल्य पर सरकार को बेचने के लिए भी तैयार होते हैं, लेकिन सरकार सार्वजनिक वितरण के नाम पर अमेरिका से मँहगा गेहूँ आयात करती है, विकसित देशों के दबाव में आकर सरकार अमेरिकी किसानों को फायदा पहुँचाती है और अपने यहाँ सब्सिडी खत्म करके एक तरह से अमेरिकी किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं। इससे विकासशील देशों की स्थिति बदतर होती जा रही है। ब्राजील, मैक्सिको, पेरू, इथियोपिया और सोमालिया में कृषक समाज छूट चुका है। बेरोजगारी, भुखमरी और भयकर गरीबी का चारों तरफ बोलबाला है। इन देशों के किसानों और खेती को बचाने के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के खिलाफ व्यापक आन्दोलन के अलावा और कोई चारा बचा नहीं है। दूसरी ओर हरित क्रान्ति की आशा में हमारा देश बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के शिकजे में फँसता चला जा रहा है। 1960 के दशक में पहली हरित क्रान्ति की तकनीक का अर्थ यह लगाया गया कि इससे अनाज का उत्पादन बढ़ेगा और देश अन्न के मामले में आत्मनिर्भर होगा, लेकिन यह हमारे लिए कितनी बड़ी भ्रान्ति बन गयी, यह हमने देख लिया है। कृषि के क्षेत्र में हरित क्रान्ति क्यों आयी, इसकी भी एक काली पृष्ठभूमि है।

वास्तव में इस तथाकथित क्रान्ति का उद्देश्य विकसित देशों द्वारा तीसरी दुनिया के कृषि अर्थतन्त्र को अपने शिकजे में लेना था ताकि उनकी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा निर्मित कृषि आदानों (खाद, कीटनाशी, ट्रैक्टर आदि) के लिए बाजार बनाया जा सके। कृषि पर टिकी तीसरी दुनिया से मुनाफा बटोरने के लिए इन देशों की एक ऐसी कृषि पद्धति की ओर मोड़ना था जिसको बनाये रखने की कला उनके हाथ में हो। अपनी गरीबी और बढ़ती जनसंख्या के बोझ से जूझते भारत जैसे देश इस कुचक्र में ऐसे फँसे हैं कि अब उन्हें फसल बोने से फसल काटने तक के सारे नियंत्रणों के लिए इन्हीं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का मुँह ताकना पड़ता है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति में कम्पनियों की अपेक्षा से अधिक सफलता भी मिली अन्यथा अनाज को एक अंतर्राष्ट्रीय हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वाले अमेरिका को गरीब देशों में अनाज उत्पादन बढ़ाने को क्यों सूझती ?

जिन-जिन देशों में इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का प्रभाव बढ़ा है उन-उन देशों में अनाज, ज्ञान-विज्ञान, प्रतिभा, कौशल, सांस्कृतिक अस्मिता सब कुछ सकट में पड़ गया है और उनका विकास अवरूद्ध है। हर क्षेत्र में नकल करने तथा जूठन पर जीने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है। पूँजी प्रधान

उत्पादन प्रणाली के बजाय श्रम प्रधान उद्योग एव खेती को बढ़ावा देकर, फिजूलखर्ची, ऐय्याशी पर रोक लगाकर तथा गैर जरूरी और कम जरूरी आयात को रोककर हमारा देश भुगतान सन्तुलन की समस्या पर काबू पा सकता था, लेकिन यह सब करने के बावजूद सरकार ने देश की आर्थिक नीति को जनापेक्षी और स्वदेशी के बजाय इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा अमीर देशों के इशारे पर विपरीत दिशा में मोड़ गति इतनी तेजकर दी कि यदि इसे रोका न गया तो देश में भयावह अन्न सकट उत्पन्न हो जायेगा।

## बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के औद्योगिक गुप्तचरी विभाग द्वारा भारतीय साम्राज्य का पतन एव विनाश .

उद्योग व्यापार के क्षेत्रों में गलाकाट प्रतियोगिता के चलते औद्योगिक गुप्तचरी लगातार बढ़ रही है। अमेरिकी गुप्तचर सस्था सी आई ए के भूतपूर्व डाइरेक्टर राबर्ट गेट ने तत्कालीन राष्ट्रपति बुश को भी सूचित किया था कि सी आई ए अपने ससाधनों का 40 प्रतिशत औद्योगिक गुप्तचरी में लगाता है। प्रारम्भ में औद्योगिक गुप्तचरी का क्षेत्र केवल उच्च तकनीक तथा दवा उद्योगों तक ही सीमित था परन्तु बाद के वर्ष में इसका विस्तार हुआ और आज उद्योग व्यापार के सभी क्षेत्रों में यह अपना पैर पसार चुका है। आज वह गुप्त नहीं रही कि आर्थिक रूप से सम्पन्न राष्ट्रों के ससदों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों बेधन तथा परोक्ष सहयोग से बड़ी सख्या मे सासद चुनकर जाते है। पूरी दुनिया के खाद्य व्यापार का सचालन अमेरिकी कारगिल कारपोरेशन तथा कटीनेटल, ग्रेन, फ्रासीसी लूइस ड्रेफस, ब्राजील को बेज एड बोर्न, स्वीस आद्रे कारनाक तथा जापानी मित्सुई कुक नामक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों करती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मौसम, वर्षा, बाढ़ अकाल की घटनाओं पर कड़ी नजर रखने के लिए उनके एजेन्ट चौबीस घण्टे सजग रहते है।

उद्योग व्यापार के दूसरे क्षेत्रों में भी इसी तरह कम्पनियों के गुप्तचर सक्रिय रहते है। अपनी प्रतिद्वन्दी कम्पनी में उत्पादन, मजदूर, सगठन, सचालन एव नई खोजों के प्रति जागरूक थे। एजेन्ट क्षण - क्षण की खबर सुपर कम्प्यूटर में संग्रहित रखते हैं। किसी देश के उद्योग- व्यापार की अग्रिम जानकारी प्राप्त कर तदनुरूप कपनी को आगामी योजना सारा कुछ इन एजेन्टों के माध्यम से ठीक-ठाक चलता रहता है। दुनिया के किस देश में कौन सा उत्पादन कैसा हो रहा है, उसका सही आकलन बिना औद्योगिक गुप्तचरों के समभव नहीं है। यदि यही तक की बात होती तो अधिक चिन्ता की बात नहीं थी। दूसरे उद्योग धन्धों को ठप्प करना, मजदूर सगठन में घुसपैठ तथा रहस्यों को चुराने से लेकर उस सगठन की अच्छी प्रतिभाओं को अधिक वेतन एव सुविधाओं को लालच देकर अपनी कपनी

मे खीचना भी इसी योजना का एक अंग है।

औद्योगिक गुप्तचरी अपने आप में तब पूर्ण नहीं है जब तक उसका दूसरा भाग पोलिटिकल एक्शन ग्रुप सक्रिय नहीं है। रक्षा सामग्री उत्पादन करने वाली कम्पनियों के लिये तो यह अति आवश्यक है कि भारत जैसा देश कितना आधुनिक हथियार किस देश से खरीदेगा, कौन सा राजनेता या सैनिक अधिकारी इस काम के लिये रखा गया है ताकि उससे कैसे सम्बन्ध स्थापित कर अपनी कम्पनी का हथियार बेचा जाये। अरबों-खरबों के इस खेल में बिचौलियों की मदद ली जाती है। भारत में तोप घोटाला तो अभी चर्चा में है, परन्तु प्रायः सभी रक्षा सौदों में यह प्रक्रिया अपनायी जाती है। इसके लिये ससद की चर्चा से लेकर सडक की गप-शप तक इनकी कडी दृष्टि रहती है। सासद, मंत्री, नौकरशाहों से लेकर विभिन्न सक्रिय सगठनों तक पहुँच बनाने में इनकी कितनी सक्रियता रहेगी, यह सहज कल्पना की बात नहीं है यूरोप और अमेरिका में इन कम्पनियों को वहाँ स्थापित प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसियों से काफी मदद मिलता था। आज भारत में परिस्थितिया बदल गयी हैं, यहाँ भी प्राइवेट गुप्तचर सगठन तथा सुरक्षा एजेंसिया काम करने लगी हैं। भारत सरकार ने अपने यहाँ उद्योगों के विस्तार के साथ ही औद्योगिक सुरक्षा बल का निर्माण किया है, परन्तु बढ़ते दबाव के कारण इसका पूरा लाभ अपने देश को नहीं मिल पा रहा है। बिजली, इस्पात जैसे प्रमुख भारतीय सरकारी उद्योग आज घाटे में चल रहे हैं, यहाँ तो विचित्र बात यह भी लगती है कि जो भारतीय उद्योग अन्य भारतीय कम्पनियों से सामान खरीद सकती है। उसे आर्डर नहीं मिलकर विदेशी उद्योग को आर्डर मिल जाता है। यदि किसी थर्मल पावर स्टेशन में कोयले के साथ काली मिट्टी मिलाकर विद्युत उत्पादन को ठप्प करवा दिया जाता है तो इसकी जाँच कभी नहीं की जाती है कि इसके पीछे सूत्रधार कौन है। भारी उद्योग निगम, राची का करोड़ों का आर्डर समय पर पूरा नहीं किया जाता था, निम्न स्तरीय काम करने के कारण आर्डर कैंसिल हो जाता है तो किसी को इसके लिये जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। परिणाम यह है कि आज पंडित जवाहर लाल नेहरू के सपनों का यह उद्योग धीरे-धीरे मौत की ओर जा रहा है।

स्वर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना 650 करोड में पूरी होने का अनुमान था परन्तु आज 2000 करोड खर्च करके भी काम पूरा नहीं हुआ और विश्व बैंक ने इससे अपना हाथ खींच लिया है। पर्यावरण की सुरक्षा और विस्थापन की समस्या को लेकर ऐसी योजनाओं में इतना हगामा मचाया जाता है कि काम कभी भी समय पर पूरा नहीं हुआ है यदि हमारी सरकार मात्र यहीं जाँच करवाये कि पदाधिकारी अब तक कितनी बार विदेशी भ्रमण कर चुके हैं तथा सगठन का आर्थिक स्रोत क्या है तो

चौंकाने वाले तथ्य सामने आयेगे। आज बड़े भारतीय उद्योग अपने सुरक्षा बलों की संख्या सीमित कर या पूर्णतः हटाकर प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों की सेवा ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय ये प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियां उन उद्योगों के रहस्यों को उजागर नहीं करेगी इसकी क्या गारण्टी है? बड़ी तेजी से पूरे भारत में प्राइवेट गुप्तचर संगठन तथा आधुनिक हथियारों से लैस सुरक्षा एजेंसियाँ सक्रिय हो रही हैं। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने तत्कालीन मुगल सम्राट से अपने गोदामों की रक्षा के लिए सुरक्षा बल रखने की मांग की थी। बाद में वहीं सुरक्षा बल मोरकासिस की हार का कारण बना, यह क्या हमें इतिहास से पता नहीं चलता? अति उत्साह में आकर बैंक, बीमा, कूरियर, वायु सेवा दूरभाष जैसे नाजुक क्षेत्रों में जल्दी प्रगति करने के लिए यदि विदेशों को हम आमंत्रित करते हैं तो हम कहाँ रह जायेंगे, इसकी चिन्ता करने वाला कोई नहीं है। जब किसी उद्योग, तकनीकी या रक्षा रहस्य की चोरी का हंगामा होता है तो कोई अदृश्य हाथ है जो इन पर पूर्ण विराम लगा देता है और चर्चा पत्र पत्रिकाओं तक रह जाती है।

1947 में संघटित अमेरिकी केन्द्रीय गुप्तचर एजेंसी सी आई ए का कार्य क्षेत्र विश्वव्यापी हो गया है। प्रत्येक महाद्वीप में इसका जाल फैला हुआ है। भौगोलिक अर्थ में यह गुप्तचर संगठन हर देश को किसी न किसी रूप में अपने कार्यकलापों का व्यापक आचलित अखाड़ा नहीं बना चुका है। अमेरिकी प्रभुत्ववादी राजनीति, अर्थनीति और रणनीति के लक्ष्यों के अनुरूप लोकतांत्रिक सरकारों को पलटने से लेकर अस्त व्यस्ता एवं अव्यवस्था पैदा करने तक इसने 50 वर्ष में ही नये-नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं। इसके ब्लैकमेल, भ्रष्टाचार, तोड़फोड़ आदि कार्य सब जगजाहिर हैं अमेरिकी विदेश नीति के विरोधी दुनिया के सभी भागों के राजनेताओं एवं जननेताओं की हत्याएं कराने में इसे सकोच नहीं है। मगर इसका एक और कारनामा है जो तीसरी दुनिया के युवा पीढ़ी के खतरनाक मशों का अभ्यस्त बनाने तथा जासूसी हथियार के रूप में तस्करी और मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार का इस्तेमाल, इस प्रयोग को सी आई ए के नीति निर्देशक बहुत लाभप्रद मानने लगे हैं। इस संघटन के कुछ भूतपूर्व अधिकारियों और एजेंटों ने ही इसका भण्डाफोड़ किया है। मेरे विचार से जिस प्रकार से व्यक्ति नशीली चीजों के खाने या पीने के आदी हो जाते हैं और यह आदत सामान्यतः नहीं हटती, उसी प्रकार सी आई ए के कार्यरत अधिकारियों तथा एजेंटों की भाँति उसके कई अवकाश प्राप्त अधिकारी और कर्मचारी भी गोपनीय कार्यकलाप के रोग से मुक्त नहीं हो जाते। चूँकि आतंकवादी कारवाइयों के लिए तस्कर और मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बहुत उपयुक्त समझे जाते हैं इसलिए सी आई ए तोड़ फोड़ तथा इसी प्रकार की अपनी अन्य योजनाओं में उनका धड़ल्ले से इस्तेमाल करने में लगी है सबसे पहले लैटिन अमेरिका में इस जासूसी हथियार का प्रयोग शुरू हुआ



था और अब एशिया तथा अफ्रीका में इसका इस्तेमाल व्यापक रूप ग्रहण कर चुका है।

भारत भी इससे बचा नहीं है, तस्करो के जरिये पजाब, जम्बू कश्मीर और उत्तर पूर्व भारत के अलगाववादियों को हथियार तथा आर्थिक सहायता देने का क्रम जारी है। मादक द्रव्यों के तस्करी से जो भारी मुनाफा अर्जित किया जाता है उसका एक भाग सी आई ए की परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर व्यय करने का तथ्य भी छिपा नहीं है। हा लाभ का अधिकांश भाग तस्करों को सुलभ रहने में कोई कठिनाई नहीं पैदा की जाती क्योंकि जोखिम भरे कार्यों को पूरा करने में यह प्रक्रिया कारगर साबित होती है।

जासूसी के काम में सेक्स का अपना विशिष्ट स्थान है। इस क्रिया को बढ़ावा प्रदान करके चालाकी से काम निकालने के लिए भी मादक द्रव्यो का प्रयोग किया जाता है, विरोधियों और शत्रुओं का अपहरण करके उसे सूचनाएं प्राप्त करने के काम में भी नशीली चीजों और इनके इजक्शनों का इस्तेमाल सी आई ए के बड़े पैमाने पर करने लगी हैं, पिछले कुछ वर्षों से कई देशों के अखबारों में तस्करों और मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले गिरोहों के साथ सी आई ए की साठ-गाठ की सवादा कथाएँ काफी प्रकाशित होती रही हैं।

लेकिन हम पूछेंगे कि यह रहस्य खुला कैसे? कुछ समय पूर्व अमेरिका में फ्लोरिडा की पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया था जो कई वर्षों से मादक द्रव्यों की तस्करी में सलग्न था। इस कार्य में लाखों रुपये की पूँजी लगायी गयी थी और करोड़ों रुपये की कमाई हो रही थी। इस गिरोह का जाल अमेरिका के प्रायः सभी राज्यों में फैला हुआ था, लेकिन जब इस गिरोह के सदस्यों ने गिरफ्तारी के बाद सी आई ए के एजेंट होने के कार्ड दिखाये तो फ्लोरिडा की जांच करने वाली पुलिस का माथा ठनका और उसने काफी क्रोध प्रकट किया। जाँच के दौरान यह भी पता चला है कि सी आई ए ने उन्हें विशेष कार्यों के लिए तस्करी का काम सिखाया था और खास काम हो जाने पर उन्हें यह गुप्तचर सघटन अतिरिक्त धनराशि पारितोषिक के रूप में भी दिया करते थे।

ज्यों ही उक्त घटना से सी आई ए के इस धिनौने कार्यकलाप का पर्दाफाश हुआ त्यों ही अमेरिकी प्रशासन ने चुस्ती दिखाई और फ्लोरिडा काण्ड पर पर्दा डालने की सूक्ष्म प्रक्रिया शुरू कर दी थी। तब अखबारों में इस बिषय पर खबरों का प्रकाशन बन्द हो गया और पुलिस ने भी मौन धारण कर लिया।

इस काण्ड से यह भी तथ्य प्रकाश में आया कि अमेरिका के भीतर तथा अन्य देशों में मादक

द्रव्यों की तस्करी से सी आई ए को आर्थिक लाभ होता है। जब कभी अमेरिकी कांग्रेस सी आई ए की कई अति गोपनीय योजनाओं के लिए धनराशि निर्धारित करने में बाधा डालती है अथवा अपेक्षित धनराशि मजूर नहीं करती तो उक्त प्रकार की तस्करी प्राप्त मुनाफे का एक अश विदेशी बैंक के जाली खाते में जमा कर दिया जाता है और गोपनीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा विशेष एजेंट को आयकर से मुक्त नकदी पुरस्कार देने में इसे खर्च किया जाता है।

जानकर सूत्रों के मतानुसार केवल अमेरिका में प्रतिवर्ष मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार से 4 करोड़ 40 लाख रुपये से 9 करोड़ 60 लाख रुपये तक का लाभ होता है। थाईलैण्ड, पाकिस्तान, तुर्की तथा कुछ अन्य देशों से करीब 4 टन अफीम, 70 टन कोकीन तथा कई टन चरस, चण्डू आदि अमेरिकी तस्कर मगाते हैं। यद्यपि मादक द्रव्यों की तस्करी से जो मुनाफा प्राप्त होता है। उसका बहुतांश सी आई ए को इस अवैध व्यापार में सलग्न अपराधियों के गिरोहों और सिडीकेटों को देना पड़ता है तो भी उसे गोपनीय परियोजनाओं और पुरस्कारों के लिए इस मुनाफे का 8 प्रतिशत तक प्राप्त हो जाता है। अमेरिकी प्रशासन प्रभुत्ववादी खेल में हर अनैतिक कार्य को नैतिक मानता है। इसी कारण इस खेल की प्रमुख टीम सी आई ए का नाम मादक द्रव्यों की तस्करी में नहीं लेना चाहता। जासूसी कला के विकास में यह अमेरिकी कदम भी निश्चय ही बेमिसाल है।

कहने का तात्पर्य यह है कि अमेरिका एक पूँजी प्रधान देश है जहाँ पर पूँजी की प्रचुरता के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी इस देश ने अत्यधिक तीव्र गति से विकास किया है। यही कारण है कि विश्व बाजार में इसका प्रभुत्व स्थान है जो भी नियम व उपनियम विश्व व्यापार से सम्बन्धित बनाये जाते हैं उनका संचालन एवं नियमन इन्हीं देशों के हाँथों में होता है। विश्व व्यापार से सम्बन्धित जितने भी सगठन में हैं, उसमें इनका प्रभुत्व स्थान होता है और सभी सगठन में ये स्थायी सदस्य होते हैं। इनके द्वारा रखी गयी बातों को जल्दी एवं शीघ्र समर्थन प्राप्त होता है।

इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों हमारे यहाँ आ रही है उनका उद्देश्य केवल व्यापार करने से सम्बन्धित होना चाहिए, यही तक यह सीमित होना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वे हमारे राज्यव्यवस्था को या देशव्यापी व्यवस्था में तो हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, नहीं तो हमारी अर्थव्यवस्था को तो चौपट कर देंगे ही साथ ही साथ कहीं हम उनके अधीन न हो जाय, क्योंकि व्यापार के साथ-साथ ये अनैतिक, नशाखोरी या बहुत से गुप्तचरी सस्थाओं की स्थापना करते हैं जिससे ये देश नीति-नीतियों के बारे में जानकर वहाँ गुप्तचरी सस्थाओं द्वारा विस्फोटक या विध्वंसकारी नीति अपनाकर देश में शान्ति व्यवस्था को भग कर देते हैं जिससे

अर्थव्यवस्था पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण विकास के मार्ग में अवरूद्ध व बाधाएं उत्पन्न हो जाते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण हम अपने गुलामी के कारण ईस्ट इण्डिया कम्पनी को मानते हैं। जिन्होंने व्यापार के साथ-साथ हमारी शासन व्यवस्था पर भी अधिकार जमा लिया। इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का उद्देश्य लाभ कमाना तो होता है ही, लेकिन धीरे-धीरे ये बाजार व्यवस्था पर देशी उद्योगों को पनपने नहीं देते हैं क्योंकि उनको हानि या उसके विकास में रूकावट डालने के लिए इनके पास अनेक कारण होते हैं। 1-पूँजी की कमी, 2-तकनीकी कमी, 3-कार्यकुशलता की कमी, 4-गुणवत्ता की कमी, 5-उत्पाद निर्माण तक पहुँचने के लिए उसके किसी एक या अनेक भाग पर आश्रित होना, 6- उत्पादन लागत का अत्यधिक होना, 7-कर्मचारियों को वेतन एवं उसके सुविधा में कमी, 8-प्रबन्ध तन्त्र का ठीक न होना।

यही कारण है कि हम विदेशी कम्पनियों की अपेक्षा हमारे उद्योग उनके प्रतिस्पर्धा में पीछे हो जाते हैं जिसके कारण धीरे-धीरे हमारे उद्योग की हानियाँ बढ़ने लगती हैं और एक समय ऐसा आता है कि हमें अपने उद्योगों को बन्द कर देना पड़ता है, किन्तु यदि हम विदेशी उद्योगों की नकल करके उनकी प्रतिस्पर्धा करके हम उनसे अच्छी गुणवत्ता वस्तुओं को निर्मित करें, जिससे बाजार में हम ख्याति बना पायें तो हमारे लिए विदेशी कम्पनियों लाभप्रद होंगी।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों जब हमारे यहाँ व्यापार करने लगती हैं तो वे हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को खरीद लेते हैं जिससे हमारे देश में बनाये गये सभी नियम बेकार एवं निष्प्रवाह हो जाते हैं। ये चुनावी प्रक्रिया में भी विभिन्न पार्टियों को जिताने में या उनकी सरकार बनवाने के लिए उन्हें सुविधा शुल्क के रूप में रूपये की भेट करती है। इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के यहाँ जो कर्मचारी कार्य करते हैं, उनको आर्थिक सहायता एवं सुविधा देशी कम्पनियों की अपेक्षा अत्यधिक मुहैया कराती हैं। जिससे हमारे देश के कर्मचारी उनकी बातों को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं और वे गलत प्रलोभन देकर उनसे बहुत से अनैतिक, एवं देश द्रोही कार्य करवाते हैं।

## **बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा लोकसभा के चुनावों को प्रभावित करना :**

आज की दुनिया का राजनीतिक संचालन अर्थनीति द्वारा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बोर्ड रूम से होता है। आठ के दशक से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का विकास और विस्तार जिस तेजी से हुआ है, उसमें अस्सी का दशक मील के पत्थर के रूप में माना जायेगा।

अव्यवहारिक दो नये विभाग औद्योगिक गुप्तचरी विभाग तथा पोलिटिकल एक्शन ग्रुप पर

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों अपने अनुसंधान और विकास विभाग से अधिक खर्च करती हैं। औद्योगिक गुप्तचरी विभाग बहुत व्यापक है, अपने उत्पादन के बाजार के रहस्यों को जानना, प्रतिभाओं को लुभाकर अपनी कम्पनी में लाना, विरोधी उत्पादन केन्द्र में हडताल तथा मजदूर-आन्दोलन में घुसपैठ तक इसमें शामिल है।

अन्तर्राष्ट्रीय पेप्सी तथा कोका-कोला कम्पनियों अमेरिकी राजनीति में दूर तक दखल देती हैं। ये दोनों कम्पनियों क्रमशः डेमोक्रेटिक तथा रिपब्लिक पाटियों की चहेती हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्यक्ष दखल देती हैं। भारत में पेप्सी तथा कोका के काले इतिहास को जानना यही उद्देश्य नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में पेप्सी कोला के साथ सी आई ए के गहरे सम्बन्धों की चर्चा हो चुकी है। सरकारों के तख्ता पलट में इसकी भागीदारी प्रमाणित हो चुकी है। भारतीय उपभोक्ता बाजार पर अधिकार करने के लिए 200 से अधिक बहुराष्ट्रीय विदेशी कम्पनियों यहाँ आ चुकी हैं। विश्व स्तर की उच्चतम 100 कम्पनियों में से 60 का कारोबार यहाँ फैल चुका है।

## विदेशी सहयोग की आलोचना :

भारत ने ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के शोषण से अपने को स्वतन्त्र कर लिया है, लेकिन आज एक विदेशी शोषण के स्थान पर कई विदेशी शोषण हो गये हैं और उन्होंने विगत 42 वर्षों में हमारा शोषण पहले की अपेक्षा कई गुना बढ़ा दिया है।

संसद की सार्वजनिक सस्थान समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि भारत में आवश्यक प्रौद्योगिकी उपलब्ध होने पर भी सार्वजनिक सस्थान उसके लिए बिना सौचे-समझे विदेशी तकनीकी सहयोग के समझौते करते रहे हैं। लोकसभा को दी गई अपनी 80 वीं रिपोर्ट में समिति ने इस तरह के कई उदाहरण दिये हैं। जिनमें स्थानीय सार्वजनिक सस्थाओं के पास उपलब्ध प्रौद्योगिकी के लिए निजी कम्पनियों ने विदेशियों से सहयोग के लिए समझौते किये। उदाहरणार्थ इण्डियन ऑक्सीजन लिमिटेड ने ऑक्सीजन प्लांट के लिए विदेशी सहयोग का एक समझौता कर लिया, जबकि उसके लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी भारत हेवी प्लेट एण्ड बैसिल्स, विशाखापट्टनम के पास उपलब्ध थी। टैक्सायको, कलकत्ता ने एक इण्डस्ट्रियल वायलर के लिए विदेशी समझौता किया जबकि स्थित बी एल ई एल के पास आवश्यक प्रौद्योगिकी मौजूद थी। इस प्रकार और भी उदाहरण हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि किस प्रकार बिना सौचे समझे विदेशी सहयोग के लिए समझौते किये जाते हैं। हमारे देश में 1975 में विदेशी

कम्पनियो को अपनी उत्पादन क्षमता 25 प्रतिशत बढ़ाने की अनुमति दी गयी थी।<sup>17</sup>

इसके अतिरिक्त दूसरी ओर विदेशी सहायता के कारण हमारा निर्धारित लक्ष्य अनिश्चित हो जाता है। इसी के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना को समय से अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है। 1971 में भारत पर पाकिस्तान के आक्रमण के समय अमरीका ने भारत को विदेशी सहायता बन्द कर देने की धमकी दी थी। तारापुर का ऊर्जा सयन्त्र विदेशी सहायता न मिलने का शिकार रहा। इसके लिए अपेक्षित ईंधन मिल सकने की सम्भावना अभी हाल के प्रयासों के फलस्वरूप हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस सन्दर्भ में कतिपय औपचारिकतायें अभी भी शेष हैं, वे चाहे जिस प्रकृति की हों।

आज बहुत से निर्धन देशों की भाँति भारत भी सम्पन्न देशों पर न केवल विकासात्मक सहायता के लिए, बल्कि प्रौद्योगिकी के लिए भी आश्रित है। विदेशी पूँजी के साथ-साथ विदेशी प्रौद्योगिकी भी आई है। वास्तव में विदेशी पूँजी व विदेशी प्रौद्योगिकी को जानबूझकर आमंत्रित किया गया था। उन्नत प्रौद्योगिकी का अर्थ भूमि या पूँजी की प्रति इकाई उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि काम में लगे प्रति श्रमिक या प्रति उद्यमी उत्पादन बढ़ाना है। जिसका परिणाम यह हुआ कि आय में असमानता बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, आर्थिक सत्ता का केन्द्रीयकरण बढ़ा और यही वे मर्ज थे जिनको हमारे सविधान के निर्माता दूर करना चाहते थे।

1976 में तत्कालीन विदेश मंत्री श्री चव्हाण ने भी यह स्वीकार किया - 'विदेशी पूँजी' अपने साथ ऐसी पूँजी प्रधान प्रौद्योगिकी लेकर आयी जो अतिरिक्त श्रम वाले देशों की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं थी।<sup>18</sup> इन सबके बावजूद हमारे पास आवश्यक मात्रा में न तो पूँजी है और न प्रौद्योगिकी, जिसके कारण हम विदेशी सहयोग के कुचक्र में फँसे हुए हैं। इस प्रकार हमारे राष्ट्र का आर्थिक विकास विदेशी पूँजी, विदेशी मशीनों और विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भर है।

विदेशी पूँजी से देश की स्वाधीनता एवं स्वाभिमान को ठेस पहुँचेगा क्योंकि ये देश अपनी विदेशी सहायता के साथ हम पर अपने राजनीतिक विचार थोपने का प्रयास करेंगे और इससे देश को एक स्वतन्त्र आर्थिक नीति का निर्माण करने में बाधा उठ खड़ा होगी। इससे पलायन की भी प्रवृत्ति होगी जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। विदेशी पूँजी से आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को प्रोत्साहन प्राप्त होगा। इससे हमें एक तरह से अपने देश के लाभों का निर्यात करना पड़ रहा है। विदेशी पूँजी का देश की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।

<sup>17</sup> मिश्र, जगदीश नारायण · भारतीय अर्थव्यवस्था (12वाँ संस्करण) 1996, पृष्ठ संख्या-939

<sup>18</sup> मिश्र, जगदीश नारायण · भारतीय अर्थव्यवस्था, 1996, पृष्ठ संख्या-940

जैसे- पूँजीगत वस्तुओं की अपेक्षा उपभोक्ता वस्तुओं पर अधिक बल देना, सार्वजनिक क्षेत्र में विदेशी सहायता के उपयोग पर प्रतिबन्ध, आर्थिक उदारवाद की नीति लागू करना, डकल प्रस्ताव, औद्योगिक विस्तार के लिए निजी क्षेत्र को प्राथमिकता, 1966 एव 1991 का अवमूल्यन आदि सभी बातें अवाञ्छित राजनीति दबाव का ही परिणाम कही जा सकती हैं। विदेशी सहायता से देश पर ऋणों का बोझ और ऋण सेवा भार निरन्तर बढ़ता जा रहा है। कुछ ऋण सेवा भार में ब्याज भुगतान का प्रतिशत निरन्तर बढ़ता जा रहा है। हमें कुछ देशों विशेष कर अमेरिका की सहायता का काफी भाग ~~बैंकी~~ सहायता के रूप में है। इससे हमें ऋणदाता देशों से अनिवार्य रूप से उँची कीमतों पर माल खरीदना पड़ता है। ये कीमतें अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों से 30 से 40 प्रतिशत अधिक होती हैं। इससे विदेशी सहायता की लागत बढ़ जाती है, सहायता भार बढ़ जाता है। विदेशी सहायता का उचित उपयोग योजनाओं के कुशल क्रियान्वयन पर निर्भर करता है, जिसका हमारे यहाँ पहले से ही अभाव है। जब तक देश स्फूर्ति अवस्था तक नहीं पहुँचता तब तक हमें बड़े पैमाने पर आयात करना होगा और हम निर्यात क्षमता का पूर्ण विस्तार नहीं कर पा रहे हैं तो हमें भुगतान दायित्वों का बोझ निरन्तर सहना ही पड़ेगा। इस सहायता की अनिश्चितता कुशल आयोजन के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा खड़ी कर देती है। यदि सहायता के जारी करने के सन्दर्भ में कोई पूर्ण निश्चित व्यवस्था नहीं है तो इससे दाता देश तथा ऋणी देशों के बीच अनावश्यक तनाव तथा गलतफहमी की स्थिति जारी रहती है, लेकिन प्रत्येक गठबन्धन वाली सरकार में यह कोई आसान काम नहीं है जहाँ सभी या अधिकांश राजनैतिक दलों की किसी बात पर सहमति बन जायें।

चीन और जापान के उदाहरण इसके विपरीत हैं। चीन असम्भव कठिनाइयों का उस समय से सामना कर रहा है जब से सोवियत संघ ने अपने टेक्नीशियन वहाँ से वापस बुला लिये थे, तब से चीन ने विदेशी सहायता के विरुद्ध संघर्ष किया है और अपनी समस्याओं के पहले हल खोजे हैं। जापान ने विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात तभी किया जब उसके बिना काम नहीं चल पाया, लेकिन न विदेशी पूँजी का आयात किया, न विदेशी प्रबन्ध का। जापानी अर्थशास्त्रियों के अनुसार - इस नीति का परिणाम यह हुआ कि स्थानीय उद्यम के विकास को प्रोत्साहन मिला है और जापानी अर्थव्यवस्था के अन्दर विदेशी 'उपनिवेश' नहीं बन पाये हैं जैसे कि अल्प-विकसित देशों में हुआ है। परन्तु अधिकांश विकासशील देशों को विदेशी सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है यद्यपि विदेशी सहयोग की बहुत सी कमियाँ भी हैं।

**विदेशी सहयोग की समस्याएं :**

## 1. राजनीतिक दबाव :

विदेशी सहयोग ने बहुत बड़ी सीमा तक राजनीतिक दबाव की भूमिका अदा की है। बहुत से विदेशी समझौते राजनीतिक दबाव के कारण हुआ करते हैं। यहाँ तक कि मुद्रा का अवमूल्यन भी करना पड़ता है। भारत का 1966 का मुद्रा अवमूल्यन विदेशी दबाव के कारण ही हुआ था। भारत एव चीन के युद्ध के समय 1962 में सोवियत रूस ने भारत को बोकारो इस्पात संयंत्र में सहयोग देने में असहमति व्यक्त की थी। इसी प्रकार भारत पाक-युद्ध के दौरान 1971 में अमेरिकी सरकार ने भारत पर दबाव डालने की कोशिश की थी और धमकी दी थी कि वह विदेशी सहायता बन्द कर देगा। अतः विदेशी निर्भरता जिस देश पर जितनी अधिक होगी, उस देश पर उतना ही अधिक विदेशी दबाव बढ़ेगा। जब 1950 के लगभग संयुक्त राज्य अमेरिका का विदेशी सहायता बजट अचानक अधिक तेजी से बढ़ने लगा तो इसकी प्रमुख प्रेरणा कम विकसित देशों की विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने की इच्छा थी। यह विकसित संसार के उस हिस्से में विशेष रूप से हुआ जिसका अध्ययन मिर्डल ने बहुत गहराई से किया है। कम विकसित संसार का यह विशाल भाग दक्षिण एशिया है। कम विकसित देश का राजनीतिक गठबन्धन और कुछ मामलों में पहले से मौजूद ऐसी तटस्थता जो अमित्रतापूर्ण न हो, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीति दिलचस्पी का विषय बन गया। इस क्षेत्र के देशों को जो अनुदान और ऋण प्राप्त हुआ, उसका अस्सी प्रतिशत अमेरिका से मिला। इसके परिणामस्वरूप अमेरिका की प्रभावशाली स्थिति रही। सहायता का राजनीतिक उद्देश्य इस क्षेत्र के देशों में इसके वितरण से स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ। पाकिस्तान को सैनिक सहायता के अलावा, प्रति व्यक्ति के हिसाब से भारत की तुलना में दुगुनी सहायता मिली। पाकिस्तान को यह सहायता संयुक्त राज्य अमेरिका से उसके राजनीतिक और सैनिक गठबन्धन के मुआवजे के रूप में मिली। सन् 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपने ऋणों पर यह पाबन्दी लगाना कि उनकी राशि से केवल अमेरिका से ही माल खरीदा जा सकता है, अत्यधिक आलोचना का आधार रहा है।

यह आलोचना बाद में अधिक कड़ी हुई और अमेरिका के इस रवैये को शोषण कहा जाने लगा। 11 मई और 13 मई 1998 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में परमाणु बम का परीक्षण किया गया जो सफल भी रहा, लेकिन इस परीक्षण के बाद ही अमेरिका ने भारत पर तुरन्त आर्थिक प्रतिबन्ध लगा दिया और सी टी बी टी पर हस्ताक्षर करने को मजबूर भी कर रहा है।

## 2. अनिश्चिता.

विदेशी सहायता पर अत्यधिक निर्भरता परियोजनाओ एव निर्धारित कार्यक्रमों को लागू करने में अनिश्चिता की स्थिति पैदा करती है। कभी-कभी तो सहायता विलम्ब से मिलने के कारण हानिकारक परिणाम भुगतने पडे हैं। इस अनिश्चिता के कारण हमारी योजनाओ में भी अनिश्चिता बनी रहती है। विदेशी सहायता के सम्बन्ध में हमेशा यह डर बना रहता है कि वह किसी भी समय, थोडा सा भी संकट आने पर देश से पलायन कर सकती है। इसके कारण सहायता प्राप्त करने वाले देशों की विकास योजनाए स्थगित हो जाती है। यही कारण है कि बोकारो इस्पात सयन्त्र तीसरी योजना के बजाय चौथी योजना में स्थापित हुआ।

## 3. बँधी सहायता अधिक .

विदेशी सहायता दो प्रकार की होती है एक तो मुक्त सहायता जिसका उपयोग किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। दूसरी बँधी सहायता जिसका उपयोग उसी प्रोजेक्ट के लिए किया जा सकता है जिसके लिए उसे प्रदान किया गया है। अब तक भारत को जो विदेशी सहायता मिली है उसमें बँधी सहायता का प्रतिशत अधिक है। इस प्रकार भारत के सामने एक समस्या यह है कि यद्यपि ऐसा सहायता का उपयोग हो रहा है, लेकिन यह अच्छा होता कि बँधी सहायता का अनुपात कम होता है।

## 4. नीची उपयोग दर:

भारत मे स्वीकृत विदेशी सहायता का शत प्रतिशत भाग उपयोग में नहीं लाया गया है। यह बडे ही आश्चर्य की बात है कि एक ओर तो हम अधिक से अधिक विदेशी सहायता की माग करते हैं, दूसरी ओर स्वीकृत अधिकृत सहायता का उपयोग नहीं कर पाते हैं। वर्ष 1993-94 तक कुल 135096 करोड रूपये की विदेशी सहायता अधिकृत की गयी थी। जिसमें से उस अवधि में 95220 करोड रूपये का उपयोग किया जा सका था। इस प्रकार अब तक कुल अधिकृत सहायता का केवल 71 प्रतिशत भाग ही उपयोग किया जा सका है। अत अधिकृत एव प्रयुक्त विदेशी सहायता में अन्तराल बना हुआ है। विदेशी सहायता की उपयोग दर विकासशील देशों में अनेक तत्वों पर निर्भर करती है। वर्ष 1964 में डॉ० वी के आर बी राव की अध्यक्षता में गठित समिति ने उपयोग दर तेज करने की सिफारिश की



थी। इस प्रकार 1950-51 से 1955-96 के बीच स्वीकृत विदेशी सहायता का लगभग 65 प्रतिशत ही काम में लाया गया है।

## 5. अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी का विपरीत प्रवाह तथा बढ़ता सरक्षणवाद

विदेशी सहायता जो ऋण के रूप में प्राप्त होती है, उसका कुछ समय बाद विकासशील देशों से विकसित देशों को प्रवाह होने लगता है। विश्व बैंक की सूचना के अनुसार 1986 में 109 विकासशील राष्ट्रों ने ब्याज अदायगी के रूप में दीर्घकालीन ऋणों से 30 अरब डालर से अधिक का भुगतान किया। आज दुनिया के अधिकांश राष्ट्रों में सरक्षणवाद एक आवश्यक बुराई के रूप में घुसपैठ कर चुका है। विकसित राष्ट्रों में बढ़ता सरक्षणवाद विकासशील राष्ट्रों के निर्यातों की वृद्धि के लिए गतिरोधक के रूप में बाधक सिद्ध हो रहा है। निर्यात वृद्धि के अभाव में इन राष्ट्रों को मजबूरन विकास और पुराने ऋण चुकाने के लिए अधिक ऋण का सहारा लेना पड़ता है जो एक भयावह दुष्चक्र का रूप ग्रहण कर चुका है। यह सत्य है कि बढ़ते सरक्षणवाद के कारण गरीब राष्ट्रों की निर्यात कमाई पर विपरीत असर पड़ा है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि एक तरफ इन राष्ट्रों को अपनी कर्ज-अदायगी में दिक्कतें आ रही हैं और दूसरी तरफ विकास के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता अनुभव की जाती है।

## शोधन की समस्या :

भारत के समक्ष सबसे बड़ी समस्या शोधन या ऋण सेवा का भुगतान है। ऋण सेवा से अर्थ मूलधन एवं उस पर ब्याज के भार के भुगतान से लगाया जाता है। यह भार दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है जिसके फलस्वरूप विदेशी विनिमय पर दबाव बना रहता है। प्रतिवर्ष भारी नुकसान का दबाव होने के कारण अनेक देशों से ऋण भुगतान करने की तिथि को कुछ समय के लिए स्थगित करने की प्रार्थना करनी पड़ती है या भुगतान की अवधि में वृद्धि करने के लिए अनुरोध करना पड़ता है या भुगतान की शर्तों को पुनः निर्धारित करने के लिए कहना पड़ता है।

तालिका 5 14  
ऋण शोधन सबन्धी अदायगियों

(मिलियन अमेरिकी डालर)

मद	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
विदेशी सहायता	2145	2307	2588	2798	2984
वापसी अदायगियों	1148	1244	1406	1523	1656
ब्याज अदायगियों	997	1063	1182	1275	1328
विदेशी वाणिज्यिक	2240	2665	2573	2873	3252
वापसी अदायगियों	1154	1502	1373	1639	2033
ब्याज अदायगियों	1086	1163	1200	1234	1219
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	1046	783	697	614	430
वापसी अदायगियों	877	649	459	335	13
ब्याज अदायगियों	169	134	238	279	296
अनिवासी भारतीयों की जमा राशि	1112	1282	1036	930	905
ब्याज अदायगियों	1055	1193	1240	878	745
कुल ऋण शोधन	7598	8230	8134	8093	8316
वापसी अदायगियों	4234	4588	4478	4375	4568
ब्याज अदायगियों	3364	3642	3656	3718	3748
चालू प्राप्तियों के / के रूप में	31.8	32.3	29.8	30.3	24.8

स्रोत्र आर्थिक समीक्षा, भारत सरकार 1994-95, पृष्ठ सख्या- 124

उपर्युक्त तालिका से यह प्रतीत होता है कि ऋण प्राप्त करने के परिणामस्वरूप लगातार कुल ऋण सेवा भार बढ़ती ही जा रहा है। पिछले तीन वर्षों में ऋण शोधन अदायगिया लगभग 8.2 बिलियन डालर तक होती रहीं परन्तु वर्ष 1994-95 में ये बढ़कर लगभग 10.5 बिलियन डालर तक हो जाने का अनुमान है। ऋण शोधन अनुपात (सरकारी अन्तरणों को छोड़कर चालू प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण शोधन) वर्ष 1990-91 में 31.8 प्रतिशत रहा है और यह गिरावट वर्ष 1992-93 में 30.3 प्रतिशत

से वर्ष 1993-94 मे 24 8 प्रतिशत तक विशेषकर तेज रही है। तथापि वर्ष 1994-95 में यह अनुपात बढ़ने की आशा है।

ऋण अदायगी के इस बढ़ते बोझ से तग आकर ब्राजील ने फरवरी 1987 में अपने कुल ऋणों में से 68 अरब डालर पर ब्याज न दिये जाने की घोषणा कर डाली और अर्जेंटीना, बेनेजुएला, फिलीपीन्स, जैरे, नाइजीरिया आदि राष्ट्रों ने भी निकट भविष्य में इस समस्या के उचित समाधान के अभाव मे ब्राजील के पदचिन्हो पर चलने की चेतावनी दी है। इतना ही नहीं पेरू ने तो अपने 14 अरब डालर के ऋण का भुगतान स्थगित (मोराटोरियम) कर देने की घोषणा कर दी है। विश्व के अन्य देश भी ऐसे कदम उठा सकते हैं।



6

बहुराष्ट्रीय निवासी के

सन्दर्भ में यूरोपीय

समुदाय में भारत

की संभावनाएं

# बहुराष्ट्रीय निगमों के सन्दर्भ में यूरोपीय समुदाय में भारत की संभावनाएं

विश्व व्यापार सगठन बनने के साथ ही यूरोपीय समुदाय एक बेहद मजबूत व्यापार गुट के तौर पर उभरा है। यूरोप के पन्द्रह देश सीमाओं पर अपनी बाधायें समाप्त कर अब साझा व्यापार की दिशा में चल पड़े हैं। समुदाय का गठन और तेज विस्तार आर्थिक और भू-राजनीतिक तौर एक नई विश्व व्यवस्था की ओर इशारा करता है, लेकिन यह निराशाजनक है कि भारत ने इस समुदाय को वह अपेक्षित तरजीह नहीं दी है जो दी जानी चाहिए। इसके बावजूद भारत समुदाय के एजेंडे पर वरीयता के साथ है और इसके नेता भारत के साथ रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं।

भारत ने जहाँ उदारीकरण के आधे दशक के बावजूद अब तक राज्यों के बीच व्यापार और उत्पादों की आवाजाही सुगम नहीं हो पाई है, वही यूरोप के पन्द्रह देशों ने अपनी सीमाएं गिराकर अपनी आर्थिक और विकास से जुड़ी चिंताओं को साझा कर लिया है।

भारत में कम लोग यह जानते होंगे कि वर्षों के अनगिनत सघर्षों और खून खराबे के बाद अब पश्चिम यूरोप के देश एक साथ मिलकर जिस स्वरूप में उभर रहे हैं वह दरअसल एक नई विश्व-व्यवस्था की तैयारी है। पश्चिमी यूरोप के 15 देशों के एक साथ लाने में हालांकि व्यापार और आर्थिक कारकों बुनियादी तौर 'एडहोसिव' का काम किया है पर अब यूरोपीय समुदाय की नई भू-राजनीतिक इबारतें भी पढ़ी जा रही हैं। काफी पहले से शुरू हुई यूरोपीय एकता की पहले अब जिस मुकाम पर है वहाँ 15 देशों के 37 करोड़ लोगों का समुदाय बन गया है। जिनके बीच काफी हद तक व्यापार साझा है। कुछ झगडते, कुछ पर एक राय होते, कहीं पर सहमति तो कहीं पर गहरे मतभेद, कुछ मुद्दों को लेकर उत्सुक तो कुछ मामलों पर निराशा से होते हुए पश्चिमी यूरोप की यह मात्रा यूरोपीय काउंसिल, यूरोपीय ससद, यूरोपीय न्यायालय, यूरोपीय निवेश बैंक के बाद अब पूरे यूरोप में एक मुद्दा तक आ पहुँची है। अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर विश्व व्यापार सगठन (डब्ल्यू टी ओ ) के उभार के साथ यूरोपीय समुदाय अब एक बेहद ताकतवर व्यापार गुट बन चुका है, यह सब मानते हैं। यह अलग बात है कि भारत ने इस समुदाय से रिश्ते कायम करने को अब तक हाशिये पर रखा है, बावजूद इसके अपनी आर्थिक संभावनाओं के चलते भारत यूरोपीय समुदाय के सर लियन ब्रिटेन के अनुसार भारत और हमारे बीच में साझा लोकतन्त्र को लेकर है, इसलिए हम साथ काम कर सकते हैं।

भारत के लिए यूरोपीय समुदाय के समृद्ध बाजार में पैठ बनाने की सभावनाएँ तो हैं ही इसके साथ इन देशों की एक होने की प्रक्रिया में कई नसीहतें भी छिपी हुई हैं। भारत जहाँ उदारिकरण के आधे दशक के बावजूद अब तक राज्यों के बीच व्यापार और उत्पादों की आवाजाही सुगम नहीं हो पाई है वहीं यूरोप के 15 देशों ने अपनी सीमाएँ गिराकर अपनी आर्थिक और विकास से जुड़ी चिंताओं को साझा कर लिया है। इन देशों की सीमाएँ अब न लोगों को रोकती हैं और न व्यापार को, यूरोप की एकता इस तथ्य की रोशनी में और अहम हो जाती है कि ये देश दूसरे विश्व युद्ध तक एक दूसरे के खिलाफ कूटनीतियों, षडयन्त्रों और सामारिक प्रतिस्पर्धा में लगे थे। इस मामले में यह एक अभिनव प्रयोग हो जाता है जिसमें इन देशों के लोग कुछ मामले में बिल्कुल एक ढंग से सोचने लगे हैं। इधर भारत जिसकी एक राष्ट्र के तौर पर एक सीमा है वहीं आर्थिक विकास के मामले में राज्यों के क्षेत्र भी एक ढंग से नहीं सोच पाते। यूरोप की एकता की जरूरत दर असल दूसरे विश्व युद्ध के खून-खराबे के दौरान ही महसूस की गई थी। पर तब तक यह एक वैचारिक आदर्श से ज्यादा कुछ नहीं थी। यूरोपीय देशों की राष्ट्रीय अस्मिता के गहरे आग्रह तब सिर चढ़ बोल रहे थे और उस दौर में यह कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि यूरोप के देश अपनी दीवारें गिराकर इस हद तक एक हो जायेंगे कि उनके बीच एक मुद्दा चलाने की तैयारी होगी। यूरोपीय एकता की शुरुआत 'शूमैन प्लान' से मानी जा सकती है। जिसके मूल में इटली के संघवादी एल्टियेरो स्पिनेली और जॉन मापेट थे। यह शूमैन प्लान ही था जिसके आधार पर 1951 में यूरोपियन कोयला और इस्पात समुदाय की नींव पड़ी। यूरोप में इस समुदाय से साझा जरूरतें महसूस करने और कुछ मामलों में मिलकर कदम उठाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी जो 1957 में यूरोपीय आणविक ऊर्जा समुदाय यूरोटाम और 1958 में रोम में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की संधि से गुजरकर 1986 में एकल यूरोपियन अधिनियम तक आई।

एकता की इस प्रक्रिया का शिखर या 1922 की मास्ट्रिख संधि, जिसके जरिये यूरोपीय समुदाय की एक सवैधानिक आधार मिला है और पश्चिमी यूरोप के सत्रह राष्ट्र मजबूती के साथ एक झंडे के तले आ गए। आज इस समुदाय ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, नीदरलैंड, डेनमार्क, लक्जमबर्ग, आयरलैंड, ग्रीस, आस्ट्रिया, फिनलैंड, स्वीडन और बेल्जियम कुल 15 देश हैं। यूरोपियन कोयला और इस्पात समुदाय से मास्ट्रिख संधि के बीच का इतिहास दरअसल असहमति दर असहमति और सहमति का है। जैसे 1957 में फ्रांस की राष्ट्रीय असेम्बली ने यूरोपीय रक्षा समुदाय का प्रस्ताव नकार दिया, तो श्रमिकों, उत्पादों और सेवाओं की मुक्त आवाज ही पर केन्द्रित यूरोपीय आर्थिक समुदाय बनाने की तैयारी की गई। छठे दशक के अन्त तक यूरोपीय देशों के बीच निर्मित सामानों पर सीमा शुल्क काफी हद तक समाप्त कर दिये गये थे। कृषि व वाणिज्यिक मामलों पर

काफी हद तक एक जैसी नीतिया आकार लेने लगी थी। बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लक्जमबर्ग, और नीदरलैण्ड इन छह देशों की सदस्यता वाले इस आर्थिक समुदाय में, लम्बी और जटिल विचार विमर्श व जनरल द गाल के दो बार बीटो के बाद 1973 में डेनमार्क, आयरलैण्ड, और यूनाइटेड किंगडम शामिल हुए।

1970 में अमेरिका ने जब डालर की परिवर्तनीयता निरस्त कर दी और 1973 व 1979 में विश्व में दो बार तेल सकट का सामना किया, तब यूरोप के देशों में अपने आर्थिक हितों को लेकर एकजुटता दिखाई दी और इसके नतीजे के तौर पर 1979 में यूरोपीय मौद्रिक समुदाय का गठन हुआ। 1981 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय में ग्रीस और 1986 में स्पेन व पुर्तगाल शामिल हुए। 12 देशों का यह सघ बनने के बाद 1992 में एक यूरोपीय समुदाय का गठन हुआ तथा मास्ट्रिख संधि के जरिये इसका सविधान और सस्थाए तय की गई। 1994 में माराकेस में गैट संधि के बाद यूरोपीय समुदाय एक मजबूत व्यापार गुट के तौर पर उभरा और 1995 में आस्ट्रिया फिनलैंड और स्वीडन ने इसमें शामिल होकर इसकी ताकत और बढ़ा दी।

स्पेन और पुर्तगाल जिस रास्ते से गुजरकर यूरोपीय समुदाय में शामिल हुए वह रास्ता किसी को भी सीख दे सकता है। यूरोप को विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में पिछड़े माने जाने वाले इन देशों ने जिस तेजी के साथ खुद को विकसित देशों की पात में शामिल किया, वह आश्चर्यजनक है। स्पेन और पुर्तगाल ने अपना आर्थिक ढाँचा इसलिए सुधारा क्योंकि उन्हें समुदाय में शामिल होने के बाद मिलने वाले लाभ दिख रहे थे। ये लाभ निवेश में बढोत्तरी, भारी व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हितों का सामूहिक संरक्षण थे। पुर्तगाल 1986 में यूरोपीय समुदाय का सदस्य बना और 1984 में इस देश में मुद्रास्फीति की दर थोड़ी नहीं 30 फीसदी थी। 1990 तक पुर्तगाल इसे घटाकर 12 फीसदी पर और अब पिछले साल इसे 3.1 फीसदी पर ले आया है। दस सालों में यह प्रगति चौंकाने वाली है। विकास की दौड़ में शामिल होने का लाभ इन देशों को विदेश निवेश में व्यापक बढोत्तरी से मिला है।

मास्ट्रिख संधि को यूरोपीय समुदाय का 'लाचिंग पैड' माना जाता है क्योंकि इसके बाद समुदाय ने जिस तेजी के साथ इस एकजुटता को सस्थागत आधार देना शुरू किया, उल्लेखनीय है। हालांकि यूरोपीय ससद और यूरोपीय आयोग पुरानी सस्थाए है पर मास्ट्रिख संधि के बाद इनकी भूमिका और इनके काम काफी अहम् हो गये है। 626 सदस्यों वाली यूरोपीय ससद ने इस समय

जर्मनी के पास 99, फ्रांस, इटली और यूके प्रत्येक के पास 87, स्पेन के पास 64, नीदरलैंड के पास 31, बेल्जियम पुर्तगाल व ग्रीस के प्रत्येक के पास 25, स्वीडन के पास 22, आस्ट्रिया के पास 21 डेनमार्क और फिनलैंड प्रत्येक के पास 16, आयरलैंड के पास 15 और लक्जमबर्ग के पास 6 सीटें हैं। सीधे चुने हुए सदस्यों की यह संख्या विधायी प्रक्रिया में शामिल होने के साथ, यूरोपीय समुदाय के कामकाज पर नजर रखती है। इसके मुख्य सत्र स्ट्रासबर्ग में आयोजित होते हैं।

इधर यूरोपीय आयोग जिसे यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोटॉम को मिलाकर गठित किया गया था आज समुदाय की केन्द्रीय नीति निर्माण संस्थाओं में है। इससे फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और यूके के दो-दो सदस्यों के अलावा अन्य देशों के एक-एक सदस्य अर्थात् कुल मिलाकर 20 सदस्य हैं तीसरी प्रमुख संस्था यूरोपीय समुदाय परिषद है जिसे समुदाय की मंत्रिपरिषद माना जा सकता है। इसकी बैठकें ब्रुसेल्स और लक्जमबर्ग में होती हैं इसके अलावा यूरोपीय कोर्ट ऑफ आडिटर्स, कोर्ट ऑफ जस्टिस और 222 सदस्यों वाली आर्थिक व सामाजिक समिति है जिसकी राय लेना अनिवार्य है। यूरोपीय निवेश बैंक का गठन यूरोपीय समुदाय की वित्त पोषण संस्था के तौर पर किया गया है। समुदाय की सबसे नयी संस्था ऑफ रीजस है। जिसमें 222 सदस्य हैं।

मास्ट्रिख संधि के बाद से यूरोपीय समुदाय ने अपने फैसलों के लिये एक समय सीमा का सख्ती से पालन किया है। इसलिये निर्णय काफी तेजी से हुए हैं। इसलिये अब इस बात पर जोर दिया जाने लगा है कि यदि अधिकांश देश सहमत हैं तो किसी एक देश के लिये फैसले को टाला नहीं जाना चाहिए। यूरोपीय परिषद के 87 सदस्य वोटों में बड़ी संख्या जर्मनी, फ्रांस, इटली और यूनाइटेड किंगडम के पास हैं। आयोग के अधिकारी ने कहा कि जब हम अगले दस सालों में 20 नये सदस्य शामिल करने का विचार कर रहे हैं तब हमें एक रास्ता तो चुनना ही होगा, या तो आगे बढ़ने के लिये निर्णय किया जाय या फिर किसी एक देश की समस्याओं के चलते निर्णय कर यूरोपीय समुदाय को उसके हाल पर छोड़ दिया जाये।

इस तरह की घटना के साथ यह देखना होगा कि 1 जनवरी 1999 से पूरे यूरोपीय समुदाय में एक मुद्रा का प्रचलन की महत्वाकांक्षी योजना पर काम शुरू हो सकेगा और क्या देश इस मुद्रा 'यूरो' के लिये अपने पाउंड, फ्रैंक, मार्क आदि को छोड़ने पर राजी हो जायेगा। योजना के तहत 1 जनवरी 1999 तक यूरोपीय कामर्शियल बैंक (ई सी बी) और यूरोपियन सिस्टम आफ सेंट्रल बैंक (ई एस सी बी) तैयार हो जायेंगे और यूरो नोट व सिक्के जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।



उपरोक्त तारीख से ही यूरोपीय परिषद इस व्यवस्था में भागीदारी करने वाले देशों की मुद्रा की विनिमय दर तय करेगी। यूरोपीय समुदाय जिस योजना पर काम कर रहा है उसके तहत 1 जनवरी 2002 तक सदस्य देशों की मुद्रायें पूरी तरह यूरो से बदल जानी हैं। यूरोपीय समुदाय के कार्यालय एक जटिल प्रक्रिया के तहत सदस्य देशों की मुद्राओं को यूरो में बदलने की गणित लगा रहे हैं। एकल मुद्रा पर अभी मतभेद, कायम है खासतौर पर ब्रिटेन की ओर से, पर जिस तरह समुदाय ने एक के बाद एक निर्णय लिये हैं। उससे लगता है कि इसको भी लागू कर लिया जायेगा। यूरोपियन इंप्लायर्स फेडरेशन के महासचिव जिगमाट टेस्केवेज कहते हैं कि 'अब पूर्ण परिवर्तनीयता वाली' मुद्राओं से काम नहीं चलेगा, हमें एकल मुद्रा की ओर बढ़ना होगा।

आखिर यूरोप में एकल मुद्रा की जरूरत इतनी शिद्दत के साथ क्यों महसूस की जा रही है। इसकी सीधी वजह यूरोप के देशों का छोटा आकार है। यूरोप की यात्रा पर निकलने वाले एक यात्री को विभिन्न देशों में जाने के लिये कई मुद्राएँ अपनी जेब में रखनी पडती हैं और विभिन्न देशों में विनिमय दरों का फर्क और कमीशन आदि के चलते यात्री की एक बड़ी राशि इसी कमीशन आदि में निकल जाती है।

यूरोपीय समुदाय के अधिकारी एक उदाहरण देते हैं कि यदि कोई 100 डालर लेकर यूरोप की यात्रा पर निकलें तो पूरी यात्रा के बाद उसके 50 डालर तो कमीशन आदि में निकल जाते हैं। इधर व्यापारियों के नजरियें से एकल यूरोपीय मुद्रा यूरोप की अन्य मुद्राओं के मुकाबले काफी स्थिर होगी, जिससे निर्यातकों और आयातकों को लाभ होगा। इसलिए यूरो जारी करने की आवश्यकता को यूरोप में समर्थन मिल रहा है।

यूरोपीय समुदाय में पिछले कुछ साल 'मे हुए बदलावों से वहाँ के आम लोगो को यह बात तो समझ आने लगी है कि एकजुटता की ये कोशिशें अतत उनके लाभ के लिए ही है। सरकारें अपने उद्योगो को सरक्षण देरही है, उनके लिए बाजार तलाश कर रही है जिससे उनके लिए समृद्धि आएगी। यूरोपीय समुदाय की नागरिकता के लाभ भी लोगों को समझ आ रहे है। समुदाय के नागरिक को समुदाय के भीतर कहीं भी जाने, काम करने और कराने की छूट होगी और देश के बाहर जाने पर समुदाय उन्हें राजनायिक सरक्षण देगा। इसके अलावा नागरिकों के अलावा सामाजिक सुरक्षा के तमाम प्रावधान है अर्थात एक तरह से अब स्वीडन जर्मनी या फ्रांस नहीं पूरा यूरोप उनका घर होगा जिसमें उनकी समृद्धि की तमाम संभावनाएँ निहित होगी। इसलिए ही टेस्केवेज कहते हैं कि 'एक बाजार से देशों के भीतर प्रतिस्पर्धा बढेगी' और व्यापार जगत सक्रिय होगा इसका परिणाम स्वरूप अधिक

रोजगार और अधिक समृद्धि आएगी। यूरोपीय समुदाय के सदस्य देशों के आम लोग यह मानते हैं कि पहले झगड़े रहे होंगे, लेकिन अब उन्हें भूल जाने की जरूरत है क्योंकि नये तरह की चुनौतियाँ हमारे सामने हैं और उनका सामना मिलकर करना है।

भारत, यूरोपीय समुदाय के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यूरोपीय समुदाय चीन के बाद अब भारत पर निगाहें जमा रहा है। कम्पनियों यहाँ निवेश के इच्छुक हैं वे भारत से व्यापार बढ़ाना चाहती हैं। पर स्थिति यह है अब तक भारत की ओर से यूरोपीय समुदाय के कार्यालयों का कोई सरकारी दौरा नहीं किया गया है। फ्रांस के विदेश मंत्री चार्ल्स मिलान ने कहा कि उन्होंने पिछले कुछ समय में भारत से द्विपक्षीय बातचीत के तीन प्रस्ताव भेजे पर उन पर भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वे कहते हैं कि भारत उदासीकरण कर रहा है हम बात करना चाहते हैं, और एक दूसरे को समझना चाहते हैं वहाँ के अधिकारी भारत के भू राजनीतिक महत्व को स्वीकार करते हैं।

लक्जमबर्ग के प्रधानमंत्री जीन क्लॉड बेकर ने कहा कि शीत युद्ध के बाद भारत की भूमिका और स्थिति महत्वपूर्ण हो गई है, लेकिन हमें भारत और एशिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। यूरोपीय समुदाय के नेता भारत को एक सभावनाओं भरा देश पाते हैं और भारत से रिश्ते मजबूत करने के पक्ष में हैं, लेकिन भारतीय पक्ष की ओर से सूचनाओं का प्रवाह बेहद सुस्त है। यह यूरोपीय समुदाय के देशों में भारतीय दूतावासों के कामकाज से देखा जा सकता है। भारत की ओर से सूचनाओं की कमी का शिकायत हर जगह मिलती है। इन देशों में भारत के प्रचार-प्रसार का जो भी काम दिखा है, वह निजी कम्पनियों के सगठनों और भारतीय चैम्बरों का है। यूरोपीय संसद के सदस्य राबर्ट इवास ने कहा कि 'भारत' को अभी दक्षिण एशियाई देशों के साथ रखकर देखा जा रहा है लेकिन सार्क देशों में भारत एक विशाल अर्थव्यवस्था है और रणनीतिक तौर पर भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ब्रिटेन के अलावा समुदाय के अन्य देशों से भारत का द्विपक्षीय संचार काफी कमजोर है।

1990 से 1995 के बीच यूरोपीय समुदाय को भारत को निर्यात बढ़ा है पर इसमें निजी निर्माताओं के प्रयास से ज्यादा है। हालांकि भारत और यूरोपीय समुदाय एक दूसरे को सर्वाधिक वरीयता वाले देश का दर्जा दे चुके हैं और यूरोपीय समुदाय अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 1993 में दोनों देशों के बीच व्यापार 47,381 3 करोड़ रुपये था। इधर यूरोपीय समुदाय के बाजार में भारत का हिस्सा जो 1990 में 0.98 फीसदी था वह 1995 में बढ़कर 1.43 फीसदी पर पहुँच गया है, लेकिन इसके बावजूद भारत को इस उमरते हुए व्यापार गुट में अपेक्षित रुचि अभी लेनी है। यूरोपीय समुदाय भारत में गैर व्यापार क्षेत्रों में भी सक्रिय है। समुदाय यहाँ

सरकार के बजाय सीधे स्वयं सेवी सस्थाओं को सहायता दे रहा है। कुछ राज्यों में इसकी सहायता से कल्याणकारी कार्यक्रम भी चल रहे हैं। यूरोपीय समुदाय ने देश में प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण का एक कार्यक्रम शुरू किया है। समुदाय विभिन्न शहरों में स्थानीय निकायों के साथ सीधे सहयोग स्थापित कर रहा है और साथ ही ग्रामीण विकास, कृषि और प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों को सहयोग दे रहा है, लेकिन इन सबमें समुदाय ने स्वयं सेवी सस्थाओं को तरजीह दी है।

एकल यूरोपीय मुद्रा को लागू करने की ओर बढ़ रहे समुदाय की ज्यादातर ऊर्जा इस समय अपने भीतरी झगड़े निबटाने में खर्च हो रही है। ब्रिटेन की ओर इस एकल मुद्रा का विरोध है तो कुछ देशों को यह डर है कि समुदाय के विस्तार के बाद जब पूर्वी यूरोप के देश इसमें शामिल हो जायेंगे तब समुदाय का नियंत्रण केन्द्र पश्चिम से पूर्व की ओर खिसक जायेगा। यूरोपीय समुदाय ने 2010 तक सदस्यों की संख्या 28 करने का लक्ष्य रखा है इसलिए सभी देशों की निगाहें अगले माह एक्सटर्डम में होने वाली समुदाय की बैठक पर लगी है।

यूरोपीय समुदाय में भीतरी विवाद मौजूद है कुछ व्यापक असहमतियाँ भी हैं, लेकिन इसके बाद भी जिस तरह से पिछले सालों में इन्हें हल किया गया है, उससे उनके सुलझने को लेकर उम्मीदें भी हैं। इस बात से अब कोई इकार नहीं करता कि यूरोपीय समुदाय इस समय विश्व के सबसे ताकतवर व्यापार गुटों में एक है और अब जबकि नाटों की कमान भी यूरोप को देने की माग उठने लगी हो तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस समुदाय का महत्व और बढ़ जाता है। विश्व की राजनीति से जिस तरह के सकेत मिल रहे हैं, वे एक नई विश्व व्यवस्था के हैं। जो आर्थिक और व्यापारिक धुरी पर केन्द्रित होगी। जाहिर है इस व्यवस्था में भारत को भी अपनी जगह बनानी है इसलिए भारत के नेताओं को यह सोचना होगा कि यूरोपीय समुदाय के साथ ठड़े रिश्ते आने वाले वर्षों में मुक्त अर्थव्यवस्था के बीच खड़े होने में दिक्कत पेश करेंगे। क्योंकि अब यूरोपीय समुदाय पश्चिम से निवेश के प्रवाह का एक प्रमुख केन्द्र होने वाला है।

वर्ष 1995-96 में इस क्षेत्र को भारत के कुल निर्यात का 32.86 प्रतिशत निर्यात और कुल आयात का 34.99 प्रतिशत आयात इस क्षेत्र के देशों के साथ हुआ।<sup>2</sup> इस क्षेत्र के अन्तर्गत यूरोपीय संघ बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लक्जेंबर्ग, नीदरलैंड, ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल और यूरोपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र- आस्ट्रिया, फिनलैंड, नार्वे, स्वीडन, स्विटजरलैंड, आइसलैंड, लिचेनस्टेन के देशों के अलावा तुर्की, माल्टा तथा साइप्रस शामिल हैं। पश्चिम यूरोप को भारत के

निर्यात का प्रमुख हिस्सा मात्र 8 देशों को होता है, ये हैं- जर्मनी, ब्रिटेन, बेल्जियम, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन और स्विटजरलैंड। इस प्रकार इस क्षेत्र के अधिकांश बाजारों की सम्भावनाओं को अभी तलाशा नहीं गया है। भारत से पश्चिमी यूरोप को कृषि और समुद्री उत्पादों के अलावा कपड़ा, यार्न, फ़ैब्रिकेश, सिले-सिलाए वस्त्र, चमड़ा और चमड़े से बनी वस्तुएँ, रत्न तथा आभूषण, गलीचे, इजीनियरी सामान आदि का निर्यात किया जाता है। इस क्षेत्र से भारत में सामान्यतः तैयार माल विशेषकर सयन्त्र तथा मशीनें, रसायन, इस्पात और परिवहन उपकरणों का आयात होता है।

भूतपूर्व पूर्वी यूरोप के 15 देशों के साथ व्यापार वर्ष 1994-95 में 374 71 मिलियन डालर से बढ़कर वर्ष 1995-96 में 655 89 मिलियन डालर तक पहुँच गया। इस प्रकार इन देशों के साथ व्यापार में 75 04 प्रतिशत वृद्धि हुई। इसी अवधि में इन देशों को भारत से निर्यात में 28.57 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई और यह 156 11 मिलियन डालर से बढ़कर 200 72 मिलियन डालर हो गया।

आयात में 108.22 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई और यह 218 60 मिलियन डालर से बढ़कर 455 17 मिलियन डालर हो गया। स्वतन्त्र देशों के राष्ट्रकुल और मध्य तथा पूर्वी यूरोप के देशों के साथ भारत के सम्बन्ध 1995-96 के दौरान और मजबूत हुए। भारत के इन सभी देशों के साथ परस्पर विश्वास पर टिके मैत्री तथा सहयोगपूर्ण सम्बन्ध हैं। भारत का प्रयास रहा है कि पुराने सम्बन्धों के सकारात्मक पक्षों को चलाए रखते हुए सक्रिय तथा प्रगतिशील तरीकों से इन्हें आवश्यकतानुसार नया रूप दिया जाए। इन देशों में लोकतन्त्र, राजनैतिक बहुलता और निजी उद्यमों को ज्यादा स्वतन्त्रता और पहल का ज्यादा मौका देने का जो नया माहौल बना है, वैसे ही परिवर्तन तथा बुनियादी दृष्टिकोण में बदलाव भारत में भी आए हैं।

परिणामस्वरूप, उन देशों के साथ मित्रता की परम्परा को आगे बढ़ाते हुए ऐसे प्रयास किए गए हैं। इन देशों ने भारत के उभरते बाजार के महत्त्व को समझा है और इस बाजार द्वारा उपलब्ध अवसरों का पूरा लाभ उठाते हुए परस्पर सस्थागत ढाँचे तथा व्यापारिक सम्बन्धों को मजबूत बनाने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। स्वतन्त्र देशों के राष्ट्रकुल, मध्य तथा पूर्वी यूरोप में युग परिवर्तन के इस दौर में, भारत तथा इन देशों ने परम्परागत मैत्री और सामाजिक परिवर्तनों के बीच पूरे विवेक के साथ सामंजस्य कायम किया है।

रूसी परिसंघ के साथ भारत के सम्बन्ध विविध क्षेत्रों में सतोषजनक रूप से घनिष्ठतर होते गए। 8 से 10 मई 1995 के दौरान मास्को में हुए 'यूरोप में विजय दिवस' समारोहों में भारत के

विदेश मंत्री शामिल हुए। इसके बाद रूसी उप प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 64 सदस्यों का प्रतिनिधिमण्डल इसमें हिस्सा लेने भारत आया। व्यापार तथा आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक सहयोग, प्रतिबन्धित वस्तुओं तथा मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए दोनों देशों के बीच अक्टूबर 1995 में समझौता हुआ। क्रोएशिया, स्लोवाक, रोमानिया, आर्मेनिया, बुल्गारिया आदि देशों के बीच विभिन्न प्रकार के समझौते हुए।

पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ भारत के सम्बन्ध घनिष्ठतर हुए। शीतयुद्ध के युग की समाप्ति और पश्चिमी यूरोपीय देशों के यूरोपीय सघ के साथ बढ़ते राजनैतिक और आर्थिक सामंजस्य और भारत की बाह्य परिस्थितियों से सम्बन्धों का नया परिप्रेक्ष्य विकसित हुआ जो परस्पर हितों की निरंतरता पर आधारित था। 1 जनवरी 1995 के आस्ट्रिया, स्वीडन, और फिनलैंड के यूरोपीय सघ में शामिल होने से इसकी सदस्य संख्या बढ़कर 15 हो गई।<sup>9</sup> यूरोपीय सघ बढ़ते हुए राजनैतिक तथा आर्थिक प्रभाव को देखते हुए भारत के सघ के साथ सम्बन्ध और भी महत्वपूर्ण हो गए। भारत के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर यूरोपीय सघ के देशों में भारत के दृष्टिकोण के प्रति समझ विकसित करने के निरन्तर प्रयास किए गए। भारत में आर्थिक उदारीकरण के साथ पश्चिमी यूरोप के सम्बन्धों के विस्तार और विकास के लिए विशेष प्रयास किए गए। उदारीकरण के प्रारम्भ से सितम्बर 1995 तक भारत में पश्चिमी यूरोपीय देशों का विदेशी निवेश, कुल विदेशी निवेश का 30 प्रतिशत हो गया।

इनमें से ब्रिटेन, स्विटजरलैंड, जर्मनी और इटली भारत में सबसे ज्यादा, निवेश करने वाले देशों में थे। पश्चिम यूरोपीय देश भारत को बड़ी मात्रा में विकास सहायता और टेक्नोलाजी देते रहे और 'भारत' के साथ मिलकर सयुक्त उद्यमों में पूंजी लगाते रहे। भारत और ब्रिटेन के आपसी विश्वास पर आधारित सम्बन्ध घनिष्ठतर हुए। दोनों देशों के उच्च स्तर के नेताओं ने एक-दूसरे देशों की यात्राएँ कीं। दूसरे विश्व युद्ध में विजय-दिवस स्मृति समारोहों में भाग लेने भारत के विदेश मंत्री मई 1995 में ब्रिटेन गए। समझौते के अनुसार पिछले दो वर्षों में व्यापार में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई, आपसी सहयोग के 350 कार्यक्रमों पर सहमति हुई और 1992 की तुलना में भारत में ब्रिटिश निवेश दस गुना हो गया।

यूरोपीय समुदाय में व्यापार बढ़ाने के दृष्टिकोण से भारत और जर्मनी के मध्य दोहरे कराधान

रॉकने तथा आर्थिक सहयोग के समझौते हुए। इसके अलावा इटली, आयरलैंड, पुर्तगाल, स्वीडन, बेल्जियम, लक्जेंम बर्ग आदि देशों व्यापार सम्बन्धी विभिन्न प्रकार के समझौते हुए।

यूरोपीय सघ के साथ व्यापार में वृद्धि की दर पूरी तरह सतोषनजक रही। इस वर्ष भी यूरोप भारत का प्रमुख निवेश सहयोगी और टेक्नोलाजी का महत्वपूर्ण स्रोत बना रहा। भारत और यूरोपीय सघ के देशों के बीच आर्थिक सम्बन्ध काफी मजबूत हुए। जेनेवा में विश्व व्यापार सगठन (डब्ल्यू टी ओ ) के मुख्यालय में उस वक्त रात के दो बज रहे थे। तिमजली बिलियम रैपर्ड बिल्डिंग के केन्द्रीय कक्ष में भारी हलचल थी, दरअसल वहाँ 70 देशों के प्रतिनिधि वित्तीय सुधारों के मुद्दे पर अपने मतभेद सुलझाने में व्यस्त थे। अमेरिकी प्रतिनिधि मलेशिया की घेराबन्दी कर रहा था कि वह अपने बाजार में उसकी पहुँच और आसान बनाए तो दूसरी ओर तमाम प्रतिनिधि मिलान कर रहे थे कि किसे कितनी रियायत मिली, टूटती उम्मीदों, बहती धडकनों के माहौल में तीन भारतीय प्रतिनिधियों के चेहरो पर हवाइया उड़ रही थी। गैट के स्थान पर विश्व व्यापार सगठन (डब्ल्यू टी ओ ) ने 1 जनवरी 1995 से कार्य करना आरम्भ किया।<sup>4</sup> इससे वैश्विक उदारीकरण की प्रक्रिया आरम्भ हुई। जेनेवा में भारत के राजदूत श्रीनिवास नारायणन, वित्त मंत्रालय में सयुक्त सचिव सतोष कुमार और भारतीय रिजर्व बैंक के अतिरिक्त मुख्य महाप्रबन्धक श्यामला गोपीनाथ फिर भी ज्यादा दबाव नहीं महसूस कर रहे थे। देश में जारी राजनैतिक अस्थिरता उनके लिए फायदेमद साबित हुई क्योंकि अमेरिका, यूरोपीय सघ और जापान जैसी महाशक्तियों ने सुधार की जरूरत पर जोर दिया। पर ज्यादा दबाव नहीं डाला। बाजार पर कब्जे का बढ़ता दबाव कारण यह है कि भारत ने और ज्यादा विदेशी बैंकों के लिए दरवाजे खोले, मगर बड़े देश बीमा के क्षेत्र में घुसने को आतुर जिनका तीखा राजनैतिक विरोध होने की सभावना है।

भारत ने भी सम्मेलन में अपनी बात रखी और 1995 में की गयी अपनी पेशकश में कुछ और बातें जोड़ी पहले उसने हर साल आठ विदेशी बैंकों को शाखाएँ खोलने की अनुमति देने की बात मानी थी अब वह 12 को अनुमति देगा यानी भारत में विदेशी बैंकों का कारोबार बढ़ेगा। मात्र 1995 में 27 विदेशी बैंक देश में कारोबार कर रहे थे।

आज 42 विदेशी बैंकों के 183 शाखाएँ चल रही हैं। बैंक आफ न्यूयार्क, यूनिन बैंक आफ कैलिफोर्निया, दाइ इची काग्यो बैंक आफ जापान और जर्मनी के बी एच एफ बैंक समेत 26 अन्य बैंकों ने यहाँ प्रतिनिधि कार्यालय खोले हैं, यानी और कई बैंक इधर आँखे लगाए हैं।

4 त्रिपाठी, डॉ बट्टी विशाल भारतीय अर्थव्यवस्था (षष्ठम संस्करण), 1991, पृष्ठ संख्या-458

भारत अब विशेषाधिकार प्राप्त 'देश' वाला वर्गीकरण ही खत्म कर रहा है। पहले वह तय कर सकता था कि अपना बाजार किसके लिए खोलें। अब सभी का दर्जा एक सा हो जायेगा। पुनर्बीमा नीति में भी अतत बदलाव हो ही गया। दो साल पहले अतरिम वित्तीय सेवा समझौते पर दस्तखत करते समय भारत ने कहा था कि स्थानीय बीमा कम्पनियों पुनर्बीमा के अपने कारोबार का 10 फीसदी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ कर सकेंगी। यह न्यूनतम सीमा अब हटा ली जाएगी फिर भी सामान्य बीमा के बारे में कोई वादा नहीं किया गया है।

रियायतें भले नाममात्र की हों पर उनको लेकर देश में राजनैतिक हगामा मचा हुआ है भाजपा ने जहाँ यह कहा है कि "एक लुजपुज सरकार को विश्व व्यापार सगठन के एक और समझौते को मजूर करने का अधिकार नहीं। वही माकपा पोलित ब्यूरो का कहना है कि सयुक्त मोर्चा सरकार ने भारत को अतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार की दया पर छोड़ दिया है।" मलेशिया, भारत और ब्राजील को अपना बीमा बाजार भी दूसरों के लिए खोलने को कहा गया है।

"अगर हम समझौते में शरीक न होते तो पूरी दुनिया में हमारा मजाक बनता। जो भी श्रेष्ठतम पेशकश हो सकती थी, हमने की" - पी पी प्रभु, वाणिज्य सचिव। असल चिन्ता यह है कि समझौते से हमें कितना कुछ हासिल होने वाला है। समझौते का पालन करने से सुधारों के प्रति हमारी विश्वसनीयता तो बढ़ेगी मगर विदेशी बैंकों की शाखाएँ खुलने का यह मतलब नहीं कि बड़े पैमाने पर रकम यहाँ आने लगेगी। ये बैंक अपने देश में कर्ज बाँटने के मकसद से यहाँ पैसे उगाहेंगे और प्रतियोगिता बढ़ेगी (बाजार का 85 फीसदी लेन-देन देसी बैंकों के पास ही रहेगा)।

इससे लाभ तो बहुराष्ट्रीय बैंकों को होगा जहाँ तक किए गए वादों पर अमल का सवाल है तो हम पिछले दो साल में हर वर्ष 15 बैंकों को भी यही शाखाएँ खोलने की अनुमति दे सकते थे पर इसकी सख्या फिर तुरत-फुरत 11 नहीं की जा सकती थी। पर यह विकसित देशों की अपेक्षाएँ तो लम्बी-चौड़ी है, बीमा क्षेत्र में विदेशी फर्मों को प्रवेश दो, विदेशी बैंकों की शाखाओं को सीमित न करो। शेयरों की खरीद-फरोख्त सभी गैर बैंकिंग वित्तीय सेवाओं में विदेशी भागीदारी 51 फीसदी तक बढ़ाओ और विदेशी बैंकों के लेन-देन में हिस्सेदारी 15 फीसदी तक ही सीमित न करें।

यह एजेन्डा थोपने की भी हरसभव कोशिश हो रही है वर्ष 1995 में विकासशील देशों के सन्तोषजनक रियायतों की पेशकश न करने पर विश्व व्यापार सगठन (डब्ल्यू टी ओ.) में अमेरिकी प्रतिनिधि बीच वार्ता से उठकर चले गये थे। इस बार आर्थिक मदी की भार झेल रहे दक्षिण पूर्व

एशियाई देश झुक गए, तकनीकी रूप से थाईलैण्ड, मलेशिया और भारत के बैंक विकसित देश में अपनी शाखाएं खोल सकते हैं पर उनके पास इतनी पूंजी कहीं है। विकासशील देश तो वित्तीय सेवाओं के आयातक भर है। हमें आकलन करना चाहिए कि यह सेवा क्षेत्र में प्रतियोगिता को बढ़ावा देने और अपनी क्षमताएं विकसित करने में किस हद तक उपयोगी होगी। दूसरे विकसित देशों की तरह हमारे लिए भी चिन्ता की कोई वजहें है हमारा 20 फीसदी निर्यात अमेरिका को और 10 फीसदी से कम जापान को होता है। बाजार खोलने के मामले पर नई सरकार ने अड़ियल रवैया अपनाया तो उसकी फौरन प्रतिक्रिया हो सकती है दूसरी ओर मुरझाई अर्थव्यवस्था को सौंचने के लिए हमें विदेशी रकम की भी दरकार है, आधारभूत ढाँचे के क्षेत्र में मौजूदा जरूरतों को देखते हुए सड़को, बन्दरगाहों और बिजली परियोजनाओं के लिए करीब 150 अरब डालर (5,70,000) चाहिए।

संभव है बाजार खोलना हमारे लिए अपरिहार्य हो जाए, पर इस दृष्टि से हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों ने फटाफट अपने व्यापारिक प्रतिबन्ध हटाकर बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश तो आकर्षित कर लिया पर इस प्रक्रिया में वित्तीय क्षेत्र में कई खामियां रह जाने से आज वे मुश्किल में है हमारी प्रणाली की भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। अनुपयोगी संपत्तियों के संग्रह के मामले में सरकारी बैंक आज भी निजी बैंकों से काफी आगे हैं। लाभ कमाने के पीछे आज उनका खजाना भरा है पर वे जोखिम नहीं उठाना चाहते। उनके प्रमुखों ने हालांकि मितव्ययिता की बात पर जोर दिया है पर फिर भी वे मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं। किसी अंतर्राष्ट्रीय फोरम के दबाव डालने से अच्छा है कि हम खुद ही सुधारों के लिए अपनी एक कार्यसूची तैयार कर लें इसमें कोई शक नहीं कि हमारी वित्तीय प्रणाली में काफी शिथिलता आ गई है।

### **यूरो: डालर के समक्ष नई चुनौती :**

ग्यारह यूरोपीय देशों ने नयी मुद्रा यूरो को अपनाकर जहाँ एक ओर हार्ड करेंसी के रूप में स्थापित डालर को चुनौती दे डाली वहीं भारत सरीखे विकासशील देशों के लिए यह राहत का पैगाम भी है। आस्ट्रिया, इटली, बेल्जियम, फिनलैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, आयर लैण्ड, लक्जमबर्ग, नीदर लैण्ड, पुर्तगाल तथा स्पेन विश्व में ऐसे देश हैं जो व्यापार के मामले में अमेरिका, जापान जैसी ताकत रखते है और इनके ऐसे कदम से निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में नयी परिस्थितियाँ तथा कठोर प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होने के साथ-साथ अमेरिका की चौधराहत में भी कमी आयेगी। यूरो की इस दमदार शुरुआत से जहाँ एक ओर डालर की मनमानी पर अंकुश लगेगा वहीं गरीब मुल्कों से निर्यात



की सभावनाए उज्ज्वल होगी।

भारत जैसे विकासशील देशों का अच्छा खासा व्यापार इन ग्यारह देशों से होता आया है, लेकिन परोक्ष लाभ सारा का सारा अमेरिका उठाता रहा है। यह अलग बात है कि भारत का व्यापार अमेरिका, जापान तथा रूस से काफी होता है, लेकिन यूरो के अस्तित्व में आ जाने से राहत मिलने के साथ-साथ एकधिकारी प्रवृत्तियों पर पर्याप्त अकुश लग सकेगा। लगभग दो दशकों में भारत जैसे गरीब देशों को डालर के मनमाने दामों से जिस तरह की परेशानियों को झेलना पड़ा वह निश्चित रूप काफी कष्ट दायी रहा। हार्ड करेंसी के रूप में माने जाने वाला डालर का प्रचलन वैसे तो कई पश्चिमी देशों की मुद्रा के रूप में है, किन्तु व्यवहार में सारी दादागिरी अमेरिकी डालर की ही रही है तथा नि सदेह इससे ये ग्यारह देश जो विकसित देशों की श्रेणी में आते हुए भी परेशानी का अनुभव कर रहे थे। विश्व व्यापार का पॉचवॉ भाग रखने के बावजूद इन्हे अमेरिकी डालर का मोहताज होना पड़ रहा था और प्रत्यक्ष- परोक्ष रूप से इनके व्यापार पर दुष्प्रभाव पड़ रहा था। इन बदली हुई परिस्थितियों में निश्चित रूप से डालर के लिये एक परेशानी का सबक यह भी होगा कि उसके हाथ से विश्व व्यापार का पॉचवॉ हिस्सा यूरो मुद्रा के रूप में होने लगेगा और इससे मूल्यों में गिरावट तो कम यह जरूर होगा कि जिस तरह से मुद्रा बाजार के आपरेटर व सटोरिये कृत्रिम अभाव दिखाकर मनमानी करते रहे है उस प्रवृत्ति पर अकुश लगेगा। चालू दशक में विशेष रूप से कोई दो- ढाई वर्ष पूर्व जिस तरह डालर ने अपना एकाधिकारी रूप दिखाकर मजबूत से मजबूत देशों की अर्थ व्यवस्था छिन्न-भिन्न की तथा गरीब मुल्कों पर कफन खसोर जैसा आचरण किया उससे ये साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं कोई गडबडी जानबूझकर की जा रही है। आखिर कौन सा ऐसा काम अमेरिका ने कर दिया कि दुनिया में केवल डालर का भाव आसमान पर जाता हुआ दिख रहा है। बाकी सभी देशों की मुद्रा नीचे जाती हुई नजर आ रही हो। यहाँ तक औद्योगिक रूप से सम्पन्न जापान की मुद्रा येन भी नहीं सभल पा रही है। हाल में ताइवान, कोरिया, सरीखे देशों में गम्भीर मुद्रा सकट उत्पन्न हुआ और उनके लिए यह आज तक अनबुझ पहेली बनी हुयी है।

**यूरो से भारतीय व्यापार पर अनुकूल प्रभाव पडने की उम्मीद:**

वर्ष 1997 की शुरुआत के साथ ही विश्व आर्थिक जगत में एक नयी मुद्रा 'यूरो' का उदय हो जायेगा। यूरोपीय देशों की इस सामूहिक नई मुद्रा का भारतीय व्यापार पर तो अनुकूल प्रभाव पडने का आकलन किया जा रहा है, लेकिन विश्व बाजार पर छाई अमरीकी मुद्रा 'डालर' के एकाधिकार को कडी चुनौती मिलने की सभावना व्यक्त की जा रही है। 2 जनवरी 1999 से यूरोप के 11 देशों में नयी साझा मुद्रा 'यूरो' में कामकाज शुरू हो जायेगा। इस दिन इन सभी देशों की अपनी मुद्रा और यूरो की बीच विनिमय दर निर्धारित हो जायेगी और फिर उसी अनुपात में कामकाज होने लगेगा। यूरोप के ग्यारह देशों में आस्ट्रिया, बेल्जियम, फिनलैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैण्ड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैण्ड, पुर्तगाल और स्पेन शुरुआती दौर में यूरो मुद्रा की नई व्यवस्था में शामिल हुए हैं, जबकि क्षेत्र के चार अन्य देश डेनमार्क, ब्रिटेन, यूनान और स्वीडन फिलहाल आर्थिक एव राजनीतिक कारणों से इस नयी व्यवस्था में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन भविष्य में ये देश भी इस व्यवस्था को अपनायेंगे। दुनिया के व्यावसायिक जगत की निगाहें इस नये ऐतिहासिक कदम की ओर लगी हैं। इस मुद्रा के लागू हो जाने से मुद्रा के परिवर्तन में होने वाली कठिनाई दूर हो जायेगी तथा मुद्रा के परिवर्तन शुल्क में भी कमी आयेगी। भूमडलीकरण के इस युग में 11 यूरोपीय देशों की साझा मुद्रा यूरो का आगमन न केवल ऐतिहासिक, बल्कि मौद्रिक साहस का भी परिचायक है। यूरोप के 15 में से 11 देशों की 29 करोड़ जनता इस नई मुद्रा के जरिए व्यापारिक लेन-देन करेगी। यूरो के सिक्के व करेंसी नोट हालांकि कुछ समय बाद जारी होंगे, लेकिन शेयर कारोबार 'यूरो' में होगा और वित्तीय सस्थान व बडी कम्पनियों इसी मुद्रा के तहत हिसाब - किताब रखेंगे। यूरोप में कई दुकानों ने विभिन्न उत्पादों की कीमत स्थानीय मुद्रा के साथ 'यूरो' में भी प्रदर्शित करनी शुरू कर दी है। कुछ विशेषज्ञ अब डालर के समक्ष यूरो द्वारा नई चुनौती खडी करने की आशका जता रहे हैं। नई यूरोपीय सामूहिक मुद्रा के संचालन में व्यावहारिक कठिनाइयाँ पेश आएंगी, किन्तु महत्वपूर्ण बात यह है कि यूरो के प्रचलन के सन्दर्भ में भारत को भी अपनी तैयारी कुशल ढंग से रखनी होगी। भारत का 60 प्रतिशत विदेश व्यापार अब तक डालर के हिसाब से चलता था चूँकि भारत का 20 प्रतिशत विदेश व्यापार यूरोपीय देशों के साथ होता था, इसलिए यूरो की उगमग के साथ भी मौद्रिक कदम ताल करनी होगी। पिछले डेढ़- दो

वर्षों में डालर में आई अप्रत्याशित मजबूती का भारत ने अत्यन्त सयम के साथ सामना किया और अब डालर-रूपया विनिमय दर में भारी उतार-चढ़ाव नहीं रहा। बहरहाल इस समय डालर के समक्ष यूरो की दर 1 16 से बोला जा रहा है। भारत को इसी के अनुरूप अपनी मुद्रा की चाल को अजाम देना होगा। भारत में एक यूरो का भाव 2 जनवरी 1998 को 49 से 50 रूपया के बराबर रहा। फ्रांस, इटली आयरलैण्ड जो विश्व के आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्रों में गिने जाते हैं किन्तु आयात- निर्यात के मामले में पिछड़ते नजर आ रहे हैं। इन परिस्थितियों में भारत की दशा निश्चित रूप से बद से बदतर होती गयी और काफी वैसी हो गयी कि कोई गरीब व्यक्ति कमाये चाहे जितना, लेकिन उसका वह सब कुछ साहूकार के पास चला जाता है। इसमें कोई सदेह नहीं कि भारत पर आज करोड़ों डालर का कर्ज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सगठनों का है और एक बड़ी रकम उसे ब्याज के रूप में चुकानी पडती है किन्तु ये हालात बनाने में डालर की बेईमानी का भी बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मूल्य विहीनता का सामना करना पडा और वाजिब दामों की जगह उसे लागत से भी कम पर अपना माल बेचने का विवश होना पडा वह इस एकाधिकारी प्रवृत्ति का ही परिणाम है।

यह ठीक है कि कोई देश यह नहीं कहता या करता कि उसकी मुद्रा को अगीकार कर लिया जाये लेकिन मौद्रिक मामलों में यह भी एक सच्चाई है कि जब जो ढर्रा चल पडता है तो आसानी से बदल पाना संभव नहीं होता। आज यदि भारतीय मुद्रा रूपये का प्रचलन डालर की तरह हो जाये तो इसके भी दुष्परिणाम पश्चिमी मुल्कों को भुगतने पडेगे।

स्वतन्त्र भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि डालर प्रति पचास रूपये की ऊँचाई को न केवल छू ले बल्कि उसे पार कर लेने की छलाग लगाने की चेष्टा करें। पिछले दो दशकों में भारतीय रूपया लगभग ढाई से तीन सौ प्रतिशत तक गिरा जबकि भारत का विदेश व्यापार भी इसी के आसपास बढ़ा।

यह कैसे हो सकता है कि एक तरफ हमारी व्यापारिक हिस्सेदारी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस तथा जापान जैसे देशों से बढ़े तो दूसरी ओर हमारी मुद्रा का अवमूल्यन भी उसी अनुपात में होता

रहे? इन बदले हालात मे अब यह आवश्यक हो गया है कि विश्व के गरीब मुल्क जिन्हे विकासशील देशो के नाम से जाना जाता है उन्हे चाहिए कि वे आर्थिक रूप से एक मंच पर आकर इस तरह का फोरम तैयार कर ले कि विकसित देशो को भी वास्तव मे उनकी जरूरत महसूस हो और वे चाह कर भी शोषण न कर पाये। आज ये गरीब मुल्क विश्व व्यवस्था मे अपनी महत्व बुनियादी जरूरतो को पूरी करने मे महत्व बनाये हुये है, लेकिन अमीर देश अपनी इस कोशिश मे कामयाब है कि वे इनकी बहुमूल्य संपदा को मूल्यहीन बताकर माटी के मोल खरीद रहे है। यह ज्यादा दिनो तक चलने वाला नहीं है यदि इन गरीब मुल्को को अपनी वास्तविक शक्ति का पता चल जाये, लेकिन यह तभी हो पायेगा जब ये राजनीतिक कटुता को दरकिनार कर आर्थिक एकता की ओर अग्रसर हो।



7

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों

के सफलताओं एवं

असफलताओं का

आलोचनात्मक

मूल्यांकन

## बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सफलताओं एवं असफलताओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन

बहुराष्ट्रीय निगमों की प्रसार की गति द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् पूर्व की अपेक्षा तीव्र रही है। इस स्थिति को भारत सहित अन्य विकासशील देशों के सन्दर्भ में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अपने नवोदय के साथ भारत उन कई अल्पविकसित देशों में से एक था जिन्होंने अपने विकास की गति को बढ़ाने के लिए विदेशी पूँजी को आमंत्रित करने की बाध्यता एवं विवशता को स्वीकारा। प्रत्यक्ष विदेशी सहायता, प्रौद्योगिकीय सहयोग, अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सस्थाओं से उदार-अनुदार शर्तों पर दीर्घकालीन ऋण और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की उपस्थिति विदेशी पूँजी के विभिन्न कार्यगत हुए। भारत के सन्दर्भ में उपभोक्ता उद्योग समूह में इन निगमों की पैठ और प्रसार दूसरे औद्योगिक क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक है। यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि बहुराष्ट्रीय निगमों के पास उत्पादन तथा वितरण में अभिवृद्धि करने की अद्वितीय तथा अनुभव सिद्ध क्षमता होती है और जहाँ कहीं भी यह जाते हैं, वहाँ की उत्पादन प्रणाली में भारी परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं। इनके द्वारा किया जाने वाला उत्पादन - विस्फोट प्रायः देशी प्रौद्योगिक विकास और स्थानीय उद्योगों की कीमत पर होता है। इस सन्दर्भ में भारत जैसे अनेक विकासशील देशों की मिसाल गिनाई जा सकती है। बहुराष्ट्रीय निगमों को खुला आमंत्रण देने के लिए उनकी उच्च प्रौद्योगिकी, पेशेवर प्रबन्धकीय कुशलता और गुणवत्ता के तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि विकासशील देशों के उद्योगों की अपेक्षा पश्चिम के उद्योग सर्वथा इक्कीस ठहरते हैं। इसका प्रभाव स्वदेशी उपभोक्ता उद्योगों तथा अन्य उद्योगों के विकास पर पड़ता है। जहाँ तक आर्थिक क्षेत्र का प्रश्न है, सतही तौर पर इन निगमों का प्रवेश आकर्षक अवश्य हो सकता है, किन्तु इन पर नियंत्रण भी आवश्यक है। प्रारम्भ में यह निगम अपना पैर जमाने के लिए अनेक प्रकार की उदार एवं आकर्षक शर्तों का भ्रम उत्पन्न करते हैं उदाहरणार्थ- प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में पूँजी निवेश, पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार सृजन, किसी तीसरे देश को निर्यात के लिए सुनिश्चित कोटे का निर्धारण आदि। यदि स्थानीय उद्योगों की स्थिति सतोषजनक न हो तो विकासशील देशों में शासन के लिए ऐसे प्रस्तावों को अस्वीकार करना कठिन हो जाता है। न्यूनतम अंशों को धारण करते हुए भी बहुराष्ट्रीय निगम औद्योगिक तथा आर्थिक स्वेच्छाचारिता के लिए स्वतंत्र रहते हैं। अपनी उत्पादन प्रणाली में उन्नत तकनीक का प्रयोग कर यह निगम पहले कम मूल्य निर्धारित कर स्थानीय उद्योगों के विकास को अवरुद्ध करते हैं और बाद में बाजार पर इनका स्वतंत्र शासन हो जाता है। वस्तुतः उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन व वितरण में बहुराष्ट्रीय निगमों के

एकाधिकार को चुनौती देना वर्तमान समय में टेढ़ी खीर है।

भारत के उद्योगपति विगत कई वर्षों से इसी प्रकार की नीति अपनाए जाने की माग करते चले आ रहे थे, लेकिन जब ये नीतियाँ लागू करके अर्थव्यवस्था को काफी कड़ी सीमा तक खुला व मुक्त कर दिया गया तो भी वे लोग स्वयं को कठिनाई में अनुभव करके इनका विरोध कर रहे हैं अब इन्हें विदेशी कम्पनियों, विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का भय खाए जा रहा है। वे जानते हैं कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के उत्पादों के सामने उनके उत्पादों की माग कम होगी तथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जायेंगे। भारतीय उद्योगपति सरकार से हर प्रकार की रियायत की आशा अपने लिए तो करते हैं लेकिन उसी प्रकार की रियायतें विदेशी कम्पनियों को देने के पक्षधर नहीं हैं।

आयात शुल्कों में की गई कटौती व बाहर से टिकाउ इलेक्ट्रानिक्स सामान तथा अन्य वस्तुओं को लाने की छूट देने से भारत में अनेक वस्तुएँ लाई जाने लगी हैं, जिनका उत्पादन देश में ही हो रहा है। ऐसा कर देने से अब घरेलू उत्पादकों को आयातित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, निश्चित रूप से यह उपाय ऐसे नहीं है जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके और देश की औद्योगिक प्रगति को गति प्रदान की जा सके। भारत विश्व के विकसित देशों के लिए एक बहुत बड़ा तथा आकर्षक बाजार है और विश्व की बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ यही चाहती हैं कि वे भारत के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में कोई सार्थक भूमिका का निर्वाह किए बिना अपनी वस्तुएँ और विशेष रूप से उपभोक्ता वस्तुएँ बेचने में सफल हो जाएँ। विदेशी पूँजी निवेश के नाम पर यदि इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा विदेशी उत्पादकों को सुविधाएँ प्रदान करके भारत में उपभोक्ता वस्तु उद्योग में पैर जमाने का अवसर प्रदान किया जाता है तो इससे भारतीय उपभोक्ता वस्तु उद्योग चौपट हो सकता है जो देश हित में नहीं है, दुनिया के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती है विकास की। लेकिन दूसरी ओर ये विदेशी उत्पादकों विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से प्रतियोगिता के लिए सक्षम करने का मौका उन्हें दिया जाना चाहिए। इसके लिए कुछ वर्षों तक, उन्हें नई नीतियों के तहत सरक्षण मिलना चाहिए, इतना ही नहीं वे करें तथा शुल्कोयें और अधिक रियायतें तथा सरकार से सब्सिडी मिलने की आशा करते हैं।

बहुराष्ट्रीय निगमों की अपबिन्न गति विधियों से राजनीतिक क्षेत्र भी अछूता नहीं रह सका, लैटिन अमरीकी तथा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के घृतांतो पर विहगम दृष्टि डाली जाए, तो यह साफ तौर पर जाहिर होता है कि कई सैनिक उपद्रवों और तथाकाथित क्रान्तियों के पीछे बहुराष्ट्रीय निगमों के कर्तव्यों का हाथ है लैटिन अमरीका, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका आदि के देश बहुराष्ट्रीय

उद्योग समूहों के लिए लाभार्जन की दृष्टि से उर्वरा भूमि है। इसलिए इन देशों के शासकों के लिए स्वतंत्र या राष्ट्रवादी आर्थिक एवं राजनीतिक नीतियों पर अमल करना दिवास्वप्न है। अपने आकार एवं शक्ति के कारण ही भारत की स्थिति अन्य विकासशील देशों की अपेक्षा सुदृढ़ है किन्तु यहाँ भी आर्थिक और राजनीतिक अतिक्रमण के प्रयास बराबर चलते रहते हैं।

भारत सहित लगभग सभी विकासशील देशों की प्रमुख समस्या यह है कि आज के प्रतिस्पर्धा के दौर में विश्व में अपना स्थान सुनिश्चित करने और विकास प्रक्रिया में शामिल होने के उद्यम में आर्थिक उन्नयन का एक स्वकेन्द्रित प्रारूप तैयार कर पाना अभी तक सम्भव नहीं हो सका। एशिया तथा अफ्रीका के देश जिस तरह पश्चिम का अन्धानुकरण तथा साम्यवादी माडल की नकल करते रहते हैं। उससे अपने परिवेश तथा संस्कृति से करने की परिणति बहुत अस्वाभिक नहीं है। आयातित विकास प्रणालियों की विफलता हमारी आँखें खोलने के लिए पर्याप्त है। उपभोक्ता की अपसंस्कृति के विरुद्ध किसी सार्थक संघर्ष के लिए आर्थिक विकास की प्राथमिकताओं को पुनः रेखांकित किया जाना अनिवार्य है। बहुराष्ट्रीय उपभोक्तावाद के कुप्रभावों को नियंत्रित करने के उपाय भी उसमें निहित हैं। अल्पकालीन उपायों में नए-नए विधेयक पारित किए जा सकते हैं, लेकिन इन तदर्थ उपायों की उपयोगिता भी सीमित ही रहेगी। आर्थिक नीतियाँ एवं उनके उद्देश्यों पर पुनर्विचार ही किसी नई व्यवस्था के लिए जमीन तैयार सकता है जिसमें विकासशील और उदीयमान देश धनाढ्य और विकसित देशों के हस्तक्षेप को सहने की बाध्यता से मुक्त होंगे।

बहुराष्ट्रीय निगमों के गुण-दोषों के विवेचन के पश्चात् यह स्पष्ट रूप से मान लेना कि विकासशील अर्थव्यवस्था में इनकी उपादेयता नगण्य है, उचित नहीं होगा। इनके गुणों का लाभ उचित नीतियों का निर्माण करके एवं इन निगमों के स्वतन्त्र प्रसार पर नियंत्रण करने हेतु उठाया जा सकता है। इनके क्रियाकलापों पर दृष्टि रखना तथा उसे नियंत्रित करना ऐसे प्रत्येक विकासशील देश का कर्तव्य है जिनमें यह कार्यरत है। इन निगमों की प्रासंगिकता और उपयोगिता अल्पविकसित देशों की विनिर्मित वस्तुओं के विपणन की आवश्यकता होती है। इन क्षेत्रों के बाहर इन पर निर्भर रहना हानिकारक है, क्योंकि इनकी कीमत बहुत अधिक चुकानी पड़ती है इसलिए प्रयास यही किया जाना चाहिए कि इन पर निर्भरता कम से कम हो।

दुनिया के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती है विकास की। विकास के प्रमुख चरणों में, सरकार तथा बाजार में आपसी तालमेल एक महत्वपूर्ण चरण है चूँकि दोनों एक दूसरे के सहयोगी या सहभागी हैं। इसलिए दोनों का अस्तित्व आवश्यक है। इस तालमेल में कमी, उतार-चढ़ाव के विभिन्न



परिणाम दिखाई पड़ते हैं। इन्हीं कारणों के कारण ज्यादातर-विकासशील देशों में भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, सामाजिक तथा आर्थिक विषमता उत्पन्न हुई है और परिणाम यह हुआ कि लोगों में आपसी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी।

स्वतंत्रता के बाद नेहरू ने भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मार्ग अपनाया। 1955 में कांग्रेस के अधिवेशन में देश को समाजवादी रास्ते पर ले जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद सरकारी नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, लाइसेंस तथा परमिट राज का दौर चला। गरीब देश में अफसरशाही तथा राजनीतिक नेताओं ने सार्वजनिक हितों के नाम पर अर्थव्यवस्था के स्वाभाविक विकास में बाधक का कार्य किया। अस्सी के दशक तक आते-आते अर्थव्यवस्था चरमराने लगी और निरन्तर बढ़ते जा रहे राजस्व घाटे ने मुद्रास्फीति की तेजी से अग्रसारित किया। भुगतान सतुलन की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली गयी। विश्व में हमारी साख में गिरावट आई और यहाँ तक कि हमें अपने स्वर्ण भंडार का एक हिस्सा बन्धक के रूप में रखना पड़ा। देश की अस्मिता को धक्का लगा और हम एक प्रकार से दिवालियापन की स्थिति में पहुँच गए। उपरोक्त कारणों की वजह से हमें स्वतंत्रता के चार दशक से भी अधिक समय के बाद भी अपनी अर्थनीति के ऊपर पुन विचार करना पड़ा। हम यह सोचने के लिए बाध्य हो गये कि क्या हमारी अब तक की अर्थनीति वास्तव में सही है और क्या आगे भी इसी प्रकार के परिणाम होंगे। दूसरी तरफ विश्व में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन तेजी से फैलता हुआ दिखाई पड़ रहा था। विश्व में यह महसूस किया जाने लगा था कि सबके हित के लिए समस्याओं का सार्थक समाधान सामूहिक रूप से ही समभव है। इसी दृष्टि से हमारे, राजनेताओं ने भी यह अनुभव किया कि आपसी विचार विनिमय तथा बेहतर परस्पर सम्बन्धों के परिणाम स्वरूप हम विश्व के समृद्ध देशों से अधिक लाभ उठा सकेंगे। यही कारण है कि हमने अपने अर्थव्यवस्था को अनावश्यक प्रतिबन्धों से मुक्त करने तथा उदारीकरण की नीति अपनाने का निश्चय किया।

वस्तुतः अर्थव्यवस्था के भूमण्डलीयकरण की प्रक्रिया इस देश में कभी धीमी गति से तो कभी तीव्र गति से अलग-अलग क्षेत्रों में चलाई जा रही थी। जुलाई 1991 से यह एक निश्चित योजना के तहत चलाई जा रही है। इस सम्बन्ध में उदारीकरण के अर्थ स्पष्ट कर देना आवश्यक होगा। तमाम अन्य बातों के साथ-साथ उदारीकरण के अर्थ है कि आयात-निर्यात से सम्बन्धित एक नई नीति जिसके तहत भारतीय निर्यातकों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में और अधिक खोलना। स्वयं को पहले आशिक तथा बाद में पूर्ण परिवर्तनीयता के बारे में उठाया गया कदम एक उदाहरण के रूप में है। इस नीति ने देश से बाहर जा रही पूँजी को रोककर दूसरी तरफ विदेशी निवेशकों जिनमें अप्रवासी भारतीय भी शामिल है

तथा विदेशी सस्थाओं को भारत में निवेश करने को प्रोत्साहित किया। नए निर्यात के सम्बद्ध में कदम उठाए गए।

प्रमुख उदाहरण के रूप में सीमा शुल्क में कटौती का लाइसेंस प्रणाली की समीक्षा तथा उसमें परिवर्तन ताकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत को एक खुली प्रतिस्पर्धा वाला राज्य माना जा सके। परिणाम यह हुआ कि भारतीय व्यवसायियों ने विदेशों से कई तरह के समझौते किए। सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क के बारे में कठोर कदम उठाए गए जिस प्रकार रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क में की गई कटौतियाँ, आयात-निर्यात नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन, लाइसेंस प्रणाली का अवलोकन सभी कदम उदारीकरण नीति की देन के रूप में दिखाई पड़ते हैं।

इस प्रकार इन सभी कदमों के उठाये जाने पर हमारे लाभों के स्पष्ट परिणाम दिखाई पड़ते हैं ऐसा लगता है कि भारतीय अर्थनीति सब प्रकार से सब कुछ ठीक कर रही है। क्या वास्तव में इसका लाभ आम जनता को ही मिल रहा है? क्या इसी नीति में पुनः सौच-विचार की आवश्यकता है अथवा नहीं? क्या लोगों की आशाएँ उचित हैं? बहुत से प्रश्न हमारे सम्मुख आते हैं।

ऐसा लगता है कि भारतीय विचारधारा हमेशा की तरह दो भागों में बँट गई है। एक तो वह वर्ग है जो सरकारी पक्ष का पूर्ण समर्थक है और उसे सरकार के हर कार्य में अच्छाई नजर आयी है और आलोचना करने या सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। दूसरी तरफ वह वर्ग है जो सरकार का कटु आलोचक है। उसे सरकार के सभी कार्यों में बुराई ही बुराई नजर आती है। अगर हम समर्थक पक्ष की बात को ही लें तो उनका कहना है कि विकास की चुनौती तथा वाह्य क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए इन सारे कदमों का क्या औचित्य है? कोई भी देश कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो वह अपने आपको विश्व में अकेले रखकर सफल नहीं हो सकता है। अगर हमें जिन्दा रहना है तो हमें प्रतिस्पर्धा में भी उतरना ही पड़ेगा और अगर प्रतिस्पर्धा में उतरना है तो हमें व्यवहारिकता तथा वस्तुस्थिति के नजदीक रहना होगा।

दूसरी तरफ विरोधी वर्ग का यह मानना है कि जैसे-जैसे भूमण्डलीयकरण, उदारीकरण की प्रक्रिया के कदम आगे-आगे बढ़ेंगे वैसे-वैसे भारतीय संस्कृति में ह्रास होगा। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ज्यादा हावी हो जायेगी। स्वदेशी की भावना तथा स्वदेशी उद्योग सभी में ह्रास होगा। चूँकि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनाचार, दुराचार, और भ्रष्टाचार का हमला हो रहा है। आशका यह है कि नई आर्थिक नीति का भूमण्डलीकरण इसे और बढ़ाएगी। उदारीकरण से अनुशासनशील, सदाचार, त्यागवृत्ति जैसे सम्यक

सस्कार कहीं एकदम से समाप्त न हो जाएं। वस्तुतः आर्थिक भूमण्डलीकरण उदारीकरण से चार्वाक के उस दर्शन की पुष्टि होती है जिसमें कहा गया है कि ऋण कृत्वा धृत पिवेत” अर्थात् कर्जे के फन्दे से देश के नागरिकों का गला कसता जायेगा। इस प्रकार आर्थिक भूमण्डलीकरण उदारीकरण का रास्ता समर्पणवाद और विनाश का है।

इन दोनों पक्षों की परस्पर विरोधी विचाराधाराओं का अवलोकन करते हुए उनके गुण अवगुण की तुलना आवश्यक है। आजकल विश्व में तकनीकी ज्ञान का जिस प्रकार से विस्तार हो रहा है उससे अब हमारे लिए यह सम्भव हो गया है कि हम तकनीकी ज्ञान के ऊपर आधारित उत्पादन तथा अन्य प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का माप कर सकें जैसा कि अनेक अर्थशास्त्रियों का मानना है कि हमें अपने उत्पादन की गुणवत्ता को सुधारने तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में सफल करने के लिए अहतन्त्र और अलगावपन की स्थिति से उठना पड़ेगा और अपने आपको इस अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से जोड़ना होगा।

लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इस प्रयास में पूर्ण निजीकरण हो जाना चाहिए। क्या सरकार को इन तमाम कार्यों को जो अभी तक वह सम्पन्न कर रही थी निजी क्षेत्र को सौंप देना चाहिए। क्या ऐसा करने से आम जनता को इसका पूर्ण लाभ मिल पाएगा। सीधी सी बात इस सिलसिले में जो दिखाई पड़ती है। वह है सोवियत सघ का उदाहरण- जहाँ उदारीकरण व निजीकरण को इस तेजी से लागू करने की कोशिश की गयी कि परिमाणत आवश्यक वस्तुओं की कमी हुई, मूल्य आसमान छूने लगे और अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। इसलिए अन्तर्राष्ट्रीयकरण को हासिल करने के लिए राज्य का हस्तक्षेप अनिवार्य मानना पड़ेगा। भारतवर्ष में मिश्रित अर्थव्यवस्था को बनाये रखना आवश्यक होगा। ऐसा इसलिए कि भारत को अभी विश्व के आधुनिक तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में पूर्ण रूप से जमना होगा और भारतीय बाजार को सरकारी समर्थन की आवश्यकता होगी। साथ ही देश के व्यापारिक प्रतिष्ठानों तथा उद्योगपतियों को भी यह अहसास कराना होगा कि उदारीकरण का प्रमुख लाभ उद्योगों के साथ आम जनता को प्राप्त हो।

विश्व में औद्योगीकरण का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि हम उदारीकरण की प्रक्रिया को शनै-शनै चलाते रहें और मिश्रित अर्थव्यवस्था को इसलिए भी चलाये कि इसका प्रयोग बाजार समर्थन तथा उद्योगपतियों पर अकुश के लिए किया जा सके।

आम धारणा है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ जिस देश में पूँजी निवेश करती हैं वहाँ रोजगार के

अवसरों में वृद्धि होती है और आर्थिक गतिशीलता में तेजी आती है, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा स्थापित बड़ी औद्योगिक इकाइयों एक साथ कई लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को समाप्त कर देती है। बड़ी औद्योगिक इकाइयों में अधिकांश कार्य मशीनों की सहायता से किया जाता है, जबकि लघु इकाइयों में श्रम को प्रधानता दी जाती है। इस प्रकार किसी बृहत इकाई की स्थापना से जहाँ सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता है वहीं हजारों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना समाप्त होती है। अल्पकाल में ही किसी अर्थव्यवस्था में गतिशीलता एवं उत्पादकता बढ़ने के बावजूद यदि रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि नहीं होती है, तो उसे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बाजीगरी ही मानना चाहिए, लेकिन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के क्रियाकलापों के कारण रोजगार के अवसरों में अल्पकाल पर पड़ने वाला प्रभाव उतना घातक नहीं है जितना कि दीर्घकाल में पड़ने वाला प्रभाव होता है। अर्थशास्त्री डॉ० भरत झुनझुनवाला का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों का व्यवहार भस्मासुर जैसा है। पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं से उत्पन्न ये कम्पनियाँ अब पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं को खोखला कर दे रही हैं।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास समूह (अकटाड) की 1995 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार समूह-सात के विकसित देशों में बेरोजगारी निरन्तर बढ़ती जा रही है। इन देशों की सरकारें बेरोजगारी से निपटने के लिए भरसक प्रयास कर रही हैं किन्तु इसके नियंत्रण के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। इन देशों में 60 के दशक में मात्र 3 से 4 प्रतिशत लोग बेरोजगार थे, लेकिन 1993 में लगभग 8 से 9 प्रतिशत लोग बेरोजगार हो गये हैं और तभी से बेरोजगार का यह स्तर कायम है। अकटाड की रिपोर्ट के अनुसार समूह-सात के यूरोपीय सदस्य देशों- फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली में बेरोजगारी लगभग 11 प्रतिशत के स्तर पर पिछले दस वर्षों से स्थिर है। यह दर कई विकासशील देशों में बेरोजगारी की दर से भी अधिक है। अभी स्थिति यह है कि भारत और यूरोप के विकसित देशों में बेरोजगारी की दर लगभग बराबर हो चली है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में अभी बेरोजगारी है, लेकिन यहाँ के कामगारों का वेतन भी लगातार घट रहा है। अकटाड की रिपोर्ट के अनुसार 1994 में अमेरिका में वेतन स्तर 2 प्रतिशत नीचे गिरा है। समूह सात एशियाई सदस्य जापान में बेरोजगारी की समस्या सबसे कम भयावह है। वहाँ लगभग तीन प्रतिशत लोग बेरोजगार हैं जिसे नियंत्रण में कहा जा सकता है, लेकिन अकटाड का अनुमान है कि निकट भविष्य में जापान में भी बेरोजगारी 5 से 6 प्रतिशत से अधिक हो सकता है।

विकसित देशों की वर्तमान स्थिति के आधार पर अकटाड का कथन है कि विस्तृत बेकारी और

गिरते हुए वेतनमान पश्चिमी देशों के लिए महाविपत्ति साबित हो रहे हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि इसके लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों किस प्रकार दोषी है।

अकटाड की वार्षिक रपट में कहा गया कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए विदेशी निवेश करना एक मजबूरी है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा है। वास्तविकता तो यह है कि आरम्भ में किसी भी तकनीक का नेतृत्व कुछ कम्पनियाँ ही करती हैं उदाहरण के लिए अमेरिकी कम्पनी इटरनेशनल बिजनेस मशीन ने प्रारम्भ में कम्प्यूटर तकनीक का नेतृत्व किया था। तब उसे कम्प्यूटर निर्माण के मामले में एकाधिकार प्राप्त था। अपने इस एकाधिकार का लाभ उठाते हुए आई बी एम ने जम कर मुनाफा कमाया तब उसकी स्थिति ऐसी थी कि वह अपने कर्मचारियों को ऊँचा से ऊँचा वेतन दे सकती थी और अपनी उत्पादित वस्तु की अच्छी कीमत ले सकती थी, किन्तु शीघ्र ही अनेक कम्प्यूटर कम्पनियाँ बाजार में उतर गयीं और प्रतिस्पर्धा का दौर प्रारम्भ हो गया। बाजार में एकाधिकार की समाप्ति के बाद आई बी.एम को अपने उत्पादों की कीमतें कम करनी पड़ी, जिसके बाद उसके लिए कर्मचारियों को ऊँचा वेतन दे पाना संभव नहीं रह गया।

चूँकि वेतनमान का निर्धारण देश एवं काल की परिस्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए यह अलग-अलग देशों में भिन्न-भिन्न हो सकता है। इसका प्रत्यक्ष असर उत्पादित वस्तु की कीमतों पर पड़ता है। उदाहरण के लिए एक कम्प्यूटर निर्माता अमेरिका के स्थान पर सिगापुर में अपना कारखाना इसलिए लगाता है, कि सिगापुर में श्रमिकों की वेतन दर कम है। अतः वहाँ उत्पादित होने वाले कम्प्यूटर की लागत में कमी आयेगी और कम्पनी के लिए बाजार में सस्ता कम्प्यूटर उपलब्ध कराना संभव हो जायेगा। अमेरिका में कम्प्यूटर का निर्माण करने पर श्रमिकों का वेतमान दर ऊँचा है, जिसके कारण उत्पादन लागत अधिक होगी। तब अन्य कम्पनियाँ भी किसी ऐसे देश में अपने सयत्र लगाने को उन्मुख होंगी जहाँ श्रमिकों की पारिश्रमिक पारस्परिक दर सिगापुर की पारिश्रमिक दर के समकक्ष या उससे कम हो।

किसी विकासशील देश में जो सुविधा उपलब्ध होती है उसका परिणाम यह होता है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ विकासशील देशों में अपना उत्पादन बढ़ा लेती हैं और विकसित देशों में उत्पादन कम कर देती हैं। इसे इस तथ्य से भी समझा जा सकता है कि पाँच वर्ष पूर्व जो कम्प्यूटर अमेरिका से भारत में आयात किया जाता था, वहीं अब भारत से अमेरिका में निर्यात किया जा रहा है। इस प्रकार विकसित देशों में उत्पादन का ह्रास हो रहा है। उत्पादन में कमी के साथ-साथ वहाँ रोजगार के

अवसर कम हो रहे हैं और विकास दर भी कम हो गयी है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बारे में कहा जाता है कि ये अपने देश की अर्थव्यवस्था को दबाव में देखकर भी प्रसन्न होती हैं क्योंकि इससे इन कम्पनियों का लाभ बढ़ता है। यह एक जगजाहिर बात है कि अधिकाधिक लाभ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का मात्र लक्ष्य होता है। कहा जाता है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ उत्पादन कार्य भले ही विदेश में करें लेकिन वह लाभ की राशि तो अपने देश में ही भेजती है, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। अपने देश में लाभ भेज देने के बाद बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ लाभ की राशि का निवेश अपने देश में नहीं करती हैं, बल्कि इसके लिए भी किसी विकासशील देश की खोज करती हैं जहाँ निवेश पर अधिक प्रतिफल प्राप्ति की उम्मीद होती है। इससे विकासशील देशों में ही बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की भूमिका बढ़ती है। ये कम्पनियाँ तब विकासशील देशों में ही निवेश करके रोजगार के अवसरों को बढ़ाती रहती हैं लेकिन ध्यान रहे, बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ तभी तक किसी विकासशील देश में निवेश करती हैं, जब तक वहाँ पारिश्रमिक दर कम हो, कुछ समय बाद जब किसी विशेष विकासशील देश में आर्थिक गतिशीलता तीव्र हो जाती है, तब ये कम्पनियाँ किसी अन्य देश की तलाश में लग जाती हैं जहाँ पारिश्रमिक का स्तर और भी कम हो।

अकटाड के पश्चिमी देशों को यह सलाह दिया गया है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की बाजीगरी से बचने के लिए उन्हें सतुलित बजट की नीति त्याग देनी चाहिए और बाजार में माग बढ़ाने के लिए सार्वजनिक निवेश बढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से विकसित देशों में माग बढ़ेगी और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए घरेलू अर्थव्यवस्था में निवेश लाभकारी हो जायेगा। विश्व अर्थव्यवस्था की वर्तमान गतिशीलता के लिए जहाँ एक ओर विकासशील देशों द्वारा उठाये गये आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण के कार्यक्रम जिम्मेदार हैं वहीं दूसरी ओर अधिकाधिक लाभ कमाने की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की इच्छा भी इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन विश्व अर्थव्यवस्था की गतिशीलता एवं व्यापकता के बावजूद यह सवाल अब भी प्रासंगिक बना है कि विकास कैसे हों?

### **बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से घरेलू उद्योगों को कोई खतरा नहीं :**

उदारीकरण के लागू होने से अब तक देखे जा रहे थे कि बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा इसका प्रभाव लघु उद्योगों पर दोषपूर्ण रूप से पड़ेगा किन्तु ऐसा नहीं है। किये गये सर्वे के अनुसार जो बिन्दु उभर कर सामने आये हैं वे स्पष्ट रूप से इस बात को प्रमाणित करते हैं कि उदारीकरण से लघु उद्योगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे जबकि नकारात्मक बिन्दुओं की संख्या बहुत कम है।

यही नहीं नकरात्मक बिन्दु भी यही सिद्ध करते हैं कि उदारीकरण को और विस्तारित करने की जरूरत है ताकि उसमें लघु उद्योगों को पूरी तरह से समाहित किया जा सके। इस तरह किये गये सर्वे से यह बात स्पष्ट हुई है कि कुल मिलाकर उदारीकरण को समग्र आर्थिक अवधारणा के तौर पर देखा जाना चाहिए जिसका उद्देश्य बगैर किसी खेमे बाजी के सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र का विकास है। किये गये सर्वे से पता चलता है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगमन लघु एव कुटीर उद्योगों या घरेलू उद्योगों के प्रति आठ बिन्दुओं पर चर्चा करना अति आवश्यक है जिन्हें उदारीकरण के बाद लघु उद्योगों पर पड़े प्रभावों के सन्दर्भ में अत्यन्त महत्वपूर्ण माना गया है।

1 प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, 2 निर्यात आदेशों में वृद्धि, 3 गुणवत्ता में वृद्धि, 4 उत्पादों की श्रृंखला में वृद्धि, 5 नये सयुक्त उद्यमों की स्थापना, 6 उत्पादकता में वृद्धि, 7 प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, 8 उत्पादन लागत में कमी।

प्रतिस्पर्धा को देखते हुए लघु उद्योगों ने दो बातों पर ध्यान दिया- 1 उत्पादन लागतों में कमी, 2 गुणवत्ता में सुधार। घरेलू उद्योगों को व्यापार में सफलता पाने के लिए यह आवश्यक है कि कच्चे माल मगाने के पहले यह अवश्य देखना चाहिए कि जो हम माल का आदेश देने जा रहे हैं वह कच्चा माल हमारे लक्ष्य की पूर्ति कर रहा है या नहीं।

दूसरी बात जिस व्यक्ति से वस्तु मँगा रहे हैं। वह जिस प्रकार की वस्तु की पूर्ति कर रहा है वह हमारे लक्ष्य के अनुरूप है या नहीं। कोषों की व्यवस्था को देखते हुए यह ध्यान देना चाहिए कि जो भी कच्चा माल खरीदा जाय, वह मौसमी प्रवृत्ति को देखते हुए बृहत मात्रा में क्रय करना चाहिए। इससे यह लाभ होगा कि थोक मात्रा में माल खरीदने पर माल में कुछ छूट तथा अन्य सुविधा मिलने की उम्मीद रहती है। इससे लागत में कमी आयेगी तथा अच्छी किस्म की वस्तुएँ हम तैयार करके बाजार में भेजेंगे। जिससे हम बाजार में प्रतिस्पर्धा करके अपनी वस्तुओं को बाजार में बेचने के लिए खरे उतरेगे। क्योंकि यदि किसी वस्तु को तैयार करने में प्रति इकाई लागत कम होगी, जाहिर है कि दूसरे ब्राण्ड की तुलना की अपेक्षा हमारी वस्तु बाजार में सबसे पहले बिकेगी इस प्रकार धीरे-धीरे बाजार में हम अपनी ब्राण्ड की वस्तु के प्रति प्रभुत्व या एकाधिकार स्थापित कर लेंगे। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगमन से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन इसके साथ-साथ हमारी वस्तुओं के गुणवत्ता में भी सुधार होगी। जिससे हम अपनी वस्तुओं को केवल अपने देश में ही नहीं बल्कि अपना बाजार विदेशों में भी स्थापित कर सकेंगे। घरेलू उद्योगों को चाहिए कि उत्पादन लागतों में कमी, गुणवत्ता में सुधार ये दोनों बातें अपने एजेंडों में सबसे ऊपर रखना चाहिए।

उदाहरण स्वरूप- उदारीकरण के प्रभावों के बारे में चर्चा करते हुए मशहूर 'अग्नि' ब्राण्ड के रसोई व घरेलू उपकरण बनाने वाली कम्पनियाँ चादसेस एप्लायन्सेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक आर सी नागिया ने कहा है कि उदारीकरण के फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा बढ़ी है तथा गिनी-चुनी कम्पनियों और ब्राण्डों का एकाधिकार टूटा है। अग्नि की लोकप्रियता के पीछे सिर्फ राज गुणवत्ता का है। चूँकि श्री नागिया एक तकनीकी व्यक्ति हैं। इसलिए उन्हें पता था कि गैस की चूल्हे की 'नाब' का अदरुनी पीतल का पुर्जा कितना महत्वपूर्ण होता है। आज बाजार में अग्नि ब्राण्ड' के गैस, स्टोप, कुकिंग रेन्ज ओटी जी लाइटर, इलेक्ट्रिक आयरन, सैड विच मेकर आदि की प्रतिष्ठित ब्राण्डों की सूची में देखा जाता है। अग्नि की गुणवत्ता से प्रभावित होकर इटली तथा नाइजीरिया के फर्मों ने संयुक्त उद्यम स्थापित करने के प्रस्तावना श्री नागिया को भेजे हैं।

इस तरह वह दिन दूर नहीं जब अग्नि ब्राण्ड के उत्पाद यूरोपीय देशों में बनेंगे और बेचेगे। अभी अग्नि उत्पाद दक्षिण अफ्रीका व बांग्लादेश को निर्यात हो रहे हैं। खाद्य प्रसस्करण उद्योग तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। हर साल इसमें 30 प्रतिशत की दर से विकास हो रहा है उदारीकरण का दौर शुरू होने के बाद उस क्षेत्र के निर्यात व्यापार में दो सौ प्रतिशत की वृद्धि होना एक महत्वपूर्ण घटना है।

### तालिका - 71

#### ससाधित खाद्य पदार्थों का निर्यात

(मूल्य लाख रुपये में)

मद	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
ससाधित फल व सब्जियाँ (अखरोट समेत)	193 91	263	318 16	409	479	460
पशु उत्पाद	248 21	314	345 79	448	686	814
अनाज उत्पाद (बासमती और गैर बास-मती चावल समेत)	1376 0	1767	2504 00	3576	3501	4121
समुद्री उत्पाद	247 88	285	512 05	411	1043	1642
<b>कुल</b>	<b>2821 0</b>	<b>3527</b>	<b>4960 00</b>	<b>6124</b>	<b>10661</b>	<b>10916</b>

*N.N.S. - 5164*

स्रोत नेशनल न्यूज सर्विस, 1996-97

फल और सब्जियों के उत्पादों ने बीस प्रतिशत की विकास दर अर्जित की है। चाय, दूध (भारत में सात करोड़ टन) दूध का उत्पादन होता है, फल (साढ़े तीन करोड़ टन का उत्पादन),



वेजीटेबुल (साढ़े छ करोड टन) अण्डे (दो करोड अस्सी लाख), चावल गेहूँ, केला और आम (एक करोड टन) तथा कैटल ऐसी वस्तुएँ हैं जो एडवाण्टेज इण्डिया, श्रेणी में शामिल हैं। इन खाद्य वस्तुओं में पूरी दुनिया में भारत का पहला या दूसरा स्थान है। भारत के प्रसस्करित खाद्य बाजार में अमेरिका का 20 प्रतिशत विदेशी निवेश है उसके बाद थाइलैण्ड और नीदरलैण्ड हैं। देश के इस महत्वपूर्ण खाद्य प्रसस्करण उद्योग मंत्रालय अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को कुशलता के साथ सुलझाने का प्रयास किया है और वे भारत को खाद्य प्रसस्करण उद्योग के क्षेत्र में और आगे ले जाने का इरादा रखते हैं। मेरे विचार से खाद्य प्रसस्करण उद्योग उदारीकरण के बाद तेजी से आगे बढ़ रहा है किन्तु निवेशकों को ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की प्रक्रिया जटिल है। इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार ने जुलाई 1991 के बाद जब से उदारीकरण का सिलसिला शुरू हुआ है तब से जून 1997 तक खाद्य प्रसस्करण उद्योग के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम लगाने, विदेशी सहयोग, औद्योगिक लाइसेंस तथा शत प्रतिशत निर्यात परक इकाइयों ने कुल 983 प्रस्तावों की स्वीकृति प्रदान की है।

इन परियोजनाओं में कुल 17130 करोड रुपये का निवेश हुआ जिसमें विदेशी निवेश 7886 करोड रुपये का है। इसी अवधि के दौरान औद्योगिक उद्यमिता के 4098 प्रस्तावों में 64 276 करोड के निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ। सरकार ने खाद्य प्रसस्करण उद्योग के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अनेक नीतिगत कदम उठाये हैं। इनमें मुख्य तौर पर खास कदम इस प्रकार हैं -

- 1 अलकोहलिक बिवरेज को छोड़कर खाद्य प्रसस्करण के अधिकांश उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है।
- 2 आइसक्रीम और बिस्कूट को आरक्षण मुक्त कर दिया गया जो पहले लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित था।
- 3 विदेशी निवेशकों उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में 51 प्रतिशत तक विदेशी निवेश प्रस्तावों की स्वतः स्वीकृति।
- 4 लगभग 72 लाख रुपये का प्रौद्योगिकी शुल्क का भुगतान करके प्रौद्योगिकी तथा विपणन की स्वतः स्वीकृति।
- 5 घरेलू बिक्री पर 5 प्रतिशत और निर्यात पर आठ प्रतिशत रायल्टी शुल्क की अनुमति।

निर्यात के क्षेत्र में सुधार की बहुत अधिक संभावनाएँ हैं और अनेक कमजोरियों के चलते भारत ने अपनी पूरी क्षमता का अभी तक अनुभव नहीं किया है। मैं सोचता हूँ कि हमारी पूरी शक्ति इस तथ्य पर निर्भर है कि भारत पूरी दुनिया में फल तथा सब्जियों का उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत में चार करोड अस्सी लाख टन फल का और 6 करोड 80 लाख टन सब्जियों का

उत्पादन होता है। हमारे पास विभिन्न प्रकार के फलो तथा फसलो के उत्पादन की क्षमता है और तीसरी जो सबसे बड़ी विशेषता हमारे पास है वह है कम लागत पर प्रशिक्षित मानव शक्ति।

दूसरी ओर हमारी कुछ समस्याएँ भी हैं। प्रौद्योगिकी का अभाव, निवेश का अभाव, सरकारी पारदर्शी नीति का अभाव और इसके साथ ही उस क्षेत्र के लिए व्यावसायिक रूप से सक्षम मानव ससाधनों के विकास की भी आवश्यकता है, जो विश्व बाजार का कुशलता के साथ मुकाबला कर सके।

यदि हम वर्ष 1997-98 के अप्रैल से जुलाई महीनों के निर्यात आँकड़ों का पिछले वर्ष की इसी अवधि से तुलना करे तो यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रसस्करित फल और वेजीटेबुल निर्यात 18.3 प्रतिशत, एनिमल प्रोडक्ट्स 11.6 प्रतिशत और अन्य प्रसस्करित खाद्य पदार्थ 78.3 प्रतिशत बढ़ा है जबकि बासमती और गैर बासमती चावलो सहित खाद्यान्नों का निर्यात 19 प्रतिशत गिरा है। इस समय खाद्यान्न निर्यात 4585 करोड़ रुपये का हुआ जो अन्य वस्तुओं के कुल निर्यात से अधिक है।

भारत में खाद्य प्रसस्करण इकाइयों की स्थापना और उसमें निवेश के मामले में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का ट्रैक रिकार्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। शुरुआती दौर में अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का रिस्पास उत्साहजनक था किन्तु बाद के दौर में अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों मैदान छोड़कर चली गयी।

सयुक्त उद्यमों, विदेशी सहयोग, औद्योगिक लाइसेंस, शतप्रतिशत निर्यातपरक इकाइयों की स्थापना के लिए कुल स्वीकृत 983 करोड़ रुपये का निवेश किया जिसमें 1949 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश है। इन इकाइयों के जरिये लगभग 87 हजार लोगों को रोजगार मिला है। मछली प्रसस्करण डीप सी फिशिंग और एक्वाकल्चर के क्षेत्र में सर्वाधिक 73 इकाइयों स्थापित की गयी।

कुल 209 परियोजनाओं में से 118 इकाइयों की स्थापना बहु राष्ट्रीय और अन्य विदेशी कम्पनियों द्वारा की गयी जिनकी कुल लागत 3355 करोड़ रुपये है इनमें पेप्सी, कोका कोला, साउथ एशिया होल्डिंग्स, केलाग एण्ड कम्पनी, मैकडोनाल्ड कारपोरेशन पिज्जाहट इण्टरनेशनल, के एफसी, मार्स, परफेटी, सीग्राम, कारगिल रिगले, हेनिज, हीरम वाकर, जैसी अंतर्राष्ट्रीय ब्राण्ड की कम्पनियों भी शामिल हैं।

ऐसी कम्पनियों जब तक अपनी दुकानें नहीं खोल लेती या उनको मजूरी नहीं मिल जाती तब तक हम सीधे तौर पर उससे जुड़े रहते हैं। एक बार जब कागजी कार्यवाही पूरी हो जाती है तब मंत्रालय का वहाँ से नियंत्रण समाप्त हो जाता है। जो भी कम्पनियाँ अपने उत्पाद लेकर यहाँ आ रही है उससे मौजूदा इकाइयों से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। उदाहरण के लिए कार्न फ्लैक्स को ही लीजिए।

जब से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों इस क्षेत्र में आयी है तबसे मोटे अनाजों की माग बढी है और इससे भारतीय किसानों को मोटे अनाजों की पैदावार बढाने में सहायता मिली है। जहाँ तक पारम्परिक खाद्य का सवाल है मैं नहीं समझता कि उसमें कोई प्रतिस्पर्धा है। पेप्सी भुजिया को लेकर काफी शोरगुल हुआ था कि हल्दीराम की भुजिया को चुनौती दे रही है। यहाँ कोई मुकाबला नहीं और इससे घरेलू बाजार को कोई खतरा नहीं। विनिवेश से विश्व स्तर के उद्यमी या कम्पनियाँ भारत के बाजारों में आयेगी। सम्भव है कि बिस्कुट और अन्य उत्पादों के लिए गठबन्धन भी हो किन्तु इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने अभी हाल ही में स्वीकृति प्रदान की है। आगे क्या कारवाई करनी है अभी इसके बारे में निर्णय करना है। जब भी कोई गठबन्धन होगा तो उसमें अन्य मंत्रालय भी शामिल होंगे, जैसे वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय आदि।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार ने माडर्न फूड्स को बेचने या उसके पूर्व विनिवेश का निर्णय नहीं किया। कैबिनेट ने 50 प्रतिशत ही विनिवेश का ही फैसला किया है। मंत्रालय ने 50-50 प्रतिशत के सयुक्त उद्यम का प्रस्ताव किया है। इसका सीधा असर ढाई हजार पुराने कर्मचारियों पर भी पड़ेगा। वर्ष 1993-94 में समुद्री उत्पादों का निर्यात 2,44,000 टन हुआ था जिसकी कीमत 25 03 62 करोड़ रुपये थी। वर्ष 1996-97 में यह बढकर 3,49,730 टन हो गया (जिसकी कीमत 4,04,5 35) करोड़ रुपये हैं। मछुआरों के गुटों के बीच आन्दोलन को देखते हुए सरकार ने डीप सी फिशिंग नीति के बारे में सस्तुति करने के लिए एक कमेटी का गठन किया। इन्हीं सिफारिशों के आधार पर नयी डीप सी फिशिंग नीति 1991 के सामने लाया गया। नयी नीति के तहत अभी किसी प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं प्रदान की गयी है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से भारतीय उद्योगों के सरक्षण से मेरा आशय इससे है कि स्वदेशी उद्योगों को ऐसा क्षेत्र दिलाना चाहिए जिससे वे अपना कार्य ठीक ढग से कर सकें अर्थात् कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ समस्त प्रकार के साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जिससे भारतीय उद्योगों को विकास करने में कोई कठिनाई न हो। भौतिक एव मानवीय ससाधन उपलब्ध होने के साथ ही यह भी देखना चाहिए कि सरकार की नीतियाँ घरेलू उद्योगों के पक्ष में होना चाहिए, उनको समय-समय पर उनके विकास के लिए पूँजी एव साधनों की समयानुसार आवश्यकता पडने पर सुलभ कराना जिससे कि अच्छी किस्म की वस्तुएँ बाजार में उपलब्ध करा सके। जिससे घरेलू उद्योगों के सामानों को विदेशी प्रतिस्पर्धा के लायक बनाया जा सके। उदारीकरण के दौरान इसके लिए प्रयास किये गये किन्तु यह सरक्षण उन्हें नहीं मिला। दूसरा आशय यह है कि इन उद्योगों को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की प्रतिस्पर्धा से बचना चाहिए क्योंकि इससे भारतीय उद्योग को नुकसान होगा।

इस देश को विदेशी कम्पनियों के उत्पादों का 'डम्पिंग ग्राउण्ड' नहीं बनने देना चाहिए। गुजरात की बीएमटी सहित रासायनिक इकाइयों इसका उदाहरण है किन्तु सरकार की ओर से कोई कारवाई नहीं की गयी। तीसरी बात निर्यात की मात्रा को लेकर है। साफ तौर पर जाहिर है कि निर्यात के क्षेत्र में हम बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं और इसके लिए हमें कारण ढूढने की जरूरत है। यह पता लगाना होगा कि इसके पीछे कोटा, शुल्क आदि जिम्मेदार है या कुछ औद्योगिक देशों की रणनीतियाँ जो हमें पीछे ढकेलना चाहती है।

मेरे विचार से भाजपा और सहयोगी दल की साझा सरकार बनने से इसका देश की आर्थिक नीति पर वर्तमान समय में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहाँ तक नीति अथवा फ्रेमवर्क की बात है चाहे वह घरेलू अथवा वैश्विक प्रतिबद्धता से सम्बन्धित हो तो उसके क्रियान्वयन में कोई समस्या नहीं उत्पन्न होगा। हमारे पास ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ साझा सरकारें व्यवस्था का अंग हैं। हमारे मामले में यह अपने तरीके का तीसरा अनुभव है। फ्रेंच अर्थव्यवस्था या इटली की अर्थव्यवस्था का उदाहरण ले सकते हैं युद्धोत्तर यूरोपीय आर्थिक व्यवस्था अपनी प्रगति की ओर बढ़ती रही और सरकारें आती-जाती रहीं। इसलिए हमें किसी प्रकार के भय की जरूरत नहीं।

भाजपा की नीति यह है कि विदेशी कम्पनियों को प्रोत्साहन में कटौती किये जाने की अपेक्षा घरेलू उद्योगों को अत्यधिक प्रोत्साहन देना है। पश्चिमी कम्पनियों के पास तो अकूत सम्पत्ति और धन है। साफ्ट ड्रिंक उद्योग का ही उदाहरण ले लीजिए। कोका और पेप्सी जब भारत में आये तो कैसी स्थिति उत्पन्न हुई। पूरे भारतीय बाजार पर ही इन दोनों कम्पनियों ने कब्जा कर लिया। पिछले वर्ष कोका कोला का मुनाफा 4 13 बिलियन डालर हो गया जबकि भारत में साफ्ट ड्रिंक का कुल बाजार 3000 रुपये से भी कम है। ऐसी स्थिति में घरेलू कम्पनियाँ कैसे टिक पायेंगी।

इसके बारे में मेरा यह विचार है कि विदेशी कम्पनियों को सुविधाओं से वंचित करने के बजाय स्वदेशी उद्योगों को पर्याप्त प्रोत्साहन देना जरूरी है वैसे भी यदि घरेलू बाजार पूरी तरह से स्वतन्त्र रहता है तो विदेशी कम्पनियाँ बहुत आसानी से भारतीय कम्पनियों पर अपना प्रभुत्व जमा लेंगी। ऐसे उपभोक्ता सामग्री वाले बाजार में भारतीय कम्पनियों को संरक्षण देने की आवश्यकता है।

सरकारी संरक्षण प्रदान करने के सम्बन्ध में पहली प्राथमिकता तो उन क्षेत्रों को दी जानी चाहिए जो ऋणता की स्थिति का सामना कर रहे हैं। इनमें तमाम लघु क्षेत्र के भी उद्योग हैं वहाँ निवेश की अधिक आवश्यकता है। जहाँ नौकरियाँ अधिक विकसित हो सकती हैं आर्थिक नीतियों का

निर्धारण करते समय बेरोजगारी की स्थिति को पर्याप्त रूप से ध्यान देना चाहिए। लगभग चार करोड़ बेरोजगार लोग रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं। इसी प्रकार ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में दस करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हैं। इसी के चलते हम तमाम तरह के सामाजिक तनाव झेल रहे हैं। मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग के लोग वस्तुओं की गुणवत्ता को लेकर ज्यादा परेशान रहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस दलील के साथ सरक्षण हटाने की मांग करते हैं कि ऐसा होने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इससे वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार आयेगा। परिणामस्वरूप उपभोक्ता विश्व की सर्वोत्तम वस्तुएं प्राप्त कर सकेगा। यह सब बातें महत्वपूर्ण हैं परन्तु कोई देश यह नहीं देखना चाहेगा कि उसके यहाँ के लोग भुखमरी के शिकार हों। इसलिए देश में जो भी कार्यक्रम चलाये जायें उस पर अवश्य ध्यान देना चाहिए।

भारतीय कम्पनियों को सरक्षण और प्रोत्साहन देने की बात काफी खुशनुमा बयान प्रतीत होता है जिसे आज तक लागू नहीं किया जा सका। दूसरी ओर कोका और पेप्सी को देश से बाहर तो जाने के गभीर परिणाम सामने आयेगे। इससे रोजगार की स्थिति पर काफी प्रभाव पड़ेगा। भारतीय कानून में यह कहा गया है कि ऐसी स्थिति में विदेशी कम्पनियों के लिए यही उपयुक्त होगा कि वे देश के बाहर चले जाय या तो फिर अपनी इक्विटी घटाकर 49 प्रतिशत तक लाये। कोका और पेप्सी के प्रवेश से एक नजारा यह देखने को भी मिला है कि इन दोनों कम्पनियों ने देश में डाफ्ट ड्रिंक के क्षेत्र में कार्यरत अनेक छोटी-मोटी कम्पनियों को ही खरीद लिया। मुझे इसका कोई कारण नहीं दिखता है कि इस प्रकार की छोटी-मोटी प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योगों के क्षेत्र में इन विदेशी कम्पनियों को प्रवेश की अनुमति कैसे दे दी गयी है। दूसरी ओर इसका भी मुझे कोई कारण समझ में नहीं आता कि उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों में इन कम्पनियों को क्यों नहीं अनुमति दी गयी। एक बात और कि विदेशी कम्पनियों के समझौते और उनके क्रियान्वयन में भी अन्तर है। सरकार को इस मामले की जाँच करनी चाहिए।

मेरे विचार से क्षेत्रों को पहचानने का कार्य समुचित रूप से किया जाना चाहिए। स्वतन्त्र बाजार का आशय यह नहीं है कि सरकार रेफरी का कार्य करें और कोई भी बाहरी आये और हमारे मैदान पर फुटबाल खेलना शुरू कर दें। घरेलू उद्योगों की खुशहाली के लिए सरकार को अवश्य ही हस्तक्षेप करना चाहिए। यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपने यहाँ की कम्पनियों के हितों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करते हैं। एक समय ऐसा था जब हम विश्व बैंक से ऋण के लिए बातचीत कर रहे थे तो उस समय पेप्सी को भारत में प्रवेश दिलाने के लिए मेरे ऊपर दबाव डाला गया। विश्व बैंक पेप्सी का

एजेन्ट नहीं है, लेकिन मेरे देशवासियों के प्रति यह कहा गया कि ऋण की स्वीकृति के लिए भारत में पेप्सी का प्रवेश जरूरी है। उस समय हमारे देश के राजनेताओं ने कहा कि उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अमेरिकी कम्पनियों के प्रवेश पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है चाहे वह भारतीय रेलवे के लिए परियोजनाएँ क्यों न हों, किन्तु कुछ ऐसे क्षेत्र जरूर होने चाहिए जो भारतीय उद्योगों के लिए सुरक्षित हों।

मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा नहीं अनुभव करता कि जिस प्रकार से विनिवेश हो रहा है वैसा होना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि विनिवेश की समीक्षा की जानी चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश तथा निजीकरण दोनों के लिए ही आयोग बनना चाहिए। कुल मिलाकर सार्वजनिक उपक्रमों में जो धन जाता है वह करदाताओं का ही धन होता है।

जो भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए आयेँ उन्हें कानून के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि घरेलू कम्पनियों के लिए जो कार्य क्षेत्र बनेँ उसमें उन्हें प्रवेश नहीं करना चाहिए। तीसरा कोर क्षेत्र निर्यात का है जहाँ विशेष रूप से ध्यान देना जाना चाहिए। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं स्वदेशी समर्थक जरूर हूँ परन्तु बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का विरोधी नहीं। मौजूदा विकास क्रम को रेखांकित और उसकी मुख्य प्रवृत्ति को उद्घाटित करने के लिए विशेषज्ञ इन दिनों भूमडलीकरण, उदारवाद, सुधारवाद पुनर्गठन आदि शब्द समूहों का धडल्ले से इस्तेमाल करते पाये जाते हैं। ये शब्द भारत में 90 के दशक से अपेक्षाकृत अधिक व्यापक पैमाने पर प्रयुक्त होने लगा था और अब वे सामाजिक-आर्थिक चिन्तन के शब्द कोष के अपरिहार्य शब्द बन गये हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सामाजिक विकास की कुछ वस्तुपरक प्रक्रियाओं को प्रतिबिम्बित करते हैं। इन वस्तु परक प्रक्रियाओं को विशेषज्ञ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही रूपों को देखते रहे हैं- एक सिलसिला जो आज भी जारी है। जो लोग पूर्व एशिया के मौजूदा सकट से जोड़कर इन्हें देखने परखने की कोशिश कर रहे हैं उनके नजदीक सामाजिक विकास की यह प्रक्रिया मुख्य रूप से नकारात्मक है। इसके विपरीत जो लोग इसे अन्य नजिरों से जोड़कर देखने-परखने का प्रयास करते रहे हैं उनकी नजरों में यह प्रक्रिया सकारात्मक है।

भारतीय उद्योगपति अजय पिरामल निश्चित रूप से दूसरी श्रेणी के लोगों में शुमार है। उन्हें कुशल सौदेबाज माना जाता है जिसकी मुख्य ताकत बदलते परिवेश के साथ अनुकूलन में निहित मानी जाती रही है और आज भी मानी जा रही है। उदाहरणस्वरूप-भारतीय उद्योगपति अजय पिरामल ने दवा उद्योग में जो लबी छलाँग लगायी है। उसे हर दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रही है। इस त्वरित

विकास के लिए अजय की असाधारण अनुकूलन क्षमता के अलावा सौदेबाजी की कला में उसकी जबरदस्त महारत को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कम्पनियों के विकास-क्रम के विशेषज्ञों ने इस उद्योग समूह की पुनर्गठन क्षमता का वस्तु परक मूल्यांकन करते हुए इस समूह ने यह भविष्यवाणी की है कि यह पुनर्गठन की एक और प्रक्रिया के आरम्भिक दौर से गुजर रहा है। पुनर्गठन क्रम में इस समूह ने छोटी इकाइयों के अधिग्रहण के रास्ते पर कदम बढ़ाने के साथ-साथ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के भागीदार की अपरिहार्यता को भी अहमियत दी है।

अधिग्रहणों की प्रक्रिया पिरामल के लिए काफी लाभप्रद साबित हुई है। उन्हे इस क्रम में 1600 लोगों का ऐसा कार्यबल मिला है जिन्होंने अपने कार्य में विशेषता हासिल की है। इतना ही नहीं कम्पनी का दावा है कि इसी प्रक्रिया के तहत उसे 2500 केन्द्रों का वितरण नेटवर्क भी प्राप्त हुआ है। ये दोनों ही बातें व्यापक व्यावहारिक एवं व्यापारिक विकास की दृष्टि से अत्याधिक महत्वपूर्ण हैं। इसी क्रम में सामान्य उत्पादन की परम्परा को दरकिनार करके विशेष उत्पाद विभाग अस्तित्व में आये और विकसित हुए हैं जिसे सहज स्वाभाविक और प्रत्याशित माने जाने के बावजूद एक ऐसी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है जिसका निर्णायक महत्व है।

कम्पनी के सूत्रों का दावा है कि निकोलस को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से भी अनेक उत्पाद मिल रहे हैं इन कम्पनियों में हाफ मैनल रोचे और बोहरिंगर मैनहीम का विशेष रूप से जिक्र किया जा रहा है। इसी क्रम में पीतमपुर और मध्य में विश्वस्तरीय निर्माण सुविधाओं का जिक्र भी किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इन निर्माण केन्द्रों का स्तर हर दृष्टि से उन्नत है और ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की उत्पादन शक्तों और अपेक्षाओं के सर्वथा अनुरूप साबित होंगे।

बहुराष्ट्रीय निगमों में भारतीय अर्थव्यवस्था में आकर कार्य करे क्योंकि हमारे देश में पूँजी का अभाव है इसलिए हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जिस देश में पूँजी की अल्प मात्रा हो, वहाँ पर हमें पूँजी प्राप्त करने के लिए ऐसे उद्योगों को आमंत्रित करना चाहिए जो देश में रोजगार, तकनीकी, गुणवत्ता, यातायात सुविधा आदि का विस्तार कर सकें। इन सब मदों की जरूरतें बहुराष्ट्रीय निगम या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों करती हैं क्योंकि ये विकसित देश की कम्पनियाँ होती हैं।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सम्बन्ध में कुछ ऐसे नियम बनाना चाहिए जिससे हमारे भारतीय उद्योगों को संरक्षण मिल सकें। ये नियम इस प्रकार होना चाहिए जैसे -

बहुराष्ट्रीय निगमों को बड़े उद्योगों के सम्बन्ध में कार्य करना चाहिए, न कि छोटे उद्योगों में

कार्यरत उद्योगों के सम्बन्ध में कार्य करना चाहिए, जिससे उनकी पूँजी एवं तकनीकी का सही ढंग से उपयोग हो सके। छोटे उद्योगों से हमारा तात्पर्य कुटीर उद्योग या ऐसे उद्योग से है जो हमारे देश में बहुत पहले से वस्तुओं का निर्माण कर रही है उसे बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा न बनाने पर रोक लगानी चाहिए। इसके साथ-साथ जो छोटे उद्योगों से अपना पेट-पालते हैं। उन सभी व्यवसायों एवं उद्योगों पर रोक लगानी चाहिए। बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थापना उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित करने की अनुमति देनी चाहिए जो क्षेत्र पिछड़ा एवं अविकसित होता है जिससे वहाँ यातायात, बिजली, परिवहन, आबादी एवं रोजगार आदि की स्थापना हो सके। क्योंकि ये बहुराष्ट्रीय निगम विकसित देश की कम्पनियाँ होती हैं जो कि विकासशील देश में अपने उद्योगों एवं तकनीकी को लगाकर लाभ का अधिकतम हिस्सा अपने यहाँ ले जाती है इसलिए इनके लाभ के सम्बन्ध में यह नियम बनाना चाहिए कि लाभ का थोड़ा सा भाग केवल वे अपने देश में ले जा सकती हैं। लाभ का अधिकतम भाग उसे उसी उद्योग में या देश के विकास में विनियोजन कर देना चाहिए।

जिस प्रकार उद्योग में पूँजी रक्त का संचार करती है उसी प्रकार ये बहुराष्ट्रीय निगमों के सम्बन्ध में यदि नीतियाँ देश के अनुकूल हों तो देश की अर्थव्यवस्था में रक्त की संचार को तीव्र गति प्रदान करती है। आज के व्यवसाय के लिए अत्यधिक आवश्यकता इस बात की है कि न करने से ज्यादा अच्छा हम कुछ करें, इसके लिए हम दूसरे देशों से पूँजी एवं तकनीक लेकर अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिससे देश के विकास में अत्यधिक योगदान कर सकते हैं यही उद्देश्य का उद्देश्य है।

भारत सरकार की नीति इन बहुराष्ट्रीय निगमों का भारतीयकरण करने की थी। अतः इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार ने कुछ अधिकार ले लिये जिनके अन्तर्गत उसने इन सभी 883 कम्पनियों से कहा था कि वे अपनी पूँजी में विदेशियों का हिस्सा 40 प्रतिशत करने का प्रयास करें। अतः 700 कम्पनियों ने अपनी पूँजी में विदेशियों का हिस्सा 40 प्रतिशत कर दिया, लगभग 100 कम्पनियों का 51 प्रतिशत पर बने रहने की अनुमति दे दी गयी, लगभग 40 कम्पनियों को 74 प्रतिशत पर बने रहने की आज्ञा दे दी गयी, लेकिन कोका कोला व आई बी एम, इस प्रकार विदेशी हिस्सा कम करने को तैयार नहीं हुए। अतः उन्होंने अपना व्यापार बन्द कर दिया, परन्तु अभी हाल में सरकार ने नीतियों में परिवर्तन किया है। औद्योगिक नीति 1991 के अनुसार 51 प्रतिशत की पूँजी की अनुमति सरकार द्वारा दी जा रही है इससे इन निगमों की क्रियाएँ भारत में बढ़ रही हैं। अनेक बहुराष्ट्रीय



निगम भारत में आ गये हैं और उन्होंने अपना व्यापार प्रारम्भ कर दिया है। कोका कोला कम्पनी जिसे पहले अनुमति न मिलने के कारण अपना व्यापार भारत में बन्द करना पडा था वह अब 17 वर्ष बाद पुन भारत में आ गई है। भारत की औद्योगिक नीति 1991 व नवीन आर्थिक नीति के फलस्वरूप बहुराष्ट्रीय निगमों का कारोबार भारत में तेजी से बढ़ने लगा है।

## बहुराष्ट्रीय कम्पनी 'कोल ड्रिक्स' की समीक्षा .

देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा अपने कोल्ड ड्रिक्स पिलाकर हमारी युवा पीढ़ी को नशेड़ी बनाने का जो अभियान चलाया जा रहा है उसकी ओर मैं अपना ध्यान आकर्षित करना आवश्यक समझता हूँ।

कोल्ड ड्रिक्स में तात्कालिक स्वाद के अलावा और कोई भी पौष्टिक तत्व नहीं है। अपने देश में अब तक कोल्ड ड्रिक्स के तत्वों के विषय के बारे में कोई शोध नहीं किया गया था। अब अहमदाबाद के कज्युमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेक्टर (सी आई आर सी) की प्रयोगशाला में इन सभी ब्राण्डों की जाँच करके पता लगाया है कि किस कोल्ड ड्रिक्स में क्या है और कितना है। जिन कोल्ड ड्रिक्स की जाँच की गई वे हैं कोका कोला, पेप्सी कोला, मिरिंडा, गोल्ड स्पाट, फैंटा, सेवन अप थम्स अप, सिट्रा और टीमा। इनमें लेड शीशा, जिंक कापर, आर्सेनिक, कैडमियम, आयस, कैफीन, कैलोरी, शुगर और बेजोइक एसिड की मात्रा की जाँच की गई। इन सभी तत्वों की एक निर्धारित मात्रा के बारे में ब्यूरो आफ इंडियन स्टैन्डर्ड (बी आई एस ) और प्रोवेशन ऑफ फ्रूट एडल्ट्रेशन (पी एफ ए ) ने कुछ निर्देश जारी कर रखे हैं जिनका सभी कोल्ड ड्रिक्स निर्माताओं को पालन करना अनिवार्य है। इस जाँच के बाद बी आई एस और पी एफ ए ने कोल्ड ड्रिक्स में लेड यानि शीशे की मात्रा की सीमा 0.5 पी पी एम निर्धारित की गयी है। जबकि अमीर देशों में यह सीमा 0.2 पी पी एम है।

शीशा की अधिक मात्रा शरीर में जाने पर न केवल नसों को नुकसान पहुँचाती है बल्कि इससे रक्त की लाल कोशिकाएँ भी नष्ट होती हैं जिससे अतत ब्लड प्रेशर बढ़ जाने की शिकायत होती है, इस जाँच में यह सतोषजनक बात पता चला है कि पेप्सी, मिरिंडा, गोल्ड स्पाट और फैंटा में लेड की मात्रा 0.9 पी पी एम है जबकि अन्य सभी कोल्ड ड्रिक्स जिनका टेस्ट किया गया उनमें लेड नहीं था।

इसी प्रकार कोका कोला पदार्थों में इस्तेमाल होने वाला एक अन्य प्रमुख पदार्थ है कैफीन जो कम मात्रा में लिये जाने पर तो नुकसान नहीं पहुँचाता लेकिन अधिक मात्रा में लेने पर बेचैनी, अनिद्रा और सिरदर्द जैसी समस्याएँ खड़ी कर सकता है। बी आई एस और पी एफ ए ने कोल्ड ड्रिक्स में

कैफीन की मात्रा अधिकतम 200 पी पी एम निर्धारित की है। कोका कोला, पेप्सी और थम्स अप मे इसकी मात्रा तो निर्धारित सीमा के अन्दर है।

ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियों जब विदेशो के जागरूक उपभोक्ता को अपने शीतल पेय बेचती है तो उनमे इन सभी हानिकारक तत्वो की मात्रा काफी कम होती है। उदाहरण के तौर पर 1984 मे इंग्लैण्ड में जब पेप्सी और कोका कोला मे कैफीन की मात्रा की जाँच की गई तो वह क्रमशत 47 और 48 पी पी एम ही निकली।

यह भी एक चिंता की बात है कि कोल्ड ड्रिंक में शुगर यानी चीनी की मात्रा कितनी होनी चाहिए इसके लिए बी आई एस और पी एफ ए ने कोई भी मानदंड निर्धारित नहीं किए हैं। इससे अभिप्राय यह है कि कोल्ड ड्रिंक निर्माता शुगर की मात्रा मनचाही डालने के लिए स्वतन्त्र है जबकि स्वास्थ्य का तकाजा है कि इसकी मात्रा निर्धारित होनी चाहिए। अधिक शुगर से मुँह में वैक्टीरिया ज्यादा पनपते हैं जो अतत दाँतों मे कीडे लगने का कारण बनते हैं। कोल्ड ड्रिंक मे पाई जाने वाली कैलोरी मे पोषक तत्व बिल्कुल नहीं होते। इसमें खनिज (मिनरल), प्रोटीन या विटामिन नहीं होते जबकि इसके विपरीत सभी फलो के जूस मे मिनरल होते हैं। अधिक शुगर का अभिप्राय है अधिक कैलोरी और बिना पोषक तत्वो वाली यह कैलोरी मोटापा बढ़ाने के सिवाय स्वास्थ्य में कोई और योगदान नहीं देती। इस टेस्ट में पाया गया कि सभी कोल्ड ड्रिंक में शुगर की मात्रा 11 प्रतिशत से 14 प्रतिशत है। टेस्ट मे कैलोरी की मात्रा सबसे अधिक 56 और सबसे कम 44 पाई गई है।

इसी तरह यह भी देखा गया है कि कापर और जिंक की निर्धारित सीमा के बारे में तो हमारे नियम कडे हैं, लेकिन आर्सेनिक के इस्तेमाल की सीमा मे ढिलाई है जबकि यह एक जहरीला तत्व है और इसकी अधिक मात्रा कई बीमारियाँ पैदा कर सकती हैं।

टेस्ट मे यह भी देखा गया है कि उन कोल्ड ड्रिंक में फैंटा की डेढ लीटर की बोतल को छोड़कर और किसी भी बोतल पर निर्माण और इस्तेमाल की अवधि के सीमा के बारे में नहीं लिखा गया था, जबकि विदेशों में इन कोल्ड ड्रिंक निर्माताओं को यह सब लिखना अनिवार्य है। इस तरह साफ हो गया है कि हर तत्व के इस्तेमाल में भारतीय नियमों के ढिलाई के चलते यह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों उपभोक्ता की अज्ञानता का लाभ उठाकर उसे अपनी सुविधा के अनुसार माल परोस रही है। सी आई आर सी अपने टेस्ट में इन कोल्ड ड्रिंक की तुलना लस्सी, नारियल पानी, फलों के जूस और गन्ने के रस जैसे पारम्परिक पेय पदार्थों से करते हुए इन सभी को विदेशी पेय पदार्थों से बेहतर

बताया है, क्योंकि इनमें कोई भी हानिकारक तत्व नहीं पाया गया।

टेस्ट के दौरान यह भी देखा गया कि ये कोल्ड ड्रिंक जितना जल्दी पी लिए जाए उतना कम नुकसान करते हैं क्योंकि धीरे-धीरे पीने से इनमें बैक्टीरिया अधिक पनपते हैं। साथ ही यह भी पता चला है कि अगर कोल्ड ड्रिंक के सीधे बोतल में मुँह लगाकर पीने की बजाय पाइप (स्ट्रॉ) से पी जाए तो मुँह में बैक्टीरिया कम पैदा होते हैं। सेंटर ने इस कोल्ड ड्रिंक में शीशा की मात्रा को और कम किये जाने और इस पर कड़ाई से अमल के लिए बी आई एस और पी एफ ए को लिखा है। साथ ही इनके निर्माण और किस तारीख तक इस्तेमाल करना उचित होगा। ऐसे विवरण भी कोल्ड ड्रिंक के ऊपर लिखे जाने के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को निर्देश देने को कहा है।

इन कोल्ड ड्रिंक में इस्तेमाल होने वाले तत्वों मसलन कैफीन, लेड, आर्सेनिक की मात्रा और उनके पोषक तत्वों के बारे में भी कोल्ड ड्रिंक के लेबल पर खुलासा किये जाने को सेंटर ने बी आई एस और पी एफ ए से आग्रह किया है। राजनैतिक दबावों के चलते ऐसे नियमों पर अमल करते कई बार बरसो लगते देखे गए हैं, लेकिन जब तक सरकार कोई कदम उठाए तब तक जागरूक नागरिक ऐसी टेस्ट रिपोर्टों के आधार पर ऐसे हानिकारक सामानों के बहिष्कार का फैसला कर इनके खिलाफ माहौल बनाने में सक्रिय भूमिका तो निभा ही सकते हैं।

## बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का दुश्चक्र :

आदिकाल से ही कृषि जीवन का आधार रही है और किसान समाज का पालनहार रहा है लेकिन अंग्रेजी हुकूमत से लेकर आज तक यानि पिछले 200 सालों से किसान लगातार गरीब होता गया है। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के राज में किसानों से जोर जबर्दस्ती कर उन फसलों को पैदा करवाया जाता था जो इंग्लैण्ड के कल-कारखानों में काम आती थी।

अंग्रेज अपना पेट भरने के लिए अन्न लूटकर इस देश से ले जाते थे। अंग्रेजी राज्य में इस देश में दो सौ बार अकाल पड़ा था। खेती पर किसानों की मिल्कियत को नकारते हुए अंग्रेजों ने यहाँ देशी-विदेशी जमींदार स्थापित कर दिये थे। इन्हीं कारणों से किसानों ने आजादी के आन्दोलन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। देश को अंग्रेजी दासता से मुक्त करवाया और आज न केवल देश भर की खाने की जरूरत किसान पूरी कर रहे हैं बल्कि दुनिया के जरूरतमंदों को भी अनाज दे रहे हैं।

लेकिन खेतों में हमारी तरक्की और किसानों की खुशहाली दुनिया के व्यापारियों को नहीं ~~सुहाली~~ <sup>सुहाली</sup> वे चाहते हैं कि हम उनसे भीख माग कर खायें और हमारी खेती पर इनकी जमींदारी स्थापित

हो तथा किसान उनके यहाँ गुलामी मजदूरी करे। जिस तरह अग्रेजों को हमारे राजा-महाराजा और जमींदार मदद करते थे उसी तरह अब विदेशी व्यापारियों (बहुराष्ट्रीय कम्पनियों) की मदद हमारी सरकार राजनेता, पूँजीपति और बड़े सरकारी अधिकारी कर रहे हैं और विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को खेती का कारोबार करने की इजाजत सरकार ने दे दी है। फसलो के बीजों पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को पेटेंट अधिकार मान लिये गये हैं। विश्व व्यापार समझौता हमारी खेती-बाड़ी को ही लील जायेगा। बीजों पर किसानों की पुश्तैनी अधिकार रहा है। आज तो उन्नत किस्म के गेहूँ, चावल, दलहन और तिलहन के बीज है। उनको विकसित करने में किसानों की हजारों साल की मेहनत और पारम्परिक ज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है, परन्तु अब विश्व व्यापार सगठन समझौते के बाद किसान का यह अधिकार समाप्त हो गया है और बीजों पर विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का अधिकार मान लिया गया है। सोयाबीन, कपास आदि के बीज पर तो अमरीकी कम्पनी डब्लू आर ग्रेस एण्ड कम्पनी का पेटेंट अधिकार हो ही गया है, अन्य फसलो के बीजों पर भी विदेशी कम्पनियों कब्जा करना चाहती है।

कृषि व्यापार नियमों की वजह से किसान अब अगली फसल के लिए नए किस्म के बीज बचाकर नहीं रख सकेंगे। आपस में इन बीजों का आदान-प्रदान नहीं कर सकेंगे। पूरे देश में प्रतिवर्ष 8 लाख टन बीजों की आवश्यकता होती है। इसी बीज के व्यापक बाजार पर विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की आँख लगी हुई है, जो बीज नियंत्रण के रास्ते पूरी कृषि व्यवस्था पर कब्जा करना चाहती है। बीज पर नियंत्रण खोने के साथ ही किसान की यह आजादी कि वह क्या बोए क्या काटे खो जाएगी। सम्पूर्ण भारत की कृषि व्यवस्था धीरे-धीरे किसानों के हाँथों से निकलकर मुनाफाखोर विदेशी कम्पनियों के हाथों में चली जाएगी।

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे और मझौले किसानों को मदद देने के लिए सरकार की तरफ से खाद, बिजली, पानी तथा बीजों पर सब्सिडी (राज्य सहायता) दी जाती है। गैट (विश्व व्यापार सगठन) समझौते के बाद इस पर व्यापक असर पडा है। अतः खेती किसानों के दिनों दिन मँहगी होती जायेगी। एक ओर तो खाद, बिजली, पानी महंगे होंगे तो दूसरी ओर बीज पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का कब्जा होने की स्थिति में किसानों को महंगे बीज मिलेंगे। पेप्सी कोला नामक कम्पनी टमाटर के बीज 25000 रुपये किलो बँच रही है। इन कम्पनियों के बीज 80-80 गुना तक मँहगे होते हैं।

नए किस्मों के बीजों के साथ रासायनिक खाद और कीटनाशकों की भारी खुराक देनी पडती है। इन्हें भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ही बँचती हैं। एक तरह से आधुनिक बीज एक दुश्चक्र है जो खेती को

पूरी तरह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर निर्भर करती है। ऐसी स्थितियों में छोटे और मझौले किसान खेती छोड़ने को मजबूर होंगे। एक आकलन के अनुसार अगले दस वर्षों में 25 प्रतिशत यानी लगभग 15 करोड़ किसान खेती-बाड़ी का काम छोड़कर शहरों में अपनी रोजी रोटी तालाशेंगे, मजदूरी करेंगे, रिक्शा खींचेंगे। गंदी बस्तियों में जहाँ हवा-पानी भी शुद्ध नहीं मिलता रहेगा। उनके बच्चे बीमारियों के शिकार होंगे।

समझौते के बाद हमें विदेशों से खाद्यान्न मगाना जरूरी हो गया है। इसकी जरूरत हो या न हो अनुमान है कि हमें 1 करोड़ 84 लाख टन अनाज का अनिवार्य रूप से आयात करना होगा। मान लीजिए हमारे यहाँ गेहूँ की भरपूर फसल हुई और उसी समय विदेशों से भी गेहूँ आ गया तो क्या किसानों को बाजार में गेहूँ का उचित दाम मिल पायेगा? अभी-अभी सरकार ने विदेशों से मँहगी चीनी मगाने का सौदा किया है जिसे सरकार सस्ते भाव पर देश में बेचेगी। इसी चीनी पर सरकार लगभग 450 करोड़ रुपये अपने खजाने से देकर इस चीनी का मँहगापन समाप्त करेगी। यदि यही पैसा गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को दिया जाता तो हमारे देश में चीनी का कोई कमी नहीं होती। इसी प्रकार सरकार ने गेहूँ आयात अधिक दामों पर किया परन्तु किसानों को गेहूँ का उचित मूल्य नहीं दिया। गैट समझौते (विश्व व्यापार सगठन) का यह असर तो होना ही था। इस तरह विदेशों से आयात किसानों को उत्पादन करने से रोकेगा। इसका नतीजा यह होगा, हमारी खाद्यान्न के मामले में विदेशों पर निर्भरता और देश की खेती चौपट हो जायेगी।

विदेशी कम्पनियाँ यही चाहती हैं कि खाने के लिए हम उनकी मेहरबानी पर निर्भर हो जाए, देश की खेती-बाड़ी चौपट हो जाए। किसान खेती-बाड़ी छोड़ दे तो अपनी जमींदारी स्थापित करने में सहूलियत होगी। विदेशी कम्पनियाँ कहेगी कि तुम तो खेती कर नहीं सकते, जमीन खाली पड़ी है इसे हमें दे दो, हम यहाँ उन्नत किस्म की खेती करेंगे।

किसान भी मजबूर हो जायेगा तो अपनी जमीन इन विदेशी कम्पनियों को बेचेगा और ये हजारों एकड़ के फार्म बनाकर उस पर मशीनों से खेती करेंगी। भूमि हदबदी कानून इनके आड़े आता है तो उसे भी बदलवा दिया जायेगा। एक विदेशी कम्पनी ने महाराष्ट्र सरकार से 50 हजार एकड़ जमीन ले ली है। इस प्रकार कर्नाटक सरकार ने भी एक विदेशी कम्पनी को 50 हजार एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है। इस फार्म पर विदेशी कम्पनियाँ क्या पैदा करेंगे? गेहूँ, चावल और दाल पैदा नहीं करेंगी। इन्हें तो वे अपने देशों से लाकर यहाँ बेचेगी और यहाँ पैदा करेंगी अगूर, जिससे शराब बनती है, जानवरों का चारा-खली जिसकी यूरोप में बहुत मांग है। लम्बाकू जिससे विदेशी कम्पनियाँ सिगरेट

बनाती है चाय- काफी जिसका विदेशी कम्पनियाँ कारोबार करती हैं, नई किस्म के फल और सब्जियाँ जिन्हे डिब्बा बंद कर विदेशो को बँचा जा सके। जिन किसानों की जमीने विदेशी कम्पनियाँ खरीदेगी वे उनके यहाँ मजदूरी गुलामी करेगे। अग्रेजी हुकूमत में नील की खेती का किस्सा हम भूले नहीं है और वे अकाल भी नहीं भूले है। जो अग्रेजी जमाने मे लाखो लोगो को मौत की नींद सुलाते थे। फिर से क्या ऐसा ही नहीं होगा?

सरकार बहुत कह रही है कि उदारिकरण के बाद खाद्यान्न बाजार मे अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से किसान को अपनी फसल का वाजिब मूल्य मिल सकेगा। दुनिया मे खाद्यान्न के व्यापार पर कारगिल, काण्टीनेटल, यूनी लीवर, पेप्सी, गोनसाओ जैसी कई बडी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का कब्जा है और कीमते तय करने की ताकत इन्हीं के हाँथ में है।

कारगिल और काण्टीनेटल, कारपोरेशन ने भारत से 60-100 डालर प्रति टन गेहूँ (240-400 रूपये प्रति क्विटल) खरीद कर अतर्राष्ट्रीय बाजार मे 230-240 डालर प्रति टन (1000 रूपये प्रति क्विटल) बेच दिया। जाडे के मौसम में तो 900-1000 रूपये प्रति क्विटल गेहूँ भारत में ही बिक गया। आलू की भी स्थिति ऐसा ही रही। पिछले वर्ष लाखों टन आलू खेतो में सड गया।

गैट समझौते के अनुसार पेटेंट कानून बनाने की कोशिश नरसिहराव की सरकार ने की और बाद मे सयुक्त मोर्चे की सरकार भी उसी रास्ते पर चली। अमरीका इस मुद्दे को लेकर बहुत नाराज था। अमरीकी मंत्री भारत के दौरे पर दौरे लगा रहे है कि किसी प्रकार नया पेटेण्ट कानून बन जाए। इस कानून के नतीजे निम्नलिखित होंगे -

- 1 एक रूप बीजो का प्रसार, कृषि विभिन्नता, बीजो और फसलों की विभिन्नता जो मौसम और स्थानीय जलवायु के हिसाब से होती है समाप्त हो जायेगी।
- 2 कृषि ससाधन किसानों से छिनकर बहुराष्ट्रीय उद्योगों के हाथ में हो जायेगा।
- 3 जरूरी अन्न उपजाने के स्थान पर कृषि भूमि का उपयोग अनावश्यक और नुकसान देह वस्तु पैदा करने में जैसे झींगा, मछली, शराब के लिए अगूर, तम्बाकू आदि।
- 4 घरेलू खाद्यान्न खपत में कमी और खाद्यान्न निर्यातों में वृद्धि।

विदेशी सहायक या अनुषंगी कम्पनियाँ, अल्पसंख्य सहयोग कम्पनियाँ तथा शुद्ध तकनीकी सहयोग के रूप में विद्यमान है उन सबमें विदेशी अनुषंगी कम्पनियों को वरीयता दी जाती है। कुछ भी हो हमारे देश के अन्दर बहुराष्ट्रीय निगमों ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रवेश किया है और अत्यधिक लाभ

अर्जित करके विदेशों को भेजे हैं। वर्ष 1948 में इन निगमों का कुल निवेश मात्र 260 करोड़ रुपये था जो कि 1974 के अन्त में 1791 करोड़ रुपये और 1978-79 में बढ़कर 2401 करोड़ रुपये हो गया।<sup>2</sup> हमारे देश में ब्रिटेन और अमेरिका के निगमों का ही वर्चस्व बना हुआ है।

आज भारत में अनेक विदेशी कम्पनियों बहुत ही बेहतर स्थिति में अपना कारोबार चला रही हैं और मुनाफा अर्जित कर रही हैं। ये बहुराष्ट्रीय निगम भारत ही नहीं वरन् अन्य विकासशील देशों में लूट-खसोट की नीति अपनाये हुए हैं। कुछ महत्वपूर्ण कम्पनियों यथा पाण्ड्स चेहरे के लिए क्रीम बनाने वाली कम्पनी, वारेन टी चाय बेचने वाली कम्पनी, सीबा दवाई बनाने वाली कम्पनी, कालगेट, पालमोलिव दंत मजकन व दाढ़ी बनाने का साबुन बनाने वाली कम्पनी, हिन्दुस्तान लीवर साबुन व डालडा घी बनाने वाली कम्पनी, ग्लैस्को, दवाई बनाने वाली कम्पनी गुडलक, नैरोलेक पेण्ट्स रग व वार्निश बनाने वाली कम्पनी आदि।

इसी प्रकार वृक्षारोपण में जहाँ विदेशी हितों का इस उद्योग में अधिपत्य है, भारत में 40 प्रतिशत चाय-उत्पादन उन स्टर्लिंग कम्पनियों के हाँथों में है जिन्होंने अपने को रूपया निवेश करने वाली कम्पनियों में परिवर्तित कर लिया है लेकिन उन्हें विदेशी विनियम अधिनियम के मार्गदर्शन के अधीन 74 प्रतिशत शेयर दिए जाने की अभी भी अनुमति नहीं दी गई है। चाय भारत के लिए पारम्परिक रूप से विदेशी विनियम मुद्रा पैदा करने वाला एक उद्योग है और जो चाय अधिकांश रूप से निर्यात की जाती है, उसका उद्योग उन्हीं कम्पनियों के हाँथ में है। मैंने स्वयं अपने अध्ययन के दौरान पाया कि दार्जलिंग के सबसे अच्छे चाय बागान अब भी ब्रिटिश कम्पनियों के अधिकार में हैं। लोकसभा की लोक लेखा समिति ने अपनी 15वीं रिपोर्ट 1977-78 में यह बताया था कि भारत में चाय उद्योग किस प्रकार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाँथ में है, जिन्होंने देश को अपने विविध विदेशी मुद्रा की आय से न केवल वंचित ही किया है, अपितु अपनी देय राशियों के सम्बन्ध में राजकोष को भी लूटा है। इस सम्बन्ध में औद्योगिक लाइसोसिंग समिति ने भी अपनी टिप्पणी की थी। भारत में दियासलाई उद्योग जो कि विकेंद्रित क्षेत्र में होना चाहिए, उसका भी बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कम्पनियों विमकों के हाँथ में ही है, जो कुल उत्पादन के 60 प्रतिशत से अधिक भाग को उत्पादित करती हैं।<sup>3</sup>

बहुराष्ट्रीय निगम लाभ कमाने के उद्देश्य से अति पूँजी प्रधान प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। वे ऐसी प्रौद्योगिकी के प्रसार पर जोर देते रहे हैं जो भारतीय दशाओं के अनुकूल नहीं रही। बहुराष्ट्रीय

2 मिश्र, जगदीश नारायण, भारतीय अर्थव्यवस्था, पृष्ठ संख्या-946

3 मिश्र, जगदीश नारायण भारतीय अर्थव्यवस्था, पृष्ठ संख्या-947-948

निगमे शोध अन्वेषण हेतु प्रयोगशालायें अपने मूल देश मे स्थापित करती हैं। बहुराष्ट्रीय निगम शोध अन्वेषण की लागत और उस पर रायल्टी विकासशील अर्थव्यवस्थाओ से अपने शाखा कार्यालयो और अनुषंगी इकाइयो के माध्यम से वसूल करते हैं। इन निगमो द्वारा हस्तान्तरित प्रौद्योगिकी ऊर्जा के गैर-नवकरणीय स्रोतों पर निर्भर है, जो अत्यन्त खर्चीली प्रकृति की है। इस प्रकार बहुराष्ट्रीय निगम विद्यमान उत्पादन ढाँचे को और आर्थिक संरचना को अत्यधिक हॉनि पहुँचाते हैं। वे एक वर्ग विशेष की आय बढ़ाकर उनके लिए ही उत्पादन करके अर्थव्यवस्था में आर्थिक और सामाजिक अन्तराल बढ़ा देते हैं। समाज का सम्पन्न वर्ग इन बहुराष्ट्रीय निगमो के उत्पादन के उपभोग से अपने को गौरवान्वित अनुभव करने लगते हैं। इसका लाभ उठाकर बहुराष्ट्रीय निगमो ने हमारे समाज के सम्पन्न वर्ग के लोगों पर अपना भावात्मक अधिकार स्थापित कर लिया है। इसके कारण परिस्थिति कुछ इस प्रकार बन गई है कि बहुराष्ट्रीय निगमो द्वारा आरोपित शर्तों पर ही उनके उत्पादन प्रभाव व आधिपत्य के नीचे आने के लिए हम लालयित रहते हैं। बहुराष्ट्रीय निगमो के प्रति यह निर्भरता वस्तुतः समाज के उच्च और मध्यम वर्ग की इच्छाओं और आकाक्षाओं का पश्चिमी देशों के प्रति उन्मुख होने का परिणाम है। पश्चिमी उपभोगवादी विचारधारा और पूँजी बहुल विज्ञापनो ने इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने में सहायता की है। आज समाज के अधिकांश उच्च वर्ग के परिवारों की स्थिति इस प्रकार हो गई है कि प्रातः काल से सायंकाल तक के जीवन व्यवहार में वे बहुराष्ट्रीय निगमों के उत्पादनों के प्रयोग की अधिकता और सततता को निम्नवत् प्रदर्शित किया है। उच्च और मध्यम वर्ग का व्यक्ति जब उठता है, कोलगेट टूथ ब्रस पर कोलगेट क्रीम फँलाता है (कोलगेट पामोलिव), लिपटन कम्पनी यूनीलीवर नियंत्रित द्वारा वितरित और पैकिंग की गयी चाय पीता है, पामोलिव शेविंग क्रीम और इरस्मिक ब्लेड का प्रयोग करता है, इण्डियन लीक टुबैको डेवलपमेंट कम्पनी द्वारा निर्मित सिगरेट को विमको दियासलाई द्वारा सुलगाता है और सोते समय बहुराष्ट्रीय निगम की औषधि का प्रयोग करता है। इस प्रकार जीवन के हर क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय निगमों ने प्रवेश कर लिया है और अब भारत में एक शोषक के स्थान पर कई विदेशी शोषक हो गये हैं जो प्रातः काल से लेकर सोते समय तक शोषण करते रहते हैं।

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को अधिक सक्षम बनाने के लिये उन्हें विदेशी संस्थाओं के साथ प्रतियोगिता में उतरना अच्छी बात है पर अगर इसका एशियाई विकास बैंक के अनुसार पूर्वी एशिया की अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष कई चुनौतियाँ प्रकट हो रही हैं तथापि उन्हें मैक्सिको सरीखा खतरा नहीं है। ऐसा कहने की बैंक को आवश्यकता पड़ी, यह अपने में प्रमाण है कि ऐसी समावनाएँ विद्यमान हैं। प्रश्न यह उठता है कि आखिर इन देशों की परिस्थिति गड़बड़ा क्यों रही है? इन देशों की घरेलू बचतें अक्षय्य ऊँची है और विदेशी निवेश भी बड़े पैमाने पर हुआ है। ये देश वे सभी नीतियाँ अपना रहे हैं,



जिनकी सस्तुति एशियाई तथा विश्व बैंक कर रहे हैं। फिर गडबडी की आशका क्यों ? वास्तव में विदेशी निवेश और विदेशी ऋणों की प्रक्रिया में समानता है। भारी मात्रा में ऋण लेने से मैक्सिको जैसे दक्षिणी अमेरिका के देशों की हालत बिगड गयी। पूर्वी एशिया के देशों की हालात भारी मात्रा में विदेशी निवेश के कारण बिगड रही है। एशियाई बैंक के रपट से ही इस प्रवृत्ति के प्रमाण मिलते हैं।

बैंक की द्विवार्षिक रपट के अनुसार चीन में 1995 में सकल घरेलू बचत दर 42.2 प्रतिशत थी जबकि निवेश 39.5 प्रतिशत हुआ। 12.7 प्रतिशत की बचत का चीन ने निर्यात किया है। ऊपर से 34 अरब डालर का विदेशी निवेश हुआ। जब निवेश के लिए घरेलू बचत ही पर्याप्त थी तो विदेशी निवेश की आवश्यकता कहाँ से बन पडी। बताया गया है कि वहाँ की सार्वजनिक इकाइयों को भारी घाटा लग रहा है। सरकार का बजट घाटा मात्र 1.2 प्रतिशत है, परन्तु सार्वजनिक इकाइयों के घाटे को सम्मिलित कर लेने के बाद यह 8 प्रतिशत हो जाता है। 39.5 प्रतिशत निवेश, 1.2 प्रतिशत बजट घाटे के लिए तो उनकी 42.2 प्रतिशत की घरेलू बचत पर्याप्त थी, परन्तु 8 प्रतिशत के सम्मिलित घाटे के लिए नहीं।" इस घाटे की भरपाई के लिए चीन की सरकार के पास धन नहीं है, अतः अपनी बचत से घाटा भरा गया और विदेशी निवेश किया गया, अन्त में प्रभाव दक्षिणी अमेरिका के ऋण के समान ही पड रहा है। अन्तर सिर्फ इतना है कि वहाँ ऋण लेकर सरकारी नेता खा पी गए थे, चीन में निवेश लेकर सार्वजनिक इकाइयों खा पी रही हैं। मैक्सिको में ऋण पर व्याज का भार बना रह गया था चीन में विदेशी निवेश पर लाभाश का भार बना रह जायेगा।

इंडोनेशिया में सरकारी कर्मचारियों के वेतनों में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर दी गई। उनके पेशन फण्ड की भी देनदारी बढ़ रही है। विदेशी निवेश से जो उन्हें विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है। उसका उपयोग मशीनरी आयातित करने के लिए कम व चावल तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के आयात करने के लिए अधिक किया जा रहा है। 1993 में निर्यातों की तुलना में उनके आयात सकल घरेलू उत्पाद के 1.3 प्रतिशत से अधिक थे। 1995 में ये बढ़कर 4 प्रतिशत हो गये थे। आयातों में वृद्धि तेजी से हुई और निर्यातों में धीमी। ऊपर से विदेशी निवेशकों ने लाभाश बड़े पैमाने पर भेजा है। इन कारणों से उनका बाहरी सतुलन बिगड रहा है, परन्तु यह बिगडाव प्रत्यक्ष नहीं दिखता क्योंकि भारी मात्रा में विदेशी निवेश भी हो रहा है अर्थ यह हुआ कि सरकारी कर्मचारियों का पोषण किया जा रहा है, आयातित वस्तुओं का उपभोग बढ़ाया जा रहा है और विदेशी निवेशक लाभाश बड़े पैमाने पर बाहर भेज रहे हैं। इन सब के लिए उनके पास पैसा नहीं।

अतः जो धन नए विदेशी निवेश के माध्यम से आ रहा है उसका उपभोग इन खर्चों की भरपाई

के लिए किया जा रहा है। आयात तथा लाभांश प्रेषण से जो विदेशी मुद्रा में कमी आई उसकी पूर्ति नए विदेशी निवेश से की गई। यह उसी तरह हुआ कि ऋण पर ब्याज अदा करने के लिए और ऋण ले लिया गया। मैक्सिको में भी ऐसा हुआ था। भारी मात्रा में उपभोक्ता वस्तुओं का आयात हुआ था और इसकी अदायगी ऋण लेकर की गई थी। भाडा उस दिन-फूटा जब और ऋण उपलब्ध न हुआ। ऐसा ही इंडोनिशिया में हो सकता है।

पूर्वी एशिया के देशों में सर्वाधिक खुली अर्थव्यवस्था मलेशिया की है। उसकी हालत भी बिगड़ी हुई है। एशियाई विकास बैंक ने बताया है कि वहाँ के बैंकों ने जनता को उपभोक्ता वस्तुओं के क्रय के लिए आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना चाहिए दूसरी तरफ विदेशी निवेशकों ने लाभांश बड़े पैमाने पर अपने देशों को वापस भेजा। 1995 में मलेशिया में विदेशी निवेश 43 अरब डालर हुआ और 6 अरब डालर लाभांश बाहर भेजा गया, नतीजा यह हुआ कि 1982 के बाद पहली बार उनके आयात अधिक और निर्यात कम हुए। बाहरी सतुलन बिगड़ रहा है। वर्तमान में इस बढ़ती हुई खपत तथा लाभांश प्रेषण की भरपाई दो स्रोतों से की जा रही है। एक विदेशी निवेश दूसरा सार्वजनिक इकाइयों का वर्गीकरण एवं निजीकरण। निष्कर्ष यह हुआ कि घरेलू खपत बढ़ रही है और उसकी भरपाई विदेशी निवेश से की जा रही है। मैक्सिको में भी घरेलू खपत की भरपाई ऋण लेकर की गयी थी। थाइलैण्ड में संगठित श्रमिकों के वेतन में भारी बढ़ोत्तरी हुई है। नतीजा यह हुआ कि जनता ने बचत करना कम कर दिया। सरकार द्वारा टैक्स लगाकर बचत और जनता द्वारा खपत अधिक की जा रही है। श्रमिकों के बढ़ते वेतन के कारण अनेक उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में खड़े नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन खपत बढ़ रही है साथ-साथ आयात भी। 1995 में आयातों में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि निर्यातों में 25 प्रतिशत की। बाहरी सतुलन पर दबाव बन रहा है। वर्तमान में इसकी भरपाई विदेशी निवेश से की जा रही है। कुल मिलाकर समस्या यह है कि बचत नहीं बढ़ रही है। इस कमी की भरपाई वर्तमान में विदेशी निवेश से की जा रही है।

यह थी कहानी पूर्वी एशिया की चार प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की। ये सभी तथ्य एशियाई विकास बैंक द्वारा दिये गये हैं। पर अलग बात है कि बैंक इन्हें गंभीर नहीं मानता और इन देशों को फिर भी सलाह देता है कि वे विदेशी निवेश तथा निर्यात के प्रति खुलापन बनाए रखें। उन्हें मैक्सिको जैसी समस्या की आशंका नहीं होनी चाहिए परन्तु बैंक की यह दलील गले नहीं उतरती। वास्तव में विदेशी ऋण तथा विदेशी निवेश की प्रक्रिया में समानता ही है। मूल बात यह है कि दोनों के लाभ भी निवेश वापस ले जाने को तत्पर रहते हैं अतः सिर्फ इतना है कि ऋण का लाभांश अनिश्चित होता है, अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। मूल समानता यह है कि मेजबान देश से धन बाहर

भागता है।

दूसरी समानता यह है कि ऋण और निवेश दोनों से ही घरेलू खपत में वृद्धि को ढका जा रहा है। मैक्सिको को सरकार ने ऋण लेकर सार्वजनिक कर्मचारियों की भर्ती की और उँचे वेतन दिये, खपत बढ़ गई, ऋण खड़ा रह गया। भरपाई करने के लिए लाभ के स्रोत पर्याप्त मात्रा में नहीं बने। पूर्वी एशिया में भी ऐसा ही हो रहा है। विदेशी निवेश के कारखाने भले ही लगे हों, परन्तु उनके लाभांश अदायगी का भार भी बढ़ रहा है। सरकारें अपना घाटा नियन्त्रित नहीं कर रही हैं। आयात तेजी से बढ़ रहे हैं और तुलना में निर्यात कम हो रहे हैं। इन सब बिसगतियों को विदेशी निवेश से मिली रकम से ढका जा रहा है, लेकिन कब तक? मैक्सिको में यही प्रक्रिया तब तक चलती रही जब तक नए ऋण उपलब्ध होते रहे परन्तु उस दिन तबाही मच गई, जब नए ऋण मिलना बंद हो गया। उसी प्रकार वर्तमान में इन देशों की यह प्रक्रिया चालू रह सकती है। वास्तविकता तो तब सामने आएगी जब नया निवेश आना बन्द हो जायेगा।

एक तरफ इन देशों की उपरोक्त बिगड़ती परिस्थिति है, दूसरी तरफ यह भी सत्य है कि इनकी विकास दरें 6-10 प्रतिशत के बीच बनी हुई हैं। इसे भी नकारा नहीं जा सकता। इस गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए। इसे सुलझाएगा समय। मैक्सिको 60 तथा 70 के दशक में उदाहरण की तरह पेश किया जा रहा है। अब 90 के दशक में परिणाम सामने आये हैं। अतः यदि 90 के दशक में पूर्वी एशिया को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है तो इसके परिणामों को भी सामने आने के लिए समय तो देना होगा, लेकिन सदेह नहीं कि ये अर्थव्यवस्थाएँ किस ओर बढ़ रही हैं। सभी में एक ही प्रक्रिया चल रही है। अनियन्त्रित सरकारी खर्च, बढ़ती घरेलू खपत, लाभांश प्रेषण में वृद्धि और उनकी भरपाई करने के लिए विदेशी निवेश पर निर्भरता अर्थात् परिस्थिति का सही अनुमान तो 10 से 20 साल बाद ही लगेगा।

कछुए और खरगोस की दौड़ है। भारत कछुए की तरह चलता है। 5000 वर्षों के उतार-चढ़ाव को हमने देखा है इसलिए हमारी चाल धीमी है। विदेशी निवेश हमारे सरकारों को चाहने के बारे में भी नहीं आ रहा है। इसके लिए विदेशी निवेशकों को अनेक धन्यवाद। हम आप तो यही कर सकते हैं कि विदेशी निवेश के उभरते हुए दुष्परिणामों के प्रति सजग रहे। हो सकता है कि जब तक हम विदेशी निवेश को आकर्षित करने की स्थिति में आए तब तक यह गुब्बारा फूट चुका हो और हम बच जाएं। मतलब वित्तीय अराजकता और असुरक्षा है तो लोगों को यह समझौता खारिज करने में देर नहीं लगेगी। एक स्पष्ट खाका बनाने से न सिर्फ हमारी अदरूनी हालत सुधरेगी अपितु विश्व व्यापार सगठन में हम अच्छी सौदेबाजी करने की स्थिति में होंगे।

हैरत की बात है कि इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की कोई समिति तक नहीं बनाई गई है। मरोकश समझौते पर भारत के दस्तखत करने के तीन साल बाद अब जाकर दो समूह (बहुस्तरीय निवेश और प्रतियोगिता नीति) पर गठित किये गये हैं। प्रधानमंत्री द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह के सदस्य जी वी रामकृष्ण कहते हैं 'समझौते की सीमाओं और उसके असर को लेकर यहाँ काफी मतभेद है'। यहीं रवैया रहा तो हमें भारतीय वित्तीय क्षेत्र में प्रतियोगिता से मुँह चुराने के लिए फिर उसी राजनैतिक अस्थिरता के औजार का इस्तेमाल करना पड़ेगा।

### समझौते के बाद क्या होगा-

- 1 नई सरकार को विदेशी कम्पनियों के लिए बीमा क्षेत्र को खोलने के बारे में फैसला करना होगा। इस फैसले पर अमेरिका, जापान, यूरोपीय सघ की नजर रहेगी।
- 2 विदेशी बैंकों को भारत में ज्यादा बड़ा बाजार मिलेगा।
- 3 दूसरे देशों के लिए अपना बाजार खोलने के मामले में भारत अब कोई भेदभाव नहीं कर सकेगा।
- 4 अगर अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों को ज्यादा फ़ैलने की अनुमति न दी गई तो भारत के निर्यात पर बुरा असर पड़ेगा।



८

निष्कर्ष एवं सुझाव

# निष्कर्ष एवं सुझाव

किसी भी शोधकार्य का मूल उद्देश्य यह होता है कि प्रस्तावित विषय से सम्बन्धित विभिन्न तथ्यों का सग्रहण करें और तथ्यों का विभिन्न दृष्टिकोणों से विश्लेषण करें और उन विश्लेषणों से प्राप्त निष्कर्षों को समाज के समक्ष प्रस्तुत करें। अतः किसी भी शोधकार्य का निष्कर्ष सम्पूर्ण अध्ययन का एक सार रूप होता है जिससे सामान्य व्यक्तियों को विषय वस्तु से परिचित कराने में सुविधा होती है। इसलिए निष्कर्ष पूर्व के अध्याय में प्रस्तुत विवरण व विश्लेषण का सार रूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तुत शोध ग्रन्थ का विषय "बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सन्दर्भ में उदारीकरण नीति की उपादेयता" से सम्बन्धित है। उदारीकरण के चार मूल सिद्धान्त हैं, इन्हें प्राप्त करके कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है। ये हैं उत्पादकता बढ़ाना, कार्य क्षमता में वृद्धि, गुणवत्ता में श्रेष्ठता हासिल करना और टेक्नोलाजी उन्नयन। अस्सी के दशक में ब्रिटेन की निवर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमती मार्गरेट थैचर ने निजीकरण को प्रोत्साहन प्रदान करके विश्व के लिए आर्थिक सुधार का श्रीगणेश किया। इस सुधार की हवा से ब्रिटेन ही नहीं, अपितु संपूर्ण यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया भी प्रभावित हुए। नवम्बर, 1995 तक विदेशों में भारत के 592 सयुक्त उद्यम थे, जिनमें से 185 ने कार्य करना आरम्भ कर दिया था और 407 कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में थे। 185 सयुक्त उद्यमों में से 104 (56 प्रतिशत) उत्पादन के क्षेत्र में हैं, जिनमें हल्का इजीनियरिंग सामान, वस्त्र तथा सम्बद्ध उत्पाद, रसायन, औषधि, खाद्य उत्पाद, चमड़े और रबड़ की वस्तुएँ, लोहा और इस्पात, व्यापारिक वाहन, लुगदी और कागज और सीमेंट उत्पाद आदि का निर्माण हो रहा है। गैट उत्पादन क्षेत्र में होटल, रेस्तरा, व्यापार एवं विपणन, परामर्श सेवाएँ, इजीनियरी और निर्माण कार्य प्रमुख हैं। 185 सयुक्त उद्यमों में भारतीय पूँजी (इक्विटी) की कुल मात्रा लगभग 221 86 करोड़ रुपये की है। अधिकतर सयुक्त उद्यम दक्षिण और पूर्वी एशिया के पड़ोसी देशों में स्थित हैं। इसके बाद ब्रिटेन, अमरीका, पश्चिम एशिया और अफ्रीका का स्थान आता है। अमरीका चाहता है कि भारत अमरीकी बौद्धिक सम्पदा के अधिकारों को कारगर संरक्षण प्रदान करें यदि भारत अमरीका की 'बौद्धिक सम्पदा अधिकार' सम्बन्धी अवधारणा को स्वीकार कर लेता है, तो इससे न सिर्फ देश में औषधियों के मूल्यों में भारी वृद्धि होगी, अपितु सम्पूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाँथों में चली

जाएगी।

अमरीका भारत पर 'उत्पाद पेटेंट' कानून को लागू करने के लिए दबाव डाल रहा है। इन कानूनों को लागू करने का सीधा सा अर्थ है, देश की आर्थिक हितों की अनदेखी कर देनी। उत्पादक पेटेंट कानून के अन्तर्गत उत्पाद को विकसित करने वाला ही अपने उत्पाद का उत्पादन करने और बिक्री करने का अधिकारी होता है। उसकी अनुमति के बिना अन्य कोई इस उत्पाद का उत्पादन तथा विक्रय नहीं कर सकता। इसके विपरीत भारत में अपनाये जा रहे 'उत्पाद प्रक्रिया पेटेंट' कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी उत्पाद की उत्पादन प्रक्रिया पर ही अन्वेषक का बौद्धिक सम्पदा अधिकार होता है। कोई भी दूसरा उत्पादक बिना पूर्वानुमति के इस प्रक्रिया से उत्पादन नहीं कर सकता, लेकिन इस प्रकार से उत्पादित की जाने वाली वस्तु के लिए वैकल्पिक उत्पादन प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। यदि भारत द्वारा 'उत्पाद पेटेंट' प्रावधानों को स्वीकार कर लिया जाता है तो देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के गिरफ्त में आ जाएगी। कृषि एवं पशुपालन, इलेक्ट्रानिक्स, कम्प्यूटर, इंजीनियरिंग तथा औषधि उद्योग बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के मोहताज हो जायेंगे। सर्वाधिक दयनीय दशा तो भारतीय कृषकों की होगी। जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा तैयार किये गये अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के बीजों से उत्पादित फसल से प्राप्त बीजों का पुनः प्रयोग नहीं कर सकेंगे, उन्हें प्रत्येक बार इन्हीं कम्पनियों से ही नए बीज क्रय करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

15 अप्रैल, 1994 को मराकाश में विश्व समुदाय द्वारा प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता 'गैट' के डकल प्रस्ताव को विधिवत स्वीकार कर लिए जाने के बाद विश्व अर्थव्यवस्था विशेष रूप से विकासशील देशों पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की पकड़ और भी अधिक मजबूत हो गयी है। प्रशुल्क एवं व्यापार की नवीन व्यवस्था के व्यापार सम्बन्धी बौद्धिक सम्पदा अधिकार-ट्रिप्स के अन्तर्गत बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से अनेक ऐसे अधिकार प्राप्त हो गए हैं, जिनका प्रयोग करके वे विकासशील देशों के नागरिकों का आर्थिक शोषण कर सकती हैं। दवाइयाँ हो या अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के बीज, मशीनें हो या नवीन औद्योगिक उत्पाद मौलिक रूप से बनाये गये औद्योगिक अभिकल्प हो या फिर सूक्ष्म जीव गैर जैव तथा सूक्ष्म-जैव प्रणालियों आदि सभी के मौलिक खोजकर्ता को इनके उत्पादन का एकाधिकार प्राप्त हो गया है। अब इन मौलिक आविष्कारकों की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना कोई भी अन्य उत्पादक इनका उत्पादन नहीं कर सकता और अनुमति प्राप्त करने के लिए ऊँचे रायल्टी का भुगतान करना होगा। इन समस्त मामलों में विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को पहले से ही एकाधिकार प्राप्त है और आगे भी प्राप्त रहेगा। इस व्यवस्था का

दुष्परिणाम यह होने वाला है कि विकासशील देश नयी दवाइयों, नए बीजों, नयी औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य बहुत अधिक होने के कारण इनका उपयोग ही नहीं कर पायेगे। एक अनुमान के अनुसार नयी व्यवस्था लागू हो जाने के बाद भारत में दवाइयों की कीमतों में 40 से 100 प्रतिशत तक वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार भारतीय कृषक बिना विदेशी कम्पनियों की अनुमति के अपने खेतों में अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग नहीं कर सकेगा। उसे हर बार नया बीज खरीदना होगा जो पेटेंट के कारण अत्यधिक महंगा होगा। डकल प्रस्ताव में व्यापार सम्बन्धी निवेश उपाय-ट्रिप्स को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का सुनहरा स्वप्न कहा जा रहा है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत सदस्य देश घरेलू एव विदेशी निवेश सम्बन्धी भेदभाव को समाप्त कर देंगे अर्थात् सदस्य देशों को विदेशी निवेश में आने वाली रूकावटों को समाप्त करना होगा। इस प्रकार अब बहुराष्ट्रीय कम्पनियों अनेक प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त करके विकासशील देशों में भारी मात्रा में पूँजी निवेश करेगी और मोटा लाभ अर्जित करके अपने मूल देशों को ले जाएगी।

अर्थव्यवस्था के गत्यात्मक स्वरूप को बनाए रखने के लिए कीमतों में थोड़ी बहुत वृद्धि होते रहना तो आवश्यक है। यह वृद्धि ही निवेशकर्ताओं को नवीन निवेश करने एव उत्पादकों को अपनी गतिविधियों का विस्तार करने के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य करती है, लेकिन जब कीमतें, राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि से भी अधिक तेजी से बढ़ने लगती है तो सामान्य आय वाले नागरिकों को जीवन कष्टमय होने लगता है ऐसी स्थिति में सरकार का यह कर्तव्य होता है कि तेजी से बढ़ती कीमतों को नियन्त्रित करने के उपाय करें उसके लिए उद्योग एव व्यापार को पूँजी प्रवाह जारी रखते हुए सकल मौद्रिक ससाधनों को नियन्त्रित करके, राजकोषीय घाटा न्यूनतम स्तर पर रखकर, कम आपूर्ति वाली वस्तुओं का आयात करके कीमतों को नियन्त्रित किया जाना चाहिए।

आज विश्व एक अति गभीर दौर से गुजर रहा है। जहाँ कुछ देश मंदी एव बेरोजगारी के दलदल में फँसकर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो वहीं तृतीय विश्व के विकासशील देश निर्धनता, कुपोषण एव बेरोजगारी के कुचक्र में फँसे हुए हैं। ये देश अपने विकास हेतु सतत प्रयत्नशील हैं। भारत भी इन्हीं देशों में से एक है। भारत के लिए आज सबसे प्रमुख आवश्यकता यह है कि वह अपनी समस्याओं, बाधाओं, प्राकृतिक ससाधनों के दोहन के स्तर एव उनकी उपलब्धताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय लक्ष्यों एव प्राथमिकताओं का निर्धारण करें और उन नीतियों का क्रियान्वयन करें, जो उसे अन्तर्राष्ट्रीय फलक पर उच्चता प्रदान करती है आज जबकि देश में उदारवादी नीतियों के साथ निजी क्षेत्र को अधिक दायित्व सौंपने का अच्छा वातावरण तैयार हो गया है, तो मंदी की मार से



त्रसित विकसित देशों से बेहतर सम्बन्धों को अत्यधिक उपलब्धि परक बनाया जा सकता है। चूँकि विकसित देशों की दृष्टि भारत के विस्तृत बाजार पर है, तो ऐसे में औद्योगिक क्षेत्र के दरवाजे प्रतिस्पर्धा के लिए खोल देने के निर्णय के साथ कई सावधानियाँ अपनाए जाने की भी आवश्यकता है। आज भारत निर्यात से जो कुछ भी अर्जित करता है, उससे कहीं अधिक आयातों में गवाँ देता है। देश में निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिये जाने तथा भारी मात्रा में विदेशी पूँजी विनियोग के बाद भारतीय बाजार के अधिकाधिक प्रतिस्पर्धा हो जाने से स्थिति में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। ये परिवर्तन देश की निर्धनता को दूर करने में कितने सहायक होंगे, यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है।

भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय विश्व की छठवीं अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी है। इसका स्वरूप कुछ विशिष्ट प्रकार का है। प्राकृतिक ससाधनों की विपुलता, अत्यधिक दक्ष श्रम, उत्पादित वस्तुओं की खपत के लिए बहुत बड़ा बाजार, पूँजी की कमी तथा पूँजी निर्माण की धीमी गति, उपभोग का नीचा स्तर, बेरोजगारी, निर्धनता की व्यापकता से मुक्त भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत संरचना के निर्माण में औद्योगिक नीतियों 1956, 1977 आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात सम्बर्द्धन की नीति के तहत संरक्षण एवं आर्थिक सहायता के माहौल में घरेलू उद्योगों को जीवित रहने की आदत ने भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार से अलग-थलग कर दिया है। घरेलू इकाइयों में न तो लागतों को कम करने का कोई प्रयास किया है और न गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में कोई कदम उठाया है। जबकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पैर जमाने के लिए इन दो तत्वों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। देश में विदेशी कम्पनियों के आगमन के साथ विदेशी पूँजी, अत्याधुनिक उत्पादक टेक्नोलॉजी तथा दुर्लभ कच्चा माल आता है। जो परोक्ष रूप से घरेलू इकाइयों को भी विकसित होने के अवसर प्रदान करता है। रोजगार के नवीन अवसर सृजित होते हैं तथा निर्यातों को बढ़ावा मिलता है। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ही वर्ष 1991 में घोषित औद्योगिक नीति में विदेशी पूँजी के आगमन के द्वार खोल दिए गए हैं। इसके साथ-साथ घरेलू उद्योगों को भी खुलकर खोलने के अवसर प्रदान किए गए हैं। उदारीकरण तथा आर्थिक सुधारों के वातावरण में नवीन औद्योगिक नीति की सार्थकता इस बात में निहित है कि इन नीतियों के साथ सरलीकृत तथा उदार आयात-निर्यात नीति व करगत सुधारों का लाभ उठाते हुए भारतीय उद्योग स्वयं को इस सीमा तक सक्षम बनाए कि वह घरेलू स्तर पर ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी उत्पादकों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का मुकाबला कर सकें। इन नीतियों में दी गयी रियायतों का प्रयोग अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर विशेष ध्यान देकर लागत को कम करने तथा गुणवत्ता में सुधार करने के लिए किया जाना चाहिए। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की अपनी परीक्षणशालाएँ तथा शोध विकास के पृथक प्रभाग हैं खाद्य संरक्षण तथा उपभोक्ताओं की रूचि के

अनुकूल नये-नये डिब्बा बंद उत्पाद तैयार करने के लिए खोजबीन का कार्य करते रहते हैं।

कम्प्यूटर साफ्टवेयर का निर्यात काफी सीमा तक तकनीकी गुणवत्ता एवं विपणन प्रस्तुतीकरण से सम्बन्धित तथा लागत एवं गुणवत्ता के पैमाने पर यदि भारतीय साफ्टवेयर इकाइयों को आका जाए तो उनका स्थान विश्व में बहुत ऊँचा है। इस कारण ही विकसित देशों में स्थित बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में भारत अत्यधिक सक्षम और प्रतियोगी इंजीनियरी मानव-शक्ति की अच्छी साख है। भारत की 20 से अधिक साफ्टवेयर कम्पनियों ने अंतराष्ट्रीय उच्च गुणवत्ता का प्रतीक 'आई एस ओ -9000' सर्टिफिकेशन प्राप्त कर लिया है तथा शेष 67 कम्पनियाँ इसे प्राप्त करने की दिशा में विभिन्न स्तरों पर अग्रसर हैं। भारत विश्व में साफ्टवेयर के क्षेत्र में सबसे अधिक सार्टिफाइड कम्पनियों वाला देश बन जाएगा। विश्व में साफ्टवेयर निर्यात के क्षेत्र में आयरलैंड के बाद भारत का दूसरा स्थान है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कम्प्यूटर साफ्टवेयर निर्यात के क्षेत्र में भारत के अन्य प्रमुख प्रतिस्पर्धी देश ताइवान, एवं सिंगापुर हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य देश इजराइल, फिलीपींस, हांगकांग, मैक्सिको, हंगरी, तथा चीन भी इस दिशा में तेजी से प्रगति कर रहे हैं। 1986-87 में भारत से केवल 50 करोड़ रुपये मूल्य के साफ्टवेयर का निर्यात किया गया था जो 1996-97 में बढ़कर 4000 करोड़ रुपये हो गया।

इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड एण्ड टेक्नोलाजी डेवलपमेंट कारपोरेशन का गठन विदेशों में इलेक्ट्रॉनिक व्यापार में वृद्धि और प्रमुख क्षेत्रों में टेक्नोलाजी के विकास के लिए किया गया। इसने भिवानी में कम्प्यूटर और रगीन टेलीविजनों के चेसिस बनाने के लिए एक इकाई ली है। निगम ने 1993-94 में निर्यात में काफी वृद्धि की। इसने यूरोप में निर्यात के लिए रगीन टी वी सेट बनाने की इकाइयों स्थापित की। 1994 में अप्रैल से दिसम्बर के दौरान इसने जर्मनी को 6400 रगीन टी वी सेट निर्यात किए। निगम ने इलेक्ट्रॉनिक सूचना माध्यमों के जरिये शिक्षा देने का 'मार्गदर्शन' नाम का कार्यक्रम शुरू किया है। उचित कीमत पर वीडियो कैसटों के जरिए स्कूली पाठ्यक्रम, व्यापारिक शिक्षा, विज्ञान और टेक्नोलाजी सम्बन्धी सामान्य ज्ञान आदि उपलब्ध कराया जाता है। निगम ने गाँधीनगर के साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क का पूरा प्रबन्ध भी अपने हाथ में ले लिया है। बड़े कम्प्यूटर प्रतिष्ठानों, साफ्टवेयर केन्द्रों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए इसने 'मिनी स्टोर्स' योजना प्रारम्भ की है। निगम ने मौजूदा प्रौद्योगिकियों को उन्नत बनाने के लिए तकनीकी जानकारी प्रदान करने, मौजूदा प्रक्रियाओं की क्षमता में सुधार लाने और उद्योग की उभरती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप नई स्वदेशी प्रौद्योगिकिया विकसित करने जैसे उपायों के माध्यम से देश के औद्योगिक विकास में तेजी लाने में सहयोग दिया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने के उद्देश्य से सरकार द्वारा लागू

की गई औद्योगिक, आर्थिक एवं व्यापारिक नीतियों तथा आमूल परिवर्तन के अनुरूप परिषद की प्रयोगशालाओं ने अपनी प्राथमिकताओं को बदला है। औषधि, कृषि रसायन, तेलशोधन लकड़ी के स्थान पर उपयोग की जाने वाली सामग्री, जल शुद्धिकरण उपकरणों तथा अवशिष्ट उपचार जैसे अनेक क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक हस्तान्तरण किया गया है। प्रयोगशालाओं ने अमरीका की पार्क डेबिस, टू प्वाएट तथा जापान की मितसुई जैसी बहुराष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कंपनियों के साथ सहयोग के समझौते किए हैं।

उदारीकरण की नीतियों के फलस्वरूप उद्योगों की नई आवश्यकताओं के अनुरूप प्राथमिकताओं के पुनर्निर्धारण तथा अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों को नया रूप देने के उद्देश्य से आठवीं योजना में अनेक कदम उठाए गए हैं उद्योगों के साथ सम्पर्क को और सुदृढ़ करने की दिशा में उठाए गए इन कदमों के फलस्वरूप प्रायोजित अनुसंधान कार्यक्रमों और परामर्श से प्राप्त होने वाली राशि 1987-88 में 34 करोड़ रुपये थी। ई टी एण्ड टी विकास निगम की तकनीकी जानकारी पर आधारित अनुमानित वार्षिक उत्पादन 1987-88 में 650 करोड़ रुपये से बढ़कर 1993-94 में 2250 करोड़ हो गया। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने 1993-94 में करीब 2100 शोध पत्र प्रकाशित किए और 210 पेटेंट फाइल किए। जिनमें से भारत में 198 तथा विदेशों में 18 थे।<sup>1</sup> निगम ने दवाओं और औषधियों में भारत को न केवल आत्मनिर्भर, बल्कि निर्यातक देश बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई है।

विदेशों में इस प्रकार के सगठनों के बीच सहयोग बनाये रखने के उद्देश्य से अनेक वर्षों से द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस समय 30 देशों की 40 एजेन्सियों के साथ सहयोग समझौतों पर अमल हो रहा है, जिनमें से 14 विकसित और 18 विकासशील देश हैं। परिषद राष्ट्रमंडल विज्ञान परिषद, एशिया में विज्ञान सहयोग एशोसिएशन यूनेस्को, औद्योगिक तथा प्रौद्योगिक अनुसंधान सगठनों के विश्व सघ, कनाडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर, सार्क तथा संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालयों की गतिविधियों में भी भाग लेती है। सरकार की उदार नीतियों के सन्दर्भ में निगम ने अब अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग कार्यक्रमों को अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिक सहयोग, कार्यक्रमों का रूप देना शुरू कर दिया है।

विदेशों में रह रहे भारतीय विशेषज्ञों को भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में सहयोग मिल सके, इसके लिए निगम दो कार्यक्रम चलाती है। ये हैं - टोकटेन (प्रवासियों से ज्ञान का हस्तारण) और इन्टिस्ट (विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में प्रवासी भारतीयों से सम्पर्क) इन कार्यक्रमों

के तहत विदेशो मे रह रहे भारतीय विशेषज्ञो को थोडे समय के लिए भारत बुलाया जाता है।

उदारीकरण की नीति ने देश भर मे भले ही उत्साह जगाया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बडे हिदीभाषी राज्यो मे इसका कोई खास असर नहीं दिखाई दिया। ये राज्य आपेक्षित विदेशी पूँजी निवेश आकर्षित करने मे असफल रहे। इसका मुख्य कारण इन राज्यो मे राजनैतिक उथल-पुथल है। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यो की तुलना में यहाँ ढाँचागत सुविधाओ की भारी कमी भी इस नाकामी की एक प्रमुख वजह है।

आर्थिक उदारीकरण के बाद बाजार का तो पूरा स्वरूप ही बदल गया है पिछले दस वर्षों मे, उपभोक्ताओ की खरीदारी की मानसिकता मे तो और भी तेजी से बदलाव आया है। इस दौर मे मॉग के अनुरूप उत्पाद बाजार मे उतारने वाली कम्पनियों ही सफलता का स्वाद चख पाई हैं, जिन्होने इस प्रवृत्ति को नहीं समझा या जान-बूझकर इसे समझने की कोशिश नहीं की उनके पॉव उखड गए। पैसे की उपलब्धता बढने से आम उपभोक्ता की बाजार में पहुँच बढी और साइकिल खरीदने मे कई बार सोच-विचार करने वाला निम्नवर्गीय उपभोक्ता मोपेड और स्कूटर मोटर साइकिल के विकल्प को आसान मानने लगा। भूमण्डलीयकरण से देशो के बीच मे और देशो के अदर अमीर और गरीब के बीच विश्व अर्थव्यवस्था का ध्रुवीकरण हो गया है। जिन आर्थिक सुधारो से अर्थव्यवस्था में ऊपरी समाकलन दिखाई पडा, उसे कभी भी साफ हो जाने का खतरा भूमण्डलीयकरण से पैदा हो गया है। जैसा कि 1920 के दशक 1930 के दशक मे मदी के बाद की राजनैतिक घटनाओ ने आर्थिक विघटन पैदा किया जिसका खामियाजा गरीब तबके को ही भुगतना पडा, वैसा ही फिर हो जाने की परिस्थितियों बन रही हैं। भूमण्डलीयकरण के कारण जो तेजी से उदारीकरण हुआ है, उससे पैदा हुई ऊर्जा ने कुछ खास आम समूहो को ही फायदा पहुँचाया है, नतीजतन आमदनी में गैर बराबरी बढी है और उत्तर और दक्षिण दोनो के देशों में ऐसा हुआ है। इसके कारण उद्योग से ऊपर वित्त हो गया है, निवेशकों से ऊपर साहूकार बन बैठे हैं। नतीजतन रोजगार तेजी से घट रहे हैं और आमदनी की सुरक्षा भी घट रही है। राष्ट्रीय उत्पाद कुछ लोगों के हॉथ से चले जा रहे हैं, पूँजीनिवेश ठहर गया है और मुनाफे बढ रहे हैं। कुछ अल्पसंख्यकों की बढती आमदनी को कोई सामाजिक औचित्य नहीं है। मुनाफे पूँजी निवेश में नहीं लग रहे हैं, यह बडी समस्या पैदा हो गयी है। ऐसा कोई कानून नहीं, जिससे दक्षिण की कमाई अपने आप विकसित देशों के आय स्तर तक पहुँच जाए, जिससे वृद्धि और विकास से गैर बराबरी में स्वतः कमी आ जाए। पूर्वी एशिया में तेजी से बढती अर्थव्यवस्था वितरण की समस्या हल नहीं कर पाई है।

भूमण्डलीयकरण मे असीमितता बहुत है जिन क्षेत्रो मे विकासशील देशो को तुलानात्मक बढत मिली हुई है उनमे भेदभाव बदला जा रहा है। विकसित देश टैक्सटाइल्स और कृषि क्षेत्रो मे जहाँ विकासशील देशो की बढत है सरक्षणवादी नीतियो अपनाते है। माल के व्यापार का उदारीकरण अन्य क्षेत्रो के मुकाबले ज्यादा तेज हुआ है उत्तर के श्रम बाजार की समस्याओ को सुलझाने के लिए दक्षिण के सामान पर सरक्षणवादी नीति लगाई गई है।

भूमण्डलीयकरण के कारण जो अतिरिक्त आय विश्व में पैदा हो रही है वह धनी वर्ग के पास ही जा रही है और मध्यम वर्ग खोखला होता जा रहा है। सट्टेबाजी साथ-साथ मुनाफाखोरी और बेरोजगारी दुनिया के स्तर पर बढ रहे हैं। चिन्ता की बात यह भी है कि पश्चिम की हिस्सा की अपसस्कृति का भूमण्डलीयकरण पूरी दुनिया मे तेजी से हो रहा है।

इस समय पूरी दुनिया मे भूमण्डलीयकरण, निर्यात आदि की चिन्ता हो रही है। लोग भूल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था का हृदय देश के अन्दर होता है और समीपवर्ती क्षेत्र मे ही जो खेल होता है, वही ठीक होता है। निर्यात का भूत सवार हो जाने पर ऐसी गलाकाट प्रतिस्पर्धा शुरू होती है जो आत्मघाती सिद्ध होती है।

यह सही है कि उदारीकरण नीतियो के परिणाम स्वरूप विदेशी पूँजी निवेश मे बहुत अधिक वृद्धि हुई है तथा मदी के दल-दल मे फसे सयुक्त राज्य अमरीका, जर्मनी, जापान, स्पेन तथा ब्रिटेन के उद्योगपति तथा पूँजी निवेशक भारत मे पूँजी निवेश के लिए आतुर दिखाई पड रहे हैं, लेकिन ये लोग केवल उन्हीं क्षेत्रो मे निवेश करना चाहते हैं, जहाँ लाभ की मात्रा अधिक है या जहाँ भारतीय कम्पनियो सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। स्वीकृत किये गये प्रस्तावों मे ऐसे बहुत से प्रस्ताव हैं, जिनकी स्थापना का इससे अधिक कोई और औचित्य नहीं हो सकता कि वे इन नीतियो के अन्तर्गत प्रदान की गई सुविधाओं की आड मे किए गए हैं। चुइगम तथा टॉफी, पोटेटो-चिप्स, फल तथा नारियल के पानी, हेस्ताशिल्प, बोटलबन्द मिनरल वाटर, सुगन्धियो, प्रसाधन सामग्री होटल तथा रेस्टोरेन्ट आदि से सम्बन्धित अनेक प्रस्ताव स्वीकृत किए जाने की ऐसे समय कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, जबकि भारत की एक चौथाई से अधिक आबादी निर्धनता रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत कर रही है। भारत को आज ऐसे औद्योगीकरण एव पूँजी निवेश की आवश्यकता है, जो उसकी अवस्थापना को मजबूत करे, रोजगार के नए अवसरों का सृजन करे तथा निर्धनता के स्तर को कम करें, उपभोक्ता वस्तुओं के विनिर्माण को बढाए जाने से तो उपभोक्ता सस्कृति को ही बढावा मिलेगा, जो कम से कम वर्तमान परिस्थितियो में तो लाभकारी नहीं है।

आयात शुल्कों में की गई भारी कटौती व बाहर से टिकाऊ इलेक्ट्रानिक्स सामान तथा अन्य वस्तुओं को लाने की छूट देने से भारत में ऐसी अनेक वस्तुएं लाई जाने लगी हैं, जिनका उत्पादन देश में ही हो रहा है। ऐसा कर देने से अब घरेलू उत्पादकों को आयातित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। निश्चित रूप से यह उपाय ऐसे नहीं है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके और देश की औद्योगिक प्रगति को गति प्रदान की जा सके। भारत विश्व के विकसित देशों के लिए एक बहुत बड़ा तथा आकर्षक बाजार है और विश्व की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों यही चाहती हैं कि वे भारत के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में कोई सार्थक भूमिका का निर्वाह किए बिना अपनी वस्तुएं और विशेष रूप से उपभोक्ता वस्तुएं बेचने में सफल हो जाएं। विदेशी पूँजी निवेश के नाम पर यदि इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा विदेशी उत्पादकों को सुविधाएं प्रदान करके भारत में उपभोक्ता वस्तु उद्योग में पैर जमाने का अवसर प्रदान किया जाता है तो इससे भारतीय उपभोक्ता वस्तु उद्योग चौपट हो सकता है, जो देश हित में नहीं है। भारत के औषधि उद्योग को आशंका है कि आयात की सुविधा बढ़ जाने तथा विदेशी पूँजी निवेश के विस्तार से कुछ ही वर्षों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों भारतीय कम्पनियों में उत्पादन घटाकर अपने मूल देश में तैयार की जाने वाली दवाएँ भारत में लाकर बिक्री करने लगेगी। इस प्रकार अनेक क्षेत्रों में निर्मित उत्पादन क्षमता का उपयोग घटने लगेगा।

भारत सरकार उदारीकरण, की नीतियाँ विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में आकर लागू कर रही है और ये सस्थाएँ निश्चित रूप से सयुक्त राज्य अमरीका तथा जी-7 समूह के अन्य देशों के प्रत्यक्ष-परोक्ष दबाव में कार्य करने लगी हैं। भारत एवं तृतीय विश्व के अन्य विकासशील देशों पर अपनी अर्थव्यवस्थाओं के लिए मुक्त व्यापार नीति अपनाए जाने के लिए जोर डाला जा रहा है ताकि इसका लाभ उठाकर विकसित देशों के उत्पादक इन देशों के बाजारों में अपने अति-उत्पादन का राशि पतन कर सकें तथा अपने उद्योगों को मदी के दलदल से निकाल सकें। दूसरी ओर जापान और पश्चिम यूरोप के सभी देशों ने अपने उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए अनेक कानून बना रखे हैं ऐसी परिस्थितियों में उदारीकरण की नीतियों का प्रभाव घातक भी हो सकता है।

विगत वर्षों में आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात संवर्धन हेतु भारतीय उद्योगों को अनेक प्रकार के संरक्षणों, अनुदानों एवं रियायतों का लाभ मिलता रहा है। दूसरे इन्हें किसी भी स्तर व पर विदेशी निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा भी नहीं करनी पड़ी है। इन परिस्थितियों का ही यह परिणाम है कि भारतीय उद्योग संरक्षण तथा रियायतों की बैसाखियों पर चलने के आदी हो गए हैं। नवीन वातावरण में स्थिति यह है कि भारत के घरेलू उद्योग स्वयं तो सभी प्रकार की रियायतें प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन

दूसरी ओर ये विदेशी उत्पादकों, विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से प्रतियोगिता के लिए सक्षम बनने का मौका उन्हें दिया जाना चाहिए। इसके लिए कुछ वर्षों तक उन्हें नई नीतियों के तहत सरक्षण मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, वे करों तथा शुल्कों में और अधिक रियायतें तथा सरकार से सब्सिडी मिलने की आशा करते हैं। नवीन उदारवादी नीतियों के तहत अभी तो निर्बाध रूपसे विदेशी पूँजी निवेश होता जा रहा है तथा भारी मात्रा में विदेशी पूँजी भारत में लाए जाने की संभावनाएँ भी प्रबल हो गई हैं, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि जब इन निवेशों पर अर्जित लाभांश विदेशी मुद्रा के रूप में देश से बाहर जाएगा तो भारत के अन्दर विदेशी मुद्रा के कोषों पर दबाव बढ़ेगा तथा रूपये की स्थिति कमजोर होगी।

विश्व-स्तर पर जो आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए हैं या हो रहे हैं, उनसे भारत भी अछूता तो नहीं रह सकता। सोवियत संघ का विघटन, जर्मनी का एकीकरण, इजरायल एव पी एल ओ तथा अन्य मध्य पूर्व देशों के बीच सुधरते सम्बन्ध, आर्थिक दृष्टि से यूरोप का एकीकरण, जापान तथा यूरोपीय देशों का संयुक्त राज्य अमरीका से छिडा अधोषित आर्थिक युद्ध तथा विकसित देशों में मदी का दौर आदि कुछ ऐसी घटनाएँ हैं जिनके परिप्रेक्ष्य में भारत की आर्थिक नीतियों में उदारवादी दृष्टिकोण अपनाना लाभकारी हो सकता है बशर्ते की इन नीतियों का कार्यान्वयन भारत की आन्तरिक परिस्थितियों, समस्याओं, संसाधनों की उपलब्धता तथा दोहन की संभावनाओं को ध्यान में रखकर किया जाए। ये नीतियाँ ऐसे समय में प्रारम्भ की गई थी, जबकि स्वयं भारत पर आर्थिक संकट के बादल छाए हुए थे। इन नीतियों के कुछ आशाजनक परिणाम दिखाई भी पड़ने लगे हैं तथा अर्थव्यवस्था पुनः विकास पथ पर अग्रसर है, लेकिन नीति निर्माताओं को यह ध्यान में रखना होगा कि हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। इसलिए वे इन नीतियों का कार्यान्वयन भारतीय हितों को ध्यान में रखकर ही करें।

पिछले कुछ वर्षों से स्वदेशी शब्द को तोड़-मरोड़कर अपने राजनीतिक व आर्थिक सुविधा के लिहाज से परिभाषित किया जा रहा है। धर्मनिरपेक्षता व सांप्रदायिकता की तरह स्वदेशी भी राजनेताओं के लिए सत्ता की सौदागरी का औजार बन गया है। कोई शक नहीं कि कुछ समय के बाद उचित धर्मनिरपेक्षता की तर्ज पर उचित स्वदेशी का प्रादुर्भाव हो। स्वदेशी की अवधारणा सर्वप्रथम 1905 में आई, जब अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय के विरुद्ध सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा था। स्वतन्त्रता संघर्ष के दौरान महात्मा गाँधी तथा उनके पूर्व के राष्ट्रीय नेताओं ने स्वदेशी का ब्रिटिश

हुकूमत के खिलाफ एक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। स्वदेशी से तात्पर्य था, अपने देश में अपने लोगो द्वारा बनाए गए सामान को प्रोत्साहन देना तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। तब स्वदेशी राष्ट्रीय गौरव व आत्मनिर्भरता का प्रतीक थी और इसके प्रति जनता में अगाध श्रद्धा थी। आजादी से पूर्व स्वदेशी मुख्यतः एक राजनीतिक शब्द था, जिसका अर्थशास्त्र से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं था। आज की उदारीकृत अर्थव्यवस्था में इसे उसी रूप में लागू नहीं किया जा सकता। आज दुनिया एक गाँव में तब्दील होती जा रही है, जिसमें कोई भी देश अपनी आवश्यकताओं के लिहाज से पूर्णतः स्वतन्त्र नहीं रह सकता।

भारत का निर्माण निश्चय ही भारतीयों के द्वारा होना चाहिए, लेकिन देश के विपुल प्राकृतिक व मानवीय ससाधन के त्वरित दोहन व उपयोग के लिए विदेशी पूँजी व आधुनिक तकनीक की जरूरत है। विख्यात अर्थशास्त्री अर्जुन सेन गुप्ता के अनुसार, आठ प्रतिशत की विकास दर हेतु लगभग दस अरब डालर प्रतिवर्ष की दर से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आवश्यकता है। उनका मानना है कि आगामी पाँच वर्षों में 'सभी को शिक्षा' के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करीब 8000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष चाहिए।

यदि हम बचत दर 30 प्रतिशत तक बढ़ा लें और कर ढाँचे को सशक्त करने में सफल हो जाए, तो भी कोई विदेशी पूँजी व तकनीक के महत्त्व से इनकार नहीं कर सकता। दुर्भाग्य से कुछ लोगो में विदेशी पूँजी के प्रति सदेह बरकरार है। वास्तव में विदेशी निवेश के प्रति सदैव अनुचित धारणा रही है। कुछ वर्ष पूर्व तक विदेशी निवेश को सारी बीमारियों की दवा कहा जाता था, परन्तु आज खासकर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के हाल के मुद्रा संकट के बाद इसे सारे मर्जों की जड़ समझा जाने लगा है। सच्चाई यह है कि कोई भी निवेश मूलतः अच्छा या बुरा नहीं होता। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। यदि विदेशी पूँजी को विवेक से प्रयुक्त करें, तो सुखद परिणाम मिलेंगे, लेकिन यदि इसका हर दृष्टिहीन निवेश या दुरुपयोग किया जाए तो नतीजे हानिकारक होंगे। मलेशिया, दक्षिण कोरिया आदि देशों के साथ यही हुआ। अप्रत्यक्ष निवेश में भी कोई खतरा नहीं है, जिसे मैक्सिको की अर्थव्यवस्था के रातोंरात पतन का कारण माना जाता है। यदि केन्द्रीय बैंक के पास पर्याप्त व सतुलित विदेशी मुद्रा है, तो अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश कई मायनों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से ज्यादा अच्छा है। यह निर्मम सत्य है कि हमारी अर्थव्यवस्था मुश्किल में है, किन्तु इसके लिए सरकार की फिजूलखर्ची, सर्वव्याप्त भ्रष्टाचार, दूर दृष्टिहीन आर्थिक नीतियाँ आदि जिम्मेदार हैं, न कि अल्प मात्रा में आई विदेशी पूँजी। सर्वेक्षण करने से प्रतीत लगता है कि सरकार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ही विदेशी पूँजी चाहती है तथा गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में उसका इरादा



इसे हतोत्साहित करना है। मगर जो सरकार तमाम अतर्विरोधों से ग्रस्त है और जिसमें हर शख्स अपनी जरूरतों के मुताबिक स्वदेशी के अर्थ निकालने के लिए आजाद है, वहाँ यह देखना होगा कि स्वदेशी का क्रियान्वयन किस रूप में होता है। भारतीय जनता पार्टी व मित्र दलों के राष्ट्रीय एजेडे में प्राथमिकता व गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के बीच कोई विभाजन रेखा नहीं है। पिछली सरकारों की कोशिशों के बावजूद विदेशी निवेशकों की प्राथमिकता सूची में भारत कहीं नहीं है। सिर्फ चीन में पिछले साल करीब 62 अरब डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ। उसके मुकाबले भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मात्र पाँच अरब डालर हुआ था। उसमें दो राय नहीं कि हमें ढॉचागत व सामाजिक विकास, नई तकनीक, उत्तम गुणवत्ता का उत्पादन और निर्यात क्षमता में वृद्धि के लिए बड़ी मात्रा में धन चाहिए। पर सरकार के पास पर्याप्त मौद्रिक कोष नहीं है और हमारे उद्योगपति इन क्षेत्रों में या तो निवेश करना नहीं चाहते या वे निवेश करने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसे में यह उम्मीद करना निरर्थक है कि कोई विदेशी हमारी शर्तों पर हमारे लिए धर्मशालाएँ खोलेगा। उद्योगपति चाहे देशी हो या विदेशी, विनियोग किसी उद्योग में तभी करता है, जब उसे मुनाफा नजर आए। फिर मूलभूत ढॉचे के विकास में निवेश करना कोई अधिक लाभ का सौदा भी नहीं है, जब तक सरकार कुछ रियायतें न दे। इस प्रकार के निवेश में धन की वापसी देर से होती है और तब तक परिस्थितियाँ प्रतिकूल होने का भय रहता है।

दूर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों से देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना हुआ है और आर्थिक नीति पर राजनीतिज्ञों में सहमति नहीं बन पाई है। हम लाख कहें कि हमारे पास फलता-फूलता मध्यम वर्ग है, बड़ा बाजार है, सस्ता श्रम व गतिशील लोकतांत्रिक व्यवस्था है, किन्तु वास्तविकता यह है कि हम आज भी अपने शर्तों व जरूरतों के अनुसार विदेशी पूँजी आकृष्ट करने की स्थिति में नहीं हैं। राष्ट्रीय एजेडा इस बात पर मौन है कि सरकार किन नियमों के तहत विदेशी निवेशकों से बात करेगी, साथ ही जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पहले से ही उपभोक्ता वस्तुओं व गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उनका क्या होगा। हालांकि वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि उनकी यथास्थिति बनी रहेंगी। स्वदेशी को लेकर बेवजह भ्रमित करने से बेहतर है कि हम ऐसी स्थितियाँ बनाएँ, जिनमें विदेशी निवेशक हमारी आवश्यकतानुसार निवेश करने के लिए आगे आएँ। इनके लिए एक पारदर्शी व ईमानदार व्यवस्था विकसित करनी होगी, जिसमें निवेशकों के प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय हो। इसके लिए सरकार को नये नियम एवं अच्छे वातावरण स्थापित करना होगा, जिससे विकास क़ार्यों को गति मिले। इसके लिए राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार से भी निपटना बहुत जरूरी है। समय की मांग है कि हम न्यायोचित व दक्ष कानून व्यवस्था, नौकरशाही व न्यायिक प्रणाली में सुधार, सामाजिक समरसता तथा राजनीतिक स्थिरता की दिशा में कठोर निर्णय

लें।

आर्थिक नीतियों के नए सूत्रधार यशवत सिन्हा का स्वदेशी सिद्धान्त है, घरेलू उद्योगों के मध्य प्रतिस्पर्धा व आंतरिक उदारीकरण, लेकिन यदि इससे सरक्षणवाद को बल मिलता है जैसा कि आशकाए व्यक्त की जा रही है, तो यह बड़ी मेहनत से शुरू किये गये आर्थिक सुधारों से पीछे हटना होगा। यदि भारतीय उद्योग, अपनी धरती पर विदेशी कम्पनियों की चुनौती स्वीकार नहीं कर सकते, तो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की गलाकाट प्रतियोगिता में वे कैसे टिक पायेंगे? फिर स्वदेशी की आड में भारतीय उपभोक्ता को सर्वोत्तम गुणवत्ता व उचित मूल्य से कब तक वंचित रखा जायेगा। बहुराष्ट्रीय निगमों से भयभीत हुए बिना हमें घरेलू उद्योगों को मजबूत बनाना होगा। उनका सुरक्षा कवच तोड़कर उन्हें खुली प्रतियोगिता के लिए प्रोत्साहित करना है।

आज के दौर में स्वदेशी का अभिप्राय बहुराष्ट्रीय निगमों से समान व सम्मानीय समझौते की कला सीखना है, अपनी सामाजिक व राजनीतिक परिस्थितियों में विदेशी पूँजी, तकनीक व विचारों को आमन्त्रित कर उनका जनकल्याण के लिए सदुपयोग करना है। संक्षेप में विश्व के जिस किसी भी देश में, जहाँ कहीं भी जो कुछ हमारे फायदे का है, उसे पहचानना, उसे हमारे देश में आने देना तथा उसके मार्ग में अवरोध खड़े न करना ही इस समय स्वदेशी है।

भारत को मिली विदेशी सहायता की मात्रा बहुत अधिक है। इससे देश के पूँजी-निर्माण में बड़ा योगदान प्राप्त हुआ है और घरेलू बचत के साथ जुड़कर इससे निवेश दर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। दूसरा तथ्य जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि विदेशी सहायता का बहुत बड़ा भाग आधारीक संरचना के निर्माण, औद्योगिक विकास और मूलभूत धातु-उद्योगों के विकास में प्रयुक्त किया गया है। इसके अलावा कृषि विकास और खाद्यान्न-आयात के लिए भारी मात्रा में विदेशी सहायता का उपयोग किया गया है।

दुख की बात यह है कि वर्तमान में प्राप्त होने वाली विदेशी सहायता का एक बड़ा भाग ऋणों के भुगतान में व्यय हो जाता है। विदेशी सहायता का अधिकांश भाग निबद्ध ऋण के रूप में है, इससे ऋण परिशोधन का भार बढ़ने के साथ ही विकास कार्य भी अधिक मँहगा हो गया है। चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता लागू कर दिये जाने से अब ऋण एवं ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु विदेशी विनिमय सरकार को भी खुले बाजार की दरों पर ही प्राप्त करना होगा, जिसमें रुपये का विनिमय दर कमजोर होने पर भारी कठिनाई सामने आ सकती है।

आधारभूत उद्योगों की स्थापना, पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पादन परिवहन एवं संचार शक्ति के साधनों आदि पर किये जाने वाले व्यय से आर्थिक विकास में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्राप्त हो रही है। इन क्रियाओं से आर्थिक गतिशीलता उत्पन्न हुई है और देश में पूँजी निर्माण तथा निवेश दर में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विदेशी सहायता का कृषि क्षेत्र में उपयोग कर हम कृषि उत्पादन बढ़ाने में भी सक्षम हुए हैं और खाद्यान्नों के आयात पर व्यय की जाने वाली बड़ी राशि की बचत कर सकते हैं। इस प्रकार विदेशी सहायता ने भारत के आर्थिक और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसमें बहुत से देशों और विश्व संस्थाओं का योगदान रहा है। यहाँ यह उल्लेख करना समीचीन जान पड़ता है कि विदेशी सहायता सर्वथा श्रेयष्कर नहीं होती, इसके हानिकारक पहलू भी हैं, जैसे राजनीतिक दबाव, सहायता का अनिश्चितता, सहायता का प्रतिबन्धित प्रयोग, पहलू शक्ति का अवमंदन और बढ़ता हुआ ऋण-भार आदि। ऐसी स्थिति में भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह विदेशी सहायता पर निर्भरता बनाए रखने के बजाए अपने आन्तरिक साधनों से आर्थिक विकास की गति को बढ़ाए और उन्हीं योजनाओं पर ऋण प्राप्त करने की चेष्टा करे, जिन्हें भारत स्वयं अपने विकास के लिए आवश्यक समझता हो। ऋणों का भुगतान ब्याज और मूलधन के साथ करना होता है। इससे भी विकास कार्यों की लागत बढ़ जाती है और शुद्ध लाभ में कमी आती है।

अतः ऋणों पर निर्भरता की विवशता को कम कर आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का प्रयास ही अधिक उचित होगा। विदेशी पूँजी निवेश के मामले में भारत का दृष्टिकोण समय के साथ-साथ बदलता रहा है। 1960 के दशक तक फूँक-फूँक कर कदम रखने की नीति अपनाई गई। अगले दशक में चयनात्मक और प्रतिबन्धात्मक नीति के आधार पर विदेशी पूँजी निवेश हेतु कुछ द्वार खोले गये, लेकिन 1980 के दशक में विदेशी पूँजी के महत्व को ध्यान में रखकर कठोर नियमों को सरल और शिथिल किया गया ताकि सन्देह का वातावरण दूर हो सके और विदेशी निवेशक आकर्षित हो सकें। वर्तमान नीति अतीत से बिल्कुल भिन्न है। अब उदारीकरण और पारदर्शिता के सहारे प्रत्यक्ष निवेश सहित सभी प्रकार की विदेशी पूँजी के अधिकाधिक अन्तर्वाह हेतु सक्रिय प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन हमें स्मरण रखना होगा कि सिर्फ उदारीकरण की नीति ही विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। बाजार का आकार, आधारिक संरचना का विकास, लागत के तत्व, सामाजिक शक्ति एवं सुरक्षा, राजनीतिक स्थायित्व, स्वच्छ प्रशासन तथा अन्य अनुकूलताएँ भी विदेशी पूँजी के अबाध अन्तर्वाह के लिए आवश्यक हैं। भारत की विदेशी निवेश नीति अन्य देशों से कम उदार नहीं है किन्तु अन्य घटकों की असन्तोषजनक दशाओं के कारण हम दूसरे विकासशील देशों के मुकाबले पिछड़े रहे हैं। भारत में आर्थिक सुधारों तथा उदारीकरण से अभी तक जितना भी वास्तविक प्रत्यक्ष निवेश हुआ है,

उसमे से अधिकांश निवेश उपभोक्ता वस्तुओं के मामले में हुआ है, जिसने देश में स्थापित उद्योगों को ही प्रतिस्थापित किया है। अब तक का अनुभव तो यही बता रहा है कि जो भी विदेशी कम्पनियाँ यहाँ आ रही हैं वे न तो आधुनिक उत्पादन प्रौद्योगिकी लाई हैं और न ही उत्पादन के नवीन क्षेत्रों में प्रवेश करके 'रोजगार के अतिरिक्त' अवसर ही सृजित कर सकी हैं। कतिपय विदेशी कम्पनियों की भी यह नीति एव योजना है कि वे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ-साथ परियोजना के लिए शेष ससाधन भारतीय पूँजी बाजार से जुटाएँगी। ऐसा यदि आधुनिक संरचना वाले क्षेत्र में किया जाता है तो वह देश के लिए लाभदायक हो सकता है और यदि इस प्रकार की पूँजी विदेशी शराब, चॉकलेट, सिनेमा निर्माण या कासीनों निर्माण आदि के लिए जुटाई जाती है तो यह देश के लिए घातक ही है क्योंकि इससे वह दुर्लभ पूँजी जो प्राथमिकता क्षेत्रों में जा सकती थी, गैर प्राथमिकता क्षेत्रों में खप जाएगी।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पचास वर्षों के भीतर भारत के आर्थिक ताने-बाने में व्यापक तौर पर परिवर्तन आ गया है। नेहरूवादी समाजवादी परिकल्पना तथा गांधीवादी ग्राम स्वराज की परिकल्पना का स्थान मनमोहनवादी बाजारी अर्थव्यवस्था तथा चिदम्बरवादी बिना भेदभाव वाली पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की परिकल्पना ने लिया है। इसके तहत भारत में काफी बड़ी मात्रा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित करने के लिए विदेशी निवेशकों को हर प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। सैद्धान्तिक रूप से यही कहा जा रहा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को केवल उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में अनुमति दी जाएगी, लेकिन विगत वर्षों में जिस प्रकार से केन्टकी फ्रायड चिकन, फ्रूट जूस, काफी, चाय, टॉफी तथा चुड़गम, सिनेमा कॉम्पलेक्स (वार्नर ब्रदर्स), टेलीविजन सॉफ्टवेयर तथा मनोरंजन उद्योग का विकास (यूनाइटेड इंटरनेशनल होल्डिंग्स), करो का विनिर्माण (दायबू, बीएम डब्ल्यू, मर्सिडीज, फिएट,) सिगरेट, स्नैकस तथा पेय (फिलिप मोरिस) आदि भारत के बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। उससे तो यह प्रतीत होता है कि उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की स्वीकृति देने का सरकार का दावा खोखला है। विदेशी कम्पनियों की रूचि अधिक जोखिम वाले उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की ओर कम तथा अधिक प्रतिफल तथा लम्बे चौड़े बाजार वाले उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्रों में अधिक है। सरकार के राजनैतिक तथा नौकरशाही नीतिकारों को भली-भाँति समझ लेना चाहिए कि यह स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कहीं से भी हितकर नहीं है।

सत्तर के दशक तक भारत सरकार द्वारा बहुराष्ट्रीय निगमों को भारत में परिचालन की अनुमति प्रदान किये जाने की आलोचना की जाती थी, क्योंकि निगम अपनी भारतीय अनुषंगियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के सदेहास्पद मूल्य के नाम पर किए गए 'प्रधान कार्यालय खर्च' जैसी मदों

के अन्तर्गत अपने मूल देशों को भारी राशिया प्रेषित करते थे। जब हमारा देश विदेशी मुद्रा के सकट से जूझ रहा था तो लगभग 8000 मिलियन रुपये वार्षिक के प्रेषणों ने समस्या खड़ी कर दी थी। आज इन प्रेषणों की वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आज व्यावसायिक विशेषज्ञता में भारत की स्थिति काफी अच्छी है। आज बहुराष्ट्रीय निगमों को हमारे देश के लाभों एवं लाभ प्रत्यावर्तन और अन्य लेन दोनों से सम्बन्धित नियमों का अनुपालन करने में कोई कठिनाई अनुभव नहीं होना चाहिए। क्योंकि भारत सरकार विभिन्न अवधियों वाली कर राहते और रियायती विद्युत दरों जैसी सुविधाएँ प्रदान कर रही है। भारतीय उद्योग को विश्वस्तरीय व्यवसायी के रूप में उभरना भी बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए उत्साहवर्धक है।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में सुधार करने के लिए भारत को अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निःसन्देह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आवश्यकता है, लेकिन इसे बहुराष्ट्रीय निगमों के षडयन्त्र का शिकार नहीं बनना चाहिए। बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ व्यवहार करते समय हमें एक से अधिक कारणों से सतर्कता बरतनी चाहिए। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों जब तक उचित एवं निष्कपट व्यवहारों से लाभ कमाती है तब तक उसमें कुछ भी गलत नहीं है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को लोकतान्त्रिक कार्य विधि अपनानी चाहिए। उन्हें अपने निर्णय लेने के अधिकारों को अपने विभिन्न देशों की सत्ताओं में प्रत्यायोजित कर देना चाहिए।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को इन सत्ताओं और उद्यमों को एक साथ मिलकर उनके प्रबन्धन के सभी स्तरों पर स्थानीय व्यक्तियों के रोजगार की प्राथमिकता देनी होगी। उनके द्वारा पोषक देशों (जैसे भारत) के निर्यात सम्बर्द्धन और विविधीकरण में भी योगदान दिया जाना आवश्यक है।

पोषक देशों को यह ध्यान रखना चाहिए कि बहुराष्ट्रीय निगमों का परिचालन उनके हितों के विरुद्ध न हो और उनकी दिशा दोनों पर ही नियन्त्रण रखना चाहिए। भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रवेश कतिपय वास्तविकताओं पर आधारित होना चाहिए। भारत की दृष्टि से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश निर्यात उत्पादन के लिए भी किया जाना चाहिए। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के साथ नवीनतम प्रौद्योगिकी भी प्रयुक्त की जानी चाहिए।

बहुराष्ट्रीय निगमों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वविनियमन की शर्तों को सोंचना चाहिए। पोषक देशों में अपने कार्यकलापों के परिवेशगत विस्तार का ध्यान रखना चाहिए। अतः भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय निगमों को देश के कानूनों का सख्ती से अनुपालन करना चाहिए क्योंकि उदारीकरण की

नीति बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को कोई उच्च सुविधायुक्त विशेषाधिकार प्रदान नहीं करती है। बहुराष्ट्रीय निगम देश के कानूनों की जानबूझकर अवज्ञा नहीं कर सकता क्योंकि भारत सरकार एक अति जागरूक ससद एव राज्य विधान मंडल के प्रति जबाबदेह है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की मुख्य विशेषता यह है कि वे कम्पनियाँ कोई भी निर्णय विश्वसन्दर्भ में लेती हैं। बहुराष्ट्रीय निगम विश्व के सभी महादेशों में हैं तथा ये कम्पनियाँ प्रत्येक आर्थिक क्रियाकलापों से जुड़ी रहती हैं। इन कम्पनियों के बारे में सम्मिलित आँकड़ा उपलब्ध नहीं है, परन्तु एक अध्ययन के अनुसार अभी विश्व में 100 ऐसी निगमों हैं जो प्रत्येक वर्ष करीब 35 मिलियन डालर का उत्पादन करती हैं। इनमें से सर्वाधिक निगम अमेरिका की हैं। एक पत्रिका ने 50 बड़े अमेरिकी निगमों के बारे में विवरण प्रस्तुत किया है। इन निगमों का 40 प्रतिशत राजस्व चाय औषधि, कास्मेटिक्स, खाद्य उत्पाद, तेल खनन, गाड़ियाँ रसायन तथा खनिज के क्षेत्र से प्राप्त होता है।

बहुराष्ट्रीय निगमों का अधिकार स्थापित करने के लिए व्यवसाय प्रारम्भ करने के समय अपनी वस्तुओं को लागत से कम मूल्य पर भी बेच देती हैं। जिससे घरेलू वस्तुओं की बाजार में माग कम हो जाती है तथा वे विदेशी वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा से व्यवसाय से बाहर हो जाती हैं। जिससे घरेलू उद्योग नष्ट होने की स्थिति में आ जाते हैं। फिर यही बहुराष्ट्रीय निगमों कुछ वर्षों के बाद अत्यधिक लाभ कमाने में सफल हो जाती हैं।

बहुराष्ट्रीय निगमों के बारे में जो आम धारणा बन गई है कि ये कम्पनियाँ सिर्फ शोषण करती हैं ऐसा पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि विकास के क्षेत्र में भी यह महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। सिंगापुर, हांगकांग ताइवान तथा कनाडा में बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश ने इन देशों की सकल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोत्तरी कर दी है, परन्तु ये कार्य बहुराष्ट्रीय निगमों ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए किया है, क्योंकि अमेरिका के घरेलू बाजार में इन चीजों की बहुत माग है। भारत जैसे विकासशील देशों के सामने अब यह समस्या है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश से उत्पन्न होने वाले बुरे प्रभावों पर किस प्रकार नियन्त्रण पाया जाए। अन्य देशी कम्पनियों को भी इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का अनुसरण करना चाहिए तथा उनके क्रियाकलापों और उन्नत प्रौद्योगिकी से सीख लेनी चाहिए। जिन देशों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अपनी कम्पनियाँ स्थापित करती हैं, उन देशों की सरकारों को श्रमिकों को अधिक मजदूरी देने हेतु प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। सभी सयुक्त सस्थानों में विदेशी कम्पनियों के साथ विशेष अनुबन्ध होना चाहिए। इसी के साथ-साथ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से अधिक शुल्क वसूल करना चाहिए,

जिससे कि पूरे देश के लोग लाभान्वित हो सके सिर्फ कम्पनी के कर्मचारी ही नहीं। साथ ही अधिक वसूल किए गए राजस्व का उपयोग आम लोगों की सुविधाओं के लिए करना चाहिए।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर यह शर्त भी लगा देनी चाहिए कि वे अपनी कम्पनियों पिछड़े इलाकों में भी स्थापित करें, जिससे कि क्षेत्रीय असंतुलन कम हो सके। चूंकि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आचार संहिता निर्धारित नहीं की गई है। इस कारण से सम्बन्धित देशों को इसके लिए आचार संहिता निर्धारित कर देनी चाहिए तथा समय-समय पर इन कम्पनियों के कार्य कलापो का अवलोकन भी करते रहना चाहिए।

## सुझाव

वर्तमान समय विश्व व्यापार सगठन का समय है। इससे अलग रह करके विश्व अर्थव्यवस्था में अपने को स्थापित करना उतना ही कठिन है, जितना कि मानव जीवन का बिना आक्सीजन के। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि विदेशी कम्पनियों का भारत में प्रवेश वर्जित कर किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना सम्भव नहीं हो सकता, परन्तु हमें इनके द्वारा किये जाने वाले क्रिया कलापो के परिणामस्वरूप उन हानिकारक परिणामों पर विशेष ध्यान देना होगा, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन हो सके और इनके हानिकारक प्रभावों से बचा जा सके हमने विदेशी कम्पनियों के भारत में प्रवेश के परिणामस्वरूप पडने वाले प्रभावों के प्रतिसुझावों को निम्न दो भागों में बाँटकर विश्लेषण किया जो इस प्रकार है -

## विदेशी कम्पनियों के आगमन के फलस्वरूप भारत को प्रभावित करने वाले सकारात्मक सुझाव :

वर्तमान समय में जो विश्व व्यापार सगठन की सदस्यता ग्रहण किये हुए है, उन अर्थव्यवस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी सहयोग को प्राप्त करने में कम कठिनाइयों का सामना करना पडता है। विश्व व्यापार सगठन का प्रथम उद्देश्य यही है कि विभिन्न देश अपने यहाँ मुक्त व्यापार नीति अपनायें और बिना भेदभाव के विदेशी पूँजी का आवागमन सुनिश्चित करें। यदि हम इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। तो निःसंकोच रूप से विश्व समुदाय द्वारा विभिन्न प्रकार के सहयोग समय-समय पर कठिनाइयों में प्राप्त करना सम्भव होगा।

विदेशी कम्पनियों के आगमन के फलस्वरूप विदेशी तकनीक व प्रौद्योगिकी का प्रवेश सुनिश्चित

है जिसके परिणामस्वरूप विशेषकर भारतीय उद्योग जगत में तकनीकी जानकारी उच्च होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं जिसके कारण उत्पादक गुणवत्ता में सुधार होने की तथा तकनीकी रूप से मशीनों का उपयोग बढ़ने की प्रबल संभावनाएँ भी विद्यमान हैं जिनके द्वारा निर्मित वस्तुएँ उच्च गुणवत्ता की होंगी तथा विदेशी तकनीक व प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण सरलतापूर्वक सम्पन्न हो सकेगा, जिसके परिणाम स्वरूप यह संभावना प्रबल होती है कि भारतीय उद्योगों का विकास अत्यधिक तीव्र गति से होगा।

विदेशी कम्पनियों के आगमन से भारतीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने की क्षमता विकसित करनी होगी, यदि प्रतिस्पर्धा में उन्हें भविष्य में टिके रहना है तो अपने उत्पाद की गुणवत्ता बनाने तथा उचित मूल्य निश्चित करना होगा। यदि प्रतिस्पर्धा में वे सफल हो गये तो हम केवल भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी अपनी उत्पादों को विश्व बाजार में बेच सकते हैं। इससे भारतीय उद्योग भविष्य में अत्यधिक बेहतर स्थिति में होंगे। जिससे हमारे उद्योगों की क्षमता बढ़ेगी और हम विदेशों में अत्यधिक पूँजी निवेश करके वहाँ से लाभार्जन के रूप में विदेशी पूँजी को स्वदेश में लाने के प्रति सक्षम होंगे। भारतीय उत्पादों का प्रतिस्पर्धात्मक युद्ध होना स्वाभाविक रूप में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यदि अर्थशास्त्र के प्रतिस्पर्धात्मक सिद्धान्त को ध्यान में रखकर, इस प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण करें तो हम इस स्तर पर पहुँचते हैं कि भारतीय उद्योगों को अपना उत्पाद उच्च गुणवत्ता युक्त एवं सस्ते दर पर वस्तुएँ उपलब्ध करानी होंगी।

विदेशी कम्पनियों के आगमन के फलस्वरूप वहाँ का नैतिक एवं सामाजिक ढाँचे का स्वरूप किसी न किसी रूप में हमारे देश को प्रभावित करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसमें कुछ अच्छी बातें जो विद्यमान हैं हमारे देश के लिए लाभप्रद हो सकती हैं। जैसे जापान की सामूहिक उत्पाद ढाँचा यदि जापानियों के द्वारा अपने यहाँ वस्तुओं का उत्पादन प्रत्येक घरों में होना संभव हुआ है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? इसी प्रकार इन देशों की उच्च नैतिकता हमारे यहाँ आना संभव है। यदि प्रत्येक भारतीय को यह मालूम हो जाय कि जापान के ट्रेन से यात्रा करने वाला व्यक्ति अपने पास सुई तागा रखता है। ट्रेन की बर्थ की सीट यदि फटी हुई है तो उसे वह स्वयं सिल देता है। तो यहाँ के लोग भी इस पद्धति को अपना सकते हैं। यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी का अहसास कराता है। इससे राष्ट्रीय सम्पत्ति का होने वाली अपार क्षति में कमी आ सकती है तथा यह प्रक्रिया अपनाने से भी देश को लाभ



मिल सकता है। इसी प्रकार यहाँ घटने वाले अपराध जगत में भी कमी आ सकती है। क्योंकि अपराध जगत के जड़ में जाकर यदि झाँके तो उसमें आर्थिक त्रस्तता मूल कारण है। विदेशी कम्पनियों के आगमन के परिणामस्वरूप यहाँ के लोगों का आर्थिक विकास भी सम्भव होगा जिससे उनके नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों में वृद्धि की संभावना भी बनती है और लोग अपराध जगत की ओर आकर्षित होने से रूक सकते हैं। विदेशी कम्पनियों के आगमन के परिणामस्वरूप, भारत की भयंकर रूप धारण करती बेरोजगारी की स्थिति में सुधार होने की संभावनाएँ दिखाई पड़ती हैं। विदेशों से आने वाली बहुराष्ट्रीय निगम यहाँ के अनेक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के उद्योगों को स्थापित करके उनको विकसित करने का मार्ग प्रशस्त करती हैं जिससे यहाँ के बेरोजगारों को आशा की किरण दिखाई पड़ रही है। यह सत्यता के नजदीक ही कहीं जा सकती है कि यदि उद्योग-धन्यो का विकास किसी क्षेत्र में हुआ है तो इससे पूरे परिक्षेत्र में रोजगार की संभावनाएँ बढ़ी हैं और तमाम प्रकार के अन्य परिस्थितियों भी पैदा हो जाती हैं, जिससे बेरोजगारी कम होती है जैसे - बाजार व्यवस्था का विकसित होना। प्रायः जहाँ पर औद्योगिक विकास हुआ है, वहाँ जनसमुदाय बढ़ा है और जनसमुदाय के बढ़ने से वहाँ पर व्यवस्था स्थापित हुआ है, जहाँ पर लोग अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ खरीद सकते हैं या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में जब भारत अपने उद्योग-धन्यो का विकास कर लेगा तो इससे भारतीय बेरोजगारी को कम करने में दोहरा लाभ हो सकता है।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखे तो यह स्पष्ट हो जाता है कि बेरोजगारी को यदि दूर करना है तो उद्योग-धन्यो का विकास एक ब्रह्मास्त्र का स्वरूप है और इसके द्वारा बेरोजगारी को दूर करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की जा सकती है जो विदेशी कम्पनियों के आगमन के द्वारा सम्भव होती प्रतीत हो रही है। जो भारत के लिए कुछ अच्छे परिणाम दे ऐसा सम्भव है। भारत अपने प्राकृतिक ससाधनों के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है। यदि हम अपने प्राकृतिक ससाधनों का सदुपयोग कर सकें तो विश्व जगत में अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं करेंगे। विदेशी कम्पनियों के आगमन के परिणामस्वरूप हम उच्च तकनीक के द्वारा अपने प्राकृतिक ससाधनों का उपयोग कर अपने को विकसित कर सकते हैं। अभी तक हम अपने प्राकृतिक ससाधनों से कच्चे माल के रूप में वस्तुओं को विदेशों को निर्यात करते आ रहे हैं परन्तु विदेशी कम्पनियों के आगमन से यह संभव होता दिखाई दे रहा है कि हम अपने प्राकृतिक वस्तुओं को कच्चे माल के रूप में निर्यात न करके, इसका उपयोग परिपक्व रूप में वस्तुओं का निर्माण कर निर्यात करें तथा अपनी आवश्यकताओं

की पूर्ति करे।

विदेशी कम्पनियों के आगमन के फलस्वरूप हमारा विदेशी निर्यात बढ जाने की सभावनाए विद्यमान है क्योकि विदेशी कम्पनियों के द्वारा विदेशी तकनीक से निर्मित माल हमारे यहाँ के प्राकृतिक कच्चे माल से उत्पादित वसतुए विश्व बाजार मे उच्च गुणवत्ता की होने की सभावनाए प्रबल होती है, जिससे विदेशी निर्यात अधिकतम हो सकता है यदि ऐसा सभव हुआ तो लाभ का एक हिस्सा जो कर के रूप मे हमे प्राप्त होगा वह हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढता प्रदान करेगा जिससे हमारी अर्थव्यवस्था मे भुगतान सतुलन धनात्मक होने का मार्ग प्रशस्त होगा।

भारत को विदेशी सहायता विशेष परियोजनाओ को न लेकर सम्पूर्ण नियोजन के लिए लेनी चाहिए ताकि हम उस सहायता को किसी भी विकास कार्यक्रम में प्रयुक्त करने के लिए स्वतन्त्र हो। इसी प्रकार विदेशी सहायता को विशेष शर्तों या दबाव के साथ स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए अर्थात् यह सहायता बन्धित न होकर अबन्धित होनी चाहिए। विदेशी सहायता को अल्पकालीन न होकर दीर्घकालीन होना चाहिए ताकि अनिश्चितता की स्थिति को दूर किया जा सके। तकनीकी सहायता का प्रयोग देश में तकनीकी सस्थानो के विकास में भी किया जाना चाहिए। यदि विदेशी सहायता का प्रयोग भारत मे उत्पादक और शीघ्र फल देने वाली योजनाओ के लिए किया जाय तो उसके भार को न्यूनतम किया जा सकता है। यह सुझाव भी महत्वपूर्ण है कि भारत को जहाँ तक सम्भव हो अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओ से ऋण लेना चाहिए। देशों से ऋण लेते समय तटस्थता की नीति का पालन करना चाहिए। विकासशील देशो में यदि ऋणभार अधिक हो जाय तो उसे राहत प्रदान करने के कार्यक्रम बनाये जाने चाहिए। उसके ऋणभार के एक भाग को माफ किया जाना आवश्यक है। सरक्षणवाद से मुक्ति के लिए विकसित देशो विकासशील देशो के निर्यातों पर लगे प्रतिबन्धों को एक बड़ी सीमा तक तत्काल समाप्त कर देना चाहिए ताकि ये राष्ट्र निर्यात वृद्धि के माध्यम से विकास वृद्धि और ऋण मुक्ति के दोहर उद्देश्य को एक साथ प्राप्त कर सकें। विकासशील देशों के विकास पर ही विकसित देशों का भविष्य निर्भर है।

भारत को विदेशी पूँजी के प्रयोग से कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु इस तर्क से सहमत नहीं हुआ जा सकता है कि सिर्फ विदेशी पूँजी की सहायता से स्थापित उद्योग देश की ऐतिहासिक गरीबी मिटाने मे सफल होंगे। मुद्रा कोष द्वारा दिये गये ऋण से भारतीय अर्थव्यवस्था को राहत अवश्य मिली, किन्तु

ऐसे ऋण कोई असीमित वरदान नहीं है। यदि इनसे देश में उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो पायी तो उपलब्ध ऋण का ब्याज चुकाना भी मुश्किल हो सकता है। यह स्पष्ट है कि पिछले दशकों में विदेशी पूँजी की प्रकृति में परिवर्तन के बावजूद उसका खतरनाक पक्ष समाप्त नहीं हुआ है। कई देशों में राजनीतिक अस्थिरता और वास्तविक अर्थ में आर्थिक प्रगति के पीछे विदेशी पूँजी का हॉथ होने की पुष्टि समय-समय पर होती रही है। यह भी प्रमाणित तथ्य है कि प्रगति की धारा की निरन्तरता विदेशी पूँजी से नहीं बल्कि देश के लोगों के अपने उद्योग और उद्यम से प्राप्त होती है। विदेशी पूँजी को किसी हालत में खुली छूट नहीं दी जा सकती। विदेशी सहायता के सन्दर्भ में यह बात सदैव याद रखी जानी चाहिए कि "यह देश की अर्थव्यवस्था में विकास को प्रारम्भ तो कर सकती है, किन्तु दीर्घकाल में विकास को नहीं बनाये रख सकती। उसके लिए तो हमें अपने घरेलू साधनों को ही जुटाना होगा"।

विदेशी कम्पनियों के आगमन के परिणामस्वरूप हमारे देश को एक महत्वपूर्ण लाभ यह भी मिल सकता है कि जो क्षेत्र अभी तक अल्पविकसित रहे हैं, उन क्षेत्रों में इन कम्पनियों को व्यवस्थित करके विकास की गति प्रदान की जा सकती है। हमारे देश में आने वाली कम्पनियों को स्थापित करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ये कम्पनियाँ कहीं उन विकसित क्षेत्रों में स्थापित नहीं हो रही हैं। जहाँ औद्योगिक विकास पहले हो चुका है। इस बात को ध्यान में रखकर प्रवेश की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। जिससे देश में स्थापित औद्योगिक असंतुलन की स्थिति को दूर किया जा सके।

## **विदेशी कम्पनियों के आगमन के फलस्वरूप भारत को प्रभावित करने वाले नकारात्मक सुझाव .**

हमारे देश में इस समय 515 दवाएँ ऐसी हैं जो बाजार में लगभग 8000 विभिन्न नामों से बिक रही हैं। इन दवाओं पर दुनिया के तमाम देशों में पाबन्दी लगायी जा चुकी है तथा इनके निर्माण और बिक्री को घातक अपराध घोषित किया जा चुका है। डाक्टरों और वैज्ञानिकों का कहना है कि ये दवाएँ प्राणघातक और आदमी के रक्त को प्रदूषित कर कैंसर, लकवा, अधापन, विकलागता जैसी भयंकर बीमारियों को जन्म दे रही हैं तथा शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता खत्म कर देती हैं। यह गम्भीर चिन्ता का विषय है कि दुनिया के अन्य तमाम देशों में 'जहर' घोषित की जाने वाली कुछ दवाएँ हिन्दुस्तान में खुली बिक्री की इजाजत पा चुकी हैं। यहाँ कुछ ऐसी दवाओं के नाम दिये जा रहे हैं जो दूसरे तमाम देशों में प्रतिबन्धित हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा बनायी और बँची

जाती है। उन दवाओं में से मुख्य रूप से मे एण्ड बेकर, सीबा बारोजवेलकम पार्क डेविस ज्योप्रीमैन्स, फाइजर, हेकस्ट, सैण्डोज ग्लैस्को, बूट्स कम्पनी, ईस्ट इंडिया कम्पनी इत्यादि। इन दवाओं को बेचकर ये कम्पनियाँ देश का अरबों रूपया प्रतिवर्ष बाहर भेज रही हैं।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अब तय करने लगी हैं कि हम क्या खाये, किस तरह खाये और कितना खाये। बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ जो अपनी सड़ी गली खाद्य सामग्री से पूरे पश्चिमी समाज के स्वास्थ्य पर कहर ढा चुकी हैं, अब हमारे यहाँ अपना सारा ताम ज़ाम लेकर मौजूद हैं। मैगी की चटनी और नूडल्स, पेप्सी और कोका के ठण्डे पेय, कैडबरी की आइसक्रीम नेस्ले की टाफी और चाकलेट, पेप्सी की चिप्स, पापड और भुजिया, कैलोग का कार्न फ्लैक्स, ब्रुक बाड की चाय, लिप्टन और आई टी सी का खाद्य तेल और घी। इन्हें खाकर हमारी जेबें तो लुटेगी ही, हम अपने स्वास्थ्य के लिये नये सिरे से दवा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के चगुल में फँस जायेंगे। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था पर चौतरफा हमला हो रहा है।

इस बात को कहने और स्वीकार करने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने तीसरी दुनिया में अपने व्यापारिक लाभ के लिए झूठ का सहारा लिया है। लाभ के झूठे आँकड़े पेश करके उसे कम बताती हैं, कर चोरी करती हैं। ये कम्पनियाँ झूठे विज्ञापन भी करवाती हैं ये सितारे या खिलाड़ी को पैसा देकर उनसे झूठ बोलने को कहते हैं। भारत जैसी तीसरी दुनिया के देशों में ही इनका भंडार है बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की तमाम शोध एजेन्सियाँ पहले से इन देशों में कार्य कर रही हैं और चोरी छिपे हजारों वनस्पति प्रजातियाँ अपनी प्रयोगशालाओं में ले जा चुकी हैं और अब यदि नई पेटेन्ट प्रणाली के तहत ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ उन लाखों देशी नुस्खों और जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों को अपने नाम पेटेन्ट करा लेती हैं तो हमारा क्या होगा? यह प्रश्न अति गम्भीर है। देश में हजारों सालों से संचित ज्ञान और अनुभव की पूँजी को बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ लूट ले जाएँगी और फिर हमको ही मुहमागी कीमत पर उपलब्ध करायेंगी।

यदि विदेशी कम्पनियों के आगमन के परिणामस्वरूप हमारे मौलिक या मूलभूत उद्योगों को प्रतिस्पर्धा करनी होगी तो हमें यह सदैव ध्यान रखना होगा कि हमारे मौलिक या मूलभूत उद्योग तकनीकी रूप से कम विकसित होने के कारण कहीं प्रतिस्पर्धा से बाहर तो नहीं हो रहे हैं यदि ऐसा होता है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह हमारे लिए सर्वथा अनुचित होगा और हमें

विदेशी कम्पनियों के आगमन से पूर्व एक सुनियोजित रणनीति के तहत अपने मौलिक उद्योगों को सुरक्षा कवच प्रदान करना होगा, जिससे भविष्य में विदेशी कम्पनियों के आगमन के दुष्परिणामों से सुरक्षा प्रदान की जा सके।

हमें यह भी सदैव ध्यान रखना होगा कि विदेशों से आने वाले बहुराष्ट्रीय निगमों की कम्पनियों हमारे मूलभूत आवश्यकता की वस्तुओं के उत्पादन क्षेत्र में आगमन तो नहीं है, यदि ऐसा होता है तो यह भी हमारे लिए अशुभ लक्षण होगा और इससे हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि इनके द्वारा उत्पादित वस्तु हमारे लिए उपभोग की वस्तु होगी और ये भारतीय बाजार में आसानी से छा जायेंगे जिसके परिणामस्वरूप पूँजी बहिर्गमन का मार्ग प्रशस्त होगा और हमारे यहाँ की पूँजी विदेशों में सग्रहीत होगी। जिससे हम आर्थिक रूप से कमजोर होंगे तथा हमारे यहाँ भुगतान असतुलन की स्थिति पैदा हो सकती है। हमें सदैव ऐसी स्थिति से अपने को सुरक्षित रखने के लिए एक रणनीति के तहत व्यवस्थित होना होगा, जिससे इन क्षेत्रों से इन्हें दूर रखा जाय या इनको बाजार प्रतिस्पर्धा में स्वदेशी उद्योगों के द्वारा प्रतिस्पर्धा से इनको बाहर करने की क्षमता विकसित करनी होगी।

यदि हम विदेशी कम्पनियों के आगमन के फलस्वरूप प्राकृतिक ससाधनों का तीव्रतम दोहन करते रहे तो इसके अशुभ परिणाम भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि हमारे खनिज भण्डार एक सीमित क्षमता के अन्तर्गत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, परन्तु निरन्तर दोहन होते रहने से इनकी समाप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा और अपने प्राकृतिक ससाधनों से हॉथ धो सकते हैं जो सदा निरन्तर चलती रहने वाली अर्थव्यवस्था के लिए अनुचित होगा।

इसका एक नकारात्मक पहलू यह भी है कि प्रकृति अपने साथ छेड़छाड़ अधिक मात्रा में बर्दाश्त नहीं करती। प्राकृतिक प्रकोप भयानक रूप में सामने आ सकता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसलिए हमें सदैव यह भी ध्यान रखना होगा कि हम अपने प्राकृतिक ससाधनों का उचित मात्रा में प्रयोग करें, अनुचित मात्रा में दोहन न करें।

इतिहास का हम यदि अनुसरण करें, तो विदेशी कम्पनियों के आगमन से हमें सतर्क रहना होगा। इनके आगमन के परिणामस्वरूप पूँजी बहिर्गमन की संभावनाएँ प्रबल हैं। प्रायः यह देखा गया है कि इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उपयोग देश में ही होने लगता है और ये कम्पनियाँ अत्यधिक मात्रा में लाभ प्राप्त कर अपने देश को भेजने लगती हैं, जिससे स्वदेशी पूँजी विदेशी हाँथों में एकत्र हो

जाती है और भारत को आर्थिक गुलामी की तरफ ले जाने की सभावना व्यक्त करता है। यदि ऐसा सम्भव हुआ तो देश के लिए यह सदैव हानिकारक सिद्ध होगा इसलिए विदेशी कम्पनियों के आगमन के परिणामस्वरूप हमें पूर्व में एक कार्य योजना तैयार रखनी होगी, जो ऐसी विषम परिस्थितियों से हमें छूट रख सके। इसी के साथ मुझे यह भी ध्यान देना होगा कि इन विदेशी कम्पनियों द्वारा किसी प्रकार का कहीं राजनैतिक हस्तक्षेप तो नहीं किया जा रहा है। कभी-कभी ये विदेशी कम्पनियाँ स्वदेशी राजनीति में हिस्सा लेने लगती हैं और किसी ऐसी राजनीतिक दल का समर्थन कर उसे सत्ता तक पहुँचाने का काम करती हैं, जो उनके राजनैतिक रूप से हितकर होती हैं और उनको विभिन्न प्रकार की छूट प्रदान करने के कार्यों में लिप्त होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन कम्पनियों के द्वारा प्रशासनिक हस्तक्षेप बढ़ते हुए सत्ता के गलियारों से होते हुए हमारे नागरिकों पर अप्रत्यक्षत शासन करना प्रारम्भ होना सुनिश्चित होता है। इसलिए मुझे यह ध्यान रखना होगा कि इन कम्पनियों के क्रियाकलापों के द्वारा किसी प्रकार का राजनैतिक एवं प्रशासनिक हस्तक्षेप कभी सम्भव न हो सके नहीं तो हमें अधिक मात्रा में कष्ट उठाना पड़ सकता है।

विदेशी कम्पनियों के द्वारा उनके साथ-साथ वहाँ कि सामाजिक रीति-रिवाज भी आयातित होता है। जो प्रत्येक देश के लिए वहाँ कि भौगोलिक स्थिति पर आधारित होता है और प्रत्येक देश के लिए लाभकर सिद्ध नहीं हो सकता, परन्तु लोग अधी दौड़ में बिना उसकी वास्तविकता जाने उसे अपनाने लगते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में यदि देखें तो हमें मुसलमानों के इतिहास पर नजर डालना पड़ता है और प्रथम बार मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ आने वाले रीति-रिवाजों पर ध्यान देना होता है। अरब देशों के लिए एक दातून कई दिन करते रहने की मजबूरिया होगी, क्योंकि वहाँ दातून की उपलब्धता आसानी से सम्भव नहीं है, परन्तु वहाँ से आने वाले मुसलमानों ने वहाँ भी कई दिन तक एक दातून करते रहने की परम्परा डाली, जबकि वहाँ दातून की प्रचुरता विद्यमान है। हमें सदैव इन प्रकार की रूढ़ियों से बचना होगा। विदेशों के उन्हीं रीति-रिवाजों को अपनाना होगा जो वहाँ कि भौगोलिक वातावरण के लिए सम्भव होगा। इसी क्रम में हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक देश की पहनावा-ओढ़ावा वहाँ के भौगोलिक वातावरण पर निर्भर करता है। जहाँ पर उनकी विद्यमानता है। प्रत्येक देश के रीति-रिवाज, रहन-सहन, पहनावा-ओढ़ावा वहाँ की भौगोलिक वातावरण द्वारा सुनिश्चित हुआ है इसलिए वहाँ के (विदेशी) रीति-रिवाजों को अपनाने के फलस्वरूप कहीं ये हमारे यहाँ नकारात्मक प्रभाव तो नहीं छोड़ रहे हैं। उदाहरणस्वरूप जैसे - कम कपड़े पहनना यूरोपीय देशों के

निवासियों के लिए भौगोलिक वातावरण की आवश्यकता हो सकती है परन्तु हमारे यहाँ यह नैतिक पतन की ओर ले जा सकता है। इसलिए हमें यह सदैव ध्यान देना होगा कि कहीं विदेशी कम्पनियों के माध्यम से आयात होने वाली संस्कृति के द्वारा हमारे यहाँ का सांस्कृतिक एवं सामाजिक ढाँचा तो प्रभावित नहीं हो रहा है। यदि ऐसा संभव हुआ तो हमें विशेष रूप से कई प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि विदेशी कम्पनियों के आगमन के परिणाम स्वरूप होने वाली हानियों की संभावनाओं का पता लगाकर उनके निदान की सुनियोजित ढंग से व्यवस्था की जाये तो देश का विकास संभव होगा और हमारे यहाँ अल्पविकसित या अक्षुण्ण रहे क्षेत्रों को औद्योगिक गति प्रदान कर विकसित करने में सहायता उपलब्ध हो सकती है।







## सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

लेखक	पुस्तक	प्रकाशन एव सन्
मामोरिया, डॉ० चतुर्भुज एव जैन, डॉ० एस सी	भारतीय अर्थशास्त्र	साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 1997
त्रिपाठी, डॉ० बदी विशाल	भारतीय अर्थव्यवस्था	किताब महल, इलाहाबाद 1997
दत्त, रुद्र एव सुन्दरम के पी एम	भारतीय अर्थव्यवस्था	एस चन्द एण्ड कम्पनी लि० रामनगर, नई दिल्ली 1992
मिश्र, जगदीश नारायण	भारतीय अर्थव्यवस्था	किताब महल, इलाहाबाद 1996
गोवर, बी एल यशपाल	आधुनिक भारत का इतिहास	एस चन्द एण्ड कम्पनी लि० नई दिल्ली, 1994
शर्मा, एल पी	मध्यकालीन भारत	लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा
रामचन्द्रम, के एस	भारतीय अर्थव्यवस्था	वेस्टविल पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली, 1995
राय, प्रो एल एम	महान राष्ट्रों का आर्थिक विकास	नव विकास प्रकाशन, पटना-6, 1990
राय, प्रो एल एम	भारत का आर्थिक विकास	नव विकास प्रकाशन, पटना-6, 1990
राय, प्रो एल एम	आर्थिक विकास के सिद्धान्त एव नियोजन	नव विकास प्राकाशन, पटना-6, 1990
दत्त, रजनी पाम	आज का भारत	दि मैकमिलन कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, 1977
अग्रवाल, ए एन	भारतीय अर्थव्यवस्था	विश्वा प्रकाशन, नई दिल्ली, 1997
पाण्डेय, डॉ० जय नारायण	सिन्धु सभ्यता	प्रामानिक पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद 1996
महाजन, बिद्याधर	मध्य, कालीन भारत	एस चन्द एण्ड कम्पनी लि०, 1993
दत्त, रमेश चन्द	भारत का आर्थिक इतिहास भाग-1	प्रकाशन विभाग, 1981
सिघई, डॉ० जी.सी.	भारत की आर्थिक समस्याए	साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 1996
एलहस, देवकीनन्दन, एलहस, वीना एवं वैश्य, एम.पी.	सांख्यिकी के सिद्धान्त	किताब महल, इलाहाबाद, 1997-98

शुक्ल एव सहाय, डॉ० एस एम एव डॉ० शिवपूजन	सांख्यिकी के सिद्धान्त	साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा 1998
MISHRA, S K & PURI, V K	INDIAN ECONOMY	Himalaya Publishing house, 1997
SHARMA, DEVENDRA	GATT TO WTO	Seeds of Despair , Konark Publishers, Pvt Ltd , 1995
SHARMA, A D & GEETIKA	GATT - WTO	The New World , Economic Order, Kitab Mahal, 1995

## REPORT AND SURVEY :

Bharat, Govt of India, 1996

Economic Survey, 1994-95, 1997-98

Survey of Indian Industry, The Hindu, 1997

Survey of Indian Agriculture, Hindu, 1997

World Development Report, The World Bank, 1991, 1992, 1993

## पत्र - पत्रिकाएं :

- 1 कुरुक्षेत्र
- 2 योजना
- 3 जनसत्ता
- 4 दैनिक जागरण
5. हिन्दुस्तान
- 6 आज
- 7 अमर उजाला
8. *Business India*
- 9 *Economic Times*
10. *Financial Express*
11. *Hindustan Times*
- 12 *Weekly*

## कुल विदेशी सहायता

(करोड रुपये में)

वर्ष	प्राधिकृत सहायता ऋण अनुदान ऋण अनुदान		जोड (2+3)	उपयोग में लायी गयी सहायता		जोड (5+6)
	2	3		5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1990-91	7601 3	522 1	8123 4	6170 0	534 3	6704 3
1991-92	11805 8	901 8	12707 6	10695 9	919 1	11615 0
1992-93	13082 1	1011 7	14093 8	10102 2	879 6	10981 8
1993-94	11618 8	2415 1	14033 9	10895 4	885 6	11781 0
1994-95	12384 3	1045 8	13460 1	9964 5	916 0	10880 5
1995-96	10833 2	1330 0	12163 2	9958 6	1063 6	11022 2
1996-97	14208 8	2932 6	17141 4	10892 9	1085 6	11978.5

स्रोत -सहायता लेखा और लेखा परीक्षा प्रभाग,अर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय 1996-97 पृष्ठ सख्या -97

## विदेशी मुद्रा भण्डार

### प्रारक्षित भण्डार

माह	सोना टन (करोड रुपये में)		एस डी आर (मिलियन करोड रुपये)		विदेशी मुद्रा (करोड रुपये में)	जोड (3+5+6) (करोड रुपये में)
	2	3	4	5		
I	2	3	4	5	6	7
अप्रैल	397 5	14190 1	19 2	94 0	81075.5	95359 6
मई	397 5	14152 9	2 0	10 0	86377.5	100540 4
जून	397 5	14054 3	2 4	11 8	90983.2	105049.3
जुलाई	397 5	13320 3	27 4	132 8	92882 4	106335 5
अगस्त	397 5	13554 8	50 8	252 0	95935.2	109742 0
सितम्बर	397 5	13414 9	22 0	108 4	92981 8	106505 1
अक्टूबर	397 5	13637 1	22 0	110 6	95499.2	109246 9
नवम्बर	396 2	13552 7	1 0	5 3	94044.2	107602.2
दिसम्बर	396 2	13012 6	57 4	304 1	93978 0	107294 7
जनवरी	396.2	12904.5	46.5	243.3	95146 1	108293 9
फरवरी	396.2	13412.2	2 8	15 0	94530 9	107958 1
मार्च	396.2	13394 0	0.8	4 1	102506 7	115904 8

स्रोत भारतीय रिजर्व बैंक 1997-98 पृष्ठ सख्या 69

## भारत में विदेशी व्यापार की दिशा

(प्रतिशत में)

क्र० सं०		आयात		निर्यात	
		1994-95	1995-96	1994-95	1995-96
1	आर्थिक सहयोग विकास सगठन	51.4	58.7	58.7	55.7
	जिसमें (OECD)				
	क यूरोपीय आर्थिक समुदाय	24.8	26.6	26.7	26.5
	जिसमें -				
1	बेल्जियम	4.2	4.6	3.8	3.5
2	फ्रांस	2.1	2.3	2.2	2.3
3	जर्मनी	7.6	8.6	6.6	6.2
4	यूनाइटेड किंगडम	5.4	5.2	6.4	6.3
	ख संयुक्त राज्य अमरीका	10.1	10.5	19.1	17.4
	ग जापान	7.1	6.1	7.7	7.0
2	पेट्रोलियम निर्यातक देश सगठन	21.1	20.9	9.2	9.7
	जिसमें (OPEC)				
1	ईरान	1.9	1.6	0.6	0.5
2	इराक	0.0	0.0	0.0	0.0
3	कुवैत	5.2	5.4	0.5	0.4
4	सऊदी अरब	5.5	5.5	1.7	1.5
3	पूर्वी यूरोप	2.4	3.4	3.6	3.8
	जिसमें				
1	रूसिया	1.8	2.3	3.1	3.3
4	विकासशील देश	20.2	18.3	23.9	25.7
1	अफ्रीका	2.9	2.3	2.5	3.4
2	एशिया	14.6	14.4	20.1	21.3
3	लेटिन अमरीका और कैरोबियन	2.7	1.6	1.3	1.1
5	अन्य	4.9	5.0	4.6	5.1
	योग	100.0	100.0	100.0	100.0

स्रोत आर्थिक समीक्षा भारत सरकार, 1996- पृष्ठ संख्या-89